

भारतीय शिक्षा-दार्शनिक

कीर्ति देवी सेठ

एम० ए०, एम० एड०, डॉ० फिल०
शिक्षा-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

वैदिक प्रकाशन

३४, लूकरगज इलाहाबाद

प्रथम संस्करण
सितम्बर, १९६०

4

मूल्य ७००

मुद्रक . द्वारका नाथ भार्गव, भार्गव प्रेस, इलादाबाद

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

स्वा० दयानद् सरस्वती

जीवन और कार्य	...	१-
जीवन-दर्शन		८
शिक्षा-दर्शन		१६
शिक्षा-स्थाएँ		३२
सहायक साहित्य		३३

स्वा० विवेकानन्द

जीवन और कार्य	३४
जीवन-दर्शन	४०
शिक्षा-दर्शन	५४
शिक्षा-स्थाएँ	७५
सहायक साहित्य	७६

डॉ० एनी बेसेन्ट

जीवन और कार्य	.	७८
जीवन-दर्शन	.	८५
शिक्षा-दर्शन	..	९२
शिक्षा-स्थाएँ	.	१२०
सहायक साहित्य		१२१

डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर

जीवन और कार्य	१२२
जीवन-दर्शन	१२६
शिक्षा दर्शन	१३७
शिक्षा-स्थाएँ	१७१
सहायक साहित्य	१७३

महात्मा गांधी

जीवन और कार्य	१७४
जीवन-दर्शन	१८५
शिक्षा-दर्शन	१९६
शिक्षा-स्थाएँ	२३८
सहायक साहित्य	२४२

श्री अरबिंद घोष

जीवन और कार्य	२४४
जीवन-दर्शन	२५०
शिक्षा-दर्शन	२५४
शिक्षा-स स्थाएँ	२८८
सहायक साहित्य	२९२
परिशिष्ट	२९३
अनुक्रमणिका	२९४

FOREWORD

I have pleasure in writing a brief foreword to the valuable volume which Dr (Mrs) K D Seth has brought out. Doctrines of Western Educators have been expounded in clearly written treatises in England, the United States of America and elsewhere, but Great Indian Educators have been neglected so far. Unless we have a thorough understanding of the basic concepts which inspired our great teachers of the past, we shall fail in our endeavours to re-orient our education from the proper Indian view-point. Indian view of life, Indian way of life and Indian culture should be thoroughly understood and assimilated before anyone ventures to put forth plans for Indianising education. A book like Dr (Mrs) Seth's, 'Bharatiya Shiksha-Darshanik' comes at the right moment to fill a gap in our educational field. I am confident that this book will be instructive and illuminating not only to the students in the universities but to those who wish to reshape our Educational System.

P. S Naidu
Head of the Department
Post-Graduate Studies and Research

Vidya Bhawan
Udaipur
July 12, 1960

आमुख

भारत की वर्तमान शिक्षा-पद्धति पाश्चात्य जगत् की देन है। अत उसमे पाश्चात्य सम्मता, स्थक्ति, जीवन-दर्शन और रीति-नीति का यथोष्ट समावेश होना स्वाभाविक ही है। पाश्चात्य जीवन के मूल मे भौतिकतावाद की ही प्रधानता है और प्रत्यक्षरूप से उसके विभिन्न पञ्चों के विकास की प्रेरक भावना भौतिकता ही है। ऐहिक सुख समृद्धि की तीव्र लालसा ने पश्चिम की विश्व-विजय की दुर्दयनीय महत्वाकांक्षा को उदीप्त किया और वैज्ञानिक प्रगति ने उसमे और योग दिया। फलस्वरूप पिछले दो महायुद्धों का भय-कर परिणाम यह हुआ कि मानवता की जड़ें हिल गईं। भारत मे प्रचलित शिक्षा-पद्धति के मूल मे पाश्चात्य जगत् के इसी भौतिकवादी दर्शन की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। यह पद्धति हमारे देश की आध्यात्मिक स्थक्ति के सर्वथा प्रतिकूल है, यह हमे जीवन के उच्च लक्ष्य से विमुख करके घोर पतन की ही ओर ले चलेगी। अत स्वतत्रता प्राप्ति के उपरात भारत को ऐसी शिक्षा-पद्धति की आवश्यकता है जिसमे राष्ट्रीय तत्वों की प्रमुखता हो ताकि भारत के प्राचीन गौरव को पुन प्रतिष्ठित किया जा सके। इतना ही नहीं, वर्त्तमान शिक्षा की नीव एक ठोस जीवन-दर्शन—भारत के आध्यात्मिक दर्शन—के आधार पर खड़ी की जानी चाहिए जिससे कि भारतीय जाति मे आत्मविश्वास एव सुदृढना आ सके और भारत सपूर्ण विश्व को अपनी आध्यात्मिकता का सदेश देकर अपने विशिष्ट एव निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर सके।

इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त यह जानने के लिए कि वे कौन से शिक्षा के तात्त्विक सिद्धात हैं जिनको शिक्षा-पद्धति मे प्रयोग करने से शिक्षा 'राष्ट्रीय-शिक्षा' कहलायेगी, प्रस्तुत पुस्तक मे उन सभी अवचीन शिक्षा-दार्शनिकों के जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन का वर्णन किया गया है जिन्होने भारत के पुनर्जागरण-काल मे राष्ट्रीय और सास्कृतिक चेतना को उदीप्त करने का अक्यनीय प्रयास किया। यह सर्वविदित तथ्य है कि जीवन-दर्शन का शिक्षा-दर्शन से अटूट सबध है। प्रत्येक दार्शनिक साथ ही साथ शिक्षक भी होता है। यह तथ्य हमारे देश के लिए तो और भी अधिक पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है क्योंकि हमारे देश मे दर्शन केवल चिन्तन का विषय ही नहीं वरन् जीवन में प्रयोग एव व्यवहार का विषय भी रहा है। अत इस पुस्तक मे जिन दार्शनिकों का वर्णन किया गया है उनके सिद्धात कोरे सिद्धात नहीं हैं वरन् वे व्यवहृत होकर जीवन को उत्कृष्ट बनाने के उपयुक्त साधन हैं।

भारत की दर्शन-परपरा प्रधानत आदर्शवादी है। आदर्शवादी सिद्धातों के प्रख की

कसोटी है उनकी शाश्वतता और सार्वभौमिकता। अर्वाचीन भारतीय शिक्षा-दार्शनिकों ने यह प्रमाणित किया है कि भारतीय शिक्षा के सिद्धात आदर्शवादी है, वे प्राचीन काल में भी हमारे देश में व्यवहृत रहे हैं और आज भी उसी रूप में व्यवहार्य है, केवल युगीन परिस्थितियों के अनुकूल इन सिद्धातों के पालन के बाह्य साधनों में हेतु फेर की जा सकती है, ये सिद्धात सार्वभौम भी है क्योंकि भारतीय होते हुए भी वे प्रत्येक देश व जाति के उत्थान के लिए, यदि उन्हे उपयोग किया जाय, तो सचम है। इसका कारण है कि भारतीय वेदात-दर्शन किसी एक विशेष धर्म—हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि—के अनुयायियों को सबोधित नहीं किया गया है। इसका विश्वास उस आत्मा में है जो प्रत्येक मानव में प्रतिर्विवित है। विश्व-शाति और विश्व-एकता आज के युग की पुकार है। भारत की इसी शातिवादी एवं आदर्शवादी विचारधारा का अनुसरण करने से ही संसार का कल्याण सभव है। इसी भावना से अनुप्रेरित होकर इस पुस्तक की रचना की गयी है।

इस पुस्तक की रचना लेखिका के डी०फिल०-थीसिस, 'Idealistic Trends in Indian Philosophies of Education' के आधार पर हुई है। शोधकार्य पूज्य-गुरु, श्री० पी० एस० नायडू की सरक्षता में सपन होने के कारण, इस पुस्तक की प्रेरणा का श्रेय उन्हीं को है, पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर उन्होने मुझे अपना आशी-र्वाद दिया है। पुस्तक के सबध में समय-समय पर परामर्श देने के लिए मै डा० सुबोध अदावाल, अध्यक्ष शिक्षा-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, तथा अपने साथी-गण कु०—निर्मला हड्डू, श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता, कु० शाति जोशी तथा कु० प्रीतिलता अदावाल की हृदय से आभारी हूँ। पाठ्युलिपि के दुहराने में मेरी शिष्या—कु० सुचेत गोयन्दी ने मुझे बहुत सहायता दी है। भाषा-सबधी सहायता के लिए मैं श्री योगेन्द्र पांडे की अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, मुझे अत्यत खेद है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व ही अकस्मात् उनका स्वर्गवास हो गया।

मेरसर्व गोविदराम हासानद, नई सड़क, दिल्ली द्वारा स्वामी दयानद सरस्वती का चित्र प्राप्त हुआ है, उनकी मैं आभारी हूँ।

कीर्ति देवी सेठ

शिक्षा-विभाग

प्रयाग विश्वविद्यालय

सितम्बर, १९६०

स्वामी दयानंद सरस्वती

जीवन और कार्य

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम भाग में भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुनरुत्थान और पुनर्जागरण की जो शक्तिशाली लहर आयी, उसने सपूर्ण राष्ट्र को भक्तभोर कर नये जीवन का सदेश दिया। इस पुनर्जागरण-काल से ही हमारे देश में राष्ट्रीय भावना का प्रमार हुआ, जो उत्तरोत्तर व्यापक और गतिशील होता गया तथा जिसके फलस्वरूप देश में स्वराज्य की रक्षापना सभव हो सकी। किंतु यदि इस राष्ट्रीय जागरण के पूर्व के इतिहास का हम अवलोकन करें तो ज्ञात होगा कि इससे पूर्व भी स्वामी दयानंद ने अपने धार्मिक, सामाजिक और सास्कृतिक सुधार-आदोलन द्वारा इस राष्ट्रीय चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पाश्चात्य सम्यता, सम्झौता और जीवन-दर्शन के दुष्प्रभावों से आक्रात भारतीय जीवन के सम्मुख उन्होने चिरकाल में विस्तृत वैदिक धर्म एव सस्कृति का उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया, आत्मसम्मान की भावना जगृत की और आधुनिक युग के अनुकूल प्रगति करते हुए भी अतीत से प्रेरणा लेने की चेतना प्रदान की। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब हम स्वामी दयानंद के महान कार्यों का मूल्याकान करते हैं तो यह कहना पड़ता है कि वह आधुनिक भारत के प्रथम कानिकारी 'ऋषि' थे।

वाल्यकाल और शिक्षा

उन्नीसवीं शताब्दी में गुजरात की भूमि ने दो महापुरुषों—स्वामी दयानंद तथा महात्मा गांधी—को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त किया। इसी प्रात के मौरवी नामक एक छोटे-से राज्य में एक सपन्न औदीच्य ब्राह्मण-परिवार में सन् १८४० में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम कर्णेलाल तिवारी था जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका अधिकाश समय शिव की पूजा-आराधना में ही व्यतीत होता था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलजी या मूलशकर था।

कर्णेजी स्वयं विद्वान् ब्राह्मण थे, अत उन्होने मूलशकर की शिक्षा का आरभ अल्पायु में ही कर दिया। पाँच वर्ष की अवस्था में ही उन्हे सस्कृत के ग्रथ कठस्थ कराये गये और वैदिक ग्रथों का अभ्यास कराया गया। आठ वर्ष की अवस्था में मूलजी का यज्ञोपवीत सस्कार हुआ। इस समय से मूलजी को पिता के कठोर अनुशासन में रह कर धार्मिक नियमों का पालन करना पड़ा। उनकी माता यह नहीं चाहती थी कि बालक मूलजी से धार्मिक नियमों और व्रतों का पालन इतनी कठोरता के साथ कराया जाय, अत इस बात को लेकर कभी-कभी पनि-पली में विवाद भी हो जाया करता था। एक सच्चे शिवभक्त होने के कारण कर्णेजी चाहते थे कि उनका पुत्र भी उन्हीं की भौति भक्त और धार्मिक हो।

चौदह वर्ष की आयु में ही मूलजी ने विधिपूर्वक यजुर्वेद का अध्ययन समाप्त कर लिया और शेष तीन वेदों के कुञ्ज अशो का भी अध्ययन किया। तदुपरात उन्होने सस्कृत-व्याकरण, तर्क आदि की शिक्षा प्राप्त की। मूलजी को उतने अध्ययन से सतोप नहीं हुआ। वह पूर्ण शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए काशी जाने को इच्छुक थे। मूलजी ने काशी जाकर अध्ययन करने की अपनी इच्छा पिता के समुख प्रगट की। उनके इस विचार से पिता सहमत थे, किन्तु ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण माँ का अग्राप स्नेह उनके मार्ग में बाधक बना और वह काशी जाने की अनुमति प्राप्त न कर सके। अत समीप के एक पट्टिं से उन्होने शिक्षा प्राप्त की, किन्तु अव्ययन का यह क्रम अविक दिनों तक नहीं चल सका।

ज्ञान-प्राप्ति

व्यावहारिक जीकन के अनुभव के लिए चौदह वर्ष की आयु बहुत कम होती है। सामान्यत यह किशोरावस्था का काल होता है, किन्तु मूलजी के विषय में यह मान्यता सही नहीं है। इतनी अल्पायु में ही सत्य के अन्वेषण की जिज्ञासा उनमें आ गयी थी। उनके मस्तिष्क में मूर्ति-पूजा और जन्म-मरण के विषय में विचार-सवर्धन चलने लगा और इसी विचार-सवर्धन ने उनकी जीवन-धारा को परिवर्तित कर दिया। शिवरात्रि हिंदुओं का त्यौहार है। इस दिन सभी हिंदू, विशेषत शैव, बडे ही भक्ति-भाव से शिव की पूजा करते हैं। मूलजी के पिता भी शैव थे, अत मूलजी को भी व्रत रखना पड़ा। शिव की पूजा के लिए मंदिर में जब वह रात्रि-जागरण कर रहे थे तब उन्होने देखा कि चूँहे शिव मूर्ति पर चढ़ कर, उस पर चढ़ाये गये अच्छत तथा अन्य पदार्थों को खा रहे हैं और मूर्ति पर ढौड़ लगा रहे हैं। इस छोटी सी घटना ने बालक मूलजी के मन में मूर्ति-पूजा के विषय में शक्ता उत्पन्न कर दी। वह सोचने लगे, यदि शिवजी इतने शक्तिमान और समर्थ हैं तो वह अपने ऊपर चूहों को चढ़ाते हुए देख कर कैसे मौन रह सकते हैं? उन्होने अपने पिता को जागा कर कहा, 'मैंने सुना था कि शक्तरजी बडे शक्तिशाली हैं, किन्तु वह तो अपने ऊपर से चूहों को भी हटा नहीं सकते।'

अपने पुत्र के दस प्रश्न पर शेव पिता को क्रोध तो आया, फिर भी उन्होंने बताया कि यह मूर्ति वास्तव में शिव नहीं है, वरन् उनकी काल्पनिक मूर्ति है। मूलजी को ज्ञात हो गया कि सर्वशक्तिमान शिव इस पाणाणमूर्ति से पृथक् दूसरी शक्ति है, अत मूर्तिनूजा व्यर्थ है। वह पिता से मनुमति लेकर मदिर से घर चले आये और मूर्तिनूजा के प्रति उनका सारा विश्वास जाता रहा। सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करने वाली यह प्रथम घटना थी जिसने दयानन्द की जिज्ञासा को और तीव्र कर दिया।

मूलजी को प्रभावित करने वाली दूसरी घटना थी उनकी बहन तथा चचेरे दादा की मृत्यु। एक दिन वह अपने एक सबधी के यहाँ किसी उत्सव में गये हुए थे। उनके नौकर ने जाकर बहन की मृत्यु का दुखद समाचार दिया। यह उनके जीवन की सबसे शोकपूर्ण घटना थी। मृत्यु का समाचार पाकर वह पाणाणवत् स्तब्ध रह गये। उन्होंने मोक्ष, यह जीवन कितना चक्रिक है। इसी भाँति एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। क्या मृत्यु के पाश से बचने और मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं है? उन्होंने उसी स्थान पर यह प्रतिज्ञा की कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का प्रथत्न करूँगा। मूलजी के जीवन की इस घटना से भगवान् बुद्ध के जीवन का स्मरण हो आता है, जिनके मन में शब को देखकर ससार से विरक्ति उत्पन्न हो गयी और उन्हांन दुःख के कारण, उसको दूर करने के उपाय तथा मोक्ष की खोज में गृह त्याग दिया।

गृह-त्याग

शिवरात्रि की घटना और जीवन की नश्वरता का बोध—इन दो कारणों से दयानन्द सत्य के अन्वेषण में लीन रहने लगे। उनके माता-पिता ने उनकी विरक्ति को मिटाने के लिए उन्हे विवाह-बवन में डालने का बड़ा प्रयत्न किया, किन्तु मूलजी पूर्ण सतर्क थे। माता-पिता का उनके ऊपर कोई वश नहीं चल सका और वह अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए २२ वर्ष की अवस्था में सन् १८४६ ई० में बिना किसी को सूचित किये ही घर से निकल पड़े।

घर छोड़ने के पश्चात् मार्ग में बहुत-से धूर्त और पाखड़ी सावु और योगियों से भेट हुई। उन्होंने अपने सारे आभूषणों को उन्हे दे दिया और अत में शैला नामक स्थान पर लालभक्त नामक एक साधु के पास पहुँचे। लालभक्त गुजरात के प्रसिद्ध सत थे, किन्तु उनसे मूलजी को सतोष प्राप्त न हो सका। उसी स्थान पर एक ब्रह्मचारी रहते थे जिनके परामर्श से मूलजी ने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली और अपना नाम 'शुद्ध चैतन्य' रख लिया।

सत्य की खोज

तदुपरात शुद्ध चैतन्य अनेक स्थानों का भ्रमण करके सिद्ध योगियों और सतो की खोज करते रहे। बड़ौदा में चेतन मठ के ब्रह्मानन्द, चिदानन्द सन्यासियों के सपर्क

मे भी वह कुछ समय रहे और उन्हीं के समीप रहकर 'वेदान्त सार' तथा 'वेदान्त परिभाषा' आदि का पूर्ण अध्ययन किया। अब शुद्ध चैतन्य के मन मे सन्यास ग्रहण करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वह योग्य गुरु की खोज करने लगे क्योंकि वह किसी महान योगी मे ही दीक्षा लेना चाहते थे उन्होंने एक दाचिणात्य पटित से प्रार्थना की कि वह स्वामी विदानद से दीक्षा दिलाने का प्रयत्न करे, किन्तु उन्हे सफलता न मिली। अत मे स्वामी पूर्णानिद नामक एक सन्यासी ने बड़ी विनती और प्रार्थना करने पर शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी और उनका नाम 'स्वामी दयानद सरस्वती' रखा। सन्यास ले लेने पर शुद्ध चैतन्य सासारिक कर्मों के बधनो से मुक्त हो गये और ब्रह्म-विद्या प्राप्त करने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया।

सन्यास ले लेने के उपरात भी स्वामी दयानद की जिज्ञासा शात नहीं हुई। गृह-त्याग करने के बाद वह तेरह वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। इस भ्रमण-काल मे उन्होंने योगाभ्याम और ग्रन्थो के अव्ययन का यथासभव प्रयत्न किया। सच्चे योगियों की खोज मे उन्होंने सारे दक्षिण भारत की यात्रा की, किन्तु उन्हे कोई योग्य गुरु नहीं मिला जो उनकी आध्यात्मिक पिपासा को शात करता। स्वामीजी ने सुन रखा था कि हिमालय की कदराओं मे सिद्ध योगी-महात्मा निवास करते हैं, अत उन्होंने हिमालय की यात्रा की। गहन पर्वतो मे भटकते हुए उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यतीत किये। इस यात्रा मे उन्हे अनेक अपूर्व अनुभव हुए। जीवन की चिंता न करके वह साहस के साथ हिमालय मे घूमते रहे, परतु किसी महान योगी की प्राप्ति की आशा पूरी नहीं हुई। पर्वत-प्रदेश की यात्रा मे अनेक विपत्तियों और कष्टो को सहन करते हुए अत मे उन्हे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। हरिधार, मुरादावाद आदि अनेक स्थानो का भ्रमण करते हुए अतत वह योग्य गुरु को प्राप्त करने मे सफल हुए और सन् १८६२^{इ०} मे मथुरा मे उन्हे स्वामी विरजानद का दर्शन हुआ। स्वामी विरजानद का साक्षात्कार स्वामी दयानद के जीवन की एक महान घटना थी। उनकी दीर्घ यात्रा का अब अत हो गया और यहाँ से एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका महत्वपूर्ण प्रयत्न आरम्भ हुआ।

गुरु के पास

मथुरा से स्वामीजी सर्वथा अपरिचित थे। यहाँ न उनके मित्र थे और न जान-पहचान के लोग ही। अत वह मगेश्वर मंदिर मे ठहरे और एक दिन स्वामी विरजानद के स्थान पर जाकर द्वार खटखटाया। स्वामी विरजानद ने पूछा, 'कौन?' स्वामी दयानद ने उत्तर दिया, 'ज्ञान-प्राप्ति के लिए आया हुआ एक विद्यार्थी।' स्वामी विरजानद ने आदेश दिया, 'अब तक जो भी तुमने पढ़ा है उसे भूल जाओ, तभी कृषियों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का सार प्राप्त कर सकते हो। यदि कृषियों के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा रचित कोई पुस्तक तुम्हारे पास हो तो उसे यमुना मे फेंक दो।' स्वामी विरजानद ने स्वामी

दयानन्द का नाम पूछा, फिर कहा, 'तुम सन्यासी हो, अत तुम्हारे लिए मैं कोई प्रबन्ध नहीं कर सकता। जाग्रो, पहले अपनी व्यवस्था करो, तब आओ।'

स्वामी दयानन्द ने अपने भोजन, निवासादि की व्यवस्था की और गुरु के चरणों में उपस्थित हुए। गुरु के पास रह कर उन्होंने व्याकरण एवं सपूर्ण वैदिक साहित्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विरजानन्द ने दयानन्द में एक प्रतिभा का अनुभव किया और उन्हे अपने सचित ज्ञान का उत्तराधिकारी बनाया। शिद्धा समाप्त होने पर जब विदा होने का समय आया तो स्वामी विरजानन्द ने कहा, 'दयानन्द, तुम्हारी शिद्धा पूर्ण हो गयी। अब मैं तुम से गुरु-दक्षिणा चाहता हूँ, किंतु दक्षिणा में धन नहीं, तुम्हारा जीवन दान माँगता हूँ। तुम मेरे सम्मुख प्रण करो कि वेदों के आलोक द्वारा ससार के अज्ञानाधिकार को दूर करोगे।' गुरु के आदेश को शिरोधार्य कर, उनका आशीर्वाद लेकर, स्वामी दयानन्द विदा हुए।

विकल्प-काल

गुरु से अलग होने के बाद स्वामीजी के जीवन के लगभग बारह वर्ष सकल्प-विकल्प में व्यतीत हुए। यह अवधि उनके मानसिक उद्वेलन की थी क्योंकि वह अभी तक अपने धार्मिक सिद्धांतों का निरूपण नहीं कर सके थे। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए उन्होंने मूर्ति-पूजा तथा अवैदिक ग्रन्थों का खड़न किया। अनेक विद्वानों और पडितों से उनका विवाद हुआ और उन्हे विजय मिली, किंतु अब भी उनकी शकाएँ निर्मूल न हो सकी थीं। वह पुन गुरु के पास गये, अपनी शकाओं का समावान किया तथा नि शक होकर समाज और धर्म-सुधार के क्षेत्र में प्रवेश किया।

द्विर्विजय

स्वामीजी ने वैदिक धर्म के प्रचार का जो अनुष्ठान किया वह कोई सरल कार्य नहीं था। उनके मार्ग में, शताब्दियों से पलने वाली रुढ़ियों, अवविश्वासों और पुरोहिती स्वार्थों का विशाल और धना जगल था जिस चीर कर उन्हे पथ-निर्माण करना पड़ा। इस कार्य के लिए उन्होंने सर्वप्रथम रुढ़ियों, अधविश्वासों तथा पालड के पोषक पडितों-पुरोहितों के गढ़ों पर आधात किया। सपूर्ण भारत के पडितों को उन्होंने चुनौती दी एवं शास्त्रार्थ में उन्हे पराजित करके वैदिक धर्म का जयघोष किया। इन शास्त्रार्थों का वर्णन अपने आप में एक रोचक कहानी है जिसका अवलोकन करने से स्वार्थी-वर्ग की कुत्सित प्रवृत्तियों तथा षड्यत्रों का पता चलता है। स्वामीजी के शास्त्रार्थ के दो प्रधान पक्ष थे—निषेधात्मक तथा विधेयात्मक। निषेधात्मक पक्ष के अर्तात वह पौराणिकता का विरोध करते थे तथा विधेयात्मक पक्ष के अर्तात प्राचीन वैदिक धर्म तथा सस्कृति का उपदेश देते थे। उन्होंने काशी के पडितों को बारबार शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारा

क्योंकि प्राचीन काल से काशी पुराहितो और पौराणिकता का गढ़ रहा है। काशी के पडित स्वामीजी के समक्ष शास्त्रार्थ में ठहर नहीं सके। इस प्रकार स्स्कृत-विद्या का केन्द्र, काशी, के आचार्यों के नतमस्तक हो जाने पर स्वामीजी की विद्वत्ता का प्रभाव सहज ही सारे देश में व्याप्त हो गया। लाखों व्यक्तियों ने उनके बताये हुए आर्य-धर्म को स्वीकार किया।

स्वामीजी के महान कार्यों का मूल्याकान करते हुए कविवर रवीद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, “स्वामी दधानद आधुनिक भारत के सबसे महान पथ निर्माता थे, जिन्होने जानि-उपजातियों, छुआछूत आदि के भयकर जगलों को चौर कर हमारे देश के ह्लास-काल में ईश्वरभक्ति और मानव-सेवा का सहज मार्ग प्रस्तुत किया। उन्होने पैनी दृष्टि तथा दृढ़ सकल्प के साथ लोगों के भीतर आत्म-सम्मान और मानसिक चेतना को उद्बुद्ध किया। उन्होने अपने गौरवपूर्ण अतीत से सबध रखते हुए भी युग के अनुकूल प्रगति करने का उपदेश दिया क्योंकि अतीत काल में लोगों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो चुका था, वे अपने विचारों और कर्मों में स्वतत्र थे तथा उन्हें प्रकाशस्वरूप सत्य की अनुभूति हो चुकी थी।”

सन् १८७५ ई० में स्वामीजी ने बबई में आर्यसमाज की स्थापना की तथा अपने धार्मिक और सामाजिक सुधारादोलन को एक निश्चित रूप प्रदान किया। इसके पश्चात् स्वामीजी का प्रधान कार्य स्थान-स्थान पर आर्यसमाज की शाखाओं का स्थापन और सगठन हो गया। आर्यसमाज के सगठनात्मक और रचनात्मक कार्यों के लिए उन्होने विधान एवं नियम बनाये तथा घोर परिश्रम के द्वारा अपने जीवनकाल में ही इस संस्था को एक विशाल बटवृक्ष का रूप प्रदान किया।

अन्य-रचना

स्वामीजी की मातृभाषा गुजराती थी। वह स्स्कृत के प्रकाढ़ पडित थे, किन्तु उन्होने यह अनुभव किया कि इन दोनों में से कोई भी भाषा व्यापकता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। अत विद्वान् के माध्यम से उन्होने अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने का निश्चय किया। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि स्वामीजी के काल तक हिंदी-गद्य की स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित रूपरेखा निर्धारित नहीं हो सकी थी, किंतु भी उन्होने यथाशक्ति परिष्कृत भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की। इस दृष्टि से उनका नाम हिंदी-गद्य के निर्माताओं में भी अग्रगण्य है।

स्वामीजी ने सन् १८६५ ई० में वैष्णवमत के खडन के लिए एक पुस्तक लिखी, जिसे उन्होने अपने गुरु स्वामी विरजानद को भी दिखलाया था। तत्पश्चात् उन्होने ‘सध्या’ की एक पुस्तक लिखी, जिससे सामान्य जनों के लिए दैनिक प्रार्थना आदि की विधि सरल हो जाय। इन दोनों पुस्तकों की रचना के बाद भी स्वामीजी की रुचि पुस्तके लिखने की ओर नहीं थी, किन्तु सन् १८७३ ई० में राजा जयकिशन दास, सी० एस० आर्ड०, अलीगढ़ के

डिप्टी कलक्टर, के अनुरोध पर उन्होंने 'सत्यार्थप्रकाश' की रचना की। इस बहुमूल्य ग्रन्थ के प्रणाली में उन्हे प० चद्रशेखर से भी भाषा-सबवी सहायता प्राप्त हुई। हिंदू धर्म में स्सकारों को प्रमुख स्थान प्राप्त है, किन्तु इस सबव में वैदिक पद्धति के अनुकूल कोई पुस्तक प्राप्त नहीं थी, अत उन्होंने 'स-कारविधि' की रचना की, जिसमे गर्भावान से लेकर मृत्युपर्यंत होने वाले सोलह स्सकारों का वर्णन है। वेद विश्व-साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ है, जिनसे तत्कालीन प्रतिभा, ज्ञान और जीवन का परिचय प्राप्त होता है। वेदवाणी को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए स्वामीजी ने वेदों का भाष्य प्रारभ किया। 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका', 'यजुर्वेदभाष्य', 'ऋग्वेदभाष्य' (जो अपूर्ण रह गया), 'वेदाग्र-प्रकाश' आदि इस सबव में उल्लेखनीय हैं। वेदों के सबध में लिखे गये ग्रन्थों की पृष्ठसंख्या इतनी अधिक है कि उनका प्रकाशन कई खंडों में हुआ है। 'आर्याभिविनिय', 'पचमहायज्ञविधि', 'सस्कृतवाक्यप्रबोध', 'व्यवहारभानु', 'काशीशास्त्रार्थ-भ्राति-निवारणम्', 'वेदातिध्वात-निवारणम्', 'भ्रमोच्छेदन', 'वेदविश्वद्वय-खडन' और 'आर्योदेश्य रत्न-माला' आदि स्वामीजी के प्रमुख ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों में वर्म, दर्शन, आचार, नीति आदि अनेकश विषयों का प्रतिपादन हुआ है, जिन्हे पढ़ कर उनकी दैवी प्रतिभा का सहज ही अनु-मान किया जा सकता है।

महाप्रथारण

स्वामी जी पूर्ण योगी थे अत उन्हे अपने शरीर-न्याग का पूर्वाभास मिल गया था। उन्होंने मैट्रम ब्लावात्सकी से बातचीत करते हुए कहा था कि मैं सन् १८८३ ई० के अत तक जीवित न रह राकूंगा। उनकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। ३० मई, सन् १८८३ ई० को स्वामीजी जोधपुर गये जहाँ दूध के साथ उन्हे काँच पीसकर दे दिया गया। दूध पीने के बाद जब उन्हे ज्ञात हो गया कि विष दिया गया है, तो रसोइये को बुला कर कहा, 'तुम यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा लोगों को जब पता लग जायेगा कि तुमने मुझे विष दिया है तो वे तुम्हारा प्राण ले लेंगे।' स्वामीजी ने उसे कुछ रुपए दे कर भगा दिया। बड़ी चिकित्सा हुई, किन्तु अत मे, ३० अक्टूबर सन् १८८३ ई० को, दीपावली के दिन, अजमेर मे स्वामीजी का देहान्वसान हो गया। स्वामीजी की मृत्यु की इस घटना से ईसा के उस वचन का स्मरण हो आता है, जिसे उन्होंने सूली पर चढ़ते समय कहा था, 'पिता इन्हे ज्ञामा करना, ये स्वयं नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।' स्वामीजी ने स्वयं विषपान करके भी अपने हत्यारे के प्राण की रक्षा की और उसे भगा दिया। सत्य की प्रतिष्ठा और उसकी रक्षा के लिए निरतर सघर्ष करने वाले स्वामीजी ने अपने जीवन का अत भी सत्य के लिए किया। अर्रविद घोष के शब्दों मे "स्वामी दयानन्द आध्यात्मिक क्रियात्मकता की एक शक्तिसप्तम सूर्ति थे।"

पडिन हरिश्चन्द्र विद्यालकार के शब्दों में "दयानन्द ऋषि थे—क्रातिदर्शी अर्थात् विश्वद्रष्टा। मानव-जीवन का कौन-सा वैयक्तिक अथवा सामाजिक पहलू रह गया,

जिमके सबध में दयानंद ने पथ-प्रदर्शन नहीं किया। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के सभी उपायों की मीमांसा उनके लेखों, व्याख्यानों और कार्यों में हम पाते हैं।

डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में, 'महान् गुरु दयानंद के मन ने जीवन के सब अग्रों को प्रदीप्त कर दिया।' महात्मा बुद्ध, आचार्य शकर, और भी न जाने कितने महापुरुष भारत में जन्मे और अपने-अपने ढंग से मनुष्यों का पथ-प्रदर्शन कर गये, परतु मानव-जीवन की सर्वाङ्गीण उन्नति का जो मार्ग ऋषि दयानंद ने प्रदर्शित किया, उसका अपना महत्व है। जातीय जीवन का कौन-सा सूत्र है, जिसका प्रतिपादन ऋषि ने नहीं किया। एक शास्त्र, एक देवता, एक भाषा और एक सङ्कृति की प्रतिष्ठा कर वे भारतीय समाज को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में सर्वथा समर्थ देखना चाहते थे। यहीं नहीं, भूमडल-भर में ऐसी एकता और उसके फलस्वरूप सुख, शांति एवं समृद्धि का राज्य उनका सुनहला सपना था।†

जीवन-दर्शन

आर्यसमाज के सम्मापक स्वामी दयानंद यद्यपि एक महान् दार्शनिक थे, तथापि उनकी गणना दार्शनिकों में नहीं की जाती है। इसका कारण सभवत यह है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी देन इतनी अधिक और महत्वपूर्ण है कि दार्शनिक रूप की तुलना में उनका सुधारक रूप अधिक विशिष्ट जान पड़ता है। दर्शन में रुचि रखने वाले उनके कुछ अनुयायियों को छोड़ कर शेष सभी उन्हें सुधारक के रूप में ही स्वीकार करते हैं। शकराचार्य और रामानुज की भाँति स्वामी दयानंद भी वेदों के प्राचीन गौरव को उच्च स्थान पर पुन प्रतिष्ठित करना चाहते थे और उनके प्रति अत्यन्त आदर का भाव रखते थे। किन्तु उन आचार्यों और स्वामीजी के दृष्टिकोण में थोड़ा अतर है। स्वामी दयानंद वेदों को अपौरुषेय (Self-revelatory) या 'श्रुति' तथा उपनिषदों, गीता आदि ग्रथों को 'स्मृति' मानते हैं। वैदिक युग की ओर पुनरावर्तन की उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की। इसीलिए उन्हे 'भारत के माटिन लूथर' की सज्जा दी जाती है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों, शकर और रामानुज, द्वारा उपनिषदों, गीता और वेदात्मदर्शन का भाष्य लिखने की परपरा का पालन नहीं किया, वरन् सीधे वेदों पर भाष्य लिखना प्रारंभ किया। स्वामीजी ने भाष्यों की रचना प्राचीन साहित्य में रुचि रखने वाले कतिपय व्यक्तियों के लिए नहीं की, वरन् भाष्य लिखने में उनका मुख्य उद्देश्य वेदों को सर्वसाधारण के लिए सुगम और सुलभ बनाना और उनके निकट पहुँचाना था।

† ५० हरिश्चंद्र विद्यालाकार. 'भृषि दयानंद सरस्वती' [सचिव प्रामाणिक जीवन-चरित]

‘ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका’ और ‘भत्यार्थप्रकाश’ स्वामीजी के सर्वश्रेष्ठ ग्रथ है। इन ग्रथों के अव्ययन से दर्शन के सबध मे उनको कुशाग्र बुद्धि और गहराई का परिचय मिलता है। वह न तो अद्वैतवादी थे ग्रोर न विशिष्टाद्वैतवादी। इनमे से किसी पर उनका विश्वास नहीं था क्योंकि उनके विचार मे इस जगत् मे केवल तीन तच्च अनादि है १ ईश्वर या ब्रह्म, २ जीव या आत्मा, तथा ३ प्रकृति या मूलोपादान। प्रकृति केवल ‘सत्’ स्वरूप है, जीव ‘सत्’ और ‘चित्’ स्वरूप है तथा ब्रह्म ‘सत्’, ‘चित्’ और ‘आनन्द’ अर्थात् सचिच्चदाननद स्वरूप है, अत उन्हे ‘त्रैतवादी’ कहा जा सकता है। वह शकराचार्य की भाँति यह नहीं कहते ‘एकम् ब्रह्म द्वितीयम् किंचित् वस्तु नास्ति’ अर्थात् ब्रह्म को छोड़ कर शेष सब मिथ्या है यद्यपि केवल एक ब्रह्म मे विश्वास करने के कारण स्वामी-जी को ‘अद्वैतवादी’ (Monothelit) कहा जा सकता है, तथापि शकर की भाँति वह यह नहीं कहते कि ब्रह्म के अतिरिक्त सारा जगत् मिथ्या है। रामानुज ने शकर के मायावाद के सिद्धात की जो आलोचना की है, उससे तो स्वामीजी सहमत हैं, किंतु दर्शन के चेत्र मे उनके द्वारा प्रतिपादित ‘विशिष्टाद्वैतवाद’ (Qualified Monism) को वह नहीं मानते। उदाहरणार्थ, रामानुज का मत है कि जीवात्मा और पदार्थ अन्य कुछ नहीं, वरन् ब्रह्म को दो पृथक् अभिव्यक्तियाँ ब्रह्म के दो प्रकार है। इस मत के विषय मे स्वामी जी का कहना है कि यदि ब्रह्म विशुद्ध चित्-स्वरूप और सर्वत्र है तो वह अपने ही अभिव्यक्त स्वरूपो—जीवात्मा और प्रकृति (पदार्थ)—से पृथक् किस प्रकार लक्ष्य किया जा सकता है ? पुन रामानुज जीवात्मा और ब्रह्म मे गुणवैधर्म्य के कारण पृथकता मानते हैं। अस्तु, स्वामी जी का कथन है कि जब दोनों ‘ब्रह्म और जीवात्मा’ के गुण पृथक् हैं तो वे समान या एक कैसे हो सकते हैं ! ‘अभिव्यक्ति’ शब्द की सार्थकता भी विशिष्टाद्वैत मत मे ठीक नहीं बैठती।

जीवात्मा और ब्रह्म

स्वामीजी के अनुसार जीवात्मा और ब्रह्म के गुण पृथक्-पृथक् हैं, अत इस गुण-वैधर्म्य के आधार पर उनको एक या समान नहीं माना जा सकता। पर जीवात्मा और ब्रह्म मे कुछ गुण समान भी हैं, दोनों मूलत चेतन-स्वरूप हैं, स्वभाव से पवित्र तथा शाश्वत है। क्या इस समानता अथवा साधर्म्य के कारण भी उन्हे समान या अनन्य नहीं माना जा सकता ? नहीं। इस तथ्य को समझने के लिए हम ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ तथा अग्नि का उदाहरण ले सकते हैं। ये तीनो पदार्थ निर्जीव तथा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले हैं। दूसरे शब्दो मे निर्जीवता तथा प्रत्यक्षता इन तीनो के समान गुण हैं। परतु इन समान गुणो अथवा साधर्म्य के आधार पर इन्हे एक नहीं माना जा सकता, कारण, इन तीनो का असमान गुण अथवा वैधर्म्य इन्हे एक दूसरे से पृथक् करता है। ठोस पदार्थ का गुण है कठोरता, तरल पदार्थ का गुण है द्रवणशीलता और अग्नि का

गुण है प्रकाश एवं उषणा । अत इस गुण-वैवर्म्य के आधार पर इनके अलग-अलग स्वरूप को पहचाना जा सकता है और उन तीनों को एक या समान नहीं माना जा सकता । ठीक इसी प्रकार जीवात्मा और ईश्वर में गुण-स्वावर्म्य के माथ-माथ गुण-वैवर्म्य भी है । ईश्वर सर्वज्ञ, अमीम क्रियाशील तथा सर्वव्यापक है । जीवात्मा ज्ञान, कर्म और स्वभाव से सीमित है । उसमें त्रुटि करने की चमता है और वह प्रगतिशील है । ईश्वर सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, किन्तु जीवात्मा उतना सूक्ष्म नहीं ।

इसके अतिरिक्त अनादि ज्ञान, असीम आनन्द तथा असीम शक्तिमत्ता ईश्वर के गुण है । इससे भिन्न आत्मा के गुण हैं पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (इच्छा), दुख की अनिच्छा तथा वैर (द्वेष), पुरुषार्थबल (प्रयत्न), आनन्द (सुख), विलाप और अप्रसन्नता (दुःख), विवेक की पहचान (ज्ञान) —जीवात्मा के ये छ गुण वैशेषिक और न्यायदर्शन दोनों में समान रूप से मान्य हैं, किन्तु वैशेषिक दर्शन जीवात्मा के इन गुणों को भी मानता है— श्वास लेना (प्राण), श्वास का बाहर निकालना (अपान), आँख मीचना (निमेष), आँख खोलना (उन्मेष), निश्चय, स्मरण और अहकार करना (मन), चलना (गति), सब इद्रियों का चलाना (इद्रिय), चुधा, तृष्णा, हर्ष और शोक (अर्तर्विकार) से युक्त होना—ये गुण परमात्मा के गुणों से भिन्न हैं । इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी चाहिए क्योंकि वह स्थूल नहीं है । आत्मा जब तक शरीर में रहता है तभी तक ये गुण प्रकाशित होते हैं और जब वह शरीर को त्याग देता है, तब ये गुण शरीर में नहीं रहते ।

ईश्वर सर्वशक्तिमान है । वह अपनी शक्ति से विश्व का सृजन, पौषण, विसर्जन तथा सृष्टि का नियमन करता है । इससे भिन्न जीवात्मा सत्तान उत्पन्न करता है, उनका पालन, पोषण और अन्य अच्छें-बुरें कर्म करता है । ईश्वर जीवात्मा को उसके कर्मों का फल प्रदान करता है और जीवात्मा उन्हें भोगता है । यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जीवात्मा अपने कर्म करने में 'स्वतत्र' है, परन्तु कर्मों का फल भोगने में 'परतत्र' । 'स्वतत्र' से तात्पर्य है जिसके अधीन शरीर प्राण इद्रिय और अत करण आदि हो । यदि जीवात्मा स्वतत्र न हो तो उसे पाप, पुण्यों का फल कभी प्राप्त न हो । ईश्वर के नियम और व्यवस्था में पराधीन होकर जीवात्मा अपने पाप कर्मों के लिए दुख, पीड़ा और कष्ट भोगता है ।

आत्मा के सबध में स्वामी दयानन्द का विचार नवीन वेदातिथों से भिन्न है । स्वामीजी सभी जीवात्माओं में एक ही विभु व्याप्त नहीं मानते । उनके अनुसार विभिन्न मानव-शरीरों में विभिन्न आत्माओं की व्याप्ति है । ये आत्माएँ विभुरूप नहीं, वरन् उससे परिच्छिन्न हैं क्योंकि यदि सभी मानव-शरीरों में एक ही विभु व्याप्त होता तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जन्म, मरण, सयोग वियोग और आवागमन कभी नहीं हो सकता । जीवात्मा का स्वरूप अल्पज्ञ और सूक्ष्म है और ईश्वर सूक्ष्मातिसूक्ष्म, अनन्त, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है,

अत जीवात्मा और ईश्वर का सबव व्याप्त्य—व्यापक का है ।

क्या विभिन्न आत्माएँ ईश्वर से सदैव पृथक् रहती हैं या कभी दोनो मिलकर एक भी होते हैं ? जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि सांवर्ण्य ग्रथवा अन्वयभाव के कारण वे एक या समान हैं, पर गुण-वैधर्म्य के कारण वे एक नहीं हैं और न हो सकती हैं । व्याप्त्य और व्यापक के सबध के यावार पर भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं । उदाहरणत ठोस पदार्थ आकाश से भिन्न नहीं रह सकता और उससे कभी पृथक् न होने के कारण एक होता है, पर दोनो में असमान गुण होने के कारण वे एक नहीं हैं । उसी प्रकार जीव और पृथकी आदि पदार्थ व्यापक ब्रह्म से अलग नहीं, किर भी उससे भिन्न है क्योंकि उनमे वैधर्म्य है । जैसे घर बनने के पूर्व मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ आकाश (अवकाश) मे ही रहते हैं, जब घर का निर्माण हो जाता है तब भी वे आकाश मे हो रहते हैं, और उसमे नष्ट हो जाने पर भी वे आकाश मे रहते हैं अर्थात् तीनो काल मे वे आकाश से भिन्न नहीं हो सकते, कितु स्वरूप या गुण-भेद के कारण वे न कभी एक थे, न है और न होंगे । उसी प्रकार जीवात्मा तथा ससार के सभी पदार्थ ईश्वर मे व्याप्त होने पर भी स्वरूप एवं गुण-भेद के कारण कभी उससे एक नहीं होते ।

इस प्रकार ईश्वर और जीवात्मा के पृथक् प्रस्तित्व को मानते हुए स्वामी दयानन्द 'अहम् ब्रह्मास्मि', 'तत्त्वमसि' और 'अथमात्मा ब्रह्म' महावाक्यो का (जो वेदवाक्य माने जाते हैं) अपने ढग से विश्लेषण करते हैं । स्वामीजी का कथन है कि ये वेदवाक्य नहीं हैं, वरन् त्रायण्या ग्रंथो के उद्धरण हैं । 'अहम् ब्रह्मास्मि' का अर्थ यह नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, वरन् मैं ब्रह्म मे निवास करता हूँ । उदाहरणार्थ, यदि यह कहा जाय कि मैं और वह एक हैं तो इसका तात्पर्य है कि मैं और वह 'अविरोधी' हैं । इसी प्रकार जीव समाधि मे निमग्न होकर कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी हैं । जब जीव, परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने को बना लेता है तो वही साधर्म्य के कारण ब्रह्म से अपनी एकता कह सकता है ।

द्वितीय उद्धरण 'तत्त्वमसि' का अर्थ यह नहीं है कि तू ब्रह्म है, वरन् परमात्मा तुम्हारी आत्मा मे है । छादोग्य उपनिषद् का उद्धरण देते हुए वह कहते हैं कि 'तत्' शब्द का अर्थ है, वह परमात्मा जो जानने योग्य है, जो अत्यत सूक्ष्म, इस जगत् और जीव का आत्मा है वह परमात्मा ही सत्य-स्वरूप है, वह स्वयं अपना आत्मा है । हे प्रिय पुत्र श्वेत-केनु ! तू उस अत्यर्थी परमात्मा से युक्त है । यही अर्थ उपनिषद् समर्थित है । वृहदारण्यक उपनिषद् मे भर्षि याज्ञवल्य अपनो पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, हे मैत्रेयी ! ईश्वर आत्मा ग्रथवा जीव मे स्थित है फिर भी जीवात्मा से भिन्न है, मूढ जीवात्मा नहीं जानता है कि वह परमात्मा मुझमे व्याप्त है । जीवात्मा परमेश्वर का शरीर है अर्थात् जिस प्रकार शरीर मे आत्मा निवास करता है, उसी प्रकार आत्मा मे परमात्मा की स्थिति है । किंतु

वह जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप-पुण्य का साक्षी होकर जीवों को उनका फल देना है और नियत्रित रखता है। वहो अविनाशी अतर्यामी परमात्मा तुम्हारी आत्मा में भी निवास करता है, मैनेयी। तू ऐमा जान। इसी प्रकार तीसरे उद्धरण-वाक्य ‘अय-मात्मा ब्रह्म’ का भावार्थ यह है कि समाधि दशा में जब योगी को ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब वह कहता है, ‘यह जो मुझमें व्याप्त है, वही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है।’

ईश्वरः सगुणं या निर्गुणं

ईश्वर सगुण है या निर्गुण ? स्वामी दयानन्द के विचार में वह दोनों हैं, सगुण भी है और निर्गुण भी है। जो वस्तु गुणों से युक्त होती है उसे सगुण और जो गुणों से रहित होती है उसे निर्गुण कहते हैं। अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त तथा विरोधी गुणों से रहित होने के कारण सासार के सभी पदार्थ सगुण और निर्गुण होते हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें केवल निर्गुणता हो अथवा केवल सगुणता। सब में दोनों का अस्तित्व होता है। इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति और सर्वव्यापकता आदि गुणों से युक्त होने से सगुण तथा जड़ पदार्थों को मूरता एवं जीवों के सुख-दुःख की अनुभूति आदि गुणों से पृथक् होने के कारण निर्गुण कहलाता है।

भारतीय दर्शन के इतिहास में सगुण और निर्गुण शब्दों की यह व्याख्या निराली है। स्वामी दयानन्द सगुण और निर्गुण ब्रह्म में भेद नहीं करते हैं। शिव, गणेश, ईश्वर और ब्रह्म आदि जो अनेक नाम हैं, वे सब उसी परमात्मा की सज्जा हैं। इस अर्थ में हम उन्हे अद्वैतवादी कह सकते हैं। वह सगुण और निर्गुण शब्दों को उपासना के द्वेष में अवश्य अधिक महत्त्व देते हैं। ईश्वरीय गुणों की उपलब्धि का प्रयत्न करना सगुणोपासना है। जो ईश्वर के गुण नहीं हैं, उनका परित्याग निर्गुणोपासना है। निर्गुण और सगुण की यह रूपरेखा नैतिक द्वैत्र में अधिक सहायक सिद्ध होती है।

जगत् मिथ्या नहीं

स्वामी दयानन्द सासार को मिथ्या या अवास्तविक नहीं मानते हैं। उनका कथन है, कि इदियो द्वारा जो वस्तु ग्रहणीय और सेव्य है, वह कभी भी असत्य या मिथ्या नहीं हो सकती है और न जगत् का कारण परम सूक्ष्म तत्त्व ही मिथ्या और नश्वर हो सकता है। वेदाती ब्रह्म को जगत् की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, अत जब ब्रह्म सत्य है और जगत् का कारण है, तब उसका कार्य ‘जगत्’ कभी मिथ्या या असत्य नहीं हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि वस्तु-जगत् के बीच कल्पना-मात्र है और स्वप्न में देखी हुई वस्तु की भाँति असत्य है अथवा अधिकार में दिखायी पड़ने वाली उस रस्सी की भाँति है जिसे देखने पर सर्व का भ्रम हो जाता है, तो यह भी सत्य नहीं है। कारण, कल्पना या विचार गुण हैं और गुण से द्रव्य को तथा द्रव्य से गृण को पृथक् नहीं माना जा सकता। जब विचार-

कर्त्ता जीवात्मा नित्य है, तो उसका विचार अनित्य या मिथ्या नहीं हो सकता, अन्यथा यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवात्मा भी ग्रावस्तविक है। हम उस वस्तु को स्वप्न में नहीं देख सकते जिसके विषय में जाग्रतादस्था में कुछ भी देखा-सुना न हो। जाग्रत अवस्था में जिन सत्य पदार्थों का हम प्रत्यक्षीकरण ढारा ज्ञान प्रहण करते हैं, उनका सङ्कार हमारी आत्मा में स्थित रहता है, वही स्वप्न में दिखायी देता है। यदि यह सभव हो कि मनुष्य विना देखे-सुने, प्रत्यक्ष सबव के अभाव में और विना आत्मा में स्थित सङ्कार के स्वप्न देखे तो जन्माध्य व्यक्ति भी स्वप्न में रूप-रण देख सकता है, जो असभव है। स्वप्न या मुषुप्ति की अवस्था में वाह्य पदार्थों का अज्ञान-मात्र होता है, अभाव नहीं। अत कहा जा सकता है कि मुषुप्तावस्था में भी मन में वाह्य पदार्थों का सङ्कार बना रहता है। उसी प्रकार सासार की रचना का पदार्थ-कारण, प्रकृति, प्रलय के बाद भी वर्तमान रहता है।

मुक्ति और पुनर्जन्म

भारतीय दर्शन में परपरा से यह मान्य है कि मनुष्य-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। स्वामी दयानन्द भी इस मान्यता को स्वीकार करते हैं, किन्तु आत्मा के बधन और मोक्ष के विषय में उनका विचार नये वेदातियों से थोड़ा भिन्न है। नये वेदाती आत्मा को बधन में नहीं मानते हैं और न यही स्वीकार करते हैं कि मोक्ष पाने के लिए उसे साधनों की आवश्यकता है क्योंकि उनका विश्वास है कि आत्मा कभी बधन में नहीं था। दयानन्द कहते हैं कि सीमावद्ध, आवृत्त, शरीर धारण करने वाला जीवात्मा बधन में होता है क्योंकि वह अपने पाप-कर्मों के दुख की भोगता है, पापों के बधन से मुक्ति पाने को इच्छा नहरता है अर्थात् मोक्ष चाहता है। वेदातियों का कहना है कि मोक्षप्राप्त जीव ब्रह्म में लय हो जाता है, किन्तु स्वामी दयानन्द का विचार है कि प्रत्येक जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी अपनी पृथक् सत्ता बनाये रखता है। वेदाती और दयानन्द दोनों यह मानते हैं कि जीवन में मुक्ति प्राप्त करना सभव है, किन्तु स्वामीजी ईश्वर के अवतार लेने की कल्पना को स्वीकार नहीं करते। हाँ, वह इतना अवश्य मानते हैं कि मुक्त जीवात्मा सासार के प्राणियों के उत्थान के लिए शरीर धारण करता है।

जीवात्मा मोक्ष के आनन्द को किस प्रकार भोगता है? इस प्रश्न का उत्तर स्वामी दयानन्द इस प्रकार देते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भौतिक शरीर या इद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, केवल उसके स्वभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब वह सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने का सकल्प करने पर चक्षु, स्वाद के लिए जिह्वा, गध के लिए नासिका, सकल्प-विकल्प करने के समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त आदि अपनी स्वशक्ति से, मुक्ति में प्राप्त कर लेता है। उस समय सकल्प-मात्र ही उसका शरीर होता है। जीवात्मा, जिस प्रकार

शरीर के माध्यम से सासारिक सुख भोगता है, उसी प्रकार परमात्मा के आधार से मुक्ति के आनंद को भोगता है। मुक्त जीव अनत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छद धूमता है, शुद्ध ज्ञान से सृष्टि को देखता है, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सब लोक-लोकातरो (जो दृष्टिगोचर होते हैं और नहीं होते हैं) में विचरण करता है। जीवात्मा का ज्ञान जितना ही अविक विकसित होता जाता है वह उतना ही आनंद प्राप्त करता है। मुक्ति में जीवात्मा के निर्मल होने से, सब सञ्चिहित पदार्थों का यथावत ज्ञान होता है—यही सुख विशेष स्वर्ग है। जो सासारिक सुख है वह ‘सामान्य स्वर्ग’ और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही ‘विशेष स्वर्ग’ है।

स्वामी दयानंद, उपनिषदों के इस विचार का खड़न करते हैं कि मोक्ष प्राप्त कर लेने पर जीवात्मा इस सासार में पुन वापस नहीं लौटता है। वह अपने समर्थन में ऋग्वेद का उद्धरण देते हैं, “यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि वेद में इसका निषेव किया गया है। हम लोग किसका नाम पवित्र समझें। नश्वर पदार्थों के बीच वर्तमान कौन अविनश्यर देव सदा प्रकाश-स्वरूप है जो हमको मुक्ति का सुख भोगने का अवसर देता है और पुन हम सासार में जन्म देकर मातापिता का दर्शन करता है।” “हम हम स्वप्रकाशस्वरूप अनादि, सदा मुक्त, सर्वव्यापक परमात्मा का पवित्र नाम जाने जो हमें मुक्ति में आनंद का भोग करा कर पृथ्वी पर पुन जन्म देकर माता-पिता के दर्शन करता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता है और सब का स्वामी है।”

साख्यशास्त्र भी कहता है, ‘जैसे इस समय वधमुक्त जीव है, वैसे ही सर्वदा रहते हैं। बधन और मुक्ति का ‘अत्यत’ विच्छेद कभी नहीं होता, किन्तु बध और मुक्ति सदा नहीं रहती।’ ‘अत्यत’ शब्द अत्यताभाव का भी बोधक हो सकता है पर यह आवश्यक नहीं है कि ‘अत्यत’ शब्द अत्यताभाव का ही बोधक हो क्योंकि जब हम यह कहते हैं कि इस मनुष्य को अत्यत दुख है या सुख है, तब ‘अत्यत’ शब्द से ‘बहुत अधिक’ का बोध होता है क्योंकि इससे यही विदित होता है कि इस मनुष्य को बहुत दुख या बहुत सुख है। यहाँ भी ‘अत्यत’ शब्द का यही अर्थ जानना चाहिए। अत जीवात्मा महाकल्प के पश्चात् मुक्ति के सुख को छोड़ कर सासार में आता है। अनत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य, कर्म और साधन जीवात्मा में नहीं है। उसके शरीर, कर्म और साधन परिमित हैं इसलिए जीवात्मा अनत सुख को नहीं भोग सकता।

स्वामी दयानंद ने भारतीय दर्शन पर निराशावाद के आरोपित दोष का खड़न किया है। सासार में दुख और कष्ट अवश्य है किन्तु इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। पुनर्जन्म का विश्वास आशावाद का प्रतीक है जो जीवात्मा को आगामी जीवन में उन्नति करने का अवसर प्रदान करता है। जीवात्मा जन्म जन्मातरों में सचित अनुभव के आधार

पर, यदि निरतर प्रथनशील रहे तो वह एक नएक दिन, अपना अतिम लक्ष्य—मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

मुक्ति के साधन

मुक्ति की प्राप्ति के लिए स्वामी दयानन्द ‘नैतिक गुणों का धारणा’ अनिवार्य मानते हैं। ‘सत्सग’ भी आवश्यक है क्योंकि इससे विवेक अर्थात् सत्यासत्य, वर्मावर्म, कर्तव्य-कर्तव्य का निश्चय होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जीवात्मा को ‘अपने स्वरूप का पूर्णज्ञान’ होना अनिवार्य है। जीवात्मा को यह जानना चाहिए कि वह कोश, † अवस्थाओं और शरीरों* से पृथक् है। जीवात्मा सब कार्यों का कर्ता, नियता और भोक्ता है, बिना उसकी प्रेरणा के मन और शरीर कार्य नहीं कर सकते। अच्छे कार्य करने पर मन में आनंद, उत्साह और निर्भयता और बुरे कर्मों से भय, शक्ता और लज्जा आदि अत्यरिक्ती परमात्मा की प्रेरणा से स्वयमेव उत्पन्न होते हैं। अत जीवात्मा को इस अत्यरिक्ती परमात्मा की प्रेरणा के अनुकूल कार्य करना उचित है।

मुक्ति की प्राप्ति के लिए ‘वैराग्य’ भी एक आवश्यक साधन है। वैराग्य से तात्पर्य है पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण, कर्म और स्वभाव को जानना, ईश्वर की आज्ञा पालन करना, उसकी उपासना में तत्पर रहना, उसकी आज्ञा के विशद्ध न चलना और अपनी प्रकृति को वश में रखना। अपनी मुक्तिमार्ग पर प्रगति प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को ‘षटक् सप्ति’* अर्थात् छ विशेष प्रकार के कार्य करने चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और आवश्यक साधन है ‘मुमुक्षुत्व’, अर्थात् मुक्ति के प्रति अनन्य

[†]जीवात्मा के पाँच कोश हैं [१] अन्नमय कोश, जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यंत का समुदाय है, [२] प्राणमय कोश, जिसमें जीवात्मा पच प्राण द्वारा सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म करता है, [३] मनोमय कोश, जिसमें मन के साथ अहकार, पाँच कर्मेन्द्रियों आदि है, [४] विज्ञानमय कोश, जिसमें बुद्धि, चित्त तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियों हैं जिनसे जीव ज्ञानार्जन और चिन्नन आदि करना है, [५] आनन्दमय कोश, जिसमें प्रीनि, प्रसन्नता और आनंद हैं। इन्हीं पाँचों कोशों से जाव सब प्रकार के कर्म, उपासना, ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है।

^{*}आत्मा की तीन अवस्थाएँ हैं • [१] जागृत, [२] स्वप्न, [३] सुषुप्ति।

*शरीर चार प्रकार के हैं • [१] स्थूल शरीर, [२] स्त्रुम शरीर, [३] कारण शरीर, [४] तुरीय शरीर।

*षटक् संपत्ति अर्थात् छ प्रकार के कर्म करना। [१] शम, अपनी आत्मा और अत करण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सर्वदा प्रवृत्त रखना, [२] दम, इन्द्रियों और शरीर को व्यभि-चार आदि बुरे कर्मों से हटाकर शुभ कर्मों में लगाना, [३] उपरति, दुष्ट कर्म करने वालों से दूर

भक्ति और प्रेम। जिस प्रकार भूखे व्यक्ति को अन्न के सिवाय और कुछ नहीं दीखता उसी प्रकार मोक्ष के आकाशों जीवात्मा को मुक्ति और उसके साधन को छोड़ कर और कुछ नहीं दीखता।

मुक्ति की प्राप्ति के कुछ ‘अनुबंध’ (सहायक साधन) भी हैं (१) ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिए जीवात्मा को ‘अधिकारी’ होना चाहिए, (२) उसे ‘सबध’, अर्थात् वेद-शास्त्रों और मुक्ति के साधनों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हे अन्वित करना चाहिए, (३) उसे ‘विषयी’ होना चाहिए अर्थात् उसका एक मात्र। उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए, (४) उसे ‘प्रयोजन’ प्राप्त कर लेना चाहिए अर्थात् सब दुखों से निवृत्ति और मुक्ति के परमानन्द की प्राप्ति।

मुक्ति की प्राप्ति में ‘श्रवण चतुष्टय’ भी प्रमुख साधन है (१) ‘श्रवण’, जब कोई विद्वान् उपदेश करे तो शाति से ध्यान देकर सुनना चाहिए, ब्रह्मविद्या में अत्यत ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह सब विद्याओं से सूक्ष्म विद्या है, (२) ‘मनन’, [सुने हुए] विचारों का एकात में मनन करना चाहिए, यदि शका हो तो उसका समाधान करना चाहिए। (३) ‘निदिध्यासन’ जब सुनने और मनन करने से सदेह दूर हो जाय तब समाधिस्थ होकर, जैसा सुना और विचारा था, उसको वैसा ही है या नहीं, ध्यानयोग से देखना चाहिए, (४) ‘साक्षात्कार’, जैसा पदार्थ का स्वरूप, गुण और स्वभाव हो वैसा जान लेना ही ‘साक्षात्कार’ है।

मानव प्रकृति में तीन तत्व हैं, ‘सत्’, ‘रजस्’ और ‘तमस्’। मोक्षाकाशी जीवात्मा को तमस्-जन्य अर्थात् क्रोध मलीनता, आलस्य तथा प्रमाद आदि और रजस्-जन्य अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान तथा विक्षेप आदि अवगुणों का परित्याग करना चाहिए। इससे भिन्न जीवात्मा को, शात प्रवृत्ति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि ‘सत्’ गुणों को धारण करना चाहिए। उपर्युक्त साधनों द्वारा जीवात्मा मुक्ति के परमानन्द की प्राप्ति कर सकता है।

शिक्षा-दर्शन

स्वामी दयानन्द वैदिक धर्म और संस्कृति के आधार-स्तम्भ थे। अत अपने देश-वासियों की दयनीय दशा देख कर उन्हे हार्दिक चौभ द्वारा। उस समय लोग प्राचीन वैदिक धर्म कर्म त्याग कर धीरे-धीरे ईर्साई मत को स्वीकार करते जा रहे थे और पाश्चात्य संस्कृति का गहरा प्रभाव लोगों पर पड़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में वैदिक रहना; [४] तितिक्षा—चिन्दा, स्तुति, हानि और लाभ, मैं हर्ष या शोक को छोड़ कर सुकृति साधनों से लगा रहना, [५] अद्वा, वेदादि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आप विद्वान् व्याच्चियों के नक्लों पर विश्वास करना, [६] समाधान चित्त को एकाग्र करना।

धर्म का समर्थक होने के नाते स्वामीजी ने इस महान् धार्मिक, सामाजिक और सास्कृतिक सकट से देश को बचाने का प्रयत्न किया। उनका विचार था कि वैदिक काल में लोगों का जीवन और सस्कृति अत्यत उच्च स्तर पर पहुँची हुई थी और बिना उस सस्कृति के प्रसार के देश की दशा में सुधार होना कठिन है। वह एक महान् विद्वान् और परम सत्य के अन्वेषक थे अत उन्होंने अपना सपूर्ण जीवन वैदिक अध्ययन और अनुशासन को पुनरुज्जीवित करने में अर्पित कर दिया। स्वामीजी सामाजिक सुधार को धर्म का एक महत्वपूर्ण अग मानते थे, अत सामाजिक सुधार और धार्मिक क्राति के लिए उन्होंने आर्य-समाज की स्थापना की। उन्होंने मानव-जीवन के अतिम एव सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति को पाने के लिए वैदिक ज्ञान और साधनों पर अधिक बल दिया, जिसका वर्णन उनके जीवन-दर्शन पर प्रकाश डालते समय किया जा चुका है।

दयानंद ने अपनी शिक्षा-योजना को आश्रमधर्म पर आधारित किया है। यद्यपि बालक की सविधिक शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन सस्कार से होता है, तथापि अविधिक रूप में वह गर्भावस्था से हो शुरू हो जाती है। मस्तिष्क की रचना पर आहार का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्वामीजी ने माता-पिता के लिए सात्विक आहार को उचित बताया है। सात्विक भोजन से स्वास्थ्य, बल, शक्ति और बुद्धि की वृद्धि होती है, मानसिक शाति मिलती है तथा सुंदर स्वभाव की रचना होती है। इन्होंने माता-पिता को मादक तथा बुद्धि के विकास में बाधक पेय और खाद्य वस्तुओं से बचने पर जोर दिया है। भोजन के साथ ही उन्होंने माता-पिता को सुदर एव पवित्र विचारों को ग्रहण करने के लिए भी आदेश दिया है। आहार-विहार तथा शुद्ध विचारों पर इतना अधिक बल देने का कारण यह है कि अचेतनावस्था में भी बालक पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। जन्म से पूर्व बालक के तीन सस्कार, गर्भाधान, पुसवन् और सीमतोनयन, निर्धारित किये गये हैं। इन सस्कारों से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि सतानोत्पत्ति का कारण मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता है, फिर भी सतान उत्पन्न करना मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है, जिसको समाज का धार्मिक समर्थन प्राप्त है। सस्कारों की गणना प्रथा या रोति-नीति के अतर्गत नहीं करनी चाहिए। सस्कार शरीर और मन को शुद्ध बनाने के लिए तर्कसंगत धार्मिक कर्म है। हमारे देश के प्राचीन ऋषियों ने मानव-जाति की उन्नति के लिए अनेक सस्कारों का विधान किया है, जिनकी तुलना हम पाश्चात्य 'यूजेनिक्स' से कर सकते हैं। 'यूजेनिक्स' में शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, किंतु बाद में यह अनुभव किया गया कि यह 'यूजेनिक्स' (प्रजनन-विज्ञान) शिक्षा का सपूरक है। समन्वय का यह कार्य रस्क महोदय ने किया। प्लेटो के शब्दों में उनका कहना है, "वास्तव में जिस राज्य में पालन-पोषण और शिक्षा की उत्कृष्ट योजना का अनुसरण होता है, वहाँ के निवासी स्वस्वभाव वाले होते हैं। सद्शिक्षा के कारण

उनकी और अधिक उन्नति होती है। उनमें सतानोत्पत्ति के गुणों की वृद्धि होती है, जैसा कि चुद्र पशुओं में भी देखा जाता है। इस प्रकार उस राज्य की बहुमुखी प्रगति होती है।”†

इन सस्कारों के पीछे केवल शारीरिक उन्नति की ही भावना नहीं निहित है, वरन् इनमें मानसिक उन्नति और पूर्णतया आदर्शवादी चरित्र-निर्माण की भावना भी है। जब शुभ सकल्य के साथ सतानोत्पत्ति की जाती है, तब माता को ही बालक का प्रथम गुरु बनना पड़ता है। माता को चाहिए कि वह अपने बालक को पॉच्चे वर्ष तक शिक्षा प्रदान करे और पिता आठवें वर्ष तक। तत्पश्चात् बालक को विद्यालय या आचार्यकुल में भेज देना चाहिए, जहाँ पूर्ण विद्वान, पवित्र विचारों से सपन्न तथा सभी शास्त्रों में निष्पात गुरु शिक्षा प्रदान करते हो।

शतपथ ब्राह्मण का वचन है, ‘मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद’ अर्थात् वही मनुष्य विद्वान हो सकता है जिसके माता, पिता और गुरु, तीनों, उत्तम शिक्षक हो। वह कुल धन्य है, वह बालक भाग्यवान है, जिसके माता-पिता धर्मिक और विद्वान हैं। माता का जितना सद्प्रभाव बालक पर पड़ता है, उतना अर्थ किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति भाँति बालक पर ममता नहीं करता और न उसके समान बालक के कल्याण की चिता ही कर सकता है। उपर्युक्त उच्चारण में ‘मातृमान्’ शब्द का जो उपयोग हुआ है उसका अर्थ यही है कि वही बालक वास्तव में मातृमान् है जिसकी माता धर्मिक और विदुषी है। वह माता धन्य है, जो गर्भाधान से लेकर पूर्ण विद्या प्राप्त होने तक निर्गत अपनी सतान को धर्म एवं सुशीलता का उपदेश करती है।

माता-पिता द्वारा बालक की प्रारंभिक शिक्षा

यह कहा जा चुका है कि पॉच्चे वर्ष तक माता और आठवें वर्ष तक पिता बालक के शिक्षक होते हैं। इस काल में माता-पिता को अपनी सतान को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे अपने आचार-व्यवहार में पूर्णतया सम्म और सुसङ्कृत बन सके तथा किसी भी प्रकार की कुचेष्टा न करे। जब बालक बौलना आरम्भ करे, तो माता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उच्चारण करने में अपनी जिह्वा का ठीक ढग से उपयोग करे। माता को ऐसा प्रबल प्रयत्न करना चाहिए कि बालक वर्णों का स्पष्ट उच्चारण अपेक्षित और यथोचित स्थान और प्रथल के साथ करे। उदाहरण के लिए, यदि ‘प’ वर्ण का उच्चारण करना है तो उसका उच्चारण-स्थान ओळ है। ‘प’ के उच्चारण के लिए दोनों ओळों को पूर्ण मिलाने के प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। हस्त, दीर्घ और प्लूत वर्णों के उच्चारण में आवश्यकतानुसार कम और अधिक समय लगना चाहिए। माता को ध्यान रखना चाहिए

† Rusk, R. R. : 'The Philosophical Bases of Education', 1929, pp. 48, 49

कि बालक मधुर, गम्भीर और मु दर स्वर मे उच्चारण करने का अभ्यास करे। उसे इस प्रकार बोलना चाहिए जिससे अच्चर, मात्रा, शब्द, सहिता और अवसान आदि स्पष्ट रूप से पृथक्-पृथक् सुनायी पडे। जब बालक थोड़ा बोलने और समझने लगे, तो उसको यह शिक्षा दो जानी चाहिए कि अपने से बड़े और छोटो का सबोधन किस प्रकार करना चाहिए तथा उनके समक्ष किस प्रकार का आचरण करे जिससे बालक समाज मे कभी अप्रतिष्ठित न हो, अपितु सम्मानित हो। माता-पिता को बालको के मन मे विद्या-प्रेम, सत्सग और जितेद्रियता के प्रति अत्यत रुचि उत्पन्न करने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए।

बालको को व्यर्थ के खेल-कूद, रोने-हँसने तथा लडाई-भगडे से बचाना चाहिए। उन्हे अधिक हर्ष या दुख का अनुभव करने अथवा किसी वस्तु मे पूर्णतया लिप्त हो जाने का अवसर नहीं देना चाहिए। उनमे ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं होने देना चाहिए। माता-पिता को पत्येक सभव प्रयत्नो द्वारा बालको मे सत्यभाषण, शौर्य, धैर्य और प्रसन्नता आदि गुणो का विकास करना चाहिए। जब बालक पाँच वर्ष के हो जायें, तब उनका अच्च रारभ कराना चाहिए। तत्पश्चात् उन्हे इस प्रकार की कविता, श्लोक, सूत्र और गद्य-पद्य को अर्थमहित कठस्थ कराना चाहिए जिससे सत्य, धर्म, विद्या-प्रेम, ईश्वर प्रेम और अपने से बड़े और समान आयु वालो के साथ आचार-व्यवहार की शिक्षा मिलती हो। उन्हे, ग्रन्थविश्वासी बनाने वाली, सच्चे धर्म और विज्ञान के विशद्ध भ्रात बातो से बचने का उपदेश देना चाहिए, जिससे वे कभी कल्पित भूत-प्रेत आदि के भ्रमजाल मे न पडे। बालको को इस बात का ज्ञान करा देना चाहिए कि सभी धूर्त-रासायनिक, जादूगर, तत्र, मन्त्र और जादू-टोना करने वाले दुष्ट होते हैं और उनके कार्य धूर्तापूर्ण होते हैं। भूत, प्रेत के बारे मे मनु के विचार का समर्थन करते हुए स्वामीजी कहते हैं—जब गुरु का प्राणात होता है, तब मृत शरीर (जिसका नाम प्रेत है) का दाह करने वाला शिष्य, प्रेतहार, मृतक को उठाने वालो के साथ दसवे दिन शुद्ध होता है। जब शरीर का दाह हो जाता है, तब उसका नाम ‘भूत’ होता है जिसका तात्पर्य है वह अमुक नाम का पूरुष था। अर्थ यह है कि जो वर्तमान मे जीवित न रह कर मृतस्थ हो, उसका नाम भूत है। कुसागति और कुसरकार के कारण लोग भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि के भ्रमजाल मे फँस जाते हैं। इसके अतिरिक्त वैद्यक-शास्त्र या पदार्थ-विद्या से अपरिचित अज्ञानी लोग सञ्चिपात, उष्णादि, शरीर के अन्य उन्मादादि मानस-रोगो का नाम भूत-प्रेत रख देते हैं और फिर उनके उपचार के लिए धागा, डोरा, मिथ्या तत्र मन्त्र बँधवाते फिरते हैं अथवा देवी-देवता को भेंट चढाते फिरते हैं।

इसी प्रकार स्वामीजी बालको को ज्योतिषियो के भ्रम से बचने का उपदेश देते हैं। उनके मत मे लाभ-हानि, जीवन-मरण, सुख-दुख आदि ग्रहो के परिणाम न होकर

मनुष्य के अपने कर्मों के फल है। किन्तु ऐसा बना कर स्वामीजी ज्योतिष-शास्त्र को भूठा नहीं प्रमाणित करते। ज्योतिष-शास्त्र में प्रकगणित, बीजगणित और रेखागणित आदि विद्याएँ सच्ची हैं, किन्तु फलित ज्योतिप भूठा है। जैसे पृथ्वी जड़ है उसी प्रकार मूर्यादि लोक भी हैं। वे चेतन तो नहीं हैं, जो क्रोधित होकर दुख और शात होकर सुख दें। इसके अतिरिक्त जितने भी व्यक्ति रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण आदि लीला करने वाले हैं, वे भी पामर हैं। इन सब बातों को प्रारम्भ से ही बालकों के हृदय में कूट-कूट कर भर देना चाहिए ताकि वे किसी के बहकावे में न आये।

दृढ़

स्वामी दयानन्द का यह कथन मनोविज्ञान के सिद्धात के विचार से सत्य है कि वे ही बालक सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जिनके माता-पिता उन्हे अधिक लाड-प्यार करके बिगड़ते नहीं, वरन् आवश्यकता पड़ने पर दड़ भी देते हैं। वह अपनी बात की पुष्टि के लिए पातजलि के महाभाष्य से उद्धरण देते हुए कहते हैं, “वे माता-पिता और शिक्षक जो अपनी सतान या शिष्य को आवश्यकतानुसार दड़ देते हैं, वे मानो अपने हाथ से उन्हे अमृत पिलाते हैं तथा जो अपनी सतान या शिष्यों को लाड-प्यार करते हैं, वे उन्हे अपने हाथ से विष पिलाकर नष्ट-ब्रष्ट कर देते हैं क्योंकि लाड-प्यार से शिष्य दोषयुक्त हो जाते हैं और दड़ से गुणयुक्त होते हैं।”[†] उचित दड़ का समर्थन करते हुए भी स्वामी दयानन्द का विचार है कि माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे ईर्ष्या-द्वेष से प्रेरित होकर बालकों को दड़ न दें। उन्हे ऊपरी व्यवहार में तो कठोर, किन्तु मन में बालकों के प्रति सहृदय, कोमल और कृपालु होना चाहिए। बालक को दड़ देते समय ऊपर से चाहे कठोर मुद्रा भले ही हो, किन्तु दड़ देने वाले का हृदय बालक के प्रति दया और करुणा-पूर्ण होना चाहिए।

नैतिक अनुशासन

माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि बालकों को चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक पदार्थों का सेवन, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या-द्वेष और मोह का त्याग करने और सद्गुणों अर्थात् सत्यता और दया आदि को ग्रहण करने का उपदेश दे। स्वामी दयानन्द का कथन है कि कोई व्यक्ति जब एक बार भी चोरी, जारी या मिथ्याभाषण करता है, तो लोग कभी भी उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास नहीं करते। प्रतिज्ञा को भग करने से व्यक्ति के चरित्र पर कलक लगता है, अत वचन दे देने पर, किसी भी मूल्य पर उसका

[†] सामृते पाणिभिर्वन्निति शुरवो न विशेष्मितेः । लालनाश्रिष्टो दोषास्ताडनाश्रिष्टो गुणा । अस्याय दाई॥

पालन करना चाहिए। अभिमान, छल, कपट और कृतज्ञता से स्वयं ग्रपना ही मन दुखी होता है, किर उससे दूसरे को किनना दुख होता होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। स्वयं विश्वास कुछ करना और कहना कुछ और, तथा दूसरे को भ्रम में डाल कर अपना स्वार्थ-साधन करना कपट है। किसी दूसरे द्वारा किये गये उपकार को न मानना और कृतज्ञ न होना, कृतज्ञता है। बालक को क्रोध, कदुभाषण और बकवाद नहीं करना चाहिए। उन्हे मधुर और शात वचन बोलना चाहिए। न अविक बात करनी चाहिए और न कम। आवश्यकता के अनुसार ही बोलना उत्तम है। उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना और तन-मन-धन से उनकी सेवा करनी चाहिए। माता-पिता और शिक्षक को अपने बालकों या शिष्यों को सत्परामर्श, धर्मयुक्त कर्मों को करने तथा बुरे कर्मों को त्यागने का उपदेश देना चाहिए। माता-पिता और ग्राचार्य जिन-जिन उत्तम कार्यों के लिए आज्ञा दे, बालकों को उन्हे शवश्य करना चाहिए। बालकों को धर्म, विद्या और सदाचरण-सब्दों श्लोक, निवट, निष्कृत, अग्नाध्यायों अथवा अन्य सूत्र तथा वेदमन्त्र कठस्थ करना चाहिए और इनकी पुनरावृत्ति कराते रहना चाहिए।

सबके लिए अनिवार्य शिक्षा

स्वामी दयानन्द के विचार में बालक-बालिकाओं की शिक्षा का ध्यान रखना माता-पिता का परम पवित्र कर्तव्य है। एक दूसरे कवि के शब्दों में वह कहते हैं, ‘वे माता-पिता अपनी सतान के शत्रु हैं, जो उन्हें शिक्षा नहीं देते। वे बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत और उपेचित होते हैं जैसे हसों के बीच में बगुला।’^५ बालकों को उच्चतम शिक्षा देने, उनके आचार-न्यवहार को सम्भ्य और सुसङ्खृत बनाने के लिए अपना तन-मन-धन अपित करना माता-पिता का परम कर्तव्य है। माता-पिता के अतिरिक्त राज्य और समाज का यह कर्तव्य है कि वह सब के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दे। मनु के शब्दों में स्वामीजी का कथन है—सब अपने पाँच या आठ वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय अवश्य भेजे। जो इस अवस्था के बालक-बालिकाओं को विद्यालय न भेज कर घर पर रखे, वे दडनीय हो। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वामी दयानन्द सभी वर्णों के बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं। वह ब्राह्मणों के अतिरिक्त ज्ञानिय, वैश्य और शूद्र सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं क्योंकि यदि सभी वर्णों के लोग सम्भ्य और सुसङ्खृत होंगे, तो समाज में कोई भी असत्याचरण नहीं करेगा। स्त्रियों और द्विजेतर वर्णों की शिक्षा के सबध में स्वामीजी के मतों का सविस्तार वर्णन आगे किया जायगा।

^५ माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाटित । न शोभते सभामध्ये हङ्स मध्ये बको यथा ॥ ‘चाणक्य नीति’, २२, १११

गुरुकुल या आचार्यकुल

आठ वर्ष की अवस्था में उपनयन या यज्ञोपवीत सरकार के उपरात बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में भेज देना चाहिए। गुरुकुल या विद्यालय विसी शात स्थान में होना चाहिए। उन्हे किमी नगर या गाँव से पाँच मील की दूरी के भीतर स्थित नहीं होना चाहिए। बालकों के विद्यालय कन्या-विद्यालयों से कम से कम तीन मील की दूरी पर होने चाहिए। बालकों के विद्यालयों में सभी कर्मचारी पुरुष और कन्या-विद्यालयों की सभी कार्यक्रियां स्त्रियाँ होनी चाहिए। पाँच वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं को एक दूसरे के विद्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्रह्मचर्यश्रिम में उन्हे परस्पर एक दूसरे से निम्नाकृत आठ प्रकार के मैथुनों से बचना चाहिए —

- (१) एक दूसरे को लोलुप टृष्णि से देखना ।
 - (२) स्पर्श करना ।
 - (३) मैथुन करना ।
 - (४) घूलमिल कर वार्तालाप करना ।
 - (५) परपर छोड़ा करना ।
 - (६) एकात् सेवन करना ।
 - (७) काम-विषयक पुस्तकें पढ़ना और वार्तालाप करना ।
 - (८) विषय-विकार का ध्यान करना ।
- (अतिम दोनों मानसिक मैथुन कहलाते हैं ।)

अध्यापकों को चाहिए कि वे बालक-बालिकाओं को उपर्युक्त अष्ट मैथुनों से दूर रखें, जिससे बालक-बालिका पूर्ण विद्या, शिक्षा, शील-स्वभाव से युक्त तथा शरीर और मन से पुष्ट होकर नित्य आनंदपूर्वक रह सके। सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेद-भाव के समान रूप से भोजन, वस्त्र और आसन दिए जाने चाहिए। विद्यार्थी चाहे राजकुमार हो या राजकुमारी अथवा दरिद्र माता-पिता की सतान, उसे तपस्वी होना चाहिए, और सभी प्रकार की सासारिक चित्ताओं से रहित होकर केवल विद्या प्राप्त करने में दर्तचित होना चाहिए। बालकों के हर प्रकार के मनोविनोदों में अध्यापकों को साथ रहना चाहिए, जिससे वे किसी प्रकार की कुचेष्टा, आलस्य या प्रमाद न कर सके।

भोजन और वेश-भूषा

बालकों का भोजन स्वास्थ्य, बल और बुद्धि की वृद्धि करने वाला होना चाहिए। उन्हे नित्य समय पर भूख से थोड़ा कम और उतना ही भोजन करना चाहिए, जो सरलता-पूर्वक पच जाये तथा अजीर्ण न होने पाये। एक बार भोजन करने के बाद तीन घण्टे तक

कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भोजन का मनुष्य के शरीर, आत्मा और बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है इसलिए उनका भोजन विशुद्ध और सात्त्विक होना चाहिए। मासाहार, माद्य पेय आदि तथा आमिष एवं पाशविक खाद्य-पेय पदार्थ का परित्याग करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अम्ल, तिक्त, कषाय अर्थात् राजसिक एवं तामसिक खाद्यों का भी त्याग करना चाहिए। प्रसन्नचित्त होकर सूब चबा-चबा कर भोजन करना उत्तम है, जिससे वह ठोक ढग से पच जाये। वेश-भूषा सरल और सादी होनी चाहिए क्योंकि वस्त्रादि से मनुष्य के आचार-व्यवहार का परिचय मिलता है। बालकों को 'सादा जीवन उच्च विचार' के आदर्श का पालन करना चाहिए।

विद्याध्ययन-काल

ब्रह्मचर्य-पालन करते हुए विद्या प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि पच्चीस वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो कर सकता है, किन्तु यह तभी सभव है जब उसे पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हो, अपने मस्तिष्क तथा इद्रियों पर नियन्त्रण हो और वह सासारिक दोषों से रहित पूर्ण योगी हो।

स्वामी दयानन्द के मतानुसार बालक का प्रथम उपनयन सस्कार अर्थात् यज्ञोपवीत धर पर होना चाहिए और उसे गायत्री मन्त्र का उपदेश दिया जाना चाहिए, किंतु विद्यालय या गुरुकुल में प्रविष्ट होने के समय उसका द्वितीय उपनयन सस्कार करना चाहिए। इसमें उसे ग्रन्थ के साथ गायत्री मन्त्र का उपदेश करना चाहिए। गायत्री मन्त्र का ज्ञान अर्थसहित करा देने के पश्चात् बालक को 'सध्योपासना' तथा उसकी विधियों—स्नान, आच्मन, प्राणायाम को सिखाना चाहिए। शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्यता के लिए स्नान आवश्यक है। प्राणायाम करने से शारीरिक और आत्मिक अशुद्धियों का उत्तरोत्तर नाश होता जाता है और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। मनु के अनुसार, प्राणायाम की महिमा बताते हुए स्वामीजी का कथन है, जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट हो जाता है और वे शुद्ध हो जाती हैं, वैसे ही प्राणायाम द्वारा मन इद्रियों आदि के दोष नष्ट हो जाते हैं और मन तथा शरीर निर्मल हो जाता है। बालक और बालिकाओं दोनों को प्राणायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए। सध्योपासना और प्राणायाम एकात् और शात् स्थान में करना चाहिए जिससे चित्त एकाग्र हो सके। सध्योपासना के पश्चात् बालकों को 'देवयज्ञ' की क्रिया सिखानी चाहिए और उन्हें नित्य नियमपूर्वक सध्या, प्राणायाम और देवयज्ञ करना चाहिए। 'देवयज्ञ' का अर्थ है हवन। आर्षग्रन्थों में हवन या अग्निहोत्र को स्वर्ग अर्थात् सुख-शाति का प्रदाता कहा गया है। दुर्गंधयुक्त वायु से रोग उत्पन्न होते हैं और रोग से प्राणियों को कष्ट पहुँचता है, अतः दूषित वायु को दूर करने के लिए तथा वायु को शुद्ध बनाने के लिए हवन करना

परम आवश्यक है। हवन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बरन् स्वास्थ्य-विज्ञान के विचार से भी सर्वोपरि है। हवन से रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं और शुद्ध वायु से शरीर में वारणा-शक्ति अर्थात् प्राण-शक्ति की वृद्धि होती है।

आचार्य या अध्यापक को तैत्तिरीय उपनिषद् के अनुसार शिष्य को इस प्रकार उपदेश करना चाहिए—‘हे ब्रह्मचारिन ! तू सदा सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, प्रमादरहित होकर पठन-पाठन कर। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर समस्त विद्याओं को ग्रहण करके आचार्य को प्रिय धन देकर विवाह कर और सतान की उत्पत्ति कर। प्रमादवश सत्य और धर्म का त्याग कभी मत कर। आलस्यवश आरोग्य और बुद्धिमत्ता का त्याग कभी मत कर। उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि का त्याग मत कर। पठन-पाठन की उपेक्षा कभी मत कर। विद्वान माता-पिता और अतिथियों की सेवा में प्रमाद मत कर। धर्मयुवत कार्य और सत्यभाषण किया कर। पापाचरण कभी मत कर। हमारे उत्तम गुणों को ग्रहण कर, दोषों को नहीं।^१ सदा विद्वान और वर्मात्मा ब्राह्मण का सत्सग और उनका विश्वास कर। दान देना—श्रद्धा से या अश्रद्धा से, शोभा के लिए देना या लज्जा से, भय से देना और सकल्प से देना। कर्म, उपासना या ज्ञान के सबध में किसी प्रकार का जब कभी तुझे सशय उत्पन्न हो, तो विचारशील, पक्षपातरहित, आर्द्धचित्त, पवित्रात्मा, दर्शन और विज्ञान में दक्ष धर्मात्मा ब्राह्मण (योंगी हो या न हो) के समान आचरण कर। यही आदेश, यही उपदेश और यही वेद की शिक्षा है। इसी प्रकार व्यवहार कर और इसी आज्ञा का पालन कर।’’

शिक्षा से तात्पर्य

शिक्षा के विषय में विचार प्रकट करते हुए स्वामी दयानन्द ने लिखा है, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त करे और अविद्या आदि दोषों को त्याग कर सदा आनंदित रह सके, वह शिक्षा है। जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत् जान कर ग्रहण करने योग्य गुणों को लेकर अपने और दूसरों को सुखी बना सकें, वह विद्या है। जिससे पदार्थों के स्वरूप का प्रतिकूल ज्ञान हो और जिसे जान कर अपना और दूसरे का अहित कर लिया जाय, वह अविद्या है। इस प्रकार पदार्थ के यथार्थ ज्ञान, आत्मकल्याण तथा परकल्याण में प्रवृत्त करनेवाले ज्ञान को स्वामीजी ने शिक्षा या विद्या की सज्जा प्रदान की और सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए वैदिक शिक्षायोजना बनायी।

शिक्षायोजना अथवा पाठ्यक्रम

स्वामी दयानन्द ने पठन-पाठन की जो विधि बतायी है, उसके अनुसार कोई व्यक्ति बीस-इक्कीस वर्ष में वेदों, उपवेदों तथा अन्य विज्ञानों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

^१ पान्यस्माक्^२ लुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराशि ॥ तैत्ति० ब्रा० ७, अनु० ११ ।

किया जाता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्वामीजी वैदिक शिक्षा-पद्धति, शिक्षा-प्रसार और जीवनोन्नति के महान प्रवर्तक एवं मार्गदर्शक थे, जिनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा और जीवन के क्षेत्र में क्रातिकारी सफलताएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

सहायक साहित्य

स्वामी दयानन्द सरस्वती

१ सत्यार्थप्रकाश	८ सस्कृतवाक्यप्रबोध
२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका	९ काशीशास्त्रार्थ
३ सस्कारविधि	१० आन्तिनिवारण
४ यजुर्वेदभाष्यभूमिका	११ वेदान्तिध्वान्तनिवारण
५, वेदाग्रप्रकाश	१२ अमोच्छेदन
६ आर्योग्यविनय	१३ वेदविरुद्धमतखड़न
७. पञ्चमहायज्ञविधि	१४ आर्योद्देश्यरत्नमाला

अन्य लेखक

- 1 Dr Chiranjiva Bharadwaja *Translation of Satyarthapradaksha*
- 2 Ganga Prasad Upadhyaya *Translation of Satyarthapradaksha*
- 3 Ganga Prasad Upadhyaya *The Origin, Scope and Mission of the Aryasamaj*
- 4 Ganga Prasad Upadhyaya *Shankar, Ramanuja and Dayananda*
- 5 Ganga Prasad Upadhyaya *Philosophy of Dayananda*
6. Ganga Prasad Upadhyaya *Raja Ram Mohan Roy, Keshava Chandra Sen and Dayananda*
7. Sri Aurobindo *Bankim, Tilak and Dayananda*
- 8 Vishwa Prakash *Life and Teaching of Swami Dayananda*
9. H. B. Sarda : *Dayananda Commemoration Volume, 1933*
- 10 B. Sharma and Mahatma Atma Ram : *Sanskrit Chandrika, A Commentary on Swami Dayananda's 'Sanskrit-Vidhi'*

स्वामी विवेकानन्द

जीवन और कार्य

महात्मा ईसा के विचारों और शिक्षाओं के प्रचार के लिए जो प्रयत्न सेट पाल ने किया था, लगभग वैमा ही प्रयास विवेकानन्द ने रामकृष्ण परमहस के उपदेशों के लिए किया। दक्षिणश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण ने अपने दिव्य स्पशि द्वारा ज्ञान का जो बीज उनके हृदय में बोथा, उसे विवेकानन्द ने सारे विश्व में प्रसारित करके विश्व-धर्म का विकास किया। उन्होंने पाश्चात्य जगत् को वेदात्-सिद्धात् तथा भारत को व्यावहारिक वेदात् की शिक्षा दी और इस प्रकार लोक-जीवन के उद्घार एवं उत्थान का मार्ग दिखलाया। अपने जीवन के केवल चालीस वर्षों में ही स्वामीजी ने ससार के विभिन्न भागों में अपने गुण रामकृष्ण परमहस के नाम पर मठों और आश्रमों की स्थापना करके वेदात्-शिक्षा तथा लोक-सेवा का महान कार्य आरभ किया।

बाल्यावस्था और शिक्षा

स्वामी विवेकानन्द का जन्म, सन् १८६३ ई० में, भारत के विख्यात नगर कलकत्ता में हुआ था। वह जाति के बगाली चत्रिय थे और सन्यास लेने के पूर्व उनका नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। कालेज में शिक्षा प्राप्त करते समय नरेन्द्रनाथ एक प्रसन्न-चित्त, खेल-कूद में भाग लेने वाले युवक थे, किन्तु उनके मन में ज्ञान प्राप्त करने की अपार जिज्ञासा थी। कुरती, धूसेबाजी, तैराकी तथा घुडसवारी में वह बड़े निपुण थे, किन्तु साथ ही कविता और दर्शन के प्रेमी भी थे। अपने विद्यार्थी-जीवन में ही वह पाश्चात्य दर्शन की सभी प्रणालियों से पूर्ण परिचित हो चुके थे तथा समकालीन दार्शनिकों के विचारों से अवगत थे। अप्रेजी भाषा के कवियों में वर्द्धसर्वर्थ तथा शेली उनके प्रिय कवि थे। नरेन्द्रनाथ की तीव्र प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके कालेज के प्रधानाचार्य, मिस्टर हेस्टी, ने कहा था, ‘नरेन्द्रनाथ सचमुच प्रतिभाशाली है। मैंने ससार के बहुत दूर-दूर देशों की भाषाएँ

की है, किंतु किशोरावस्था मे ही, इसके समान योग्य और महान सभावनाओ, वाला युवक मुझे जर्मन विश्वविद्यालयो मे भी नही मिला।'

मिस्टर हेस्टी ने ही नरेन्द्रनाथ को एक दिन श्री रामकृष्ण परमहस का परिचय दिया था। कच्छा मे वर्ड्सवर्थ की एक कविता की व्याख्या करते हुए उन्होने कहा कि इस कविता मे जिस मानसिक पवित्रता तथा एक वस्तु पर चित्त को केन्द्रित करने के अनुभव का वर्णन है, वह मैंने केवल श्री रामकृष्ण परमहस मे देखा है। यदि दक्षिणेश्वर जाओ, तो तुम्हे इसका दूसरा अनुभव हो सकता है। मिस्टर हेस्टी के ये शब्द नरेन्द्रनाथ के मन मे बैठ गये और वह श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर मंदिर गये।

गुरु का प्रथम साक्षात्कार

नरेन्द्रनाथ की दक्षिणेश्वर-यात्रा उनके जीवन की अपूर्व घटना थी। इसने उनके जीवन की धारा को ही परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण हिंदू-धर्म के इतिहास मे एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ। दक्षिणेश्वर पहुँचकर उन्होने श्री रामकृष्ण से प्रश्न किया, 'क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है?' उत्तर मिला, 'हाँ, मैं जैसे तुम्हे देख रहा हू, ठीक वैसे ही उसे भी। ईश्वर की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। कोई भी उसे देख सकता है और उससे वात्सलाप कर सकता है, किंतु इसकी चित्ता कौन करता है। लोग अपने स्त्री-बच्चो, धन-सपत्नि के लिए विकल हैं। यदि कोई सचमुच ईश्वर के लिए व्याकुल हो तो वह स्वय प्रत्यक्ष हो सकता है।' श्री रामकृष्ण के वचनो से नरेन्द्रनाथ को पूर्ण सतोष हुआ क्योंकि इसके पूर्व किसी ने उन्हे इतना सतोषपूर्ण उत्तर नही दिया था।

दिव्य अनुभूति की ग्रामि

नरेन्द्रनाथ जब दूसरी बार श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए गये, तो उन्हे स्पष्ट रूप से उनकी दिव्य-शक्ति का अनुभव हुआ। श्री रामकृष्ण ने अपने मन मे कुछ बुद्धुदाते हुए ग्रपनी दृष्टि उन पर केंद्रित कर दी और धीरे से उन्हे अपने निकट खीच कर अपना दालिना चरण उनके शरीर पर रख दिया। इस स्पर्शमात्र से नरेन्द्रनाथ को विवित अनु-भव होने लगा। उन्हे लगा, जैसे कमरे की दीवारे और सारी वस्तुएँ तीव्र गति से धूमती हुई बिलीन होती जा रही है और उनके साथ ही सारा ससार एक रहस्यमय शून्य मे समाता जा रहा है। वह भयभीत होकर चीख पड़े, जैसे मर रहे हो। रामकृष्ण ने हँसते हुए उनकी छाती पर हाथ रखा और कहा, 'अच्छा, अब शात हो जाओ।' उनके इतना कहते ही नरेन्द्रनाथ की वह दिव्य अनुभूति समाप्त हो गयी और वह स्वाभाविक स्थिति मे आ गये। इस घटना ने इनके मस्तिष्क को आमूलत परिवर्तित कर दिया। वह श्री रामकृष्ण के शिष्य बन गये।

नरेन्द्रनाथ लगभग पाँच-छ वर्षों तक श्री रामकृष्ण के निकट-सपर्क मे रहे। वह सप्ताह मे एक या दो बार गुरु के पास जाते थे और प्राय कुछ दिनों तक उनके माथ रहते थे। इस सपर्क के फलस्वरूप धीरे-धीरे उनका अत करण आलोकित होता गया और श्री रामकृष्ण ने यह अनुभव कर लिया कि ये उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। साधना के आरम्भिक दिनों मे तो इन्हे गुरु की शिचाओं पर हँसी आती थी क्योंकि इनके ऊपर ब्रह्मसमाज का प्रभाव था, किन्तु बाद मे ये समझने लगे कि श्री रामकृष्ण अलौकिक अनुभूति से सपने हैं और वह अपनी शक्ति को दूसरे के शरीर मे प्रविष्ट करा सकते हैं। श्री रामकृष्ण के प्रभाव मे आ जाने पर नरेन्द्रनाथ ने बौद्धिक चेत्र से अध्यात्म के चेत्र मे प्रवेश किया। बौद्धिक चेत्र मे रहने के कारण सभव है कि नरेन्द्रनाथ दर्शन के प्रसिद्ध प्राच्यापक हो जाते, किन्तु इस दिव्य अनुभूति से उन्हे वचित रहना पड़ता। श्री रामकृष्ण ने इन्हे जीवन के एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग्य बनाया। अपने शरीर का त्याग करने के तीन दिन पूर्व उन्होने नरेन्द्रनाथ को अपने पास बुलाया, अपनी तपोनिधि को इन्हे सौंप दिया और कहा, ‘आज अपना सब कुछ तुम्हे देकर मै रक बन गया। मैने योग द्वारा जिस शक्ति को तुम्हारे भीतर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम अपने जीवन मे महान कार्य करोगे। अपने इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात् ही तुम वहाँ जाओगे जहाँ से आये हो।’

सन्ध्यास, भ्रमण और अनुभव

गुरु की मृत्यु के उपरात इन्होने अपने गुरुभाइयों को एकत्र किया और उनके सम्मुख गुरु के जीवन और उनकी शिचाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। इन्होने इस बात की आवश्यकता को अनुभव कराने की चेष्टा की कि प्रत्येक शिष्य को श्री रामकृष्ण के सदेश का सासार मे प्रचार करना चाहिए। इनकी बातों का इतना प्रभाव पड़ा कि श्री रामकृष्ण के युवक शिष्यों ने गार्हस्थ्य जीवन का त्याग करके सन्ध्यास ग्रहण किया, बडानगर मे एक आश्रम की स्थापना की और उनके सदेश के प्रचार मे लग गये। नरेन्द्रनाथ ने भी अपना नाम परिवर्तित कर लिया। पहचान मे आने से बचने के लिए इन्हे अपना नाम कई बार बदलना पड़ा। ‘सर्वधर्म-सम्मेलन’ मे भाग लेने के लिए जब ये अमेरिका जाने लगे तब अतिम बार स्थायी रूप से इन्होने अपना नाम विवेकानन्द रखा और इसी नाम से सारे समार मे विख्यात हुए। गुरु के देहावसान के दो वर्ष पश्चात् विवेकानन्द ने सपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इन्होने प्राय पैदल चल कर ही सारे देश की यात्रा की, अनेक कठिनाइयों को सहन करते हुए, भूख-प्यासे रह कर, इस यात्रा मे इन्होने भारत की आत्मिक एकता और देश की समस्याओं का अध्ययन किया। द्वार-द्वार घूम कर विवेकानन्द ने ग्रामीण जनों की दरिद्रता का करण दृश्य देखा, राजाओं और अमीरों के वैभव की झाँकी देखी और यह अनुभव किया कि जातियो-उपजातियो तथा धर्मो-सप्रदायो मे विभाजित

इस देश की जनता मे कौन-सी कमताएँ और कौन-सी कमजोरियाँ हैं। इन्होने उस मौलिक तत्व को भी जानने का प्रयत्न किया, जिसके कारण देश की जनता मे सास्कृतिक एकता बनी हुई है। इस यात्रा मे उन्हे जो व्यापक अनुभव हुए, वे उनके भावी जीवन मे बडे उपयोगी सिद्ध हुए।

मातृभूमि की सेवा का संकल्प

- देश-भ्रमण करते हुए स्वामीजी कन्याकुमारी पहुँचे। भारत के दक्षिणी सीमान्त पर स्थित कन्याकुमारी के मंदिर मे इन्होने देवी का दर्शन किया और फिर समुद्र मे उभरी हुई एक चट्टान पर बैठ कर तपस्या मे समाधिस्थ हो गये। कन्याकुमारी मे प्राप्त अनुभवो का वर्णन करते हुए इन्होने लिखा 'देश भर मे अनेक सन्यासी भ्रमण करते हुए जनता को आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, किन्तु यह पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि भूखा रहना धर्म के लिए हितकर नहीं है। ये असत्य दीन जन केवल अज्ञान के कारण जड़तापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यदि विरक्त सन्यासी इन दीनों के कल्याण का सकल्प करे, गाँव-गाँव धूम कर शिक्षा का प्रसार करे, मौखिक शिक्षा दे, चित्रो-मानचित्रो तथा अन्य साधनो से लोगो को शिक्षित बनाये तो आगे चल कर क्या इसका परिणाम शुभ नहीं होगा ?' एक राष्ट्र के रूप मे हम अपने व्यक्तित्व को भूल गये हैं और यही विस्मृति हमारे देश की दुर्दशा का कारण है। हमे पुन अपने राष्ट्र को उसका भूला हुआ व्यक्तित्व प्रदान करना होगा और यहाँ की जनता को जागृत करना होगा।' अस्तु, कन्याकुमारी मे स्वामीजी ने देश-सेवा का व्रत लिया, उन्होने दीन-हीन, दलित और उपेक्षित भारतीय जनता के कल्याण-साधन का सकल्प किया। यही से स्वामी विवेकानन्द ने एक देशभक्त सन्यासी का जीवन प्रारंभ किया और भारतीय जनता की हित-साधना को अपने योग का एक प्रधान अग्र बनाया।

अमेरिका-प्रस्थान : विश्वधर्म-सम्मेलन

कन्याकुमारी से स्वामी विवेकानन्द मद्रास पहुँचे। यहाँ अनेक उत्साही नवयुवक उनके अनुयायी बन गये। उन्होने अमेरिका मे होने वाले विश्वधर्म सम्मेलन मे भाग लेने के लिए स्वामीजी को भेजने के लिए मार्ग-व्यय एकत्र किया। ३१ मई, सन् १८६३ ई० को स्वामीजी ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया क्योंकि सम्मेलन ११ सितंबर से शिकागो मे आरभ होने वाला था। विश्वधर्म-सम्मेलन मे, अपने प्रथम भाषण द्वारा ही, इन्होने एक आश्चर्यजनक सनसनी पैदा कर दी। इन्होने कहा, 'अमेरिका के भाइयो और बहनो ! आपने जिस आत्मीयता के साथ मेरा स्वागत किया है, उससे मेरा हृदय अवर्णनीय आनन्द से भर गया है। इसके लिए मैं आपको, सप्तार के प्राचीनतम धर्म के सन्यासियों की ओर से धन्यवाद देता हूँ, विभिन्न जातियो और सप्रदायो के करोड़ो हिंदुओं के नाम

पर धन्यवाद देता हूँ। हम न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, वरन् सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। मुझे ऐसे देश का निवासी होने का गर्व है, जिसने विश्व के अनेक धर्मों के अनुयायी अपराधियों एवं शरणार्थियों को शरण दिया है।' उनका यह भाषण सचिप्त था, किंतु इसमें इन्होंने हिंदू-धर्म द्वारा प्रतिपादित विश्व-सहिष्णुता के सिद्धात का सूत्र बनलाया। इस सम्मेलन में स्वामीजी ने कई अवसरों पर भाषण दिये और बनलाया, 'पूर्व के देशों को धर्म-शिक्षा की जहरत नहीं है, वरन् उन्हे रोटी की आवश्यकता है। वह रोटी चाहते हैं, किंतु उन्हे दिया जाता है पर्याप्त। यह भूखे देश का अपमान है कि रोटी के स्थान पर उसे धर्म-शिक्षा दी जाय। यह एक व्यक्ति का अपमान है कि भूता होने पर उसे भोजन के स्थान पर धर्म-शिक्षा दी जाय। ईसाइयों को न तो हिंदू होना है और न बौद्ध तथा न हिंदुओं और बौद्धों को ईसाई होना है। आज आवश्यकता है परस्पर मभी धर्मों के तत्त्वों को अपने भीतर आत्मसात् करने की एवं अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए विकास करने की।'

शिकागो सम्मेलन में सफलता प्राप्त होने के कारण स्वामीजी का उत्साह और बढ़ गया। वह अमेरिका में तीन वर्ष तक स्कै रहे और वहाँ आँधी की तीव्र गति से भ्रमण करते हुए वेदात की शिक्षा का प्रचार किया। प्रत्येक स्थान पर लोगों ने सम्मानपूर्वक इनकी बातों को सुना। वेदात पर दिये गये भाषणों से अमेरिका-निवासियों की आँखें खुल गयी। इसी बीच वह तीन मास के लिए इगलैंड गये। इगलैंड-निवासियों ने भी इनका सम्मान किया। स्वामीजी अमेरिका में अपने कार्य को संगठित करना चाहते थे, अत पुन लौट आये और न्यूयॉर्क में 'वेदात सोसायटी' की स्थापना की। इस सोसायटी द्वारा कर्मयोग, भक्तियोग, और ज्ञानयोग पर उनके दिये हुए भाषणों का पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ। इन्होंने अमेरिका के अपने शिष्य सन्यासियों को वेदात तथा योग की शिक्षा दी। अपने कार्य को गतिशील रखने के लिए भारत से सन्यासियों को वहाँ भेजा और कई अमेरिकी शिष्यों को भारत बुलाया। इस प्रकार स्वामीजी ने पूर्व और पश्चिम में पारस्परिक विचारविनिमय का आधार प्रस्तुत किया।

इंगलैंड में

१५ अप्रैल, सन् १८६७ ई० को स्वामीजी ने न्यूयॉर्क से लदन के लिए प्रस्थान किया। लदन पहुँच कर उन्होंने अबाधगति से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। वह वेदात-कक्षाओं में शिक्षा देते, सार्वजनिक सभाओं में भाषण देते और बल्बों तथा सोमायटियों में वेदात का प्रचार करते थे। उनके इगलैंड-निवास के समय प्र०० मैक्स-मूलर, भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ, ने विशेष रूप से निमत्रण देकर स्वामीजी को अपने घर बुलाया। उन्होंने आक्स-फोर्ड यूनिवर्सिटी के कालेजों, पुस्तकालयों, आदि को इन्हें दिखाया और कहा, 'श्री राम-कृष्ण परमहस के शिष्य से प्रतिदिन मेट होने का सौभाग्य नहीं मिलता।' इगलैंड में भी

स्वामी विवेकानन्द

स्वामीजी के अनेक शिष्य बन गये। वेदात के प्रचार में अधिक परिश्रम करने का परिणाम इनके लिए हानिकर सिद्ध हुआ। इनका स्वास्थ्य गिरने लगा, अत शिष्यों ने विश्राम के लिए इन्हे योरोप भेज दिया और स्वामीजी ने जेनेवा आदि नगरों में निवास किया। योरोप से इगलैंड लौट कर स्वामीजी ने पुन माया-मिद्धात तथा व्यावहारिक वेदान्त पर भाषण दिया। दो मास तक निरतर परिश्रम करने के कारण इनका स्वास्थ्य पुन गिरने लगा, अत वे स्वदेश लौट आये।

देश में सगठन और प्रचार-काय

जब स्वामीजी इगलैंड से भारत लौटे, तब समस्त देशासियों ने एक स्वर से इनका हार्दिक स्वागत किया। विदेशों में मातृभूमि के सम्मान के लिए इन्होंने जो गौरवपूर्ण कार्य किये थे, उनसे देशासियों के मन में इनके प्रति अपार श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो गयी थी। स्वामीजी ने हिमालय से टोकर लकड़ा तक यात्रा की, स्थान-स्थान पर वेदात, लोक-सेवा और नारी-मम्मान के पक्ष में व्याख्यान किया। इस यात्रा में राजाओं महाराजाओं, सभा-समितियों ने उनके कार्य में योग दिया और अत मे मन् १८६७ ई० में जनता की सेवा के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामीजी के अन्य गुरुभाई सन्यासियों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका विश्वास था कि वेदात द्वारा व्यक्तिगत मुक्ति और आत्मबोध ही सभव हैं। स्वामीजी ने अपने गुरुभाईयों को राम-कृष्ण के मानवतावादी सदेश से परिचित कराया और लोकसेवा के कार्य में उन्हे नियो-जित किया।

इस समय स्वामीजी को यह आभासित होने लगा कि उन्हे बहुत दिनों तक ससार में नहीं रहना है। ११ अगस्त, सन् १८६७ ई० को बरेली में उन्होंने स्वामी अच्युतानन्द से कहा, 'मुझे केवल पॉच-छ वर्ष इस ससार में रहना है।' किन्तु उतना जानने पर भी उन्होंने अपने कार्य में तनिक भी शिथिलता न आने दी। वह पजाब, राजपूताना तथा काश्मीर की यात्रा करते हुए हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों से होकर अमरनाथ गुफा तक गये। अमरनाथ की यात्रा का स्वामीजी के आध्यात्मिक जीवन में वही महत्व था, जो श्रो रामकृष्ण से मिलने का था। अमरनाथ पहुँच कर उन्होंने हिम-शीतल जल में स्नान किया और मात्र कौपीन धारण करके अमरनाथ महादेव के मंदिर में प्रविष्ट हुए। मंदिर में पहुँच कर उन्हे एक दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई। कई दिनों तक वह शिव को नाम-स्मरण करते रहे। अमरनाथ का वर्णन करते हुए उन्होंने अपने एक शिष्य को बताया, 'जबसे मैं अमरनाथ की यात्रा करके लौटा हूँ, तभी से शिव मेरे मानस में निवास करते हैं।'

अक्तूबर मास में स्वामीजी अमरनाथ की यात्रा करके बेलूर वापस आये। पर्वतीय यात्रा के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया था। इस समय बेलूर मठ का निर्माण हो

रहा था। दुर्बल होते हुए भी दिसबर में, मठ के उद्घाटनोत्सव में उन्होंने भाग लिया। सन् १८६६ ई० के आरम्भ से यह मठ रामकृष्ण के अनुयायियों का स्थायों केन्द्र बन गया। इस मठ के निर्माण से स्वामीजी का स्वप्न पूरा हो गया। थोड़े दिनों बाद, हिमालय में अल्पोड़े से ५० मील को दूरी पर एक दूसरे मठ 'अद्वैत-आश्रम' का निर्माण हुआ। इन मठों के निर्माण से स्वामीजी को हार्दिक सतोष हुआ क्योंकि इन्हीं के द्वारा वह वेदात तथा लोक-सेवा के प्रचार की कल्पना करते थे।

अमेरिका के लिए पुनः प्रस्थान

बेल्बूर मठ तथा अद्वैत आश्रम के निर्माण-कार्यों से निर्विचर होकर स्वामीजी ने एक बार पुन अमेरिका जाने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि अमेरिका में वेदात-प्रचार का जो कार्य उन्होंने आरम्भ किया था, उसका निरीक्षण करना चाहते थे। सन् १८९९ ई० के जून मास में उन्होंने स्वामी तुरीयानन्द तथा सिस्टर निवेदिता के साथ अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। भारत से डगलैड पहुँच कर स्वामीजी ने पद्धति दिनों तक लदन में निवास किया और फिर वहाँ से अमेरिका पहुँचे। अमेरिका पहुँच कर स्वामीजी ने तीव्र गति से प्रचार एवं सगठन का कार्य आरम्भ किया, यद्यपि इनका स्वास्थ ठीक नहीं था। वहाँ उन्होंने स्वामी अभेदनदा से कहा, 'हमारे दिन पूरे हो आये हैं। इस रक्त और मास के पिंडे मे अधिक दिनों तक नहीं रहना है।' इन दिनों सैनफ्रांसिस्को एवं केलीफोर्निया में उन्होंने राजयोग तथा साधना की शिक्षा दी और वेदात पर प्रवचन किया। इस बार स्वामी जी लगभग एक वर्ष तक अमेरिका में रहे।

निर्वाण

दिसबर, सन् १९०० ई० में स्वामीजी अमेरिका से भारत लौट आये। यद्यपि उनका स्वास्थ ठीक नहीं था, तथापि वह धूम-धूम कर भाषण देते रहे, मठ के कार्यों का सचालन तथा ब्रह्मचारियों की कक्षाएँ लेते रहे। इस प्रकार अपने व्यस्त जीवन में सारे कार्यों को संपन्न करते हुए उन्तालीस वर्ष की अल्पायु में स्वामीजी ने ४ जुलाई, सन् १९०२ ई० को निर्वाण प्राप्त किया।

जीवन-दर्शन

श्री रामकृष्ण परमहस्य ने स्वयं अपने जीवन में वेदात के सत्य का साचात्कार किया था। उन्होंने 'परमात्मा आत्मा मे और आत्मा परमात्मा मे है', इस सत्य की अनुभूति की और इसी परम सत्य की अनुभूति को उन्होंने अपने प्रिय शिष्य विवेकानन्द को प्रदान किया। स्वामी विवेकानन्द की महानता इस बात मे है कि उन्होंने एक पडित की भाँति

नहीं, वरन् स्वानुभवी ग्रन्थिकारी की भाँति अपने अनुभूत ज्ञान की शिक्षा दी क्योंकि सत्य के साक्षात्कार की गहराई तक वह पहुँचे हुए थे। इस गहरे तल से, वह रामानुज की भाँति केवल सत्य के रहस्यों को, जातिच्छुत, कुजात और विदेशियों को अवगत कराने के लिए वापस आये।

यद्यपि स्वामी विवेकानन्द भारत के रत्नभडार, वेदों ग्रौर उपनिषदों के रहस्योद्घाटनकर्ता और भाष्यकार के रूप में मान्य है, तथापि इह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वामी विवेकानन्द ने ही, अद्वैतदर्शन की सर्वश्रेष्ठता की धोषणा करते हुए, भारतीय दर्शन में द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत-सिद्धांतों को उस एक विकास-मार्ग का सोपान बताया, जिसका अतिम लक्ष्य अद्वैत की अनुभूति है। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार वेदात की प्रमुख विशेषता यह है कि 'वह पूण्यतया निर्वैयक्तिक (निरपेक्ष) है। इसके उद्भव का श्रेय किसी एक व्यक्ति या एक महापुरुष को नहीं है। इसके केन्द्र में किसी एक व्यक्ति की प्रमुखता नहीं है। फिर भी यह उन दर्शनों के विरुद्ध कुछ नहीं कहता, जिनकी रचना व्यक्ति-विशेष को केन्द्र मान कर हुई है। वास्तव में, वेदात-दर्शन में उन सभी सप्रदायों, साधना-मार्गों का अतभाव हो गया है, जो भारत में विद्यमान है।' इस प्रकार वेदात-दर्शन की कई व्याख्याएँ हुई हैं इनका आरभ द्वैतवादी दर्शन से हुआ है और पर्यवसान अद्वैत में। अत स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत-वेदात के ये विभिन्न रूप परस्पर विरोधी नहीं हैं। द्वैत और विशिष्टाद्वैत अपने आप में पूर्ण दर्शन नहीं हैं, वरन् वे उच्च से उच्चतर और उच्चतम प्रगतिशील-बोध (Progressive realization) के क्रमिक विकास में, आदर्श तक पहुँचने के सोपान हैं, जहाँ पहुँच कर सभी वस्तुएँ उस परम एकता में लीन हो जाती हैं, जिसका कि वर्णन अद्वैत-दर्शन में होता है। यह अद्वैत उस महान और सहज सिद्धांत का अग है, जिसके अनुसार एक या अनेक में भेद नहीं, वरन् वे उसी परम सत्य के रूप हैं। एकता और अनेकता का बोध एक व्यक्ति के जोवन में भिन्न समय पर और भिन्न मनोवृत्तियों पर आधारित है। इस तथ्य को श्रा रामकृष्ण ने इस प्रकार व्यक्त किया है 'ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। उसमें साकारता और निराकारता दोनों अनुस्यूत है।'

स्वामी विवेकानन्द को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने वेदात-दर्शन को व्यावहारिक रूप दिया। यदि 'एक और अनेक' एक ही है, तो केवल नाना प्रकार की पूजा-विधि ही नहीं वरन् सभी प्रकार के कार्य, सर्व करने एव रचना करने की सभी विधियाँ साक्षात्कार के साधन हैं, अत धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कार्यों में कोई भेद नहीं। श्रम करना ही प्रार्थना करना ही त्याग है। यह जीवन स्वयं ही धर्म है, इसे धारण करने में उनका उतना ही दृढ़ विश्वास है, जितना उसके त्याग या जुपेक्षा में।

इसी अनुभूति ने विवेकानन्द को कर्म का महान उपदेष्टा बनाया। यह कर्म ज्ञान और भक्ति से विरक्त नहीं है, वरन् उसके मध्यम से ज्ञान और भक्ति अभिव्यक्ति होते हैं। उनके विचार में जिस प्रकार भिजुओ के विहार या मदिर के द्वार ईश्वर से मिलने के उपयुक्त स्थान हैं, उसी प्रकार कार्य-कौशल, पठन और कृपित्तेव भी हैं। उनका कहना है कि मानव-सेवा और ईश्वर-सेवा (पूजा), मनुष्यत्व और धर्म, सत्यनिष्ठता और आध्यात्मिकता में कोई भेद नहीं है। उनके सभी शब्द, एक दृष्टिकोण से, उनकी इसी मूल आस्था से ओतप्रोत हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि कला, विज्ञान और धर्म एक ही परम सत्य को व्यक्त करने के तीन विभिन्न साधन हैं, किंतु इसे समझने के लिए हमें प्रथम अद्वैत-वाद के सिद्धात को जान लेना होगा।

हमने यह देखा कि वेदात के तीन प्रधान प्रकार हैं, किंतु इस भेद के होते हुए भी वे सभी ईश्वर में विश्वास करते हैं। वे तीनों यह भी विश्वास करते हैं कि वेद ईश्वर-वाक्य है (ठीक उसी रूप में नहीं जिस रूप में मुसलमान कुरान को या ईसाई बाइबिल को मानते हैं)। उन तीनों का यह विश्वास बड़े ही अद्भुत ढंग का है, उनके विचार में वेद ईश्वरीय ज्ञान की अभिव्यक्ति है। क्योंकि ईश्वर अपौरुषेय है, अनादि है और प्रपने अनादि रूप में यह ज्ञान ईश्वर के साथ है अतः वेद अनादि (अपौरुषेय) है। सृष्टि-चक्र के विषय में भी, इन तीनों के विश्वासों में समानता पायी जाती है। सृष्टि-चक्र के सबध में उन तीनों के विचार इस प्रकार है—ब्रह्माड के सभी पदार्थ एक ही आदिपदार्थ से निकले हैं, जिसे आकाश कहते हैं। और सब शक्तियाँ गुरुत्वाकर्षण और विकर्षण आदि, एक ही आदिशक्ति से निकली हैं जिसे प्राण कहते हैं। प्राण के आकाश में क्रियाशील होने से ब्रह्माड की रचना होती है। सृष्टि-चक्र के आरभ में आकाश गतिशूल्य, अव्यक्त रहता है, तब प्राण अधिकाधिक क्रियाशील होता है और आकाश से स्थूल से स्थूलतम रूपों बनस्पति, पशु, मनुष्य, तारे आदि की रचना करता है। अनत काल तक यह विकास-प्रक्रिया चलती रहती है और तब पुन ग्रत्यावर्त्तन आरभ होता है। सभी पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते हुए आकाश और प्राण में मिल जाते हैं। किर दूसरा चक्र आरभ होता है। आकाश और प्राण के परे भी एक सत्ता है, जिसे महत् कहते हैं। आकाश और प्राण इसी में लिलीन हो जाते हैं। यह महत् विश्वमन है। यह समस्त ब्रह्माड में व्याप्त विचार-शक्ति है, जिससे प्राण और आकाश उत्पन्न होते हैं। विचार उस सत्ता की सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है, जो आकाश और प्राण से भी सूक्ष्म है। यही विचार अपने को दो रूपों (प्राण और आकाश) में विभक्त करता है। सृष्टि के आदि में भी यह विश्व-मन विद्यमान रहता है, यही अपने को रूपातरित करके आकाश और प्राण के रूप में परिवर्त्तित करता है और इही दोनों के संयोग से संपूर्ण ब्रह्माड की उत्पत्ति होती है।

ब्रह्म और माया

हमने देखा कि स्वामी विवेकानन्द ने तीनों वेदात्-सप्रदायों को जीवन के चरण लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में सोपान के रूप में माना है। इस मार्ग का अतिम सोपान अद्वैत है और यही जीवन का चरण लक्ष्य है, जहाँ पहुँच कर आत्मा और परमात्मा का पार्थक्य समाप्त हो जाता है। अत दार्शनिक समस्याओ—ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप आदि का समाधान उन्होंने तीनों दृष्टिकोणों से किया है।

ईश्वर

पहला सप्रदाय द्वैतवादी सप्रदाय है। द्वैतवादियों का विश्वास है कि इस सृष्टि का कर्ता और शासक ईश्वर है और वह शाश्वत रूप में प्रकृति और मानव-आत्मा से पृथक् है। ईश्वर, प्रकृति और सभी आत्माएँ शाश्वत हैं। प्रकृति और आत्मा व्यक्त होते एव परिवर्तित होते हैं, किन्तु ईश्वर सदैव तद्वत् ही रहता है। द्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर व्यक्ति-रूप है, किन्तु मनुष्य की भाँति वह शरीरवान् नहीं है, हाँ, उसमें मनुष्य के गुण, दया, न्याय, शक्ति आदि हैं। पदार्थों के बिना वह सृष्टि नहीं कर सकता है और प्रकृति वह तत्त्व है जिससे वह सपूर्ण विश्व की रचना करता है।

भारत के बहुसंख्यक लोग द्वैतवादी हैं। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार ससार के नव्वे प्रतिशत मनुष्य, जो किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं, द्वैतवादी हैं। योरप और एशिया के सभी धर्म द्वैतवादी हैं। उन्हे द्वैतवादी बनना पड़ा है क्योंकि सामान्य मनुष्य उस वस्तु के विषय में सोच नहीं सकता है, जो साकार या रूप-रग-युक्त न हो।

सभी द्वैतवादी सिद्धान्तों के विषय में पहली कठिनाई इस प्रश्न का उत्तर देना है कि यह कैसे सभव है कि न्यायपरायण, दयालु, अनादि गुणों के भाडार ईश्वर के शासन में, इस ससार में, इतनी बुराइयों हो। यह प्रश्न सभी द्वैतवादी धर्मों में उठा है किन्तु हिन्दू, धर्म में इस प्रश्न को सुलझाने के लिए 'शैतान' की कल्पना नहीं की गयी है। हिन्दू-धर्म में इस दोष का भागी स्वयं मनुष्य ही माना गया है और ऐसा करना सरल भी था। कारण यह है कि हिन्दू यह विश्वास नहीं करते कि आत्माओं की सृष्टि शून्य से हुई है। उनकी मान्यता है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं, मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन आगामी कल के जीवन का निर्माण कर रहा है। यदि हम अपने कर्मों द्वारा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, तो यही नियम अतीत के विषय में भी क्यों नहीं व्यवहार्य होगा अर्थात् जिसने जैसा कर्म किया, उसी का फल वह अपने वर्तमान जीवन में भोग रहा है।

द्वैतवादियों का दूसरा विचित्र सिद्धात् यह है कि प्रत्येक आत्मा को अतत् मुर्मित प्राप्त करना है, इस गुणों और दुर्गुणों से भरे हुए ससार से परे जाना है। वे एक ऐसे स्थान में विश्वास करते हैं, जो इस ससार से परे है, जहाँ शाश्वत आनंद है, जहाँ केवल

शिव का ही निवास है, जहाँ पहुँच कर आत्मा निरतर ईश्वर के सपर्क में रहती है और जहाँ पहुँचकर वह सदा के लिए ईश्वरीय आनंद का उपभोग करती है। उनका विश्वास है कि नीचातिनीच से लेकर श्रेष्ठातिश्रेष्ठ तक, सभा प्राणियों को देर या सबेर, एक न एक दिन उस लोक की प्राप्ति करती है, जहाँ फिर उसे किसी प्रकार का दुख न होगा। किन्तु इस समाज का अत कभी नहीं होगा और वह सृष्टि क्रम के कला के चक्र में वूमता ही रहेगा और आत्माएँ भी अनंत हैं, जिनका कि इस समाज से निस्तार होना है।

प्रत्येक आत्मा के आकर्षण का केन्द्र ईश्वर ही है। द्वैतवादियों का कथन है कि मिट्टी में सभी हुईं सुईं चुबक की ओर आकर्षित नहीं होगी, किन्तु ज्याहो उस पर से मिट्टी को हटा दिया जायगा, वह चुबक से आकर्षित होकर उसकी ओर बिचेरी। ईश्वर चुबक है, मानव-आत्मा सुई की भाँति है, जो अपने दुर्जन्म-रूपी कीचड़ से ग्रावृत्त है। ज्योही यह आत्मा शुद्ध हो जायगी, यह अपने स्वाभाविक आकर्षण के गुण के वश होकर ईश्वर की ओर आकर्षित होगी और फिर सदा के लिए उसका सान्निध्य प्राप्त कर लेगी, किन्तु शाश्वत रूप में उससे पृथक् रहेगी। पूर्णता-प्राप्त आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी आकार ग्रहण कर सकती है। ऐसी दशा प्राप्त कर लेने पर आत्मा महान शक्ति-शालिनी हो जाती है, सिवाय इसके कि न तो यह मृष्टि रचना कर सकती है और न सृष्टि के कार्यों की व्यवस्था, क्योंकि ये ईश्वर के कार्य हैं। किन्तु पूर्णता प्राप्त आत्मा आनंदपूर्ण हो जाती है और सदा के लिए ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त कर लेती है।

वास्तविक वेदात-दर्शन का आरभ विशिष्टाद्वैतवाद से होता है। विशिष्टाद्वैतवादियों का कथन है कि कार्य कारण से कभी भिन्न नहीं होता। कार्य और कुछ नहीं, वरन् कारण का ही पुनरुत्पादित रूप है। यदि ईश्वर कारण है और विश्व कार्य है, तो इस विश्व को स्वयं ईश्वर रूप होना चाहिए। वे दृढ़ता के साथ कहते हैं कि ईश्वर इस विश्व का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों हैं। वह स्वयं ही इस विश्व का सज्जा और उपादान है, जिससे सपूर्ण प्रकृति की अभिव्यक्ति हुई है। अत इस सप्रदाय के अनुसार यह विश्व स्वयं ईश्वर है, वही विश्व का उपादान है। वेदों से हमें ज्ञात होता है कि जिस प्रकार ऊर्जनाभि (मकड़ी) अपने शरीर के भीतर निहित द्रव पदार्थ से ही अपने शरीर के चारों ओर ततुओं का जाला बुनती है, उसी प्रकार यह सपूर्ण विश्व उप ईश्वर से उत्पन्न हुआ है।

यदि कारण का ही पुनरुत्पादित, परिवर्तित रूप कार्य है, तो प्रश्न उठता है कि यह भौतिक, जड़ एवं अचेतन विश्व ईश्वर से कैसे उत्पन्न होता है, जो कि स्वयं भौतिक न होकर शाश्वत रूप से चैतन्य है। यह कैसे सभव है कि शुद्ध एवं पूर्ण ईश्वररूपी कारण का कार्य उससे पूर्णतया भिन्न हो ? इस विषय में विशिष्टाद्वैतवादियों का कथन है कि ईश्वर, प्रकृति और आत्मा ये तीनों सत्ताएँ एक हैं। ईश्वर आत्मा है और आत्माएँ और कृत्रिम मानों उसके शरीर हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर है और उसके भीतर हमारी

आत्मा का निवास ह, उसी प्रकार सारा विश्व और सारी आत्माएँ ब्रह्म का शरीर हैं, वह आत्माओं की भी आत्मा है। इस प्रकार ईश्वर विश्व का उपादान कारण भी है। शरीर परिवर्तित हो सकता है, तरुण या वृद्ध, मजबूत या कमजोर हो सकता है, किन्तु आत्मा इससे प्रभावित नहीं होती। यह वह शाश्वत सत्ता है, जो शरीर के माध्यम से अपने को व्यक्त करतो है। शरीर जन्म लेता है और मरता है, किन्तु आत्मा अपरिवर्तनशील है। यह सपूर्ण विश्व ईश्वर का शरीर है और इसी अर्थ में वह ईश्वर रूप है, किन्तु विश्व में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता। इसी उपादान से वह विश्व की रचना करता है और प्रत्येक कल्प के समाप्त होने पर यह शरीर-रूपी विश्व सूक्ष्मतर रूप में परिणित एव सकुचित हो जाता है। दूसरे सृष्टि-चक्र के आरम्भ होने पर यही सूक्ष्म उपादान पुन विस्तृत हो जाता है और नये ससार के रूप में विकसित होता है।

द्वैतवादी और विशिष्टाद्वैतवादी दोनों यह स्वीकार करते हैं कि आत्मा प्रकृत्या शुद्ध है, किन्तु अपने ही कर्मों के कारण यह विकारयुक्त हो जाती है। इस क्रिया को विशिष्टाद्वैतवादियों ने द्वैतवादियों की अपेक्षा और सु दर शब्दों में इस प्रकार कहा है कि आत्मा की शुद्धता और पूर्णता कर्मों के कारण सकुचित हो जाती है और ग्रब हमारा प्रयास यही है कि हम आत्मा की स्वाभाविक चैतन्यता, शुद्धता और शक्ति को पुन प्राप्त एव व्यक्त करे। जीवात्माएँ गुणों का समूह हैं, किन्तु सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता का गुण उनमें नहीं है। प्रत्येक दुर्जर्म आत्मा की वास्तविक प्रकृति को सकुचित करता है और प्रत्येक सत्कर्म से आत्मा का विस्तार होता है। पर सभी आत्माएँ ईश्वर का अश है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से असर्व चिनगारियाँ उसी गुणवाली निकलती हैं, उसी प्रकार अनादि सत्ता या ईश्वर से आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य उसी ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करना है। विशिष्टाद्वैतवादियों का ईश्वर भी व्यक्तित्वपूर्ण है, अनेक आनन्दपूर्ण गुणों का भट्ठार है, केवल वही विश्व की सारी वस्तुओं में प्रविष्ट है। वह सर्वत्र और सभी वस्तुओं में व्याप्त या सर्वा तर्यामी है। और जब धर्मग्रथ यह कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है, तो इसका अर्थ यही होता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह सब में प्रविष्ट है और सब कुछ ईश्वर में प्रविष्ट है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर दीवार है, वरन् यह कि ईश्वर दीवार में भी व्याप्त है। ससार में एक भी ग्रण, एक भी कण ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। आत्माएँ सीमाबद्ध हैं, वे सर्वत्र वर्तमान नहीं हैं। जब आत्मा की शक्ति का विस्तार होता है और वह धृष्ट हो जाती है, तब वह जन्म-मरण के बधन से मुक्त हो जाती है और निरतर ईश्वर के सान्निध्य में रहती है।

वेदान्त-दर्शन का अतिम सोपान 'अद्वैत' है। 'यह वेदात—दर्शन और धर्म का सु दरतम पुष्प है'। अद्वैत की स्थिति में पहुँच कर मानव-चेतना की उच्चतम अभिव्यक्ति होती है और मानव-चेतना उस रहस्य के भी परे पहुँच जाती है, जो अभेद्य प्रतीत होता है।

‘यह अद्वैतवादी वेदात् इतना निगूढ़ और उन्नत है कि सामान्य जनों का वर्म नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि अपनी जन्मभूमि भारत में भी, जहाँ इसे तीन हजार वर्षों से प्रधानता प्राप्त रही है, यह सामान्य जनता में व्याप्त नहीं हो सका।’† स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि इसका कारण यह है कि हम दुर्बल हो गये हैं क्योंकि हम दूसरे का सहारा लेना चाहते हैं। अद्वैतवादी यह घोषणा करते हैं कि यदि ईश्वर है, तो उसे विश्व का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों होना चाहिए। वह केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं है, वरन् सृष्टि भी है। वह स्वयं ही विश्व है। यह कैसे हो सकता है? शाश्वत सत्, चक्रिक एव नाशदान् रूप में कैसे परिवर्तित हो सकता है? इस सबध में अद्वैतवादियों का एक मिथ्यात है जिसे विवर्तवाद कहते हैं। द्वैतवाद और साख्य के अनुसार यह विश्व आदिप्रकृति का विकास है। कुछ अद्वैतवादियों और कुछ द्वैतवादियों के अनुसार यह सपूर्ण विश्व ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। शकराचार्य के अनुयायी अद्वैतवादियों के अनुसार सपूर्ण विश्व ब्रह्म का प्रातिभासिक विकास-मात्र (Apparent evolution.) है। ब्रह्म इस विश्व का उपादान कारण है, किन्तु वास्तविक रूप में नहीं, वरन् अध्यास रूप में। इस कथन को सिद्ध करने के लिए रज्जु और सर्प का प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। रज्जु में जो सर्प दिखायी पड़ता है, रज्जु में जो सर्प की प्रतीति होती है, उसका अस्तित्व होता है, किन्तु यह सत्य नहीं होता क्योंकि रज्जु सर्प में वास्तविक रूप में परिवर्तित नहीं होती। इस भाँति यह सपूर्ण विश्व अपनी सत्ता में ईश्वर रूप है। यह शाश्वत है किन्तु इसमें जो भी परिवर्तन दिखायी पड़ते हैं, वे अध्यास-मात्र हैं। इसके तीन कारण हैं—देश, काल और निमित्त, जिन्हे उच्चतर मनोवैज्ञानिक सामान्यीकरण के अनुसार नाम और रूप भी कह सकते हैं। इसी नाम और रूप की भिन्नता के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेद किया जाता है। ये नाम और रूप ही भेद के कारण हैं। तात्त्विक दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं होता। वेदात्मक कहते हैं कि रज्जु में सर्प की प्रतीति अध्यास के कारण होती है। जब अध्यास समाप्त हो जाता है, तो सर्प की प्रतीति समाप्त हो जाती है। इसी अध्यास के कारण मनुष्य ईश्वर के प्रतिभास रूप जगत् को देखता है, किन्तु ईश्वर को नहीं। जब वह ईश्वर का दर्शन करता है, तब उसकी दृष्टि से यह व्यावहारिक जगत् ओझल हो जाता है। इस भेद का कारण अविद्या या माया है, यही अध्यास की सृष्टि करती है, जिसके कारण एक ब्रह्म की सत्ता खड़-खड़ रूप में दिखायी पड़ती है। माया पूर्णतया शून्य और असत् नहीं है। माया का वर्णन न सत् कहकर हो सकता है और न असत् कहकर। माया सत् इसलिए नहीं है, क्योंकि सत् तो केवल वही शाश्वत ब्रह्म है, और असत् इसलिए नहीं है क्योंकि यदि असत् होती तो इस व्यावहारिक जगत् की उत्पत्ति किस प्रकार करती। अत वेदात्मियों ने उसे अनिर्वचनीय कहा है। माया ही विश्व की रचना का वास्तविक कारण है। ब्रह्म विश्व की रचना के लिए उपादान प्रस्तुत करता है और माया उसे नाम और रूप प्रदान करती है।

अद्वैतवाद मे व्यक्तिगत आत्मा का कोई स्थान नहीं है। अद्वैतवादियों का कथन है कि व्यक्तिगत आत्माओं की सृष्टि माया द्वारा हुई है। अत वास्तव मे आत्माओं की कोई अपनी सत्ता नहीं है। पर जब समस्त विश्व मे एक ही सत्ता है, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि 'मैं हूँ' और 'तुम भी हो'। अद्वैतवाद के अनुसार हम सभी प्राणी हैं। पार्थक्य और बुराई का कारण द्वैत-भाव है। जब मनुष्य अपने को विश्व के कर्ता प्रनादि सत्ता के साथ देखने लगता है अर्थात् यह समझने लगता है कि वह उसका अभिभ्न अग है, तो उसकी सारी पार्थक्य की भावना का नाश हो जाता है, सारे भय और दुख नष्ट हो जाते हैं। 'पार्थक्य मे लघुता है और एकत्व मे 'महानता'। अद्वैत की महान स्थिरा मे पहुँच कर हम उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, जो पूर्ण श्रानद स्वरूप है, 'मैं' और 'तुम' का द्वैत-भाव, जो कि ससार के सभी दुखों का जन्मदाता है, जिसके कारण ससार मे वीभत्स दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं, इस स्थिति मे अपने आप शात हो जाता है और सभी प्राणियों के साथ एकात्म्य का बोध होने लगता है, अत इस प्रकार ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है और परमानन्द की प्राप्ति होती है।

भारतीय धार्मिक विचारवारा के तीन सोपानो—द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद की चर्चा की जा चुकी है। प्रथम मे हमने परमात्मा के प्रकृति और आत्माओं से परे अस्तित्व को देखा, द्वितीय मे परमात्मा को ससार और आत्माओं मे व्याप्त पाया और अद्वैत मे तीनों का एकीकरण। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार यही वेदों का अतिम शब्द है।

स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि जैसी स्थिति समाज की वर्तमान समय मे है उसमे ये तीनों सोपान आवश्यक है। ये एक दूसरे को अस्वीकार नहीं करते, वरन् परस्पर पूरक है। अद्वैतवादी या विशिष्टाद्वैतवादी द्वैतवाद को गलत नहीं बताते, उसका भी दृष्टिकोण सही मानते हैं, किन्तु उसे निम्नस्तरीय स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि 'द्वैतवाद भी सत्य की ओर गतिशील है, सत्य के पथ पर है। अत सभी व्यक्तियों को अपने दृष्टिकोण से इस विश्व को देखने दो। किसी को पीड़ा मत दो और न किसी की स्थिति को अस्वीकार करो। यदि हो सके तो उसी स्तर पर उसकी सहायता करो और उसे उच्च स्तर तक पहुँचाओ, अन्यथा न उसे कष्ट दो और न उसे नष्ट करो।' कारण, एक न एक दिन सभी सत्य तक स्वयमेव पहुँच जायेगे। यहाँ पर विवेकानन्द सृष्टि मे विकास के चेतन और अचेतन क्रम की ओर सकेत करते हैं। उनका कहना है कि सभी प्राणियों का विकास हो रहा है। 'सहजो व्यक्तियों मे से कुछ व्यक्ति इस विचार के प्रति जागरूक है कि वे एक दिन मुक्ति प्राप्त करेंगे। अगणित मनुष्य भौतिक पदार्थों से सतुष्ट हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी हैं, जो सचेत हैं और यहाँ से उब कर अपनी पूर्णविस्था (अद्वैत) की पुन प्राप्ति करना चाहते हैं। वे चैतन्य रूप से सर्वर्थ कर रहे हैं, जबकि शेष व्यक्ति यही अनजाने मे कर रहे हैं।'

मनुष्य का वास्तविक स्वभाव

अद्वैत-दर्शन के अनुसार विश्व में केवल एक ही वस्तु सत् है और वह है ब्रह्म। अन्य सभी वस्तुएँ अवास्तविक और माया की शक्ति द्वारा ब्रह्म से उत्पादित हैं। उस ब्रह्म की पुन व्याप्ति ही हमारा उद्देश्य है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है, जिसमें माया मिली हुई है। माया ही मनुष्य के वास्तविक स्वभाव को छिपाये हुए है, किन्तु माया के कारण मनुष्य का वास्तविक स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। छोटे से छोटे कृमि से लेकर श्रेष्ठ मानव-प्राणी तक मेरी दौवी स्वभाव विद्यमान है। शाश्वत या असीम अनेक नहीं हो सकता। यदि आत्मा असीम है, तो वह एक होगी। अपनों और दूसरे के आत्मा को पुथक् पृथक् रूप में देखना, अर्थात् यह मेरी आत्मा है और यह तुम्हारी, सत्य नहीं है। अत सत्पुरुष एक है, असीम है, सर्वव्यापक आत्मा है और मनुष्य कितना ही महान् क्यों न हो, उस सत्पुरुष (ईश्वर) की छाया-मात्र है। यह सत्पुरुष (आत्मा) कार्य और कारण से परे है, देश और काल द्वारा बँधा नहीं है, अत वह परममुक्त है। न वह कभी परतत्र था और न कभी होगा। उसकी छाया-रूप प्रत्यक्ष मनुष्य देश, काल और निमित्त की सीमा में आबद्ध है। कुछ दर्शनिकों का कहना है वह छाया-रूप पुरुष आबद्ध दिलायी पड़ता है, किन्तु वास्तव में वह आबद्ध नहीं है। यही हमारी आत्मा की वास्तविकता है कि वह सर्वव्यापी है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली और असीम है। प्रत्येक आत्मा असीम है, अत उसके जन्म और मरण का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर यह असीम सत्तापूर्ण, अपरिवर्तनशील और गतिहीन है, क्योंकि परिवर्तन केवल सीमित के ही अदर सभव है और गति सदैव सापेक्ष्य है। इस विश्व का कोई भी करण अन्य करणों की सापेक्षता में ही परिवर्तित हो सकता है, किन्तु यदि सारे विश्व को एक समझा जाय, यदि इस विश्व के अनिवार्य कुछ और है ही नहीं, तब किसकी सापेक्षता में वह गति करेगा। हमारी वास्तविकता विशब्दापकता में है, सीमाबद्धता में नहीं।

व्यक्तित्व के सबध में जनसाधारण की धारणा बड़ी भ्रमपूर्ण है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व का निवास शरीर या मन में नहीं है। बाल्यावस्था में बालक के मूँछ नहीं होती, किन्तु जब वह बड़ा हो जाता है, तो उसके मूँछ-दाढ़ी निकल आती है। अत यदि व्यक्तित्व को शरीर-सापेक्ष्य मान लिया जाय, तो कहना होगा कि उस बालक का व्यक्तित्व समाप्त हो गया। इसी प्रकार यदि व्यक्तित्व को शरीर-सापेक्ष्य मान लिया जाय, तो हमारी एक आँख या एक हाथ के न रहने पर हमारे व्यक्तित्व को समात हुआ समझा जायेगा। इस कल्पना का परिणाम यह होगा कि एक शराबी को शराब नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इससे उसके व्यक्तित्व का लोप हो जायगा, पर वास्तविकता यह है कि किसी मनुष्य को अपनी आदनों को छोड़ने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि इससे उसके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार व्यक्तित्व का निवास स्मृति में नहीं है। कल्पना

कीजिए कि सिर मे एक आधात के कारण अमुक व्यक्ति को स्मरणशक्ति लुप्त हो जाती है और वह अपने विगत जीवन के बारे मे भूल जाता है, तब क्या कहा जायगा कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त हो गया ? व्यक्तित्व के विषय मे यह बड़ा ही सकुचित विचार है। हम अभी तक व्यक्ति नहीं हैं, हम केवल व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम असीम व्यक्तित्व को ओर बढ़ रहे हैं और यही मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है।

इसी उपर्युक्त धारणा से अद्वैत-नैतिकता का मिछात भी प्राप्त होता है, जिसे एक शब्द मे कहा गया है, 'आत्म-त्याग'। अद्वैतवादी कहते हैं कि तुच्छ निजीकृत आत्मा (Little personalized self) ही हमारे सारे दुखों का कारण है। यह निजीकृत आत्मा ही हममे अन्य प्राणियों से अपने को पृथक् करने को भावना उत्पन्न करती है, जिससे घृणा, द्वेष, दुख, सर्वर्ष तथा अन्य बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। यदि इसका विचार छोड़ दिया जाय, तो सभी सर्वर्ष शान हो जायेगे, सभी दुख समाप्त हो जायेगे, अत इसका त्याग करना होगा। हममे सदैव ग्रन्थ प्राणियों के लिए, यहाँ तक कि छोटे से छोटे जीव के लिए, अपने जीवन को उत्सर्ग करने के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति एक छोटे से छोटे कीड़े के लिए भी अपने जीवन का त्याग करने को उद्यत हो जाता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसी स्थिति की प्राप्ति अद्वैतवादी करना चाहते हैं। व्यक्ति जिस क्षण इतना त्याग करने को तैयार हो जाता है, उसी क्षण उम पर पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण हट जाता है और वह अपने वास्तविक स्वभाव की अनुभूति कर लेता है। इसी जीवन मे वह सारे विश्व के साथ अपने आत्मा की एकता का अनुभव करने लग जाता है। ऐसा होते ही व्यावहारिक जगत् का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह आत्मानुभूति की प्राप्ति कर लेता है। किंतु जब तक इस शरीर के कर्म शेष रहते हैं, उसे जीवित रहना होता है। अज्ञान-आवरण के हट जाने पर भी जब मनुष्य जीवित रहता है, तो ऐसी दशा को बेदाती 'जीवन्मुक्ति' कहते हैं। अत जब बेदाती अपने वास्तविक स्वभाव को जान लेता है, तो उसकी दृष्टि मे व्यावहारिक जगत् की सत्ता नहीं रह जाती। वह सासार के सब कार्य करता रहता है, पर उसका सासार दुखमय नहीं होता। उसके लिए दुख का बवन सत्, चित् और आनन्द मे परिवर्तित हो जाता है। दूसरे शब्दों मे सासार वही रहता है, सब कार्य वही रहते हैं, पर सासार के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है।

अनेकता में एकता

हम देखते हैं कि इस सासार मे सुख के साथ छाया की भाँति दुख भी लगा हुआ है। जीवन के साथ मृत्यु भी उसकी छाया की भाँति लगी हुई है। साथ-साथ रहना ठीक भी है क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। एक ही चीज के दो भिन्न पहलू हैं। इनका

पृथक्-पृथक् अस्तित्व नहीं है, वरन् ये एक ही अस्तित्व की भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं जीवन-मरण, सुख-दुःख तथा अच्छा-बुरा। द्वैतवादियों का यह कथन कि अच्छे-बुरे का अस्तित्व पृथक्-पृथक् है, इनकी दो अलग-अलग सत्ताएँ हैं और ये दोनों अनादिकाल में चले आ रहे हैं, हास्यास्पद है। यथार्थत ये सब एक ही तथ्य की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं, जो एक समय अच्छे रूप में और दूसरे समय बुरे रूप में अभिव्यक्त होती है। इनमें प्रकार का भेद नहीं, अपितु मात्रा का भेद है। ये तीव्रता की मात्रा के विचार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम देखते हैं कि एक ही नाड़ी-तत्र अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की सबेदनाओं का वहन समान रूप से करता है—जब वह नाड़ी-तत्र आहत हो जाता है, तो किसी प्रकार की सबेदनाओं को ग्रहण नहीं करता है—न सुखात्मक भावों की न दुखात्मक भावों की। अत जीवन-मरण, सुख-दुःख आदि एक ही है, भिन्न नहीं क्योंकि, एक ही वस्तु कभी सुख देती है और कभी दुःख। उदाहरणार्थ, मासाहार से मासाहारी व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, किन्तु मारे जाने वाले पशु को पीड़ा होती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो समान रूप से सबको आनंद प्रदान करे। वेदात का कहना है कि अच्छे और बुरे की दो मत सोचो। दोनों एक है। उनमें मात्रा का भेद है। वे विभिन्न रूपों में एक ही मन में विभिन्न प्रकार की भावना उत्पन्न करते हैं।

इस सबध में यदि हम फारस के पुराने आदिम सिद्धात पर विचार करे, तो ज्ञान होता है कि फारस-निवासी दो ईश्वर में विश्वास करते थे जितनी अच्छी वस्तुएँ हैं, वह अच्छा ईश्वर बनाता है और जितनी बुरी चीजें हैं, वह बुरा ईश्वर बनाता है। इस तरह विचार करने पर ज्ञात होता है कि प्रकृति के प्रत्येक नियम के दो अग्न होते हैं एक अग्न पर एक ईश्वर अपनी कला दिखाता है और चला जाता है और दूसरे पर दूसरा ईश्वर। यहाँ कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि दोनों ईश्वर का कार्य-क्षेत्र एक, ही जगत् है और दोनों परस्पर सगति स्थापित करके चलते हैं एक, एक भाग को कष्ट देता है और दूसरा, दूसरे भाग को सुख। द्वैत की अभिव्यक्ति का यह बड़ा ही आदिग रूप है। इसी द्वैत के अधिक विकल्पित सिद्धात के अनुसार भी यही सगति की कठिनाई उठती है।

तथ्य यह है कि यह ससार न तो आशावादी है और न निराशावादी, वरन् दोनों का सम्मिश्रण है। वेदात इन दोनों से विरत होने का मार्ग बताता है। उसका कहना है कि अच्छे और बुरे दोनों को त्याग दो, किन्तु तब शेष क्या रहता है? अच्छे-बुरे इन दोनों के पीछे कोई वस्तु है, जो तुम्हारी है “वहीं तुम्हारा यथार्थ रूप है। यह यथार्थ अच्छे-बुरे दोनों के परे है। यह यथार्थ अपने को अच्छे और बुरे दोनों रूपों में व्यक्त कर रहा है। इन व्यक्त रूपों पर नियत्रण रखो तभी तुम अपने वास्तविक रूप को व्यक्त करने में स्वतत्र रहोगे। पहले आत्मस्वामित्व प्राप्त करो, स्वावलम्बी बनो, इन नियमों के बधनों से परे हो जाओ क्योंकि ये नियम निरकुश रूप से तुम्हें शासित नहीं करते। ये तुम्हारे जीवन के अग्र-मात्र हैं। पहले समझो कि तुम प्रेषिं के दास नहीं हो, न ये और न होगे। तुम्हारी प्रकृति

तुम्हे कितनी ही असीमित क्यों न लगे, पर वह तुम्हारी आत्मा के सामने सीमित है। इस एकत्र को जान लेने पर तुम अच्छे-बुरे दोनों को नियन्त्रित कर सकोगे। यही सारा आशावाद है।†

अब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह सत्य है कि एक ही असीम सत्ता सभी प्राणियों में व्याप्त है, तो क्या वह प्राणियों के दुखों से दुखी नहीं होगी, प्राणियों के अशुद्ध होने पर अशुद्ध नहीं होगी? उपनिषदों का कहना है कि ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य सभी प्राणियों के नेत्रों के प्रकाश का कारण है, फिर भी यदि किसी की आँख स्वराब है, तो उसका प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ता, इसी प्रकार शारीरिक कष्ट, या ससार के दुखों से प्राणियों की आत्मा अविच्छुद्ध, अप्रभावित रहती है, अत जो विविधता के बीच एकता का साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं को असीम शांति का अनुभव होता है।

आत्मा, मन और शरीर

अद्वैत-दर्शन के ग्रनुसार प्रत्येक मनुष्य के तीन अग होते हैं शरीर, मन और आत्मा। शरीर आत्मा का वाह्य आवरण है और मन अतस्थ आवरण है। यह आत्मा ही वास्तविक ज्ञाना ह, वास्तविक आनन्दभोक्ता है और शरीर की जीवनी-शक्ति है। यह आत्मा मन के द्वारा शरीर में कार्य करता है। शरीर में केवल आत्मा ही अभौतिक सत्ता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों के सबधों को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि विभिन्न वेदात पद्धतियाँ एक ही मनोविज्ञान का सहारा लेती हैं, वह है साख्यदर्शन का मनोविज्ञान। सामान्यत स्वीकृत साख्यमनो-विज्ञान के अनुसार इन तीनों के सबध जानने के लिए हम प्रत्यक्षीकरण (नेत्र द्वारा) का उदाहरण लेंगे। प्रत्यक्षीकरण में नेत्र का स्थान प्रथम है, जो दृष्टि का वाह्य साधन है। नेत्रों से दृष्टीद्रिय—दृष्टि सबधी ततु और उसके केन्द्र (Optic nerve and its centres)—जुड़ी रहती है। यह दृष्टि का आतंरिक साधन है और उसके बिना नेत्र होते हुए भी व्यक्ति देख नहीं सकता। प्रत्यक्षीकरण के लिए दृष्टीद्रिय का मन से सयुक्त होना आवश्यक है। दृष्टीद्रिय द्वारा जो सवेदनाएँ ग्रहण की जाती हैं, उन्हे मन से सबध स्थापित करने के उपरात, यदि व्यक्ति को उन सवेदनाओं के प्रति क्रियाशील होना है, तो उन्हे बुद्धि तक पहुँचना भी आवश्यक है। कारण यह है कि बुद्धि ही मन का निर्णयिक और प्रतिक्रिया करने वाला पक्ष है। जब बुद्धि सवेदनाओं के प्रति क्रियाशील होती है, उसी समय मन को वाह्य ससार का बोध होता है और अहकार उत्पन्न होता है। अहकार हो से 'इच्छा' जागृत होती है, पर इतने पर ही प्रत्यक्षीकरण की क्रिया समाप्त नह हो जाती है। जिस प्रकार कैमरे द्वारा चित्र खीचने के लिए एक स्थिर प्लेट या फिल्म की आवश्यकता पड़ती है, जो कि प्रकाश के क्रमिक प्रभावों को ग्रहण कर सके, उसी

† Viveka and : 'Jnana, Yoga' p 199

प्रकार मन के विभिन्न विचारों को एकत्र करने के लिए शरीर और मन की अपेक्षा एक स्थिर वस्तु चाहिए और वह वस्तु आत्मा अथवा पुरुष है।

साख्यदर्शन के अनुसार बुद्धि महत् से उत्पन्न हुआ उसका परिवर्तित एवं किंचित् व्यक्त रूप है। महत् गूँजपूर्ण विचारों में परिवर्तित होता है और परिवर्तित होकर तन्मात्राओं के रूप में परिणत हो जाता है और पदार्थ के सूक्ष्म कणों से बदल जाता है। इन्हीं सब के संयोग से विश्व की उत्पत्ति हुई है। साख्य ने महत् से भी परे एक अव्यक्त स्थिति की कल्पना की है, जहाँ मन की व्यक्तावस्था भी नहीं रहती, केवल कारण विद्यमान रहते हैं—इसे प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति से भी पूर्णतया परे पुरुष या साख्य के आत्मा की स्थिति है। यह पुरुष सर्वव्यापी है, निर्गुण है, यह भोक्ता नहीं, वरन् साक्षी-मात्र है। यह पुरुष स्फटिक की भाँति रगहीन है, जिसके सम्मुख यदि अन्य रग रख दिये जायें, तो वह रगीन प्रतीत होने लगता है, किन्तु वास्तव में रगीन होता नहीं है। वेदात्वादी साख्य द्वारा प्रतिपादित पुरुष और प्रकृति के इस रूप का खड़न करते हैं। उनका कहना है कि साख्य द्वारा प्रतिपादित प्रकृति और पुरुष के बीच एक चौड़ी खाँड़ी है, जिसको पाठना आवश्यक है। वेदात्वादियों का कहना है, कि जब पुरुष रगहीन है तो विभिन्न रग उसमें कैसे प्रतिभासित हो मिलते हैं? इसीलिए वेदाती पहले से ही आत्मा और प्रकृति को एकता को स्वीकार करते हैं।

सार्वभौम विज्ञान-धर्म

“स्वामी विवेकानन्द की रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दो शब्दों में दिया जा सकता है सतुलन और समन्वय”† उनके विचार “मे वेदात्वादर्शन विज्ञान के प्रति असहिष्णु नहीं है। जब विज्ञान का अध्यापक दृढ़तापूर्वक यह कहता है कि सभी वस्तुएँ एक ही शक्ति की अभिव्यक्ति है, तब क्या वह उस ईश्वर का स्मरण नहीं कराता, जिसके विषय में उपनिषद् हमें बताते हैं? जिस प्रकार एक ही अग्नि विश्व में प्रवेश करके अपने को नाना रूपों में व्यक्त करती है, उसी प्रकार एक ही ‘आत्मा’ सासार की विभिन्न आत्माओं में अपने को व्यजित करती है, यद्यपि वह इन आत्माओं से परे और असीम है। वेदात् और विज्ञान दोनों के सिद्धात् समान हैं। ‘तर्क का पहला सिद्धात् यह है कि ‘विशिष्ट’ (वस्तु) की व्याख्या ‘सामान्य’ (वस्तु) द्वारा होती है [जब तक कि हम सार्वभौम तक नहीं पहुँचते। ज्ञान की दूसरी व्याख्या यह है कि एक वस्तु की व्याख्या उसके भीतर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं।]” अद्वैत इन दोनों सिद्धातों को स्वीकार करता है। यही कारण है कि विवेकानन्द अद्वैत-धर्म को सार्वभौम विज्ञान-धर्म (Universal Science Religion) कहते हैं। उनके विचार में आवश्यकता इस बात की है कि सभी प्रकार के धर्मों में सहयोगी की

† Romain Rolland ‘The Life of Vivekananda’, p 326

भावना हो। उनका वर्म सार्वभौमवाद और आध्यात्मिक बधुत्व है। प्रत्येक मार्ग, चाहे वह धार्मिक हो या धर्म-निरपेक्ष, वह वेश्व सत्य के एक अश का प्रतिनिधित्व करता है और अपनी शक्ति द्वारा उस अश को एक विशिष्ट रूप प्रदान करता है। उनका कहना है कि मनुष्य कभी मिथ्या से सत्य को और नहीं अग्रसर होता, वरन् सत्य से सत्य की ओर अग्रसर होता है। अपूर्ण सत्य से पूर्ण सत्य की ओर बढ़ता है। उनका धार्मिक सकेत (*Religious watch-word*) है 'स्वीकृति' न कि 'सहनशीलता', अर्थात् हमें सब वर्मों को स्वीकार करना चाहिए, उनके प्रति केवल सहिष्णुता की भावना ही नहीं होनी चाहिए।

विश्व-बधुत्व की भावना से प्रेरित होकर उनका कहना है "मैं अतीत काल में प्रचलित सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ, उन सबके द्वारा पूजा करता हूँ, उनमें से प्रत्येक के द्वारा ईश्वर की पूजा करता हूँ" ईश्वरीय पुस्तक समाप्त हो गयी या अब भी निरतर दैवी प्रकाश देती चल रही है? यह अद्भुत पुस्तक है—संसार की ये आध्यात्मिक अभिव्यक्तियाँ। वेद, बाइबिल कुरान तथा अन्य सभी पवित्र ग्रथ उस पुस्तक के अमर्ख्य पृष्ठ हैं और अभी असर्व पृष्ठ खुलने को हैं—हम वर्तमान में स्थित हैं, किन्तु असीम भविष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम अतीत को स्वीकार करते हैं, वर्तमान के प्रकाश का आनंद लेते हैं और भवितव्यता के लिए अपने हृदय के बातायनों को खोलते हैं। हम अतीत के सभी प्राग्दर्शियों को प्रणाम करते हैं, वर्तमान के सभी महान् पुरुषों और भविष्य में होने वाले महान् पुरुषों को प्रणाम करते हैं।"*

विवेकानन्द के अद्वैत-धर्म में मानव-व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर है। वह उपनिषदों की प्राचीन उक्तियों में विश्वास करते थे, 'विश्व मे जो कुछ भी वर्तमान है, वह ईश्वर द्वारा आच्छादित है।' क्योंकि प्रत्येक सजीव प्राणी में परमात्मा है, अत प्रत्येक मनुष्य को अपने में निहित दिव्यता का विकास करना चाहिए। प्रत्येक आत्मा तात्त्विकतया दिव्य है। अत जीवन का उद्देश्य है अतर और वाश्च प्रकृति के पूर्ण नियत्रण द्वारा अतस्थ दिव्यता का बोध। यह कार्य किसी भी योग—कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग अथवा राजयोग द्वारा सभव हो सकता है। पर स्वयं स्वामीजी को 'सत्य तक पहुँचाने वाले इन चारों योग-मार्गों पर अधिकार प्राप्त था। उन्होंने इन चारों मार्गों पर एक साथ चलते हुए एकता की ओर यात्रा की, वह सभी मानव-शक्तियों की समस्वरता के मूर्तरूप थे।†

यह सत्य है कि दिव्यता का बोध या ब्रह्म का ज्ञान ही मानव-जीवन का चरम उद्देश्य है, किन्तु 'मनुष्य ब्रह्म मे लीन नहीं रह सकता है। यह लीनता तो सविशेष चारों के लिए होती है' किन्तु "इस दशा की प्राप्ति (इस लीनता की प्राप्ति) बड़ी कठिन है और

* Romain Rolland 'The Life of Vivekananda', p 3 9

† Ibid p. 326

यह बहुत देर तक व्हरती भी नहीं है। (यहाँ प्रश्न उठता है कि) लीनता के चाणों के अतिरिक्त शेष समय कैसे व्यतीत किया जाय? यहो कारण है कि इस दशा का बोध प्राप्त करने वाले ऋषियों ने ग्रपने आत्मा का दर्शन सभी प्राणियों में किया है और इस ज्ञान का अधिकार प्राप्त कर उन्होंने प्राणियों की सेवा में अपने को अर्पित कर दिया है। इस प्रकार वे इस शरीर द्वारा सपन्ह होने वाले शेष कर्मों का भोग करते हैं। इसी दशा को शास्त्रों ने 'जीवन्मुक्ति' (जीवन में ही मुक्ति) कहा है।[†] इसी कारण से विवेकानन्द ने विश्वाद तथा आध्यात्मिक बधुत्व की भावना पर बल दिया है। इनमें से बधुत्व की भावना का अर्थ 'प्रेम' और 'सेवा' से है। पाश्चात्य जगत् में 'सेवा करना', इसके अतर्गत आत्महीनता का भाव निहित रहता है, परन्तु स्वामी विवेकानन्द के दर्शन में सेवा करने या प्रेम करने का ग्रन्थ यह नहीं कि सेवा करने वाला व्यक्ति सेवित व्यक्ति से नीचा है, वरन् दोनों बराबर है। 'सेवा करने से मनुष्य गिरता नहीं है, बल्कि इसी में स्वामीजी ने जीवन की पूर्णता स्वीकार की है।'[‡] वेदात यह शिक्षा नहीं देता है कि तुम स्वयं को दूसरे के सामने भुकाओ। इसके विपरीत, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा का निवास है, अत सबसे पहले प्रत्येक को ग्रपने में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। जिसे स्वयं पर श्रद्धा एवं विश्वास नहीं है, वही स्वामीजी के विचार में नास्तिक है। स्वामीजी कहते हैं, 'यह श्रद्धा स्वार्थ पर आधारित श्रद्धा एवं विश्वास नहीं है। इसका अर्थ है सब प्राणियों में श्रद्धा व्योकि सभी प्राणी एक हैं।' इसी आध्यात्मिक सबध के आधार पर स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण आश्रम की शाखाओं की स्थापना भारत और विदेशों में की और ये शाखाएँ विश्व-बधुत्व का प्रचार बड़ी सफलता से कर रही हैं।

शिक्षा-दर्शन

स्वामी विवेकानन्द का जीवन-दर्शन उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण का द्योतक है। उनके शिक्षा-दर्शन में भी हमें इसी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। उन्होंने व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जगत्, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कृत्य, प्राच्य एवं पाश्चात्य जगत् तथा दर्शन एवं विज्ञान के बीच के व्यवधान को दूर करने का प्रयत्न किया, इन्हे परस्पर निकट लाने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठन-विधि आदि शिक्षा-चेत्र से सबधित प्रश्नों के विषय में भी स्पष्ट रूप से यह इग्नित करने की चेष्टा की है कि यह जगत् जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक नहीं है। चिंतन और क्रिया में विरोध नहीं है। दूसरे शब्दों में ज्ञान, कर्म और भक्ति परस्पर सबधित हैं।

भारतीय परपरा के अनुसार स्वामी विवेकानन्द भी आत्मानुभूति को जीवन का

[†] 'The Complete Works' Vol VII, p 105

[‡] Romain Rolland. 'The Life of Vivekananda', p 322

परम लक्ष्य मानते हैं। आत्मानुभूति को हम दूसरे शब्दो में 'मोक्ष-प्राप्ति' अथवा 'मुक्ति' भी कह सकते हैं। स्वामीजी ने 'कर्मयोग' में कहा है, "हमारे चतुर्दिश जितनी भी चीजे दृष्टिगोचर होती है वे सब मुक्ति के लिए सधर्ष कर रही हैं। अणु से लेकर मनुष्य तक, निर्जीव पदार्थ के एक करण से लेकर पृथ्वी की उच्चतम सत्ता—मानव-आत्मा तक, सब मुक्ति के लिए सधर्षरत हैं। वास्तव में समस्त सृष्टि इसी मुक्ति के लिए किये जाने वाले सधर्ष का परिणाम है। सभी वस्तुओं में ग्रनत विस्तार की प्रवृत्ति होती है। सृष्टि में हम जो कुछ भी देखते हैं, उन सबके मूल में इसी मुक्ति के लिए सधर्ष है। इसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर सत ईश्वर की प्रार्थना करता है, लुटेरा लूट-मार करता है। जब कार्य करने की पद्धति उचित नहीं होती है, तब हम उसे पाप कहते हैं और जब कार्य-पद्धति उचित और श्रेष्ठ होती है, तब हम उसे पृथ्य कहते हैं, कितु प्रवृत्ति एक ही होती है—मुक्ति के लिए सधर्ष। सत प्रपने बधन के कारणों को जानकर बधनों से मुक्त होना चाहता है, अत वह ईश्वर की पूजा करता है। चौर इस विचार से बाध्य होकर चोरी करता है कि उसके पास कुछ चीजे नहीं होती है, वह उनके अभाव से मुक्ति प्राप्त चाहता है और इसीलिए चोरी करता है। मुक्ति प्राप्त करना ही सबका उद्देश्य है, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन, और चेतन या अचेतन रूप में सभी वस्तुएँ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सधर्ष कर रही हैं। सत जिस प्रकार की मुक्ति प्राप्त करता है, वह चोर की मुक्ति से भिन्न प्रकार की है। सत द्वारा प्राप्त की गयी मुक्ति उसे असीम के सुख और अकथनीय आनंद की ओर ग्रासर करती है, कितु चोर की मुक्ति उसके आत्मा के बधनों को और दृढ़ करती है।" † प्रति शिक्षा का मूल्य कार्य है मनुष्य को सम्यक् प्रकार की मुक्ति का चुनाव करने के योग्य बनाना।

वेदात में अटल विश्वास रखते हुए स्वामी विवेकानन्द का कथन है, "भौतिकवाद कहता है कि मुक्ति की आवाज भ्रमपूर्ण है, आदर्शवाद कहता है कि आवाज जो बधन के विषय में बताती है, वह भ्रमपूर्ण है। वेदात कहता है, तुम मुवन हो और मुक्त नहीं भी हो। भौतिक जगत् में तुम कभी मुक्त नहीं हो, कितु आध्यात्मिक जगत् में सदैव मुक्त हो।" ‡ मुक्ति मनुष्य के अविकार में है, कितु वह इसके विषय में सदैव सचेत नहीं रहता है। बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति म यही अतर है कि बुद्धिमान मुक्ति के विषय में सचेत रहता है, जबकि मूर्ख इसे जानता भी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य को मुक्ति के मबद्द में सचेत करना और बताना कि उसे अपनी शक्तियों का उपयोग मुक्ति के लिए, परम मत्य के साचात्कार के लिए करना चाहिए। अत शिक्षा मुक्ति प्राप्त करने का सचेतन क्रम है।

† Vivekananda : 'Karma Yoga', p 127 129

‡ 'Teachings of Swami Vivekananda', p 221

व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य

मुक्ति के लिए सपर्ध करना, मनुष्य की वास्तविक प्रकृति और व्यक्ति तथा समाज के बीच के उचित सबध की ओर सकेत करना है। क्या व्यक्ति और समाज में परस्पर विरोध है? पूर्व और पश्चिम में इस प्रश्न के उत्तर में मतभेद है। पश्चिम में प्लेटो के ममय से ही इस प्रश्न पर विवाद रहा है कि व्यक्ति और समाज दोनों में से किसको प्रधानता दी जाय? व्यक्ति प्रधान है या समाज? वर्तमान काल में, वैयक्तिकता के महान समर्थक नन (Nunn) ने आत्म-साक्षात्कार के रूप में इन दोनों में सामजिस्य-स्थापन का प्रयत्न किया है। आरभ में वह जीव-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह प्रमाणित करते हैं कि प्रत्येक की अपनी वैयक्तिकता होती है, पर बाद में वह आदर्शवादी विचार धारा के सर्वथा अनुकूल इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति केवल समाज में ही रहकर आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। भारतीय अद्वैत दर्शन के अनुसार व्यक्ति और समाज में सामजिस्य स्थापन की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यदि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले तो उसके और समाज के बीच का विरोध स्वयमेव समाप्त हो जायगा।

पाश्चात्य जगत में व्यक्ति और समाज के बीच विरोध का मुख्य कारण है कि वहाँ लोग व्यक्तित्व का सबूत स्थूल शरीर से जोड़ते हैं। भारतीय आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार विवेकानन्द का कथन है कि यदि व्यक्तित्व शरीर में है, तो वह नष्ट हो जायगा। “एक शराबी को इसलिए शराब नहीं छोड़नी चाहिए कि उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जायगा। एक चोर को इसलिए एक अच्छा आदमी नहीं बनना चाहिए क्योंकि इस प्रकार वह अपना व्यक्तित्व खो देगा। किसी भी व्यक्ति को इस भय से अपनी आदतों को नहीं छोड़ना चाहिए वैयक्तिकता स्मृति में भी नहीं रहती। कल्पना कीजिए कि सिर पर एक आघात के कारण मेरी स्मृति लुप्त हो गयी, तब तो मेरी वैयक्तिकता चली गयी, मैं समाप्त हो गया। हमारे बचपन की, दो-तीन वर्ष की ग्रवस्था की बातें हमारी स्मृति में नहीं रह पातीं। यदि स्मृति और अस्तित्व एक हैं, तो जो कुछ हम भूल जाते हैं, वह समाप्त हो जाता है। अपने जीवन के उस भाग को जिसे हम स्मरण नहीं कर पाते, वह हमसे पृथक् हो जाता है (अर्थात् जीवन का उतना भाग हमने व्यतीत ही नहीं किया)। वैयक्तिकता का यह बड़ा ही सकौर्ण स्वरूप है। हम अभी तक व्यक्ति (Individuals) नहीं हैं, हम वैयक्तिकता के लिए सधर्ष कर रहे हैं और यह वैयक्तिकता है वही अनन्त (असीम आत्मा), यही मनुष्य की वास्तविक प्रकृति है। आत्मा ही इकाई है क्योंकि वही अनन्त है, अविभाज्य है, उसके विभाग नहीं हो सकते। यह अविभाज्य इकाई शाश्वत है और यही इकाई, व्यक्ति (Individual) है, वास्तविक मनुष्य है। प्रत्यक्ष मनुष्य केवल उस वैयक्तिकता को, जो कि परे है, अभिव्यक्त करने का सधर्ष-मात्र है, विकास आत्मा में नहीं होता है।”†

† Vivekananda ‘Jnana, Yoga’, p 38-39

जर्मन दार्शनिक हीगल ने इस सिद्धात को अमात्मक अथवा गलत रूप में उपस्थित किया है। उसने कहा है, 'जब तक मनुष्य पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं कर लेता और पूर्ण प्राणी नहीं बन जाता, तब तक अभिव्यक्ति उच्च से उच्चतर होगी।' पूर्णता का अर्थ है असीमता और अभिव्यक्ति का अर्थ है सीमाबद्धता। हीगल के सिद्धात से हम एक स्वत विरोधी परिणाम पर पहुँच जाते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि हम असीम-सीमित (Unlimited limited) हो जायेगे। सासार के सभी धर्म स्वीकार करते हैं कि मनुष्य अपने स्थान से अष्ट होकर पशु की दशा में आया और अब वह इस बधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा है। किंतु हम कभी भी यहाँ असीम को अभिव्यक्ति करने में समर्थ नहीं होगे। कारण, इदियो से बँधकर यहाँ हमारे लिए पूर्णता प्राप्त करना पूर्णतया असभव है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें इस क्रम को उलट देना होगा, अर्थात् हमें अपनी पशु-प्रवस्था से असीमता की ओर बढ़ना होगा। हम अतत पूर्णता प्राप्त करेगे, किंतु इसके लिए हमें अपनी अपूर्णता का त्याग करना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है—त्याग। त्याग का अर्थ है पृथक् सत्ता का तिरोभाव और वास्तविक वैयक्तिकता का अनुभव।

स्वार्थ-त्याग, अथवा दूसरों की भलाई करना सभी नैतिक पद्धतियों का केन्द्रीय विचार है। जब मनुष्य पूर्णतया स्वार्थत्यागी हो जाता है, तब वह असीम हो जाता है, जो कि वास्तविक मनुष्य (Real Man) का स्वरूप है। अत हमारी वास्तविक वैयक्तिकता 'सार्वभौमिकता में है, सीमाबद्धता में नहीं।' इस दृष्टिकोण से देखने पर व्यक्ति और समाज के बीच कोई विरोध नहीं है। मनुष्य की वास्तविक वैयक्तिकता अथवा व्यक्तित्व के विकास द्वारा, शिक्षा के व्यक्तिगत एव सामाजिक, दोनों उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है।

व्यक्तित्व-विकास के साधन

इस सासार में मनुष्य अपने व्यक्तित्व (Personality) का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। विवेकानन्द व्यक्तित्व को शरीर और विचार से भी ऊपर बढ़ाते हुए कहते हैं कि मनुष्य मे, निजी आकर्षण होता है जो दूसरों को प्रभावित करता है, केवल उसके शब्दों द्वारा प्रभावोत्पादन नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि 'प्रभावोत्पादन मे विचारों का महत्व एक-तिहाई होता है और व्यक्तित्व का दो-तिहाई।'[‡] इस व्यक्तित्व-विकास इतिहास मे प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि नेताओं के विचारों और शब्दों ने लोगों को इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि उनके व्यक्तित्व ने। वास्तविकता तो यह है कि नये, मौलिक और सत्यतापूर्ण विचार तो इन व्यक्तियों द्वारा इस सासार को इनेगिने

[‡] Vivekananda : 'Powers of the Mind', pp 8

ही दिये गये हैं। अत सभी प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण का व्येय होना चाहिए—मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व प्राप्त करने पर व्यक्ति जो चाहता है, वह कार्य कर सकता है। मनुष्य का व्यक्तित्व ही दूसरे व्यक्तियों को क्रियाशील बना सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल में उन नियमों के अन्वेषण का प्रयास किया गया था, जिनके द्वारा मानव-व्यक्तित्व का विकास होता है। ‘योग-विज्ञान’ का यह दावा है कि इन नियमों और प्रणालियों पर उचित ध्यान देने से प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उन्नत और शक्तिशाली बना सकता है। यह व्यावहारिक सिद्धांत मारी शिक्षा का रहस्य है। यह योग-सिद्धांत सार्वभौम रूप से व्यवहार्य है। गृहस्थ, सैनिक, धनी, गरीब, व्यवसायी, अच्छात्मवादी या दार्शनिक सब समान रूप से इससे लाभान्वित हो सकते हैं और अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं।

जिस प्रकार विभिन्न विज्ञानों की अपनी पद्धति है, उसी प्रकार धर्म की भी आपनी पद्धति है। धर्म के परम उद्देश्य ‘मुक्ति’ को प्राप्त करने की पद्धति को भारतीय दर्शन में ‘योग’ कहते हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति भी उसी स्फूर्त धारु से हुई है, जिससे अग्रेजी शब्द ‘योक’ (Yoke) बना है और जिसका मर्थ है ‘सयुक्त होना’, अपनी वास्तविकता अर्थात् ईश्वर से सयुक्त होना। इस प्रकार एकीकरण अथवा योग की कई पद्धतियाँ हैं, जो मनुष्य के विभिन्न स्वभावों और मनोवृत्तियों के अनुकूल हैं। इनमें से मुख्य-मुख्य योगों का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है—

१ कर्मयोग—कार्य एवं कर्तव्य-पालन के द्वारा मनुष्य को अपनी दिव्यता की अनुभूति।

२ भक्तियोग—संगुण ईश्वर की भक्ति और प्रेम के द्वारा दिव्यता की अनुभूति।

३ ज्ञानयोग—ज्ञान के द्वारा मनुष्य को स्वयं अपनी दिव्यता की अनुभूति।

४ राजयोग—मन के नियत्रण द्वारा मनुष्य को अपनी दिव्यता की प्रनुभूति।

ये विभिन्न योग एक ही केन्द्र, ईश्वर की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। †

योग के ये विभिन्न मार्ग एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इनमें से किसी का भी कठिन अभ्यास करने से मनुष्य निश्चय रूप से जीवन के अतिम लक्ष्य तक पहुँच सकता है। अभ्यास ही इनकी सफलता का रहस्य है। प्रत्येक योग में आत्म-साक्षात्कार के तीन स्तर हैं जिन्हे साधक को पार करना पड़ता है—श्रवण, मनन और निदिव्यासन। पहले श्रवण करना होता है, तब मनन और अत में अभ्यास। यदि श्रवण के उपरात कोई तथ्य कठिन होने के कारण समझ में नहीं आता है, तो निरतर श्रवण और मनन करने से वह समझ में आ जाता है। सार रूप में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सिखाया-पढ़ाया नहीं जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वयं अपना शिक्षक है। बाहरी

† ‘The Complete Works’, Vol V, pp. 20, 22

शिक्षक आतंरिक शिक्षक को कार्य करने प्रौर वस्तुओं को समझने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, सकेत अथवा मुझाव दे सकता है। अपनी ही ग्रहणशीलता और विचारणा द्वारा व्यक्ति को सभी चीजे स्पष्ट हो जाती है। स्वयं व्यक्ति को अपनी आत्मा द्वारा ही ज्ञान का अनुभव करना होता है और यही अनुभूति तीव्र इच्छा-शक्ति के रूप में विकसित हो जाती है। “सर्वप्रथम अनुभूति होती है, पुन वह इच्छा में परिवर्तित होती है और इसी इच्छा-शक्ति से कार्य करने की ग्रसीम शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति प्रत्येक शिरा, धमनी और मास-पेशियों में होती हुई तुम्हारे संपूर्ण शरीर को स्वार्थरहित कर्म-योग के साधन के रूप में परिवर्तित कर देती है और क्रमशः पूर्ण आत्मत्याग और पूर्ण स्वार्थत्याग के इच्छित फल प्राप्त होते हैं। यह उपलब्धि किसी रुद्धि, विश्वास, सिद्धांत या आस्था पर आधारित नहीं है।”[†] इसके लिये व्यक्ति को स्वयं प्रयत्नशील होना है।

भारतीय योग-विज्ञान मनुष्य को पूर्ण बनने या जीवनमुक्त होने में सहायता प्रदान करता है। ‘जीवन-मुक्ति’ की व्याख्या हम स्वामी विवेकानन्द के जीवन-दर्शन के सबध में कर नुके हैं। जीवन-मुक्ति के आदर्श में विश्ववधुत्व की भावना एव लक्ष्य निहित है। पर इस विश्ववधुत्व का आधार आध्यात्मिक है। सभी प्राणियों के अतर में ईश्वर का निवास है। अत सभी पाणी ‘एक हैं, आध्यात्मिक सूत्र द्वारा परस्पर गुणे हुए हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अन्य सभी प्राणियों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अन्य प्राणियों में श्रद्धा तभी उत्पन्न हो सकती है, जब व्यक्ति अपने में श्रद्धा रखता हो। अत स्वयं पर श्रद्धा और विश्वास व्यक्तित्व-विकास के साधन का एक आवश्यक अग है।

शिक्षा का लक्ष्य : मनुष्य-निर्माण

जीवन के महान लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति के लिए, उपर्युक्त विचारशुल्का के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक को अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। प्रश्न उठता है कि व्यक्तित्व से वया तात्पर्य है? वेदांत-दर्शन के अनुसार मनुष्य परमात्म-शक्ति का ही अश्र है, उसकी प्रकृति आध्यात्मिक है, अत शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ‘मनुष्य का निर्माण’ अर्थात् मनुष्य के स्वाभाविक गुणों का विकास। ‘मनुष्य’ बनने के लिए उसकी अर्तनिहित शक्तियों का सर्वतोन्मुखी विकास होना चाहिए। स्वामीजी ने अपने समय की शिक्षा-प्रणाली में इस महान लक्ष्य के अभाव को लक्ष्य किया और इसलिए उन्होंने ऐसी शिक्षा पर जोर दिया जो मनुष्यत्व के विकास में योग प्रदान करे।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की त्रटियों को बताते हुए स्वामीजी ने उसे नकारा-
त्मक कहा है। उनका कथन है कि आज की शिक्षा मनुष्य का सक्रिय विकास नहीं करती। वह विदेशी है तथा केवल कल्कि पैदा करने वाली है। उसका उद्देश्य बड़ा ही सकुचित है, वह केवल बालक को सूचनाएँ प्रदान करने का साधन है। स्वामीजी का

† Vivekananda ‘Karma Yoga,’ pp. 103, 104

विचार है कि शिक्षा अधिकाविक सूचना प्राप्त करने का साधनमात्र नहीं है। शिक्षा द्वारा प्राप्त बहुत सी सूचनाएँ मनुष्य आजीवन आत्मसात नहीं कर पाता है और वे उसके मस्तिष्क में। उपद्रव मचाया करती है। यदि एक व्यक्ति केवल पाँच सद्विचारों को भी आत्मसात कर ले और उनके अनुसार अपने चरित्र का निर्माण कर ले तो वह उस व्यक्ति से अधिक शिक्षित है जिसे सारा पुस्तकालय कठस्थ है। यदि 'शिक्षा' का अर्थ केवल 'सूचना' है, तो यह कहा जा सकता है कि 'पुस्तकालय सबसे बड़े सत और विश्वकोश सबसे महान् ऋषि' है, क्योंकि उनमें जानकारी की असल्य बाते भरी पड़ी है।

स्वामीजी के अनुसार प्रचलित शिक्षा-पद्धति व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना नहीं जाग्रत करती है और न व्यक्ति को विचारों की मौलिकता के लिए प्रेरणा और अवसर ही प्रदान करती है। वह व्यक्ति को अपने हाथ-पैरों का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित नहीं करती। अत जो शिक्षा मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार नहीं करती, उसके चरित्र का निर्माण नहीं करती, सिह के समान शक्ति-शाली नहीं बनाती तथा विश्वबधुत्व की भावना उत्पन्न नहीं करती, उस शिक्षा को सार्थक नहीं कहा जा सकता। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर स्वामीजी ऐसी शिक्षा पर बल देते हैं जिससे चरित्र का उत्थान हो, मानसिक बल की वृद्धि हो, बुद्धि का विकास हो और जिसके द्वारा मनुष्य स्वावलम्बी बन सके। सभी प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण का चरमलक्ष्य 'मनुष्य का निर्माण' होना चाहिए। शिक्षा, वास्तव में, उसी को कहा जा सकता है जिसके द्वारा इच्छाशक्ति और उसकी अभिव्यक्ति को नियन्त्रित करके फलप्रद बनाया जा सके। "आज हमारे देश के लोगों को फौलादी मासपेशियों, लौह धमनियों तथा दुर्जय इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, जो विश्व के रहस्यों का भेदन कर सके और लक्ष्य की पूर्ति कर सके, भले ही इसके लिए सागर की अतल गहराई में प्रवेश करके मृत्यु का सामना ही क्यों न करना पड़े।"† "इसी प्रकार मनुष्य का निर्माण करने वाले धर्म की हमें आवश्यकता है, इसी प्रकार मनुष्य का निर्माण करने वाले सिद्धातों की हमें आवश्यकता है, इसी प्रकार, मनुष्य का निर्माण करने वाली सर्वतोन्मुखी शिक्षा की हमें आवश्यकता है।"‡

शिक्षा से तात्पर्य

स्वामी विवेकाननद के विचार में 'शिक्षा, मनुष्य में अर्तनिहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।'★ यह पूर्णता कही बाहर से नहीं आती, वरन् मनुष्य के भीतर ही छिपी रहती है। वेदात के आत्मा सबवीं सिद्धात में दृढ़ विश्वास होने के कारण, स्वामीजी का कथन है कि सब प्रकार का ज्ञान, चाहे वह धर्म-निरपेक्ष हो अथवा धर्म-प्रधान, मनुष्य की आत्मा

† 'The Complete Works', Vol III p 18

‡ Ibid p. 224

* Ibid p. 304

मेरे निहित है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धात अपने प्रतिपादन के लिए न्यूटन की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वह तो उसके मस्तिष्क मेरे पहले से ही विद्यमान था। समय आने पर न्यूटन ने केवल उसका अन्वेषण-मात्र किया। अत मनोवेज्ञानिक शब्दावली मेरे कहा जा सकता है कि 'सीखना, वास्तव मेरे खोज निकालना है'। सपूर्ण ज्ञान और शक्ति का ग्रधि-ष्ठान मानव-आत्मा है, किन्तु उस पर अज्ञान का आवरण पड़ा रहता है। यह आवरण जब धीरे-धीरे हटता जाता है तब हम कहते हैं कि 'हम सीख रहे हैं'। ज्यो-ज्यो यह आवरण उठता जाता है, त्यो-त्यो हम ज्ञान की ओर अग्रसर होते जाते हैं। जिस मनुष्य के ज्ञान पर पड़ा हुआ यह अज्ञान-आवरण जितना ही अधिक हट जाता है, वह उतना हो अधिक ज्ञानी कहलाता है। जिस व्यक्ति के ज्ञान पर यह अज्ञान-आवरण जितना ही भोटा होता है, वह उतना ही अज्ञानी होता है। जिसके ज्ञान पर पड़ा हुआ यह पर्दा पूर्णतया हट जाता है, वह पूर्ण ज्ञाना या त्रिकालदर्शी हो जाता है। जिस प्रकार चक्रमक पथर मेरग्नि वर्तमान रहती है और रगड़ने से वह प्रकट हो जाती है उसी प्रकार मनुष्य के मन मेरे ज्ञान निहित होता है और सकेत रूपी रगड़ पाकर वह अभिव्यक्त होता है। पेड़ से सेव को गिरते हुए देखकर न्यूटन को यह सकेत मिला कि पृथ्वी मेरे आकर्षणशक्ति है। पेड़ से सेव का गिरना एक सकेत था, जिसने न्यूटन के मस्तिष्क मेरे पहले से स्थित सपूर्ण विचार-स्थूलताओं को पुनर्जाग्रित किया और अत मेरे उसने एक नवीन विचार-सरणि का अन्वेषण किया, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धात कहा जाता है। सब प्रकार के ज्ञान का स्रोत मानव-आत्मा है। शिक्षा मानव-आत्मा मेरे अतर्निहित इसी ज्ञान का अन्वेषण और प्रकाशन करती है। शिक्षा की इस वेदातिक परिभाषा की तुलना हम किसी सीमा तक पेस्टालाजी द्वारा की गयी शिक्षा की परिभाषा से कर सकते हैं, जिसके अनुसार शिक्षा 'मनुष्य मेरे अत-निहित शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतशील एवं विरोध-हीन विकास है'।

स्वामी विवेकानन्द के शिक्षण-पद्धति-सबधी विचार वेदात-सिद्धात पर आधारित है और तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर फूबेल के विचारों से भी मिलते-जुलते हैं। विवेकानन्द और फूबेल, दोनों बालक की उपमा एक पौधे से देते हैं। जिस प्रकार बरगद के बीज मेरे विकास करके एक बड़ा वृक्ष बनने की शक्ति विद्यमान रहती है, उसी प्रकार बालक के जीवनाधार-तत्त्व मेरे अग्राध बुद्धि निवास करती है। पौधे के प्राकृतिक विकास की भाँति ही बालक का भी अपनी प्रकृति के अनुरूप विकास होता है। जिस प्रकार हम पौधे को केवल पोषक तत्व देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और वह उनको ग्रहण करके भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही बढ़ता है, उसी प्रकार बालक को शिक्षा देते समय हमें केवल उसके मार्ग की बाधाओं को दूर करना चाहिए तथा उसके सभी विकास का चेत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि अवसर-प्राप्ति के अभाव मेरे उसमे अतर्निहित विपूल शक्तियाँ न झो जायें। यहाँ यह सिद्धात, जैसा ऊपर भी कहा जा चुका है, स्पष्ट हो जाना चाहिये कि बालक स्वयं अपना शिक्षक है। बालक अपने आप शिक्षित होता है। शिक्षक का कार्य तो केवल

उसके भीतर निहित ज्ञान को जाग्रत करना और उसका मार्ग-प्रदर्शन करना है, ताकि वह अपनी बुद्धि द्वारा अपने हाथ, पैर, कान और आँख आदि इंद्रियों का समुचित उपयोग कर सके। शिक्षक को चाहिए कि बालक की प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करे। इसका मुख्य कारण यह है कि बालक में पूर्वजन्म के सस्कार अवशेष रहते हैं, जो उसकी प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह इन सस्कारों का निरीक्षण करे और बालक की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का ध्यान रखे। उसे बालक की विशेष स्विच्छा या भुकावों को प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि कोई बालक बहुत ही अयोग्य है, तो भी उसे हताश नहीं करना चाहिए। बालकों के मस्तिष्क पर सक्रिय या रचनात्मक विचारा (Positive ideas) का प्रभाव डालना चाहिए। नकारात्मक विचार (Negative ideas) जैसे बालकों से यह कहना कि तुम मूर्ख हो या तुम कभी कुछ सीख नहीं सकते, उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना देते हैं। कभी-कभी तो इन नकारात्मक बातों का इतना गम्भीर प्रभाव बालक पर पड़ता है कि वह वैसा ही बनते भी लगता है। बालकों से कोमल और उत्साहवर्धक शब्दों में बात करनी चाहिए। यदि उन्हें राकिय या रचनात्मक विचार दिये जायें तो वे पूर्ण मनुष्य बनेंगे और स्वावलम्बी होंगे। भाषा, साहित्य, कलिता और कला ग्राफि सभी विषयों में हमें उनके कार्यों और विचारों की वृद्धियों को और सकेत नहीं करना चाहिए, वरन् यह बताना चाहिए कि वे किस प्रकार इन कार्यों को और भी अच्छी तरह कर सकते हैं।

पाठ्य-विषय

हमने प्रारभ में ही देखा कि स्वामी विवेकानन्द का दृष्टिकोण समन्वयकारी है। दार्शनिक होने का अर्थ उनके अनुसार यह नहीं है कि जीवन के चरम लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर विचार ही न किया जाय। "जीवन" के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति भी इसी ससार में निवास करते हुए और इसी शरीर के द्वारा की जा सकती है, अत स्वामी विवेकानन्द ने पाठ्य-किष्य के अतर्गत उन सभी विषयों के ज्ञान को अनिवार्य बताया है जो इस ससार से सबधित है। भारतीय विषयों के अध्ययन के साथ ही, उन्होंने अग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन का भी समर्थन किया है। उनका कथन है कि हमें प्राविधिक शिक्षा (Technical Education) तथा उन सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे उद्योगों की उन्नति हो, हम नौकरियों पर अवलम्बित न रह कर उद्यम करके स्वतंत्रता से धनोपार्जन कर सके और अपने दुर्दिन के लिए पर्याप्त धन-संग्रह कर सके। अध्ययन के विषय में स्वामीजी के विचार बहुत ही सचिप्त किंतु बड़े महत्त्वपूर्ण और व्यावहारिक हैं। वह अपने देश के ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन के साथ ही भरतराष्ट्रीय प्रगति के साथ गतिशील रहने के लिए अग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान को प्रमुखता देते हैं। इसका कारण यह है कि आज के

युग में विज्ञान की उन्नति के बिना देश की उन्नति ग्रसम्भव है। उन्होंने प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षण के महत्व को समझ लिया था क्योंकि राष्ट्र की समृद्धि उद्योगों पर ही अवलम्बित है। अत कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक पूर्णना के साथ ही लौकिक समृद्धि को भी वह अनिवार्य मानते थे तथा अध्ययन के प्रतर्गत इन सभी विषयों का समावेश चाहते थे।

शिक्षण-विधि

चित्त की एकाग्रता—रवामीजी का विचार है कि मन की एकाग्रता ही वह विधि है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मन की एकाग्रता ही शिक्षा का सारतत्त्व है। जीवन के किसी भी दोनों में सफराता प्राप्त करने का यही मर्वोत्तम साधन है। साधारण मनुष्य से दोकर महान् योगी तक, मनी ग्रन्थे इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसी विधि, चित्त की एकाग्रता का प्रयोग करते हैं। विचारों की एकाग्रता के प्रभाव में या चित्त की अस्थिरता के कारण ही मनुष्य भयकर भूले करता है। जो मनुष्य प्रशिक्षित होता है या जिसका मन एकाग्र होता है वह कभी भूल नहीं करता। मनुष्य के चित्त की एकाग्रता के अनुपात में भिन्नता के कारण ही मनुष्यों में अतर होता है। महान् और साधारण व्यक्ति में यही अतर होता है कि महान् व्यक्ति का चित्त एकाग्र और साधारण व्यक्ति का मन एकाग्र या चब्बल होता है। एकाग्रता ही वह तथ्य है जिसके कारण मनुष्य और पशु म भेद भाना जाता है। पशुओं का प्रशिक्षण करने वाले यह बताते हैं कि पशुओं को प्रशिक्षित करना कितना कठिन कार्य है। उन्हे जो भी सिखाया जाता है उसे वे शीघ्र ही भूल जाते हैं। चित्त की एकाग्रता को हम ज्ञान-भडार की कुजी कह सकते हैं जिसे उपलब्ध करने से मनुष्य ज्ञान-रत्न के भडार का स्वामी बन सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि चित्त की एकाग्रता प्राप्त कैसे की जाय? हम यह जानते हैं कि किसी एक वस्तु पर चित्त को एकाग्र करना कितना कठिन है क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर अपने मन को एकाग्र करते हैं तो उम बीच हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार उठकर एकाग्रता में बाधा ढालने लगते हैं। इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने तथा चित्त को एकाग्र करने की शिक्षा हमें 'राजयोग' से प्राप्त होती है। अभ्यास तथा उपासना द्वारा मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है।

विवेकानन्द का विश्वास है कि तथ्यों का सकलन शिक्षा का सारतत्त्व नहीं है, वरन् मन की एकाग्रता ही शिक्षा का मुख्य तत्व है। उनका कहना है, "यदि मुझे फिर अध्ययन करना पड़े तो मैं तथ्यों का अध्ययन विलक्ष्ण न करूँ। मैं चित्त को एकाग्र करने तथा मन को समाधिस्थ करने की शक्ति को विकसित करूँ और फिर मन को वश मे

† 'The Complete Works', Vol. III p. 18

‡ 'The Complete Works', Vol. III p. 224

करके उस पूर्ण मानसिक यत्र के सहारे अपनी इच्छाशक्ति के अनुमार तथ्यों का मकलन करें ।”†

ब्रह्मचर्य और श्रद्धा—एकाग्रता की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है । बारह वर्षों तक अखड़ ब्रह्मचर्य धारण करके ही चित्त को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है । महान बौद्धिक तथा आत्मिक शक्ति प्राप्त करने का यही एक-मात्र साधन है । ‘प्रत्येक दशा में सदैव मन, वचन और कर्म की पवित्रता ही ब्रह्मचर्य है ।’ अपवित्र चित्तन उतना ही बुरा है जितना अपवित्र कर्म । विवेकानन्द के विचार में देश की वर्तमान अस्तोषजनक दशा का कारण है—सत्यम का अभाव । अत तात्कालिक आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक छात्र को पूर्ण ब्रह्मचर्य के अभ्यास की शिक्षा दी जाय । ब्रह्मचर्य के बिना मनुष्य को स्वयं अपने में श्रद्धा या विश्वास उत्पन्न नहीं होता । एकाग्रता की ही भाँति श्रद्धा के कम या अधिक अनुपात में होने के कारण भी मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है । श्रद्धा या अपने प्रति विश्वास के अभाव में जब एक व्यक्ति स्वयं को शक्तिहीन समझते लगता है तो वह वस्तुत नि शक्त हो जाता है । विवेकानन्द का कथन है, “तुम्हारे भीतर स्वयं के प्रति श्रद्धा या विश्वास का होना आवश्यक है । तुम पाश्चात्य जातियों में भौतिक शक्ति की जो समृद्धि देखते हों वह उनको श्रद्धा का ही परिणाम है । वे अपनी मासपेशियों (स्थूल-शक्ति) में विश्वास रखती हैं । पर यदि (स्थूल-शक्ति की अपेक्षा) तुम आत्मा में विश्वास करो तो कितानी अधिक कार्य कर सकोगे ।”‡

अत बालक को जन्म से ही श्रद्धा या आत्मविश्वास की शिक्षा दी जानी चाहिए । श्रद्धा या आत्मविश्वास एक महान जीवन-रक्षक, श्रेष्ठ और उच्च सिद्धात है । बालकों में आत्मविश्वास का होना अत्यत आवश्यक है “क्योंकि वे परमपिता परमात्मा के बालक हैं, विद्य ज्योति के स्फुलिंग है, वे सब कार्य करने में समर्थ हैं ।” हमारे पूर्वजों के हृदय में यही आत्मविश्वास था जिसके कारण उन्होंने हमारी प्राचीन संस्कृति को जन्म दिया ।

गुरुकुलवास—पहले कहा जा चुका है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अथवा उसका निजी आकर्षण होता है, जो दूसरे को प्रभावित करता है । इस सिद्धात के अनुसार स्वामी विवेकानन्द शिक्षण-नियम में गुरु-शिष्य के परस्पर सबध पर अधिक बल देते हैं । इसी कारण वह भारत की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली से पूर्णतया सहमत है । उनके अनुसार प्राचीनकाल में गुरु और शिष्य, गुरुकुल में साथ साथ रहते थे जिससे उनमें व्यक्तिगत संपर्क और सबध स्थापित रहता था । उस समय विद्या का व्यवसाय नहीं होता था ।

† ‘The Complete Works’, Vol VI, p 30

‡ ‘The Complete Works’, Vol III p 376

गुरुकुलों में आजकल की भाँति विद्या बेची नहीं जाती थी। आजकल की शिक्षा-पद्धति में गुरु और शिष्य का सम्बंध उतना घनिष्ठ नहीं रह गया है, अत अब अध्यापकों का प्रभाव भी बालकों पर बहुत कम पड़ता है।

विद्यार्थी और शिक्षक के आवश्यक गुण—भारतीय आदर्शवादी परपरा के अनुसार यदि शिक्षणक्रिया को सफल होना है तो विद्यार्थी और शिक्षक में कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता है। विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह पवित्र हो, उसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा हो तथा वह निरतर प्रयत्नशोल रहे। उसे मन, वचन और कर्म से पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए। ज्ञानगिषामा के सम्बन्ध में तो यह पुराना नियम है कि हम जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वही प्राप्त होती है, अत यदि हमें ज्ञान-प्राप्ति की पिपासा होगी तो वह अवश्य प्राप्त होगा। हम केवल उसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जिस पर दत्तचित्त हो कर अपना ध्यान केन्द्रित करे, किन्तु इसके लिए निरतर सधर्ष करके अपनी निम्न मनोवृत्तियों को दबाने की उम समय तक आवश्यकता पड़ती है जब-तक कि हम अपनी उच्चतम आकांक्षा की प्राप्ति न कर ले। जो विद्यार्थी इस ध्रुव धारणा और निश्चय के साथ अपना कार्य आरभ करता है उसे अत में सकृदार्थ अवश्य मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी गुरु में श्रद्धा रखे। गुरु में श्रद्धा या भवित के बिना, गुरु के सम्मुख शीश भुकाये बिना तथा गुरु का सम्मान किये बिना शिष्य कभी उन्नति नहीं कर राकता। विवेकानन्द का कथन है कि यद्यपि विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने गुरु की पूजा ईश्वर की भाँति करे तथापि उसे अधिविश्वासी की भाँति गुरु की सभी बातों को स्वीकार भी नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के प्रति इतने अधिक विश्वास से विद्यार्थी में मानसिक हीनता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, उसमें मूर्तिपूजा जैसी भावना आ जाती है। अत उसे विवेक से काम लेना चाहिए।

शिक्षक के गुणों का उल्लेख करते हुए स्वामीजी ने कहा है कि शिक्षक को पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए। “उसे धर्मग्रथों का सारतत्त्व जानना चाहिए। सारे दसार के लोग बाइबिल, कुरान और वेद पढ़ते हैं, परन्तु वे तो केवल शब्द, वाक्य-रचना, शब्द-व्युत्पत्ति और भाषा विज्ञान हैं, धर्म की शुष्क अस्थिर्याँ हैं। जो शिक्षक केवल शब्दों से उलझा रह जाता है, उन्हीं पर जोर देता है वह आत्मा से परिचित नहीं हो पाता। एक सच्चे अध्यापक को ग्रथों की मूल आत्मा का ज्ञान होना चाहिए।”† जो अध्यापक कोरे शब्दों से शिक्षार्थी को सतुष्ट करना चाहता है, जो धर्म का ज्ञान तो रखता है, किन्तु धर्म के सत्य को अपने जीवन में नहीं उतारता, वह धर्म के रहस्य को या धर्म के तत्त्व को नहीं पहचानता।

आदर्श शिक्षक का दूसरा गुण है निष्पाप होना। स्वयं सत्य का ज्ञान प्राप्त करने

† ‘The Complete Works’ Vol III p 48

और दूसरों को उसकी शिक्षा देने के लिए यह अनिवार्य है कि वह हृदय और आत्मा से पवित्र हो। जब शिक्षक स्वयं परम पवित्र होता है तभी उसके शब्दों का कुछ मूल्य होता है। शिक्षक का कार्य बालक की ज्ञानात्मक और मानसिक शिक्षितयों को उत्तेजित करना मात्र नहीं है, वरन् बालक को 'कुछ हस्तातरित करना' भी है और यह है अपने व्यक्तित्व का प्रभाव। यहीं बालक को उसकी देन है, अत शिक्षक को अनिवार्य रूप से पवित्र होना चाहिए।

शिक्षक के तीसरे गुण का सबधु उसकी आत्मिक प्रेरणा 'भावना' से है। शिक्षक को किसी स्वार्थवश, रूपये-पैसे के लिए या प्रसिद्धि के लिए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसे प्रेम, मानव-प्रेम की भावना से प्रेरित होना चाहिए। केवल प्रेम के माध्यम से ही बालक में आत्मशक्ति पहुँचायी जा सकती है। स्वार्थसाधन, अर्थ या ख्याति की भावना से यह माध्यम नष्ट हो जाता है।

शिक्षक को अपने विद्यार्थी के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए तथा उसकी प्रवृत्तियों तथा धारणाओं का अध्ययन पूर्णरूप से करना चाहिए। उसे विद्यार्थी की सद्प्रवृत्तियों को सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी भी मूल्य पर किसी प्रकार भी नष्ट न होने देना चाहिए। 'सच्चा शिक्षक वही है जो क्षणभर में अपने को हृजामृद्दीयवित्तियों में परिणित कर सके' अर्थात् हजारों बालकों के स्थान पर अपने को रख कर उनकी समस्याओं और सक्षाकारों को 'देख और समझ सके' और अपनी आत्मा का सचार अपने शिष्य की आत्मा में कर सके। केवल ऐसा ही शिक्षक वास्तव में शिक्षा दे सकता है, दूसरा नहीं।

चरित्रसंबंधी शिक्षा

स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा में चरित्र-निर्माण के उद्देश्य को विशेष महावृपूर्ण माना है। मनुष्य के इस चरित्रनिर्माण में उसके विचारों का प्रमुख स्थान होता है। जिस मनुष्य का विचार जैसा होता है उसी के अनुरूप उसका चरित्र भी बनता है। उनके विचार में मनुष्य का चरित्र प्रवृत्तियों का समन्वित या पुजीभूत रूप होता है। मनुष्य का मानसिक भुक्ताव जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का उसका चरित्र भी होता है। सुख और दुःख मनुष्य की आत्मा पर विभिन्न प्रकार के चिन्त्र अकित कर जाते हैं और इन चिन्तों का जो समन्वित प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है उसी से उसके चरित्र का निर्माण होता है। 'हम और कुछ नहीं हैं, वरन् अपने विचारों द्वारा निर्मित या उनके प्रतिविव हैं। विचार हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं, वे दूर दूर तक सचरण करते हैं, वे हमसे क्या नहीं करा सकते?' अत हम सबको अपने विचारों का बहुत व्यान रखना चाहिए।

स्वामीजी का कथन है कि हमारे चरित्र के निर्माण में भलाई और बुराई, दोनों का समान योग है। कुछ दशाओं में तो विपर्तियों सुख की अपेक्षा अधिक महान् शिक्षक का

कार्य करती है। ससार के महापुरुषों के चरित्र पर विचार करने से शात होता है कि ग्रनेक दशाओं में सुख को अपेक्षा आपदाओं ने, वैभव की अपेक्षा दरिद्रता ने और प्रशसा की अपेक्षा आधातों ने उनके जीवन के अत प्रकाश को अधिक प्रज्वलित और व्यक्त किया है। देखा जाता है कि जब हृदय में प्रेम का आविर्भाव होता है, जब आपदाओं की श्रौद्धियाँ चलने लगती हैं तथा साहस और ग्राशा का प्रकाश बुझता हुआ प्रतीत होने लगता है, तभी महान आध्यात्मिक भोक्तों के बीच हमारे अत करण में स्थित प्रकाश ज्योतित हो उठता है।

स्वामीजी ने मनुष्य के मन की उपमा एक सरोवर से दी है। जिस प्रकार सरोवर में उठने वाली कपन या लहर शात होकर भी नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार हमारे मन में उठने वाली तरणे शात होकर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होती, वल्कि मन पर अपना एक छाप छोड़ जाती है। भविष्य में पुन उस छाप के उभरने की सभावना बनी रहती है। हमारे प्रत्येक कार्य, हमारे शरीर के प्रत्येक स्पदन, हमारे प्रत्येक विचार मन पर ऐसे प्रभाव छोड़ जाते हैं कि वे बाहर से दृष्टिगोचर न होने पर भी अचेतनावस्था में मन के भीतरी तल में अपना कार्य किया करते हैं। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण इन्हीं प्रभावों से निर्भरित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र इन्हीं समन्वित प्रभावों से बनता है। यदि ये प्रभाव अच्छे होते हैं तो मनुष्य का चरित्र उत्तम होता है और यदि ये बुरे होते हैं तो चरित्र निष्कृष्ट होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मनुष्य निरतर बुरे शब्दों को सुनता है, बुरे विचार सोचता है और बुरे काम करता है तो उसका मन बुरे प्रभावों से आच्छादित हो जाता है और विना उसकी जानकारी के ये प्रभाव उसके चरित्र और कार्य को प्रभावित करते हैं। वास्तव में मनुष्य के मन पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव निरतर क्रियाशील रहते हैं और इनका परिणाम यह होता है कि मनुष्य में निष्कृष्ट कार्य करने की दृढ़ भावना उत्पन्न होती है और वह वैसे ही कार्य करता है। वह बुरे प्रभावों के वश में ही कर यत्रवत निम्न कोटि के कार्य करता है।

इसी प्रकार अच्छे विचारों और कार्यों का भी प्रभाव मनुष्य के चरित्र पर पड़ता है। जो मनुष्य सद्विचारों में लीन रहता है उसके मन पर उनका प्रभाव पड़ता है और वह अच्छे कार्य करता है। फलस्वरूप मनुष्य में अच्छे कार्य करने की एक प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण वह सदैव शुभ कार्यों को ही करता रहता है। इन सु दर विचारों से उसका मन इस प्रकार आवृत्त हो जाता है कि वह बुरे कार्य करने को तत्पर नहीं होता। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति का चरित्र सुंदर और दृढ़ है। किसी मनुष्य के चरित्र की कसौटी उसके महान कार्य नहीं, वरन् सामान्य कार्य होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के चरित्र को परखना हो तो उसके सामान्य क्रियाकलापों पर ध्यान देना चाहिए, छोटे-छोटे सामान्य, दैनिक कार्य किसी व्यक्ति के वास्तविक चरित्र का बोध करा देते हैं। महान अवसरों पर तो छोटे या

सामान्य व्यक्ति के मन में भी महान विचार उत्पन्न हो जाते हैं, किन्तु वास्तव में महान वही व्यक्ति होता है जिसका आचरण सदैव प्रत्येक स्थिति में ऊँचा रहे।

इसके अतिरिक्त अच्छे या बुरे, जिस प्रकार के अधिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ते हैं और जब वे सगठित हो जाते हैं तब हमारी आदत उन्हीं के अनुरूप बन जाती है। आदत को प्रतिस्वभाव (Second nature) कहा भी गया है। इही आदतों और पूर्व-जन्म के सक्षारों के आधार पर मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। हमारा जीवन जैसा भी है वह हमारी आदतों का परिणाम है। बुरी आदतों के रोकने का एकमात्र उपाय है अच्छी आदतें डालना। उसके लिए निरतर सद्विचारों और सत्कारों में लगा रहना आवश्यक है। कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि अमुक व्यक्ति बुरा है क्योंकि वह केवल एक विशेष प्रकार के चरित्र या बुरी आदतों का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी इन आदतों का सुधार अच्छी आदतों द्वारा किया जा सकता है। चरित्र बार-बार की आदतों से बनता है और अच्छी आदतों के बार-बार दुहराने से ही उसका सुधार किया जा सकता है।

चरित्र गठन की उपर्युक्त प्रक्रिया पर ध्यान देने से हमें यह पता चलता है कि अपनी सभी प्रत्यक्ष बुराइयों का कारण हम स्वयं ही हैं। इसके लिए किसी देवी-देवता को दोषी ठहराना उचित नहीं है। हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि किसी अन्य शक्ति की सहायता या परमात्मा की अनुकूलता के बिना हमारा उद्घार नहीं हो सकता। कारण, मनुष्य की दशा रेशम के कीड़ों की भाँति है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने भीतर के तत्त्वों से ही रेशम के धागे को अपने चारों ओर बुन लेता है और अत में उसी में दद हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वयं के कर्म-सूत्रों में अपने को बाँध लेता है और अज्ञान के कारण अपने को बद्दी समझता है। इस बधन से मुक्त होने के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, वरन् यह सहायता हमें अपने भीतर से ही प्राप्त हो सकती है।

हम जो भूले अथवा गलतियाँ करते हैं उनका एक मात्र कारण हमारी दुर्बलता है और यह दुर्बलता अज्ञान सेृजुत्पन्न होती है। इस अज्ञान का कारण भी हम स्वयं ही है। उदाहरण के लिए जब हम अपनी आँखों पर हथेली रख लेते हैं तो अधेरा हो जाता है और जब उसे हटा लेते हैं तो प्रकाश दिखायी देने लगता है। यह प्रकाश तब भी वर्तमान था, किन्तु हमें इसलिए दिखायी नहीं दे रहा था कि हमने अपनी आँखों को हथेली से मूँद लिया था। अत हमने स्वयं अपने को अज्ञान के अधकार में डाल रखा है। अपनी इच्छा-शक्ति का निरतर विकास और अभ्यास करने से मनुष्य ऊँचा उठ सकता है। अपनी भूलों और गलतियों के लिए बैठ कर रोने की आवश्यकता नहीं है, वरन् अपने चरित्र का निर्माण करने और अपने वास्तविक स्वभाव को विकसित एवं पुष्ट करने की आवश्यकता है।

धार्मिक शिक्षा

स्वामी विवेकानन्द के धर्म-सबधी विचारों का उल्लेख, उनके जीवन-दर्शन पर प्रकाश डालते समय, हम पहले कर चुके हैं। उनके अनुसार 'धर्म' ही शिक्षा की आत्मा है। किंतु धर्म से विवेकानन्द का तात्पर्य किसी धर्म-विशेष—हिंदू, बौद्ध, ईसाई—से नहीं है। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहम की भाँति वह धर्म के औपनिषदिक रूप—'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति'—को स्वीकार करते हैं, अर्थात् सत्य तो एक ही है, परन्तु पड़त लोग उस सत्य की व्याख्या नाना प्रकार से करते हैं। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, "किसी भी प्रकार जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ और अचल बनाता हूँ। मनुष्य किसी भी प्रकार मुझे प्राप्त करे, फिर भी मैं उसकी सेवा करता हूँ। सभी मार्ग, 'धर्म' मेरे द्वारा बनाये गये हैं।" †

धर्म, एक साधना—स्वामीजी के विचार में वास्तविक धर्म, 'स्त्राता, अधिविश्वासो और शास्त्रीय तर्कों, मे नहीं है। धर्म अनुभूति या आत्मा-साक्षात्कार है।'* जिस प्रकार केवल शल्य-चिकित्सा की पुस्तकों को पढ़कर कोई व्यक्ति शल्य-चिकित्सक (सर्जन) नहीं बन सकता, उसी प्रकार केवल धर्मग्रन्थों का अध्ययन करके कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बन सकता। जिस प्रकार किसी देश का मानचित्र देखकर उस देश को देखने की जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार केवल धर्म-ग्रन्थ पढ़कर व्यक्ति धर्म या परमात्मा को तब तक नहीं समझ सकता जब तक साधना का आश्रय लेकर स्वयं ईश्वर का अनुभव नहीं करता। जिस प्रकार किसी देश का मानचित्र हमारी जिज्ञासा को और अधिक जागत करता है और हम उस देश के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, उसी प्रकार धार्मिक ग्रन्थ हमे ईश्वर का बोध करने के लिए उत्सुक बनाते हैं। मंदिर, गिरजाघर, धर्मग्रन्थ आदि धर्म की अनुभूति के आरभिक सोपान हैं, किंडर गार्टन या बाल-पोथी हैं, जिन्हे पढ़कर धर्म के उच्च घोन की ओर अग्रसर होने में बालक को प्रोत्साहन और दृढ़ता प्राप्त होती है। ‡

आत्म-साक्षात्कार या अनुभूति की प्राप्ति हृदय द्वारा ही हो सकती है। बुद्धि उस ऊँचे स्तर तक कभी नहीं पहुँचा सकती, जहाँ हृदय की पहुँच है। हृदय बुद्धि के परे उस स्तर को प्राप्त करता है जहाँ दैवी-ज्ञान का प्रकाश है। 'हमारे हृदय के माध्यम से ही ईश्वर हमे सदेश देता है।' वर्तमान शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यही है कि यह केवल

† 'भगवद् गीता', अध्याय ४ श्लोक ११

* 'The Complete Works,' Vol. I, p. 43

‡ 'The Complete Works,' Vol. I, p. 43

बौद्धिक है, इसमें हृदय का परिष्कार नहीं किया जाता, हृदय का प्रशिक्षण, नहीं हो पाना, अत आधुनिक शिक्षा अधूरी है। इसका सबसे बड़ा दोष तो यह है कि यह अधूरी शिक्षा मनुष्य को स्वार्थी बनाती है।

धार्मिक शिक्षा की विधि—छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने की विधि है पाठशालाओं में सतों की पूजा, अर्चा का प्रारंभ। उनके सम्मुख राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे प्राचीन काल के महान पुरुषों तथा रामकृष्ण परमहस्य जैसे आधुनिक काल के महात्माओं का आदर्श रखना चाहिए, जिससे वे उनका अनुसरण कर सकें। किंतु भारत की वर्तमान परिस्थिति में सेवा और साहम के प्रतीक हनुमान का चरित्र आदर्श है। गीता के प्रवक्ता श्रीकृष्ण तथा शक्ति की प्रतीक दुर्गा की पूजा होनी चाहिए। श्रीकृष्ण के जीवन के लीला-पञ्च को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए क्योंकि इससे देश में शक्ति का पुनर सचार करने में सहायता नहीं मिलेगी। सगीत की कीर्तन आदि शैलियों को तत्काल छोड़कर ध्रुपद आदि तालों का अवण करना चाहिए। कारण यह है कि कीर्तन में लोग ढोल और करताल बजा बजाकर नाचते गते हैं और आत्म-विभोरता, जो भगवत्-प्रेम की अत्यत उच्च स्थिति है और जिसके लिए पूर्ण पवित्र जीवन व्यतीत करना अनिवार्य है, की नकल करते हैं। इस प्रकार के छव्य व्यवहार ने लोगों को अधोगामी बनाकर घोर तमस् में डुबा दिया, है। कीर्तन से हृदय में केवल कोमल भाव जाग्रत होते हैं। परंतु देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कीर्तन एवं शृंगारस-प्रधान सगीत के स्थान पर ध्रुपद आदि गभीर एवं वीरस-युक्त गायन की आवश्यकता है जिससे लोगों में पौरुष की भावना का विकास हो।

स्वामीजी का दृढ़ विश्वास है कि वेदमत्रों की विद्युत्-ध्वनि द्वारा देश में पुनर्जीवनी-शक्ति का सचार किया जा सकता है। वह बलपूर्वक आदेश करते हैं कि आज फिर हमें अपना प्रत्येक कार्य और पुरुषत्व की तपस्वी भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। यदि इस आदर्श के अनुकूल हम अपना चरित्र बना सकें तो हजारों व्यक्ति हमारा अनुसरण करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे। परंतु ध्यान रहे कि आदर्श से तिल भर भी पीछे न हटना होगा, कभी भी साहस नहीं छोड़ना होगा। आहार-विहार, वेष-भूषा, खेलत्ते-कूदने, गात्ते-बजाने, हर्ष-शोक आदि सभी कार्यों में प्रत्येक को उच्च नैतिक बल का प्रदर्शन करना चाहिए और अपने मन में ज्ञानभर के लिए भी दुर्बलता नहीं आने देनी चाहिए। 'महाबीर का स्मरण करो, माँ दुर्गा का स्मरण करो, तुम देखोगे कि तुम्हारे हृदय की कायरता और दुर्बलता दूर हो जायेगी।'

स्वामी विवेकानन्द ने 'धार्मिक' होने की व्याख्या नकीन ढग से की है। प्राचीन धर्मों के अनुसार ईश्वर में विश्वास न करने वाला व्यक्ति नास्तिक है। अद्वैत की व्याख्या करते हुए स्वामीजी का कहना है कि नास्तिक वह व्यक्ति है जो 'स्वयं' में श्रद्धा या विश्वास

नहीं रखता है। यहाँ 'स्वयं' से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति की आत्मा से नहीं है, वरन् उस एक 'आत्मा' से है जो हम सभी में व्याप्त है। यही आत्म-विश्वास समार को उच्च स्तर पर पहुँचा सकता है। यही विश्वास हमे केवल मानव से ही नहीं, वरन् पशु-पक्षियों से अर्थात् प्राणीमात्र से भी प्रेम करना सिखाता है। इसी भावना से प्रेरित होकर ससार के अनेक व्यक्ति महान आत्मा बन सके। अद्वैत की इस भावना में अद्भुत शक्ति है। यही वास्तविक धर्म है और ऐसा धर्म ही शक्ति है। धर्म के अभाव में ही मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है। स्वामीजी के विचार में 'शक्तिहीनता ही पाप और बुराइयों की जननी है।' शक्तिहीन मनुष्य ही दूसरों को आघात पहुँचाने को चेष्टा करता है। अत प्रत्येक व्यक्ति को अहर्निश 'सोऽहम्' का जप करते रहना चाहिए जिससे उसे अपनी वास्तविक प्रकृति का स्मरण रहे। प्रत्येक बालक के भीनर 'सोऽहम्' का विचार आरभ ही से माँ के दूध के साथ प्रवेश करना चाहिए। अत पहले बालक इस विचार का थवण करे, फिर इस पर मनन करे और तत्पश्चात् यह विचार स्वयमेव उसे महान कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

धार्मिक होने के लिए आवश्यक है 'सत्य बोलना' क्योंकि सत्य ही शाश्वत है और यही सब आत्माओं की वास्तविक प्रकृति है। दूसरे शब्दों में, 'सत्य ही शक्ति-स्वरूप, शुद्ध-स्वरूप एव ज्ञान-स्वरूप है। सत्य उसे ही कहा जा सकता है जो हमे शक्ति दे, प्रकाश दे और स्फूर्ति दे।' सत्य का मानदण्ड यही है कि जो वस्तुएँ हमे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से निर्बल बनाएँ उन्हें विष समझकर त्याग देना चाहिए। जीवन के परम एव शाश्वत सत्य हमे उपनिषदों से प्राप्त होते हैं। यदि हमे अपना उत्थान करना है तो उपनिषदों के सत्य को जीवन में व्यवहृत करना होगा। इस प्रकार न केवल व्यक्ति का कल्याण होगा, वरन् समस्त भारत का उत्थान होगा।

धार्मिक बनने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता यह है कि मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ बनाये। शारीरिक दुर्बलता हमारी एक-निताई विपत्तियों की जननी है। स्वामी विवेकानन्द ने देश के नवयुवकों को परामर्श देते हुए कहा है, "सबसे पहले हमारे युवकों को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाना चाहिए, धर्म तो बाद की चीज़ है तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबाल खेलने के द्वारा स्वर्ग के अधिक निकट पहुँच सकते हो यदि तुम्हारे शरीर में स्वस्थ रखते हैं तो तुम कृष्ण की महान मेधा और महान शक्ति को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हो। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और अपने भीतर मानव-शक्ति का अनुभव कर सकते हो तो तुम उपनिषदों और आत्मा की महत्ता को अधिक भलीभांति समझ सकोगे।"† 'शक्ति ही शिव है और दुर्बलता पाप।'‡ 'अनीम शक्ति ही धर्म है।'*

† 'The complete Works', Vol. III p 242

‡ 'The complete Works', Vol. III, p 120

* 'The complete Works', Vol. VII, p 11

यह असीम शक्ति हमे कहाँ से प्राप्त होगी ? उपनिषदों के दर्शन का अनुसरण करने से । स्वामीजी का कथन है कि विश्वभर में केवल उपनिषद् ही ऐसा दर्शन है जिसमें ईश्वर या मनुष्य के लिए 'अभय' विशेषण का प्रयोग हुआ है । इस सबव में स्वामी विवेकानन्द ने सिक्कदर महान से सबधित एक घटना का वर्णन किया है । सिक्कदर सिधु नदी की धाटी पर खड़ा एक सन्यासी से बात कर रहा था । वह सन्यासी नग्न था और शिलाखड़ पर बैठा हुआ था । सिक्कदर उस सन्यासी की प्रतिभा एवं ज्ञान से अत्यविक प्रभावित हुआ और उससे यूतान चलने का अनुरोध करने लगा । उसने सन्यासी को धन और मान आदि का लोभ दिखाया । सिक्कदर की बाते सुनकर सन्यासी केवल मुस्कराया और जाने में इकार कर दिया । इस पर सिक्कदर ने वर्षकी दी कि 'यदि तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हे मार डालूँगा ।' सन्यासी ने प्रत्युत्तर में कहा 'जितना असत्य तुम इस समय बोल रहे हो उतना असत्य तो जीवनभर नी न बोले होगे । मुझे कौन मार सकता है ? क्योंकि मैं अजर अमर आत्मा हूँ ।' यही 'शक्ति' है ।

हमे शक्ति चाहिए 'और 'उपनिषद् शक्ति की खान है । उनमे इतनी शक्ति है कि वे सारे सासार में शक्ति का सचार कर सकते हैं । उनके द्वारा सारे विश्व को स्वस्थ, शक्तिशाली तथा तेजोमय बनाया जा सकता है । वे दुँड़भी के स्वर में सासार की सब जातियों और सप्रदायों के दुर्वल, दलित, दुखी व्यक्तियों को स्वावलम्बी तथा स्वतत्र बनने के लिए ललकारते हैं । 'शारीरिक स्वतत्रता, मानसिक स्वतत्रता और ग्राध्यात्मिक स्वतत्रता' यही उपनिषदों के साकेतिक शब्द है ।''*

स्त्री-शिक्षा

स्त्रामी विवेकानन्द के समय में स्त्री और पुरुष का स्थान बराबर नहीं था । स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता था । उन्हे यह बात अनुचित प्रतीत हुई । स्वामीजी ने वेदात द्वारा प्रतिपादित आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा है कि यह सम कहा बड़ा कठिन है कि इस देश में स्त्रियों और पुरुषों में इतना भेद-भाव क्यों किया जाता है जब कि वेदात ने यह घोषणा की है कि प्रत्येक प्राणी में एक ही आत्मा निवास करती है । इतिहास पर दृष्टि डालने से भी यही पता चलता है कि वेद और उपनिषद्-काल में मैत्रेयी तथा गार्गी जैसी विदुषी नारियों थीं जिन्हे ऋषियों का स्थान प्राप्त था । वास्तविकता यह है, उन्होंने बताया कि भारत को अवननि के काल में स्मृतियों और पुरोहितों ने स्त्रियों को उनके अधिकारों से बच्चित कर दिया । स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि हमारे देश के पतन के जो अनेक कारण हैं उनमे मुख्य है शक्ति-रूपिणी नारी-जाति का निरादर । मनु ने भी कहा है कि 'जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है । जहाँ उनका अनादर होता है, वहाँ सारे प्रयत्न और कार्य व्यर्थ

* 'The Complete Works', Vol III, p 238

होते हैं। उस प्रतिवार या देश के उत्थान की कोई आशा नहीं है जिसमें स्त्रियाँ दुखी रहती हैं।

स्वामी विवेकानन्द के विचारानुसार नारी-शिक्षा के केन्द्र में धर्म की स्थापना होनी चाहिए। स्त्रियों के लिए धार्मिक-शिक्षण चरित्र निर्माण, तथा ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। हिंदू नारियाँ सयम या पवित्रता के अर्थ, तथा उसके महत्व को स्वयंसेव जानती हैं क्योंकि यह विशेषता उन्हे आनुवंशिक उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त है। सबसे प्रथम उनके हृदय में आदर्श की भावना को तीव्र करना चाहिए ताकि इस आदर्श के कारण वे अपने चरित्र का निर्माण कर सके। चरित्र-निर्माण के कारण वे अपने विवाहित या अविवाहित (यदि वे अविवाहित रहना चाहे तो), जीवन की किसी भी स्थिति में रचमात्र भी भयभीत नहीं होगी। अपने सयम से डिगने की अपेक्षा वे मृत्यु का वरण श्रेयस्कर समझेंगी। स्वामी विवेकानन्द ने 'सीता' को भारतीय नारी के सतीत्व एवं आदर्शों का उच्चतम प्रतीक माना है।

शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा देनी चाहिए। उन्हे ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे दूसरे के ऊपर आश्रित तथा कठिन समय में दुखी न रह सकें। बालकों की भाँति बालिकाओं को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि वे पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालन करना चाहें तो कर सकती हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्हे बौद्धिक विकास में अपना जीवन लगाना चाहिए क्योंकि यदि एक भी स्त्री ने 'ब्रह्म' का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके व्यक्तित्व की चमक से हजारों स्त्रियाँ अनु-प्राप्ति होगी, सत्य के प्रति जागरूक होगी और इस प्रकार समाज और देश का महान कल्याण निश्चित हो जायगा। अत जेवल सच्चरित्र ब्रह्मचारिणियों को ही शिक्षण का कार्य करना चाहिए।

स्त्रियों के लिए इतिहास, पुराण, गृह-विज्ञान, कला, पारिवारिक जीवन के सिद्धात तथा विकास में सहायक ग्रन्थों का अध्ययन उचित है। इनके अतिरिक्त उन्हे सिलाई, पाक-कला, पारिवारिक कार्यों के नियम तथा शिशु-पालन की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। जप, पूजा, उपासना आदि उनकी शिक्षा के अनिवार्य अग होने चाहिए। पठन-पाठन के साथ ही उन्हे वीरता और शौर्य का भाव भी ग्रहण करना उचित है। आज उनके लिए आत्मरक्षा की कला सीखना भी आवश्यक हो गया है। इस सबध में विवेकानन्द ने भाँसी की रानी की प्रशंसा की है। आज के युग की पुकार है कि माताएँ पवित्र एवं निर्भय बनें, प्राचीन नारियों—सधमित्रा, लीला अहिल्याबाई, मीराबाई—की परंपरा कायम रखें दृष्टा वीर पुत्रों को जन्म दें। यदि नारियाँ पवित्र, विदुषी एवं वीरामना होंतीं तो उनके द्वारा उत्पन्न पुत्र अपने सत्कार्यों द्वारा देश को महिमामंडित करेंगे और तभी देश में सम्मता, सकृदान्ति, ज्ञान, शक्ति और भक्ति की भावना जाग्रत होगी।

सर्वसाधारण के लिए शिक्षा

स्वामी विवेकानन्द देश की अशिक्षित, अद्बुधुक्षित, अद्वन्दन जनता को देख कर अत्यत दुखी थे। सर्वसाधारण की ऐसी उपेक्षा को वह राष्ट्रीय अपराध मानते थे। जनता की इसी दुरवस्था को वह देश के पतन का कारण मानते थे। काई राष्ट्र उसी अनुपात में उन्नत माना जाता है जिस अनुपात में वहाँ के लोग शिक्षित एवं प्रबुद्ध होते हैं। अत हमारा प्रथम कर्तव्य है जनता के विसर्जित व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण। इसके लिए रास्ता यह है कि हमारे जिन ग्रन्थों में महान आध्यात्मिक शक्ति का भड़ार सचित है उनको थोड़े-से व्यक्तियों के एकाधिकार से बाहर निकाल कर सामान्य जनता तक पहुँचाया जाय। उन ग्रन्थों को संस्कृत भाषा के द्वारा नहीं, बरन् जनता की अपनी भाषाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय क्योंकि सब लोगों के लिए संस्कृत का ज्ञान कठिन है। 'उन्हे केवल मूल विचारों से परिचित कराना है, प्रभाव के रूप में शेष वे सब समझ लेंगे।' उन्हे यह ज्ञात होना चाहिए कि धर्म पर उनका भी वही अधिकार है जो ब्राह्मणों का। सामान्य जनता को यह अनुभव करना चाहिए कि वह भी दिव्य प्रकाश-रूप ईश्वर का अश है। 'वेदात् की इन अवधारणाओं को जगलो और गुफाओं से बाहर आना चाहिए। उहें न्यायालयों, भौपडियों तथा मछुओं, विद्यार्थियों आदि विभिन्न वर्गों की सामान्य जनता तक पहुँचना चाहिए।' वेदात् की शिक्षाएँ सब के लिए हैं, चाहे किसी का व्यवसाय कुछ भी हो। यह पूछा जा सकता है कि मछुए या सामान्य जन उपनिषद् के विचारों को कैसे व्यावहारिक रूप दे सकते हैं? इसके लिए भी मार्ग बताया गया है। 'यदि मछुआ अपनी आत्मा को समझता है तो वह एक कुशल मछुआ होगा। यदि एक विद्यार्थी अपनी आत्मा को समझता है तो वह बुद्धिमान विद्यार्थी होगा।' यह तो सत्य है कि जैसे विचार होते हैं मनुष्य वैसे ही कार्य करता है। अत अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य करने की चेष्टा करेगा।

सामान्य जनता के उत्थान के लिए स्वामीजी यह आवश्यक समझते हैं कि लोगों को अपनी दशा सुधारने का ज्ञान होना चाहिए। उन्हे यह जानना चाहिए कि सासार में उनके चारों ओर क्या हो रहा है, तभी उनमें उन्नति करने के लिए भावनाएँ एवं विचार जाग्रत हो सकेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है, जनता को शिक्षित करना। उन्हे गाँव-गाँव, घर-घर जाकर ही शिक्षा देनी होगी। कारण यह है कि गाँव के बालकों को जीविकार्जन के हेतु अपने पिता के साथ खेत पर काम करने के लिए जाना पड़ता है, वे शिक्षा-प्राप्त करने विद्यालय नहीं आ पाते हैं। इस सबव में स्वामी जी सुभाव देते हैं कि यदि सन्यासियों में से कुछ को धर्मेतर विषयों की शिक्षा प्रदान करने के लिए भी संगठित कर लिया जाय तो बड़ी सरलतापूर्वक घर-घर धूम करने वे अध्यापन तथा धार्मिक शिक्षा दोनों काम कर सकते हैं। कृपणा कीजिए कि दो सन्यासी कैमरा, ग्लोब, कुछ मानवित्रों के साथ सध्या समय किसी गाँव में पहुँचे हैं। इन साधनों के

द्वारा वे अशिर्चित जनता को भूगोल, ज्योतिष आदि की शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार कथा-कहानियों के द्वारा दूसरे देश के सबध में अपरिचित जनता को वे इतनी बाते बताते हैं जितनी वे पुस्तक द्वारा अपने जीवनभर में भी नहीं सीख सकते। क्या इन वैज्ञानिक साधनों द्वारा आज की जनता के अज्ञानमय अधिकार को शीघ्र दूर करने का यह एक उपयुक्त सुझाव नहीं है? क्या सन्यासी स्वयं इस लोक-सेवा द्वारा अपनी आत्मा की ज्योति को और अधिक प्रदीप्त नहीं कर सकते? इस प्रकार सन्यासियों के समय का सुदृष्टयोग होगा और जनता में शीघ्रातिशीघ्र नवीन चेतना का सचार होगा। स्वामीजी कहते हैं कि जनता को इतिहास भूगोल, विज्ञान और साहित्य की शिक्षा के साथ और इन्हीं के द्वारा धर्म के पूर्ण सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। जनता को वाणिज्य-व्यवसाय आदि के क्षेत्र में होने वाले नये अन्वेषणों का परिचय भी कराना चाहिए।

शिक्षा के माध्यम के सबध में स्वामीजी का विचार है कि जनसाधारण को उनकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका कहना है 'उन्हे विचार दो, सूचनाओं का संग्रह वे स्वयं कर लेंगे।' परतु जन-साधारण की उन्नत स्थिति को स्थिर रखने के लिए उन्हे शिक्षा के साथ एक और वस्तु की आवश्यकता है और वह है 'संस्कृति'। मनुष्यों को सुसंस्कृत होना चाहिए। उन्हे अपनी संस्कृति से पूर्णरूप से न केवल परिचित होना चाहिए, वरन् संस्कृति का पालन करना चाहिए। जब तक सामान्य जनता का सांस्कृतिक विकास न होगा तब तक उनकी स्थिति में स्थायित्व नहीं आ सकता।

मातृ-भाषा और अपने देश की संस्कृति का समर्थन करने के साथ-साथ स्वामीजी संस्कृत भाषा एवं शिक्षा के प्रति अग्राध श्रद्धा रखते थे। वह सामान्य शिक्षा के साथ संस्कृत की शिक्षा भी आवश्यक मानते थे क्योंकि 'संस्कृत शब्दों की ध्वनि ही जाति को सम्मान, बल एवं शक्ति प्रदान करती है।' स्वामी विवेकाननद के अनुसार गौतम बुद्ध ने यह बड़ी भारी भूल की कि उन्होंने जनता के लिए संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया। यद्यपि यह तो उन्होंने बुद्धिमानी की कि अपने विचारों को जनता तक शीघ्रातिशीघ्र पहुँचाने के लिए 'पाली' भाषा का आश्रय लिया, तथापि इसके साथ ही साथ उन्हे 'संस्कृत' भाषा का भी प्रचलन करना चाहिए था।

जीवन-दर्शन पर आधारित शिक्षा-संस्थाएँ

शिक्षा-संस्थाएँ दो प्रकार की होती हैं—अविद्यिक और सविद्यिक। अविद्यिक संस्थाओं के अतर्गत धर, समाज, मठ, सघ आदि आते हैं और सविद्यिक के अतर्गत पाठशाला, विद्यालय और गुरुकुल आदि। स्वामी विवेकाननद और उनके अनुयायियों द्वारा स्थापित मठ और समितियों की गणना अविद्यिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं में हैं।

स्वामी विवेकाननद ने श्रीरामकृष्ण परमहस की शिक्षा का प्रसार करने के लिये सन

१८६७ ई० मेरे 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की। उनके समय मेरे भारत मेरे सबसे पहले वेलूरमठ (हावडा) और तत्पश्चात् अद्वैतआश्रम (अल्मोडा) की स्थापना हुई। स्वामीजी ने वेदात के प्रचार के लिए न्यूयार्क, अमेरिका मेरे भी 'वेदात सोसायटी' की स्थापना की। स्वामीजी द्वारा स्थापित 'रामकृष्ण मिशन' के निरनाकित उद्देश्य है —

१ वेदात के अध्ययन तथा श्रीरामकृष्ण परमहस द्वारा निरूपित वेदात के सिद्धातों के अध्ययन की उन्नति और प्रसार करना। व्यापक रूप मेरे धर्मशास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

२ कला, विज्ञान और औद्योगिक विषयों के अध्ययन की उन्नति तथा उनकी शिक्षा का प्रसार करना।

३ उपर्युक्त विषयों मेरे अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा उन्हे जनता तक पहुँचने मेरे समर्थ बनाना।

४ जनता मेरे शैक्षिक कार्य करना।

५ विद्यालयों, कालेजों, अनाथालयों, कारखानों, प्रयोगशालाओं तथा अस्पतालों आदि की स्थापना, उनका सचालन तथा उनकी सहायता।

६ उपर्युक्त कार्यों की उन्नति के लिए पुस्तक-पुस्तिकाओं का मुद्रण, प्रकाशन और विक्रय करना।

'रामकृष्ण मिशन' की कई सौ शाखाएँ आज भारत के सभी प्रदेशों गे फैली हुई हैं जो वेदात की शिक्षा देने के साथ ही स्कूल, कालेज, अस्पताल आदि चलाती हैं। भारत के अतिरिक्त बर्मा, श्रीलंका, फिजी, मारीशस, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इंग्लैण्ड और फ्रास मेरे भी रामकृष्ण मिशन की शाखाएँ वेदात के प्रसार तथा ससार की भलाई का कार्य कर रही हैं।

सहायक साहित्य स्वामी विवेकानन्द

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Education | 9 Realisation and Its Methods |
| 2. Women of India | 10 The Science and Philosophy of Religion |
| 3 Teachings of Swami Vivekananda | 11 Essentials of Hinduism |
| 4. Jnana-Yoga | 12 Advaita Vedanta |
| 5. Raja Yoga | 13 Powers of the Mind |
| 6. Karma-Yoga | 14 The Complete Works of Swami Vivekananda [Eight Volumes] |
| 7. Bhakti-Yoga | 15 Is Vedanta the Future Religion ? |
| 8. The Practical Vedanta. | |

मदनापल्ली ट्रस्ट

दक्षिण मे मदनापल्ली कालेज का स्थापना एनो बेसेट के प्रयत्नो मे हुई, जा आगे चलकर एक ट्रस्ट के रूप मे परिणित हो गया। इस ट्रस्ट के अतर्गत मदनापल्ली कालेज तथा अन्य चार स्कूलो का सचालन होता है। यह कालेज प्रथम श्रेणी का शिक्षा संस्थान है।

ऋषिवैलो ट्रस्ट

थियोसोफिकल एजूकेशनल ट्रस्ट तथा ऋषिवैलो ट्रस्ट के अतर्गत बनारस मे चार विद्यालय चल रहे हैं, जिनमे बेसेट डटर कालेज, और बेसेट मेमोरियल हाई स्कूल मुख्य है। इन विद्यालयो मे एनो बेसेट के आदर्शो के अनुरूप शिक्षा का आयोजन किया गया है।

सहायक साहित्य

एनो बेसेट

- | | |
|---|--|
| 1 <i>Man And His Bodies, Theosophical Manual No VII</i> | 9 <i>Brahma Vidya, Divine wisdom</i> |
| 2 <i>The School-boy as a Citizen</i> | 10 <i>A word on man, his Nature and his Powers</i> |
| 3 <i>Higher Education in India</i> | 11 <i>Education as a National Duty</i> |
| 4 <i>Essentials of an Indian Education Vol 7</i> | 12 <i>Education for Indian Girls</i> |
| 5. <i>Principles of Education</i> | 13 <i>Hindu Ideals</i> |
| 6. <i>The Besant Spirit, Vol 2</i> | 14 <i>Education for the New Era</i> |
| 7. <i>Dharma</i> | 15 <i>Education in the Light of Theosophy</i> |
| 8. <i>Indian Ideals in Education</i> | 16 <i>The Wisdom of the Upanisads, Convocation Lecture of 1906</i> |

अन्य लेखक

1. Yudhisthir Kumar *Annie Besant as an Indian Educator*
2. Bhagwan Das *Annie Besant and the Changing World*
3. Sri Prakash : *Annie Besant, A Woman and Leader, 1941*
4. Besterman *Mrs. Annie Besant, A Modern Prophet, 1934*

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

प्रशंसा सम्बन्धी रचनाएँ छठ हालोनम्बित्ति जीवन और कार्य

कालिदास और तुलसी के बाद भारत को महान् कवि परपरा में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर एक मात्र ऐसे कवि हुए जिन्होंने विश्व जनीन भावों को अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त करके विश्व कवि का उच्च स्थान प्राप्त किया। वह प्रतिभा के धनी, भारतीय संस्कृति के महान् गायक थे, जिनके गीतों के स्वरों ने देश-काल की सीमाओं को तोड़ कर अपनी व्यापकता, उदारता और रहस्यमयता का परिचय सासार को दिया। उनके काव्य में प्राचीन ऋषियों की तेजस्विता, सतों की सरलता, सूफियों की प्रेम विघ्नलता और वैष्णवों का आत्मनिवेदन एक साथ समन्वित रूप में सुखरित हुआ है। यही कारण है कि परतन्त्रता के दिनों में भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और आत्मा का सदेश सारे जगत् को दिया तथा देश के गौरव को पुनः स्थापित किया।

जन्म और बाल्यकाल

रवि ठाकुर का जन्म बगाल के प्रसिद्ध ठाकुर वश में सन् १८६१ ई० में कलकत्ते में हुआ था। ठाकुर परिवार अपनी समृद्धि, विद्या कला और संगीत के लिए सपूर्ण बगाल में विख्यात था। कवि के दादा प्रिस द्वारिकानाथ ठाकुर और उनके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ इस परिवार के दो सम्माननीय व्यक्ति थे। प्रिस द्वारिकानाथ ठाकुर यदि अपनी सम्पत्ति के कारण प्रसिद्ध थे तो महर्षि देवेन्द्रनाथ विद्वत्ता, देशभक्ति, धर्म प्रियता और साधुता के कारण पूज्य थे। अपने वश के इन दोनों पुरुषों के गुण कवि को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए। रवीन्द्रनाथ अपने कई भाई-बहिनों में सबसे छोटे थे, किंतु आगे चलकर अपने यश से इन्होंने न केवल ठाकुर परिवार, वरन् सपूर्ण देश में अपने को वरेण्य सिद्ध कर दिया।

इतने सपन परिवार में जन्म लेने पर भी रवीन्द्रनाथ का पालन-पोषण विलासिता-पूर्वक नहीं हुआ। इन्होंने लिखा है, “हमारे जीवन में भोग-विलास का आयोजन नहीं के बराबर था। कुल मिलाकर तब की जीवन-यात्रा आज से बहुत सीधो-सादी थी। हम लोग थे नौकरों के ही शासन-अधीन। अपने कर्तव्य को सरल करने के लिए उन लोगों ने हमारा हिलना-डुलना एक प्रकार से बद कर दिया था। हमारे आहार में शौकीनी की गंध भी नहीं थी। कपड़े-लत्ते भी इतने ज्यादा साधारण थे कि आजकल के लड़कों के सामने उसकी सूची रखने में सम्मानहानि की अशका होती है। दस साल की उमर के पहले कभी भी किसी दिन किसी कारण से मोजे नहीं पहने और जाड़े के दिनों में एक सफेद कुरता—कमोज पर—और एक सफेद कोट काफी था।”† इस उद्घरण से इनके सादे जीवन का अनुमान किया जा सकता है। नौकरों द्वारा लगाये गये प्रतिबध के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा, “उधर, बधन कितना ही कठिन क्यों न हो, अनादर या अ-लाड एक जबर्दस्त स्वाधीनता है, और उस स्वाधीनता से हमारे मन मुक्त होते हैं।” अपने बाहर वाले मकान की दूसरी मञ्जिल पर दक्षिण-पूर्व कोने के कमरे में नौकरों के बीच इनके दिन कटते थे। नौकरों के कठोर प्रतिबध तथा बाहर न जाने देने के कारण इनका जीवन एकात् में ही व्यतीत होता था। वह खिड़की से प्रकृति के दृश्यों को देखा करते और उनमें लीन रहते। उनके शब्दों में “खिड़की के नीचे ही एक पक्के घाट वाला तालाब था। उसके पूरब की तरफ चहार-दीवारी से सटा हुआ एक बड़ा-भारी चीनी बट्टूचू था, और दक्षिण की तरफ नारियल के पेड़ों की कतार। लकीर-बधन में बदी मैं खिड़की की झिलमिली खोल कर प्राय दिन भर उस तालाब को ‘तसवीरों वाली किनाब’ की भाँति देखता हुआ बिता देता था।”‡ इस एकात् जीवन और प्रकृतिनिरोक्तण का परिणाम यह हुआ कि रवीन्द्रनाथ बचपन से ही गमीर और चिन्तनशील बन गये।

शिक्षा

अपने भाई और भानजे को स्कूल जाते देखकर रवीन्द्र ने भी पढ़ने जाने के लिए हठ किया। यह हठ पढ़ने के विचार से नहीं बरन् बाहर निकल पाने की अभिलाषा से था। विद्यालय जाने के लिए यह रोने लगे। इस समय का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है, “मेरा मन घर से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा उठा। जो हमारे शिक्षक थे, उन्होंने मेरे मोह का विनाश करने के लिए प्रबल चपेटाधात के साथ एक सारगमित वाक्य सुनाया, ‘अभी तो स्कूल जाने के लिए रो रहे हो, किसी दिन नहीं जाने के लिए,

† रवीन्द्र साहित्य, भाग १८ जीवन-स्मृति पृष्ठ ८

‡ „ „ „ „ १०

इससे बहुत ज्यादा रोना पड़ेगा।’ उस दिन का वह गुरु-वाक्य और गुरुतर चपेटा-धात आज भी मेरे मानस-पट पर स्पष्ट जागृत है। इतनी बड़ी अव्यर्थ भविष्यवाणी मेरे जीवन में और किसी दिन कर्णगोचर न हुई।”

सर्वप्रथम इन्हे ओरिएटल सेमेनरी स्कूल में भर्ती किया गया, किन्तु यहाँ इनका मन नहीं लगा। यहाँ के वातावरण से इनका कोमल मन त्रस्त हो गया। ‘पाठ न सुना सकने पर विद्यार्थी को वहाँ बैच पर खड़ा करके उसके दोनों हाथ पसार कर उन पर कक्षा की बहुत-सी सिलेंट इकट्ठी करके लाद दी जाती थी।’ नौकरों के बीच भी इनकी शिक्षा चलती थी। उन्हीं के बल पर इनकी साहित्य-चर्चा का आरभ हुआ। चाणक्य के श्लोकों का बगला अनुवाद और रामायण का पाठ नौकरों के बीच होता था। इस समय रवीन्द्रनाथ की अवस्था सात-आठ वर्ष की थी, किन्तु इसी आयु में उनके हृदय में कवित्व का बीजारोपण हो चुका था।

ओरिएटल सेमेनरी में अधिक दिनों तक इनकी शिक्षा नहीं हुई। उसके बाद यह नार्मल स्कूल में भर्ती किये गये। नार्मल स्कूल में विद्यालय का कार्य आरभ होने के पूर्व गैलरी में बैठकर सब लड़के स्वर कविता पाठ करते थे। ऐसी व्यवस्था सभवत मनोरजन के लिए की गयी थी। कविता के शब्द और स्वर दोनों अग्रेजी के थे। इस सबध में उन्होंने लिखा है, “मेरी कुछ समझ में न आता था कि हम क्या मत्र पढ़ रहे हैं और कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रतिदिन वही एक अर्थहीन राग अलापना मेरे लिए सुखदायक नहीं था।”† “क्रमशः नार्मल स्कूल की स्मृति जहाँ धुबली अवस्था पार करके परिस्फुट होने लगती है वहाँ किसी भी अश में वह लेशमात्र मधुर नहीं मालूम होती।”‡ यहाँ लड़कों का सपर्क इतना अशुचि और ऐसा असम्मानप्रद था कि रवीन्द्रनाथ दोपहर का अवकाश का समय नौकर के साथ अकेले में बिताते थे। यहाँ के वातावरण से यह इतना ऊब चुके थे कि मन ही मन सोचते थे कि एक साल, दो साल, तीन साल, और भी, न मालूम कितने साल इस तरह बिताने पड़ेगे। एक शिक्षक के विषय में इन्होंने लिखा है, “शिक्षकों में एक की बात मुझे याद है, वे ऐसी कुत्सित भाषा का प्रयोग किया करते थे कि उनके प्रति अश्रद्धावश उनके किसी प्रश्न का मै उत्तर ही नहीं देता था।”* सभवत बचपन के यही कटु अनुभव इनके मन में जमते गये और फलस्वरूप आगे चल कर इन्होंने आजीवन शिक्षा सुधार के लिए प्रयत्न किया तथा आदर्श शिक्षा संस्था के रूप में ‘विश्व-भारती’ की स्थापना की।

† रवीन्द्र साहित्य, भाग १८ ‘बीचन-स्मृति पृष्ठ २३

‡ वही पृष्ठ २४

* वही

रवीन्द्रनाथ की शिक्षा की व्यवस्था स्कूल से अधिक घर पर की गयी थी। समुचित शिक्षा-दीक्षा के लिए घर पर नाना विद्याओं का आयोजन किया गया था। सस्कृत, बगला, अग्रेजी, चित्रकला, सगीत और तत्त्वदर्शन आदि की शिक्षा के लिए अलग-अलग अध्यापक नियुक्त थे। ६ बजे प्रात काल से लेकर ६ बजे रात तक पढ़ाई का यह क्रम चलता था। अनवरत शिक्षा का यह क्रम कितना कठिन और अरुचिकर रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है।

यज्ञोपवीत एव देश-भ्रमण

बारह वर्ष की अवस्था में रवीन्द्रनाथ का यज्ञोपवीत सस्कार विधिपूर्वक हुआ। इसी वर्ष इनके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ देश-भ्रमण के लिए निकले और इन्हे अपने साथ लेते गये। कवि के जीवन पर इस यात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ा और इसने इनकी काव्य-प्रतिभा को विशेष प्रेरणा प्रदान की। प्रयाग, कानपुर, अमृतसर आदि स्थानों की यात्रा करते हुए यह डलहौजी गये। डलहौजी की पर्वतीय छटा को देखकर रवीन्द्रनाथ मुग्ध हो गये। इस यात्रा में इनके पिता ने इनकी शिक्षा-दीक्षा का भी ध्यान रखा। वह इन्हे अग्रेजी, सस्कृत आदि की शिक्षा स्वयं देते थे। डलहौजी में कवि ने मुक्त रूप से पर्वत को धाटियों और चोटियों का भ्रमण किया। यह अवसर इनके जीवन का प्रथम सुखद एव स्वच्छद काल था।

विदेश यात्रा

रवीन्द्रनाथ के मौकले भाई श्री सत्येन्द्रनाथ अहमदाबाद में जज थे। उनकी पत्नी ज्ञानदानन्दिनी अपने बच्चों के साथ इगलैड में थी। सन् १८७८ ई० में सत्येन्द्रनाथ को भी इगलैड जाना था, अत वह रवीन्द्रनाथ को उच्च शिक्षा के लिए अपने साथ लेते गये। इस समय इनकी अवस्था सत्रह साल की थी। छ महीने तक भाई के साथ अहमदाबाद और बवई में रहने के उपरात वह इगलैड रवाना हो गये। वहाँ ब्राइटन के पश्चिम स्कूल में यह भर्ती हो गये। इस स्कूल में यह बहुत दिन नहीं रह सके। इसमें स्कूल का कोई दोष नहीं था। उन दिनों तारकनाथ पालित लदन में थे। उन्होंने रवीन्द्रनाथ को लदन बुला लिया। लदन में, एक मकान में रवीन्द्रनाथ अकेले रहते थे और हारमोनियम पर स्वर-साधना करते थे तथा एक अध्यापक से लेटिन की शिक्षा प्राप्त करते थे। इस शिक्षा से कुछ सीखने का अवसर इन्हे न मिल सका। तत्पश्चात् यह वर्कर नामक एक अध्यापक से शिक्षा लेने लगे, किन्तु कुछ समय बाद अपनी भासी का बुलावा पाकर टौर्की नामक स्थान को चले गये। साराश यह कि विद्यालय की शिक्षा के नाम पर रवीन्द्रनाथ के हाथ कुछ भी नहीं लगा। हाँ, वहाँ भी यह काव्य-रचना और अग्रेजी साहित्य के अध्ययन में दत्तचित्त रहे। सन् १८८० ई० में यह पुन स्वदेश

लौट आये। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के व्येय से रवीन्द्रनाथ मन् १८८१ ई० मेरुन इंगलैण्ड गये, किन्तु वहा जाकर इनका विचार परिवर्तित हो गया और वह फिर भारत चले आये।

गार्हस्थ्य जीवन

अब रवीन्द्रनाथ का विवाह हो गया और इनके पिता ने जमीदारी की देखभाल तथा व्यवस्था का भार छहे सापा। यद्यपि रवीन्द्रनाथ बड़े जमीदार के पुत्र थे, फिर भी अपनी प्रजा के साथ उनका व्यवहार बड़ा सुन्दर था। किसानों के कष्टों को दूर करने के लिए वह उपाय सोचा करते थे। उनका कहना था कि 'इन असहाय, दुखी और सरल किसानों तथा मजदूरों को अपना भाई समझने में मुझे सुख प्राप्त होता है।' प्रजा का कष्ट निवारण करते हुए इन्होंने जमीदारी की उन्नति और सुव्यवस्था की। जमीदारी के कार्यों में व्यस्त होते हुए भी यह काव्य-रचना और साहित्य-साधन में लगे रहे। समय के साथ-साथ इनकी कल्पना प्रौढ़ होती गयी और इनकी रचनाएँ साहित्य के सम्मुख उपस्थित होती रही। जमीदारी के कार्यों में यह कई वर्षों तक लगे रहे। इसी बीच इनकी पत्नी, पुत्री और सबसे छोटे पुत्र का देहात हो गया। यद्यपि इन दु खद घटनाओं का कवि के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, तथापि इन्होंने अपने को समर्पित रखा और अपने को परोपकार आदि के कार्यों में व्यस्त रख कर शोक को विस्मृत करने का प्रयत्न किया।

इन दिनों की अपनी अनुभूतियों की चर्चा करते हुए कवि ने लिखा है, 'इतने मेरे न जाने कहाँ से इस मृत्यु ने आकर अत्यन्त प्रत्यक्ष जीवन के एक प्रात मेरे क्षणभर मे दरार कर दी, और तब सहसा मैं कैसा हक्का-बक्का-सा हो गया। सोचने लगा, यह क्या! यह कैसा गोरखधधा!' 'फिर भी, इस दु सह दु ख के भीतर से मेरे मन मे एक आकस्मिक आनन्द की हवा बहने लगी। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता। जीवन बिल्कुल अविचलित निश्चित नहीं, इस दु ख के सावाद से भी मन का भार हल्का हो गया।'

शान्तिनिकेतन की स्थापना

बोलपुर के समीप रवीन्द्रनाथ के पिता ने थोड़ी जमीन खरीदी थी और वही एक छोटा-सा मकान भी बनवाया था। यह स्थान उन्हे बड़ा प्रिय था। इस मकान का नाम-करण उन्होंने 'शान्तिनिकेतन' किया था। सन् १९०१ ई० मेरे कवि ने यहाँ एक स्कूल खोला और स्वयं भी इसमें शिक्षक का कार्य करने लगे। अपने शिक्षा-काल मेरे उन्हे विद्यालयों की शिक्षा का जो कटु अनुभव हुआ था और शिक्षा के विषय मेरे उनकी जो धारणा बन गई थी उसी आधार पर उन्होंने इस स्कूल मे शिक्षा की योजना कार्यान्वित की। इन्होंने बालकों को पूर्ण स्वतन्त्रता देकर यहाँ शिक्षा के क्षेत्र मेरे एक नवीन प्रयोग आरभ किया। शिक्षा के विभिन्न अगों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था यहाँ की गयी जिसमे

विभिन्न देशों के मध्यापक आये। उदारता और विभिन्न स्थलियों के समस्त के रूप में शातिनिकेतन दिन प्रति दिन उन्नति करता गया और 'विश्वभारती' के रूप में वह आज शिक्षा की अद्वितीय स्त्रीय के रूप में वर्तमान है।

राजनीति के द्वेष में

रवीन्द्रनाथ राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, सक्रिय राजनीति में उन्होंने विशेष भाग नहीं लिया, किन्तु देशभक्त थे और देशसेवा करने का उनका अपना ढग था। वह राजनीति के प्रबन्धक नहीं थे, किन्तु उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा देश में जागरण उत्पन्न किया। आज से कितनी वर्षों पूर्व उन्होंने जो गीत लिखा वह आज हमारा राष्ट्रीय गान है। शातिनिकेतन का कार्य करते हुए उन्होंने राजनीति में भी रुचि ली। ग्रामसुधार और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की ओर उन्होंने सदैव व्यान दिया। बग भग के दिनों में, जब पूरे बगाल और समस्त देश में विदेशी शामन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हो रही थी, तब उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया। उन्होंने स्वदेशी आदोलन में भी भाग लिया और देश की जनता को पोन्नाहित किया। सन् १९१६ ई० में जब जनरल डायर ने जलियाँवाला बाग में पजाब के निरीह प्राणियों पर अमानुपक अत्याचार किया तब इस अत्याचार से रवीन्द्र का हृदय काष उठा। उन्होंने अग्रेजी सरकार के इस कुकूत्य के विरोध में सरकार द्वारा प्रदत्त 'मर' की उपाधि को वापस कर दिया। गाधी जी और गुरुदेव में मैत्री थी और वे दोनों मत्य एवं अहिसा में विश्वास करते थे, किन्तु खादी के प्रश्न पर वह गांधी जी से भौतिक स्थापित न कर सके। खादी के विषय में किया गया गाधी-रवीन्द्र पत्रव्य-वहार बड़ा प्रसिद्ध है और उसके पढ़ने से दोनों के विचारों का पूरा ज्ञान होता है।

पुरस्कार और उपाधियों

महान् विश्व और माहित्यकार के रूप में रवीन्द्रनाथ की ख्याति देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके विदेशों में धीरे-धीरे फैलने लगी। विश्व के अन्य साहित्यकार उनकी रचनाओं की ओर आकर्षित हुए और अन्य देशों में उनके प्रशंसकों की सख्ता बढ़ने लगी। शातिनिकेतन का कार्य करते हुए उन्होंने 'गीताजलि' और 'साधना' की रचना की। 'गीताजलि' की बँगला रचनाओं को उन्होंने अग्रेजी में अनुवाद किया। सन् १९१२ ई० में रवीन्द्र पुन इश्वरलैड गये। वहाँ सुश्रसिद्ध चित्रकार राटेस्टाइन तथा कवि यीट्स आदि से इनका संपर्क हुआ। उन्होंने 'गीताजलि' को पढ़ा और उसके महत्व को समझा। सन् १९१३ ई० में ५० वर्ष की अवस्था में कवि को 'गीताजलि' पर 'नोबेल पुरस्कार' प्राप्त हुआ। पुरस्कार का सारा धन कवि ने शातिनिकेतन की उन्नति में लगा दिया। तत्पश्चात् कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हे डी० लिट० की उपाधि तथा सन् १९१४ ई० में भारत सरकार ने 'सर' की उपाधि से विभूषित किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कवि ने सन् १९१६ ई० में 'सर' की उपाधि लौटा दी।

दिग्भिजय

रवीन्द्र ने ससार के जितने देशों का प्रमण किया और उन्होंने जो सम्मान प्राप्त किया वह ससार के विरले व्यक्तियों को ही मिला होगा। एक ही बार नहीं कई बार सारे विश्व का परिभ्रमण किया और विश्व को भारतीय प्रेम और सौहार्द का सदेश दिया। सन् १९२० ई० में वह पुन योरोप और अमेरिका गये। दोनों महाद्वीपों में इनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेंगेन में वहाँ के छात्रों ने इनके सम्मान में दीपोत्सव मनाया तथा जुलूस निकाला। स्वीडेन में इनका सम्मान हुआ और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, विश्वविद्यालय से भाषण देकर जब यह बाहर आये तो लगभग पन्द्रह हजार सुशिक्षित व्यक्ति इनके सम्मान में बाहर खड़े थे, जिन्हे हाल में खड़े होने का सुयोग नहीं मिल सका था।

योरोप परिभ्रमण के पश्चात् इन्होंने एशियाई देशों की यात्रा की। बर्मा, मलाया, जावा आदि देशों की यात्रा करते हुए यह चीन गये। चीन में कवि का हार्दिक स्वागत हुआ। इसी यात्रा में वह जापान, बाली और कवोडिया भी गये। उन्होंने मध्यपूर्व के देशों की भी यात्रा की और इस प्रकार सारे विश्व में भारत को प्रतिभा का उज्ज्वल प्रकाश विकीर्ण किया।

सन् १९२८ ई० में आँक्सफर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हे 'हिबर्ट व्याख्यानमाला' में दर्शन के ऊपर व्याख्यान देने के लिए आमत्रित किया। यह स्मरण रखने की बात है कि इसके पूर्व इस व्याख्यानमाला में किसी अन्य भारतीय को आमत्रित नहीं किया गया था। आँक्सफर्ड में व्याख्यान देकर कवि ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया।

सन् १९३० ई० में कवि ने रूस की यात्रा की। यह वहाँ की व्यवस्था से बड़े प्रभावित हुए। रूस के साम्यवादी शासन के विषय में कवि ने अपने मित्रों को बहुत से पत्र लिखे जो बाद में सग्रह के रूप में 'रूस की चिट्ठी' के नाम से प्रकाशित हुए। रवीन्द्र ने वहाँ कई भाषण दिये और अपनी रचनाएँ पढ़कर सुनायी।

रचनाएँ

रवीन्द्रनाथ प्रतिभा के मूर्त रूप थे। उन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य के विभिन्न अणों की और नवीन रचनाओं से साहित्य कोष को भपन्न बनाया। काव्य, नाटक, कहानी, आलोचना, बाल-साहित्य और चित्रकला आदि सभी विषयों पर रचनाएँ की और इन सभी चेत्रों में उन्हे अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई। अपने जीवन के अत तक कवि कर्म में व्यस्त रहे। 'सध्यासगीत' 'प्रभात सगीत' 'प्रकृति प्रतिशोध' 'कल्पना' 'सिधु' 'चानसी' 'सोनारतारी' 'मालिनी' 'गीताजलि' 'लिपिका' और 'मुकुटघर' आदि रवीन्द्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।

रवीन्द्र ने वैष्णव भक्तों की भौति पदों की रचना की जिनमें उन्होंने अपने हृदय की समस्त निरीहता, कोमलना, विनय और करणा को उँडेल दिया है। उन्होंने न केवल सुशिक्षित एवं साहित्यिक व्यक्तियों के लिए लिखा, वरन् बच्चों के लिए भी बालोपयोगी साहित्य की रचना की क्योंकि बालकों की शिक्षा की ओर उनका विशेष ध्यान था। रवीन्द्रनाथ ने सगीत और कला में नई शैली का प्रवर्तन किया। इस शैली में सरलता, सरसता और आशुनिकता है। यद्यपि बाल्यवस्था में उन्हें चित्रकला की शिक्षा मिली थी, तथापि अपने जीवन में वह इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे सके थे। एकाएक सत्तर वर्ष की अवस्था में उन्होंने चित्रकला की ओर रुचि प्रदर्शित की। इनके बनाये हुए अनेक चित्र हैं जिनको देखने से इनकी कला-कुशलता का परिचय मिलता है।

जीवन के अंतिम वर्ष और प्रस्थान

सन् १९३१ ई० में कवि ने सत्तर वर्ष की अवस्था पूरी की। इस अवसर पर कलकत्ता में एक विशाल महोत्सव मनाया गया, जिसका कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। इसी बीच गाँधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। इस सवाद से कवि को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने उत्सव को बद करा दिया। अग्रेजों के दमन का चक्र तीव्रता के साथ चलने लगा। देश के नेता बदों बनाये जाने लगे। सन् १९३२ ई० में यरबदा जेल में गाँधीजी ने अनशन प्रारंभ कर दिया, जब उनके आमरण अनशन का उन्नीसवाँ दिन हो गया, तो कवि को चिंता हुई। वह यरबदा जेल पहुँचे और इक्कीसवें दिन उन्होंने अपने सामने गाँधीजी का अनशन तुडवाया। सन् १९४० ई० में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय ने कवि को डी० लिट० की उपाधि दी। इसी वर्ष कवि के मित्र और सहयोगी सी० एफ० ऐण्डर्जन का देहात हो गया। इनके देहात से कवि शोकातुर हो गये। उसी साल कवि बहुत अस्वस्थ हो गये। वह बीमार रहने लगे और अत में सात अगस्त सन् १९४१ ई० को उन्होंने इस सासार से महाप्रस्थान किया।

जीवन-दर्शन

रवीन्द्रनाथ ठाकुर मूलत कवि थे। उन्होंने कला के कुटीर में आत्म-प्रकाश का दर्शन किया और इस प्रकाश को अपनी वाणी के माध्यम से सारे विश्व में फैलाया। उन्होंने पाश्चात्य जगत् को भारत की आत्मा का सदेश दिया, पूर्व के ज्ञान और आत्मबोध से उन्हें परिचित कराया। इस दृष्टि से वह एशिया की आत्मा के सबसे बड़े सदेशवाहक थे। अपने वशगत उत्तराधिकार और वातावरण के प्रभाव से उनकी प्रतिभा का सर्वतोन्मुखी विकास हुआ। साहित्य, दर्शन, कला और सगीत आदि में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को प्रस्फुटित किया। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी तूलिका की नोक में एकतारे की भक्तार-भरी और प्रतिभा की इसी पूर्णता के कारण वह 'विश्वकवि' और 'गुरुदेव' के नाम से सासार में पूज्य हुए।

उनकी कविता में विचारों की गम्भीरता है और उससे प्राप्त होने वाला आनंद, हमारी ऐद्रियिक सबेदना को ही जागृत नहीं करता, वरन् हृदय को भी प्रभावित करता है। वह मानव के सूक्ष्म विचारों के चरम शिखर पर स्थित है और उनमें सौर्यान्वेषण की जो भावना है वह सत्य के मदिर तक पहुँचाने से सच्चम है। रवीन्द्रनाथ के विचार में, लक्ष्य की दृष्टि से, काव्य और दर्शन एक ही मजिल की ओर यात्रा करने वाले दो पथिक हैं। उनका लक्ष्य एक है, केवल मार्ग भिन्न है। यद्यपि रवीन्द्रनाथ काव्य और दर्शन दोनों का लक्ष्य एक मानते हैं, तथापि, यदि हम उनके काव्य में तर्कमगत और सुव्यवस्थित अध्यात्मदर्शन की खोज करें, तो निराश होना पड़ेगा, क्योंकि उनका दर्शन कवि-कल्पना है, हृदय की बेदना है, अध्यात्म के सिद्धातों का तर्कयुक्त निरूपण नहीं। सभवत इसी लिए डा० राधाकृष्णन् ने उनके सबव में कहा है कि 'रवीन्द्र में दर्शन-पद्धति की अपेक्षा दार्शनिक वातावरण अधिक है।'

रवीन्द्रनाथ ने स्वयं दर्शन-विषयक अपनी मौलिकता का दावा नहीं किया है। 'बगभाषेर लेखक' में उन्होंने स्वीकार किया है कि 'द्वैत और अद्वैत के विवाद में मैं केवल मौन रह सकता हूँ।' उनके इस कथन से सामान्य जन सभवत यह समझें कि केवल व्यक्तिपूजा की भावना से ही प्रेरित होकर उनके प्रशसकों ने उन्हें 'गुरुदेव' कहा है, कितु ऐसा विचार सत्य के निकट नहीं है। तथ्य यह है कि रवीन्द्रनाथ के विश्वास आत्मानुभव पर आधारित है। जिस सत्य का उन्होंने साक्षात्कार किया, वह पोथी पढ़ कर नहीं प्राप्त किया गया है, दर्शनशास्त्र के अध्ययन द्वारा अधिगत सत्य नहीं है, वरन् सहज या प्रातिभूत ज्ञान द्वारा साक्षात्कृत है। अपने सहज ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने सत्य का बोध प्राप्त किया। अत कवि होने के नाते स्वभावत उन्होंने इस बौद्धिक द्वद्व में पड़ना उचित नहीं समझा। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह द्वैत और अद्वैत सबधीं विचारों से पूर्णतया तटस्थ रहे। उन्होंने अपने चित्रों और काव्य के माध्यम से सत्य की जो अभिव्यक्ति की तथा उनकी कृतियों एवं भाषणों में जो दर्शन-विषयक प्रभूत विचार बिखरे पड़े हैं उनके आधार पर आस्तिक दर्शन की रूप-रेखा निश्चित की जा सकती है।

समन्वयवादी दृष्टिकोण

रवीन्द्रनाथ ने सत्य की उपलब्धि के लिए आत्मानुभव को ही साधन माना और उसी का अनुगमन किया, अत उन्होंने सत्य के साक्षात्कार में सहायक उन पद्धतियों का प्रतिवाद किया जो मनुष्य के भावात्मक पक्ष की सर्वथा उपेक्षा करती है। उनके विचार में अनुभव सत्य एक महान समन्वयकारी प्रक्रिया है। उसके प्रतिकूल कोरी तर्कवादिता मुख्यत विश्लेषण-प्रधान है। उन्होंने ब्रह्मसमाज, उपनिषद्, वैष्णव विचारधारा, बौद्ध और ईसाई धर्म के नाम पक्षों और प्रभावों को आत्मसात् किया। इन विरोधी विचार-धाराओं के बीच उन्होंने शाति-स्थापन या समन्वय का कार्य किया। उन्होंने किसी एक विचारधारा का पक्ष नहीं लिया क्योंकि उनके विचार में 'विरोधी शक्तियों के बीच संगति

की स्थापना में ही सृष्टि है' और 'सबध में हो भृत्य का मौलिक रूप से निवास है।' इसा समन्वयी दृष्टि से उन्होंने ज्ञान के सभी श्रगों को ग्रहण किया और इसी समन्वय की भावना को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया।

इस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने प्रकृतिवाद तथा विश्ववाद, मानववाद तथा प्रपत्ति और अत्स्थ एव परस्थ के छोरों को निकट लाने का प्रयत्न किया है। रवीन्द्रनाथ ने जीवन के आनंद में विश्वास रखते हुए भी अपने नीतिशास्त्र में 'सुखवाद' का विरोध किया है क्योंकि उन्होंने 'आनंद' को 'सुख' से श्रेष्ठ माना है। उन्होंने व्यष्टि और समष्टि स्वतंत्रता और नियतिवाद तथा तपस्या एव अहसबधी आदर्शों में सतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। उनके सौदर्य-सिद्धात में प्रमाण (External Harmony) और लावण्य (Internal Harmony) को उचित स्थान प्राप्त है। उन्होंने इसी ग्रीचित्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रचनाओं में मानव और देवना दोनों की अभिव्यक्ति की है, अपनी कला द्वारा रोमाटिक तथा यथार्थवादी, दोनों आदर्शों की तुष्टि की है। सच्चे दार्शनिक की भाँति उन्होंने स्वीकार किया है कि सत्य को ग्रहण करना कठिन है, उसको व्याख्या करना और भी कठिन है तथा किसी मिद्दात से उसकी तुलना करना सबसे कठिन कार्य है।

अद्वैतः ब्रह्म

रवान्द्रताथ प्रेम और मृत्यु में अतर नहीं मानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा इन दोनों की अभिन्नता को प्रमाणित किया है। प्रेम और मृत्यु की अभिन्नता प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार सच्चे प्रेम में प्रेमी मनुष्य का सपूर्ण व्यक्तित्व प्रियतम में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार अहकार की मृत्यु से भी मनुष्य का व्यक्तित्व विश्वात्मा में लय हो जाता है। व्यक्तित्व का लय हो जाना दोनों दशाओं में अनिवार्य है, अत तात्त्विक दृष्टि से दोनों में कोई अतर नहीं है, वरन् दोनों लगभग अभिन्न है। जिस प्रकार प्रेम के क्षेत्र में किये जाने वाले त्याग में मधुरता होती है, उसी प्रकार 'अह' की मृत्यु भी 'परमपुरुष' के प्रति भक्ति बन जाती है। उनके ये विचार वैष्णव विचाराभारा के सर्वथा अनुकूल हैं, अन रवीन्द्रनाथ के धर्म को 'वैष्णव अद्वैत' कह सकते हैं क्योंकि वह अपने 'परमपुरुष' को 'अद्वैतम्' कहते हैं।

शकर ने जिस निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किया है उसके प्रतिकूल रवीन्द्रनाथ ने कोई तर्कसंगत युक्तियुक्त प्रमाण नहीं दिया है। वह इतना अवश्य कहते हैं कि मनुष्य निर्गुण ब्रह्म की ओर तभी आकर्षित हो सकता है जब उसका मानवीकरण हो जाता है, इससे शब्दों में वह निर्गुण ब्रह्म को ही 'परमपुरुष' कहते हैं जो ब्रह्म का मानवीकृत रूप (Humanised form) है। उनके विचार में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो योग-साधना में रुचि लें, योग-भार्ग का अवलब लेकर ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करे, अत साधा-रण जनों के लिए ईश्वर का मानवीरूप अधिक ग्राह्य है। उन्होंने परमपुरुष को स्वय-

सिद्ध माना है, उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए वह किसी प्रकार के प्रमाण देने के पच्च मे नहीं है और न प्राचीन तथा परपरागत प्रमाणों को उपस्थित करते हैं। उच्च कोटि की अस्तिकता मे अनुभव को प्रमाण से कही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, विशेषत ईश्वर के सबध मे। रवीन्द्रनाथ का भी यही विचार है कि ब्रह्म के विषय मे अथवा उसके अस्तित्व के सबध मे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम प्रकाश के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता की भी अनुभूति करनी चाहिए। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि रवीन्द्रनाथ जब ब्रह्म की कल्पना 'परमपुरुष' या 'विश्वात्मा' के रूप मे करते हैं, उसे व्यक्तित्व प्रदान करते हैं या उसका मानवीकरण करते हैं तो उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि ब्रह्म मनुष्य के रूप मे है। वह उसे मानव की काटि मे नहीं लाते हैं, वरन् उसे उच्च एवं श्रेष्ठ 'उत्स' मानते हैं जिसके लिए मनुष्य प्रयत्न तो करता है, किन्तु उसे प्राप्त नहीं कर पाता।

आत्मा का स्वरूप

उपनिषद् ब्रह्म के स्वरूप को तीन भागो मे विभक्त करते हैं—‘सत्य’ ‘ज्ञान’ और ‘अनन्त’। इसी आधार पर रवीन्द्रनाथ मानवात्मा के भी तीन रूप निश्चित करते हैं—‘मैं हूँ’, ‘मैं जानता हूँ’, और ‘मैं व्यक्त करता हूँ’। ‘मनुष्य की यही तीन दिशाएँ हैं, और इन तीनों को लेकर एक अखड़ सत्य है’। उनके विचार मे सत्य के यही तीनों भाव मनुष्य को विविध प्रकार के क्रिया-कलापों की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इन तीनों की प्रेरणाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि ‘मैं हूँ’ अथवा मुझे अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, इस भावना से प्रेरित होकर हीं मनुष्य अपने जीवन-यापन के साधनों को जुटाता है, व्यवसाय, नौकरी या अन्य कार्य करता है जिनसे उसकी ‘बने रहने’ की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य की आत्मा का दूसरा रूप या भाव है—‘मैं जानता हूँ’। यही भाव मनुष्य को जिज्ञासु बनाता है जिससे मनुष्य ज्ञान-विज्ञान की ओर उन्मुख होता है। इस जिज्ञासा का उपयोग केवल अपने अस्तित्व की रक्षा के साधनों के जानने के लिए ही नहीं होना चाहिए, वरन् उस परम सत्य को जानने, अपनी ज्ञानमयी प्रकृति के साथ एकाकार होने के लिए भी करना चाहिए। तीसरा भाव है—‘मैं व्यक्त करता हूँ’। इसे रवीन्द्रनाथ ने ब्रह्म के अनन्तस्वरूप के अर्तर्गत माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने ब्रह्म के तीनों रूपों के साथ मानवात्मा के भावों को संयुक्त करके देखा है और इसीलिए इन्हे इतना महत्वपूर्ण माना है।

रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि जब केवल अपने अस्तित्व-रक्षा अथवा ‘बने रहने’ की भावना की ही प्रबलता मनुष्य मे होती है तब वह सकीर्णता, और स्वार्थपरता की ओर अग्रसर होता है। जब वह अपने और अपने वश को बनाये रखने का ही प्रयत्न करता है, तब वह ‘अह’ में पूर्णतया आबद्ध होता है। किन्तु जब वह अपने ही भाँति अन्य व्यक्तियों की रक्षा का

अनुभव करने लगता है तब उसका आत्म-विस्तार होता है, उसमें 'अह' की सकीर्णता नष्ट होती है। दूसरों को भी आत्म-रूप में देखना ही मानवात्मा की महानता है, यही उसका गौरव है। अन्य व्यक्तियों से अपने एकत्व-बोध के लिए मनुष्य अपने को नाना प्रकार से 'व्यक्त' करता है।

एक सच्चे अद्वैतवादी की भाँति रवीन्द्रनाथ का विश्वास है कि 'परमपुरुष' ही एकमात्र सत्य है। सीमित (Finite) पदार्थ या व्यक्ति की कोई पृथक् सत्ता नहीं होती है। जीव का आदर्श है विश्व-आत्मा में अपने निजत्व को पूर्णतया लय कर देना। 'मानव धर्म' में उन्होंने कहा है कि "धर्म हमारे निजत्व की, 'विश्वमानव' (Universal Person), जो स्वयं में मानव भी ह, (मेविलयन द्वारा) मुक्ति है।" जब सीमाबद्ध जीव अपने निजत्व की असीम में लय कर देता है तभी वह माया से मुक्ति प्राप्त करता है। यह माया अविद्या से उत्पन्न होती है। इससे छूट कर ही जीव सत्य, शिव और अद्वैतम् में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करता है। रवीन्द्रनाथ के विचार में वस्तुओं का सत्य ज्ञान एकता के परम सिद्धात के सबध में ही जाना जा सकता है। 'क्रिएटिव यूनिटी' में उन्होंने लिखा है, "इस सासार का सत्य क्या है? सासार का सत्य उसके अनेक जड़ पदार्थों में नहीं है, वरन् उनके माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली एकता में है। हमारा वस्तुओं का समस्त ज्ञान उन्हे विश्व के सबध में जानना है—उसके सबध में जो कि परम सत्य है।" किन्तु रवीन्द्रनाथ के विचार में वह परम सत्य सबद्ध-पूर्णता (coherence) के परे है क्योंकि एक अद्वैतवादी की भाँति वह उसकी श्रेष्ठता को सबद्ध-पूर्णता से भी ऊपर स्वीकार करते हैं।

तथ्य और सत्य

रवीन्द्रनाथ ने तथ्य और सत्य के अतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ज्ञान के जिस राज्य में हमारा मन विचरण करता है, उसका रूप द्विपक्षीय है। उसका एक पक्ष तथ्य है और दूसरा सत्य। जो कुछ जैसा है, वैसा ही होना तथ्य है और जो वस्तु तथ्य का आधार है, जिस पर तथ्य अवलबित है वह सत्य है। 'मेरा व्यक्तिरूप है अपने आप में आबद्ध 'मै'।' यह जो तथ्य है, यह है अधिकारवासी। यह स्वयं अपने को प्रकट नहीं कर सकता। इसका परिचय जब भी कोई पूछेगा तो एक बड़े सत्य के माध्यम से, जिस पर यह आधारित है, इसका परिचय देना पड़ेगा। पूछने पर कहना पड़ेगा, 'मै भारतीय हूँ।' किन्तु 'भारतीय' क्या है? वह तो एक अविच्छिन्न वस्तु है, उसे न छुआ जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। किन्तु इस व्यापक सत्य के द्वारा ही तथ्य का परिचय होता है। तथ्य खड़ित होता है—स्वतत्र होता है, सत्य में ही वह अपने वृहत् ऐक्य को प्रकाशित करता है। मै व्यक्तिगत 'मै'—तथ्य में 'मै मनुष्य हूँ' इस तथ्य को जब प्रकट करता हूँ, तभी 'विराट एक' के प्रकाश में मै नित्यता से उद्भासित हो जाता हूँ। तथ्य में सत्य का प्रकाश ही वास्तव में प्रकाश है।"

से करने से मन तृप्ति नहीं होती है। सत्य से प्रेम हुए बिना उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। वैसे तो सत्य से दूर चले जाने पर भी उसके पास लौटा जा सकता है, किंतु सत्य को यदि कृत्रिम शासन की विवशता व अधरूप मान लिया जाय तो फिर उसके पास लौटने का रास्ता ही बन्द हो जाता है।

जगत् और माया

रवीन्द्रनाथ के विचार में सत्ता के कई स्तर हैं। उनके अनुसार इम दृश्य ससार में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ सत्ता है क्योंकि वह 'परमपुरुष' के अत्यन्त निकट है। उन्होंने जिसे परमपुरुष कहा है वह वास्तव में ब्रह्म (परम सत्य) का मानवीकृत रूप है। यहाँ यह पूछा जा सकता है कि जब मानव 'परमपुरुष' के अत्यर्त निकट है, तो उसकी अनुभूति सीमित क्यों है? रवीन्द्रनाथ ने माया या अविद्या को इसका कारण बताया है। यद्यपि वह माया को स्वीकार करते हैं, फिर भी उनके विचार शकाराचार्य से भिन्न हैं। शकाराचार्य के विचार में माया न सत् है और न असत् है, यह अनिर्वचनीय है। रवीन्द्रनाथ माया को दोनों मानते हैं अर्थात् माया 'सत्' और 'असत्' दोनों हैं। वह उसे एक तात्त्विक सत्ता के रूप में मानते हैं। रवीन्द्रनाथ वल्लभाचार्य और उनके सप्रदाय की माया-सबधी मान्यता से भी थोड़ा मतभेद रखते हैं। वल्लभ के अनुसार मनुष्य का ब्रह्म से पृथकता का अनुभव ही माया अथवा अविद्या है। यह पृथकत्व को भावना केवल एक विवर्त है। किंतु रवीन्द्रनाथ के लिए माया ज्ञा अस्तित्व है भी और नहीं भी है। उनके विचार में माया की सत्ता बुएँ के समान है, जो अग्नि को आवृत भी कर लेता है और उसका पूर्वाभास भी देता है। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ की माया का सिद्धात शकर के सिद्धात से भिन्न होते हुए वल्लभाचार्य के विचारों से कुछ साम्य रखता है।

रवीन्द्रनाथ ने यद्यपि आध्यात्मिकता पर बल दिया है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ससार की वास्तविकता से अन्यमनस्क है। उनके विचार में यह ससार न तो बधन है और न विभ्रम ही है। यह आत्मविकास का अवसर प्रदान करते वाला तथा आत्मबोध का साधन है। यहीं वह मार्ग है जिसका निर्देश उपनिषद् के ऋषियों ने गीता में किया है। वह जीवन को ग्रानदमय मानते हैं। उनका कथन है कि जब स्वयं ब्रह्म ने ही सृष्टि-रचना के बधन को स्वीकार किया है, तब क्या हम इस सासारिक बधन को स्वीकार नहीं करेंगे? यदि हमने मास और चर्ममय शरीर धारण किया है, तो हमें इसके लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मानवीय सबध आध्यात्मिक जीवन के स्रोत है। ईश्वर 'आममानी सुल्तान' नहीं है, वह सर्वव्यापी है। प्रत्येक वस्तु में हम उसका दर्शन करते हैं।

ब्रह्म और जगत्

ब्रह्म और जगत् के सबध में विचार करते हुए रवीन्द्रनाथ इम नानारूपात्मक जगत् में 'एकता' की अभिव्यक्ति का दर्शन करते हैं। उनके मत में यह एकता ही अपने को ससार

के विविध रूपों में व्यक्त कर रही है। यही विश्व में सगति की स्थापना करती है। जैसे सर्गीत के एक ही स्वर को कई लयों में गाया जाता है, किंतु लय का स्वर से प्रथक् कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार इस नानाव्यापात्मक भमार का महस्व तभी तक है जब तक उसकी विविधता के भीतर 'एकता' की स्थिति है। उनके मत में विश्व के तयाकथित नियम 'विविधता में एकता' के प्रतिबिंब है और 'परम एकता' ही सारे नियमों का नियम है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस दशा में जब कि एक बार भनुष्य अपने निजत्व को 'परमपुरुष' में लय कर देता है, तो उसके कर्म स्वातन्त्र्य पर विश्व के नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रवीन्द्रनाथ की दृष्टि में ऐसा होना सभव है। उनके विचार में कोई भी व्यक्ति अह का विसर्जन करके प्रेम के माध्यम से ब्रह्म में लीन हो सकता है। इससे भी बढ़कर वह इस बात पर सदैव बल देते हैं कि केवल प्रम द्वारा ही परम सत्य का साक्षात्कार और परम एकता की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार प्रेम हमें नियमों के बन्धन से परे होने में सहायता देता है। [†] 'साधना' में उन्होंने कहा है—“जिन्होंने यह जान लिया है कि आनंद की अभिव्यक्ति नियमों के माध्यम से होती है, उन्होंने ही नियमों से परे होना सीख लिया है।”[‡] उनके अनुसार स्वाधीनता का अर्थ नियमों से मुक्ति नहीं है बरन् नियमों को अपने में आत्मसात् कर लेना है। इसी को वह जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन व सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं। हम अपने अनिर्दिष्ट की पूर्ति तभी करते हैं जब अनेकता से एकता के आनंद की ओर और नियमों के बन्धन से प्रेम को ओर अग्रसर होकर अपनी सीमाबद्धता को असीम के साथ जोड़ दें। रवीन्द्रनाथ के विचार में 'धर्म' 'रिलीजन' से अधिक गभीर और अर्थगम्भीर शब्द है। धर्म ही सभी वस्तुओं की अत-प्रकृति, सारतत्त्व और निहित सत्य है। धर्म जीवन का अतिम उद्देश्य है जो हम सबके भीतर गतिशील है। जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो कहते हैं कि हमसे धर्म-प्रतिकूल कार्य हो गया, तात्पर्य यह है कि अपनी वास्तविक प्रकृति के प्रति भूठा कार्य हुआ। अत कहा जा सकता है कि 'धर्म' हमारे अनिर्दिष्ट का लक्ष्य है। इस अर्थ में 'परमपुरुष' ही सीमाबद्ध भनुष्य का धर्म है।

परमपुरुष की अनुभूति का साधन : प्रेम

रवीन्द्रनाथ ने भक्ति-योग द्वारा परम-पुरुष की अनुभूति पर बल दिया है। उनके अनुसार बहुत कम व्यक्ति हैं जो योग-साधन द्वारा ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करें। साधारण व्यक्तियों के लिए ब्रह्म का मानवीकृत रूप ही ग्राह्य है, अत वे प्रेम या भक्ति द्वारा ही ईश्वर तक शीर्ष पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी रवीन्द्रनाथ ने प्रेम को ज्ञान से ऊँचा स्थान दिया है और उसे ब्रह्म की अनुभूति का धोष साधन या मार्ग माना है। 'साधना' में

[†] Tagore : 'Sadhna', p. 119

उन्होने लिखा है 'कि बुद्धि हने ज्ञेय वस्तुओं से पृथक् करती है, किन्तु प्रेम अपनी विलीनता के द्वारा लक्ष्य को पहचानता है और उससे एकता स्थापित करता है।' प्रेम में विभिन्न अस्तित्व के अतर्विरोध नष्ट हो जाते हैं। प्रेम में द्वैत और अद्वैत में विरोध नहीं रहता। चेतना के उच्चतम रूप को प्रेम में लीन करके ही हम 'ब्रह्मविहार' की प्राप्ति कर सकते हैं। 'ब्रह्मविहार' को स्पष्ट करते हुए उन्होने लिखा है कि पुत्र के प्रति माता का जो प्रेम होता है उसी अपरिमेय प्रेम से विश्व को अपना समझकर देखना ही 'ब्रह्मविहार' है।

उनके विचार में प्रेम ज्ञान की सिद्धि है क्योंकि ज्ञान यदि सत्य है तो उसे 'एकता' का ग्रहण करना आवश्यक है। बुद्धि का कार्य विश्लेषण है और प्रेम का सश्लेषण या समन्वय। बुद्धि विषय और विषयी में भेद करके चलती है, वह दोनों के भेद को भूलती ही नहीं है और जब तक यह द्वैत की भावना वर्तमान रहती है तब तक विषय में विषयी का पर्यवसान नहीं हो सकता। अत विषय और विषयी के भेद को तिरोहित करने के निए बुद्धि के स्थान पर अत ज्ञान का सहारा लेना होगा। अत ज्ञान इस भेद को दूर कर के एकता का आभास प्रदान करता है। ज्ञान के दृष्टिकोण से एकता ग्रहण करने को अत ज्ञान कहते हैं और उसी को मानव-अनुभव के दृष्टिकोण से प्रेम। रवीन्द्रनाथ के दर्शन का लक्ष्य मानव रूप में 'परमपूरुष' की प्रतीति है, अत वह उसे प्रेम ही कहते हैं।

इसमें कोई सदेह नहीं, कि रवीन्द्रनाथ रहस्यवादी है, क्योंकि कल्पना की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति से बचने का प्रयास वह नहीं करते, परतु फिर भी वह नश्वर जगत् के प्रति उदासीन नहीं है। उनकी देन यही है कि वह व्यावहारिक जगत् में सक्रिय रुचि और अद्वैत की भावना, दोनों में संगति स्थापित करते हैं। उनके विचार में वैराग्य और ज्ञानमार्ग ही केवल परम सत्य के साक्षात्कार के साधन नहीं हैं। उनका कहना है कि ससार और उसके अनुभवों का त्याग करने के लिए कहना वैसा ही है जैसे शरीर को छोड़ कर कूद पड़ना। हम वैराग्य मार्ग का अनुसरण करके ससार में अतर्निहित एकता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उन्होने चेतावनी दी है कि इस प्रकार के कार्य हमें द्वैत की ओर ले जायेगे। उनके विचार में केवल प्रेम—जो सक्रिय रूप में एकता की प्रतीति कराता है—द्वारा ही हम जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने अपने दर्शन में अद्वैत और वैष्णव भक्ति का समन्वय किया है। ऐसा प्रयत्न केवल रवीन्द्रनाथ ने ही नहीं किया है, किन्तु वल्लभाचार्य ने भी किया है। इसे 'वैष्णव-अद्वैत' कह सकते हैं। रवीन्द्रनाथ और वल्लभाचार्य दोनों के विचार में अद्वैत तर्फ और प्रमाण के परे है, अत दोनों ने ईश्वर को 'परम ऐक्य' माना है और दोनों ने प्रेम को सभी भेदों से परे होने का साधन स्वीकार किया है।

शिक्षा-दर्शन

रवीन्द्रनाथ ने जिस प्रकार जीवन-दर्शन के सबध में समन्वयकारी अतर्दृष्टि से विचार किया है, उसी प्रकार उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी समन्वय को विशेष महत्वपूर्ण माना है। उनके शिक्षा-दर्शन में आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद, राष्ट्रवाद और अतराष्ट्रवाद में यह समन्वयकारी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उन्होंने व्यक्ति के जीवन को भी एक समन्वय माना है, अत शिक्षा के सभी उपक्रमो—लक्ष्य, पाठ्यविषय आदि में यही दृष्टिकोण परिलक्षित है।

जीवन का चरम लक्ष्य

रवीन्द्रनाथ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है—‘मनुष्य को मनुष्य’ बनाना। उनके विचार में, मनुष्य को जो जिस रूप में देखता है, वह उसी के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य के अनुरूप ही समस्त शिक्षा का आयोजन करता है। मनुष्य को तीन रूपों में देखा जा सकता है, (१) वह एक जीव है, (२) वह एक सामाजिक जीव है और (३) वह आत्मा है। भारतीय आदर्शवादी परपरा के अनुसार मनुष्य के प्रथम दो रूपों की सार्थकता तीसरे रूप के अतर्गत रहने में ही है। मनुष्य का वास्तविक रूप आत्मा है।

जीवन की इन विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि आहार-संग्रह तथा आत्म-रक्षा की प्रवृत्ति का जहाँ तक प्रश्न है, मनुष्य का जीवन पशु-पक्षियों के समान ही है। किन्तु मनुष्य केवल ‘जीव’ नहीं है वह ‘एक सामाजिक जीव है’। मनुष्य की विशिष्टता इस बात में है कि वह केवल आहार-संग्रह और अपनी रक्षा करके ही सतोष का अनुभव नहीं करता, वह समाज के प्रति भी अपने दायित्व को समझता है। वह समाज के अन्य व्यक्तियों के हितार्थ अपने व्यक्तिगत सुखों को तिलाजिल दे सकता है। इसी दृष्टि से मनुष्य पशु-पक्षियों से श्रेष्ठ है। किन्तु मनुष्य को केवल ‘सामाजिक जीव’ कह देने से भी उसके पूर्ण स्वरूप का परिचय नहीं मिलता। कारण, सामाजिकता तो उसके पूर्ण रूप का एक पक्ष है, एक अग्र है। मनुष्य का पूर्ण परिचय ऐव उसके जीवन की समग्रता का बोध तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उसे आत्मा के रूप में देखें। अपने इस रूप में वह समस्त सृष्टि से तद्रूप होता है। भारतीय ऋषियों के आदेश—‘आत्मान विद्धि’ अर्थात् आत्मा को जानो—का रवीन्द्रनाथ पूर्णतया समर्थन करते आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने को ही, उन्होंने मानव-जीवन की चरम सिद्धि

मनुष्य का सामान्य जीवन उसके आदर्श जीवन का अनुगामी होता है। इसी कारण, जहाँ मनुष्य को आहार, निद्रा आदि की मूल प्रवृत्तियाँ उसे सामान्य जीव की भाँति जीवन

व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती है, वही सामाजिक जीवन की प्रेरणा उसे उन पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए वाद्य करती है। समाज के लिए इसी व्यक्तिगत भूख, प्यास, स्वार्थ आदि के त्याग करने को 'धर्म' कहते हैं। अत मनुष्य के 'जीव-धर्म' को सयत करके उसे समाज-धर्म के अनुकूल करना ही सामाजिक जीव की शिक्षा का प्रधान कार्य है। रवीन्द्रनाथ का कथन है कि भारत में मानव के सत्य को, उसके बास्तविक स्वरूप को सामाजिकता तक ही सीमित नहीं माना गया है। यह सत्य समाज-धर्म को पहचानने और उसका अनुसरण करने तक ही सीमित नहीं है। इस सत्य की प्राप्ति आत्मा को प्राप्ति अथवा आत्मोपलब्धि है। अत जीव-धर्म और समाज-धर्म दोनों को 'आत्म-उपलब्धि' के अनुगत करने की साधना' ही शिक्षा है।

पाश्चात्य सभ्यता और लक्ष्य के सबध में विचार करते हुए रवीन्द्रनाथ ने कहा है कि पश्चिम ने मनुष्य को किसी स्थान पर लक्ष्य निर्धारित नहीं करने दिया है। कारण, पाश्चात्य सभ्यता का मूल-मत्र अथवा सारतत्व है 'प्रगति' (Progress)। 'प्रगति' का अर्थ है निरतर चलते रहना, लक्ष्य तक पहुँचना नहीं, 'शिकार के पीछे दौड़ते रहना, शिकार पाना नहीं।'[†] अत जीवन के प्रत्येक कार्य—धनार्जन, ज्ञानार्जन आदि में वहाँ के लोगों का उद्देश्य है निरतर अग्रसर होना, उनके कार्यों का कोई अत नहीं है वरोंकि उनका कोई निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं है। उनके यहाँ जीवन के दो ही भाग देखने में आते हैं—एक शिक्षा ग्रहण करने का और दूसरा संसार में कार्य करने का। इस प्रकार कार्य करते-करते, बिना किसी लक्ष्य की पूर्ति के ही वहाँ लोगों की जीवन-यात्रा सहसा समाप्त हो जाती है। किंतु भारत का जीवन-दर्शन इससे सर्वथा भिन्न है। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक पहुँचने में ही जीवन की सार्थकता मानी गयी है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है 'आत्मोपलब्धि'—आत्मा की प्राप्ति, और इसकी प्राप्ति के लिए जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम दो भाग, पाश्चात्य जगत् की तरह शिक्षा ग्रहण करने और सासार में कार्यरत रहने के हैं और अतिम दो धीरे-धीरे ससार के बधनों को शिथिल करने और ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए हैं। मनुष्य और मनुष्य के लक्ष्य के प्रति ऐसा दृष्टिकोण होने के कारण ही भारतवर्ष ग्रन्थे धर्म-मार्ग से कभी विपथ नहीं हुआ है, अपनी आस्था पर अड़िग रहा है और सनातन सत्य के प्रति अपना अटल विश्वास बनाये रख सका है। हमारे देश में 'आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन' के मत्र का सतत स्मरण होता रहा है और ब्रह्माननद को जान् कर मनुष्य किसी से भयभीत नहीं रहा। इसी 'ब्रह्म के आनन्द,' 'एक' के आनन्द को भारत ने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है और रवीन्द्रनाथ के अनुसार यही शिक्षा का भी चरम लन्ध्य है।

[†] 'Not the game but the chase'

व्यक्तिवाद का आदर्श

रवीन्द्रनाथ मूलत व्यक्तिवादी है और उनके विचार में प्रत्येक मनुष्य को अपने विचारों के अनुमार, अपने ढंग से जीवन को बनाने का अधिकार और स्वतंत्रता है। किंतु उनके इस व्यक्तिवाद का स्वरूप मूलत भारतीय है, जिसके कारण पाश्चात्य देशों के व्यक्तिवाद की तुलना में इसमें एक विशेषता पायी जाती है। उनके व्यक्तिवाद में मानव-एकता ही नहीं वरन् समग्र सृष्टि—मानव एवं प्रकृति—की एकता को विस्तृत स्थान प्राप्त है। उनके विचार में जगत् की विविधता के बीन इस मौलिक एकता का कारण है हमसे से प्रत्येक में सर्वात्मीयी ब्रह्म की स्थिति। ब्रह्म का अश होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न एवं अद्वितीय है। प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से ब्रह्म अपनी अद्वितीय परतु आशिक अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक में ब्रह्म की इसी अभिव्यक्ति के कारण व्यक्ति मानव-एकता का बोध करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के माध्यम से, पृथक्-पृथक् ढंग से, हम ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति का प्रयत्न करते हैं। पुन प्रकृति में भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति के कारण, हम मानव-एकता के साथ-साथ, मानव और प्रकृति के बीच भी एकता का अनुभव करते हैं। इसी एकता के कारण, रवीन्द्रनाथ, वैयक्तिकता के विकास पर अनपेक्षित बल नहीं देते क्योंकि अनपेक्षित बल व्यक्ति के अहकार को विकृत कर देता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुँचाना है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी पूर्ण होगा जब वह इसी मौलिक एकता का अनुभव करेगा। इसी अनुभव के आधार पर व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता का बोध करेगा, अपने सत्य रूप का बोध करेगा। 'व्यक्ति-स्वातन्त्र्य' हमारे देश में आरम्भ से ही साधना का विषय रहा है।

उर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि 'व्यक्ति-स्वातन्त्र्य' से व्यक्ति की भौतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य नहीं, वरन् उसकी आत्मा की स्वतंत्रता अथवा आत्मा की मुक्ति से है। 'व्यक्ति-स्वातन्त्र्य' व्यक्ति समाज के नियम-समय के बघन में रहकर ही प्राप्त करेगा। अत व्यक्ति का समाज के साथ यथार्थ सबध जानने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को उसके सत्य रूप में देखा जाय। कारण, मनुष्य को समाज के प्रयोजनवादी दृष्टिकोण से देखने पर उसका वास्तविक व्यक्तित्व हमारी दृष्टि से श्रोफल हो जायगा। उदाहरण के लिए, यदि हम आम को केवल खटाई की दृष्टि से देखें तो उसे कच्चा तोड़कर, उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुँचायेंगे और उसका पूरा रूप नहीं देख पायेंगे, यदि वृक्ष को केवल ईधन की दृष्टि से देखें तो उसकी सपूर्ण सु दरता के बोध से वचित रहेंगे, इसी प्रकार चाणिक प्रयोजनों एवं आवश्यकताओं के आधार पर हम व्यक्ति को केवल सैनिक, वैशिक, नागरिक, देशभक्त आदि के रूप में ही देख सकेंगे और इन्हीं रूपों में उसकी सार्थकता को ग्रांकेंगे। मनुष्य को इस एकागी दृष्टि से देखने में भी किंचित् हित है परतु यदि हम अपनी दृष्टि एकागी ही रखेंगे तो उससे अत में अधिक अहित की ही सभावना है क्योंकि हम व्यक्ति का समग्र, पूर्ण एवं सत्य-रूप विकसित होते न देख

पायेंगे। इनी एकाग्री दृष्टि से बचने के लिए हमारे देश में मनुष्य को सत्य-रूप में देखने पर बल दिया गया है क्योंकि उसकी आत्मा सब प्रकार के प्रयोजनों से बड़ी है। रवीन्द्रनाथ नाथ ने चाणक्य के निम्नाकृति विचार का समर्थन किया है —

त्यजेदेकं कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत् ।
ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् ॥

अर्थात् मनुष्य की आत्मा कुल, ग्राम, जनपद और पृथिवी से भी बड़ी है। रवीन्द्रनाथ के विचार में “मनुष्य की आत्मा को समस्त देशिक और चाणिक प्रयोजनों से पृथक् करके विशुद्ध और वृहत् रूप में देखना होगा, तभी संसार के समस्त प्रयोजनों के साथ उसके सत्य सबध और जीवन के चेत्र में उसके यथार्थ स्थान का निर्णय करना सभव हो सकता है।”† मनुष्य की आत्मा विशाल है, व्यापक है और उसकी मर्यादा की कहीं सीमा नहीं है अत उसकी समाप्ति ब्रह्म में ही है।

रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि भारतवर्ष आरम्भ से ही जानता ‘था कि मनुष्य का अतिम लक्ष्य समाज नहीं है। समाज का निर्माण इसलिए हुआ है कि वह मनुष्य को मुक्ति के मार्ग में अग्रसर कराने का प्रयत्न करे। रवीन्द्रनाथ के विचार में मनुष्य ने जो सभी प्रकार के सामाजिक सगठन बनाए हैं, उनसे यह व्यक्त होता है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ आध्यात्मिक सबध है। इस आध्यात्मिक सबध के कारण दूसरे मनुष्यों की कल्याण-कामना से प्रेरित होकर मनुष्य सामाजिक सगठनों का निर्माण करता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि समाज और सामाजिक कर्तव्य में ही मनुष्य के व्यक्तित्व की पूर्ति है। उनके व्यक्तिवाद में एकता की भावना निहित है, अत वह सामाजिक दलों का निर्माण, मनुष्य के आध्यात्मिक महत्व के आधार पर करने के पक्ष में है। वह केवल सामाजिक प्रगति के लिए समाज-सेवा को महत्व नहीं देते, वरन् व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अत व्यक्ति और समाज में विरोध नहीं है। ‘व्यक्ति-स्वातन्त्र्य’ की प्राप्ति के लिए समाज एक अनिर्वाय माध्यम है।

रवीन्द्रनाथ सब मनुष्यों में ब्रह्म की अभिव्यक्ति के कारण व्यक्ति को दो रूपों में देखते हैं—प्रथम, वह समाज का एक अग्र है। उसका अस्तित्व समाज से परे नहीं है। सब मनुष्यों से आत्मीयता स्थापित करके ही वह ब्रह्म को पाने की चेष्टा कर सकता है। द्वितीय, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से ब्रह्म अपनी आशिक परन्तु अद्वितीय अभिव्यक्ति करता है, अत प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न है और स्वयं में पूर्ण है। रवीन्द्रनाथ अपनी शिक्षा-पद्धति में व्यक्ति के इन दोनों रूपों में से किसी पक्ष की उपेक्षा नहीं करते। प्रथम पक्ष को, वह जीवन के अतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक

†‘रवीन्द्र साहित्य,’ भाग २५, पृष्ठ ८८

और द्वितीय पक्ष को शिक्षण-पद्धति में श्रधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रत्येक बालक में अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ होती हैं जिन्हे अध्यापक को ढूँढ़ना और विकसित करना है। कारण, इन वैयक्तिक विशेषताओं और चमत्कारों के हनन से बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास न हो सकेगा। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धात के विरोधी है। वह व्यक्तिगत प्रभेदों का बलिदान कर के बाह्य रूप से शिक्षा में समरूपता लाने के पक्ष में नहीं है।

राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद

रवीन्द्रनाथ ने जिस प्रकार व्यक्ति और समाज के बीच के विरोध को दूर किया है उसी प्रकार राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता के बीच के विरोध को, 'अनेकता में एकता' के आदर्शवादी सिद्धात के आधार पर दूर करने की चेष्टा की है। उन्हीं के शब्दों में "गद्यपि मानव-जातियों में प्राकृतिक भेद है, जिनकी रक्षा और सम्मान करना चाहिए, तथापि इन भेदों के होते हुए भी हमारी शिक्षा का उद्देश्य मानव-एकता का बोध तथा विरोधों के बीच सत्य की खोज होना चाहिए।"† रवीन्द्रनाथ अन्तर्राष्ट्रवाद की भावना को सही दिशा में विकसित करना चाहते थे। मानव-जाति की एकता और उसके माध्यम से ब्रह्म की अभिव्यक्ति की भावना में ही उनके अन्तर्राष्ट्रवाद का मूल स्रोत निहित है। वह उन सभी प्रयत्नों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करना चाहते जो सृष्टि में अन्तर्निहित, अविभाज्य मौलिक एकता के बोध में बाधक है। यही कारण है कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक दलबदियों के भेद को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य इसलिए सामाजिक सगठन करता है क्योंकि उसके भीतर दूसरे मनुष्यों से आध्यात्मिक सबध स्थापित करने की आतंरिक प्रेरणा है। इसके प्रतिकूल राजनीतिक सगठनों के पीछे सकीर्ण एकाकीपन की भावना होती है। यद्यपि वह सामूहिक स्सकृति के महत्व को स्वीकार करते हैं, भिर भी राष्ट्रवाद के छव्यरूप में राजनीतिक गुटबदी को नहीं मानते। इसीलिए उन्होंने योरोप के सकुचित राष्ट्रवाद का विरोध किया और अतर्राष्ट्रीयता में अपना विश्वास प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि उनके अतर्राष्ट्रवाद का आधार आर्थिक व राजनीतिक नहीं है बरन् मौलिक रूप से आध्यात्मिक और मानवतावादी है। मानव-बधुत्व में उनका दृढ़ विश्वास था। अत वह अत सास्कृतिक एवं अतजर्जिय सर्पक को बढ़ाना चाहते थे और इस प्रकार वर्तमान युग के चरम लक्ष्य—मानव-जाति की एकता—की पूर्ति करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने 'विश्व-भारती' की स्थापना की।

अतर्राष्ट्रीयता के समर्थक होने के कारण, वह उसकी प्राप्ति के लिए किसी देश की राष्ट्रीयता का बलिदान नहीं चाहते थे। अतर्राष्ट्रीयता की भावना को आध्यात्मिक

† Tagore Thoughts on Education, 'The Visva-Bharti Quarterly,
Vol XIII, 1947, p 7

आधार पर विकसित करने के कारण, वह प्रत्येक राष्ट्र के उत्थान एवं विकास में ही वास्तविक अतर्राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्ति मानते हैं। इस सबध में उनके विचार एक पत्र में मिलते हैं, जिसे उन्होंने शान्तिनिकेन के एक सह-ग्रन्थापक को लिखा था।† इस पत्र में उनका कहना है कि विद्यार्थियों में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान के भाव विकसित होने चाहिए। उनमें मातृभूमि के प्रति भक्ति और पूजा का भाव इष्ट है। जिस प्रकार माता-पिता में दिव्यता को भावना निहित होती है उसी प्रकार मातृभूमि में दिव्यता का भाव निहित है। यही मातृभूमि हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि और शिक्षा का का केन्द्र है। अत वह भी उतनी ही पूजनीय है जितने माता-पिता। विद्यार्थियों को कभी भी सकुचित दृष्टिकोण से दूसरे देशों की तुलना में मातृभूमि के प्रति वृणा, उपहास, उपेक्षा और अनादर करना नहीं सीखना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय उत्तराधिकार और उसकी विशेषताओं की उपेक्षा करने से स्वतंत्रता की प्राप्ति या रक्षा नहीं हो सकती है। जब हम अपने चरित्र को राष्ट्र की प्रमुख विशेषताओं और महानताओं के अनुकूल पूर्ण बनायेंगे तभी सच्चे अर्थों में विश्वनागरिक के कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। अपनी राष्ट्रीय विशेषताओं की उपेक्षा करके दूसरे राष्ट्रों से मिलना लाभप्रद नहीं होता। इस प्रकार के आत्मघात और आत्मविनाश के द्वारा हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। अपने निजीपत का विनाश करके हम जो कुछ भी प्राप्त करेंगे, वह नगण्य होगा। अन हमारे लिए यही शुभ है कि हम विस्तृत अर्थों में, व्यापक दृष्टिकोण से अपने राष्ट्रीय मार्ग का अनुगमन करे। विदेशों का अनुकरण हमारे लिए वरदान नहीं होगा।

संगतिपूर्ण विकास

समन्वयवादी दृष्टिकोण होने के कारण, रवीन्द्रनाथ ऐसी शिक्षा में विश्वास करते हैं जो मनुष्य को पूर्ण बनाए। उपनिषदों की परपरा के अनुसार वह जीवन के दो पक्ष स्वीकार करते हैं—आत्मिक (आध्यात्मिक) तथा वाह्य (सामाजिक)। आध्यात्मिक पक्ष मनुष्य-जीवन के शाश्वत लक्ष्य—आत्मानुभूति अथवा परम-पुरुष से योग-स्थापन की ओर सकेत करता है। उनके अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव-मन का उत्थान और विस्तार करके 'योग' की प्राप्ति की जा सकती है। योग का तात्पर्य है मन का मानव और प्रकृति के साथ आत्मीयता-पूर्ण सबध-स्थापन। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि व्यक्ति का चरित्र निर्मल हो और द्वितीय, वह अपनी साधना में निरन्तर रत रहे। अत रवीन्द्रनाथ ने स्पष्ट कहा है कि विद्यालयों को बालकों के लिए केवल पाठ पढ़ने के स्थल नहीं होने चाहिए। उनका काम आत्मा का निर्देश तथा आत्मिक प्रेम की प्रेरणा प्रदान करना भी है। सामाजिक पक्ष मनुष्य के जीवन के समाज-सदब्धी क्रिया-कलापों एवं नियम और बधन तथा वातावरण में

† विद्या और विद्यालय का आदर्श, 'शिक्षा', जूलाई, १९५५, पृष्ठ १३०

उसकी व्यावहारिक कुशलता की ओर सकेत करता है। शिक्षा द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालय बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करे ताकि इन क्रियाओं के माध्यम से वे अपनी क्रियात्मक शक्तियों को व्यावहारिक रूप दे सकें। इसके प्रतिरिक्ष बालकों को विद्यालय में अपनी सृजनात्मक एवं रचनात्मक चमत्कारों के विकासित होने के लिए भी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। कारण, इन शक्तियों एवं चमत्कारों की निरतर गतिशीलता से चरित्र-निर्माण में सहायता मिलती है तथा उसमें सचित दोष और विनाश की ओर ले जाने वाले तत्व स्वयं नष्ट हो जाते हैं। सामाजिक पक्ष की शिक्षा के सबध में रवीन्द्रनाथ ने पाश्चात्य शिक्षादर्श की व्यावहारिकता को भारतीय शिक्षण-पठनि में स्थान देने का समर्थन किया है और कहा है कि भारतीय शिक्षादर्श को शक्तिशाली एवं यथार्थ रूप में कार्यान्वित करने के लिए पाश्चात्य प्रतिभा का समन्वय करना चाहिए क्योंकि उसमें मार्ग को प्रशस्त बनाने को चमत्का तथा व्यावहारिक उद्देश्य की ओर ले चलने की शक्ति है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारतीय आदर्शानुसार सामाजिक पक्ष को सदैव आध्यात्मिक पक्ष के अनुगत रहना होगा। भारतवर्ष ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के प्रतिदिन के भीतर से, समाज के प्रत्येक सबध के भीतर से उसे मुक्ति का अधिकार देने की चेष्टा की है।'

रवीन्द्रनाथ ने अपनी शिक्षा योजना में यद्यपि आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल दिया है, फिर भी उन्होंने सामाजिक पक्ष की उपेक्षा नहीं की है। सामाजिक पक्ष को उन्होंने आध्यात्मिक पक्ष के उद्देश्य की प्राप्ति में एक साधन के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार उन्होंने ईशोपनिषद् के सत्य को व्यावहारिक रूप दिया है जिसके ग्रन्तुसार, 'जो लोग केवल अविद्या अर्थात् समार की ही उपासना करते हैं वे अन्त तमस् में प्रवेश करते हैं, और उससे भी अधिक ग्रथवार में वे प्रवेश करते हैं जो केवल मात्र ब्रह्मविद्या में ही निरत है।' † 'विद्या और अविद्या दोनों को ही जो एकत्र जानते हैं वे अविद्या के द्वारा मृत्यु से उत्तीर्ण होकर विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करते हैं।' ‡ कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सप्ताह और सासारिक बधन मनुष्य के अतिम लक्ष्य नहीं है वरन् उसके अतिम उद्देश्य अमरत्व की प्राप्ति में केवल साधन मात्र है, उसी प्रकार शिक्षा का सामाजिक पक्ष आध्यात्मिकता की प्राप्ति का साधन-मात्र है। हम पहले भी देख चुके हैं कि 'समाज मनुष्य का अतिम लक्ष्य नहीं है, मनुष्य का चिर-ग्रदलान नहीं है, समाज बना

[†]अन्ध तम् प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य विद्याया रत ॥

[‡]विद्याङ्गविद्याङ्ग यस्तद्देदोभय सह,

अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते ।

है मनुष्य को मुक्ति के मार्ग में अग्रसर कराने के लिए।’ अत हमें दोनों पक्षों में संगति स्थापित करके चलना चाहिए।

रवीन्द्रनाथ के विचार में जीवन एक समन्वय है। मानव-जीवन में उसके विभिन्न अंगों एवं तत्त्वों में संगति की स्थापना होनी चाहिए। जीवन के शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक पक्षों को आध्यात्मिक पक्ष से अलग नहीं किया जा सकता। जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्हे एकरूप होना पड़ेगा। रवीन्द्रनाथ के अनुसार सत्य एक है। अत शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालक को सत्य की एकता का बोध कराना। परन्तु बालक को सत्य का वह रूप भी जानना आवश्यक है जिस रूप में वह सामाजिक जगत् में बालक के जीवन को प्रभावित करता है। सत्य की स्पष्ट रूपरेखा निर्वारित करते हुए उन्होंने दो प्रकार के सत्यों को स्वीकार किया है—व्यावहारिक सत्य और परम सत्य। व्यावहारिक सत्य का सबध हमारे व्यावहारिक जीवन तथा प्रयोजनवादी उद्देश्यों से है और वह हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। परम सत्य व्यावहारिक प्रयोजनों से परे है, प्रेरणाप्रद है, और हमारे जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार का सत्य भोज्य पदार्थ की भाँति नहीं है, वरन् हमारी भूख के समान है, जो सारी चीजों को पक्षा कर हमारे शरीर के अंगों का संगतिपूर्ण विकास करती है और शरीर को शक्ति-शाली बनाती है। ‘धर्म’ इसी प्रकार का सत्य है। रवीन्द्रनाथ पाठ्यक्रम में सत्य के इन दोनों रूपों का समावेश करने के पक्ष में है। इससे शब्दों में, वह शिक्षा में मनुष्य के आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक सवर्धन करने वाले तत्त्वों को सम्मिलित करना चाहते हैं। उन्होंने वर्तमान शिक्षापद्धति को इसीलिए एकाग्री माना है कि इसमें केवल बौद्धिक उन्नति की ओर ही ध्यान दिया जाता है। शिक्षा को सर्वतोमुखी बनाने के लिए ही उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों पक्षों के विकास को आवश्यक माना है। हाथों के प्रशिक्षण के लिए ‘हस्तकला’ तथा आत्मा के प्रशिक्षण के लिए ‘धर्म’ को उन्होंने अपने आश्रमवासियों के लिए इसी कारण अनिवार्य बनाया।

रवीन्द्रनाथ ने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं अथवा आश्रमों में भी संगति स्थापित करके चलने के लिए आदेश किया है। हमारे जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म की प्राप्ति। अत हमारे सपूर्ण जीवन को इसी उद्देश्य के अनुकूल व्यतीत होना चाहिए। यहीं कारण है कि रवीन्द्रनाथ बल देकर स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान एवं विषय-शिक्षा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य था ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म में विचरण करना। हमारा सपूर्ण जीवन धर्ममय होना अनिवार्य था और इसीलिए शिक्षा का काय था बालक के जीवन को धर्म-ब्रत के लिए तैयार करना। निष्कर्ष रूप में (ब्रह्मचर्यश्रम में बालक को अपनी इच्छा-शक्ति का विश्व की इच्छा-शक्ति के साथ एकीकरण कर लेना चाहिए अन्यथा बालक का ज्ञान, प्रेम और कर्म उसके अभ्याव से प्रेरित होगा जिसका परिणाम उचित न होगा। नियम और

सथम का जीवन बालक के लिए भोग और त्याग दोनों को सरल बना देता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्यश्रम मे उच्च ज्ञान को ग्रहण करके व्यक्ति को गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करना चाहिए। इस द्वितीय आश्रम मे शुभ कर्मोंद्वारा उसे अपनी आत्मा को और अधिक बलशाली बनाना चाहिए। इसके उपरात जीवन के तृतीय भाग, वानप्रस्थाश्रम मे प्रवेश करके व्यक्ति को अपने जीवन के सचित ज्ञान एवं अनुभव को दूसरों को दान करना चाहिए और अपने आत्म-ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। चतुर्थ आश्रम सन्यास मे व्यक्ति को ससार के सब बधन छोड़कर अकेले उम अद्वैत ब्रह्म से एकाकार होने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। 'मनुष्य के जीवन को इस प्रकार से चलाने से ही उसका आद्यात्-सगतिपूर्ण तात्पर्य प्राप्त किया जा सकता है' यही जीवन-साधना का पथ है।) रवीन्द्रनाथ के अनुसार इस पथ पर चलते समय हम जगत के सबधों की उपेक्षा नहीं कर सकते। उनके भीतर से निकलकर ही हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे अन्यथा 'यदि पथ को बैराग्य से छोड़ दिया जाय, तो अपथ मे तो सात गुना चक्कर खाते फिरना होगा।'

(रवीन्द्रनाथ ने जीवन के उपरोक्त चार आश्रमों की तुलना दिन के चार स्वाभाविक अशो—पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायाह्न से की है। मनुष्य जीवन के यह चार विभाग उसके स्वाभावानुकूल ही किये गये हैं।) जिस प्रकार दिन के पूर्वाह्न मे धीरे-वीरे प्रकाश और उषण्टा की वृद्धि होती है और उत्तरार्द्ध मे ह्रास, ठीक उसी प्रकार मानव-जीवन के प्रथम दो आश्रमों मे इन्द्रिय-शक्ति की क्रमशः उन्नति होती है और बाद के दो आश्रमों मे अवनति। जीवन का यह स्वाभाविक क्रम, मनुष्य को कर्म और त्याग में सगति स्थापित करके चलने के लिए मार्ग निर्देशन करता है, अर्थात् जीवन के प्रथम अर्द्ध-भाग मे कर्मशील रहना परन्तु उत्तरार्द्ध मे बाहरी उपकरणों का त्याग करके एक अत-रात्मा मे निमग्न रहना। जो इन्द्रिय शक्ति घटने पर भी त्याग के लिए प्रस्तुत नहीं होता उसको सब कुछ विवशात् छोड़ना पड़ता है।

धर्म का स्वरूप

भारत के प्राचीन दार्शनिकों की भाँति रवीन्द्रनाथ का विश्वास है कि अन्य विषयों की तरह धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। धर्म को नपे-तुले रूप मे विद्यार्थियों को ग्रहण नहीं कराया जा सकता है और न उसे शिक्षा-व्यवस्था द्वारा शासित किया जा सकता है। धर्म की भावना उत्पन्न करने या उसकी शिक्षा देने के लिए उपयुक्त वातावरण और धार्मिक जीवन के प्रकाश की अपेक्षा होती है। इसीलिए उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत की प्राचीन गुरुकुल-व्यवस्था को एकमात्र साधन माना है। उन्होंने अनुभव किया कि उपनिषदों मे धार्मिक विचार उत्पन्न करने की अद्भुत शक्ति है क्योंकि उनमे सकीर्णता की भावना नहीं है। उन्होंने कहा है, "उपनिषदों ने इस विचित्र जगत्-सार को ब्रह्म के ही अनत सत्य मे, ब्रह्म के ही अनत ज्ञान मे विलीन करके

देखा है। उपनिषदों ने किसी विशेष लोक की कल्पना नहीं की, किसी विशेष मंदिर की रचना नहीं की, किसी विशेष स्थान में उनकी विशेष मूर्ति की स्थापना नहीं की, एकमात्र ब्रह्म की ही परिपूर्ण-रूप से सर्वत्र उपलब्धि करके सर्व-प्रकार की जटिलता और कल्पनाओं के चाञ्चल्य को दूर हटा दिया है। धर्म की विशुद्ध सरलता का ऐसा विराट आदर्श और कहाँ है ?' †

रवीन्द्रनाथ ने धर्म को 'परिपूर्णता और सरलता का आदर्श' माना है। पर ग्राज ससार में धर्म का प्रचलित रूप अत्यत दुरुहृ और जटिल हो गया है। धर्म अनेकों क्रिया-कर्म, तत्र-मत्र और वादों में जकड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक-एक धर्म के अतर्गत कई-कई सप्रदायों की स्थापना हो गयी है। इन सप्रदायों में उपासना, पूजा, क्रिया-कर्म की अपनी अपनी विधियाँ हैं, ईश्वर के स्वरूप और उसको प्राप्त करने के पृथक-पृथक मार्ग हैं जिसके कारण प्राय उनमें परस्पर सघर्ष, द्वेष और विरोध भी चलता रहता है। अत इस प्रकार का धर्म सनार में शान्ति के स्थान पर अशान्ति ही फैलाता है। धर्म ने जो आज यह विकृत रूप धारण कर रखा है उसका एक मात्र कारण है कि हमने धर्म को अपने अनुरूप बनाने का प्रयत्न किया है। हमने धर्म को स्वार्थदश व्यवहार-योग्य एवं उपयोगी बनाने की चेष्टा की है। इसके प्रतिकूल उत्तम तो यह होगा कि हम अपने को धर्म के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करे। धर्म किसी स्थान विशेष, काल विशेष के अनुसार नहीं होता है। उसका आदर्श अमर और सनातन है। उसका रूप नहीं बदलता और अपने इसी रूप में वह सदैव धारण करने योग्य है। यही कारण है कि उपनिषद् में कहा गया है —

'यो वै भूमा तत् सुख नाल्पे सुखमस्ति ।'

अर्थात्, "जो भूमा है वही सुख है, जो अन्प है उसमें सुख नहीं। उस 'भूमा' को यदि हम पारणा-योग्य बना लेने के लिए 'ग्रत्त' तार लेते हैं तो उससे दुख की ही सृष्टि होगी। फिर दुख से रक्षा कैसे होगी ? इनलिए, सासार में रहकर हमें भूमा की उपलब्धि करनी होगी, सासारिक प्रयोजन के लिए, उस भूमा को खण्डित और जड़ित करने से काम नहीं चलेगा'" ‡

रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि उपनिषद् के ब्रह्म अगोचर ब्रह्म है। वह विश्वव्यापी है, वह सर्वान्तर्यामी है। वह 'सत्य ज्ञानमन्त ब्रह्म' है। 'उनके सत्य से ही हम सत्य हैं और उनके आनन्द से ही हम व्यक्त हैं।' अत ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के बाह्य आडबरों की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष मुहूर्त छाँटने की आवश्यकता नहीं है और न कही दूर जाने की ही आवश्यकता है। जिस प्रकार दिन का प्रकाश देखने के लिए केवल आँख खोलने की आवश्यकता है उसी प्रकार ब्रह्म को पाने के लिए केवल

† 'रवीन्द्र साहित्य' भाग २५, पृष्ठ ७

‡ 'रवीन्द्र साहित्य', भाग २५, पृष्ठ ५

हृदय में तीव्र इच्छा जाग्रत करने की आवश्यकता है। रवीन्द्रनाथ का कथन है जो सहज ढग से प्राप्त किया जा सकता है उसे नाना प्रकार के साधनों द्वारा प्राप्ति की चेता उसे और अविक दुर्लभ बना देगी।

विदेशियों और उनके अनुगामी भारतीयों का यह आरोप है कि 'प्राचीन हिन्दू-शास्त्रों में पाप की ओर अविक ध्यान नहीं दिया गया है, यहों हिन्दू-धर्म की असमूखीता और निकृष्टता का परिचय है।' किन्तु जिन बातों को लेकर हिन्दू-धर्म को निकृष्ट कहा जाता है उन्हीं बातों को एवोन्द्रनाथ उसकी श्रेष्ठता और महानता का आवार मानते हैं। उनके अनुसार हमारे शास्त्रकार पाप की समस्या से पूर्णतया परिच्छित है। वे जानते थे कि जब मनुष्य की आत्मा ब्रह्म में रम जाती है, चित्त ईश्वर की ओर लग जाता है और उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तब पाप और सब प्रकार के दोष स्वतं नष्ट हो जाते हैं। हृदय में ईश्वर-आनन्द का प्रकाश होते ही पाप रूपी अवकार स्वयं नष्ट हो जाना है। उदाहरण के लिए यदि माँ को यह उपदेश दिया जाय कि तुम्हे बच्चे के पालन-पोषण में साधारण रहना चाहिए, तुम्हे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए तो उपदेशों का कहीं अत नहीं होगा। माता को बच्चे के प्रति कर्तव्य-पालन का उपदेश देने वाली एक सहिता बन जायगी। किन्तु यदि माता को यह ज्ञात है कि बालक को 'प्यार करना' है तो किसी अन्य उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार जब अत करण में ब्रह्म का प्रकाश भर जायगा तब पाप के विषय में कुछ कहने-मुनने का अवकाश ही नहीं रह जायेगा। रवीन्द्रनाथ का मत है कि पाश्चात्य धर्मशास्त्रों ने पाप और पाप से मुक्ति की समस्या को उलझनपूर्ण बना दिया और बुद्धिवादी विचारणा ने ईश्वर को बड़ित एवं वर्म को दुर्बन बना दिया है।

रवीन्द्रनाथ के अनुसार वर्तमान युग में धर्म-प्रचारकों की दशा भी विचित्र है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी जीवन में धर्म को धारण नहीं किया, जिन्होंने धर्म की प्रनुभूति नहीं प्राप्त की, आज धर्म का प्रचार करते हैं। इस प्रकार के प्रचारक धर्म में हमें अनुरक्ष नहीं करते वरन् उसे हमारे जीवन से पृथक करते हैं। विभिन्न धर्म-सप्रदायों ने धर्म को विचित्र रूप दे डाला है। उपासना के लिए मंदिर, ममजिद और गिजावरों की व्यवस्था करके धर्म को स्थान विशेष तक सीमित कर दिया है। इसी प्रकार दिन और समय का बधन लगा कर धर्म को सीमित कर दिया गया है। सभी धर्म-सप्रदायों की अपनी-अपनी मान्यताएं हैं जिन्हे वे लक्षण-रेखा समझते हैं। अपनी बनात्री हुई परिधि के भीतर रहना धर्म और उसके बाहर जाना अधर्म समझते हैं। वर्म की इसी कृत्रिम सीमा की रक्षा करने के लिए इनमें सधर्ष और उपद्रव होता है। धर्म इसी रेखा की रक्षा का पर्याय बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म कोई ऐसी पृथक वस्तु है जिसका हमारे जीवन से कोई सबन्ध नहीं। मनुष्य के दैनिक व्यापारों का उसमें कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार के सीमा-निर्धारण और सकुचित दृष्टिकोण के कारण ही आज मनुष्य के बीच विषमता और

द्रोह उत्पन्न करना धर्म का लक्षण हो गया है।

रवीन्द्रनाथ इस प्रकार के सीमित एवं सकुचित धर्म को सच्चा धर्म नहीं मानते हैं। उनका कथन है कि “सासार के समस्त वैषम्यों में जो एक मात्र ऐक्य है, समस्त विरोधों में जो शान्ति लाता है और समस्त विच्छेदों में जो एक-मात्र मिलन का सेनु है, उसी को धर्म कहा जा सकता है।”[†] उनके विचार में धर्म के अतर्गत सपूर्ण मनुष्यता समाविष्ट है और धर्म जीवन के सपूर्ण क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करता है। धर्म की इस समन्वयकारी प्रवृत्ति की उपेक्षा करके जब उसे खड़ों में विभक्त किया जाता है, देश-जाति सापेक्ष बनाया जाता है, सकुचित एवं सीमित बनाया जाता है तब वह विनाशकारक हो जाता है।

वह स्पष्टत घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष में धर्म का यह सकुचित रूप एवं सकीर्ण आदर्श नहीं रहा है। “हमारा धर्म ‘रिलीजन’ नहीं है, वह मनुष्यत्व का एकाश नहीं है, वह राजनीति से तिरछत नहीं है, वह युद्ध से वहिष्कृत नहीं है, व्यवसाय से निर्वासित नहीं है, दैनन्दिन व्यवहार से दूरीकृत नहीं है। समाज के किसी विशेष-ग्राश में उसे प्राचीर-बद्ध करके मनुष्य के आराम-आमोद से, काव्य-कला से, ज्ञान-विज्ञान से उसकी सीमा-रक्षा के लिए सर्वदा पहरा नहीं खड़ा है। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ आदि आश्रम इस धर्म को ही जीवन में, सासार में, सर्वतोभाव से सार्थक करने के सोपान हैं। धर्म सासार के ग्राशिक प्रयोजन-साधन के लिए नहीं है, समग्र सासार ही धर्म-साधन के लिए है। इस तरह धर्म ने गृह-धर्म, राज्य में राजधर्म होकर भारतवर्ष के समग्र समाज को एक अखड़ा तात्पर्य प्रदान किया था”[‡]। हमारे यहाँ जीवन की सफलताओं—कीर्ति, यश आदि को तभी सार्थक भाना जाता था जब वह धर्म के अनुकूल प्राप्त की जाती थी। अत व्यक्ति का सपूर्ण जीवन, उसका प्रत्येक कार्य, धर्मसमय होना चाहिए। धर्म जीवन के किसी भी क्षेत्र से परे नहीं है।

धर्म-साधन की विधि—रवीन्द्रनाथ के अनुसार धर्म, “हमारे सपूर्ण जीवन का सत्य है। अव्यक्ति के साथ हमारे व्यक्तित्व के सबधों की चेतना है, यह हमारे जीवन के गुरु-त्वाकर्षण का वास्तविक केंद्र है।” तथ्य यह है कि धर्म अनुभूति है वह केवल सीखने या जानने की वस्तु नहीं है। यही कारण है, कि वह धर्म की शिक्षा को अन्य विषयों की भाँति पाठ्यक्रम का विषय नहीं बनाना चाहते हैं और न उसे समय-सारणी की सीमा में बाधना चाहते हैं। धार्मिक शिक्षा के लिए, धार्मिक आलोक की प्राप्ति, सादगी का जीवन तथा उचित वातावरण की आवश्यकता है। जब साधन साध्य के अनुरूप होते हैं तभी सफलता शीघ्रता से मिलती है। अत ब्रह्म, ‘जो अन्तर में है, जो आत्मा में है उन्हे अन्तर में ही, आत्मा में ही’ प्राप्त करना चाहिए।

[†] ‘रवीन्द्र-साहित्य’, भाग २५, पृष्ठ ५७

[‡] ‘रवीन्द्र-साहित्य’, भाग २५, पृष्ठ ५८

उनके विचार में, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए 'सोना पाने की-सी चेष्टा न करके आलोक पाने की-सी चेष्टा करनी चाहिए।' कारण, 'सोना पाने की-सी चेष्टा' अर्थात् नाना प्रकार के बाह्य उपकरण अनेक विरोध, वैमनस्य का कारण बनकर ब्रह्म की प्राप्ति को और अधिक दु साध्य बना देते हैं। इसके विपरीत 'आलोक पाने की-सी चेष्टा' में जैसे केवल आँख खोलने की आवश्यकता है उसी प्रकार ब्रह्म के पाने के लिए केवल हृदय के उन्मीलन की आवश्यकता है। केवल हृदय में इच्छा-शक्ति को बलवती करना है। मनुष्य के जीवन में इच्छा-शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी के द्वारा विश्व-शक्ति, अर्थात् ब्रह्म के साथ सामजस्य की स्थापना की जा सकती है और उसके आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। रवीन्द्रनाथ ने मन को निखिल ब्राह्माड में प्रसारित करके ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए गायत्री मन्त्र का ध्यान सर्वोत्तम साधन माना है, यह उद्बोधन मन्त्र 'बाहर के साथ अतर और अतर के साथ अतरतम का योग कराता है, और हमे स्पष्ट रूप से यह आभास देता है कि ब्रह्म ही इस जगत को तथा हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है। ब्रह्म ही परम सत्य है और उसे जानने पर विश्व के सभी रहस्य स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि ब्रह्म के व्यान करने की यह वैदिक पद्धति बड़ी सरल और उदार है। सरल इसलिए है कि बाह्य जगत और अपनी बुद्धि को कही ढूँढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं है और उदार इस कारण है कि इसमें देश, काल, जाति और सप्रदाय तथा व्यक्ति विशेष की प्रकृति की कोई अपेक्षा नहीं है।

प्राचीन भारत में इस उद्बोध-मन्त्र के सदृश्य ही प्रार्थना का मन्त्र भी था

असतोमा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतगमय।

अर्थात् मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अन्वकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। परन्तु रवीन्द्रनाथ ने यहाँ यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रार्थना-मन्त्र को केवल कानों से मुनने और मुख से उच्चारण करने मात्र से सार्थकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। हम सत्य, ज्योति और अमृत को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब अपने सपूर्ण जीवन से उसे पाने की चेष्टा करेंगे। हम जिसकी इच्छा करते हैं वही हमे प्राप्त होगा। धन, मान-सम्मान की इच्छा हमे अनेकता, वैष्य और विरोध की ओर ले जायेगी। इसी प्रकार सत्य, आलोक और अमृत की इच्छा हमे 'एक' की ओर ले जायेगी। अत यह सब केवल 'इच्छा' का ही 'धर्म' है।

हमे अपनी 'इच्छा' को यथार्थ रूप से जानना चाहिए। इच्छाशक्ति को आरम्भ से ही उचित दिशा में, उचित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियत्रित करना चाहिए अन्यथा सासारिक कामनाओं का कही अन्त नहीं। 'इच्छा' को नष्ट करना हमारी साधना का विषय नहीं है, इच्छा को विश्व-इच्छा के साथ एक-सुर में बाँधना ही हमारी सकल शिक्षा का 'चरम लद्दाय' है। इच्छाशक्ति को मर्यादित रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। यही कारण है कि भारत में शिक्षा ब्रह्मचर्यन्नत और धर्मव्रत थी। सत्य, अर्हिसा,

इन्द्रिय-निग्रह, दान, कर्म आदि को तपस्या कहा गया है। विद्यार्थी इसी प्रकार का तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। नियम संयम के अभ्यास द्वारा अपनो आत्मा में और विश्व में ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। रवीन्द्रनाथ का कथन है कि ब्रह्म के प्रति अनुराग का अर्थ यह नहीं है कि सासार की उपेक्षा की जाय अथवा उससे विरक्त हुआ जाय। वह सासार से विरक्त होने को, उसके प्रति विमुख होने को ब्रह्म के प्रति विरक्त होना मानते हैं। मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि उसमें धैर्य कितनी मात्रा में है, वह दूसरों के अपराधों को चमा कर सकता है या नहीं, ईर्ष्याद्वेष, धृणा, दूसरों की निन्दा, लोभ आदि दुर्गुण उसमें हैं या नहीं और वह अपने अहकार को जीत सका है या नहीं। इस प्रकार जब वह अपने को टटोलेगा, अपने दोषों को भुक्-भुक् कर देखेगा और आत्म-परिकार करेगा तब उसे यह ज्ञात होगा कि ब्रह्म की प्राप्ति की दिशा में वह कहाँ तक अग्रसर हो सका है, ब्रह्म के पथ स्वरूप को इस विश्व में कहाँ तक देख सका है।

ब्रह्मचर्य सादे जीवन का प्रतीक है। मादगो और वार्षिक शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण का महत्व सर्वाधिक है। इनको पूर्ति ऐसे वातावरण में ही सम्भव है जहाँ सत्य के आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति में कृत्रिम आवश्यकताओं का समूह बाधा न उत्पन्न करता हो, जहाँ जीवन में सरलता और अवकाश हो, जहाँ वायु स्वच्छ हो, प्रकृति पूर्णतया शान्त हो और मनुष्य अनादि जीवन में पूर्ण आस्था रखते हुए निवास कर सके।

शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श

रवीन्द्रनाथ के जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन में साम्य है। उन्होंने भारतीय आदर्श-वादी दर्शन के अनुसार जीवन और शिक्षा का अन्तिम ताक्ष्य परम सत्य की अनुभूति ही माना है। स्वभावत उन्होंने भारतीय शिक्षादर्शों के उपयोग का समर्थन किया है।

तपोवन आश्रम—रवीन्द्रनाथ भारत की तपोवन शिक्षा-व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। प्राचीन भारत के शिक्षा-प्रयोग में उन्हे अपने देश की समस्याओं का समाधान प्राप्त हुआ। तपोवन स्थित आश्रमों में सरल एवं जीवन के पूर्ण आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी और वहाँ जीवन-विकास के लिए पवित्र तथा अनुकूल वातावरण प्राप्त होता था। उन्होंने कहा है कि ऐसे स्थलों में बालकों को शिक्षा देना व्यर्थ है, जो उन्हे सत्य के मार्ग से दूर ले जाते हैं। ऐसे स्थानों में जहाँ जीवन व्यक्तिगत हित के लिए सघर्ष से भरा हुआ है और व्यक्ति का ध्यान केवल अपने ही स्वार्थों पर केन्द्रित है जहाँ मनुष्य केवल अपने हितों और सुखों के लिए जीवन को कृत्रिम ढग से व्यतीत करता है, वहाँ शिक्षा देने से बालकों के मन में असामयिक इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं। बौद्धिक जीवन के बीजारोपण के समय और विकास की प्राथमिक स्थिति में कोमल, शात एवं आदर्शपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है, अत बालकों को ऐसे बेत्रों से दूर रखना चाहिए, जहाँ मनुष्य केवल अपने स्वार्थों तथा जुद आवश्यकताओं के लिए सघर्ष-रत हैं। उन्हे ऐसे स्थानों

मेरे रखना चाहिए जहाँ उनके अनुकूल विकास की सभावनाएँ हों, जहाँ वे स्वतन्त्रता पूर्वक जीवनानुभवों के मार्ग पर शातिपूर्वक चल सकें, जीवनानुभवों को सचित कर सकें, और जहाँ आध्यात्मिक उत्तराविकार उनकी प्रतीक्षा करता हो।

शिक्षा मेरे ग्रामीण आदर्श—रवीन्द्रनाथ प्राचीन भारत की तपोवन शिक्षा-व्यवस्था मेरे आस्था रखने के साथ ही साथ, भारतीय शिक्षा मे 'ग्रामीण-आदर्श' की पुनर्स्थापना का समर्थन करते हैं। ग्राम्य जीवन की विशेषताएँ हैं—सरलता, धन-धान्य की पूर्णता एवं अतिथि-सत्कार, अर्थात् सामाजिक भावना का विकास। इसके विपरीत नगर के जीवन की विशेषताएँ हैं—कृत्रिमता, शिक्षा की आवधुनिक व्यवस्था, व्यापार-वृत्ति फल स्वरूप स्पर्धा के भाव की जागृति, अर्थात् वैयक्तिक भावना का विकास। शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक और सामाजिक दोनों पक्षों के विकास की उपेक्षा है। इसके अतिरिक्त, वैयक्तिक और सामाजिक, दोनों आदर्शों मे सपूर्ण सामन्जस्य की आवश्यकता है। यदि हम वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि आज गाँवों के स्थान पर नगरों को सख्त बढ़ती जा रही है, अर्थात् वैयक्तिक आदर्श को प्रधानता मिल रही है। 'भारतमाता मृश्यत ग्रामवासिनी है।' पाश्चात्य सभ्यता के फेर मे उसके आदर्शों की उपेक्षा की गयी है। अत हमें पुन 'ग्रामीण आदर्श'—सामाजिक प्रादर्श की स्थापना करना आवश्यक है। केवल यही नहीं, 'मानवीय सभ्यता की रक्षा के लिए' भी इस आदर्श को पुन विप्रिणित किया जाना चाहिए।

रवीन्द्रनाथ ने ग्रामों की तुलना स्त्री से की है—“जनपद मित्रों के समान है। मानव जाति की रक्षा के लिए उनकी रक्षा करना आवश्यक है। नगरों को उपेक्षा वे प्रकृति के अधिक समीप हैं, अतएव वे जीवन स्त्रों के निकट सर्कि मे हैं।” यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ ने 'शातिनिकेतन' की स्थापना एक गाँव के शात वानावरण मे की और अपने आश्रम मे ग्रामीण आदर्श को प्रमुखता दी।

विद्यार्थी और ब्रह्मचर्य—प्राचीन भारतीय आदर्शों और व्यवहारों मे रवीन्द्रनाथ का दृढ़ विश्वास था, अत उन्होंने ब्रह्मचर्य-व्यवस्था की बहुत प्रशस्ता की है और इसीलिए शिक्षा को ब्रह्मचर्य व्रत और धर्मग्रत कहा है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन विद्यार्थी के लिए अनिवार्य बताया है। उनके अनुसार विद्यार्थी को सयमी, विलास से पृथक, पवित्र हृदय वाला होना चाहिए। उसमे अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और गुरु के प्रति भक्ति अपेक्षित है। इन आदर्शों को अपने सम्मुख रखकर ही विद्यार्थी मानवता के साक्षात्कार की दिशा मे अग्रसर हो सकते हैं। शिक्षा, सासारिक जीवनयापन की तैयारी है और योगसाधन द्वारा 'परमपुरुष' के साथ सम्बन्ध-स्थापन का साधन है। अत विद्यार्थी के लिए विचार प्राप्ति और जीवन के अतिम लक्ष्य की प्राप्ति, दोनों ही दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है।

आदर्श अध्यापक—भारतोंथ परपरा के अनुमार रवीन्द्रनाथ भी मानते हैं कि शिक्षा में अध्यापक का उत्तरदायित्व सबसे प्रधिक है। इसीलिए उसे आत्मसम्मी तथा त्यागी होना चाहिए क्योंकि इन्हीं गुणों द्वारा वह छात्रों को अपनी और आकर्षित कर सकता है। अध्यापक को पूर्वग्रही, असहिष्णु, चचल, निम्नविचार वाला, अहकारी और सकीर्ण स्वभाव का नहीं होना चाहिए। उसे आलस्य और प्रमाद से दूर रहना चाहिए। यदि अध्यापक विद्यार्थियों पर शुभ प्रभाव डालना चाहता है तो उसे अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए क्योंकि सात्त्विक आचरण द्वारा ही वह छात्रों की भक्ति, स्नेह और सम्मान का पात्र हो सकता है। प्रत्येक दृष्टि से आदर्श अध्यापक ही छात्र के जीवन का पूर्ण विकास कर सकता है, कितु शिक्षक को बालकों पर अपने विचार लादना नहीं चाहिए। जो अध्यापक बालक के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों को नहीं समझता है, वह शिक्षा देने के लिये पूर्णनया अनुपयुक्त होता है। वह ग्रन्थापक सही रूप में शिक्षा नहीं दे सकता जो स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरतर प्रयत्नशील नहीं रहता है। शिक्षक और छात्र में सजीव सपक होना चाहिए। जब एक मन से दूसरे मन का सपर्क होता है, तभी आनंद की उत्पत्ति होती है। यह आनंद सृजनात्मक होता है और विद्यालय में जो शिक्षक प्रतिक्षण आत्म-साक्षात्कार करता है, वही अपनी ज्ञानराशि सरलता पूर्वक छात्र को दे सकता है।

रवीन्द्रनाथ का कहना है कि बालकों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे अध्यापकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विद्या को सीखने में तो बहुत विलम्ब करते हैं, किन्तु उनके मनोभावों को सीखने में उन्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। अत शिक्षण-कार्य में जो कुछ अन्याय अविचार, अधैर्य, ऋषि और पक्षपात होता है, उसे बालक अन्य ग्रहणीय बातों की अपेक्षा शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए दोषों के सक्रामक रोग से बालकों को बचाने के लिए अध्यापकों को स्वयं अपने चरित्र और व्यवहार के विषय में विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए।

अध्यापक और दड—रवीन्द्रनाथ बालकों को दड देने के सबध में अध्यापक को सचेत करते हैं। शिक्षा में बालकों को दड देने की जो परिपाठी चली आ रही है, उन्होंने उसका सदैव विरोध किया है। उन्होंने स्वयं अपने अनुभवों से सीखा था कि विद्यार्थी को दड देना किसी भी दशा में उचित नहीं है। बच्चों के स्वतन्त्र विकास के पक्षपाती होने के कारण वह अपराध के लिए बालकों को दड देने के पक्ष में नहीं है। उनका कथन है कि अपराध करना बालकों का काम है और जमा करना शिक्षकों का धर्म है। वह लिखते हैं, ‘अब अगर हमसे से कोई छात्रों के व्यवहार से कुछ और भयभीत होकर, विद्यालय के अमगल की आशका से असहिष्णु होकर उन्हें तत्काल दड देने के लिए उद्यत हो जाता है, तो मेरे अपने छात्र-अवस्था के समस्त पाप एक कतार में खड़े होकर मेरे मुँह की ओर देखते हुए हँसने लगते हैं।’ ‘मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि लड़कों के अपराधों को हम

बड़ो के पैमाने पर नापा करते हैं और यह भूल जाते हैं कि छोटे लड़के भरने के समान वेग से चलते हैं। वह जल यदि दोषों का स्पर्श करता है, तो हताश होने के कोई कारण नहीं क्योंकि गतिशीलता में सभी दोषों का सहज प्रतिकार विद्यमान है। वेग जहाँ रुकता है, वही खतरा है और वहाँ सावधान होना ही चाहिए।’ अत शिक्षक को स्वयं अपराध से डरना चाहिए, छात्रों को उतना नहीं। अध्यापक को उचित है कि वे बालकों को उचित मार्ग की ओर प्रेरित करें।

शिक्षा का माध्यम—रवीन्द्रनाथ ने स्वीकार किया है कि बालकों को पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विदेशी भाषा उचित माध्यम नहीं है। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना एक बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण बालक अध्ययन से विरक्त होने लगते हैं। उनके विचार में अधिकाश छात्र स्वभावत विदेशी भाषा सीखने में असमर्थ होते हैं। भारत में ऐसे छात्र, अग्रेजी के बिना पर्याप्त ज्ञान के ही, किसी प्रकार मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विवश होते हैं। ऊँची कक्षाओं में इसका परिणाम बड़ा हानिकारक होता है। अग्रेजी शिक्षा का परिणाम यह होता है कि हम अनिवार्यत पश्चिम से प्रेरणा लेने को बाध्य होते हैं। उनका कहना है कि बालकों की शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होने पर ही उनका पूर्ण विकास हो सकता है। राष्ट्रीय शक्ति का यह कितना भयकर अपव्यय है कि इस देश के हजारों विद्यार्थियों को ऊँची कक्षाओं में उस विदेशी भाषा का व्यवहार करना पड़ता है, जिसे सीखने की योग्यता उनमें नहीं है यद्यपि उनमें सीखने की इच्छा है।

उनके अनुसार ‘अनेकता में एकता’ का सिद्धात शिक्षा के माध्यम के विषय में भी पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। उनका कहना है कि पहले लैटिन ही सारे योरोप की सधीय भाषा थी, किंतु वास्तव में वहाँ एक सधीय सस्कृति का विकास तभी सभव हुआ जब वहाँ के देशों ने अपनी-अपनी भाषाओं का विकास कर लिया। यही बात अपने देश के विषय में भी सत्य है। एक समय था जब हमारे देश में सस्कृति व विचारों के आदान-प्रदान की भाषा सस्कृत थी, किंतु वास्तव में विचारों की समृद्धि के लिए राष्ट्रीय भाषा के साथ-साथ सभी प्रातीय भाषाओं का पूर्ण विकास होना चाहिए। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने बालकों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने को आवश्यक माना है। मातृ-भाषा में शिक्षा पाने पर ही बालक का उचित विकास हो सकता है।

पाठ्य-विषय

रवीन्द्रनाथ के शिक्षादर्शन के साकेतिक शब्द हैं—‘सपूर्णता,’ ‘सबद्धता’ और ‘समन्वय’। वह मनुष्य को पूर्ण बनाने वाली शिक्षा में विश्वास करते हैं। उपनिषदों की परपरा के अनुसार जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, वह मानव जीवन के दो पक्ष स्वीकार करते हैं—आतरिक (आध्यात्मिक) तथा बाह्य (सामाजिक)। इन्हीं दोनों पक्षों का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। प्रथम पक्ष का विकास मनुष्य को जीवन के परम सत्य, ‘एकता’,

के साक्षातकार में सहायक है और द्वितीय पक्ष उमके जीवन के समाज सबधी व्यावहारिक सत्यों के जानने में। मनुष्य के आतंरिक विकास में सहायक है 'वर्म' की साधना और सामाजिक विकास में समाज सबधी विषय—कला और विज्ञान। अत वह पाठ्य विषय में दोनों प्रकार से सबधित विषयों का समावेश चाहते हैं। परन्तु रवीन्द्रनाथ के विचार में जीवन एक समन्वय है। मानव जीवन के विभिन्न अगों में सगति की स्थापना आवश्यक है, जीवन के बौद्धिक और शारीरिक पक्ष से आध्यात्मिकता को दूर नहीं किया जा सकता। अत सभी सामाजिक विषयों की शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए कि वे आध्यात्मिक पक्ष के अतर्गत रहते हुए बालक के आतंरिक और सामाजिक विकास में सहायक हो। दूसरे शब्दों में, परम सत्य और व्यावहारिक सत्यों में सगति की आवश्यकता है। यह सगति इस आधार पर सरलता पूर्वक की जा सकती है कि प्रथम प्रकार का सत्य अर्थात् धर्म, अन्य विषयों की भाँति पढ़ाने का विषय नहीं है, वह सूचना मात्र नहीं है, वह है प्रेरणा-प्रद सत्य। अत सभी विषयों को इस सत्य से प्रेरणा प्राप्त करते हुए, बालक का बाह्य और आतंरिक दोनों प्रकार का विकास करना चाहिए। रवीन्द्रनाथ वर्तमान शिक्षा-पद्धति को एकाग्री बताते हैं। वह बालक की केवल बौद्धिक उन्नति पर ही ध्यान देती है। व्यक्ति के सपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए सत्य के दोनों रूपों का पाठ्य-विषय में प्रतिनिधित्व आवश्यक है।

रवीन्द्रनाथ के जीवन-दर्शन के सबव में हमने देखा कि उपनिषद् में ब्रह्म के स्वरूप को तीन भागों में विभक्त किया गया है—सत्य, ज्ञान और अनन्त। ब्रह्म के इन्हीं तीन रूपों के अनुरूप मानव-आत्मा की भी तीन दिशाएँ हैं—‘मैं हूँ’, ‘मैं जानता हूँ’, और ‘मैं व्यक्त करता हूँ’। यह तीनों दिशाएँ मिलकर मानव के पूरे रूप का परिचय देती है। यदि हम मानव-आत्मा की इन दिशाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को निर्धारित करे तब भी हम उपर्युक्त निष्कर्ष पर हो पहुँचेंगे। ‘मैं हूँ’, यह ब्रह्म के सत्य स्वरूप के अतर्गत है, अत ब्रह्म के इस रूप को जानने के लिए बालकों को शारीरिक विज्ञान मनोविज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र, समाज-शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। ‘मैं जानता हूँ’—यह ब्रह्म के ज्ञान स्वरूप के अतर्गत है, अत ब्रह्म के इस रूप को जानने के लिए, नीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र, भाषा, इतिहास, भूगोल गणित-शास्त्र नाना-विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य है। ‘मैं व्यक्त करता हूँ’, यह ब्रह्म के अनन्त स्वरूप के अतर्गत है, अत विभिन्न प्रकार के हस्त-कौशल, सगीत और कला ब्रह्म के इस रूप को व्यक्त करने के लिये सहायक साधन है। ब्रह्म के इन तीनों रूपों को लेकर ही ‘एक अखण्ड सत्य’ होता है, अत बालक के सपूर्ण विकास के लिए उसकी शिक्षा में इन तीनों पक्षों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। पाठ्य-क्रम को इतना व्यापक होना चाहिए कि बालक अपनी सृचि के अनुसार विषयों का अध्ययन कर सके। विषयों की सार्थकता बालक के सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में निहित है।

यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ ने बहुत पूर्व ही शातिनिकेतन में 'सपूर्णता' के सिद्धात का शिक्षा में प्रयोग किया। 'अखड़-ज्ञान' को ही उन्होंने 'बुद्धिमत्ता' कहा। विद्यालयों का उद्देश्य बालकों के शारीरिक अगों को केवल शिक्षित बनाना और आकस्मिक समय के लिए प्रस्तुत करना ही नहीं है वरन् जीवन-शक्ति और विश्व-शक्ति के बीच संगति स्थापित करना है।

शिक्षण-कला के सिद्धांत

रवीन्द्रनाथ का विश्वास है कि अध्यापक और छात्र के बीच सजीव संपर्क होना चाहिए। इसी कारण वह प्रत्येक अध्यापक के लिए बाल्य प्रकृति की भली-भाँति जान-कारी अनिवार्य समझते हैं। प्रचलित शिक्षण-पद्धति से भिन्न, वह बालक का विकास एक स्वतंत्र प्राणी की भाँति, स्वतंत्र परतु साथ ही आदर्श वातावरण में चाहते हैं। इस सबध में उन्होंने कुछ विशेष तथ्यों की ओर शिक्षा-जगत का ध्यान आकर्षित किया है।—

बालक के प्रति सहानुभूति—रवीन्द्रनाथ वर्तमान शिक्षा-पद्धति से बहुत ही असंतुष्ट थे क्योंकि इसमें न तो बालक की प्रकृति की ओर ध्यान दिया जाता है और न उसके प्राकृतिक परिपार्श्व की ओर। बालक को विद्यालय की चहार दीवारी में सीमित करके उसे जीवन के मुक्त प्रवाह से बिलग कर दिया जाता है। परिणामतः बालक का जीवन बहुत कुछ अशो में कृत्रिम बन जाता है जिससे शिक्षा का वास्तविक मूल्य नष्ट हो जाता है। उनके अनुसार "शाला की पद्धति मनुशासन की पद्धति है जो व्यक्ति को नगण्य समझती है। शाला रूपी इस यत्र में सभी परिणाम एक समान निकालने का दुराग्रह रहता है। शाला एक काल्पनिक ऋजु रेखा पर चलना चाहती है, परन्तु वास्तविक जीवन काल्पनिक सीधी रेखा से भिन्न है।"*

रवीन्द्रनाथ को बालक के प्रति असीम सहानुभूति है। उनके अनुसार बालक में जन्म-जात प्रवृत्तियाँ होती हैं। वह उनकी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता चाहता है। वह प्रकृति से शुद्ध है। उसका अपना व्यक्तित्व है। बालक के व्यक्तित्व और उसकी मतोवृत्तियों की किसी प्रकार अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा-पद्धति बालक के मानसिक जगत की इस सजीवता की ओर तनिक भी ध्यान न देकर उसके प्रति अन्याय करती है। इस सजीव तथ्य अर्थात् बालक की प्रकृति के साथ सहानुभूति के स्थान पर शालाओं में इसका विरोध ही किया जाता है। बालक खुली हड्डा में प्रकृति के प्राणण में स्वच्छद प्राणी की भाँति विचरण करके अपना शारीरिक विकास चाहता है। वह प्रकृति की विशाल पुस्तक से ज्ञान ग्रहण करके मानसिक विकास करना चाहता है तथा प्रकृति की पवित्र एवं प्रभावशाली शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करके, उससे एकात्मीयता स्थापित करके, सत्य को पहचान कर अपनी आत्मोन्नति करना चाहता है। परन्तु शालाओं में पुस्तके पाठ्य-

* लक्ष्मी लाल कौ. ओड. रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शिक्षा दर्शन, 'शिक्षा', जुलाई १९५७, पृष्ठ १७

विषय, समय-सारिखी आदि का बधन बालक के प्राकृतिक जीवन-प्रवाह में बाधाएँ उपस्थित करते हैं। रवीन्द्रनाथ बालक को उसके इन कृतिम बधनों से मुक्त कराना चाहते हैं। वह बालक का प्राकृतिक एवं स्वतंत्र विकास चाहते हैं।

बालक के प्राकृतिक विकास के लिए, रवीन्द्रनाथ शाला के शुद्ध एवं वात्सल्यपूर्ण वातावरण पर बल देते हैं। आजकल शाला का प्रेम रहित वातावरण और शिक्षकों का क्रूर एवं असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बालक के अदर अनेक भावना-ग्रथियों को जन्म देता है। बालक शिक्षक के नाम से ही भयभीत हो जाता है और स्कूल से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ स्कूल के वातावरण को कौटुम्बिक वातावरण में परिवर्तित करना चाहते हैं। शिक्षक को माता के सदृश्य बालकों के प्रति सहानुभूति और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने के लिये सचेत करते हैं।

मानव और प्रकृति के बीच प्रस्त्वत्त्व सबध द्वारा शिक्षा—बालक के प्राकृतिक विकास के लिए रवीन्द्रनाथ, प्रकृति और मानव के बीच सक्रिय सबध पर बल देते हैं। उनके अनुसार यदि जीवन का उद्देश्य आत्मानुभूति है तो उसकी प्राप्ति का साधन सासार को जान लेना मात्र नहीं है क्योंकि ज्ञान से तो केवल हमारी शक्ति बढ़ती है। परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सपूर्ण सृष्टि से समरस होने की, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने की आवश्यकता है। मनुष्य और प्रकृति ब्रह्म के ही व्यक्त रूप हैं। रवीन्द्रनाथ ने अपने शिक्षा-दर्शन में मानव-जगत से भी अधिक प्राकृतिक जगत के साथ एकात्मीयता स्थापित करने पर महत्व दिया है। इस महत्व का कारण सभवत यह भी है कि मनुष्य की अपेक्षा प्रकृति के विभिन्न रूपों द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट रूप में परिलक्षित होती है। अत मनुष्य का प्रकृति के साथ निकटता और घनिष्ठता का अनुभव प्रत्यक्ष सबध की स्थापना द्वारा होना चाहिए। बालक को उसकी पवित्र तथा प्रभावशाली शक्ति का अनुभव करना चाहिए।

प्रकृति के प्रभावों और उसकी शक्ति में विश्वास रखने के कारण रवीन्द्रनाथ बालक को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने के पक्षपाती है। वह बालक को प्रकृति के सपर्क में हसलिए और लाना चाहते हैं क्योंकि इससे उसे यथार्थ जगत का बोध सफलता पूर्वक हो जाता है। प्रकृति-प्रदत्त ज्ञान के लिए बालक को कोई मूल्य भी नहीं चुकाना पड़ता। उदाहरण के लिये पृथ्वी पर नगे पैर धूमने से उसके रहस्य—ऊँचाई, नीचाई, मृदुता, ककरीलापन आदि गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति के सपर्क में रहने से बालक में कठिनाई सहन करने की चमता भी स्वभावत आ जाती है। प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना, सादगी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। रवीन्द्रनाथ के अनुसार, अमीरी की अपेक्षा गरीबी और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। रवीन्द्रनाथ के अनुसार, अमीरी यथार्थ जगत का बोध नहीं करा पाती। प्रकृति से प्रत्यक्ष सबध-स्थापन के साथ-साथ रवीन्द्रनाथ बालक को, प्रारभिक ज्ञान मानव के प्रत्यक्ष सबध

द्वारा भी देने के पक्ष में है। इसीलिए वह आश्रम के पवित्र, एकात्मय प्राकृतिक एव सामाजिक वातावरण जैसे नदी या उसका किनारा, सूर्योदय एव सूर्यास्त, अध्यापक, मित्र आदि के बीच बालक को शिक्षा प्रदान करने के पक्षपाती है। प्रकृति के शुभ संसर्ग में, पाठशाला की आत्मीयता एव पारिवारिक वातावरण में बालक का जो सावेदनिक, साचेगिक, एव बौद्धिक विकास होता है वह बालक के हर प्रकार के विकास में शैक्षिक दृष्टिकोण से अत्यत महत्वपूर्ण होता है। रवीन्द्रनाथ के प्रकृति सबधी विचार रूसो से किसी सीमा तक मिलते जुलते हैं। दोनो आरभ में पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी हैं। दोनो राबिन-सनक्रूसो के प्रायद्वीप का वातावरण शिक्षा के लिए उपयुक्त समझते हैं।

प्राकृतिक और सामाजिक शक्तियों से सतुलन—रवीन्द्रनाथ के जीवन-दर्शन का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी है। बालक की प्रकृति के सबध में उनके विचारों में यही दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। वह कहते हैं कि आरभ में बालक के सारे कार्य 'स्व' की भावना से प्रेरित होते हैं। 'स्व' से यहाँ तात्पर्य है आत्म-प्रेम अथवा अपने जीवन से प्रेम। बालक आरभ में जो भी ज्ञान ग्रहण करता है वह इसी स्व-सबधी कार्यों के सपादन द्वारा। उसके उपरात ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह जीवन भी त्याग सकता है और अतत जब उसकी बुद्धि परिष्कब हो जाती है तब पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिये वह समाज में तत्पर होता है। रवीन्द्रनाथ के इन विचारों की तुलना रूसो के अभावात्मक सिद्धान्त से की जा सकती है जिसमें १५ वर्ष की आयु तक बालक के आचरण का आधार आत्म-प्रेम ही रहा है। १५ वर्ष के उपरात बालक अन्यों से प्रेम करना सीखता है। रवीन्द्रनाथ और रूसो में अतर यह है कि रवीन्द्रनाथ की नैतिकता का आधार सामाजिक न होकर आध्यात्मिक है। सपूर्ण सृष्टि में एक ही परम-पुरुष की अभिव्यक्ति है। परम-पुरुष की अनुभूति एकात्म में सभव नहीं वरन् सपूर्ण सृष्टि—मानव और प्रकृति, जहाँ जारा भी जीवन की ज्योति भलकती हो—समरस होने में ही प्राप्त हो सकती है। रवीन्द्रनाथ के अनुसार 'स्व' के दो पक्ष हैं—पहला निजी और दूसरा सामाजिक। पहले पक्ष में स्वार्थ की भावना निहित है और दूसरे में परार्थ की। पहला, व्यक्ति को भौतिकता की ओर खींचता है और दूसरा अध्यात्म की ओर। अत दोनों में सतुलन स्थापन की आवश्यकता है। इस सतुलन को रवीन्द्रनाथ ने 'स्व' की तुलना दीपक से करके स्पष्ट किया है। यदि दीपक अपना तेल अपने पास जमा रखना चाहे और अपना प्रकाश अपने ही पास सीमित रखना चाहे तो स्वयं भी अधेरे में रहेगा और दूसरो को भी अधेरे में रखेगा। परन्तु यदि दीपक अपने प्रकाश का प्रसार दूसरो के लिए करता है तो स्वयं भी प्रकाशित होता है और इस प्रकार अपने वास्तविक लक्ष्य (आत्मानुभूति) की पूर्ति करता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति समाज के कार्यों में भाग लेकर, समाज सेवा द्वारा अपनी भी उन्नति कर सकता है और अपने अतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है।

अत शिक्षा में भी रवीन्द्रनाथ मनुष्य की 'प्राकृतिक' और 'सम्भ्य' या 'सामाजिक' शक्तियों के बीच सतुलन स्थापित करने पर बल देते हैं। उनके अनुसार आवृत्तिक शिक्षण-कला में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह बालकों की समाज-विरोधी प्रवृत्तियों को दूर करें, तभी समाज की शक्ति अनुष्ण रह सकेगी। पाश्चात्य जगत की ओर लक्ष्य करते हुए रवीन्द्रनाथ का कथन है कि इसों के समय से ही, योरोप में छोटे बालकों पर प्रकृति के महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार किया गया किंतु जीवन में औद्योगिकरण और यत्री-करण के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण इस धारणा को व्यावहारिक रूप देना असभव हो गया। बालकों का जीवन प्रकृति से दूर हटता गया और स्वस्थ सवेगात्मक जीवन, कठिन नियमों और अनुशासनों में बृत्ता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आरम्भ में ही बालक का व्यक्तिगत स्वभाव और आत्म-विश्वास समाप्त हो गया। कठोर नियन्त्रण में शिक्षित बालकों की मूलशक्तियाँ, आत्म-प्रकाशन की भावना से प्रेरित होकर आगे चलकर निरतर दुर्बलों को पीड़ित करने के रूप में व्यक्त होती रही और वहाँ का जीवन अविकसित ही रह गया। इस भयकर परिस्थिति से बचने के लिए और अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए रवीन्द्रनाथ का मतव्य है कि हमें मूल शक्ति के विचार से जगली और मानसिक दृष्टि से सभ्य बनने की आवश्यकता है। हमारे भीतर प्रकृति के बीच प्राकृतिक और समाज के बीच मानव बने रहने की योग्यता होनी चाहिए। 'मानव में असभ्यता और सम्भ्यता को उसी अनुपात में होना चाहिए, जितना पृथ्वी पर स्थल और जल है, जिसमें पहले का महत्व अधिक है।' † अत प्राकृतिक एव सामाजिक शक्तियों में इस प्रकार का सतुलन व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से हितकर होगा।

यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ ने प्रकृति का महान समर्थक होते हुए भी, शिक्षक, पाठ्याला या पुस्तकों की पूर्णतया उपेक्षा नहीं की है। वह प्राकृतिक साधनों के माध्यम से, प्रत्यक्ष वस्तु तथा मनुष्यों के सर्पक द्वारा, बालकों को प्रारम्भिक ज्ञान अवश्य देना चाहते हैं, पर इसके उपरात उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान को ही आवश्यक माना है। उनकी शिक्षा में शास्त्रीय साहित्य एव संस्कृति को प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनका अटूट विश्वास है कि बालक का पूर्ण विकास मानवसमाज के पूर्वांजित अनुभवों पर निर्भर है यद्यपि वह विज्ञान का ज्ञानका बालक के लिए आवश्यक समझते हैं तथापि व्यक्ति और समाज दोनों का हित व्याय में रखने के कारण ही वह उसकी शिक्षा साधन के रूप में देना चाहते हैं साध्य के रूप में नहीं। वह विज्ञान का ज्ञान वैयक्तिक अनुभव के आधार पर देना चाहते हैं परतु विज्ञान के विद्यार्थीं को भावना से शून्य व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते हैं।

स्वतंत्रता—रवीन्द्रनाथ के शिक्षण-कला सबधी सिद्धात एक दूसरे से सह सबधात है और उन सब को एक सूत्र में बांधने वाला केन्द्रीय तथ्य है उनका बालक के 'प्राकृतिक विकास' में विश्वास। अत स्वभावत रवीन्द्रनाथ बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करने के

† The Visva-Bharati Quarterly, May-Oct., 1947, p. 33

समर्थक है। उन्होंने स्वयं अपने आश्रम में बालकों को स्वतंत्र और आनन्दित रखने के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया। वह बालकों की स्वतंत्रता पर तनिक भी प्रतिबध लगाना नहीं चाहते थे। उनके विचार में बालकों को धूल में खेलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। खुली हवा से बढ़ कर स्वास्थ्यप्रद और आकाश से बढ़कर प्रेरणादायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। वह बालक को कच्चा के बधन में भी नहीं बाधना चाहते क्योंकि श्रधिक मात्रा में किये जाने वाले नियमित कार्य, बालक के विकास में बाधा उपस्थित करते हैं। इसीलिए उनके आश्रम में, नित्य के पाठ-अध्ययन के अतिरिक्त बालक अपने मन के अनुसार अपनी रुचि के कामों और खेलों को चुनते हैं। उनका पठना-लिखना पुस्तकों और अभ्यास-पुस्तिकाओं तक ही सीमित नहीं है। बालक कहानी कहते हैं, सुनते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अन्य कार्यों में भाग लेते हैं। आश्रम का वातावरण स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत रहता है। बालकों पर किसी प्रकार का बाहरी अनुशासन नहीं लादा जाता है, इसका परिणाम यह होता है कि उनमें बिना सिखलाये अपने आप उत्तर-दायित्व की भावना जाप्रत हो जाती है। बालक आश्रम को ग्रात्मीयता की दृष्टि से देखते हैं।

रवीन्द्रनाथ का विचार है कि बालकों को किसी विशेष स्वभाव के अपनाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने बालकों को शक्ति का सर्वोत्तम दान दिया है। हमारे सभ्य परिवारों में, बालकों की इस शक्ति और शिष्टाचार के नियमों में बराबर सर्वथा चला करता है। अत सकुचित सामाजिक व्यवहारों को उन पर लादनी नहीं चाहिए। रवीन्द्रनाथ पढ़तियों की अपेक्षा मनुष्य की आत्मा में श्रधिक विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा का प्रयोजन मन की मुक्ति है और मन की यह मुक्ति स्वतंत्रता के मार्ग पर चल कर ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि वह स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, तथापि यह स्वतंत्रता स्वच्छदत्ता नहीं है क्योंकि स्वच्छदत्ता के अर्थ में स्वतंत्रता निस्तत्त्व है। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति सामाजिक सबैं की पूर्ण संरक्षित में ही की जा सकती है, जिनका अनुभव हम सासार में करते हैं।

उनका कहना है कि प्राचीन भारत में स्वतंत्रता का जो आदर्श रहा है, वह योरोपीय स्वतंत्रता के आदर्श से भिन्न है। योरोप में स्वतंत्रता का अर्थ भौतिक स्तर पर स्वतंत्र होने—खाने, पीने, मौज उड़ाने की स्वतंत्रता—से माना जाता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी नाना प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु भारतवर्ष में स्वाधीनता को इस रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। कारण, यहाँ ‘इच्छा’ और ‘कर्म’ के बधन से भी स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया गया है। वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निरतर साधना की आवश्यकता है। रवीन्द्रनाथ कहते हैं, ‘स्वाधीन हो गये समझ लेने से स्वाधीन नहीं होगा जा सकता नियम अर्थात्

अधीनता के भीतर से बिना निकले स्वाधीन होना सभव नहीं।' यद्यपि देखने में यह कथन स्वतं विरोधी प्रतीत होता है तथापि उनके विचार में यह सत्य है कि 'परतत्रता के भीतर से ही स्वतत्रता के आने का पथ है।' तात्पर्य यह कि जितना ही व्यक्ति नियमों का पालन करता है उतनी ही उसकी आत्मा मुक्त होती जाती है।

वास्तविकता यह है कि रवीन्द्रनाथ बालक को शारीरिक स्वतत्रता उसी मात्रा में देना चाहते हैं जहाँ तक वह प्राकृतिक वातावरण से शुभ शिक्षा एवं प्रेरणा ग्रहण कर सके। पर वह बालक को 'यम' और 'नियम' के पालन से मुक्त नहीं देना चाहते। कारण, यम और नियम का बधन बालक की वास्तविक स्वतत्रता—आत्मा की मुक्ति—के लिए ग्रनिवार्य है। वह बालक को समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्य के बधन से छुटकारा नहीं दिलाना चाहते, क्योंकि कर्तव्य पालन में स्वयं उसकी आत्मोन्नति होगी। हाँ, वह बालक को आज की भौतिक सम्यता के कृत्रिम बधनों से अवश्य मुक्त रखना चाहते हैं।

सामाजिक शिक्षा एवं स्वशासन—स्वतत्रता को उपर्युक्त रूप में ग्रहण करते हुए रवीन्द्रनाथ का कहना है कि बालकों को सामाजिक व्यवहार के संपर्क में लाना चाहिए। समाज में रहकर ही बालकों का सम्यक् विकास सभव है। सामाजिक संपर्क में आने के लिए उन्हें अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए जिससे उनके व्यवहारों में सामाजिकता आ सके। इस सबध में रवीन्द्रनाथ के विचारों की तुलना प्रो० फिडले ने अमेरिका के द्वारा दृष्टि से की है। प्रो० फिडले के अनुसार "दोनों का ही पुनीत विश्वास है कि व्यक्ति का विकास समाज के अद्वर रह कर ही सभव है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा बालक की शिक्षा का आधार, सामाजिक प्रवृत्तियाँ हैं, फलत शिकागो की प्रगोग-शाला तथा बोलपुर के शातिनिकेतन में पारिवारिक भावना का समावेश किया गया है। दोनों स्थानों पर बालक के सम्मुख समाज के जटिल सबधों को अधिक सामान्य रूप में, लघुरूप में तथा आदर्शरूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में दोनों ही शिक्षा-शास्त्रियों के विचार में शाला एक लघु समाज है।"† दोनों में यह समानता होते हुए भी ध्यान रहे कि दोनों के जीवन के लक्ष्य, भिन्न होने के कारण दोनों के सामाजिक जीवन एवं सामाजिक वातावरण का आदर्श भिन्न है। दृष्टि वर्तमान में समाज की भौतिक उन्नति करना चाहते हैं, पर रवीन्द्रनाथ समाज को केवल साधन मानकर प्रत्येक व्यक्ति की आत्मोन्नति करना चाहते हैं।

बालकों में सामाजिक प्रवृत्ति के उचित दिशा में विकास के लिए, रवीन्द्रनाथ का कथन है कि उन्हें सहकारी क्रिया-कलापों में लगाना चाहिए। सहकारी क्रिया-कलाप न केवल बींदिक ज्ञेन में, वरन् शिक्षा के सभी चेत्रों में प्राप्त होने चाहिए। यहाँ यह ध्यान

† लक्ष्मी लाल के० ओङ् रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शिक्षा-दर्शन 'शिक्षा', जुलाई, १९५७ पृ० २४

रखना आवश्यक होगा कि इन कार्यों के सपादन में बालक को 'स्वशासन' का भी अवसर प्राप्त हो। 'स्वशासन' के आधार पर बालक में स्वावलम्बन, सहयोग, उत्तरदायित्व आदि नैतिक गुणों का विकास होगा। 'स्वशासन', स्वतंत्रता एवं सामाजिक शिक्षा का आवश्यक ग्रंथ है और उन्हीं के फलस्वरूप प्राप्त होता है। रवीन्द्रनाथ के आश्रम-समाज में अनेक ऐसे कार्यों में बालकों को भाग लेना होता है जिनसे उनकी सामाजिक दृष्टि से स्वयमेव शिक्षा हो जाती है। दूर-दूर से आये हुए बालक बड़े स्नेह और मैत्री भाव से मिलकर रहते हैं, साथ-साथ भोजन करते हैं, खेलते हैं तथा अनेक सामाजिक उत्सव और पर्व मनाते हैं। ऋमण्ड, नाट्य-प्रयोग, संगीत और साहित्य प्रदर्शन आदि अनेक सगठन-सबधी कार्यों में व्यावहारिक रूप से बालक सामाजिक भावना का विकास करते हैं। अध्यापकों और विद्यार्थियों में परस्पर प्रेम और आदर का भाव विद्यमान है और वे आश्रम के कार्य सचालन में सहयोग देना अपना कर्तव्य समझते हैं।

क्रिया द्वारा शिक्षा— बालक प्रकृति से क्रियाशील होता है। वह पल भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों और मन को सक्रिय रूप से प्रयोग करना चाहता है। अत रूसों, ड्यूइ, गांधी आदि शिक्षा-शास्त्रियों की भाति रवीन्द्रनाथ बालक को वास्तविक क्रिया द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यद्यपि सामान्यत ये सब 'क्रिया' पर बल देते हैं किर भी भिन्न जीवनादर्श होने के कारण इन सबकी क्रियाओं एवं क्रिया-विधि में विभिन्नता है।

यदि हम रवीन्द्रनाथ के आश्रम पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि विभिन्न कार्यों द्वारा वहाँ पर बालक अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आत्मिक उन्नति करते हैं। व्यायाम, आवास स्वच्छ रखना आदि कार्य बालक के शारीरिक विकास में सहायक होता है। ऋतुपर्व और उत्सव मनाना, अतिथि-स्तकार, बीमारों की सेवा, सहपाठियों, पढ़ोसी ग्रामवासियों की सहायता और सेवा विद्यार्थियों में नैतिक अथवा सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। शिष्टाचार के नियम, जैसे नमस्कार करना, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना, भोजन के समय कैसे उठना बैठना आदि, वास्तविक परिस्थितियों में क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। आत्मिक उन्नति के लिए सौन्दर्यबोध आवश्यक है, इस दिशा में संगीत की शिक्षा, चित्राकान, प्रकृति का निरीक्षण एवं सर्पक-स्थापन आदि कार्य बालक को सहायता प्रदान करते हैं। प्रात वेतालिक तथा दोनों समय समवेत उपासना बालक को 'आत्मीय एकता' का अनुभव कराती है। अत विभिन्न कार्यों द्वारा बालक अपने सपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते हैं। बालक का यह विकास भारतीय परपरा के सर्वथा अनुकूल है। कारण, जब कि अन्य शिक्षा-शास्त्री 'क्रिया द्वारा सीखने' (Learning by doing) पर बल देते हैं, भारतीय आदर्श क्रिया द्वारा

पूर्णरूप से जीने और 'जीने द्वारा सीखने' (Learning by living) पर बल देता है। रवीन्द्रनाथ को श्रेय है कि उन्होंने अपने आश्रम में इस सिद्धात को व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

रचनात्मक अभिव्यक्ति—रवीन्द्रनाथ के विचार में शिक्षा की कोई प्रणाली तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसमें बालक की रचनात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए स्थान न हो। उनके अनुसार मनुष्य में 'दैहिक प्यास' के साथ ही एक और प्यास होती है और वह है अपने को व्यक्त करने की। अपनी इस प्यास की तृप्ति मनुष्य साहित्य संगीत, नृत्य, और चित्रकारी द्वारा करता है। यह प्यास इतनी प्रबल होती है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कारण, यह अतर्वासी 'एक की बेदना है' जो रूप, स्वर, वाणी, नृत्य आदि किमी रूप में अपने को व्यक्त करना चाहती है। रवीन्द्रनाथ के जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन में पाठ्य-विषय पर विचार करते हुए हमने देखा कि ब्रह्म के तीन रूपों के अनुसार ही मानव ग्रात्मा के भी तीन रूप हैं—'मैं हूँ', 'मैं जानता हूँ' और 'मैं व्यक्त करता हूँ।' मनुष्य की यह प्यास उमकी आत्मा की 'मैं व्यक्त करता हूँ' की दिशा से सवधित है। विभिन्न प्रकार के हस्त-कौशल और कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति की कुशलता प्राप्त की जा सकती है क्योंकि वे हमारी आध्यात्मिक भव्यता एवं अत प्रकृति के सहज उद्गार हैं। अत रवीन्द्रनाथ रचनात्मक अभिव्यक्ति की ज्ञानता में बृद्धि करने पर, केवल व्यावहारिक जीवन के विचार से ही नहीं, वरन् आध्यात्मिक विचार से भी, विशेष बल देते हैं।

रवीन्द्रनाथ का कथन है कि मनुष्य अपने मन की बहुत-सी बातों को शब्दों में नहीं प्रकट कर पाता। अत उमे रेखाओं, रगों, ध्वनियों और गतियों के माध्यम से व्यक्त करने का डग सीखना चाहिए। इनमें पारगत होकर वह केवल अपनी प्रकृति को ही नहीं व्यक्त करेगा, वरन् अपने 'अतर्वासी' को व्यक्त करने के प्रयास में लगे हुए प्रत्येक देश और काल के मनुष्य को समझने की ज्ञानता भी प्राप्त करेगा। शिक्षा की उपयोगिता केवल तथ्यों को एकत्रित करने में नहीं है, वरन् मनुष्य को जानने और स्वयं को दूसरों के जानने देने में है। तथ्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि 'वह बुद्धि की भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के साथ-साथ किसी सीमा तक व्यक्तित्व की भाषा पर भी अधिकार प्राप्त करे।' रवीन्द्रनाथ 'जीवन' के अभिव्यक्तीकरण सबधी सभी क्रियायों के करने के लिए बालक को स्वतंत्रता और प्रोत्साहन देने का समर्थन करते हैं।

रवीन्द्रनाथ ने रचनात्मक अध्यवा सृजनात्मक किया और निर्माण-क्रिया में भेद किया है। दोनों को एक नहीं माना जा सकता। कारण, दोनों के लक्ष्य में विभिन्नता है। उन्हीं के शब्दों में, "मनुष्य का सर्वोत्तम परिचय यह है कि मनुष्य स्त्रा" है। आज की सम्यता उसे मज़दूर बनाती है, मिस्त्री बनाती है और महाजन बनाती है। लोभ दिखाकर 'स्त्रा' को छोटा बनाती है। मनुष्य निर्माण करता है व्यवसाय के लिए और 'सृष्टि' करता है

आत्मा की प्रेरणा से । व्यवसाय का प्रयोनन जब बहुत ज्यादा बढ़ता ही जाता है, तब आत्मा की वाणी रुक जाती है ।” अत आत्मा को प्रेरणा को व्यक्त करना, मष्टा बनना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है ।

कल्पना का मुक्त विकास—मष्टा बनने के लिए विद्यार्थी को कल्पना करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए । कारण, प्रत्येक सूनन अथवा आविष्कार के मूल में कल्पना का अपना आवश्यक स्थान है । आज का मनोविज्ञान भी इसी तथ्य का समर्थक है कि कल्पना-शक्ति का यदि ठीक दिशा में निर्देशन किया जा सके तो वह शैक्षिक दृष्टिकोण में बड़ी ही लाभप्रद हो सकती है । आज का मनोविज्ञान अपने सिद्धांतों की पुष्टि प्रयोग, अनुसंधान तथा तक के ग्राधार पर करता है । परन्तु रवीन्द्रनाथ ने आत्मानुभूति, चिन्तन तथा बालक के प्राकृतिक विकास के आधार पर इस शक्ति का महत्व पहचाना ।

कल्पना करने की स्वतंत्रता केवल वयस्कों के ही लिए आवश्यक नहीं है वरन् बालक के लिए भी है । कल्पना के मुक्त प्रवाह द्वारा बालक अपनी उन इच्छाओं की तूति कर लेता है जिनको पूर्ण वास्तव जगत में कठिन और कभी-कभी पूर्णतया अमंभव है । रवीन्द्रनाथ माटेसरी से इस विषय में सहमत नहीं है कि कल्पना बालक को यथार्थ जगत से दूर ले जाती है । इसके विपरीत रवीन्द्रनाथ का कथन है कि यथार्थ जगत बड़ा कठोर है, वह बालक की भावनाओं का ध्यान नहीं रख सकता है । कल्पना द्वारा बालक ज्ञाण भर में चन्द्रलोक और परीलोक की सैर कर लेता है । अत कल्पना-जगत के सुख से बालक को वचित कर देना मानो उसके जीवनको नीरस एवं निराननद बना देना है । इसलिए रवीन्द्रनाथ, प्लेटो और माटेसरी से भिन्न, छोटे बच्चों को काल्पनिक कहानियों सुनाने के पक्ष में है । कहानियाँ सुनने से बालकों में अनेक नैतिक गुणों का विकास होता है । कहानियाँ सुनते समय बालक जब कहानी के अनेक पात्रों के माध्य एकाकार स्थापन करता है तो उसके बहुत से मनोद्वेषों को सतुष्टि प्राप्त होती है और कभी-कभी यदि उसके मन में भावना ग्रथियाँ हैं तो उन्हें सुलझाने में उसे सहायता मिलती है । कहानियों द्वारा ही बालक में सूजन की भावना जागृत होती है और भविष्य में वह सूजन के लिए कल्पना करता है ।

अचेतन मन और विशुद्ध वातावरण की आवश्यकता—रवीन्द्रनाथ के अनुसार बालक का अचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है । अपने अचेतन मन के माध्यम से बालक जीवन के अनेक पाठ बिना किसी श्रम या थकान के सीख लेता है । पूर्व पीढ़ियों के सचित अनुभव भी वह इसी माध्यम के द्वारा प्राप्त करता है । ज्ञान की यह अचेतन शक्ति बालक के जीवन के साथ एकरस होती है । इस सबध में रवीन्द्रनाथ ने बालक के विकास की तुलना एक बच्चे से की है । जिस प्रकार वृक्ष अपने चारों ओर के वातावरण से अपने पोषक तत्वों को प्रहण कर लेता है उसी प्रकार

बालक भी अनजाने ही अपने समीपवर्ती वातावरण से प्रभावों को ग्रहण करता है। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ बालक का विकास विशुद्ध, प्राकृतिक एवं सुशिक्षाप्रद वातावरण में चाहते हैं। उनके लिए शिक्षा के नियमों और प्रणालियों से भी बड़कर महत्वपूर्ण वस्तु वातावरण है।

बालक एक विकासशील प्राणी है। अत बालक के स्वस्थ मानसिक एवं आत्मिक विकास के लिए उसके चारों ओर प्राकृतिक सौन्दर्य के अतिरिक्त, आत्मीय-प्रेम से पूर्ण वातावरण का होना आवश्यक है। आत्मीय-प्रेम से पूर्ण वातावरण का तात्पर्य है जहाँ गुरु और शिष्य परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र हुए हों जहाँ दोनों साथ-साथ रहकर शारीरिक द्वृढ़ा एवं आत्मिक द्वृढ़ा की तृप्ति करें।[†] ऐसा ही आत्मीयता पूर्ण वातावरण, प्रत्येक पाठशाला में वाढ़नीय है।

शिक्षण-पद्धति

शिक्षण बालक की प्रकृति के अनुरूप—रवीन्द्रनाथ वर्तमान शिक्षण-पद्धति से असतुष्ट थे। उनके अनुसार बालक की प्रकृति के अनुरूप ही शिक्षण-पद्धति की व्यवस्था होनी चाहिए। बालक को शिक्षित करने के लिए केवल सविचार प्रशिक्षण की ही आवश्यकता नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं पहले बालक को ही अग्रसर होना चाहिए। अध्यापकों के विचार में बालक को शिक्षा देने का सर्वोत्तम साधन मन को एकाग्र करना है, किन्तु प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने का सर्वोत्तम साधन मन को वितरित करना है। बालकों को चाहिए कि वे तथ्यों को अपने आप सीखें। इससे उनके मस्तिष्क को पूर्ण गतिशीलता और खोज का आनन्द प्राप्त होगा। अचानक सफलता प्राप्त करने पर उन्हें अपनी ज्ञानता का पता चलेगा। और इस तरह वे सृजनात्मक जीवन के पाठ सीखेंगे। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ ने अपनी शिक्षण-पद्धति में खेल को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

खेल और काम—रवीन्द्रनाथ की विशेषता यह है कि यद्यपि उन्होंने अपनी शिक्षण-पद्धति में खेल को महत्व दिया है, किंतु भी खेल और काम को विरोधी न ठहराकर, उन दोनों में सामजस्य स्थापित किया है। उनके अनुसार बालक में अन्तर्निहित स्वाभाविक जिज्ञासा और सामाजिक प्रवृत्ति उसे उन क्रियाओं की ओर प्रवृत्त करती है जिन्हे वयस्क ‘खेल’ कहते हैं। यह ध्यान में रखने की बात है कि यद्यपि हम खेल को व्यर्थ का कार्य समझते हैं, तथापि बालक की चेतना के विकास के लिए वह एक गम्भीर क्रिया है। खेल की इस प्रक्रिया में दिवास्वप्न, कल्पना, वास्तविकता का निर्माण, वयस्क जिससे परे हैं, आदि क्रियाएँ सम्मिलित हैं। ये क्रियाएँ सभी बालकों के लिए सामान्य हैं। धीरे-

[†] तुलना कीजिए—ओ सह नाववतु। सहनौभुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै।

वीरे बालक की प्रवृत्ति खेल-क्रियाओं की ओर से प्रयोजनपूर्ण क्रियाओं की ओर होती जाती है। खेल से प्रयोजनपूर्ण कार्यों की ओर अग्रसर होने के अवस्थान काल में ही वाह्य अनुशासन से बालक में आतंरिक अनुशासन उत्पन्न होता है। कारण, प्रयोजनपूर्ण कार्य में बालक अपने कार्य में निहित उद्देश्य को समझने लगता है और यही उद्देश्य आतंरिक अनुशासन की पुष्टि करता है। रवीन्द्रनाथ बालक की कल्पनापूर्ण खेल की प्रवृत्ति से पूर्णतया परिचित थे और यही कारण है कि शातिनिकेतन में छोटी कच्चाओं के बालक खेल सबधीं अनेक क्रियाओं में मन रहते हैं। खेल की इस शिक्षण-प्रक्रिया में शिक्षक का कार्य है कि वह खेल को उद्देश्यपूर्ण बनाए। परन्तु कैसे? बालकों को शिक्षा देकर नहीं, वरन् उनके साथ खेलकर। सफल शिक्षक वही है जो बालक की इस प्रवृत्ति से परिचित है और उसको सद्कार्यों को ओर प्रेरित करता है।

रवीन्द्रनाथ बालक को आरभ में खेल द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में इसलिए और है कि जबरदस्ती और यान्त्रिक ढग से दी हुई शिक्षा बालक के अन्दर आत्महीनता की भावना का विकास करती है। बालक के निर्माण काल में जब उसकी प्रवृत्तियाँ दबा दी जाती हैं और इस प्रकार जब उसमें ग्रात्महीनता का भाव उदय हो जाता है तब वही बालक बाद में चलकर शारीरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से दुर्बल व्यक्तियों से बदला लेता है। खेल में बालक की प्रवृत्तियों का पूर्णरूप से अभिव्यक्तीकरण हो जाने पर उसके अदर ग्रात्महीनता की प्रथिनिर्माण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और स्वभावत दूसरों को सताने और कष्ट देने की भावना का स्वयंमेव निराकरण हो जाता है। खेल से न केवल बालक बल्कि किशोर और प्रौढ़ भी किसी सीमा तक इस दिशा में लाभ उठा सकते हैं। यान्त्रिक शिक्षा का एक दोष और है। वह बालक को बाहरों सकेनो एव सुझावों (External suggestions) के प्रति ठीक दृष्टिकोण निर्धारित करना नहीं सिखलाती। अत बालक रेडियो, सिनेमा, समाचार-पत्र आदि द्वारा दिये गये सुझावों को एकदम बिना सोचे समझे ग्रहण कर लेता है। इस दोष से बचने के लिये रवीन्द्रनाथ बालकों को आरभ में प्रकृति, मानव और आसपास के ग्रामीण वातावरण के प्रत्यक्ष सर्पक में रखना चाहते हैं ताकि इनसे प्रेरणा ग्रहण करके, वे बाह्य सुझावों को समझना सीखे और उनके प्रति प्रतिरोध करने की ज्ञमता उनमें उत्पन्न हो। उपर्युक्त दोनों प्रकार के दोष पाश्चात्य जगत में पाये जाते हैं और पाश्चात्य प्रणाली का अनुसरण करने के कारण हमारी शिक्षण-पद्धति में भी आ गये हैं। इनका हमें भरसक निराकरण करना चाहिए।

शिक्षण-प्रक्रिया में खेल के माध्यम से आरभ में बालकों की मूल प्रवृत्तियाँ और उद्देश प्रशिक्षित हो जाते हैं और उनमें कुछ शशों में सहयोग की भावना जाग्रत हो जाती है। पर कुछ समय बाद खेल की प्रक्रिया में ही शिक्षक और छात्र के सम्मुख नैतिक और भावात्मक समस्याएँ उपस्थित होती हैं। रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि साथ-साथ मिलकर रहने की कला केवल कोरे शिक्षा-दर्शन विषयक उपदेश से नहीं सीखी जा सकती है। खेल से

प्रयोजनपूर्ण कार्यों की ओर अवस्थान के मक्रमण-काल में जो नैतिक समस्याएँ उपस्थित होती हैं उन्हे बालक को स्वय सुलभाना चाहिए। शिक्षक का कार्य उन समस्याओं के समाधान में केवल मार्ग निर्देश करना है। मार्ग निर्देशन की सबसे उत्तम विधि है बालक के कार्य-विशेष कर शारीरिक श्रम सबधी कार्य—मेरे शिक्षक स्वय भी भाग लें। कारण यह है कि सभी कार्य के पीछे (जो अब खेल नहीं है) कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य होता है। बालक की नैतिक समस्याओं के समाधान में यही 'प्रयोजन' सहायता करता है न कि शिक्षक। वास्तविकता यह है कि बालक के दैनिक कार्य उनके सामने नैतिक समस्याओं को ठोस कठिनाई के रूप में उपस्थित करते हैं और बालक से समाधान की माँग करते हैं। इसी समाधान की प्रक्रिया मेरे बालक व्यावहारिक रूप से जीवन मे नैतिक सिद्धांतों का मूल्य जान लेते हैं।

मविचार प्रशिक्षण—इस प्रकार खेल और काम तथा दिवास्वप्न एवं प्रयोजनपूर्ण सयोग के द्वारा विकास करके बालक किशोरावस्था मे प्रवेश करता है। इस अवस्था मे बालक को शिक्षा की आवश्यकता है, अत उसका बौद्धिक प्रशिक्षण करके ज्ञान की प्राप्ति करानी चाहिए। विभिन्न विषयों का ज्ञान देते समय मुख्य बात जो ध्यान मे रखनी चाहिए वह यह है कि तथ्य बालकों को इस प्रकार दिए जायें जो 'उनके मन मे आदोलन' खड़ा कर दे, उनकी विचार शक्ति को उत्तेजित करे और वह उन्हे और अधिक समझने की चेष्टा करे। इस सबध मे रवीन्द्रनाथ ने लिखा है, शब्द का अर्थ समझना ही बड़ी बात नहीं है। 'शिक्षा का सबसे बड़ा अर्ग 'समझा देना' नहीं, बल्कि 'मन पर आधार करना' है। उस आधार के भीतर जो चीज बज उठती है, किसी बालक से यदि उसकी व्याख्या करने को बहा जाय, तो वह जो कुछ कहेगा वह महज लड़कपन जैसी ही कोई चीज होगी। किन्तु जो बात वह मुँह से कहता है उससे उसके मन मे ध्वनित कही ज्यादा होता है। जो लोग विद्यालय की शिक्षकता करके केवल परीक्षा द्वारा ही सपूर्ण फल निर्णय करना चाहते हैं वे इस चीज की कोई स्वभाव ही नहीं रखते।' † इस कथन को उन्हीं के जीवन के कई अनुभवों से भली-भाँति समझा जा सकता है। 'जीवन स्मृति' मे उन्होंने लिखा है कि 'बचपन मे बहुत-मी बाते मेरी समझ मे नहीं आती थी, किन्तु वे मेरे मन मे आदोलन खड़ा कर देती थी।'

. "बचपन मे जब कि मैं अप्रेजी कुछ नहीं जानता था तब बहुत-सी तस्वीरों वाली एक किताब 'ओल्ड क्युरिओसिटी शॉप' लेकर मैंने शुरू से आखीर तक पढ़ डाली थी। उसका मैं पन्द्रह-आना हिस्सा नहीं समझ सका था, अत्यन्त अस्पष्ट छाया-जैसी कोई चीज मन मे बनाकर, नाना रगो के छिन्न सूत्रों मे गॉठ बाँध कर, उसी से मैंने अपने मन मे तस्वीरों को गूँथ लिया था। मैं किसी परीक्षक के हाथ पड़जाता तो एक बड़ा शून्य पाता, इसमे सदेह नहीं, किन्तु मेरे लिए वह पढ़ना उतना बड़ा शून्य नहीं हुआ।" रवीन्द्र-

†'रवीन्द्र-साहित्य', भाग १८, पृष्ठ ५१

नाथ के अनुसार सब कुछ समझ जाना ही नहीं वरन् तत्वा का आभास पाना ही बालक की ज्ञान-वृद्धि लिये ब्रेयस्कर है। यही कारण है कि हमारे देश में प्राचीन काल में कथक कहानियों में बड़े-बड़े संकलन के शब्द उपयोग करते था ऐसी तत्वकथाएँ लिखते जिन्हे श्रोतागण पूर्णरूप से समझ नहीं पाते थे, केवल उनका आभास पाते थे। इस आभास की प्राप्ति मात्र ही बालक के लिए महत्वपूर्ण है। कारण, 'अन्तरात्मा के अन्त - पुर में जो काम चल रहा है, बुद्धि के क्षेत्र में हर वक्त उसका सवाद आकर नहीं पहुँचता।'

रवीन्द्रनाथ का यह सिद्धात आदर्शवादी शिक्षण पद्धति के सर्वथा अनुकूल है क्योंकि इसके अनुसार शिक्षक का कार्य बालक को एक सशय (Suspense) की स्थिति में ला देना मात्र है, बालक के लिए सब कुछ सरल बना देना नहीं। ज्ञान-प्राप्ति के लिए बालक को स्वतं क्रियाशील होना है।

रवीन्द्रनाथ बालक को सासार का पीढ़ियों दर पीढ़ियों द्वारा सभी क्षेत्रों में अर्जित ज्ञान प्रदान करना अवश्य चाहते हैं परं इस ज्ञान को देने की विविध में परिवर्तन चाहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में वह वस्तु-पाठ और प्रकृति-ग्रन्थयन (Nature Study) पर बल देते हैं। वह विज्ञान के ज्ञान को केवल शिक्षक के मौखिक रूप से दिये गए व्याख्यान या केवल लेबोरेटरी में किये गये कार्य के आधार पर नहीं देना चाहते, वरन् सजीव प्रकृति के संपर्क एवं अध्ययन के रूप में। वह पाठ द्वारा केवल वौद्धिक प्रशिक्षण तथा खेल द्वारा केवल शारीरिक प्रशिक्षण में ही विश्वास नहीं करते वरन् वौद्धिक ज्ञानार्जन का हस्त-कार्यों के साथ समन्वय करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने आश्रम में तरह-तरह की उपयुक्त योजनाओं (Projects) की खोज, सचालन और धूर्ति के लिए आतुर रहते थे। सार रूप में सभी प्रकार का ज्ञान बालक की रुचि के आधार पर उसे प्रदान किया जाना चाहिए। बालक की विशेष ज्ञानता का आदर करना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने शान्तिनिरेनन में विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए विभिन्न विभागों का आयोजन किया और विद्यार्थी को यह सुविधा प्रदान की कि वह अपनी रुचि अनुसार जिस विभाग में चाहे उसमें अध्ययन कर सकता है।

रवीन्द्रनाथ वर्तमान शिक्षा पद्धति से सतुष्ट नहीं है। मूलों और कालेजों में दी गई शिक्षा बालक आजीवन आत्मसात नहीं कर पाते। जबर्दस्ती लादा हुआ ज्ञान वे शोष्य ही भूल भी जाते हैं। तथ्य यह है कि उनकी बुद्धियों को बिलकुल ही प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। पुस्तके भी जो प्रयोग की जाती है उनका वास्तविक जीवन से अविक सबध नहीं होता। आज की शिक्षण-पद्धति की सब से बड़ी कमी यह है कि अधिकतर बालक तथ्यों एवं सिद्धातों को रट लेते हैं, उन्हे समझते नहीं, कुछ व्यक्ति यदि किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त भी कर लेते हैं तो उनका ध्यान केवल ज्ञान के एक पक्के तक ही सीमित रहता है, इसके अतिरिक्त यदि कुछ व्यक्ति सब विषयों का ज्ञान ग्रहण भी कर लेते हैं तो उनका ज्ञान व्यावहारिक नहीं होता, रवीन्द्रनाथ मन की तीनों शक्तियों का

विकास चाहते हैं। वह ज्ञान, प्रेम और किया में सह-सबध स्थापित करना चाहते हैं। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ खेल द्वारा उद्घो के प्रशिक्षित होने और निकट के वातावरण से समायोजित हो जाने तथा विभिन्न विषयों का ज्ञान ग्रहण कर लेने में ही शिक्षा की समाप्ति नहीं स्वीकार करते। वह विषयों के ज्ञान के साथ-साथ सगीत कला आदि द्वारा बालक के सवेगों को स्थिर करना चाहते हैं। इसके उपरात वह बालक को राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक वास्तविक परिस्थियों से व्यावहारिक रूप में परिचित कराना चाहते हैं, तत्पश्चात् विदेशी संस्कृतियों और उनके विभिन्न जीवनादशों से। इस प्रकार बालक को एक सफल नागरिक एवं विश्वनागरिक बनाने की चमता उनकी शिक्षा-व्यवस्था में निहित है।

शिक्षण का केन्द्र सपूर्ण जीवन—शिक्षा के मुख्य तीन अग हैं—शिक्षक, पाठ्य-विषय तथा शिक्षार्थी। शिक्षा-इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि शिक्षण-प्रक्रिया में किमी न किसी अग को एक समय पर प्रधानता मिलती रही। प्राचीन काल में हमारे देश में गुरु तथा उसका आध्यात्मिक अनुभव शिक्षण का केन्द्र माना जाता था और शिक्षा के अन्य अगों को उसी के अनुरूप होना पड़ता था। फिर सत्तार भर में पाठ्य-विषयों को प्रधानता मिली। बालक की रुचि की उपेक्षा करके विषयों का अध्ययन अनिवार्य माना गया। आजकल बालमनोविज्ञान की प्रगति के कारण शिक्षा का केन्द्र बालक, उसकी रुचियाँ और अनुभव माना गया है। रवीन्द्रनाथ इन तीनों में से किसी भी अग पर बल देने के पक्ष में नहीं है। कारण, ऐसा करने से साम्यता नष्ट हो जावेगी। शिक्षण का केन्द्र ऐसा होना चाहिए जिसमें इन तीनों को यथास्थान प्राप्त हो सके। वह केन्द्र है 'जीवन', किसी विशेष बालक का 'जीवन नहीं और न मानव जीवन के किसी विशेष पक्ष से सबधित जीवन, वरन् जीवन अपने समग्र रूप में अर्थात् 'सपूर्ण' जीवन जो ग्रपने श्रेष्ठतम एवं उत्कृष्ट रूप में अध्यापक और छात्र को मिलकर जीना है। 'सपूर्ण जीवन' को शिक्षण का केन्द्र मानने से शिक्षा के विभिन्न अगों में, ज्ञान के विभिन्न पक्षों में अथवा विभिन्न विषयों में स्वभावत सह-सबध स्थापित हो जाता है। शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति तब तक असंभव है जब तक शिक्षा का केन्द्र बालक का 'सपूर्ण जीवन' नहीं माना जायगा। 'सपूर्ण जीवन' के लिए बालकों में रुचियों के जाग्रत करने में ही शिक्षा की सफलता एवं सार्थकता है। उन सभी ज्ञानों, सभी सूचनाओं एवं सामाजिक प्रयोजनों की उपेक्षा की जानी चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा से संयुक्त नहीं है। शिक्षक एक कलाकार है। वह बालक के जीवन का निर्माता है, उसे बालक के सपूर्ण जीवन का निर्माण करना चाहिए। पाठशाला को कुछेक कार्यों का स्थल नहीं होना चाहिए वरन् सपूर्ण जीवन से सबधित कार्यों का। पाठ्यक्रम का लक्ष्य होना चाहिए बालकों को व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के अभिव्यक्तीकरण के लिए अवसर प्रदान करना। बालक को कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं ग्रहण करना चाहिए जो

उसके सामूहिक जीवन के रूप में उसकी कुशलता या प्रसन्नता में बाधा पहुँचाता हो। अत पाठशालाओं में वातावरण की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण-पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए बालकों को नित्यप्रति के दैनिक जीवन का कार्यक्रम निर्धारित करने और मिलकर रहने में सहायता प्रदान करना, ताकि वे सब आनन्दपूर्वक सफल जीवन व्यतीत कर सके।

एकता का सिद्धान्त—शिक्षा-दर्शन के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ की मुख्य देन यह है कि उन्होंने सत्य की एकता (Unity of truth) और विचार की एकता (Unity of thought) पर विशेष बल दिया है। उनकी शिक्षा योजना में सपूर्णता एवं एकता के सिद्धान्त निहित है और वास्तव में उन्होंने इन सिद्धांतों को शान्तिनिकेतन^f तथा श्रीनिकेतन में व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने प्रकृति को बालक के विकास में एक सूत्रता लाने वाली शक्ति माना है। प्रकृति के कई रूप हैं, अत उन्होंने उन् सबको क्रमबद्ध किया है। बालक के लिए प्रकृति पराआत्म (Super-personal) की वृद्धि और विकास का अचेतन सकेत है जिसके सबध में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। वह बालक के स्वप्न और त्रीड़ा के लिए पृष्ठभूमि के रूप में सदैव प्रस्तुत रहती है। किशोरों के लिए वही प्रकृति वैज्ञानिक या लयात्मक जिज्ञासा (Lyrical Curiosity) का विषय बन जाती है। हमें प्रकृति के इन दोनों पक्षों पर बालक को शिक्षा देते समय ध्यान देना चाहिए। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पार कर चुकने वाला प्रौढ़ प्रकृति को मिट्टी के रूप में देखता है, जिसके ऊपर राष्ट्र और देशवासियों का विकास हुआ है और जो मनुष्य के आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए पृष्ठभूमि के रूप में है। अत प्रकृति वह केन्द्र स्थल है जहाँ मनुष्य की रुचियाँ और आकाचाएँ आकर मिलती हैं। रवीन्द्रनाथ के अनुसार प्रकृति का जो ज्ञान प्रयोगशालाओं में प्राप्त किया जाता है, वह अकेले पर्याप्त नहीं है, वरन् जब हमारे मन के ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष में सबद्धता स्थापित हो जाती है, अर्थात् जब हम प्रकृति को केवल जानते ही नहीं वरन् उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करते हैं, तभी हम विशाल और गहन स्वतंत्रता की प्राप्ति करते हैं। 'यह स्वतंत्रता उसी को प्राप्त होती है, जो जगल के वृक्ष की भाँति सधर्ष में आत्म-सतोष प्राप्त करता है और बाल्यावस्था के धूँधले स्वप्नलोक से क्रमश प्रौढ़ता के स्पष्ट प्रकाश की ओर अग्रसर होता है।'^f स्वतंत्रता स्वच्छदता नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता विश्व को केवल जानने-मात्र में नहीं है, वरन् उससे समरस होने में, उससे एकरस होने में है। 'प्रेम और क्रिया' के माध्यम से ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है।

रवीन्द्रनाथ और फ्रॉबेल—रवीन्द्रनाथ को श्रेय है कि उन्होंने फ्रॉबेल की भाँति

^fThe Visva-Bharati Quarterly, May-Oct., 1947, p. 37

शिक्षा के क्षेत्र में खेल, आनंद, स्वतंत्रता, आत्म-रचनात्मक अभिव्यक्ति, एकता आदि पारिभाषिक शब्दों को प्रविष्ट किया है और सभी प्रकार के ज्ञान में समन्वय और सबद्धता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। फ्रॉबेल की भाँति उन्होंने भी उन स्तरों का वर्णन किया है जिनसे होकर बालक प्रौढ़ता प्राप्त करता है—सर्वप्रथम वातावरण के प्रति बालक के सबेगों को अनुकूलता, तत्पश्चात् बुद्धि की शिक्षा और प्रशिक्षण तथा अत में अपनी व्यक्तिगत पृथकताएँ जानते हुए, अपने समाज तथा मानव-समाजों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए मानव-जाति में सूत्रबद्धता स्थापित करना।

यहाँ हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यद्यपि दोनों का श्य एक ही है अर्थात् एकता की प्राप्ति, तथापि दोनों की शिक्षण-विधियों में महान अंतर है। फ्रॉबेल जड जगत् से 'उपहार' और 'व्यापार' को ईश्वर के प्रतीक रूप में स्वीकार करके, उनके सहारे से ईश्वर की एकता का बोध बालक को कराना चाहता है। इससे भिन्न रवीन्द्रनाथ स्पष्ट घोषणा करते हैं कि 'जो अतर में है, उन्हे अतर में ही जानो।' बाह्य उपादान उसकी प्राप्ति को और अधिक दुर्गम बना देते हैं। वास्तविकता यह है कि फ्रॉबेल के नाना प्रकार के 'उपहार' और 'व्यापार' द्वारा बालक ऐद्रियिक ज्ञान तो अवश्य किसी मात्रा तक ग्रहण कर लेता है, परन्तु उनके पीछे रहस्य को न समझने के कारण एकता का बोध प्राप्त करने में असफल रहता है।

फ्रॉबेल, रवीन्द्रनाथ की भाँति ही, वैयक्तिक और जातीय विकास में विश्वास करता है, परं वह यह बताने में अक्षम है कि व्यक्ति अपना भावी विकास किस प्रकार करे। इसका कारण यह है कि "फ्रॉबेल ईश्वर को एक अमूर्त सिद्धात्—एकता के रूप में स्वीकार करता है, परन्तु टैगोर ईश्वर को विश्व-पुरुष के रूप में मानते हैं, जो कि यथार्थ के अधिक समीप है तथा मानव-मन एवं जीवन के सभी अणों को स्पर्श करने वाला है। वे आत्मिक ससार को इस ससार से पृथक् नहीं मानते, बल्कि इस ससार का ही अतरतम सत्य मानते हैं।"^१ अत, रवीन्द्रनाथ ब्रह्म की मानव और प्रकृति में अभिव्यक्ति मानने के कारण, व्यक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। रवीन्द्रनाथ के अनुसार व्यक्ति का विकास उपदेश द्वारा सभव नहीं, बरन् एक विशिष्ट वातावरण में जीवन-यापन द्वारा ही सभव है। व्यक्ति का आत्मिक विकास प्राकृतिक सौंदर्य एवं परिवारिक भावना से पूर्ण आश्रम में निवास, नियम-संयम का जीवन, ललित कलाओं के माध्यम से कलात्मक भावनाओं के अभिव्यक्तीकरण, पास-पडोस के मानवीय समाज से सबध और उसकी सेवा, तथा विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में 'अनेकता में एकता' के सिद्धात के आधार पर समन्वय तथा मानवता से प्रेम द्वारा ही

^१ सद्गुरी लाल के० ओङ : रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शिक्षा-दर्शन, 'शिक्षा', जुलाई, १९५७ पृष्ठ २३

सभव है। निष्कर्ष रूप में, समस्त सृष्टि से समरस होकर ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा।

तथ्य यह है कि ब्रह्म के त्रिविध स्वरूप—‘सत्य’, ‘ज्ञान’ और ‘अनन्त’ के अनुरूप हो मनुष्य की जो तीन दिशाएँ हैं, ‘मैं हूँ’, ‘मैं जानता हूँ’ और ‘मैं व्यक्ति करना हूँ’, उनको केवल मनुष्य के जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर ही क्रियान्वित नहीं होना चाहिए, वरन् सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी। कारण, व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने से वह व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है और व्यक्ति अपने सत्य-रूप से दूर हटता चलता है। यदि व्यक्ति ‘ए न्ता’ का बोध प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी तीनों दिशाओं को ब्रह्म के स्वरूप में समस्वर करना होगा। यह कैसे सभव है? ‘मैं हूँ’ का वास्तविक रूप तभी विकसित होगा जब व्यक्ति समझेगा कि ‘आँखों को स्थिति में ही मेरी स्थिति है’। ‘मैं जानता हूँ’ का वास्तविक रूप केवल अपने दैहिक अस्तित्व को बनाये रखने वाले उपादानों को जानना-मात्र नहीं है, वरन् ‘अपनी ज्ञानमय प्रकृति के साथ सगति रखकर ज्ञान-विज्ञान को जानना ही यथार्थ जानना है’। इसी प्रकार ‘मैं व्यक्ति करता हूँ’ का वास्तविक रूप तभी प्रदर्शित होगा जब व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व अर्थात् ‘अन्यों की स्थिति में अपनी स्थिति’ की अनुभूति करके, अपनी ज्ञानमय प्रकृति से एकाकार स्थापित करके, इसी ज्ञान को अपने विविध कार्यों में अभिव्यक्त करता है। वह कार्य है—विभिन्न प्रकार की सेवाएँ और त्याग। व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर, जब आनन्दमय हो उठता है तो वह अपने भावों को नाना प्रकार की ललित कलाओं के माध्यम से व्यक्ति करता है। ‘असीमता बोध’ ही ‘एकता’ अथवा ‘अद्वैत’ की प्राप्ति का साधन है।

जीवन-दर्शन पर आधारित संस्थाएँ

‘रवीन्द्रनाथ विश्वविद्यालयों’ को ज्ञान और विद्या के क्रय-विक्रय अथवा यात्रिक प्रसार का केन्द्र नहीं मानते हैं। उनके विचार में विश्वविद्यालय ऐसे स्थल है, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी मानसिक सपत्ति दूसरों को देने में समर्थ होता है। इसके साथ ही मानवता की सेवा तथा विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और मानव-समूहों के बीच के विभेदों को दूर करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने विश्वभारती की स्थापना की कल्पना की। इन्हीं आदर्शों को लेकर विश्वभारती की स्थापना के निम्नांकित उद्देश्य माने गये—

(१) सत्य के विभिन्न पक्षों का सांख्यात्कार करने में मानव-मन का अनेक दृष्टि-कोणों से अध्ययन करना।

(२) अतर्निहित एकता के आधार पर पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों का सहिष्णुता-पूर्वक अध्ययन, खोज तथा उनमें घनिष्ठ सबध की स्थापना।

(३) प्राच्य जीवन और विचारो को दृष्टि मे रखते हुए पाश्चात्य विचारधारा से समन्वय-स्थापन ।

(४) पाश्चात्य और प्राच्य विचारो मे समति स्थापित करके विश्वशाति के लिए भौलिक स्थितियों को सुदृढ़ बनाना तथा दोनों का आदान-प्रदान करना । इन्ही विचारो से प्रेरित होकर एक सास्कृतिंक केन्द्र के रूप मे शातिनिकेतन की स्थापना हुई और वहाँ साहित्य, धर्म, इतिहास, विज्ञान, कला, बौद्ध, हिंदू, जैन, इस्लाम, ईसाई और सिन्धु आदि धर्मों के अध्ययन की व्यवस्था की गयी । इन विभिन्न धर्मों तथा सस्कृतियों के अध्ययन, इनमे सहकारिता और सहर्चितन की भावना का प्रारम्भ किया गया । जाति, धर्म, वर्ण आदि के भेदों के परे एक परमसत्ता के नाम पर पाश्चात्य और प्राच्य विद्वानों तथा चिंतकों को विचार-विनिमय करने का अवसर प्रदान किया गया । - रवीन्द्रनाथ ने विश्वभारती मे शिक्षा के लिए एक उचित वातावरण की सृष्टि की, जिसमे छात्रों की ज्ञानताओं का सम्यक् विकास हो सके ।

भारत सरकार ने विश्वभारती को एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का रूप दे दिया है जिसमे निम्नांकित विभाग शिक्षा, धर्म, सस्कृति और कला के चेत्र मे कार्य कर रहे हैं—

(१) पाठ्यभवन, (२) शिक्षाभवन, (३) कलाभवन, (४) सभीतभवन, (५) विनयभवन, (६) शिल्पभवन, (७) श्रीनिकेतन, (८) हिंदूभवन और (९) चीनाभवन ।

- विश्वभारती के अतर्गत शातिनिकेतन और श्रीनिकेतन सास्कृतिक और ग्रामीण विद्यों के अध्ययन के मुख्य केन्द्र हैं । विश्वभारती की मुख्य विशेषता है शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करना तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति एव कार्यकलापो के लिए अवसर प्रदान करना । यहाँ छोटे बच्चो, बड़े बच्चो, युवक छात्रो और शोध-विभाग के छात्रो के लिए अलग-अलग छात्रावास है और महिलाओं के लिए अलग छात्रावास है । यहाँ विद्यार्थियों को खुले मैदानो मे शिक्षा दी जाती है और उनके व्यक्तित्व के विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है । यहाँ का पाठ्यक्रम इतना व्यापक बनाया गया है कि उसमे बालक की विभिन्न रुचियो के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की गयी है । बालक के पूर्ण विकास के लिए उसके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, दोनों का पूर्ण ध्यान रखा जाता है । बालकों को आसपास के दीन-दुखी लोगो के सर्पक मे आने और उन्हें जीवन के विविध पक्षो का अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है । इस प्रकार विश्वभारती को भारत मे एक नये जीवन का प्रारम्भ करने वाली शिक्षा-संस्था के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी स्थापना में कविगुरु रवीन्द्रनाथ के शिक्षा-संबंधी आदर्श साकार रूप प्राप्त कर सके हैं ।

सहायक-साहित्य

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Sadhana | 9 The Centre of Indian Culture |
| 2 The Religion of Man | 10 A Poet's School, Visva Bharati Bulletin No 9, 1928 |
| 3 The Creative Unity | 11 Ideals of Education, Bulletin No 14, 1929 |
| 4 Personality | 12 Education for Rural India, Visva-Bharati, Education-Number, 1947 |
| 5. Nationalism | 13 Art in Education, Visva-Bharati, Jan., 1941 |
| 6 Reminiscences | 14 The Philosophy of Leisure, Visva-Bharati Bulletin No 14, 1929 |
| 7 Crisis in Civilisation | 15 Thoughts on Education, Visva-Bharati Vol XIII 1947 |
| 8 A Vision of India's History | 16 The Place of Music in Education and Culture, Ibid |

अन्य लेखक

- 1 V S Narvane Rabindranath Tagore—A Philosophical Study
- 2 S Radhakrishnan Great Indians
- 3 Edward Thompson Rabindranath Tagore, His Life and Works
- 4 Rabindranath and His Ashram School, Visva Bharati Vol XIII, 1947
- 5 Rabindranath's Contribution to Education in India, Ibid
- 6 Rabindranath's Educational Ideals and The West, Ibid

महात्मा गांधी

जीवन और कार्य

भारतीय सत्-परपरा में सत्य और अर्थिसा, धार्मिक जीवन के मेरुदण्ड रहे हैं और धर्म के दस लक्षणों में इनकी गणना होती आ रही है। आदर्श और व्यक्तिगत आचरण के रूप में इनका चरम उत्कर्ष अनेक महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है किंतु जीवन के व्यापक व्यावहारिक चेत्र में इनके प्रयोग का प्रयत्न महात्मा गांधी के जीवन में ही दृष्टि-गोचर होता है जिन्होंने अपने सपूर्ण जीवन को ही सत्य का प्रयोग माना और अपने समस्त कार्य-कलापों को इनके द्वारा अनुशासित एवं नियन्त्रित किया। सत्य और अर्थिसा के प्रयोग-कर्त्ता के रूप में ही उन्होंने हमारे सपूर्ण जीवन को प्रभावित किया। हमारे जीवन का कोई भी चेत्र ऐसा नहीं है, जिस पर उनका प्रभाव न पड़ा हो। प्रभाव की इसी सम-ग्रता के कारण ही इस शताब्दी का उत्तरार्द्ध हमारे राष्ट्रीय इतिहास में गांधी-युग के नाम से सदैव स्मरण किया जायेगा। उन्होंने सत्य और अर्थिसा के द्वारा न केवल राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का चमत्कारपूर्ण कार्य किया वरन् धर्म, समाज, राजनीति, शिक्षा आदि सभी चेत्रों में नूतन स्पन्दन भरा और दासता से आक्रात राष्ट्र को नवीन आलोक से उद्भासित किया। इस प्रकार राष्ट्र को नई चेतना और नया जीवन प्रदान करने के कारण ही वह 'राष्ट्रपिता' के नाम से सज्जापित हुए।

बाल्यावस्था और शिक्षा—गांधीजी (मोहनदास करमचंद गांधी) का जन्म, काठियावाड के पोरबदर नामक स्थान में, २ अक्टूबर, सन् १८६९ ई० को हुआ था। इनका परिवार समृद्ध था और इनके पिता करमचंद गांधी पोरबदर राज्य के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। करमचंद गांधी साधारण पढ़े-लिखे किंतु एक अनुभवी, निर्भीक तथा राज-काज में कुशल व्यक्ति थे। गांधीजी की माता साध्वी और निष्ठावान स्त्री थी। धर्म, व्रत और उपवास में उनका दृढ़ विश्वास था। गांधीजी ऐसे ही आदर्श माता-पिता की अतिम सतान थे।

गांधीजी की बाल्यावस्था पोरबदर में ही व्यतीत हुई। वहाँ की एक पाठशाला में यह आरभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भर्ती किये गये। यह एक साधारण बुद्धि के बालक थे और पढ़ने-लिखने में इनकी रुचि कम ही थी। जब गांधीजी सात वर्ष के हुए तब इनके पिता दीवान होकर राजकोट चले आये। वहाँ की एक पाठशाला में गांधी जी का नाम लिखाया गया। गांधीजी सकोची स्वभाव के बालक थे, अत वह अपने सह-

पाठियों के सपर्क से बचने का प्रयत्न करते थे और छुट्टी होते ही पाठशाला से घर चले आते थे। माता-पिता की सेवा में उनका मन खूब लगता था, अत पाठशाला के समय के उपरान्त ये उनकी सेवा में लगे रहते थे। इस समय इन्होने 'श्रवणपितृ-भक्ति' नाटक पढ़ा और 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक का अभिनय देखा। इन दोनों का प्रभाव उनकी भावनाओं पर पड़ा सत्य के प्रति अनुरक्षित का बीजारोपण इसी अवस्था में इनके मन में हो गया जिसका विक स इनके भावी जीवन में दृष्टिगोचर होता है।

पाठशाला में इन्हे किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं मिली, किन्तु इसकी पूर्ति घर के बातावरण से हो गयी। बचपन में गांधीजी भूत-प्रेत से डरते थे किन्तु इनके घर की पुरानी नौकरानी रम्भा ने इन्हे बताया कि भूत-प्रेत की एकमात्र आशंका रामनाम का जप है। यद्यपि गांधीजी रामनाम का जप अधिक दिनों तक नहीं कर सके, किंतु इसका प्रभाव इनके जीवन के अत तक बना रहा। गांधीजी का परिवार वैष्णव था। वह अपने माता-पिता के साथ हवेली जाते थे। उनके माता-पिता गांधीजी और इनके भाइयों को हवेली, राममंदिर और शिवालय ले जाते थे, अत इनके हृदय में हिंदूर्धर्म के सभी सप्रदाओं के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त गांधीजी के पिता के पास जैन, पारसी और मुसलमान सभी धर्मों के अनुयायी मित्र आते थे और अपने-अपने धर्मों की चर्चा किया करते थे। पिता की सेवा करते समय ये इन बातों को सुना करते थे, अत ऐसे बातावरण में इनके मन में सभी धर्मों के प्रति समझाव का जागरण हुआ।

इसी समय गांधीजी को अपने पिता की पुस्तकों में 'मनुस्मृति' का अनुवाद मिल गया। इसे पढ़ कर गांधीजी के मन में यह विश्वास ढूँढ हो गया कि यह संसार नीति पर टिका हुआ है। उन्होने यह अनुभव किया कि नीति का समावेश सत्य में है। इसी समय नीति विषयक एक छप्पय में उन्होने पढ़ा कि अपकार का बदला अपकार नहीं, वरन् उपकार ही हो सकता है। इस छप्पय में मानो उन्हे जीवन का सूत्र प्राप्त हो गया।

तेरह वर्ष की अल्पायु में ही गांधीजी का विवाह कस्तूरबाई के साथ हुआ। इस समय गांधीजी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। अब पढ़ने-लिखने में उनका मन लगने लगा था और उनकी गणना मद बुद्धि के छात्रों में नहीं होती थी। गांधीजी अपने सदाचरण के प्रति सदा सजग रहते थे, फिर भी कुसगति में पढ़ कर उन्होने एक बार मासाहार और धूम्रपान कर लिया था। उन्होने अपने इस अपराव की सूचना एक पत्र द्वारा पिता को दी और अपने दोष को स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का बचन दिया।

शैक्षिक दृष्टि से गांधीजी के कुछ अनुभव बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब वह सातवीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब प्रधानाध्यापक ने उच्च कक्षाओं के सभी छात्रों के लिए व्यायाम, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलों में भाग लेना अनिवार्य कर दिया था। इसके पूर्व गांधीजी खेल-कूद में कभी भाग नहीं लेते थे। उनका विचार था कि खेल-कूद से शिक्षा का कोई सबध नहीं है। किन्तु अपने जीवन में आगे चल कर उन्होने यह अनुभव किया कि शिक्षा में मानसिक और

शारीरिक दोनो प्रकार की शिक्षाओं का संमावेश होना चाहिए। इसी प्रकार का एक और अम उनके मन में आरभ से ही था। वह शिक्षा में सुनेख को आवश्यक नहीं मानते थे। किंतु बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि अच्छारों का सुदर न होना अपूर्ण शिक्षा का लक्षण है। सुनेख न लिख सकने का परिणाम यह भी हो सकता है कि बालक में आत्म-हीनता की भावना का प्रवेश हो जाय। गांधीजी को सस्कृत पढ़ने में कठिनाई प्रतीत होती थी। एक दिन वह सस्कृत की कक्षा में न बैठकर फारसी की कक्षा में बैठ गये। उनके इस कार्य से संस्कृत के अध्यापक को बड़ा कष्ट हुआ। अध्यापक ने उनसे उनकी कठिनाईयों के विषय में पूछा और उन्हे पुन सस्कृत-कक्षा में बैठने का आदेश दिया। गांधीजी अपने शिक्षक के स्नेह की अवहेलना न कर सके। इस घटना के सबै में उन्होंने लिखा है, ‘आज मेरी आत्मा कृष्णशकर पड़ा की कृतज्ञ है क्योंकि जितनी सस्कृत मैंने उस समय पढ़ी, यदि उतनी भी न पढ़ा होता तो आज मैं सस्कृत शास्त्रों का जो रसास्वादन कर पाता हूँ, वह न कर पाता। बल्कि अधिक सस्कृत न पढ़ सका, इसका पछतावा है। आगे चल कर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बातक को सस्कृत के अध्ययन से विचित नहीं रहना चाहिए।’

सन् १८८५ ई० में गांधीजी ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और श्यामनदास कॉलेज, भावनगर में उच्चशिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए।

विलायत के लिए प्रस्थान—कॉलेज की शिक्षा में गांधीजी का मन नहीं लगता था। विषय कठिन प्रतीत होते थे। इसी समय इनके पिता के मित्र मावजी दवे ने यह परामर्श दिया कि मोहनदास को इंगलैंड जाकर बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। गांधीजी के परिवार के लिए यह सर्वथा नयी बात थी। बड़ी कठिनाई से इनकी माता प्राई सहमत हो सके। किंतु माता ने इनसे यह प्रतिज्ञा करवायी कि यह मास, मदिरा और स्त्री-संग से दूर रहेंगे। भाई और माता की अनुमति तो मिल गयी किन्तु इनकी जातीय पचायत ने विदेश-यात्रा को धर्मविरुद्ध बताकर इनके विलायत जाने का विरोध किया। गांधीजी ने इस विरोध की चिंता नै की, और अन्त में ४ सितंबर, सन् १८८८ ई० को विलायत के लिए प्रस्थान किया।

गांधीजी निरामिषभोजी ये इसलिए यात्रा करते समय जहाज पर और लदन-निवास-काल में इन्हे भोजन-सबधी असुविधाएँ उठानी पड़ी। लदन में उस समय केवल चार ही निरामिष भोजनालय थे। गांधीजी या तो इन भोजनालयों में भोजन करते या कभी-कभी स्वयं भोजन बना लेते थे। लदन में इन्होंने निरामिष भोजन के विषय में कई पुस्तकें पढ़ी जिससे सात्त्विक आहार की उपयोगिता पर इनका विश्वास दृढ़ हो गया। उसी समय से भोजन-सबधी प्रयोगों में इनकी जो शृंग उत्पन्न हुई वह आजीवन बनी रही। गांधीजी ने लदन में ‘अच्छाहारी मडल’ की स्थापना की जिसके अध्यक्ष डा० ओल्डफील्ड, उपाध्यक्ष एडविन अर्नल्ड तथा मत्री स्वयं थे।

लदन में रहते समय गांधीजी ने एडविन अर्नल्ड द्वारा किया गया गीता का अनुवाद पढ़ा जिससे गीता की दिव्यता पर उनकी श्रद्धा बढ़ी। गांधीजी ने बैरिस्टरी की तैयारी करते हुई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन भी किया। उनका सपर्क डॉ० एनीबेसेंट तथा अन्य थियोसोफिट लोगों से भी हुआ। इसी समय उन्होंने बुद्ध-चरित (Light of Asia) और बाइबिल का अध्ययन किया। इन तीनों पुस्तकों ने उनके जीवन और विचारों को अत्यधिक प्रभावित किया। इनके अध्ययन के सारतत्व के रूप में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 'त्याग में ही धर्म' है। १० जून, सन् १८९१ ई० को बैरिस्टर होकर इन्होंने भारत के लिए प्रस्थान किया। गांधीजी जब बर्बई पहुँचे तब इनके मित्र डॉ० मेहता ने गुजरात के कवि-दार्शनिक श्री रायचद भाई से इनका परिचय कराया। रायचद भाई सत्य और अहिंसा की मूर्ति थे। गांधीजी को उनसे धार्मिक प्रेरणा प्राप्त हुई और आगे भी वह समग्र-समय पर धर्म-विषयक शकाओं के निवारण के लिए उनसे परामर्श करते रहे।

दक्षिण अफ्रीका की यात्रा—गांधीजी बैरिस्टर तो हो गये, किंतु स्पष्ट ढग से बोलने, निर्भीकता से तर्क करने और न्यायालय में अपने पक्षको उपस्थित कर सकने का अभ्यास उन्हें नहीं था। अतः मित्रों की राय से, बर्बई हाईकोर्ट में जाकर कुछ दिनों तक अनुभव प्राप्त करने का उन्होंने निश्चय किया। बर्बई पहुँचकर गांधीजी ने कानून का अध्ययन और भोजन का प्रयोग, दोनों को साथ-साथ चलाया। कानून के पेशे में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल सकी और वह पाँच छ मास बाद पुन राजकोट चले आये। राजकोट आकर इन्होंने अपनी वकालत का कुछ सिलसिला जमाया ही था कि सेठ अब्दुल्ला की फर्म के एक हिस्सेदार ने एक मुकदमे के सबध में इन्हे दक्षिण अफ्रीका बुलाया। अतः अप्रैल सन् १८९३ ई० में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका चले गये।

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी को अनेक कठु अनुभव प्राप्त हुए। प्रवासी भारतीयों को वहाँ नानाप्रकार से पीड़ित और अपमानित किया जाता था। रग-भेद के आधार पर ऐसे कानून बनाये गये थे जिनसे विवश होकर प्रवासी भारतीय दक्षिण अफ्रीका छोड़ दें। उन्हें ट्रेन में उच्च श्रेणी में यात्रा करने, सड़क की पटरी पर चलने आदि के अनेक अधिकारों से बचित कर दिया गया था। भारतीय होने के कारण स्वयं गांधीजी को कई बार अपमानित होना पड़ा। एक बार यह सेठ अब्दुल्ला के फर्म के मुकदमे के बारे में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। इनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था फिर भी इन्हे ट्रेन से उतार दिया गया, इनका सामान फेंक दिया गया और रात भर यह शीत में ठिन्हरते रहे। इस घटना ने इन्हें न केवल भारतीयों वरन् मानवता के प्रति कर्तव्य का बोध कराया और इसी दिन से इनकी सक्रिय अहिंसा का प्रारभ हुआ। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों को तत्कालीन परिस्थिति से परिचित कराया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सचेत किया। इन्होंने जाति-धर्म की भेद-भावना को दूर करके समस्त

भारतीयों को समर्थित होने के लिए आव्वान किया। गांधीजी के इस प्रयत्न के फलस्वरूप एक मण्डल की स्थापना हुई जिसके द्वारा गांधी जी ने भारतीयों के कष्टों के निवारणार्थ सरकारी अधिकारियों से पत्र-व्यवहार किया। अधिकारियों ने भारतीयों के प्रति सहानुभूति प्रकट की, उनके कष्टों को दूर करने की माँग को न्यायोचित माना और गांधीजी को इस दिशा में थोड़ी सफलता भी प्राप्त हुई।

दक्षिण अफ्रीका में अन्य कार्यों के साथ-साथ, गांधी जी के धार्मिक विचारों का मथन भी चलता रहा। उनके, मुसलमान व ईसाई मित्र उन्हे अपने धर्म में लाना चाहते थे। इस स्थिति में धर्म का वास्तविक रूप जानने के लिए उन्होंने बाइबिल और कुरान का अध्ययन किया, मैक्समूलर-कृत 'भारत क्या सिखाता है?' तथा उपनिषदों के अनुवाद को भी उन्होंने पढ़ा। इस सबध में उन्होंने रायचंद भाई से पत्रों के द्वारा कई बार विचार विमर्श किया। रायचंद भाई के पत्रों से उनके मन में हिन्दू धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ी, किंतु साथ ही, अन्य धर्मों के प्रति उनके मन में सहिष्णुता का सचार हुआ। टॉलस्टॉय की पुस्तक 'द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू' के अध्ययन का भी गांधीजी के ऊपर वशेष प्रभाव पड़ा। रायचंद भाई से अंहिंसा और टॉलस्टॉय से प्रेम का पाठ उन्होंने पढ़ा। टॉलस्टॉय से हस्तकौशल या व्यवसाय के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का विचार भी ग्रहण किया, जिसे भविष्य में उन्होंने अपनी शिक्षा-योजना का प्रमुख अंग बनाया।

सेठ अब्दुला की फर्म के जिस मुकदमे के सबध में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका गये थे उसका निर्णय हो जाने पर वह भारत वापिस लौटने की तैयारी करने लगे। किंतु इसी समय उन्हे ज्ञात हुआ कि प्रवासी भारतीयों को नेटाल की काउसिल के लिए सदस्य निर्वाचित होने के अधिकार से वचित करने के लिए एक बिल पेश हो रहा है। अत भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हे वहाँ रुकना पड़ा। असेम्बली में इस बिल पर जब वादविवाद चल रहा था तभी गांधीजी ने बिल के विरोध में, भारतीयों से हस्ताक्षर करा के एक आवेदन-पत्र भेजा। यद्यपि इस आवेदन-पत्र पर सरकार ने घ्यान नहीं दिया और वह बिल स्वीकृत भी हो गया फिर भी इस काम से भारतीयों में नयी जागृति उत्पन्न हुई। यह पहला अवसर था जब प्रवासी भारतीयों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समर्थित होकर प्रयास किया था। इस बिल के विरोध में आदोलन जारी रखने के लिए गांधीजी ने सन् १८९४ ई० में 'नेटाल इंडियन कार्प्रेस' की स्थापना की। इसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने प्रत्येक गिरमिटिया भारतीय (गिरमिटिया पॉच वर्ष का अनुबंध-पत्र लिखकर दक्षिण अफ्रीका में मजदूरी करने जाता था) पर पच्चीस पौँड वार्षिक कर लगाने के नियन्त्र का मसविदा तैयार किया। नेटाल कार्प्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में इस कर का विरोध किया जिसके फलस्वरूप सरकार ने पच्चीस पौँड के स्थान पर कर को घटा कर तीन पौँड कर दिया। काप्रेस को यह तीन पौँड का कर भी अन्यायपूर्ण प्रतीत हुआ और उसने निश्चय किया किसी न किसी दिन इस कर को भी हटाना है।

गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार समाज-सेवा में उन्मय होने का कारण उनकी आत्म-साक्षात्कार की प्रवृत्ति थी। उन्होंने सेवा-धर्म इसीलिए स्वीकार किया था कि 'ईश्वर की पहचान सेवा से होगी'। प्रवासी भारतीयों को अधिकार दिलाने में समय लगेगा इस कारण अपने कुटुंब को लेने तथा भारत में दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के पक्ष में जनमत तैयार करने के विचार से गांधीजी भारत आये। यहाँ आकर उन्होंने लोकमान्य तिलक, गोखले आदि भारतीय नेताओं से भेट की और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति का परिचय उन्हे दिया। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका से एक तार आया जिसके अनुसार गांधीजी अपने कुटुंब के साथ सन् १८९७ ई० में फिर दक्षिण अफ्रीका लौट गये। जहाँ से उत्तरने पर गोरों की उत्तेजित भीड़ ने उन पर हमला किया और उन्हे अपमानित करने का कोई भी प्रयत्न शेष नहीं रखा, किंतु गांधीजी धैर्य पर अटल रहे। हमला शात होने पर वह डरबन में उतरे।

बोअर युद्ध, फिनिक्स आश्रम की स्थापना

दक्षिण अफ्रीका में अहिंसात्मक प्रतिकार द्वारा भारतीयों के पक्ष का समर्थन करके गांधीजी अग्रेजों का विरोध अवश्य कर रहे थे किंतु जब-जब अग्रेजों पर विपत्ति आयी, उन्होंने उनकी सहायता भी की। यह कार्य उनकी अहिंसात्मक नीति के सर्वथा अनुकूल था। सन् १८९६ ई० में जब बोअर युद्ध आरम्भ हो गया तब गांधीजी ने यथाशक्ति अग्रेजों का सहायता की। उन्होंने रेडकॉस सोसाइटी द्वारा आहतों की सेवा-सुश्रूषा को। बोअर युद्ध समाप्त होने के पश्चात् सन् १९०१ ई० में, नेटाल में मि० खान और मि० मनसुख-लाल नाजर को कांग्रेस का कार्य सौप कर और आवश्यकता पड़ने पर पुन आने का आश्वासन देकर गांधीजी भारत आये। यहाँ आकर उन्होंने देश की स्थिति का अध्ययन किया और बम्बई में अपनी वकालत शुरू की ही थी कि उन्हे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह-आदोलन को जारी रखने के लिए पुनः वापस लौटना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार को भारत में ही छोड़ दिया। सन् १९०४ ई० में गांधीजी ने अहिंसात्मक सघर्ष को तीव्र करने के लिए 'इंडियन ओपिनियन' नामक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्रिका के सचालन-प्रकाशन में व्यय अधिक होता था, अत कम व्यय में उसे सुचारू रूप से सचालन करने के लिए गांधीजी ने डरबन के सभीप फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम की स्थापना उन्होंने रस्किन की पुस्तक—'अन टू दिस लास्ट'—के आदर्शों पर की, जिसका अध्ययन गांधीजी ने हाल में ही किया था। इस पुस्तक के सबध में गांधीजी ने लिखा है, 'मेरे जीवन में यदि किसी पुस्तक ने तत्काल महत्वपूर्ण परिवर्तन कर डाला तो यह वही पुस्तक है।' बाद में गांधीजी ने इस पुस्तक का अनुवाद 'सर्वोदय' के नाम से किया। फिनिक्स आश्रम के निवासी पवित्रता, स्वाद-संयम, स्वेच्छा से दीन जीवन व्यतीत करना, शारीरिक परिश्रम, निर्भयता, आत्म-निर्भरता और सहनशोलता आदि गुणों का पालन करते थे। वहाँ रहनेवालों के लगभग तीस बच्चे गांधीजी के आदर्शों पर शिका-

प्राप्त करते थे। बालक तीन घटे पढ़ते, दो घटे खेतों करते और दो घटे प्रेस का काम करते थे। इसके अतिरिक्त यदि रात में समय मिलता तो बच्च अपने आप पढ़ते थे। यहाँ साहित्यिक शिक्षा की अपेक्षा चरित्र-निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। इस प्रकार फिनिक्स आश्रम में गांधीजी के शिक्षादर्शों को व्यावहारिक रूप प्राप्त हुआ। सन् १९०८ई० में सबसे प्रथम गांधीजी ने अपने शैक्षिक विचारों को अपनी पुस्तक 'हिन्दू-स्वराज' में प्रकट किया। उन्होंने बताया कि 'साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। मैंकाले द्वारा निर्धारित शिक्षा-पद्धति भारत को बधन में ही रखेगी। अग्रेजी शिक्षा के माध्यम के रूप में हानिकारक है। प्रत्येक भारतीय को हिंदी का काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिए।'

इसके बाद गांधीजी के शैक्षिक विचारों में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। गांधीजी इस आश्रम में अधिक दिनों तक नहीं रह सके, जिसका उन्हे बाद में भी दुख रहा। कारण यह था कि वह अब तक सर्वधारिक विविसे भारतीयों को अधिकार दिलाने की चेष्टा कर रहे थे, अत जोहेनेसबर्ग में जाकर वकालत करने लगे। उन्होंने अपने परिवार को भी भारत से यहाँ बुला लिया।

जोहेनेसबर्ग का जीवन—जोहेनेसबर्ग में गांधीजी ने 'सर्वोदय' के सिद्धातों के अनुकूल अपना जीवन व्यतोत करना आरभ किया। उन्होंने स्वयं श्रम एवं सादगी का जीवन अपनाया और अपने बच्चों को भी इसी अनुशासन में रखा। उनके बच्चे नौकरों के साथ घरेलू कार्यों में हाथ बैंटाते। अत उनके बच्चों को कभी भी किसी प्रकार के शारोरिक श्रम में सकोच का अनुभव नहीं होता था। उन्होंने अपने बच्चों को स्वेच्छापूर्ण अनुशासन, श्रम की महत्ता, आत्म-साहाय्य और स्वच्छता की शिक्षा दी। वह अपने साथ बच्चों को भी अभियान के लिए दफ्तर तक ले जाते थे और रास्ते में शिक्षाप्रद बातें भी बताते थे। सबसे बड़े पुत्र हरिलाल के सिवाय बाकों मन्त्र पुत्रों की शिक्षा इसी प्रकार हुई। समय-भाव के कारण गांधीजी अपने बच्चों को साहित्यिक शिक्षा न देसके जिसका दुख उन्हे रहा, किंतु संतोष इसी बात का था कि उनके चरित्र-गठन में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गयी। उन्होंने 'आत्मकथा' में लिखा है कि, 'मेरी पक्की धारणा है कि बच्चों को माँ-बाप की सूरत-शक्ल की विरासत जैसे मिलती है वैसे उनके गुण-दोषों की विरासत भी ज़रूर मिलती है।' बच्चों को अग्रेजी की शिक्षा न देने के विषय में, गांधीजी और उनके मित्र मिठोलक मे बहस होती थी। वह उनसे सहैय यही कहा करते थे कि जो माँ-बाप अपने बच्चों से, बचपन से ही अग्रेजी बुलवाने लगते हैं वे उनका और देश का द्वोह करते हैं। इससे बालक अपने देश के धार्मिक और सामाजिक विरासत से वच्चित रहते हैं और उतने अश में देश और जगत की सेवा करने के कम योग्य होते हैं। गांधी जी अपने बच्चों से सदैव गुजराती में ही बात करते थे। जोहेनेसबर्ग में रहते हुए, गांधी जी सत्याग्रह आदोलन चलाने के साथ-साथ ब्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, प्राकृतिक चिकित्सा आदि पर प्रयोग भी करते रहते थे।

सत्याग्रह, टॉलस्टॉय आश्रम

सन् १९०६ ई० मे दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने ‘न्यू एशियाटिक लॉ’ बनाया। गांधीजी अब इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि अफ्रीकी सरकार से वैधानिक विधि द्वारा एशियावासियों के अधिकार दिलाना कठिन है। अत इस कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने सामूहिक सत्याग्रह आदोलन का सूत्रपात किया। जोहेनेसबर्ग में हजारों नरनारी एकत्र हुए और उन्होंने अर्हसात्मक प्रतिकार की शपथ ली। अफ्रीका मे रहने वाले चीनी तथा अन्य एशियायी प्रवासियों ने भारतीयों का साथ दिया। यह आदोलन चल ही रहा था कि वहाँ की जुलू नामक आदिमवासी जाति के लोगों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने मे भी गांधीजी ने सरकार का साथ दिया। समय-समय पर गांधीजी की इन नि स्वार्थ सेवाओं से भी अप्रेजो का हृदय-परिवर्त्तन न हुआ। इस विद्रोह के सिलसिले मे गांधीजी को जोहेनेसबर्ग छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार को फिनिक्स आश्रम भेज दिया। सत्याग्रह-आदोलन के कारण गांधीजी और उनके साथियों को कई बार जेल जाना पड़ा।

सन् १९११ ई० मे गांधीजी ने एक ऐसे आश्रम की स्थापना की आवश्यकता का अनुभव किया जहा सत्याग्रही कैदियों के परिवार रह कर धार्मिक जीवन व्यतीत करें। अपने इस विचार को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए उन्होंने ट्रासवाल मे एक आश्रम की स्थापना की और इसका नाम ‘टालस्टाय फॉर्म’ रखा। यहाँ का जीवन धार्मिकता से ओत-प्रोत था। फार्म पर सभी धर्मों के अनुयायी रहते थे। वे परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए जीविकार्जन तथा आत्मोन्नति का उपाय करते थे। गांधीजी ने शीघ्र ही यह भी अनुभव किया कि टॉलस्टॉय फॉर्म के निवासियों के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

यह फार्म गांधीजी के शिक्षा-प्रयोग के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला बन गया। उन्होंने फॉर्म को घर के बातावरण मे परिवर्तित कर दिया और चरित्र को सब प्रकार की शिक्षा की नीव माना। उनका विचार था कि यदि चरित्र सुदृढ़ हो तो शेष सारी बातों को बच्चे स्वयं सीख लेते हैं। यहाँ उन्होंने बच्चों को साहित्यिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था की। भोजन बनाने से लेकर सफाई करने तक का सारा काम बालक स्वयं करते थे। बच्चे बागबानी करते, पेड़ काटते, गड्ढे खोदते और इस प्रकार उन्हे फिर अतिरिक्त शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गांधीजी ने इसके साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दिया। भोजन, सफाई, सैडिल बनाने और बढ़ईगीरी आदि का काम बच्चों को सिखाया जाने लगा और इस प्रकार व्यावसायिक एव हस्तकौशल की शिक्षा द्वारा उन्होंने बालकों को बहुमुखी विकास करने और आत्म-निर्भर होने का मार्ग दिखाया। गांधीजी ने अब तक ज्ञानार्जन के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को संयुक्त किया था, पर किसी व्यवसाय को शिक्षा का माध्यम बनाने का

प्रयास नहीं किया था। आश्रम में विभिन्न धर्म के बालकों को एक-सी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करने के द्वारा गांधीजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सब वर्मों की शिक्षा का सारतत्व 'नैतिकना के सिद्धात' है जो सब मानव-प्राणियों के लिए समान है। अत यही आश्रम पर उन्हे नैतिक धर्म का आभास प्राप्त हुआ जिसे बाद में 'नीति-धर्म' की पुस्तक का सन् १९१२ ई० में रूप मिला। इसके अतिरिक्त वह प्रत्येक बालक के लिए यह भी आवश्यक समझते थे कि वह अपने धर्म की विशिष्ट पूजा-विधि भी जाने। सार्वभौम नैतिक धर्म के सिद्धातों के पालन के साथ-साथ बालक अपने धर्म के सिद्धातों एवं कर्मविधि का पालन भी करे। फॉर्म पर अपने शिक्षा प्रयोगों के बहुत पूर्व गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 'आत्मा की शिक्षा स्वयं में एक महान कार्य है। यह चरित्र-निर्माण में तथा ईश्वर-प्राप्ति अथवा आत्म-साक्षात्कार में सहायक है।' गांधीजी के विचार में जिस प्रकार शारीरिक और मानसिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस आत्मिक प्रशिक्षण में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। यही पर उन्होंने शिक्षा में भी अर्हिसा के सिद्धात का प्रयोग किया, अत वह शारीरिक दड़ के पच्छ में न थे।

सन् १९१३ ई० में सत्याग्रह आदेलन का प्रसार द्रासवाल से नेटाल तक हो गया। स्थान-स्थान पर सभाएँ और हड्डताले हुईं। जनता के इस विरोध के फलस्वरूप भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड हाडिज ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के पास अपना प्रतिरोधपूर्ण पत्र भेजा। अत में सन् १९१४ ई० में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 'एशियायी लों' को हटाया, तीन पौड़ का कर भी उठा लिया और सबको स्वतत्र रूप से बसने की सुविधा प्रदान की। दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के बीस वर्ष के सधर्षमय जीवन व्यतीत करने पर यह 'सत्य' और 'अर्हिसा' की विजय थी।

भारत-आगमन—सन् १९१४ ई० में गांधीजी इंगलैंड होते हुए भारत आये। बर्बई में बड़ समारोह के साथ उनका स्वागत हुआ। बर्बई से गोखले के साथ वह पूना गये। भारत में उनके आगमन से पूर्व ही 'फिनिक्स' के कुछ साथी यहाँ आ चुके थे। इन लोगों के साथ सी० एफ० ऐड्जूज भी थे। भारत में कार्य करने के पूर्व गांधी जी देश की स्थिति का अध्ययन करना चाहते थे, अत फिनिक्स के साथियों को उन्होंने ऐड्जूज को सौप दिया और स्वयं देश के कई स्थानों के भ्रमण पर निकल पड़े। सी० एफ० ऐड्जूज फिनिक्स के साथियों के साथ कुछ दिनों तक तो गुरुकुल कागड़ी में रहे किन्तु बाद में शातिनिकेतन चले आये जहाँ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इन लोगों के प्रति असीम स्नेह प्रदर्शित किया।

फिनिक्स-वासियों को शातिनिकेतन में पृथक् आवास दे दिया गया जहाँ वे अपने भादरों और दैनिक कार्य-क्रम के अनुसार रहते थे। कुछ समय बाद गांधी जी भी शातिनिकेतन आये। उन्होंने शातिनिकेतन के छात्रों को आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाया।

फिनिक्स-परिवार के लोग अपना सारा कार्य स्वयं करते थे, अत शातिनिकेतन के छात्रों ने भी ऐसा ही प्रयोग आरभ किया। कुछ दिनों तक तो शातिनिकेतन के छात्र भी फिनिक्स-वासियों की भाँति ही अपना सारा कार्य स्वयं करते रहे, किन्तु उनसे यह क्रम अधिक दिनों तक नहीं चल सका। रवोन्द्रनाथ ने इस सबध में यह अवश्य कहा, ‘इस प्रयोग में स्वतन्त्रता की कुंजी है।’

सत्याग्रह-आश्रम, साबरमती—गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स के आदर्शों पर भारत में एक आश्रम स्थापित करने का सकल्प किया था। अत उन्होंने २५ मई, सन् १९१४, ई० को अहमदाबाद में ‘सत्याग्रह आश्रम’ की स्थापना की। जब अहमदाबाद में प्लेग का प्रकोप हुआ तब गांधीजी ने वहाँ से आश्रम को हटा लिया और उसे स्थायी रूप से साबरमती ले आये। आरभ में उनके साथ दक्षिण अफ्रीका के बीस साथी थे। आश्रम में एक विद्यालय भी खोला गया जिसमें बच्चों को साहित्यिक शिक्षा दी जाती थी और अपढ़ प्रौढ़ों को भी पढ़ाया जाता था। यहाँ भी शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक और हस्तकौशल की शिक्षा सब लोगों को समान रूप से दी जाती थी। सारे कार्य फिनिक्स के आदर्शों पर ही होते थे। आश्रम में पाठ्यक्रम, विषय, पाठन-विधि आदि पर विचार-विमर्श होता था। यद्यपि आश्रमवासी गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी सभी विचारों से सहमत नहीं थे फिर भी विचारों के आदान-प्रदान से गांधीजी के शिक्षा-सबधी विचार दृढ़ होते चले गये।

गांधीजी भारत के राजनीतिक कार्यों में क्रमशः व्यस्त होते गये। गोखले की मृत्यु के कारण उनके ऊपर राजनीति के सचालन का विशेष उत्तरदायित्व आ पड़ा, अत उन्होंने राजनीति की बांगड़ोर अपने हाथों में ली। फिर भी, शिक्षा के सबध में वह सदैव सोच-विचार करते रहे। सन् १९२१ ई० में उन्होंने देश के सामने राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में अपने विचारों को प्रकट किया जिसमें उन्होंने उर्त्तमान शिक्षा-पद्धति के दोषों को बताया और इस बात पर बल दिया कि शिक्षा को राष्ट्र की आवश्यकताओं तथा आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का हित आज विद्यालयों में ‘आत्मनिर्भर शिक्षा’ पर अवलबित है। भिन्न-भिन्न समयों पर किये गये प्रयोगों के आधार पर उनके शिक्षा-विषयक विचारों को सन् १९३७ ई० में वर्धा शिक्षा-प्रोजेक्ट का रूप-प्राप्त हुआ।

स्वतन्त्रता संग्राम और गांधीजी—देश की स्वतन्त्रता के लिए किए गये आरभिक सत्याग्रह-आदोलनों में १९२०-२२ का असहयोग आदोलन और सन् १९३० ई० का नमक कानून-विरोधी आदोलन प्रसिद्ध है। खादी-प्रचार, हिंदू-मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार आदि को उन्होंने स्वतन्त्रता-संग्राम का श्रग बनाया और उन्हे रचनात्मक कार्य की सज्जा प्रदान की। सन् १९३१ ई० में सरकार को बाध्य होकर कांग्रेस से सविं करनी पड़ी जिसके कारण कांग्रेस ने आदोलन स्थगित कर दिया और गांधीजी गोलमेज़ कम्फ्रेस में भाग

लेने के लिए लदन गये। लदन सम्मेलन में देश की समस्याओं पर कोई समझौता न हो सका। गांधीजी की इच्छा के विरुद्ध सरकार ने हरिजनों को पृथक् निवाचन का मताधिकार दे दिया। गांधीजी ने सरकार के इस कार्य के विरोध में अनशन किया जिसके फलस्वरूप सरकार ने पृथक् मताधिकार को वापस ले लिया। सन् १९३४ ई० में कांग्रेस के बबई अधिवेशन के पश्चात् गांधीजी कांग्रेस से पृथक् हो गये और कांग्रेस से बाहर रहकर ही देश की सेवा करने का निर्णय किया। फिर भी, उन्होंने कांग्रेस के पथ-प्रदर्शन का कार्य सदैव किया।

कांग्रेस से पृथक् होकर गांधीजी पूर्णतया अछूतोद्धार और ग्रामोद्योग के विकास में लग गये। अत्यधिक परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य गिर गया। सन् १९३५ ई० में वह वर्धा के निकट सेगाँव में एक ग्रामवासी की भाँति निवास करने लगे। सेगाँव का नाम बाद में सेवाग्राम रख दिया गया। सन् १९३६ ई० की फरवरी में कांग्रेस ने असेवली का चुनाव लड़ा और देश के सात प्रांतों में मत्रिमडलों की स्थापना की। गांधीजी ने इन मत्रिमडलों को सदैव निर्देश दिया। उन्हीं के सुझाव पर मद्य-निषेध, बुनियादी शिक्षा, जेल सुधार आदि कार्य हुए। सन् १९३८ ई० में द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने पर अंग्रेजी सरकार ने युद्ध में भारत के सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। अत मत्रिमडलों ने उसके विरोध में त्याग-पत्र दे दिया और प्रांतों का शासन गवर्नरों के अधिकार में चला गया।

सन् १९४२ ई० में गांधीजी ने अंतिम स्वतंत्रता आदोलन का सूत्रपात लिया। ८ अगस्त, सन् १९४२ को बबई में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई जिसमें ‘भारत छोड़ो’ आदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सरकार ने आदोलन का दमन करने का निश्चय किया और ६ अगस्त के प्रातः काल गांधीजी तथा कार्यसमिति के अन्य नेताओं को कैद कर लिया। इस गिरफतारी से देश में भयकर उपद्रव शुरू हो गया। गांधीजी महादेव देसाई और कस्तूरबा के साथ आगाखा महल में बद कर दिये गये। आगां खा महल में ही गांधीजी के निजी सचिव महादेव देसाई और कुछ दिनों बाद कस्तूरबा का देहात हो गया। इन दोनों की मृत्यु से गांधीजी शोक में डूब गये। बीमार होने के कारण सन् १९४४ ई० में गांधीजी छोड़ दिये गये।

द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने पर सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का आयोजन किया। शिला काफ्रेस की असफलता के पश्चात् कैबिनेट मिशन भारत आया। सन् १९४६ ई० के आरम्भ में कैबिनेट मिशन के चार नेताओं ने ‘भारत छोड़ने’ की बात स्वीकार की। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ मत्रिमडल बनाना स्वीकार कर लिया, किन्तु अत में वह अपनी बात से हट गयी और जिज्ञा ने ‘सीधी कार्रवाई’ की घोषणा कर दी। देश के विभाजन के आधार पर अंग्रेजी सरकार ने १४ अगस्त सन् १९४७ ई० को

देश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद गांधीजी ने हिंदू-मुस्लिम दोनों को रोकने के लिए नोआखाली की यात्रा की और वहाँ शान्ति स्थापित करके दिल्ली चले आये।

महाप्रथाण—दिल्ली में शांति स्थापित करने के विचार से गांधीजी प्रतिदिन प्रार्थना-सभा में प्रवचन करते और लोगों को देश में शांति स्थापित करने का संदेश देते। किन्तु देश का वातावरण चुब्ब हो गया था। साप्रदायिक भावना उफान पर थी। ऐसी दशा में ३० जनवरी सन् १९४८ ई० को सायकाल बिडला मंदिर के पीछे के मैदान में प्रार्थना के लिए जाते समय नाथूराम गोडसे नामक एक युवक ने गोली चला कर, मानवता के पुजारी गांधीजी का पार्थिव जीवन समाप्त कर दिया।

जीवन-दर्शन

गांधीजी के विचारों को एक व्यवस्थित रूप देने में कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि उन्होंने दार्शनिक सिद्धोतों पर एक तत्त्वदर्शी की भाँति कभी प्रकाश नहीं डाला, परन्तु अपने दैनिक जीवन की व्यावहारिक समस्याओं के सबब में उनकी ओर इंगित किया है। यह क्रम सभवत उन्होंने इसलिए अपनाया कि वह केवल सिद्धात की दृष्टि से धर्म और नीति-सबधी दर्शन का प्रतिपादन नहीं करना चाहते थे। उनका दर्शन व्यावहारिक है और व्यवहार में ही उसकी उचित अभिव्यक्ति सभव है। इसके अतिरिक्त, दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनका यह व्यावहारिक दर्शन केवल तात्त्विक सत्यों के आधार पर निर्धारित नहीं है, वरन् सब्य उनके व्यावहारिक जीवन में प्रयोग के आधार पर विकसित हुआ है। अत गांधीजी अपने व्यावहारिक दर्शन को एक धार्मिक या नैतिक सहिता के रूप में नहीं, केवल सत्य के सबध में अपने द्वारा किए हुए प्रयोगों की एक श्रृंखला के रूप में सामने रखना चाहते थे। एक वैज्ञानिक की भाँति वह अपने प्रयोगों के परिणामों को अतिम या सपूर्ण सत्य मानने का दावा नहीं करते थे। गांधीजी का जीवन ही इनका दर्शन है।

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने 'अहिंसा' का उपदेश किया था। आज उसी शाश्वत सिद्धात का गांधीजी ने न केवल समर्थन किया है और हमें उसकी शिक्षा दी है, वरन् व्यवहार में भी उसका प्रयोग किया है। अत वह सच्चे अर्थों में मुक्तिमार्ग के पथिक है। उनकी महानता की प्रयम विशेषता इसी में है कि उन्होंने अपने विचार और व्यवहार में एकरूपता की स्थापना की। उन्होंने अपने प्रत्येक विचार का सूक्ष्म निरीक्षण किया, उसे जाँचा और उसे आत्मसात् किया। उन्होंने अपने प्रत्येक विचार को जीवन के साथ सबद्ध किया एवं व्यवहार्य बनाया। उनकी महानता की दूसरी विशेषता इस बात में है कि उन्हें अपनी इच्छा-शक्ति पर नियन्त्रण तो था ही, वह दूसरों की इच्छा-शक्ति पर भी नियन्त्रण, रखते थे। यही कारण है कि वह मानव-जाति के जन्मजात नेता बन सके।

गांधीजी ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्हें सत्ता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त है और

न उन्होंने कभी ईश्वर के अस्तित्व, सृष्टि, विकास या मूल्यों की प्रामाणिकता-सबधी तात्त्विक समस्याओं में ही विशेष रुचि ली। वह एक निःसंग व्यक्ति की भाँति जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उन्होंने जीवन की शाश्वत समस्याओं का समाधान हिंदू दृष्टिकोण से किया है। हिंदू धर्मशास्त्रों ने उनमें मत्ता के विषय में निश्चित विश्वास उत्पन्न किये। यहाँ यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों—वेद, उपनिषद्, गीता और पुराण—की मान्यताओं को वही तक स्वीकार किया जहाँ तक वे उन्हे तर्कसंगत जान पड़े। इस दृष्टि से वह रूढिवादी और अरुदिवादी दोनों कहे जा सकते हैं। उन्होंने हिंदू-धर्म और प्राचीन भारतीय दर्शन के 'अतिरिक्त अन्य धर्मों' और दर्शनों की उन बातों को भी स्वीकार किया जिन्हे उन्होंने तर्कसंगत एवं नैतिक समझा।

गाधीजी जन्म से हिंदू थे और उन्होंने अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर जीवनपर्यंत हिंदू-धर्म की, उसके विशाल दृष्टिकोण की सराहना की। उनका कहना है कि जितने धर्मों को मैं जान सका हूँ उन सब में यह सबसे अधिक सहिष्णु धर्म है। इसकी अधिविश्वास-विहीनता ने मुझे अपनी ओर आकृष्ट किया है और यह अपने अनुयायी को आत्मभिव्यक्ति का पूरा अवसर प्रदान करता है। यह धर्म 'निषेधक धर्म' नहीं है, यह अपने अनुयायियों को दूसरे धर्मों का सम्मान करने में ही समर्थ नहीं बनाता, वरन् अन्य धर्मों की अच्छी बातों की सहाना करने और उन्हे आत्मसात् करने का परामर्श देता है। अर्हिसा का महत्व सभी धर्मों में है, किंतु हिंदू धर्म में इसकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति और कार्यान्वय हुआ है। (मैं जैन और बौद्ध धर्मों को हिंदू धर्म से पृथक् नहीं मानता हूँ।) हिंदू-धर्म केवल मानव-जीवन की ही एकता में विश्वास नहीं करता वरन् प्राणिमात्र के जीवन की एकता में आस्था रखता है। हिंदू धर्म में गो-पूजा का जो विधान है वह मेरे विचार से मानवतावाद के विकास में एक महत्त्वपूर्ण देन है। एकता में विश्वास करने का यह एक व्यावहारिक प्रयोग है और इसी कारण यह सभी जीवों के प्रति पवित्रता की भावना रखता है। इसी विश्वास का प्रत्यक्ष परिणाम है पुनर्जन्म में विश्वास। अतः, वर्णश्रम धर्म की खोज सत्य के प्रति निरतर प्रयत्नशील होने का महान परिणाम है। †

हमने देखा कि यद्यपि गाधीजी के विचारों को दर्शन की दृष्टि से एक क्रमबद्ध रूप देने में कठिनाई पड़ती है, फिर भी उनकी शिक्षाओं एवं विचारों की हम एक रूपरेखा निर्धारित कर सकते हैं।

सत्य ही ईश्वर है

गाधीजी ने 'सत्ता' के स्वरूप को 'सत्य' के रूप में जाना और अनुभव किया। उनके विचार में 'सत्य' ही 'ईश्वर' है। 'सत्य' शब्द सत् से बना है जिसका अर्थ है 'अस्तित्व। सत्य के बिना अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। इसके अतिरिक्त

† 'Christian Mission', p. 36

‘सत्’ एव ‘सत्य’ शब्द ही ईश्वर का सच्चा नाम है। ईश्वर को सच्चिदाननद भी कहा गया है जिसका तात्पर्य है कि ईश्वर सत्, चित् और आनन्द स्वरूप है। सत् अथवा सत्य के साथ शुद्ध ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि जहाँ सत्य नहीं वहाँ शुद्ध ज्ञान की सभावना भी नहीं है। अत ईश्वर के नाम के साथ ‘चित्’ अर्थात् ज्ञान शब्द भी संयुक्त किया गया है। जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ आनन्द ही आनन्द होगा, शोक नहीं क्योंकि सत्य शाश्वत है इसलिए आनन्द भी शाश्वत होता है। अत ईश्वर का ‘सत्य’ नाम ही उसका पूरा अर्थ प्रकट करता है। सत्य ही जीवन है। जब हम अपने भीतर सत्य को प्रतिष्ठित करते हैं तब जीवनी शक्ति-और आनन्द का अनुभव करते हैं। यह वह शाश्वत तथ्य है जिसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। हमे फँसी पर भी क्यों न चढ़ाया जाय, यदि सत्य हमारे हृदय में है तो उसमें भी हमे आत्मिक आनन्द का अनुभव होगा।

प्रश्न यह उठता है कि गांधीजी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे कि सत्य ही ईश्वर है? वह इस निष्कर्ष पर तर्क द्वारा नहीं, वरन् तात्कालिक सहजज्ञान द्वारा पहुँचे। गांधीजी बहुत कुछ अशो मे देकार्ते की भाँति सत्य का प्रारम्भिक आधार सहजज्ञान मानते हैं। पर यहाँ यह व्यान रखना चाहिए कि देकार्ते की भाँति गांधीजी का दृष्टिकोण एक तत्त्वदर्शी का दृष्टिकोण नहीं, वरन् धार्मिक और नैतिक है। अपनी धार्मिक आस्था, अत प्रेरणा एव सहजज्ञान द्वारा उन्होने कुछ मुख्य सत्यों का अनुभव किया और चितन एव मनन द्वारा उन सत्यों से जीवन-सबधी अनेक निष्कर्ष निकाले, अत अपनी विचारणा में उन्होने तर्क को स्थान दिया है, किन्तु उसे सहजज्ञान का अनुवर्ती माना है। उनका यह सहजज्ञान युक्तियुक्त है, यद्यपि वह बुद्धि द्वारा प्राप्त नहीं। बुद्धि इस ज्ञान की प्रामाणिकता का खड़न नहीं कर सकती क्योंकि वह तो स्वयं इसी पर अवलबित है। सहजज्ञान अथवा अत प्रेरणा तथा तर्क मे उचित सबध यह है कि अत प्रेरणा वृत्त है और युक्ति उसका पृष्ठ। सत्य की अनुभूति मे गांधीजी ने अत प्रेरणा को एक आवश्यक अग माना है।

एक आदर्शवादी की भाँति गांधीजी का विश्वास है कि सत्य स्थिर और अपरिवर्तनीय है। सत्य एक है, परतु वह अपने को नाना रूपों में व्यक्त करता है। उनका कहना है कि सीमाबद्ध मानव प्राणी सत्य और प्रेम को उसके पूर्ण रूप मे नहीं जान सकेगा। परतु कोई भी मनुष्य इस सत्य के स्वरूप को स्पष्ट से स्पष्टतर रूप में ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्य की अनुभूति के कई स्तर हैं, अत गांधीजी के दर्शन मे सत्य तो स्थिर है, परतु उसके ज्ञान का स्वरूप परिवर्तनशील है। प्रयोजनवादी दर्शन से भिन्न गांधीजी का सत्य व्यक्तिगत विचारो और धारणाओं के अधीन नहीं है। सत्य के स्वरूप मे कभी परिवर्तन नहीं होता है।

गांधी जी के विचार में सत्य, परम सत्ता है, जगत् का प्रथम कारण है। वह स्वयं में विधान और विधायक दोनों है। सासारिक राजा और उसके विधान पृथक्-

पृथक् होते हैं, उसके विपरीत ईश्वर और उसके विधान पृथक्-पृथक् नहीं हैं। सत्य या ईश्वर विद्वानों अथवा नियमों की एक पूर्ण व्यवस्थित इकाई है। विद्वानों में ईश्वरीयता सलग है। ईश्वर को नियमों के रूप में देखने का ग्रर्थ है कि गांधीजी ईश्वर को निर्वेद्यकितक या निराकार मानते हैं। इस सबध में उनका कहना है कि, 'मैं इस अर्थ में सगुण ईश्वर में विश्वास नहीं करता जिस रूप में हम लोग व्यक्ति रूप प्राणी हैं। मैं ईश्वर को 'विश्व-विधान' के रूप में देखता हूँ। जो भी हो, ईश्वर का उसके पूर्ण रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। हम भावन-प्राणी अपने शब्दों में उसका वर्णन करते हैं। ईश्वर विधान और विधायक दोनों हैं, दोनों एक ही हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर का वर्णन विधान रूप में हुआ है। बहुत-से लोगों का कहना है कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, किन्तु मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है।'[†]

यद्यपि गांधीजी यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता है किर भी उन्होंने विभिन्न प्रकार से उसका वर्णन किया है। 'मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, नीति-शास्त्र और नैतिकता है, ईश्वर अभ्यत्व है। ईश्वर ज्योति-स्रोत है किर भी वह इन सबसे ऊपर और परे है। ईश्वर अतरात्मा है।

वह उन लोगों के लिए सगुण है जिन्हे उसकी आवश्यकता सगुण रूप में है। वह उन लोगों के लिए सदेह है जो उसका स्पर्श चाहते हैं। वह परम शुद्ध सारतत्व है। जो उसमे श्रद्धा रखते हैं उनके लिए ईश्वर है। वह सभी मनुष्यों के लिए सब कुछ है। वह हमारे भीतर है किर भी हमसे परे है।' गांधीजी मूर्त्तिपूजा में भी अश्रद्धा नहीं रखते। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीजी ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में देखते हैं किन्तु शक्राचार्य से भिन्न (जो परमात्मा के लिए ब्रह्म और ईश्वर दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ब्रह्म का प्रयोग ऊँचे अर्थ में और ईश्वर का निम्न अर्थ में) गांधीजी रामानुज की भाँति, ब्रह्म और ईश्वर दोनों के लिए एक ही शब्द 'ईश्वर' का प्रयोग करते हैं।

गांधीजी ने परमसत्ता का बोध सत्य के रूप में किया। उनका कहना है कि ईश्वर की अनुभूति सत्य अथवा अतरात्मा के माध्यम से होती है। 'जब कभी भी हमारे मुँह से एक सत्य शब्द निकलता है, जब कभी भी हम एक 'सत्' कार्य करते हैं, जब कभी भी हमारे मन में सच्चा भाव उत्पन्न होता है तब हम ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करते हैं।' इस प्रकार देखने से ज्ञात होता है कि सत्य साध्य और साधन दोनों ही हैं। वास्तविकता यह है कि गांधीजी ने 'सत्य' शब्द का प्रयोग चार अर्थों में किया है—प्रथम दो अर्थ साध्य के रूप में—(१) सत्य परमसत्ता, ब्रह्म या ईश्वर है, (२) सत्य परमज्ञान है, अत शाश्वत आनन्द है जैसा कि सच्चिदानन्द को उपर्युक्त व्याख्या में हमने देखा, अतिम दो अर्थ साधन के रूप में—(३) सत्य बोलना, सत्य-चित्तन करना, अर्थात् 'मन और वचन में सत्यता', (४) न्यायपरायणता अर्थात् 'कर्म में सत्यता।' कर्म में सत्यता के

[†] Gandhi. 'Unseen Power', p 42

अतर्गत सभी नैतिक नियमों का समावेश है और गांधीजी ने इसे 'सत्य का विधान' कहा है। अत गांधीजी धार्मिक और नैतिक दृष्टि से जब भी सत्य की प्राप्ति की चर्चा करते हैं तो उम्मे सत्य के ये चारों अर्थ समाविष्ट रहते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि गांधीजी साध्य और साधन दोनों के लिए 'सत्य' शब्द का ही प्रयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर यह है कि गांधीजी दोनों को एक ही नाम से इमलिए पुकारते हैं कि वह दोनों को एक ही मानते हैं। साध्य और साधन को समान मानना गांधीजी के नैतिक सिद्धांतों का केन्द्रीभूत तथ्य है और इस तथ्य का आधार है उनका तत्त्वज्ञान की दृष्टि से ईश्वर-सवधी विचार। प्रो॰ धीरेन्द्र मोहनदत्त ने इस विचार को यो स्पष्ट किया है, 'ईश्वर उनके लिए एक सर्वव्यापक सत्ता है, जो मनुष्य और विश्व में भी अतस्थ है। उनके विचार में यह विश्व उसी की अभिव्यक्ति और सृष्टि है। परन्तु एक साधारण सर्वेश्वरवादी से भिन्न, उनका यह भी विश्वास था कि ईश्वर इस विश्व में अतस्थ और उम्मे परे भी है। सृष्टि में उसकी सर्वोर्ण अभिव्यक्ति उसी प्रकार नहीं हूँड़ी है जिस प्रकार एक कवि की उसकी कविताओं में।' इस कथन से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सत्य प्रकृति और मनुष्य की वास्तविक प्रकृति में अभिव्यक्ति एवं निहित होने के साथ-साथ उससे परे भी है। अत जब मनुष्य सत्य और न्यायपरायणता (जो कि उसकी वास्तविक प्रकृति है) का पालन करता है तो वह सत्य के परस्थ स्वरूप को प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी प्रकृति में निहित अथवा अतस्थ सत्य की अभिव्यक्ति करता है। इस दृष्टि से साधन (अपनी वास्तविक प्रकृति का अभिव्यक्तिकरण) स्वयं साध्य बन जाता है। यहीं कारण है कि गांधीजी साध्य और साधन के लिए एक ही शब्द प्रयोग करते हैं। अत गांधीजी के दर्शन में साध्य और साधन में एकत्रिता है। जब साध्य सत्य है तब उसकी प्राप्ति के साधन भी सत्य, शुद्ध और नैतिक होने चाहिए। उन्होंने कहा हैं, मेरे दर्शन में साध्य और साधन एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं। 'सत्य' शब्द गांधीजी के दर्शन में अत्यत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ईश्वर के सत्य स्वरूप के अतिरिक्त उसके अन्य दो रूप—शिव और सुदर्शन के सत्य के ही उप-सिद्धांत माना है। उनके लिए शिव और सुदर्शन में ही निहित है। नोति-शास्त्र और सौदर्य-शास्त्र का वास्तविक अस्तित्व 'सत्य' के अतर्गत रहने में ही है।

सत्य की प्राप्ति का साधन : अहिंसा

सत्य को कैसे प्राप्त किया जाय? वास्तविकता यह है कि सत्य की प्राप्ति एक अत्यत कठिन कार्य है। जो निरतर सत्य की साधना में रत रहते हैं वह भी सत्य का केवल आशिक दर्शन कर पाते हैं। गांधीजी का विचार है कि 'जब तक हम शरीर-रूपी पिंडों में बद्दी है तब तक पूर्ण सत्य की उपलब्धि असभव है।' सत्य की प्राप्ति में मुख्य बाधा है, मनुष्य का शरीर के प्रति मोह। मोहवश अपनी इच्छाओं और सवेगों के वशीभूत, फलत कर्तव्याकर्तव्य के विवेक से शून्य, वह अपनी

धुघली दृष्टि से 'सत्य' को देखने में असमर्थ रहता है। शरीरजन्य बुराइयों से बचने के लिए मनुष्य को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो उसे धीरे-बीरे इनके बधन से छुटकारा दिला सके और यह शक्ति है 'अर्हिसा'। यह शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वरन् मनुष्य के अदर ही है। गांधीजी का कहना है, 'ईश्वर बादलों में निवास करने वाली शक्ति नहीं है। ईश्वर वह अगोचर शक्ति है जो हमारे भीतर है और जैसे उंगलियों के नाखून और मास में सबध है उससे भी अधिक हमारे निकट है। हमसे से प्रत्येक के भीतर ईश्वर का निवास है, अत हमे प्रत्येक मानव-प्राणी में उसके रूप को पहचानना होगा। हसी को विज्ञान की भाषा में आकर्षण तथा लोकप्रिय भाषा में प्रेम कहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति प्रत्येक प्राणी में को जा सकता है चाहे वह मनुष्य हो या अर्द्धमानव। उसका दर्शन हम प्रत्येक पदार्थ में कर सकते हैं चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म। गांधीजी की यह सर्वेश्वरवाद की प्रवृत्ति उनके वैष्णव मत का प्रत्यक्ष परिणाम है। वासुदेव सर्व-मिद—वैष्णव मभी वस्तुओं को वासुदेव रूप में देखता है। सब प्राणियों में ईश्वर को देखना अथवा एकता की अनुभूति ही विश्वबधुत्व अथवा 'वसुधैव कुटुम्बक' की भावना को उत्पन्न करती है। यह विश्व-प्रेम अथवा मानव-प्रेम, यह एकात्मीयता ही अर्हिसा है। अर्हिसा का क्रियात्मक रूप है मानवता की सेवा। 'सपूर्ण मानवता की सेवा में ही ईश्वर की उपलब्धि है।' सत्य को प्राप्त करने के लिए अर्हिसा ही एक अद्वितीय साधन है।

मनुष्य को अर्हिसा में अपना विश्वास ढूँढ़ करने तथा उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि वह इस विश्व में निहित एकता को पहचाने। गांधीजी अद्वैत में विश्वास करते हैं। विश्व की विविधता एकता के सूत्र में बँधी हुई है और एकता का कारण है सब में ईश्वर का व्याप्त होना। मनुष्य अपने अज्ञानवश द्वैत का अनुभव करता है। सभी प्राणियों में एकता व्याप्त है। उनके रूप अनेक हैं, किन्तु उनका स्फटा एक है। उन्होंने कहा है 'मैं मनुष्य की सत्तात्मक एकता में विश्वास करता हूँ और यहीं सब जीवधारियों के विषय में है।' एकता की यह वारणा हमारे भीतर अर्हिसा को गतिशील रखेगी। गांधीजी के विचार में सत्य और अर्हिसा एक दूसरे के पूरक हैं। सत्य का व्यावहारिक रूप ही अर्हिसा है।

सत्य|अह

सत्य का साधक 'अर्हिसा' की साधना द्वारा अपने पथ पर आगे बढ़ सकता है और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से दूसरे लोगों को भी अपने मार्ग पर लाकर उन्हे अपना सहायी बना सकता है। गांधीजी का अर्हिसा की शक्ति में इतना विश्वास था कि इन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत सुधार का ही साधन नहीं माना, वरन् सामाजिक अन्याय के प्रति लड़ने, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने, नियम-न्यवस्था बनाये रखने तथा बाहरी आक्रमण से झूँपने देश को बचाने का भी साधन माना है।

किसी भी प्रकार की बुराई के प्रति अर्हिसात्मक ढा से प्रतिरोध करना 'सत्याग्रह'

है। सत्याग्रह का शान्दिक अर्थ है, सत्य के प्रति आग्रह, संत्य जो शाश्वत एव सत् है उसके प्रति आग्रह 'सत्याग्रह' है। 'सत्याग्रह आत्म-शुद्धि की लडाई ह, वह धार्मिक लडाई है।' इसमें प्रेम के आधार पर शत्रु के मन पर विजय प्राप्त करना है, उसे सत्य के प्रति जागरूक करना है, उसे उसके कर्तव्य का बोध कराकर उसकी आत्मोन्नति करना है। दूसरे शब्दों में, पशुबल का प्रतिरोध पशुबल से नहीं अपितु आत्मबल से करना है। सत्याग्रह का आधार प्रेम है। अत सत्याग्रही अत्याचारी के अत्याचारों से घृणा करता है, स्वयं अत्याचारी से नहीं। वह अन्याय और अत्याचार के निराकरण के लिए स्वयं दुख सहन करता है और विपक्षी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देता। सत्याग्रही नैतिकता और अधर्म को न स्वयं सहन करता है और न दूसरों को करते हुए देख सकता है।

गांधीजी ने अपने जीवन में अहिंसा के महत्व का अनुभव किया था। उनका कहना है कि बुराई हमारे भीतर भी है और बाहर भी। आत्मिक बुराइयाँ—भय, क्रोध, वासना, द्वेष, मोह आदि—बाहरी बुराइयों से अधिक घातक हैं। बाहरी बुराइयों को आत्मिक बुराइयों (घृणा, क्रोध, द्वेष) के आधार पर जीतने से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। व्यक्ति के अन्दर जितनी मात्रा में आत्मिक बुराइयाँ घर कर लेती है उसी मात्रा में वह सत्य से दूर हो जाता है। अत बुराई का प्रतिकार बुराई से नहीं, वरन् भलाई से ही किया जा सकता है। सर्वप्रथम भारतीय और चीनी दार्शनिकों ने यह विचार किया था कि बुराई की औषधि भलाई ही है। वेद और उपनिषद् यह घोषणा करते हैं कि अतत बुराई पर भलाई की विजय होती है। जब ईसाई धर्म इस बात पर बल देकर कहता है कि उदार प्रेम हिसक मनुष्य को जीत लेता है तब वह प्राच्य ज्ञान के निकट आ जाता है। हिंसा की कोधाग्नि अहिंसा द्वारा ही शत को जा सकती है। आत्मिक बुराइयों पर भी नैतिक गुणों द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। नैतिक साहस, प्रेम और मानवता अहिंसा को प्रोत्साहन देते हैं और अहिंसा के पथ पर चलकर ही व्यक्ति सत्य के दर्शन कर सकता है। गीता ने सत्याग्रह में गांधीजी के विश्वास को और गहरा बना दिया।

गांधीजी के दर्शन में 'सत्याग्रह' शब्द बड़ा सारगर्भित है। ईश्वर से दृढ़ विश्वास के बिना सत्याग्रही सफल नहीं हो सकता। अहिंसा में उसकी पूर्ण श्रद्धा होनी आवश्यक है, पर अहिंसा का पालन करते हुए भी जब तक उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक वह किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता। बिना ईश्वर की अनुकूपा के उसमें यह भी साहस नहीं हो सकता है कि वह बिना क्रोध, भय और प्रतिकार की भावना से मर भी सके। पर क्या बौद्ध या भौतिकवादी, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वह भी सत्याग्रही हो सकते हैं? हाँ। यह कैसे सभव है? वास्तविकता यह है कि ईश्वर से गांधीजी का तात्पर्य सदा किसी पूर्ण पुरुष से नहीं है, वरन् उनका कथन है कि नैतिक

व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था या सत्य चाहे वह अन्य किसी भी रूप में क्यों न हो, परमसत्ता या ईश्वर ही है। हम यह देख चुके हैं कि गांधीजी के विचार में सत्य ही ईश्वर है। आरभ में गांधीजी कहा करते थे कि ईश्वर सत्य है, किंतु बाद में वह यह कहने लगे कि सत्य ही ईश्वर है। अपनो इस धारणा में परिवर्तन करके गांधीजी ने सरलतापूरक उन लोगों को भी अपना लिया जो मानवता या अन्य किसी वस्तु को ईश्वर के रूप में मानते थे और जिसके लिए वे अपना सर्वस्व त्याग करने को भी उद्यत रहते थे।

यहाँ पर सत्याग्रह के मबद्दल में फैले हुए दो भ्रात विचारों का निराकरण कर लेना आवश्यक है। सत्याग्रह का अर्थ है सभी प्रकार की बुराइयों में असहयोग। अत यह निषेधात्मक आदर्श नहीं है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर को गांधीजी के असहयोग आदोलन के विषय में एक बार इसी प्रकार का भ्रम हो गया था। किंतु गांधीजी ने सदैव कहा कि बुराइयों से असहयोग का अर्थ है अच्छाई के साथ सहयोग। जो सत्याग्रही सामान्य हित के लिए युद्ध कर रहे हैं उनमें अपने विरोधी के सदृगुणों के साथ सदा सहयोग करता है। अत सत्याग्रह एक विधायक अदर्श है। दूसरे, हमे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सत्याग्रह कायरों का अस्त्र है। उन्होंने 'यग इडिया' में 'द डाक्ट्रिन ऑफ द सोर्ड' शीर्षक के अर्तात लिखा है कि "मेरा विश्वास है कि यदि मुझे कायरता और हिसा दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हिसा को ही चुनने की राय दूगा, किंतु मेरा विश्वास है कि अहिसा हिसा से असर्व-गुना श्रेष्ठ है।" [†] हरिजन में उन्होंने लिखा था कि "हिसा नपुसकता से कहीं श्रेयस्कर है। एक हिसक व्यक्ति से अहिसक बन जाने की आशा रहती है, किंतु नपुसक व्यक्ति के अहिसक बनने की कोई आशा नहीं रहती" [‡]। उपनिषद् यह घोषणा करते हैं कि शरीर और मन से शक्तिहीन कायर पुरुष कभी भी आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। सत्य की उपलब्धि केवल वीर पुरुष कर सकते हैं। नैतिक दृष्टि से सत्याग्रही वीर होता है।

सत्याग्रह में कठोर आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। बिना आत्मानुशासन के व्यक्ति अपने को सुप्रस्तुत नहीं बना सकता अथवा आत्मसङ्कृति नहीं प्राप्त कर सकता। आत्मसङ्कृति से तात्पर्य है नैतिक गुणों—आज्ञापालन, आत्मसम्मान, आत्मावलब्धन, आत्मत्याग आदि—का अर्जन करना। एक सैनिक के लिए भी नैतिक चरित्र आवश्यक है, किंतु सैनिक और सत्याग्रही में यह अतर है कि सैनिक को केवल बाह्य अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, परतु सत्याग्रही को इस बाह्य अनुशासन के अतिरिक्त आत्मानुशासन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। सैनिक बाहरी आज्ञा का पालन करता

[†] 'Young India', Aug 1, 1920

[‡] 'Harjan', 1939

है, परतु मत्याग्रहो अपनी अतरात्मा और अपने आदश का पालन करता है। वास्तव में सबसे प्रेरणा करने, घृणा और क्रोध न करने और बिना दुर्भावना के पीड़ा सहने की आदत डालना सरल कार्य नहीं है। सत्याग्रही के लिए गमीर ध्यानमनता, प्रार्थना और जीवन के मूल्यों को आध्यात्मिक रूप देने की आवश्यकता है।

सत्याग्रही अथवा सत्य की आरावना करने वाले को कुछ व्रतों का पालन करना भी अनिवार्य है। गांधीजी को यह व्रत सबसी विचार जैन-धर्म से प्राप्त हुआ। परतु वह जैन-धर्म के व्रतों के यातना-पक्ष को नहीं मानते हैं। ये व्रत दो प्रकार के हैं—मुख्य और सहायक। मुख्य व्रत है—(१) सत्य, (२) अहिंसा, (३) ब्रह्मचर्य, (४) स्वाद-स्यम, (५) ग्रस्तेय और (६) अपरिग्रह। अब हम इन को विस्तार में देखेंगे। गांधीजी का कहना है कि (१) सत्य को उनके विशाल अर्थ में लेना चाहिए। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना ही नहीं है। 'विचार में, वाणी में और आचार में सत्य का होना ही सत्य है' ।[†] हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति, प्रत्येक श्वास अर्थात् सपूर्ण अस्तित्व सत्य से अतिप्रोत रहना चाहिए। सत्य के पालन से अन्य नियमों का पालन सरल हो जाता है। सत्य के बिना किसी अन्य नियम का शुद्ध रूप में पालन करना असभव है। हम देख चुके हैं कि सत्य में सारा ज्ञान समाविष्ट है, अत 'उसमें जो न समाप्त वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है।' सत्य हमारे सब कार्य-कलापों की कसौटी है। (२) सत्य की भाँति ही अहिंसा का अर्थ भी विशाल रूप में ग्रहण करना चाहिए। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी की हिंसा न की जाय। बुरे विचारों को मन में लाना, उतावलापन, भूठ बोलना, द्वेष करना, किसी का बुरा चाहना आदि सब हिंसा है। अहिंसा के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति अत्याचार का विरोध करेगा, किन्तु अत्याचारी को हानि नहीं पहुँचायेगा। बिना अहिंसा के सत्य की प्राप्ति सभव नहीं है। (३) ब्रह्मचर्य व्रत की आवश्यकता इसलिए है कि इसके बिना अहिंसा की उपलब्धि पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है। गांधीजी जिस प्रकार शरीर को जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में वाघक मानते हैं उसी प्रकार विवाह को भी, क्योंकि विवाह जीवन के बधन को बनाये रखता है। किन्तु साधारण जनों के लिए वह विवाह को मान्यता देते हैं। उन्होंने विवाह को एक धार्मिक कृत्य माना है। वह सबको विषय-वासना से सावधान करते हैं। उनका कहना है कि स्त्री-पुरुष में भोग-सबध तभी होना चाहिए जब वे सतान की कामना रखते हों, विषय-जन्य सुख के लिए सबध नहीं होना चाहिए। सन्तान-निरोध आधुनिक उपायों के प्रतिकूल उनका कहना है कि इसका सर्वात्म और उचित मार्ग है—आत्म-संयम। 'आत्मनिग्रह बनाम आत्मसतुष्टि' (Self-restraint Vs Self-indulgence) में गांधीजी ने यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मचर्य से शारीरिक और मानसिक अवस्था को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। उनके विचार में ब्रह्मचर्य को

[†] गांधीजी : 'धर्म-नीति', पृष्ठ ११८

विस्तृत अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। इस दृष्टि से 'सर्वेन्द्रिय-संयम अथवा विषय-मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है'। (४) स्वाद-संयम का नियम ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक है। सत्य के आशाधक को अपनी रसना पर नियत्रण रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि भोजन केवल शरीर धारण करने मात्र के लिए आवश्यक है। (५) अस्तेय का केवल यही अर्थ नहीं है किसी की मपत्ति न चुराई जाय। सत्याग्रही को कोई भी ऐसी वस्तु अपने पास नहीं रखनी चाहिए जिसकी उसे नितात आवश्यकता न हो। उमे मानसिक चोरी—दूसरे के विचारों की चोरी अथवा मन में किसी की चोज पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। (६) अपरिग्रह, अस्तेय से ही सबधित है, जिस प्रकार संयाग्रही को काम से अधिक वस्तुएँ अपने पास नहीं रखनी चाहिए उसी प्रकार अपने मस्तिष्क में निरर्थक विचार भी नहीं रखने चाहिए। ग्रपवित्र, असत्य, यहकारपूर्ण विचार हमारो साधना के मार्ग में बाधा डालते हैं और हमे मार्गभ्रष्ट करते हैं। अत जो विचार ईश्वर से विमुख करते हो उनका परित्याग करना चाहिए।

महायक व्रत है—'स्वदेशी' तथा 'निर्भयता'। गांधीजी ने स्वदेशी को व्याख्या करते हुए कहा कि स्वदेशी हमारे भीतर वह भावना है जो हमे अपने आस-पास के वातावरण को वस्तुओं का प्रयोग तथा आस-पास रहने वालों की सेवा करने को बाधा करती है। स्वदेशी सेवाव्रत से दूर वालों की सेवा नहीं होती, इस आलोचना के उत्तर में गांधीजी का कहना है, 'स्वदेशी की शुद्ध सेवा करने में परदेशी को भी शुद्ध सेवा होती है। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे।' इसके अतिरिक्त परदेशी की सेवा के मौह में, वह तो हो ही नहीं पाती और पड़ोसी की सेवा भी नहीं हो पाती। इस प्रकार स्वदेशी व्रत का व्यावहारिक रूप यह होगा कि धर्म के क्षेत्र में हमे पूर्वजों के धर्म तक ही सीमित रहना चाहिए। यदि हम देखते हैं कि हमारा धर्म त्रुटिपूर्ण है तो हमे उसका सुधार करके उसकी सेवा करनी चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में हमे देशी संस्थाओं का उपयोग करना चाहिए और उनके प्रमाणित दोषों को दूर करके उनकी सेवा करनी चाहिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमे उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पास-पड़ोसियों ने बनायी हैं और उन दस्तकारियों में जो कमी हो उनको दूर करके उनकी सेवा करनी चाहिए। अतिम एवं महत्वपूर्ण तथ्य 'निर्भयता' है। जो वास्तव में निर्भय है वह अपनी आत्मशक्ति द्वारा सभी प्रकार के असत्यों से अपनी रक्षा कर सकेगा।

पूर्ण सत्याग्रह का प्रयोग शरीरधारी मनुष्य के लिए सभव नहीं। यह शरीर भी अहिंसा के आदर्श की प्राप्ति में एक बाधा है। गांधीजी शरीर के रहते हुए पूर्णमुक्ति अथवा जीवनमुक्ति में विश्वास नहीं करते थे क्योंकि देहधारी आत्मा को शारीरिक सीमाओं में किसी एक बिंदु तक अवश्यमेव रहना पड़ता है। अत जब मनुष्य इस शरीर

के रहते पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकता तो इस जीवन में पूर्ण मत्यकी उपलब्धि भी सभव नहीं।

परम उद्देश्य : मुक्ति, साधन : कर्मयोग

हिंदू धर्म और दर्शन में विश्वास करने के कारण गांधीजी ने जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति माना है। मुक्ति से गांधीजी का सामान्य तात्पर्य है शरीर से आत्मा की मुक्ति। शरीर से मुक्त होकर आत्मा शाश्वन् आनन्द का अनुभव करती है। गांधीजी मुक्ति के अतिम स्वरूप की चिंता कम करते हैं और इस जीवन पर विशेष ध्यान देते हैं कि किस प्रकार इस सासार में सर्वोत्तम जीवन व्यतीत किया जा सकता है जो मुक्ति-पथ पर अग्रसर कर सके। अत उनकी शिक्षा का केन्द्र नीति-शास्त्र है, न कि दर्शन-शास्त्र। उनके विचार में प्रत्येक मनुष्य को शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। आत्म-शुद्धि या नैतिक गुणों के अर्जन द्वारा ही सच्चा ज्ञान मिलता है।

हम देख चुके हैं कि गांधीजी के लिए ईश्वर 'नैतिक विधान' है। 'वह रवय में विधान और विधायक दोनों ही है।' अत ईश्वरोय नैतिक विधान का पालन ही 'धर्म' है। गांधीवादी दर्शन में धर्म नैतिकता के बराबर है। पवित्र जीवन या नैतिक जीवन व्यतीत करना ही धर्म का सर्वोत्तम रूप है। भारतीय परपरा के सर्वथा अनुकूल गांधीजी धर्म को सकीर्ण रूप में नहीं, वरन् 'सृष्टि के व्यवस्थित नैतिक विधान' के रूप में ग्रहण करते हैं। अत प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मोत्थान के लिए उत्तम नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए।

उत्तम नैतिक जीवन से गांधीजी का तात्पर्य उस जीवन से नहीं है जिसे लोक-ममाज से पृथक् रहकर तपस्या के साथ बिताया जाता है और जिसे सन्यास की सज्जा प्रदान की जाती है। गांधीजी की नैतिकता का स्वरूप गीता पर आधारित है। वह गीता के नैतिक सिद्धात के मध्यबिंदु—कर्मफल त्याग एव निष्काम कर्म—में आस्था रखते हैं। कर्मफल-का त्याग देहधारी के लिए असभव है। यदि कर्म के द्वारा व्यक्ति में क्रोध, घृणा, लोभ, मोह और स्वाध्यपूर्ण इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, जो उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक हैं, तो कर्म के इस दोष से बचने के लिए कर्म-सन्यास की आवश्यकता नहीं है। इस दोष से मुक्ति का उपाय है फलेच्छा और आसक्ति से मुक्त होकर केवल कर्त्तव्य की भावना से प्रेरित होकर, लोककल्याणार्थ निष्काम कर्म करना। गांधीजी का कहना है, 'निषिद्ध केवल फलासक्ति है, विहित है अनासक्ति'† 'कर्म मात्र का त्याग गीता के सन्यास को भाता नहीं। गीता का सन्यासी अतिकर्म है तथागि अति-अकर्म है,' ‡ क्योंकि वह

† गांधीजी • 'गीता मात्रा', पृष्ठ ११०

‡ वही पृष्ठ १११

कर्मफल का त्याग करता है और यही सन्यास का सच्चा रूप है। अत गांधीजी प्रत्येक व्यक्ति के लिए महायात्री प्राणियों के हित के लिए निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं। वह व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों और इच्छाओं के दमन में विश्वास नहीं करते, वह केवल उनको खण्डातिरित करना चाहते हैं। वह व्यक्ति की मूल प्रेरणाओं एव सबैगों को युक्ति एव अतप्रेरणा के अनुसार बनाना चाहते हैं। गांधीजी एक व्यक्ति को समाज के पुरस्कार या दड़, प्रतिष्ठा या निरादर के कारण नैतिक बनाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि मनुष्य के अपने अतस्तल में जो नैतिक नियम स्थित है उसी के अनुसार उसे आचरण करना चाहिए। मानव-जीवन की पवित्रता और दिव्यता में विश्वास करने के कारण वह उसके भीतर उठने वाले आतंरिक नैतिक नियम की दिव्यता में विश्वास करते हैं। अत मनुष्य को अपनी वास्तविक, दिव्य स्वप्रकृति—दिव्य प्रेरणा—से प्रेरित होकर कम करने चाहिए। यह दिव्य प्रेरणा कर्तव्य की प्रेरणा है। यह व्यक्ति के चिवेक को जाप्रत करती है। इस प्रेरणा के द्वारा व्यक्ति अपनी आतंरिक बुराइयों का निराकरण करके अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का उन्नयन एव दिव्यीकरण कर सकेगा। फलस्वरूप लोकहितार्थ कर्म द्वारा, विश्वकल्याण द्वारा अपनी आत्मा को ऊँचा उठाकर अपने इष्टमार्ग का सरलतापूर्वक अनुसरण कर सकेगा।

मनुष्य-जीवन के दो पक्ष

गांधीजी के अनुसार वर्म और नैतिकता से मनुष्य-जीवन का प्रत्येक चेत्र व्याप्त होना चाहिए। मनुष्य-जीवन का विभाजन दो पक्षों में किया जा सकता है—निजी और सामाजिक। निजी पक्ष से तात्पर्य है व्यक्ति का अपना गुप्त जीवन। सामाजिक पक्ष का चेत्र विस्तृत होता है। उसमें परिवार, समाज और राज्य भी सम्मिलित होते हैं। यद्यपि जीवन का इन दो पक्षों में विभाजन कर दिया गया है किर भी दोनों अविभाज्य हैं। व्यक्ति को अपना निजी जीवन अहिमा के प्रादर्श के अनुरूप व्यतीत करना चाहिए। उसे उन सभी व्रतों का पालन करना चाहिए जिनका हम पहले वर्णन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त गांधीजी चाहते हैं कि व्यक्ति एक सादा एव सरल जीवन व्यतीत करे। सरल जीवन व्यतीत करने का विचार गांधीजी ने रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक, ‘अन्टु दिस लास्ट’ से ग्रहण किया। यही विचार गांधीवादी नीति-शास्त्र का आधार है। सरल व्यक्तियों द्वारा सरल समाज की रचना हो सकती है जिसमें विलास की वस्तुओं के लिए प्रतियोगिता नहीं होगी। इस प्रकार सभी व्यक्ति शातिपूर्ण और समरस जीवन व्यतीत करेंगे। सरल जीवन-सबधी नीति-शास्त्र में यह धारणा निहित है कि ‘कोई भी व्यक्ति दूसरे के श्रम पर अपना जीवन व्यतीत न करे।’ गांधीजी ने वर्ण-धर्म को स्वीकार किया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए श्रम करना चाहिए। किन्तु जीविकार्जन के लिए केवल मानसिक श्रम ही पर्याप्त नहीं है। यह प्रश्न पृछे जाने पर कि क्यों नहीं

मानसिक श्रम करने वाले शारीरिक श्रम करने वालों के बगबर समझे जायें, गांधीजी ने उत्तर दिया था, 'बौद्धिक कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है और निस्मदेह उसका जीवन में एक स्थान है, किन्तु मैं तो सबके लिए शारीरिक श्रम आवश्यक समझता हूँ। किसी भी व्यक्ति को इससे छुटकारा नहीं मिलना चाहिए। शारीरिक श्रम से मानसिक कार्य की ज्ञानता भी बढ़ती है।' † गीता के अध्ययन ने गांधीजी का विश्वास कायिक श्रम में और भी बड़ा दिया। उसके अनुमार 'यज्ञ किए बिना खाने वाला चोरी का अज्ञ खाता है, यह कठिन शाप अग्नज के लिए है।' गांधीजी का कहना है कि 'यहाँ यज्ञ का अर्थ कायिक श्रम या रोटी-श्रम ही शोभा देता है।' ‡ सरल जीवन की दूसरी विशिष्टता है कि यह एक प्रार्थनापूर्ण जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति को हृदय से अत्यत नम्रतापूर्वक ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रार्थना धन या दूसरे भौतिक पदार्थों के लिए नहीं करनी चाहिए, वरन् नैतिक शक्ति, सत्य-दर्शन और सच्चरित्रता के लिए करनी चाहिए। सरल जीवन स्वयं ही एक प्रार्थना है।

व्यक्ति के जीवन के सामाजिक पक्ष को भी धर्म और नीति के अनुकूल होना चाहिए। अद्वैत में विश्वास करने के कारण गांधीजी एक ही आत्मा को सब प्राणियों में व्यक्त देखते हैं, अत वह समाज-सेवा में विश्वास करते हैं। समाज-सेवा का चेत्र व्यापक होना चाहिए। उस चेत्र में जीवन के विभिन्न विभाग सम्मिलित होने चाहिए। नैतिक धर्म के सामाजिक पक्ष में कुछ जटिल समस्याएँ हैं जिनके निराकरण में प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ता-पूर्वक प्रयत्नशील रहना है। पहली समस्या है धनी और गरीब का सम्बन्ध। इस समस्या के समाधान के लिए गांधीजी ने दो सूत्रों को सुझाव के रूप में दिया है—प्रथम, सुबकी भलाई में ही व्यक्ति की भलाई है। द्वितीय, प्रत्येक पेशा सम्मानित है, नाई के कार्य का भी वही महत्व है जो वकील के कार्य का। गांधीजी धनी वर्ग को खत्म करने के पक्ष में नहीं और न वह पूर्ण रूप से गरीब वर्ग के अस्तित्व को ही बनाए रखना चाहते हैं। खाना और कपड़े पर सबका समान अधिकार है चाहे उनके पेशे एक दूसरे से भिन्न क्यों न हो। गांधीजी धनी वर्ग द्वारा धन के अर्जन के विरोधी नहीं, पर धनी वर्ग को 'तेनत्यक्तेन भुजोथा' के आदेश के पालन का परामर्श देते हैं। दूसरी समस्या है अस्पृश्यता-निवारण। गांधीजी कहते हैं कि यह दोष सासार भर में किसी न किसी रूप में अवश्य फैला हुआ है, पर भारत में इसने धर्म का रूप ग्रहण कर लिया है। उनका विचार है, जब कि एक ही आत्मा सब मनुष्यों में व्याप्त है तो कोई भी अस्पृश्य नहीं है, अत अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ है 'समस्त सासार के साथ मित्रता रखना, उसका सेवक बनना।' तीसरी समस्या है विभिन्न धर्मों के प्रति समझाव रखना। गांधीजी के विचार में, "सब धर्म ईश्वरदत्त हैं, पर

† N. K. Bose : 'Studies in Gandhism' p. 87

‡ गांधीजी : 'धर्म और नीति', पृष्ठ १५३

मनुष्य-कल्पित होने के कारण मनुष्य द्वारा उनका प्रचार होने के कारण वे अपूर्ण हैं। ईश्वर-दत्त धर्म अगम्य है। सब अपनी-अपनी दृष्टि से जब तक वह दृष्टि बनी है तब तक, सच्चे हैं। पर भूठ होना भी असभव नहीं है। इसीलिए हमें सब धर्मों के प्रति समझाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं आती, बल्कि स्वधर्म-विषयक प्रेम अधा न रहकर ज्ञानमय हो जाता है, अधिक सात्त्विक, निर्भल बनता है। सब धर्मों के प्रातः समझाव आने पर ही हमारे दिव्य चक्र खुल सकते हैं।”†

चौथों समस्या का सबध सामाजिक सम्यता में यत्र के स्थान और कार्य से है। गांधीजी ने आधुनिक सम्यता की इसलिए भर्त्सना की है क्यों कि उसके केन्द्र में यत्र की प्रतिष्ठा है। अपनी पुस्तक ‘हिन्द स्वराज्य’ में उन्होंने आधुनिक सम्यता को राजसी सम्यता कहा है क्योंकि इसमें मनुष्य यत्रों द्वारा कुचला जाता है। यत्रों ने मनुष्य के अगों को बेकार बना दिया और उसके दीर्घकालीन गुणों का विनाश कर दिया है। किन्तु आगे चलकर उनके इस विचार में कुछ परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि आदर्श रूप में तो मैं यत्र का पूर्ण रूप से विहिष्कार करूँगा जैसे कि मैं इस शरीर रूपी यत्र का भी जो कि पूर्ण सत्य या मुक्ति की प्राप्ति में बाधक है। परतु शरीर की भाँति यत्र भी रहेंगे क्योंकि शरीर की भाँति वे भी आवश्यक हैं। गांधीजी यत्रों का विरोध नहीं करते, वरन् उसके अमानुषिक व्यवहार का विहिष्कार करते हैं। वह ऐसे सरल यत्रों के पक्ष में हैं जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से दूर नहीं ले जाते। उनके विचार में चरखा, सिलाई की मशीन आदि ऐसे ही यत्र हैं। ऐसे यत्र श्रम की बचत करते हैं और गाँवों में रहने वाले बहुत से लोगों को बेकार नहीं बनाते। गांधीजी अपनी योजना में ऐसे यत्रों को स्थान देते हैं। किन्तु हानिप्रद और हानिरहित यत्रों में भेद करना कठिन है। किसी भी यत्र को हानिप्रद या हानिरहित बनाया जा सकता है। यत्रों का हानिप्रद या हानिरहित होना प्रयोगकर्ता पर आधित है। ऐसी दशा में सिलाई की मशीन भी शोषण का साधन बन सकती है और उससे हिस्सा उत्पन्न हो सकती है। यत्र न अच्छा है और न बुरा। इसका नैतिक मूल्य कुछ भी नहीं है। इसका अच्छा या बुरा होना उसके सचालक पर निर्भर है। किर एक सरल यत्र के उत्पादन के लिए ही जटिल यत्रों का निर्माण आवश्यक हो जाता है। अत एक बार यत्रों को प्रोत्साहन देने के पश्चात् उनकी हानियों से बचना सरल नहीं है।

इस प्रकार निजी और सामाजिक जीवन-सबधी सात्त्विक नियमों का पालन करके व्यक्ति अपना आत्मोत्थान कर सकता है। आत्मोत्थान द्वारा ही विश्वकल्याण सभव है। ‘वैयक्तिक साधना सामूहिक विकास का एक आवश्यक अग है।’ व्यक्ति को अपने चरम लक्ष्य—मुक्ति की प्राप्ति के लिए इसी साधना-मार्ग का अनुसरण करना अनिवार्य है।

† गांधीजी : “धर्मनीति”, पृष्ठ १५६

शिक्षा-दर्शन

गांधीजी का शिक्षा-दर्शन उनके जीवन-दर्शन के अनुरूप ही है। उनका जीवन-दर्शन कर्मयोग का पर्याय है। वह भारतीय परम्परा के मर्वथा अनुकूल जीवन के परम लक्ष्य—मुक्ति—मे विश्वास रखने हैं और कर्मयोग की मावना द्वारा उसको प्राप्ति पर बल देते हैं। योग का अर्थ है ईश्वर से संयुक्त होना। गीता का वचन है—‘योग कर्मसुकौशलम्’—कर्म-कौशल से महज ही ईश्वर को प्राप्ति होती है। गांधीजी के लिए सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा कर्मयोग को साधना।

परम लक्ष्य : सत्य का बोध साधन : अहिंसा

गांधीजी ने ईश्वर को सत्य के रूप मे ग्रहण किया है। अठृत मे विश्वास करने के कारण वह ईश्वर की परमएकता मे आस्था रखते हैं। उनके विचार मे, इस सृष्टि के पीछे, ईश्वर ही परम सत्ता है, सप्तार भ्रम है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनो के बीच परम सत्य अर्थात् ईश्वर ही एकमात्र स्थिरता है। गांधीजो के लिए सत्य के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ‘ईश्वर सत्य है’ कहने की अपेक्षा, ‘सत्य ही ईश्वर है’ कहना वह श्रेयस्कर समझते थे।

प्रश्न यह उठता है कि इम ‘सत्य’ की प्राप्ति किस प्रकार की जाय? अहिंसा, विश्व-प्रम अयवा मानव-सेवा द्वारा। ईश्वर की एकता मे आस्था रखने के कारण गांधीजी मानवता की एकता मे भी विश्वास रखते हैं। ‘हमारे शरीर, यदि अनेक हैं तो क्या हुआ, हमारी आत्मा तो एक है। सूर्य की किरणें अनेक हैं, किन्तु उनका घोत, सूर्य तो एक है।’ अत क्योंकि एक हो आत्मा सब प्राणियों मे समान रूप से व्याप्त है, इसलिए ‘भेद-भाव मिथ्या है’। यही कारण है कि आत्मोत्थान के प्रयास के लिए उन्होंने मानव-सेवा को आवश्यक साधन माना है। उन्होंने स्वयं कहा है कि ‘मेरा धर्म ईश्वर-सेवा है अत मानवता की सेवा है।’ मनुष्य का परम उद्देश्य ईश्वर-बोध है और उसके धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार के कार्य कलाप जीवन के परम उद्देश्य, ईश्वर के साक्षात्कार की भावना से निर्देशित होने चाहिए। ईश्वर के साक्षात्कार, उसके दर्शन का मार्ग है मनुष्यमात्र की तात्कालिक सेवा, सपूर्ण सृष्टि मे उसका दर्शन करना और उसकी बनायी ढाई सृष्टि के साथ एकात्मता स्थापित करना। प्रत्येक व्यक्ति को भली भाँति यह समझ लेना चाहिए कि ‘मैं सपूर्ण सृष्टि का एक अंग हूँ, मैं शेष मानवता से पृथक् रूप मे उसे नहीं प्राप्त कर सकता हूँ।’ गांधीजी के लिए ‘ईश्वर न हितुओं के मंदिर मे है, न ईसाईयों के गिरजाघरों मे और न मुसलमानों की मस्जिद मे। वह मानवता के मंदिर मे है।’ वास्तव मे कोई व्यक्ति उसी अश मे महान है जिस अश मे वह अपने समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। समाज-कल्याण अथवा लोक-कल्याण ही अहिंसा के सिद्धात

का क्रियात्मक रूप है। यही अहिंसा में निहित प्रेम की भावना का व्यावहारिक प्रदर्शन है। अहिंसा द्वारा प्रेरित कर्म ही कर्मयोग की साधना है। अहिंसा अथवा प्रेम ही सत्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। “अहिंसा और सत्य परस्पर इस प्रकार ओतप्रोत हैं जैसे एक सिक्के के दोनों रुख या चिकनी चकती के दो पहलू। उसमें किसे उन्टा कहे और किसे सीधा? फिर भी, अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानना चाहिए। साधन अपने वश की बात है, इसी से अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। चिता करते रहने पर साध्य की प्राप्ति एक-न-एक दिन होगी ही।” ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अज्ञानजन्य द्वैत भाव अथवा भेद-भाव का निराकरण करना आवश्यक है। मनुष्य-मात्र में ईश्वर को स्थित मानकर सबके प्रति समानता का भाव, सबके प्रति एकात्मता का अनुभव करना चाहिए। ‘ईश्वर ही सब प्राणियों का आत्मिक सत्य है।’

यद्यपि सत्य साध्य और अहिंसा साधन हैं किन्तु साधन को साधने के लिए भी दृढ़ निश्चय, तपस्या और साधना-पूर्ण जीवन की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को सत्य एवं अहिंसा से सबधित ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय आदि अन्य ममी व्रतों का पालन अनिवार्य है। इनका वर्णन हम ‘जीवन-दर्शन’ के अंतर्गत कर चुके हैं। ये सब व्रत एक ही महाव्रत ‘सत्य’ से उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट रूप से समझ लेने के लिए इन्हे निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

सत्य (अथवा सत्य-अहिंसा)

अहिंसा

ब्रह्मचर्य	अस्वाद	अस्तेय	अपरिग्रह	अभय
------------	--------	--------	----------	-----

‘ईश्वर स्वयं निश्चय की, व्रत की सपूर्ण मूर्ति है। उसके नियमों से एक ग्रणु भी इधर-उधर हो जाय तो वह ईश्वर न रह जाय।’ अत मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त स्वयं व्रत धारण करना आवश्यक है। उसे व्रत की आवश्यकता के सबध में लेश-मात्र भी शका नहीं करनी है। सत्य और अहिंसा-सबधी नैतिक नियमों की साधना द्वारा ही व्यक्ति आत्मोत्थान कर सकता है।

सामूहिक जीवन में सत्य और अहिंसा का प्रयोग

गांधीजी के जीवन-दर्शन पर विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि वह रूढिवादी और अरुद्धिवादी दोनों ही कहे जा सकते हैं। उनकी आस्था प्रयोग में थी और वह तर्कसंगत होने पर ही किसी विचार को स्वीकार करते थे। यह उनकी अरुद्धिवादी प्रवृत्ति का परिचायक है। उन्हे रूढिवादी इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने वेद,

उपनिषद्, गीता आदि हिंदू धर्म-ग्रंथों के तर्कसंगत, शाश्वत सत्यों को स्वीकार किया और जीवन में उनको व्यवहृत किया। गांधीजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वास्तव में उन्होंने किसी नवीन वस्तु की खोज नहीं की है, वरन् प्राचीन सत्यों को ही आधुनिक युग के अनुरूप रूपात्मित किया है, उनकी फिर से व्याख्या की है। उन्होंने मुख्यतः सामूहिक जीवन में उनके उपयोग का प्रयास किया है। ये सत्य अब तक वैयक्तिक जीवन के ही निर्देशक थे और सामूहिक या सामाजिक जीवन में इनके उपयोग की सदैव उपेक्षा की गयी थी। इसी कारण भारतीय दर्शन पर यह आरोप लगाया गया था कि उसका डूषिकोण व्यक्तिवादी है। गांधीजी को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने यह प्रमाणित किया कि प्राचीन सत्य व्यक्ति को व्यक्तिवादी नहीं बनाते, केवल व्यक्तिगत पूर्णता की ओर ले जाने वाले नहीं हैं, वरन् व्यक्ति को इस बात का बोध कराते हैं कि वह परम सत्य की उपलब्धि तभी कर सकता है जब कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो जाय। अर्हिंसा का व्यवहार केवल वैयक्तिक जीवन में नहीं, वरन् सामूहिक जीवन, जातीय अथवा राष्ट्रीय जीवन में भी किया जा सकता है।

गांधीजी यह नहीं चाहते थे कि व्यक्ति सत्य का बोध अकेले ही प्राप्त करे। उनका विचार है कि व्यक्ति ईश्वर का बोध समाज के अन्य सदस्यों के साथ करे। अत वह जाति, वश, वर्षा, धन, शक्ति आदि के भेद-भाव से परे एक ऐसे अध्यात्मवादी समाज के निर्माण की कल्पना करते हैं जिसका प्रथम उद्देश्य मानव-बधुत्व और अतिम उद्देश्य ईश्वर का बोध हो। ऐसे अध्यात्मवादी समाज की स्थापना प्रेम, अर्हिंसा, सत्य और न्याय के नैतिक सिद्धांतों की आधारशिला पर ही हो सकती है। ऐसा समाज शोषण और अन्याय से रहित होगा। वह श्रमजीवियों के वर्गविहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे, वह पूँजीवाद और जमीदारी के विरुद्ध थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के उत्तरे चूनतम साधन प्राप्त होने चाहिए जो उत्तम, सुदर और सम्य जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है। ऐसे समाज में निर्बलों पर बलबानों का कोई प्रभुत्व नहीं होगा। एक ही परमपिता की सतान होने के नाते सब परस्पर प्रेम करेंगे, और परस्पर सहायता करेंगे और इस प्रकार सब सत्य की ओर अग्रसर होंगे।

प्लेटो की भावित गांधीजी ने भी एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। उनके राजनीति-दर्शन में एक आदर्श समाज का विकास और उसकी स्थापना सम्मिलित है। यह आदर्श समाज एक राज्यरहित प्रजातत्र होगा जिसमें सामाजिक जीवन इतना पूर्ण होगा कि इसमें स्वयंसेव आत्मनियमन और आत्मनुशासन होगा। “एक ऐसे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। वह अपने को इस प्रकार शासित रखता है कि अपने पहोंसी के लिए बाधक नहीं होता। अत आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती क्योंकि वहाँ कोई राज्य नहीं होता।” ऐसा आदर्श प्रजातत्र सत्याग्रही ग्राम-समु-

दायों का एक सघ होगा। ऐसे समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा में विश्वास करने वाला होगा। दूसरे शब्दों में वह 'मर्वोंदय-समाज' के भवन का निर्माण करना चाहते थे जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने अतिम लक्ष्य—सत्य—नक पहुँच सके।

आध्यात्मिक अथवा सर्वोदय-समाज के निर्माण के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। अत गांधीजी भारत के प्रत्येक स्त्रो-पुरुष और बालक को शिक्षित देखना चाहते थे। इस देश के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मास्ट्रिक और आध्यात्मिक देश में व्यापक और महान् स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधीजी शिक्षा को आधारभूत तत्व मानते थे।

शिक्षा से तात्पर्य ✓

शिक्षा में गांधीजी का तात्पर्य है, बालक के भीतर से सर्वोत्तम को मर्वतोभावेन बाहर निकालना, उसके शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास करना। वह 'साच्चरता' को शिक्षा का न आरभ मानते हैं और न अन। 'साच्चरता' शिक्षा के साधनों में एक साधन है जिसके द्वारा स्त्री-पुरुष शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं किंतु साच्चरता पूर्ण शिक्षा नहीं है। अत गांधीजी शिक्षा के विषयों और साधनों से अधिक जोर बालक के व्यक्तित्व पर देते हैं। पेस्टॉलॉजी की भाँति गांधीजी भी बालक के सर्वतोमुखी, सगतिपूर्ण विकास में विश्वास करते हैं। उनके विचार में मनुष्य, केवल बुद्धि, शरीर, हृदय और आत्मा नहीं है, वरन् इन सबके सामग्र्यपूर्ण विकास में ही शिक्षा का सार और उसकी पूर्णता निहित है। जिक्ता की व्याख्या करते हुए गांधीजी ने कहा है, 'शिक्षा को बालक और बालिका के सपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए। कोई भी शिक्षा ठोस नहीं कही जा सकती है जो बालक और बालिका को एक उपयोगी नागरिक नहीं बनाती है।' मनुष्य की पूर्णता उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में है, अत शिक्षा का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह मनुष्य के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का मगतिपूर्ण विकास करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीजी शिक्षा का अर्थ व्यापक रूप में ग्रहण करते हैं जिसके अतर्गत सपूर्ण जीवन समाविष्ट है। इसी तात्पर्य से गांधीजी ने शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या की है।

चरम उद्देश्य ✓

(देश की आदर्शवादी दार्शनिक परपरा के अनुकूल गांधीजी का विश्वास है कि जीवन और शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य आत्मा की प्राप्ति है, "आधुनिक शिक्षा आत्मा की ओर से आँख फेर लेना चाहती है। अत आत्मशक्ति की सभावनाएँ हमारे ध्यान को आकर्षित नहीं करती। फलस्वरूप हमारी दृष्टि परिवर्तनशील भौतिक शक्तियों पर गड़ी रहती है।") अपनी आत्मकथा में उन्होंने कहा है, "टॉलस्टॉय कार्म के

† Mahatma Gandhi 'To the Students', p. 190

बच्चों को शिक्षा देने के बहुत धूर्व मैंने अनुभव किया कि आत्मा का प्रशिक्षण अपने आप में एक चीज़ है। आत्मा का विकास करना चरित्र-निर्माण करना है और यह व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान और आत्मबोध की ओर अग्रसर होने से सहायता पहुँचाता है। मेरा विश्वास था कि बालक के प्रशिक्षण का यह एक सारभूत अग्र था और आत्म-स्वकार के बिना सभी प्रकार के प्रशिक्षण व्यर्थ और हानिकारक भी हो सकते हैं।”‡

यद्यपि गांधीजी आत्मबोध को सर्वोच्च लद्य मानते थे तथापि उसकी प्राप्ति के लिए माजां से दूर एकात् जगल में रहना पसद नहीं करते थे। वह आत्मबोध को पारलौकिकता के साथ जोड़ देने के विचार से सहमत नहीं थे। उनका कहना है कि इसी विचार ने ब्राह्मणों और पुरोहितों को अयोग्य बना दिया जिसमें वे भारतीय जनता को उन्नति और सस्कृति की ओर अग्रसर नहीं कर सके। (गांधीजी उपनिषदों को परपरा के अनुसार, स्वामी दयानंद और विवेकानन्द की ही भाँति समेज में रहते हुए आत्मबोध प्राप्त करने में विश्वास करते थे। उनके आत्मबोध के लक्ष्य में शिक्षा के अन्य सभी उद्देश्य सम्मिलित हैं। वह वास्तविक शिक्षा उसे कहते हैं जो मुक्ति प्रदान करे— सा विद्या या विमुक्तये’।) इसी को उन्होंने गुजरात विद्यापीठ का निर्देश-वाक्य (Motto) बनाया जिसकी स्थापना उनके द्वारा सन् १९२० ई० में हुई था। इस निर्देश-वाक्य की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है “इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान वही है जो मोक्ष (की ओर ले जाता) है। इस सिद्धात के अनुसार कि महानता में लबूता मम्मिलित होता है, राष्ट्रीय स्वाधीनता और भौतिक स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता में ही निहित है। अत शिक्षा-स्थानों में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे इस प्रकार को स्वतंत्रता के लिए मार्ग-निर्देश करना चाहिए और उस ओर अग्रसर करना चाहिए।”* एक विद्यार्थी ने गांधीजी से पूछा था कि शिक्षा समाप्त करने के बाद वह क्या करे? गांधी जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा था कि “पुरानी उचित है कि ‘शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करती है,’ यह आज भी उतनी ही सत्य है जितनी पहले थी। शिक्षा का मतलब केवल आत्मिक ज्ञान नहीं है और न मुक्ति का तात्पर्य है कि मृत्यु के बाद की मुक्ति। ज्ञान में वे सभी प्रकार के प्रशिक्षण सम्मिलित हैं जो मानव-मेवा के लिए लाभप्रद हैं और मुक्ति का अर्थ है सभी प्रकार की दासता से मुक्ति, यहाँ तक कि इसी जीवन में।” आत्मा को स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता है। अन्य प्रकार को स्वतंत्रताएँ (आर्थिक, राजनीतिक, और बौद्धिक) इस सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। अत गांधीजी ने शिक्षा-जगत् के समक्ष तात्कालिक उद्देश्यों को रखा है।

‡ Gandhi ‘Autobiography’, P 413

* ‘Young India’, March 20, 1930

तात्कालिक उद्देश्य

चरित्र निर्माण—ग्रात्मबोध के आदर्श की प्राप्ति में एक आध्यात्मिक समाज-व्यवस्था की सत्ता पूर्वकनिष्ठत है और क्योंकि समाज की पूर्णता लोगों के चरित्र पर आधित है, अत गांधीजी चरित्र-निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। उनका कथन है कि ‘सच्ची शिक्षा साहित्यिक प्रशिक्षण में नहीं है, वरन् चरित्र-निर्माण है। इमर्सन, रस्किन, मेजिनी और उपनिषदों के अध्ययन से मेरा यह विश्वास ढूँढ हो गया है’[†]। गांधीजी ने चरित्र-निर्माण पर इतना अधिक बल दिया है कि यदि उन्हे चरित्र-निर्माण और साहित्यिक प्रशिक्षण दोनों में एक को चुनना हो तो वह साहित्यिक प्रशिक्षण का त्याग भी कर सकते हैं। यह पछे जाने पर कि यदि भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है तो आपके विचार में शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा? उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, “‘चरित्र-निर्माण’। मैं साहस, शक्ति, मद्गुण, महान् उद्देश्य के लिए कार्य करते हुए अपने को भूल जाना आदि गुणों को विकसित करने का प्रयास करूँगा। यह साहित्यिक शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्यिक शिक्षा तो महान् लक्ष्य का एक साधन है। इसी कारण जब यह कहा जाता है कि भारत में साक्षरता का अत्यंत शोचनीय अभाव है तो इसका मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता और न मुझे यह महसूस करने को बाध्य करता है कि भारत स्वशासन के लिए अयोग्य है।”[‡] गांधीजी के लिए व्यक्तिगत चरित्र की पवित्रता, एक ठोस शिक्षा के निर्माण के लिए अनिवार्य है। वह निश्चयपूर्वक कहते हैं कि ‘विद्यार्थियों को अपने भीतर खोजना है और अपने व्यक्तिगत चरित्र का ध्यान रखना है और बिना आरभिक व्यक्तिगत पवित्रता के चरित्र क्या है?’

‘समस्त ज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए चरित्र-निर्माण।’^{††} ‘हमारा सारा अध्ययन, वेदों का पाठ, सस्कृत, लैटिन और ग्रीक का सही ज्ञान और सभी कुछ, यदि ये सब हमारे हृदय को शुद्ध नहीं बनाते हैं तो हमारे लिए वर्य है।’^{‡‡} इस प्रकार गांधीजी औचित्यता और उत्तम जीवन को हमारे चरित्र का सारभूत अग मानते हैं और चरित्र-निर्माण को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वीकार करते हैं।

यद्यपि गांधीजी चरित्र-निर्माण की तुलना में साहित्यिक प्रशिक्षण को अधिक महत्व नहीं देते फिर भी तथ्य यह है कि इसके पूर्णतया त्याग के पक्ष में भी नहीं है।

[†] R M Patel ‘Gandhiji in Sadhana’. (Gujrati), p 114

[‡] Mahatma Gandhi ‘To the Students’, p 107

^{††} Ibid.

जीविकोपार्जन—गांधीजी वर्तमान शिक्षा-पद्धति के इस दोष को भलीभाँति जानते थे कि इसमें बालकों का शिक्षा-काल समाप्त होने पर भी उन्हें भोजन, वस्त्र, निवास आदि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से मुक्त होने का कोई आश्वासन नहीं है। आज की भाँति बेकारी को समस्या तब भी विद्यमान थी। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि जब तक मनुष्य अपनी आरभिक आवश्यकताओं से मुक्त नहीं होता तब तक भौतिक, नैतिक और बौद्धिक उन्नति नहीं कर सकता है, आव्यातिमक उन्नति की बात तो दूर रही। गांधीजी शिक्षा की ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसके आधार पर आजकल की निरहेश्य शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों से भिन्न प्रत्येक बालक और बालिका विद्यालय छोड़ने के पश्चात्, किसी पेशे में लगकर आत्मनिर्भर हो जाय। वह चाहते थे कि शिक्षा उनके लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का आश्वासन होनी चाहिए। गांधीजी 'वर्णधर्म' में विश्वास करते थे। उनके विचार में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को जीवन के लिए तैयार कर सके, उनके वानावरण और वशगत पेशों के अनुकूल हो। प्रत्येक बालक में अपना वशगत व्यवसाय करने की स्वाभाविक क्षमता होती है और उसे अपने पैतृक व्यवसाय को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि वह अपने भीतर किसी अन्य व्यवसाय के लिए पर्याप्त क्षमता और आकांक्षा का अनुभव न करे। गांधीजी वर्णधर्म को जन्म के आधार पर व्यवसाय का स्वस्थ विभाजन मानते हैं।

सांस्कृतिक विकास—गांधीजी ने सांस्कृतिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। भारतीय दार्शनिक परपरा के अनुसार गांधी जी संस्कृति को बौद्धिक कार्य की उपज नहीं मानते जैमा कि संस्कृति के पाश्चात्य समर्थक। इन समर्थकों का विचार है कि बौद्धिक कार्यों में सलग्न व्यक्ति का मन इस प्रकार प्रशिक्षित हो जाता है कि वह सभी नवीन परिस्थितियों में उचित व्यवहार करता है। गांधीजी के विचार में संस्कृति आत्मा का गुण है जो मानव-व्यवहार के सभी क्षेत्रों को व्याप्त कर लेता है। गांधीजी ने कस्तूरबा बालिकाश्रम, नई दिल्ली की बालिकाओं से २२ अप्रैल, सन् १९४६ ई० को जो उपदेश किया था उससे उनके संस्कृति के सबध में विचारों का अनुमान किया जा सकता है, 'मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृति आधार है, मूल वस्तु है जिसे बालिकाओं को यहाँ से प्राप्त करना चाहिए। तुम्हारे व्यवहार और आचरण के छोटे-से-छोटे कार्यों में इसका प्रदर्शन होना चाहिए। तुम कैसे बैठती हो, तुम कैसे चलती हो, तुम कैसे वस्त्र पहनती हो ताकि कोई व्यक्ति एक निगाह से देख कर कह सके कि तुम इस सम्मान की उपज हो। तुम्हारी बातचीत, दर्शकों और अतिथियों के प्रति तुम्हारे व्यवहार और अध्यापिकाओं और अपने से बड़ों के प्रति तुम्हारे व्यवहार में एवं परस्पर व्यवहार में तुम्हारी अंत संस्कृति प्रकट होनी चाहिए।' निम्नप्रकृति के सभी प्रतिवधों से मुक्त व्यक्ति अपनी

आत्मा की वास्तविक स्तरता को प्रदर्शित कर सकता है।

संगतिपूर्ण विकास — गांधी जो संगतिपूर्ण विकास में विश्वास करते हैं और इसी-लिए वह बालक के शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास चाहते हैं। वह प्रचलित शिक्षा-पद्धति के दोषों से पूर्णतया परिचित थे। शिक्षा का एक स्पष्ट दोष यह था कि वह बौद्धिक एवं असतुलित थी जिसके परिणामस्वरूप बालक की सारी शक्तियाँ तथ्यों के सम्बन्ध में ही खिल जाती थी। दूसरा दोष यह था कि वह सबेगों के प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं देती थी। यह सर्वविदित तथ्य है कि सबेग प्रशिक्षण के अभाव में मनुष्य विकृत होकर पशुओं की कोटि में पड़ूँच जाते हैं। वर्तमान शिक्षा में उन्होंने एक दोष यह भी पाया कि वह बालक के शारीरिक विकास को और ध्यान नहीं देती। गांधीजी शक्तिपूर्ण बुद्धि का विकास चाहते थे किन्तु हृदय की शिक्षा के माथ। मस्तिष्क और हृदय की शिक्षा के साथ-साथ वह सुदर, स्व-थ शरीर के विकास को भी कम महत्व नहीं देते थे।

शरीर, मन और आत्मा इन तीनों के योग से मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन तीनों के बीच एक धनिष्ठ मबव विद्यमान है, अत इनका विकास साथ-साथ होना चाहिए। उच्चतम शिक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जब इनमें परस्पर सबध स्थापित हो। इस विषय में गांधीजी का दृढ़ निश्चय है कि “जब तक शरीर और मन के विकास के साथ-साथ आत्मा का जागरण नहीं होगा, तब तक शरीर और मन का जागरण अद्युरा ही रहेगा।” उच्चतम शिक्षा की उपलब्धि के लिए कोई भी शिक्षावेत्ता इन तीनों में से एक की भी उपेक्षा नहीं कर सकता है। यह तीनों पृथक्-पृथक्, स्वाधीन रूप में, एक दूसरे से अलग विकसित नहीं किये जा सकते। इनका विकास साथ-साथ ही होना चाहिए।

वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य—भारत की दार्शनिक परपरा की अद्वैतवादी प्रवृत्ति के अनुसार गांधीजी ने सामाजिक और वैयक्तिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित किया है। वह अनेकता में एकता की उपलब्धि करना चाहते हैं। व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए गांधीजी के मन में कोई सदेह नहीं है। वह कहते हैं कि यदि हम भौतिक या आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अव्यक्तिगत विशेषताएँ होती हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पृथक् करती हैं, अत सभी व्यक्तियों को एक ही लच्छ की ओर मूक पशुओं की भाँति हाँकना वर्य है। जाति, वर्ण, वश का भेद किए बिना गांधीजी प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव रखते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि यदि व्यक्तियों को सच्ची शिक्षा दी गयी है, यदि उन्होंने अपने चरित्र का निर्माण कर लिया है तो समाज का सुधार अपने आप हो जायगा। गांधीजी ईसा की भाँति, व्यक्तिगत मानव-आत्मा के महत्व को अत्यत सम्मान देते हैं। गांधीजी के अनुमार मनुष्य-जीवन का उच्चतम उद्देश्य आत्म-

बोध की प्राप्ति है और आत्मबोध की प्राप्ति बिना आत्मत्याग के नहीं हो सकती, अत आत्मनिग्रह, समाजसेवा स्वतं शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य में आ जाते हैं।

गांधीजी ने स्वयं अपने जीवन में सिद्धात और व्यवहार दोनों के आधार पर यह प्रदर्शित कर दिया कि व्यक्तिगत बोध और समाजसेवा में कोई विरोध नहीं है क्योंकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की प्राप्ति किसी समूह या समाज में ही करता है। उसका विकास शून्य में नहीं होता। यहाँ तक कि उच्च कोटि का त्याग भी समाज में रहकर ही किया जा सकता है। गांधीजी ने सामाजिक सेवा और वैयक्तिक विकास का समन्वय किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि, “मैं व्यक्ति स्वातंत्र्य को महत्व देता हूँ किन्तु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य सारभूत रूप में सामाजिक प्राणी है। वह अपनी वर्त्तनामान स्थिति तक इसलिए उठ पाया है कि उसने सामाजिक प्रगति की आवश्यकताओं के लिए अपनी वैयक्तिकता को अनुकूल बनाना सीखा है। स्वच्छद व्यक्तिवाद जगल के पश्चातों का नियम है। हमने वैयक्तिक स्वतंत्रता और सामाजिक नियमन के बीच मध्यस्थ मार्ग अपनाना सीखा है। सपूर्ण समाज के हित के लिए स्वेच्छापूर्वक सामाजिक बघनों को स्वीकार करने में व्यक्ति और उस समाज जिसका वह एक सदस्य है दोनों का अम्भुदय होता है।”†

गांधीजी की दृष्टि में वैयक्तिक विकास और समाज-विकास दोनों इस सीमा तक अन्योन्याश्रित है कि एक के बिना दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। एक राष्ट्र अपनी गतिशील इकाइयों के बिना कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति भी गतिशील राष्ट्र के बिना प्रगति नहीं कर सकता जिसका वह एक अग है। गांधीजी और आगे बढ़कर कहते हैं कि ‘मेरा विश्वास है कि यदि एक व्यक्ति आत्मा की प्राप्ति में प्रगति करता है तो उसके साथ सारे ससार का लाभ होता है और यदि एक व्यक्ति का पतन होता है तो उसी सीमा तक सारे ससार का पतन होता है’।‡ अत गांधीजी का आदर्श था कि व्यक्ति आध्यात्मिक समाज में आत्म-पूर्णता प्राप्त करे।

राष्ट्रीयता और अतर्राष्ट्रीयता—गांधीजी शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य में द्विश्वास करते हैं, किन्तु उनके राष्ट्रवाद का ध्येय यह नहीं है कि भारत शेष मानवता से अपने को पृथक् रखे। उनके राष्ट्रवाद का उद्देश्य है कि भारत एक दिन विश्व-मानवता में अपने अस्तित्व को लय कर दे। किन्तु विश्व-मानवता के साथ एकात्म होने के पूर्व यह आवश्यक है कि वह अपने खोये हुए व्यक्तित्व को प्राप्त कर ले। जिस प्रकार एक डूबा हुआ व्यक्ति

† ‘Harjan’, May 27, 1939

‡ ‘Young India’, Dec 4, 1924

दूसरों को सहायता नहीं कर सकता है उसी प्रकार एक डूबा हुआ राष्ट्र, विनष्ट-व्यक्तित्व राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र की सहायता नहीं कर सकता। दूसरों की रक्षा करने के पूर्व भारत को स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। उनके ही शब्दों में, ‘भारतीय राष्ट्रवाद निषेधात्मक नहीं है, आक्रमणात्मक नहीं है, सहारात्मक नहीं है। वह स्वस्थ है, धार्मिक है, अत मानवता-प्रेमी है। इसके पूर्व कि वह मानवता के लिए प्राणोत्सर्ग की कामना करे, उसे जोवित रहना सोचना चाहिए।’^१ गांधीजी की अहिंसात्मक नीति के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि वह दीनों का शोषण करने वाली, अग्रेजों या पाश्चात्य जगत् की भौतिक सम्यता तथा उनकी कार्य-पद्धति से असहयोग करते थे, अग्रेज जारी या पाश्चात्य जगत् से नहीं। यही कारण है कि वह कहते थे कि ‘अपनी अध्यात्मिक सम्यता एव स्वस्कृति द्वारा पाश्चात्य जगत् का मार्ग-निर्देश करने के पहले भारत स्वतन्त्र हो, अपने पैरों पर खड़ा हो।’ स्वदेशी-न्रत का तात्पर्य ममकाते हुए उनका कहना है स्वदेश की ‘सेवा’ का तात्पर्य सकुचित नहीं, बरन् विशाल है। यह सोचना भूल है कि स्वदेश की सेवा से दूर रहने वालों की सेवा नहीं हो सकती या उनकी हानि होती है। ‘स्वदेशी की शुद्ध सेवा करने में विदेशी की भी शुद्ध सेवा होती है—यथा पिछे तथा बहाएँडे।’ इससे भी बढ़कर, ‘जीवमात्र के साथ ऐक्य साधते हुए स्वदेशी धर्म को जानने और पालने वाला देह का भी त्याग कर सकता है।’^२

बालक की आरभिक शिक्षा

गांधीजी अपने समय के प्रचलित इस भ्रम का खड़न करते हैं कि ‘पहले पाँच वर्षों में बच्चे को शिक्षा-प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती।’ उनके अनुसार वास्तविकता यह है कि ‘पहले पाँच वर्षों में बच्चे को जो मिलता है वह फिर कभी मिलता ही नहीं।’ अत बालक के भली भाँति पालन-पोषण के लिए, उसके स्वास्थ्य एव स्वस्थ मानसिक विकास के लिए माता-पिता को शिश्पालन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। बालक को एक आदर्श बालक बनाने के लिए स्वयं माता-पिता को अपने चरित्र एव आदर्श का उचित विचार रखना चाहिए क्योंकि गांधीजी कहते हैं, “अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि बच्चे की शिक्षा माँ के पेट से आरम्भ होती है। गर्भाधान काल की, माता-पिता की शारीरिक और मानसिक स्थिति का भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। बच्चा गर्भ-काल की माता की प्रकृति, उसके आहार-विहार के अच्छे-बुरे फल की विरासत लेकर जन्मता है। जन्म के अनन्तर वह माता-पिता का अनुकरण करने लग जाता है। खुद असहाय होने के कारण अपने विकास के लिए माँ-बाप पर अवलित रहता है।”^३ मानसिक स्वकारों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अच्छे

^१ गांधीजी : ‘धर्म-नीति’, पृष्ठ १७०

^२ गांधीजी : ‘आत्मकथा’, पृष्ठ २५५

सम्कार बालक को उसे अनायास ही अपनी कुप्रवृत्तियों एवं दुर्वलताओं पर विजय प्राप्त करने में सहायता देते हैं।

गांधीजी बालक की शिक्षा में 'घर' को एक अविधिक शिक्षा-सम्पद के रूप में बहुत महत्व प्रदान करते हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका रहते समय अपने बच्चों को भारत, अपने घर से दूर, पढ़ने के लिए इसी कारण नहीं भेजा कि 'जो शिक्षा एक अच्छे सुव्यवस्थित घर में बच्चे अनायास पा जाते हैं वह छात्रालयों में नहीं पा सकते।' गांधीजी बालकों के सरल रहन-सहन रे आस्था रखते हैं। वह आरम्भ से ही उनमें शारीरिक श्रम, आत्म-निर्भरता, सेवा की वृत्ति आदि नेतृत्व गुणों का विकास चाहते हैं।

आश्रमवास

गांधीजी यद्यपि बालक को छात्रावास में रखने के पक्ष में नहीं है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वह भारत को प्राचीन गुरुकुल-प्रणाली, जहाँ गुरु और शिष्य एक साथ मिलकर रहते थे, में आस्था नहीं रखते। वास्तविकता यह है कि आज के छात्रावासों का वातावरण उतना पवित्र एवं आदर्शपूर्ण नहीं है जितना प्राचीन गुरुकुलों का था। गांधीजी प्रत्येक विद्यार्थी को ब्रह्मचारी मानते हैं। उनका कहना है, 'विद्यार्थी के लिए प्राचीन शब्द ब्रह्मचारी' है क्योंकि उसके समस्त अध्ययन और कार्य-कलाप का उद्देश्य ब्रह्म की खोज होता था और उसके सारे जीवन का निर्माण निष्पृहता, सरलता और आत्म-निग्रह की तीव्र पर होता था जिन्हे प्रत्येक धर्म ने विद्यार्थी के लिए आवश्यक माना है, तुम्हारे सारे कार्यों और खेलों के पीछे आत्मनिग्रही जीवन का उच्च लक्ष्य होना चाहिए, उन्हे तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाना चाहिए।'[†] गांधीजी ने गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के ब्रह्मचर्य का आदर्श को आधुनिक विद्यार्थियों के सम्मुख रखा है। फोनिक्स सेटिलमेट, टॉलस्टार्ट फार्म और साबरमती आश्रम, इन तीनों को प्राचीन भारतीय आश्रमों की प्रणाली पर आधारित करके, जहाँ उन्होंने चरित्र-निर्माण और सेवा के आदर्श को दृढ़तापूर्वक ध्यान में रखा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गांधीजी ने आश्रमवास अथवा गुरुकुलवास की प्रणाली का समर्थन किया है।

भोजन और प्राकृतिक उपचार—गांधी जी विद्यार्थी में शुद्ध मन के निर्माण के लिए सात्त्विक भोजन पर बल देते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए स्वादेन्द्रिय पर नियन्त्रण प्राप्त करना आवश्यक है। सात्त्विक भोजन, व्रत, उपवास आदि से मानसिक विकार शात हो जाते हैं। 'जैसा अन्न वैसा मन,' इस कहावत में बहुत तथ्य है। मनुष्य को अपने ऊपर नियन्त्रण प्राप्त करने की भावना से ही गांधीजी ने 'सात्त्विक भोजन' के साथ-साथ 'प्राकृतिक उपचार' के सिद्धांत पर भी बल दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने ही दोषों के कारण बीमार पड़ता है। पर इस बीमारी के निराकरण के लिए, उन्हीं के शब्दों में,

[†] 'Young India', July 21, 1927

“क्षण-क्षण मे वैद्य, हकीमो और डाक्टरो के यहाँ दौड़ने और शरीर मे अपनेक जड़, छाल, पत्ते और रसायन ठूँसने से मनुष्य अपनी जिन्दगी छोटी कर लेता है। इतना ही नहीं, अपने मन पर उसका काबू नहीं रह जाता। इससे वह मनुष्यत्व खो बैठता है और शरीर का गुलाम बन जाता है”†

प्रथना—आत्म-नियत्रण अथवा आत्म-शुद्धि के लिए गांधीजी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रार्थना करना आवश्यक समझते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ विद्यार्थी शब्द को केवल सकुचित अर्थ मे नहीं ग्रहण करना है। प्रत्येक व्यक्ति जो आत्म-साक्षात्कार अथवा ईश्वर-दर्शन का अभिलाषी है वह विद्यार्थी अथवा शिक्षार्थी है। गांधीजी ने शिक्षा को उसके विस्तृत अर्थ मे उपयोग किया है। इस अर्थ मे व्यक्ति का सपूर्ण जीवन ही शिक्षा-काल है। अत प्रतिदिन प्रार्थना करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इस सबध मे अपने आश्रमवासियों को एक पत्र मे गांधीजी ने लिखा था, “प्रार्थना छूट जाय तो मनुष्य को भारी दुख होना चाहिए। खाना छूटे, पर प्रार्थना न छूटे। खाना छोड़ना कितनी ही बार लाभदायक होता है। प्रार्थना का छूट जाना कभी भी लाभदायक हो ही नहीं सकता।”‡ प्रार्थना करने की विविध के सबध मे भी उन्होने सचेत किया है। प्रार्थना मन लगाकर की जानी चाहिए, अन्यथा प्रार्थना के समय यदि केवल व्यक्ति शरीर से ही उपस्थित है तो वह प्रार्थना मिथ्या है, दम्भ है। ऐसी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दो दोषों का भागी होता है, प्रथम उसने प्रार्थना का परित्याग किया और द्वितीय उसने समाज को धोखा दिया। गांधीजी व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों प्रकार की प्रार्थना मे विश्वास करते हैं। सामूहिक अथवा सामाजिक प्रार्थना भी व्यक्ति की आत्मशुद्धि और आत्मदर्शन मे सहायक होती है। जो व्यक्ति निश्चित समय की प्रार्थना के अतिरिक्त हर कार्य ईश्वर को साक्षी देकर सपादित करता है वह ईश्वरमय हो जाता है, निष्पाप हो जाता है।

गांधीजी का कथन है कि जब बालक समझने लगे तो माता को चाहिए कि वह तुरत बालक को प्रार्थना करना सिखा दे।

विद्याभ्यास और पाठ्य-विषय

गांधीजी प्रचलित विद्याभ्यास और उसे करने-कराने की रीति को दोषपूर्ण पाते हैं। इस सबध मे आश्रमवासियों को पत्र लिखकर उन्होने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं, “सच्चा विद्याभ्यास वह है जिसके द्वारा हम आत्मा को, अपने आपको, ईश्वर को, सत्य को पहचाने। इस पहचान के लिए किसी को साहित्य-ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, किसी को भौतिक शास्त्र की, किसी को कला की, पर विद्या मात्र का उद्देश्य

† गांधीजी : ‘आत्मकथा’, पृष्ठ ३३६

‡ गांधीजी . ‘धर्म-नीति’, पृष्ठ २२६-२३०

आत्म-दर्शन होना चाहिए। आश्रम मेरे यह है। उसकी दृष्टि से हम अनेक उद्योग चला रहे हैं। ये सारे उद्योग मेरे अर्थ मे शुद्ध विद्याभ्यास हैं। आत्म-दर्शन के उद्देश्य के बिना भी यह धर्म चल सकते हैं। इस रीति से चले तो वे आजीविका के या दूसरे साधन हो सकते हैं, पर विद्याभ्यास न होगे। विद्याभ्यास के पीछे समझ, कर्तव्यपरायणता, सेवा-भाव विद्यमान होता है।”†

उपर्युक्त कथन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गांधीजी ने बडे ही मनोवैज्ञानिक ढग से चार मुख्य प्रकार की मानवी प्रकृति—साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक और रचनात्मक और इनसे सबधित विषयों की ओर सकेत किया है। वह किसी भी ज्ञान एवं रुचि की उपेक्षा नहीं करते और भारतीय परपरा के सर्वथा अनुकूल वह प्रत्येक ज्ञान एवं कार्य को परम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन स्वीकार करते हैं। ध्यान-पूर्वक देखने से स्पष्ट होता है कि गांधीजी ने अन्य विषयों के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों को भी ईश्वर-प्राप्ति का निमित्त मानकर शिक्षा मे सास्कृतिक और जीविकोपार्जन के उद्देश्यों मे सुन्दर समन्वय स्थापित किया है।

शिक्षण-विधि

गांधीजी बडे ही मनोवैज्ञानिक ढग से यह स्पष्ट करते हैं कि बच्चों मे अनुकरण करने की अपूर्व शक्ति होती है। हम बच्चों को यदि शिक्षा देना चाहते हैं, तो जो बात उनसे कराना चाहते हैं उसे हमको स्वयं करना चाहिए। बालक मुँह से कहा हुआ कम समझते हैं। यह तथ्य शारीरिक और नैतिक दोनों चेत्रों के कार्यों मे व्यवहार्य है। यदि हम बालक को अमुक शारीरिक कार्य कराना चाहते हैं तो प्रथम उन कार्यों को हमे स्वयं करना चाहिए। यदि हम उन्हे सत्य सिखाना चाहते हैं तो स्वयं सावधानी से सत्य का पालन करना चाहिए। अपरिग्रह सिखाना चाहते हैं तो हमे परिग्रह त्याग देना चाहिए। अत माता-पिता और शिक्षकों को बालक को शिक्षित करने के दृष्टिकोण से इस सिद्धात का पूर्णतया उपयोग करना चाहिए।

गांधीजी यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आज की शिक्षा-पद्धति में इस सिद्धात की अवहेलना की जाती है, फलस्वरूप समय और धन के व्यय की तुलना में फल नगण्य ही प्राप्त होता है। आज की शिक्षण-पद्धति का दूसरा दोष यह है कि जिस प्रकार पशु अपने बच्चे को सिखाने के लिए बच्चे ही की तरह क्रीड़ा करते हैं इस प्रकार शिक्षक बालक को शिक्षित करने के लिए उसके मानसिक स्तर तक नहीं उतरते। शिक्षक को बालक के प्रति स्नेह तथा उसके हित की भावना से पूर्ण होना चाहिए। उन्हे अपने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा बालकों की अतर्निहित क्षमताओं का विकास करने मे सफल होना चाहिए। बालक के प्रति स्नेह की भावना होने से फिर दड का प्रश्न उठता ही नहीं।

† गांधीजी . ‘धर्म-नीति’, पृष्ठ २३६

वाचन और विचार—गांधीजी के विचार में, क्योंकि मनुष्य और पशु में अतर है, अत मनुष्य को निम्न पशु-स्तर से उच्च स्तर पर पहुँचना है। पशु की भाँति उसकी आवश्यकताएँ जैव-स्तर तक ही सीमित नहीं हैं। वह विचारशील एवं ज्ञानवान प्राणी है, अत उसे वाचन अथवा पढ़ने की आवश्यकता है। किन्तु शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि बालक के बल निषिक्य सूचनाओं को स्मरण रखने का पात्र न बन जाये, वरन् वह उसे पठित विषय पर विचार एवं मनन करने की प्रेरणा प्रदान करे। गांधीजी का कथन है, “हममें बहुतेरे निरी पढ़ाई करनेवाले होते हैं। वे पढ़ते हैं, पर गुनते नहीं, विचारते नहीं। फलत पढ़ी हुई चीज़ पर अमल क्यों करने लगे? इससे हमें चाहिए कि थोड़ा पढ़ें, उस पर विचार करें और उस पर अमल करे। अमल करते वक्त जो ठीक न जान पड़े उसे छोड़ दें और आगे बढ़े। ऐसा करनेवाला थोड़ी पढ़ाई से अपनाकाम वला सकता है। बहुत-सा समय बचा लेता है और मौलिक कार्य करने की जिम्मेदारी उठाने के योग्य बनता है।”[†] प्रश्न उठता है कि विचार किस प्रकार किया जाय? बालक यदि कोई पाठ पढ़ता है अथवा कोई भजन सुनता है तो उसे उस पर विचार करना चाहिए कि उसमें रहस्य क्या है, उससे क्या शिक्षा मिलती है, उसमें से उसे क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसमें दोष हो तो उनकी छान-बीन करनी चाहिए। यदि उसका अर्थ समझ में न आये तो उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। विचार करने की यही पद्धति है। गांधीजी का कहना है कि यदि विद्यार्थीगण अपनी-अपनी दिशा में, अपने-अपने विषय में, इस प्रकार विचार करे तो ‘वह जीवन में नया अर्थ निकालेंगे और नित्य नया रस लूटेंगे।’[‡] ऐसा करनेवाला अन्त में आत्मानद भोगेगा और उसका सारा वाचन फलेगा। गांधीजी कहते हैं कि ‘मेरी दृष्टि से विचार करने की कला सच्ची शिक्षा है। यह कला हाथ आ जाय तो दूसरी सारी कलाएँ उसके पीछे सुन्दर रीति से सज जायें।’[‡] गांधीजी का यह ‘वाचन और विचार’ सबधी शिक्षण-सिद्धात हमें भारतीय शिक्षण-पद्धति के तीन पाद—‘ध्रुवण’ ‘मनन’ और ‘निदिव्यासन’ की ओर इगित करते हैं।

सविचार कार्य या कर्म द्वारा शिक्षा—कार्य या कर्म करना देह का गुण है। पर, किस प्रकार किये हुए कार्य से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान की वृद्धि करता है और आत्मोन्नति करता है? गांधीजी का कहना है, विचारयुक्त अथवा विवेक-सचालित कार्य द्वारा। पशु और मनुष्य में यही अतर है कि पशु के कार्य यत्रवत् होते हैं। वह किसी कार्य में चाहे कितना ही परिष्म क्यों न करे, उसके ज्ञान की वृद्धि नहीं होती और न कार्य करने में उसे रस ही आता है। मनुष्य को पशु की भाँति व्यवहार नहीं करना है

[†] गांधीजी : ‘धर्म-नीति’ पृष्ठ २४७

[‡] गांधीजी : ‘धर्म-नीति’ पृष्ठ २५०

क्योंकि वह एक विचारवान एवं तर्कयुक्त प्राणी है। विचारपूर्वक किये हुए कार्य से शांति मिलती है, कार्य करनेवाले को दच्चता बढ़ती है, उसमे समय को बचत होती है और उसे काम मे आनंद आता है। विचारपूर्वक किया हुआ काम बोझ नहीं प्रतीत होता, चाहे वह मल ढोने का ही काम क्यों न हो। उसमे सेवा-भाव निहित रहता है। वह एक कर्तव्य का रूप ग्रहण कर लेता है किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है कि कार्य सविचार रूप मे किया जाय। विचार समाज-पोषक भी होना चाहिए। उसमे स्वार्थ-भाव नहीं होना चाहिए। स्वार्थपूर्ण या निम्नकोटि की प्रेरणाएँ कर्म को दोषयुक्त बनाती हैं। ऐसे कर्म शिक्षाप्रद न होकर कुशिक्षाप्रद होते हैं। अत व्यक्ति को चाहिए कि वह एक पशु की भाँति अपनी सहजप्रवृत्तियों, आवेगों और सकीर्ण भावनाओं के वश होकर कार्य न करे। इनसे ऊपर उठ कर समाज-हित कर्तव्य-निष्ठा अथवा यज्ञ को भावना से कार्य करे। इस दृष्टिकोण को ध्यान मे रख कर विचार और तुद्धिपूर्वक किये हुए यज्ञ-रूप कार्य से शिक्षा मिलती है, बुद्धि का विकास होता है, हृदय विशाल और शुद्ध बनता है, कार्य मे कुशलता प्राप्त होती है और व्यक्ति उसमे नवीन खोज और सुधार करता है जिससे समाज को प्रगति मे सहायता प्राप्त होती है। इस दृष्टि से किये गये काम मे व्यक्ति को रस प्राप्त होता है, उसे थकान का अनुभव नहीं होता और उसके कार्य कलापूर्ण हो जाते हैं, चाहे वह किसी प्रकार का कार्य क्यों न हो। उदाहरण के लिए, “कर्ताई के यज्ञ को लें तो उसके विषय मे भी यदि विचारसमय काम हो तो हमें उसमे रस के घूँट मिलेंगे और कर्ताई की कला की प्रगति की हद ही न होगी। सब विचार-पूर्वक कार्ते तो हम बहुतेरी नई खोजें करें और सूत अच्छे-से-अच्छा निकाले।”† कहने का तात्पर्य यह है कि “जिसकी दृष्टि पारमार्थिक बन जाती है उसे एक भी काम नीचा या नीरस नहीं जान पड़ता। जो सामने आए उसी मे वह ईश्वर को देखेगा, उसी की सेवा देखेगा। उसका रस काम के, जातिवर्ग के ऊपर अवलंबित नहीं होता। उसका रस उसके अतर से, उसकी कर्तव्यपरायणता से निकलता है।”‡ जब व्यक्ति सकीर्ण इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है तब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। आत्मशुद्धि द्वारा उसकी अर्पण-बुद्धि जागृत होती है। ‘अर्पण-बुद्धि विश्व-कल्याण की बुद्धि है’। ईश्वर को सब मे व्याप्त जान कर, आत्मत्याग अथवा समाज-सेवा द्वारा व्यक्ति आत्मोन्नति करता है। विश्व-कल्याण अथवा समाज-कल्याण की भावना से किया जाने वाला कर्म यज्ञ है। ऐसे ही कर्म के माध्यम से मनुष्य बधनो से छूट कर, परममुक्ति प्राप्त करता है। यही अनासक्त योग-मार्ग है।

यह साधना का मार्ग है। शिक्षक विद्यार्थी को यह कर्म-मार्ग अथवा कर्म द्वारा मुक्ति के मार्ग का निर्देश कर सकता है। पर यह तो विद्यार्थी के स्वयं साधना का मार्ग है।

† गांधीजी : ‘धर्म-नीति’, पृष्ठ, २५२

‡ गांधीजी : ‘धर्म-नीति’, पृष्ठ २५५ ५६

इस विधि का अनुसरण तो उसे स्वयं करना है। यह साधना की विधि है। यही सर्वोत्तम स्वयं-शिक्षण विधि है।

धर्म का स्वरूप

गाधी जी एक अत्यत धर्मिक व्यक्ति थे। उनका सर्पूण जीवन-दर्शन धर्म-केन्द्रित था। भारतीय विचारवारा के सबथा अनुकूल उन्होने धर्म की मान्यताओं को तभी स्वीकार किया जब वे उन्हें तर्क और अनुभव की कसौटी पर पूरी उत्तरी हुई दिखायी दी। इन मान्यताओं को अपने जीवन में व्यवहृत करके अपने आध्यात्मिक और सामाजिक अनुभव के आधार पर उन्होने इनकी पुनर्वर्णना की। उनका सारा जीवन ईश्वर अथवा सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयोगशाला था। उन्होने लिखा है, ‘‘मेरा कर्तव्य तो, जिसके लिए मैं तीस वर्ष से भँख रहा हूँ, आत्म-दर्शन है, ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरी सारी क्रियाएँ इसी दृष्टि से होती हैं, मेरा सारा लेवन इसी दृष्टि से है ही और मेरा राजनीतिक चेत्र में आना भी इसी वस्तु के अधीन है।’’*

गाधीजी को धार्मिक चेतना रहस्यवादी सतो जैसी (Mystic) नहीं थी, वरन् देवदूतों की भाँति (Prophetic) थी। इसीलिए उनका विचार था कि केवल अत दर्शन ही सत्य की अनुभूति या साक्षात्कार के लिए पर्याप्त नहीं है। वह सत्य के शोध के लिए सामाजिक जीवन को अपना चेत्र बनाना चाहते थे और दूसरों को साक्षात्कार या मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते थे। यद्यपि अत दर्शन, ध्यान और ईश्वर के साथ सपर्क-स्थापन (Communion) दिव्यालोक की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन है और गाधीजी भी इन साधनों का उपयोग करते थे, फिर भी ऐसे अनुभवों को वह पूर्णतया व्यक्तिगत मानते थे क्योंकि इनका दूसरों के साथ साझा नहीं किया जा सकता। उनके ही शब्दों में, “कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रतीति केवल व्यक्ति को सत्य या स्थष्टा को ही होती है। ऐसी चीजें स्पष्टत प्रेषणीय नहीं होती।” गाधीजी इस व्यक्तिगत अनुभव को ही सत्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं मानते थे, वरन् सार्वजनिक जीवन में अन्य सहयात्रियों के साथ सत्य की अनुभूति करना चाहते थे। यही कारण है, वह सत्य के साक्षात्कार के हेतु राजनीतिक और सामाजिक चेत्र में आये और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा सामाजिक अत्याचारों के निवारण के सबध में उन्होने सामूहिक ढग से धर्म या नैतिकता-सबधी (गाधीजी के दर्शन में दोनों शब्द एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं) प्रयोग किये।

हम पहले देख चुके हैं कि आरभ में गाधीजी कहते थे कि ईश्वर सत्य है, किंतु बाद में उन्होने अपने सहज ज्ञान के आधार पर यह कहा कि सत्य ही ईश्वर है। उनकी इस धार्मिक धारणा में परिवर्तन के पीछे रहस्य यह है कि पहले वह नैतिकता को धर्म का एक आवश्यक अग्र मानते थे। किंतु बाद में वह नैतिकता को धर्म का सारतत्व मानने लगे।

*गाधी जी. ‘आत्मकथा’, पृष्ठ, ५

उन्होंने अपने अनुभव से यह जाना कि नैतिक मूल्यों की चेतना ईश्वर में विश्वास की अपेक्षा अधिक निश्चित और सार्वभौम है। अत नैतिकता को उन्होंने धर्म का सार स्वीकार किया और ईश्वर में श्रद्धा एवं विश्वास को सयोग (Accident), यद्यपि गांधीजी के लिए यह एक अविच्छेद्य सयोग था।

गांधीजी की धर्म-नीति के आधारभूत सिद्धात, जिनको उन्होंने सब धर्मों में समान रूप से पाया, इस प्रकार है (१) सत्य और प्रेम के विवान ससार पर शामन करते हैं, (२) इन नियमों के अनुसार रहना, (३) सब धर्मों में आधारभूत एकता का अनुभव और सब धर्मों के प्रति समभाव।

गांधीजी, यद्यपि, सब धर्मों की एकता में विश्वास करते थे फिर भी वह यह समझते थे कि मानव-जाति का यह सामान्य धर्म अपने बौद्धिक स्तर पर ग्रमूर्ति विचारों का सग्रह मात्र है। अत उसको मूर्त अथवा व्यावहारिक होने के लिए विभिन्न अस्त्यात्मक धर्मों के सॉचे में ढलना होगा। गांधीजी के शब्दों में, ‘एक सत्य और पूर्ण धर्म विभिन्न मनुष्यों के माध्यम से अनेक रूप धारणा कर लेता है।’ अत किसी विशेष धर्म के आधार पर ही मनुष्य सत्य को देख सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने परपरागत धर्म या स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। यदि अपने धर्म में कुछ दोष भी आ गये हो तो उन्हे दूर कर लेना चाहिए। भारतीय परपरा के अनुकूल, गांधीजी, धर्म को सकौर्चिता और सप्रदायों के परे स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि हमारे जीवन का प्रत्येक चेत्र और प्रत्येक कार्य धर्म से ओतप्रोत और ईश्वर-प्राप्ति का साधन होना चाहिए। वह धर्म-साधन के लिए ससार या कर्म का त्याग आवश्यक नहीं समझते। उनका कहना है कि, “मेरे विचार में गीता के रचयिता ने यह अम दूर कर दिया है। उसने धार्मिक जीवन और सासारिक धधो के बीच कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। इसके प्रतिकूल उसने यह प्रदर्शित किया है कि हमारे सासारिक कार्यों को भी धर्म द्वारा अनुशासित होना चाहिए।” अत धर्म एक साधना है। वह जीवन में व्यवहृत करने की वस्तु है।

जीवन, कला और सौन्दर्य

गांधीजी के तपस्यापूर्ण जीवन को देखकर साधारणतया लोग यही समझते हैं कि उनके हृदय में कला के लिए कोई स्थान नहीं है। वास्तव में, गांधीजी कला के प्रति आधुनिक मनोवृत्ति को पसद नहीं करते थे। आजकल जिसको कला कहा जाता है, गांधीजी उस कला की विशिष्टता को समझने में अपने को असमर्थ पाते थे। वास्तविकता यह है कि कला को आँकड़े के लिए उनके मूल्य ही भिन्न थे। वे मूल्य क्या थे?

गांधीजी ने कहा है, “उदाहरण के लिए, मैं उस कला को महान् नहीं मानता हूँ जिसकी प्रशसा करने के लिए उसकी शैली के विनिष्ठ ज्ञान की आवश्यकता पड़ती हो। जिस प्रकार प्रकृति का सौन्दर्य हरेक के हृदय को लुभा लेता है उसी प्रकार कला को महान् होने के

लिए यह आवश्यक है कि वह सबके हृदय को आकर्षित कर सके। प्रकृति की भाषा को भाँति उसे अपनी व्यजना में सरल और अभिव्यक्ति में प्रत्यक्ष होना चाहिए[†]। गांधीजी को प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं। उनके विचार में तारे भरे आकाश, गमीर सागर या गगनचुबी पर्वत से जो प्रेरणा प्राप्त होती है वह क्या किसी चित्र से प्राप्त हो सकती है? क्या ईश्वर को हस्तकला के सामने मनुष्य की हस्तकला फीकी नहीं पड़ जाती? प्रकृति का शाश्वत सौन्दर्य निश्चय ही गांधीजी को ईश्वर का स्मरण कराता है। प्राकृतिक वस्तुएँ इसीलिए सुदर लगती हैं क्योंकि सत्य जो सृष्टि का केन्द्र है, उनके द्वारा अभिव्यक्त एवं प्रतिबिंबित होता है। दूसरे शब्दों में, गांधीजी का विश्वास है कि कला को उच्चतम सत्य के बोध का साधन होना चाहिए।

सभी कलाओं में सगीत-कला गांधीजी को विशेष प्रभावित करती है। वह सगीत की व्यनि की अपेक्षा उसके सार को अधिक महत्त्व देते हैं। उनके विचार में कोई भी कला, चाहे वह सगीत हो या मूर्तिकला, उसे नैतिक होना चाहिए।

गांधीजी एक कलाकार में सर्वप्रथम चरित्र की पवित्रता को अनिवार्य मानते हैं। उनके विचार में जिसने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर दी है वह महान् कलाकार नहीं हो सकता। गांधीजी रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव रखते थे। इसका प्राथमिक कारण यही है कि अपनी अतुलनीय काव्य-प्रतिभा और कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ रवीन्द्रनाथ ने अपने जीवन में, उच्चतम अश में सतो की भाँति चारित्रिक पवित्रता का उदाहरण उपस्थित किया।

गांधीजी के विचार में सत्य से पृथक् कोई सौदर्य नहीं है। 'सत्य सुदर है और सुदर सत्य,' इस कथन के प्रथम भाग का वह हृदय से पूर्ण समर्थन करते हैं, अर्थात् सत्य सुदर होता है, परतु द्वितीय भाग—सुदर सत्य है—का नहीं। उनका कहना है, "मैं सत्य में और सत्य के माध्यम से सौदर्य का दर्शन करता हूँ। सभी सत्य अत्यत सुदर होते हैं—जब कभी मनुष्य सत्य में सौदर्य को देखना आरम्भ करता है तभी सच्ची कला का जन्म होता है।"[‡] इस प्रकार गांधीजी ने भारतीय कला के प्राचीन आदर्श का ही समर्थन किया है। इस आदर्श की आज की कला में उपेक्षा दिखायी पड़ती है।

तथ्य यह है कि जिस प्रकार भारतीय सगीत और पश्चिमी सगीत में अंतर है उसी प्रकार पूर्वी और पश्चिमी कला-विचारों में एक गहरी खाई है। "यूनानी सौदर्य को सौदर्य के लिए मान करते थे और सुदर में न केवल आनंद, वरन् सत्य का भी अनुभव करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौदर्य प्रेमी थे, परतु उनकी कला में सैदैव गमीर तत्व की अभिव्यक्ति

[†] Dilip Kumar Roy, 'Among the Great,' p. 76

[‡] 'Young India,' Nov. 13, 1924

निहित रहती थी। उनकी कला में परम सत्य के दर्शन की भलक रहती थी।”† अत भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कला का उद्देश्य केवल आनंद की प्राप्ति नहीं है, वरन् आत्मशुद्धि अथवा भावात्मक परिष्कार है। सच्ची कला व्यक्ति की सभी अपवित्रताओं का निराकरण करके उसकी आत्मा को शुद्ध कर देती है। गांधीजी के विचार में, महान कलाकार वह है जो ‘सुदरतम जीवन’ व्यतीत करता है। ‘सुदरतम जीवन’ का शर्य है अत्यधिक सचाईपूर्ण, अधिक शुद्ध, प्रेम से आच्छादित और सेवा-भाव से पूर्ण जीवन। सुदर जीवन उसी का है जिसके विचार, शब्द और कार्य में सामजस्य है, यहीं सामजस्य जीवन को एक समत्व प्रदान करता है, उसे एक कलाकृति बनाता है। गांधीजी के विचार में तपस्यापूर्ण जीवन ही जीवन की सबसे उच्चतम कला है। उन्हीं के शब्दों में, “कला क्या है? सरलता अथवा सादगी में सौदर्य का अनुभव ही कला है। तपस्या क्या है? आडबर और कृतिमतारहित दैनिक जीवन में सरल सौदर्य की उच्चतम अभिव्यक्ति ही तपस्या है। यहीं कारण है कि मैं सदैव कहता हूँ, कि एक सच्चा सन्यासी न केवल कला का अभ्यास करता है, वरन् कलामय जीवन जीता है।”‡ यहीं भारतीय आध्यात्मिक सस्कृति का महानतम् आदर्श है, जिसकी उपलब्धि के लिए प्रत्येक को प्रयत्नशील होना चाहिए।

स्त्री-शिक्षा

स्त्रियों की दशा देखकर गांधीजी बहुत दुखी थे। सामाजिक रीति-रिवाजों, अर्थिक पराधीनता, पर्दा-प्रथा आदि के कारण हमारे देश की स्त्रियों का व्यक्तित्व नष्ट हो चुका था। बाल-विवाह की प्रथा के कारण वे शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति के चेत्र में पिछड़ी हुई और सभी दृष्टिकोणों से पराधीन थी। पुरुष पर आधित होने के कारण उन्हें अबला कहा जाता था। उनका विचार था कि हमारा देश भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उस समय तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक कि स्त्रियाँ पराधीन हैं। वह स्त्रियों को स्वावलंबिनी बनाना चाहते थे। अर्हिसा, आत्मशक्ति और चरित्र-निर्माण द्वारा उन्हें साहसी बनाना चाहते थे। गांधीजी स्त्री को केवल अर्द्धाग्निनी नहीं, वरन् माता के रूप में, मानव-निर्माता के रूप में परमात्मा की श्रेष्ठतम सृष्टि स्वीकार करते थे।

गांधीजी ने अपने प्रवचनों एवं लेखों में नारी जीवन से सबधित अनेक प्रश्नों पर विचार प्रकट किये हैं जिनसे नारियाँ दुख और सकट के समय में सीख ले सकती हैं। उनका विश्वास है कि प्राचीन काल की भाँति आज भी हमारे देश में सीता, दमयंती और द्रौपदी जैसी शुद्ध-हृदय और आत्मानुशासिका स्त्रियाँ हो सकती हैं जो समाज में गौरवास्पद स्थान ग्रहण कर सकें। गांधीजी का विचार था कि हमारा देश भौतिक,

† Jawahar Lal Nehru, ‘The Discovery of India,’ p. 169

‡ Dilip Kumar Roy, ‘Among the Great,’ p. 75

नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि यहाँ की स्त्रियाँ शिक्षित न होगी। अत स्त्रियों में नूतन शक्ति का सचार करने के लिए उन्होंने शिक्षा को एक अनिवार्य साधन माना।

गांधीजी का कथन है कि सुशिक्षित और विद्युषी स्त्रियाँ समाज-सुधार की अग्रदृष्टिका बन सकती हैं। उन पर केवल नारी-जाति ही नहीं, वरन् पुरुषों के सुधार का भी भार है क्योंकि वही उनकी जननी है। उन्होंने नारी-जाति का आह्वान न केवल अपने ही देश के लिए, वरन् सपूर्ण मानवता की सेवा और उत्थान के लिए किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि स्त्री-शिक्षा का कोई मूल्य नहीं, यदि कन्याएँ विवाह करके पुरुष के लिए गुड़िया बन जायें और समय से पूर्व ही भावी बौनों के पालने में लग जायें। गांधीजी का कहना है कि आवश्यकता-पूर्ति के लिए नौकरी खोजने वाली स्त्रियों से कोई उच्च एवं उपयोगी मतव्य पूरा नहीं हो सकता। उनकी अपेक्षा वे स्त्रियाँ अधिक आदर्श स्थिति में हैं जो देश-भक्त हैं और अपने ग्रवकाश के समय में उपयोगी कार्य करती हैं। यदि भारत की पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ सेवा की भावना से गाँवों के कार्य करें तो वे देश में, समाज में महत्वपूर्ण, ऋन्तिकारी परिवर्तन कर सकती हैं। गांधीजी का विचार है कि छोटे बालक-बालिकाओं को शिक्षित बनाने का कार्य पुरुष की अपेक्षा स्त्रियाँ, कुमारी की अपेक्षा जो माताएँ हैं वे अधिक सफल और प्रभावपूर्ण ढग से कर सकती हैं। इसके लिए उनको प्रारम्भिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वह स्त्रियों को उनकी विभिन्न ज्ञानाओं एवं उनकी जीवन-सबधी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना चाहते हैं। वह बालक और बालिकाओं की शिक्षा में अधिक भेद नहीं करते हैं।

सहशिक्षा—सहशिक्षा के सबध में गांधीजी के विचार मौलिक और अखंडिवादी है। इस विषय में उन्हें निश्चय नहीं है कि भारत में सहशिक्षा सफल होगी या नहीं। सहशिक्षा पर प्रयोग भी उन्होंने स्वयं किया जब कि उन्होंने एक ही बरामदे में बिना किसी पर्दे के बालक और बालिकाओं को साथ सोने दिया। गांधीजी और कस्तुरबा स्वयं बालक-बालिकाओं के साथ सोते थे। उनके इस प्रयोग का परिणाम अवाञ्छित हुआ और उन्होंने इसे बद कर दिया। एक प्रश्नकर्ता ने गांधीजी से पूछा कि क्या पर्दा करने वाली जातियों में भ्रष्टता नहीं है? गांधीजी ने उत्तर दिया, 'है, किन्तु सहशिक्षा अभी भी प्रयोगावस्था में है और निश्चय रूप से उसके अच्छे या बुरे परिणाम के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यह कार्य हमे परिवारों से शुरू करना होगा। परिवारों में बालक और बालिकाओं को साथ-साथ स्वतंत्र और प्राकृतिक ढग से विकास करने देना चाहिए, फिर सहशिक्षा अपने आप आ जायेगी।'

सहशिक्षा के विषय में गांधीजी ने बड़े ही उदार मन से विचार किया है। उन्होंने आठ वर्ष की आयु तक सहशिक्षा की अनुमति दी है, जिनका कहना है कि यदि सभव हो

तो सोलह वर्ष तक सहशिक्षा दी जा सकती है, परन्तु सहशिक्षा को व्यवस्था को उन्होंने अनिवार्य नहीं माना है।

वर्धा-शिक्षा-योजना

गांधीजी शिक्षा की प्रचलित पद्धति से पूर्णता असतुष्ट थे। उन्होंने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि हमारी शिक्षा किताबों शिक्षा है, वह केवल बुद्धि का प्रशिक्षण करती है। भारत की वर्तमान शिक्षा-योजना अवास्तविक और कृत्रिम है। इसके अनेक दोषों में से मुख्य दोष यह है कि इसका जीवन की परिस्थितियों के साथ घनिष्ठ सबध नहीं है, विभिन्न विषयों में कोई एकसूत्रता नहीं है और न इसमें बातावरण के साथ बुद्धिपूर्वक सक्रिय रूप से अनुकूलता प्राप्त करने की कोई व्यवस्था ही है। यह बालक को अपने देश की संस्कृति से पृथक् रखती है। यह अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व के उन बुनियादी गुणों को विकसित करने में असफल रही है जो भविष्य के लिए उपयोगी नागरिक उत्पन्न करते हैं। इसने हृदय-संस्कार की उपेक्षा की है और बालक-बालिकाओं को शारीरिक श्रम के अध्योग्य बनाया है। उन्हीं के शब्दों में “भारत की वर्तमान शिक्षा-योजना न केवल बेकार है, वरन् निश्चित रूप से हानिप्रद भी है। बहुत से बालक तो मानो अपने माता-पिता के लिए और अपने पारिवारिक पेशों के लिए खो ही जाते हैं। उनमें बुरी आदतें पड़ जाती हैं, वे शहरी ढग अपनाने लगते हैं, कुछ विषयों का भी उन्हें अल्प ज्ञान हो जाता है, पर इसे और जो कुछ भी कहा जाय, यह शिक्षा नहीं है।”

गांधीजी शिक्षा-सिद्धांत की दृष्टि से वर्तमान शिक्षा के दोषों से तो परिचित थे ही, साथ ही व्यवहार की दृष्टि से भी उन्होंने वर्तमान शिक्षा में सुधार आवश्यक समझा। शिक्षा बालक के दैनिक जीवन से सबधित न थी, परिणामत बालकों को इसमें कोई रुचि नहीं थी। वे विद्यालय में जो कुछ सीखते थे उसे विद्यालय छोड़ते ही भूल जाते थे। इससे समय, धन और शक्ति का दुरुपयोग होता था। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का वेतन अत्यत न्यून था और अध्यापन के लिए उनके पास साधन-सामग्रियों का नितात अभाव था। लोगों में भी प्राइमरी शिक्षा के प्रति अस्तोष की भावना फैली हुई थी। अत सन् १९३७ ई० में गांधीजी ने अपने जीवन के मित्र-भिन्न समय पर किये गए शिक्षा-प्रयोगों के आधार पर प्राप्त विचारों को, राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार में लाने के लिए वर्धा-शिक्षा-योजना में निर्यातमक रूप दिया और ‘हरिजन’ में उसे प्रकाशित किया। इस योजना का जन्म वास्तव में उन समस्याओं के समाधान की इच्छा के फलस्वरूप हुआ जो काग्रेस के सम्मुख उस समय उपस्थित हुई थी जब उसने सर्वप्रथम सन् १९३७ ई० में प्रातो का शासन अपने हाथों में लिया था। गांधीजी के सामने, सरकार की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान शिक्षा-पद्धति को उन्नत और सार्वभौम बनाने की समस्या थी। ‘हरिजन’ में योजना के प्रकाशित होने के उपरात, २२, २३ अक्टूबर को

वर्धा मे अपनी ही अध्यक्षता मे होने वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् मे गांधीजी ने अपने उद्घाटन-भाषण मे इस शिक्षा-योजना की मुख्य विशेषताओं को सामने रखा। परिषद् मे योजना पर अधिक समय तक विचार-विमर्श हुआ जिसमे डा० जाकिर हुसैन, प्रो० के० टी० शाह, आचार्य विनोबा भावे, काका कालेलकर, महादेव देसाई आदि प्रसिद्ध शिक्षाविदों ने भाग लिया। परिषद् ने सर्वसम्मति से निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकार किये —

(१) राष्ट्रीय स्तर पर सात वर्ष (७ से १४ वर्ष) तक बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा दी जाय।

(२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

(३) इस काल मे किसी न किसी प्रकार का शारीरिक श्रम और उत्पादक कार्य शिक्षा का केन्द्र होना चाहिए। बालक की अन्य योग्यताओं को केन्द्रीय हस्तकला से सर्वांशत सबद्ध करके विकसित या प्रशिक्षित किया जाय। केन्द्रीय हस्तकला का चुनाव बालक के वातावरण को उचित रूप मे ध्यान मे रखकर किया जाय।

(४) शिक्षा की यह योजना धीरे-धीरे अध्यापक के पारिश्रमिक को पूरा करेगी।

परिषद् ने डा० जाकिर हुसैन के सभापतित्व मे उपर्युक्त प्रस्तावों के अनुरूप एक विस्तृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने २ दिसंबर सन् १९३७ हू० को तथा अप्रैल सन् १९३८ हू० को क्रमशः अपने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। वर्धा-योजना जिस मूल रूप मे प्रस्तुत हुई वह डा० जाकिर हुसैन के प्रथम प्रतिवेदन मे पूरी तरह प्राप्त होती है। मूल रूप मे यह योजना पाँच भागों में विभाजित है —

पहला भाग—योजना के आधारभूत सिद्धान्त, वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था, महात्मा गांधी का नेतृत्व, स्कूलों मे हाथ का काम, योजना मे नागरिकता का आदर्श निहित, आत्मनिर्भर शिक्षा।

दूसरा भाग—व्येय, बुनियादी हस्तकला, मातृभाषा, गणित, समाज की शिक्षा, साधारण विज्ञान, ड्राइग, सगीत और हिंदुस्तानी।

तीसरा भाग—अध्यापकों की ट्रेनिंग का पूरा कोर्स और अध्यापकों की ट्रेनिंग का छोटा कोर्स।

चौथा भाग—(क) निगरानी, (ख) परीक्षा।

पाँचवां भाग—शिक्षा के प्रशासन व सगठन की रूप-रेखा, प्रमुख हस्तकार्य कर्ताई व बुनाई का विस्तृत पाठ्य-क्रम।

वर्धा-योजना की विशेषताएं

गांधीजी कर्मयोग में विश्वास करते थे। व्यक्ति का सपूर्ण जीवन-क्रियाओं अथवा

कर्म पर आधारित है। कर्म को वास्तविक कर्म होने के लिए अज्ञरूप होना चाहिए। उसमें दूसरों के हित की भावना निहित होनी चाहिए। इस सिद्धात को यदि शिक्षा में प्रयोग किया जाय तो यह अर्थ निकलता है कि बालक कर्म द्वारा सीखता है और वह कर्म वैयक्तिक न होकर सामाजिक जीवन से सबधिन होना चाहिए। कर्म ऐसा होना चाहिए जो जीवन की आवश्यकताओं से संबद्ध हो अन्यथा व्यर्थ कर्म करने वाला व्यक्ति समाज पर भारस्वरूप हो जायेगा और इस प्रकार समाज का सगठन शिथिल हो जायेगा। ऐसी शिक्षा सार्थक न होगी। वर्धान्योजना में गांधीजी ने कर्मयोग के इसी सिद्धात को व्याख्यातिक रूप देने का प्रयत्न किया है। अत उन्होंने योजना को किया पर आधारित किया है। उनके विचार में प्रारम्भिक शिक्षा व्यवसाय या हस्तकला-प्रशिक्षण के माध्यम से दी जानी चाहिए। शिक्षा के माध्यम के रूप में जिस हस्तकला को लिया जाय, बालक को उसे बुद्धिपूर्वक क्रियान्वित करना चाहिए।

हस्तकला केन्द्रित शिक्षा—वर्तमान शिक्षा के दोषों को ध्यान में रखते हुए, गांधीजी का कहना है कि, “मैं बालकों की शिक्षा का आरभ उपयोगी हस्तकला की शिक्षा से करता और जिस समय से उनके प्रशिक्षण का आरभ होता उसी समय से उन्हें उत्पादन करने के योग्य बनाता। मेरा विश्वास है कि ऐसी ही शिक्षा-योजनाओं के द्वारा मन और आत्मा का उच्चतम विकास सभव है। प्रत्येक हस्तकला की शिक्षा जूँज की भाँति यात्रिक ढंग से नहीं होनी चाहिए, अर्थात् बालक को जानना चाहिए। प्रत्येक कार्य ‘क्यों’ और ‘किसलिए’ होता है।”† गांधीजी की वर्धान्योजना का यह अनुनारभूत अथवा सारभूत सिद्धात है। वह चाहते थे कि शिक्षा का केन्द्र या आधार ऐसी हस्तकला हो जो शिक्षा की दृष्टि से अनुकूल हो जिसका मनुष्य जीवन के आवश्यक कार्यों और लचियों से स्वाभाविक सबध हो, और जो शिक्षा के पूरे पाठ्यक्रम में लागू की जा सके। गांधीजी के अनुसार विद्यालय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बहुत से विषयों की शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा भी ज़ुड़ी हो, वरन् हमें हस्तकला-प्रशिक्षण को साहित्यिक और बीदिक प्रशिक्षण का साधन बनाना है। यही कारण है कि गांधीजी शैक्षिक दृष्टि से अनुकूल हस्तकला को शिक्षा का केन्द्र बनाना चाहते हैं, ‘जिसके आधार पर पाठ्यक्रम के सभी या अधिक से अधिक विषय पढ़ाए जा सकें।’ विद्यालयों में हस्तकला अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण को स्थान देने से गांधीजी का यह मतव्य नहीं है कि विद्यालयों को कारखाने के रूप में परिणित कर दिया जाय जहाँ बालक उत्पादन-कला में लग जायें या ऐसे कारोंगर बन जायें जों केवल मरीचन की तरह कोम करते हों। गांधीजी, ‘करने द्वारा सीखने’ में विश्वास करते हैं। वह चाहते हैं कि बालक प्रत्येक कार्य का ‘क्यों’ और

† 'Harijan,' July 31, 1937

'किसलिए' शिक्षक द्वारा नहीं, वरन् अपने अनुभव के आधार पर जाने। इससे यह स्पष्ट है कि गांधीजी आवयविक शिक्षा और स्वयं-शिक्षा में आस्था रखते थे। इसके अतिरिक्त वह यह भी चाहते थे कि प्रत्येक विषय के सिखाने में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि सब मिल-जुलकर कार्य करे।

गांधीजी विषयों के सहसबध पर भी बल देते थे। उनके अनुसार प्रदि पाठ्यविषय में एक हस्तकार्य, कठाई-बुनाई आदि को बढ़ा दिया जायगा और अन्य विषय पुरानी पद्धति से ही पढ़ाये जायेंगे तो ज्ञान के खड़ खड़ हो जायेंगे, विभिन्न ज्ञान में सहसबध स्थापित न हो सकेगा और योजना का सपूर्ण उद्देश्य भग हो जायेगा। गांधीजी यह स्पष्ट करते हैं कि "क्योंकि हमारा उद्देश्य बालक और बालिकाओं के व्यक्तित्व को व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से पूर्ण रूप से विकसित करना है, अत विद्यालय फैक्टरी या कारखाने में परिणित होने से बचे रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण में जिस मात्रा में बालक और बालिकाओं से व्यावसायिक कुशलता की अपेक्षा की जायगी उसी के बराबर अन्य विषयों में भी कुशल होने की उनसे अपेक्षा की जायगी"।† अत गांधीजी के विचार में व्यवसाय अथवा हस्तकला को केन्द्र मानकर शिक्षा को उसी के चारों ओर घूमना चाहिए और उसी को आधार बनाकर पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए।

वर्तमान शिक्षा-निकाल और व्यवहार में, जो पाश्चात्य जगत् में विकास हुए हैं उनसे, गांधीजी की 'सत्या द्वारा शिक्षा' के आदर्श को समर्थन प्राप्त है। परतु गांधीजी के आदर्श से उनका एक्युत हस्तपूर्ण मतभेद है। पाश्चात्य शिक्षाविद रूसी, पेस्टालाजी और फॉर्मेल ज्ञान प्राप्त करने में बालक की क्रियाशीलता और अनुभव पर बल देते हैं, परतु गांधीजी उनसे इस प्रकार भिन्न है कि ज्ञान प्राप्त करने में वह एक महत्वपूर्ण हस्तकला को निर्धारित करना चाहते हैं जिसके आधार पर बालक में क्रियाशीलता और अनुभव का उदय हो। गांधीजी और उनके समर्थकों का यह दावा है कि हस्तकला-केन्द्रित शिक्षा मनुष्य के पूर्ण चिकास का साधन है और यह बालक की क्रियाशीलता को निरर्थक नष्ट या समाप्त होने से बचाती है। यह बाल-प्रकृति को दृष्टि से भी एक उपयुक्त पद्धति है क्योंकि यह उनको निरे मानसिक ज्ञान के बोझ से बचाती है और शिक्षा स्वयं नीरस होने के दोष से बच जाती है। हस्तकला के द्वारा हाथ और मस्तिष्क की शिक्षा साथ-साथ होती है और बालक केवल छपे हुए अच्छरों को पढ़ना ही नहीं सीखते, वरन् साथ-साथ अपने हाथ और मस्तिष्क के द्वारा कोई लाभदायक काम करना भी सीख जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से हस्तकला सबधी कार्य में जब सब जातियों के बच्चे मिल-जुलकर कार्य करेंगे तो जात-पांत के बच्चे टूट जायेंगे। हाथ का काम करनेवालों और बौद्धिक कार्य करने वालों में एक दूसरे में जो बैर है, जो दोनों के लिए अहितकर है, वह जाता रहेगा। यही पद्धति

एक उपयुक्त साधन है जिसके द्वारा सबके हृदय में शारीरिक श्रम के प्रति सच्चा आदर और सब मनुष्यों में एकता का भाव उत्पन्न होगा। राष्ट्र की आय की दृष्टि से इसके द्वारा शारीरिक श्रम करने वालों में धनार्जन की शक्ति की बढ़ि होगी और वे अपने अवकाश-समय का भी लाभ उठा सकेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से हस्तकला द्वारा प्रशिक्षण वालकों के ज्ञान को ठोस बनायेगा। शिक्षा जीवन से सबधित हो जायेगी और शिक्षा के विभिन्न पहलू एक दूसरे से सहसंबंधित हो जायेंगे।

हस्तकला के माध्यम से मस्तिष्क, हृदय और हाथ को सर्वतोभावेन प्रशिक्षित करने की गांधीजी की प्रणाली, जो वास्तविक परिस्थितियों में बालक को सोहेश्य क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, अपने स्वभाव में डीवी की 'प्रोजेक्ट प्रणाली' के पूर्णतया निकट है। गांधीजी जिस विद्यालय की कल्पना करते हैं वह कार्य करने, प्रयोग करने और यहाँ तक कि खोज अथवा आविष्कार करने का स्थान होगा, रटने, शब्दों से वोफिल निष्क्रिय सूचनाओं को ग्रहण करने का स्थान नहीं। गांधीजी रटने की पढ़ति एवं किलाबी ज्ञान के बहुत विश्वद्वंद्व हैं क्योंकि इनसे बालकों की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास होता है। डीवी की भाँति गांधीजी भी प्रयोगवाद में विश्वाम करते हैं। उनके सभी शिक्षा सिद्धात केवल उनके उर्वर मस्तिष्क के विचार-मात्र नहीं हैं, वरन् वे वास्तविक प्रयोग के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। कार्य के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की यह शिक्षण-पद्धति प्रकृतेवादी और प्रयोजनवादी सिद्धातों पर आधारित है।

शिक्षा आत्मनिर्भर—हस्तकला-केन्द्रित शिक्षा में गांधीजी की योजना की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है हस्तकला का आत्मनिर्भर पक्ष। गांधीजी का विश्वास है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही, हस्तकला शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा के आत्मनिर्भर पक्ष को दो अर्थों में लिया जा सकता है—व्यक्ति के जीवन को भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा और ऐसी शिक्षा जो स्वयं आत्मनिर्भर है। पहले अर्थ में शिक्षा से गांधीजी का तात्पर्य है, 'शिक्षा को बेकारी के विश्वद्वंद्व एक प्रकार से इश्योरेंस होना चाहिए।' दूसरे अर्थ में शिक्षा इसलिए आत्मनिर्भर है कि बालकों के हस्तकला और उत्पादक कार्यों से शिक्षक के वेतन का व्यय पूरा पड़ सकता है। गांधीजी इस विषय में आश्वस्त हैं कि प्रत्येक विद्यालय आत्मनिर्भर हो सकता है, किन्तु शर्त यह है कि इन विद्यालयों में बनी हुई वस्तुओं को राज्य खरीद ले। यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि गांधीजी हस्तकला को यात्रिक ढंग से सीखने के पक्ष में नहीं थे। बालक द्वारा वह 'उत्पादन' के लिए उत्पादन नहीं चाहते थे। वह श्रम को महत्ता प्रदान करते हैं, ईमानदारी के साथ जीविकोपर्जन चाहते हैं और शिक्षा के रूप एवं भाष्यम को बदलना चाहते हैं। उनके लिए पाठशाला में श्रम का महत्त्व केवल आत्म-सहायता या वहाँ के कार्य करने तक सीमित नहीं है। विद्यालय में किये गये श्रम या दूसरे शब्दों में, सीखे जाने वाले व्यवसाय का आर्थिक मूल्य भी होना चाहिए, उनके इस विचार को जाँच डीवी का समर्थन

प्राप्त है। डीवी के अनुसार, “यह आरोप लगाना कि बागवानी, कताई, लकड़ी की चीजें बनाना, धातु की चीजें बनाना, भोजन बनाना आदि विभिन्न क्रियाएँ जो आधारभूत मानव-क्रियाओं को विद्यालयों में प्रवेश कराती हैं, उनका महत्व केवल जीविका के लिए है, यह उनके महत्व को न समझना है। यदि अधिकतर मनुष्यों ने औद्योगिक कार्यों में केवल बुराइयाँ पाई हैं, परन्तु जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए उन्हें सहा है तो दोष उन धरों में नहीं है, वरन् उन परिस्थितियों का है जिनके भीतर उन्हें सम्पादित किया गया है। समकालीन जीवन में आर्थिक तथ्यों (Economic factors) का निरतर बढ़ता हुआ महत्व इसे और आवश्यक बना देता है कि शिक्षा उनके वैज्ञानिक पाठ्य विषय और सामाजिक मूल्य को व्यक्त करे।”^f

आत्मनिर्भर शिक्षा के मूल में गांधीजी के अहिंसा-दर्शन की स्थिति है। भारत इतना धनी देश नहीं है कि वह अमेरिका और इंग्लैण्ड की भाँति शिक्षा पर करोड़ों रुपया व्यय कर सके। अमेरिका और इंग्लैण्ड ने शोषण द्वारा धन-संग्रह किया है। हम भारतीय, शोषण की बात सोच भी नहीं सकते हैं, अत इमारे पास आत्मनिर्भर शिक्षा योजना ही एक मार्ग है। यही एकमात्र और सर्वाधिक प्रभावकारी साधन है जिसके द्वारा हम अहिंसात्मक व्यवस्था और शातिरूप सामाजिक क्रांति कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम आध्यात्मिक समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ आज के समाज की भाँति व्यक्ति एक दूसरे से होड़ नहीं करेगा, जहाँ व्यक्ति एक दूसरे को लूटेगा या दबायेगा नहीं, वरन् सब मिलकर काम करेंगे। गांधीजी का कहना है कि पाश्चात्य योजना की तुलना में, भारतीय शिक्षा योजना कुछ बातों में उससे बिल्कुल भिन्न होगी क्योंकि भारत के जीवन का मार्ग ही भिन्न है। भारत में हर प्रकार की स्वतंत्रता-प्राप्ति का मार्ग अहिंसात्मक रहा है, यही कारण है कि शिक्षा द्वारा बालकों को यह सिखाने की आवश्यकता है कि अहिंसा का मार्ग हिंसा के मार्ग से अच्छा है।

नागरिकता का आदर्श—गांधीजी इस बात पर बल देते हैं कि अध्यापकगण जिन पर इस योजना को चलाने का भार है उन्हें नागरिकता के उस आदर्श को भली-भाँति समझ लेना चाहिए जिस पर यह योजना आधारित है। नए भारत की कल्पना करते हुए जिसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सभ्य जीवन में प्रजातन्त्र की भावना का दिनों दिन विकास होगा, गांधीजी चाहते हैं कि बालकों को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए कि वे अपने देश की समस्याओं पर विचार करें और अपने कर्तव्य एवं अधिकार को समझें। बालकों को समाज के प्रति अपने कर्तव्य को किसी लाभदायक सेवा द्वारा पूरा करना चाहिए। वह शिक्षा, जो निकम्मे बालकों का निर्माण करती है चाहे वे श्रमीर हो या गर्मीब, हेय हैं। ऐसी शिक्षा समाज की श्रम करने और उत्पादन करने की शक्ति को चाहती ही नहीं पहुँचाती, बल्कि लोगों के विचार और आदतों को भी बिगड़ती है। हस्त-

^f ‘Democracy and Education’, pp. 234, 235

कला-केन्द्रित शिक्षा बालक को कर्मठ एवं क्रियाशील बनायेगी, बालक को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखायेगी। इससे बालक को अपनी महत्वा का पता लगेगा और बालक में अपने को उन्नत करने की भावना का सचार होगा।

गांधीजी का कहना है कि भलीभाँति चुना हुआ हस्तकला-विषय जहाँ ज्ञान को पूर्ण बनाता है वहाँ विद्यालय और जातीय जीवन में आवश्यक सबध भी स्थापित करता है। उनके अनुसार बालक को सभी प्रकार की हस्तकला की शिक्षा, उसके सामाजिक छवि भौतिक वातावरण-सबधी जीवन की ठोस परिस्थितियों के माध्यम से दी जानी चाहिए ताकि बालक जो कुछ भी सीखता है वह उसकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के साथ आत्म-सात होता जाय। गांधी जी कहते हैं कि हस्तकला-केन्द्रित शिक्षा के कार्यक्रम में बालक सक्रियतापूर्वक ज्ञानार्जन करता है, और अपने सामाजिक वातावरण के समझने और उस पर भली प्रकार नियन्त्रण प्राप्त करने में उस ज्ञान का उपयोग करता है। इस सबध में महत्वपूर्ण बात यह है कि बालक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है। यह योजना सहकारी क्रिया-कलापों का पच्च लेती है और इस प्रकार सामाजिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है जिससे सामाजिक कार्यकुशलता आती है। सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादन-कार्य जिसे अन्य बालकों के मधुर सहयोग से पूरा किया जाता है, बालक के मन में सामाजिक सेवा की महत्वा और व्यक्तिगत कार्यकुशलता की भावना भरता है। यह बालक के कोमल मन में सहयोग की भावना को प्रबल और स्थायी बनाता है। उसे इस बात की चेतना होती है कि उसने अपनी थोड़ी-सी देव दूसरों के कल्याण के लिए दी है। इस प्रकार उसकी सामाजिक चेतना जागृत होती है, दूसरे शब्दों में उसकी चेतना का समाजीकरण होता है।

पाठ्यक्रम

बेसिक शिक्षा-प्रणाली का पाठ्यक्रम ७ वर्ष का होगा। यह ७ से १४ वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए निर्धारित किया गया है। पाँचवीं कक्षा तक सह-शिक्षा का आयोजन किया गया है। इसके उपरात यद्यपि बालक और बलिकाओं के लिए पाठ्यक्रम समान है फिर भी बालिकाओं के लिए सामाज्य-विज्ञान के स्थान पर गृह-विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की जायगी। पाठ्य-क्रम की रूपरेखा निम्न प्रकार है :—

(१) साधार हस्त-क्रोशल । यह हस्तकौशल इस दृष्टिकोण से चुना जाना चाहिए कि पूरी शिक्षा प्राप्त करने पर भविष्य में वह बालक के जीवन-व्यापन का साधन हो सके, जैसे—(क) कर्ताई-बुनाई, (ख) बढ़ी-गीरी, (ग) खेती, (घ) फल तथा वनस्पति की उचाल कला, (ड) चमड़े का काम, (च) भौगोलिक तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य हस्तकला ।

(२) मातृ-भाषा सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। सात साल के पाठ्यक्रम के अध्ययन के उपरात निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति होनी चाहिए—
 (क) मातृभाषा पर बालक को इतना अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह इसके माध्यम से अपने जीवन में नियन्त्रण में आनेवाली वस्तुओं के बारे में मौखिक और लिखित रूप से अपने विचार प्रकट कर सके। (ख) वह दैनिक समाचार-पत्र व मासिक पत्रों को सरलता से पढ़ व समझ सके। (ग) वह गद्य और पद्य को ध्यान से पढ़कर, उनसे आनंद-लाभ कर सके। (घ) वह शब्दकोष, किंताओं की/विषय-सूचिका (Index), सदर्भ पुस्तकों का उपयोग करना जान ले और अपने ज्ञान की वृद्धि तथा आनंद की प्राप्ति के लिए पुस्तकालयों को काम में ला सके। (इ) वह स्पष्ट ढंग से, ठीक-ठीक, और साथ ही तीव्र गति से रात-दिन की घटनाओं का वर्णन लिख सके। (च) वह अपनी निज की व कारो-बार की चिट्ठी-पत्रों लिख सके। (छ) वह उच्च कोटि के लेखकों और कवियों की रचनाओं को पढ़ और समझ सके।

(३) गणित . इसका उद्देश्य बालकों को अपने जीवन के धर्घे—चाहे वे घरेलू हो या सामाजिक—से संबंधित हिसाब-किताब करने योग्य बनाना है। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए, सादा जोड़, गुणा, भाग, दशमलव, त्रैराशिक, व्याज, चेत्रफल, अमली ज्यामिति आदि का ज्ञान पर्याप्त है। गणित के विविध प्रक्रमों को साधार हस्तकौशल सीखते समय उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से भी संबंधित होना चाहिए।

(४) समाज का ज्ञान . इसके उद्देश्य हैं—(१) सामान्यत मनुष्यमात्र की उन्नति और विशेषकर भारत की प्रगति की ओर उच्च उत्पन्न करना, (२) बालक को इस योग्य बनाना कि वह अपने समाज की ओर भोगोलिक परिस्थिति को समझ सके और उसमें सुधार कर सके, (३) देश के प्रति प्रेम जागृत करना, बालक अपने देश के अतीत का आदर करे और प्रेम एव सचाईपूर्वक सब से मिलकर देश की भलाई कर सके, (४) नागरिक के कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान प्राप्त कर सके, (५) वह विश्वासी मित्र और पड़ोसी बन सके, (६) सुसार के सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न कर सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का ज्ञान निम्नाकित विधि से दिया जाना चाहिये —

१ छोटी कक्षाओं में बालकों को विश्व का मानचित्र दिखाना चाहिए और उन्हे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ायी जानी चाहिए। उच्च कक्षाओं में सामाजिक, सास्कृतिक उथल-पुथल एव प्रगति का अध्ययन कराना चाहिए। इतिहास की शिक्षा इस प्रकार न दी जानी चाहिए कि बालक अपने अतीत के गौरव पर फूल कर अपनी जाति पर धमड़ करने लगे और फलस्वरूप दूसरी जाति के लोगों को अपने से निम्न समझे। राष्ट्रीय त्योहार और सप्ताह मनाना प्रत्येक पाठशाला के कार्यों का एक आवश्यक अंग होना चाहिए।

२ बालकों को पचायत, जिला-परिषद्, नगरपालिका आदि सार्वजनिक संस्थाओं का ज्ञान कराया जाना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि मत (Vote) क्या है और उसका उपयोग कैसे किया जाना है। राज्य-सभाओं से लाभ और उनकी प्रगति पर प्रकाश डालना चाहिए। इन बातों का ज्ञान केवल मौखिक रूप से नहीं, बरन् जीवन की वास्तविक घटनाओं से सब्दित होना चाहिए। भूगोल पढ़ाते समय बालकों को विश्व के मानवित्र में भारत की स्थिति तथा अन्य देशों से उसका सबध बताया जाना चाहिए। इसमें निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिए —

(क) भारत और अन्य देशों के पौधों, पशुओं और मनुष्यों का वर्णन और जलवायु का प्रभाव,

(ख) मौसम का हाल समझना और समझना, (यह बाहर का काम है, जैसे सूर्य को देखकर प्रत्येक मौसम में उसकी ऊँचाई का पता लगाना, हवा की शिशा बतानेवाले यत्र से हवा की दिशा मालूम करना, थर्मोमीटर और वैरोमीटर से हवा का उष्णता और चाप को मालूम करना, उसको लिखने और बताने के ढंग, वर्षा का हिसाब रखना आदि)

(ग) मानवित्र देखने और बनाने की ज्ञानता बालकों में आनी चाहिए।

(घ) आनेजाने और सवाद-वाहन के साधनों का ज्ञान तथा उनका जीवन और कारो-बार से सबध जानना चाहिए।

(ड) स्थानीय पेशों, खेती और उद्योग का हाल ज्ञात होने के साथ-साथ भारत के बड़े-बड़े उद्योग-धधों का भी ज्ञान होना चाहिए।

(५) साधारण विज्ञान—इसके उद्देश्य है—१ बालक को इस योग्य बनाना कि वह अपने आस-पास के जगत् को समझ सके। २ वह ठीक-ठीक वस्तुओं का निरूपण कर सके और उन्हे अनुभव द्वारा जाँचे। ३ वह वैज्ञानिक सिद्धातों को समझ सके, ४ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के जीवन-चरित्र को जाने और समझे कि उन्होंने ज्ञान की वृद्धि के लिए कितना बलिदान किया है।

पाठ्य-क्रम में विज्ञान के निम्नलिखित विषय सम्मिलित होने चाहिए —

१. प्रकृति-निरीक्षण वनस्पति, पक्षी और चौपायों का ज्ञान और विशेष ऋतु में होने वाली खेती का ज्ञान,

२ वनस्पति-शास्त्र पौधों के अग्रभेद, उनका उगना, बढ़ना और फैलना। विद्यालय की फुलवारी एवं उपवन में तथा आसपास के खेतों में काम कर, कर बच्चों को यह समझना कि तरी, गरमी और प्रकाश की भिन्न दशाओं का और भिन्न प्रकार के बीज और खाद का क्या प्रभाव पड़ता है।

३ पशु-विज्ञान कुछ विशेष प्रकार के कीड़े-मकोड़ों, चौपायों और पशुओं के के बारे में यह जानना कि इनमें से कौन से मनुष्य के सित्र वैकौन से शत्रु हैं।

४ शरीर-विज्ञान मनुष्य का शरीर, उसके अग और उनके कार्य ।
 ५ स्वास्थ्य-शिक्षा तथा रसायन-शास्त्र (अ) आँख, नाक, कान आदि की स्वच्छता, (आ) घर और गाँव की सफाई, (इ) छुश्चाष्टू के रोग और उनसे बचने के उपाय तथा (ई) व्यायाम, खेल, कसरत, ड्रिल आदि से स्वास्थ्य की वृद्धि होती है । (उ) रसायन-शास्त्र जल, वायु, नमक, खार, तेजाब क्या है और कैसे बनते हैं । (ऊ) तारो का ज्ञान जिससे रात को मार्ग पहचान सकें (ए) वैज्ञानिकों और नये देश हूँडने वालों की कहानियाँ ।

(६) कला (ड्राहग) इसके उद्देश्य है—(१) आँखों को आकृति और रंग पहचानने और रंगभेद करने का अभ्यास, (२) आकृतियों को याद रखने का अभ्यास, (३) प्रकृति और कला की सुंदर वस्तुओं को जानना, और उनसे आनंद उठाना, (४) वस्तुओं की सुंदर आकृति सोचना और सजावट का काम, (५) दस्तकारी में जो वस्तुएँ बनानी हो उनका चित्रण । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बालक देखकर एवं सोचकर आकृतियाँ बनायें ।

(७) संगीत इसका उद्देश्य है कि बच्चे अच्छे, सुंदर गीत कठस्थ करें और लय तथा ताल के साथ गा सकें । सामूहिक गान पर विशेष बल दिया जाय ।

(८) हिंदुस्तानी इसको पढ़ाने का उद्देश्य है कि बालक सब प्रातों के साथ एक भाषा में सबध रख सके और एक दूसरे के विचारों को जान सकें ।

इस योजना में अंग्रेजी भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है । इसके स्थान पर हिंदुस्तानी भाषा पढ़ायी जायेगी । विभिन्न प्रातों में प्रमुख भाषा के रूप में वहाँ की प्रादेशिक भाषा सिखायी जायेगी । गांधीजी के मत में यह पाठ्य-क्रम अंग्रेजी को छोड़कर प्रचलित हाई स्कूल के बराबर होगा । धार्मिक शिक्षा को वर्धायोजना के पाठ्य-क्रम में स्थान नहीं दिया गया है । उन्हीं के शब्दों में, ‘हमने वर्धायोजना में से धर्म का बहिष्कार कर दिया है क्योंकि हमे भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है श्रथवा जिनका पालन करना होता है वे मेल के स्थान पर भलाडे उत्पन्न कराते हैं । साथ ही मेरा विश्वास है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा अवश्य देनी चाहिए जिसमें सभी प्रमुख धर्मों का सार निहित हो । यह धर्म-सार केवल शब्दों और पुस्तकों से नहीं पढ़ाया जा सकता, इसे तो बालक केवल शिक्षक की दैनिक जीवनचर्या से ही सीख सकता है ।’ गांधीजी बालकों को स्वावलबन के धर्म का पाठ सिखाना चाहते थे ।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

वैसिक शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक एक मध्य-बिंदु है । शिक्षक के व्यक्तित्व पर ही योजना की सफलता निर्भर है, अतः इसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है । प्रशिक्षण का पाठ्य-क्रम दो प्रकार का है,

दीर्घकालीन प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम (तीन वर्ष का)

(१) कपास का बौना, चुनना, धुनना, चर्खे का ज्ञान , विभिन्न प्रकार के मिस्ट्री के काम ।

(२) बुनियादी उद्योगों में से कोई एक उद्योग सीखना ।

(३) साधारण हस्तकला की शिक्षा देना सीखना जिससे कुछ उत्पन्न हो । इसके लिए एक रूप रेखा बना लेनी चाहिए जैसे, पाठशाला का समाज से सबध , बच्चों की तबियत के ज्ञान का एक सादा मानचित्र जो अनुभव और घटनाओं पर आधारित हो, वह सिद्धात जिनके आधार पर मनुष्य काम सीखता है, आदि ।

(४) शरीर-विज्ञान स्वास्थ्य एव स्वच्छता का ज्ञान होना ।

(५) जो कुछ समाज-मवधी ज्ञान साधारण शिक्षा में पढ़ाया गया हो उसकी पुनरावृत्ति करना और उससे आगे पढ़ाना , पिछले पचास वर्ष के अदर भारत और विश्व के अन्य भागों का हाल जानना ।

(६) मातृभाषा का ज्ञान ।

(७) हिंदी का ज्ञान—भारत के प्रत्येक भाग में फारसी और नागरी दोनों पत्रों को पढ़ना ।

(८) श्यामपट पर लिखना और चित्र बनाना ।

(९) शारीरिक व्यायाम और खेल ।

(१०) प्रशिक्षण विद्यालय से सबधित स्कूल में पढ़ाना ।

अल्पकालीन प्रशिक्षण का पाठ्य-क्रम (एक वर्ष का)

(१) धुनाई और तकली की कराई ।

(२) कोई एक हस्तकला जो समाज की दृष्टि से लाभदायक हो ।

(३) शरीर-विज्ञान ।

(४) हस्तकला और समाज के जीवन से उसके सबध का बुनियादी विचार । (थोड़ा इतिहास, भूगोल) ।

(५) सब विषयों को हस्तकला के द्वारा पढ़ाने के सरल मानचित्र सोचना ।

(६) अध्यापकों के निरीक्षण में कम-से-कम २५ पाठ पढ़ाना ।

प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवार को कम-से-कम हर्ई स्कूल होना चाहिए या वर्नाकूलर फाइनल मिडिल पास होने के बाद दो वर्ष के अध्यापन का अनुभव होना चाहिए । एक वर्ष का पाठ्यक्रम योजना को शीघ्र-से-शीघ्र संचालित करने के लिए रखा गया है ।

पाठन की समय-सारणी

विषय	निश्चित समय
केन्द्रीय हस्तकला	३ घटे, २० मिनट
सर्गीत, वित्रकला, गणित	४० मिनट
मातृभाषा	४० मिनट
सामाजिक अध्ययन और समाज-विज्ञान	३० मिनट
शारीरिक प्रशिक्षण	१० मिनट
मध्यावकाश	१० मिनट
	<hr/>
	५ घटे, ३० मिनट

वर्धा-शिक्षा-योजना पर एक आलोचनात्मक दृष्टि†

वर्धा शिक्षा-योजना के सबव भी मे विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका है। गांधी जी की अध्यक्षता मे वर्धा मे जो अधिवेशन हुआ था, उसमे चार मुख्य सिद्धात स्वीकृत हुए थे, उन्हीं को विस्तृत रूप देने के लिए 'जाकिर हुसैन समिति' ने जब अपना प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तब योजना पर विभिन्न दृष्टिकोणों से कड़ी आलोचनाएँ की गयी। इन आलोचनाओं का आधिकारिक रूप से उत्तर दिया गया। तत्पश्चात् समिति ने दूसरा प्रतिवेदन प्रकाशित किया। समिति जब विस्तृत कार्यक्रम बनाने वैठी तब उसने स्वावलम्बन सबधी नियमों का बधन सरल कर दिया, हस्तकला को केवल ज्ञानार्जन का साधन स्वीकार किया और जैसा पहले कहा जा चुका है कताई-बुनाई के अतिरिक्त अन्य हस्त-कलाओं को भी पाठ्यक्रम मे सम्मिलित किया। सूत्ररूप में योजना की विशेषताएँ इस प्रकार हैं —

- (१) हस्तकौशल-केन्द्रीयता,
- (२) आत्मनिर्भरता,
- (३) मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, तथा
- (४) उच्च शिक्षा के प्रति अवज्ञा।

यहाँ यह घ्यान रखना चाहिए कि गांधीजी की अध्यक्षता मे जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमे भाग लेने वाले सदस्य सभी सूत्रों पर सहमत नहीं थे। सभी ने आत्म-निर्भरता के विचार का विरोध किया। उनमें से अधिक लोगों ने चौथे सूत्र का खड़न किया कि राज्य अपने को उच्च शिक्षा के प्रति उत्तरदायी न समझे। केवल तीसरे सूत्र —

† P S Naidu The Wardha Scheme A Psychological Analysis, 'The Visva-Bharati Quarterly,' May-Oct 1947, pp. 60-67, के आधार पर।

मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा—का सबने एक मत होकर समर्थन किया, किन्तु अत में चारों सूत्र स्वीकार किये गये और दोनों प्रतिवेदन प्रकाशित हुए। इन दोनों प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए योजना पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करना आवश्यक है —

बालमनोविज्ञान की उपेक्षा—योजना बालमनोविज्ञान के सिद्धातों पर आधारित नहीं है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा प्रयुक्त मनोविज्ञान (*Applied Psychology*) की एक शाखा है। राष्ट्रीय स्तर पर, बिना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान (*Experimental Psychology*) के ठोस प्रशिक्षण की सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा की योजना बनाना ऐसा ही है जैसे बिजली के तत्त्वों और इंजिनियरिंग के ज्ञान के बिना प्रसार-केन्द्र (*Broadcasting Station*) की योजना बनाना। यह आश्चर्यजनक बात है कि वर्धी-योजना में अध्यापकों के प्रशिक्षण का जो कार्य है, उसमें बालमनोविज्ञान का कही नाम नहीं है। योजना में किसी स्थान में भी बालमनोविज्ञान के महत्व को स्वीकार करने का प्रमाण नहीं मिलता। उसमें बालक के कोमल मन-सबवी सिद्धातों की पृष्ठे रूप से अवहेलना की गयी है। बालक को एक पुलिसमैन या सिपाही के रूप में अर्थात् एक ही समजातीय समूह का एक अग्र समझा गया है, उसके बहुमूल्य व्यक्तित्व की उपेक्षा की गयी है। बालक को कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन-मात्र माना गया है और वे उद्देश्य हैं—जीविका कमाने की चमता तथा विशेष प्रकार की नागरिकता। योजना में यह भी स्वीकार नहीं किया गया है कि जीविकोपार्जक यन्त्र बनने के पूर्व बालक को मानव होने या मानव की भाँति विकसित होने का भी अधिकार है। यदि बेबस बालकों के आधारभूत अधिकारों को मान्यता प्रदान की गयी होती तो यह शिक्षा-योजना हस्तकौशल केन्द्रित न होकर खेल-केन्द्रित अथवा बाल-केन्द्रित होती। अत इस योजना की तुलना उन शिक्षा-विदों की पद्धतियों से करना ठीक न होगा जो बालप्रेमी थे और बालकों को शिक्षा-पद्धतियों के कृत्रिम बदनों से मुक्ति दिलाना चाहते थे।

बाल-केन्द्रित शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है कि वे अध्यापक, जिन्हे बालकों के सपर्क में आना है, बालमनोविज्ञान में पूर्णतया शिक्षित हो। बाल-केन्द्रित शिक्षा वही है जिसमें बालक की व्यक्तिगत योग्यता को परीक्षण द्वारा समझकर, उसे ठोस मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा भली-भाँति विकसित किया जाता है। प्रत्येक बालक की योग्यता की भाष के लिए उसकी सामान्य बुद्धि और योग्यता की जाँच की जाती है। ऐसी शिक्षा में, हस्तकला को (यदि हस्तकला सिखानी ही है तो) मनोवैज्ञानिक जाँच के उपरान्त ही, बालक की योग्यता के सदर्भ में चुनना होता है, और इस हस्तकला को भी उसके खेल का एक साधन होना चाहिए, पैसे कमाने का धर्म नहीं। बाल-केन्द्रित शिक्षा वही है जिसमें अतिसामान्य या तेज़ और पिछड़े हुए बालक अपनी योग्यता के अनुसार विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करें, जिसमें बालक की अतिशय गतिशील शक्ति का विभिन्न मार्गों में निर्देशन किया जाये और विभिन्न प्रकार के खेलों के आयोजन द्वारा उसे थकान का अनुभव न होने दिया जाय। वर्ष-

शिक्षा-योजना बाल-केन्द्रित शिक्षा की इन मान्यताओं को पूरा नहीं करती है, अत उसे बाल-केन्द्रित शिक्षा नहीं कहा जा सकता है।

वर्धा समय-सारणी से भी मनोवैज्ञानिक सिद्धातों की उपेक्षा का पता चलता है। यदि मानसिक और शारीरिक थकावट के नियमों का भी ध्यान रखा गया होता, तो भी साढ़े तीन घटे प्रतिदिन हस्तकला के एक तारतम्य में चलने वाले काम में बालक को लगाने का सुझाव न दिया गया होता।

उत्पादक कार्य बनाम सृजनात्मक कार्य—वर्धा-शिक्षा-योजना के विरुद्ध दूसरी आपत्ति यह है कि इसका सपूर्ण कार्यक्रम इसके विभिन्न पहलुओं से सबधित अभ्रात्मक निचारों के कारण दोषपूर्ण हो गया है। सबसे बड़ा अभ्र, ‘उत्पादक कार्य’ के सबध में है। वर्धा-योजना के प्रयोग कर्त्ताओं ने ‘उत्पादक कार्य’ की जो परिभाषा की है उसे बाल-मन को मुक्त करने वालों ने ‘सृजनात्मक कार्य’ के सर्वथा प्रतिकूल माना है। प्रथम प्रकार के कार्य का सबध यात्रिक हस्तकला से है और दूसरे प्रकार के कार्य का सबध सौदर्य-शास्त्रीय कला (Aesthetic art) से। प्रथम कोटि के कार्य यात्रिक मनोवृत्ति उत्पन्न करेंगे तथा दूसरी कोटि के स्वतत्र सौदर्य-शास्त्रीय मनोवृत्ति। व्यक्तित्व का दमन, घोर आत्म-हनन, नीरसता, थकावट उत्पन्न करना आदि प्रथम प्रकार के कार्य की विशेषताएँ हैं। व्यक्तित्व का स्वतत्र प्रकाशन, रचनात्मक एवं आविष्कारिणी शक्ति की मुक्ति, बिना किसी भय के प्रयोग करने की स्वतत्रता, प्रकृति के अनुकूल चरित्र का निर्माण सृजनात्मक कार्य की विशेषताएँ हैं। खेल ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा सृजनात्मक शक्ति को विकसित किया जा सकता है। सारे सभ्य सासार के शिक्षित वर्ग की यही राय है कि बालकों को बारह वर्ष के पूर्व हस्तकला की शिक्षा न दी जाय। यह बालक के प्रति अत्याचार है कि उसे अपने खेलने और आनंद करने की अवस्था में एक आना या आध आना भी की घटे कमाना पड़े।

वर्धा-प्रतिवेदन इस बात को स्वीकार करता है कि ‘तेरह वर्ष की अवस्था तक बालक बनाना बिगाड़ना चाहते हैं, तोड़ना-फोड़ना और फिर निर्माण करना चाहते हैं। प्रकृति इसी प्रकार उन्हे शिक्षा देती है। बालकों से एक स्थान पर पुस्तक लेकर बैठे रहने के लिए कहना उनके प्रति अत्याचार करना है। यह बात सच है, किन्तु साढ़े तीन घटे तक एक ही स्थान पर बैठ कर चर्खा चलाना क्या बालक के शरीर और मन के प्रति अन्याय करना नहीं है? बालक को इतनी स्वतत्रता मिलनी चाहिए कि वह चर्खा व तकली को विकिष्ट प्रकार से तोड़े फोड़े, बनाये या बिगाड़े। बालक को उत्पादक कार्यों द्वारा प्रति घटा आव आना कमाने के लिए भी बाध्य नहीं करना चाहिए।

हस्तकला और प्रतियोगिता—वर्धा-योजना में, दूसरा अभ्र, उसमि कथित ‘प्रति-योगिता’ से संदर्भित है। योजना के सबसे प्रथम अधिवेशन में ही प्रो०के०टी०शाह ने बताया था कि वर्धा-योजना का परिणाम होगा व्यावसायिक ढग पर कार्य करनेवालों से अनुचित

प्रतियोगिता । एक अनुभवी और महान् वैज्ञानिक प्रो० शाह के इस विचार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इस योजना के कार्यान्वित होने का तात्कालिक परिणाम होगा वर्धा-शिक्षा-के स्नातकों और व्यवसायी शिल्पियों के बीच प्रतिद्वंद्विता । लेकिन एक और प्रकार की प्रतियोगिता की भावना भी इसमें निहित है । जब सभी गांवों के सभी लड़के शिल्पी हो जायेंगे तब मजदूरी कमाने के लिए उनमें आपस में ही प्रतियोगिता होगी—कर्ताई-बुनाई के चेत्र में । जब कातने और बुनने वालों की सख्त बढ़ जायेगी, तब शिल्पित बुनकरों और कातने वालों की वस्तुओं की विक्री में कमी होगी और बेकारी बढ़ेगी ।

यह व्यर्थ की आशा है कि वर्धा-योजना से समाज में वर्गहीनता स्थापित होगी और प्रतिद्वंद्विता समाप्त होगी । हस्तकला में पैसे पर अधिक बल देने का परिणाम होगा मनूष्य में अत्यनिहित सचय की मूल प्रवृत्ति को जागृत करना और बलशाली बनाना । इसी प्रवृत्ति से लालच, स्वार्थपरता, खूबा और असामाजिक भाव उत्पन्न होते हैं । वर्धा-योजना के उद्देश्य और उसकी पूर्ति के साधनों में परस्पर विरोध है । इस विरोध को दूर करने के लिए बड़े ही स्पष्ट विचारों की आवश्यकता है । योजना का उद्देश्य है—ईश्वर से डरने वाले एक वर्गहीन समाज का निर्माण, परतु साधन है—प्रतियोगिता, जिससे अहं की भावना और लालसा की वृद्धि होती है ।

हस्तकला और चरित्र-निर्माण—योजना में तीसरा भ्रम उसके ‘साच्चरता’ और ‘व्यक्तित्व’ सबधी विचारों में सन्तुष्टि है । योजना में सीधे-सादे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की उपेक्षा करके, बिना किसी उत्तरदायित्व की भावना के, अनेक साकेतिक वाक्याश—‘सपूर्ण व्यक्तित्व की साच्चरता’ (शिक्षा), ‘ठोस चरित्र का निर्माण’, ‘हाथों के द्वारा चिंतन’—प्रयोग किये गये हैं । इस बात की सत्यता में तनिक भी सदैह नहीं है कि वर्त्तमान शिक्षा-पद्धति में बालक की सक्रिय और सवेगात्मक प्रकृति की उपेक्षा की गयी है । परतु इसके स्थान पर अन्य पक्षों की उपेक्षा करते हुए केवल सक्रिय पक्ष पर जोर ढेना भी बालक के प्रति कम अन्यायपूर्ण नहीं है ।

(मनोवैज्ञानिक नौसिद्धियों) भी यह जानता है कि मानव-प्रकृति के तीन पक्ष हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक । वर्धा-योजना में केवल अतिम पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है और यह आशा प्रकट की गयी है कि अतिम पक्ष में प्रशिक्षित होकर बालक प्रथम पक्ष में स्वयं दब्ब हो जायेगा । द्वितीय अर्थात् भावात्मक पक्ष की तो पूर्णतया उपेक्षा की गयी है । इसके अतिरिक्त जीवन के उच्चतर मूल्यों की ओर योजना में दृष्टिपात भी नहीं किया गया है । यह मनोवैज्ञानिक अभय है कि एक और तो पूरे व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य हम अपने सम्मुख रखें और दूसरी ओर हम भावात्मक पक्ष की उपेक्षा करें । हस्तकला-केन्द्रित शिक्षा, जिसमें नैतिक और धार्मिक शिक्षण का कोई आयोजन नहीं है, जिसमें जीवन के उच्चतर मूल्यों पर कोई बल नहीं दिया गया है, उत्पादन पर अधिक बल डेकर मनूष्य के पाश्चात्क उद्देशों को ही उत्तेजित करेगी ।

हस्तकला-केन्द्रीयता—योजना मे सबसे बड़ा भ्रम हस्तकला-केन्द्रित उदार शिक्षा के विचार के सम्बन्ध मे है। वर्धा-शिक्षा योजना के सगठनकर्त्ताओं का प्रारंभ मे यह विचार था कि प्राइमरी शिक्षा मे अग्रेजी को छोड़कर मैट्रिक तक के सभी विषय और हस्तकला सम्मिलित होने चाहिए। यह सुझाव स्वीकार करने योग्य और व्यावहारिक है। किन्तु बाद मे यह कहा गया कि सपूर्ण शिक्षा बुनियादी हस्तकला के द्वारा दी जानी चाहिए। यह अमनो-वैज्ञानिक है। सास्कृतिक महत्व के विषय, जो एक विचारित पाठ्यक्रम मे होने चाहिए तथा हस्तकला के बीच स्वाभाविक सर्पक स्थापित करना असभव है। अध्यापन को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसे बालक के अपने वातावरण मे प्राप्त सक्रिय अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। किन्तु केवल एक हस्तकला के माध्यम से ही सपूर्ण ज्ञान प्रदान करना विवेक-शून्य होगा।

समय-सारिणी—वर्धा योजना के अनुसार अध्ययन के लिए जो समय-सारिणी बनायी गयी है उसमे आश्चर्यचकित कर देनेवाली एक नवीनता है जिसकी ओर बहुत से शालोचकों का व्यान नहीं गया है। उसके अनुसार प्रत्येक बालक को प्रतिदिन साढ़े तीन घण्टे हस्तकला-कार्य करना होगा। इतना दोष्ठ समय केवल किसी हस्तकला के अभ्यास मे व्यय नहीं करना है, बरन् हस्तकला की शैक्षिक और सास्कृतिक तमामों का भी वैज्ञानिक ढांग से लाभ उठाना है। सरल शब्दों मे, ज्ञातव्यशिक्षा बालकों को उसी समय दी जायेगी जब वे हस्तकला का कार्य करते होगे। यह समझ मे नहीं आता कि यह कैसे सभव है? यदि बालक बढ़ींगीरी का कार्य कर रहा है तो श्रौजारों की खड़खड़ाहट और दूसरे प्रकार की खटपट के बीच दी गयी शिक्षा को वह कैसे हृदयगम कर सकेगा और शिक्षक भी शिक्षा कैसे दे सकेगा? इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हस्तकला और अध्ययन का कार्य एक समय मे, साथ साथ हो पाना कठिन है। बौद्धिक शिक्षण के लिए कम-से-कम आधा समय पृथक् रखना होगा।

यह रपष्ट है कि वर्धा-योजना केवल तकली के हस्त-कार्य द्वारा सभव है। चर्खे से भी ज्ञान प्राप्त करने मे बाधा पड़ेगी। पर तकली कातते समय भी बालक को अपना व्यान तकली से हटा कर शिक्षक के शब्दों को सुनने मे लगाना पड़ेगा और पुन शिक्षक की ओर से व्यान हल्काहर तकली पर लगाना पड़ेगा। इस प्रकार व्यान को एक ओर से हटाकर दूसरी ओर स्थिर करने मे बालक को कितनी मानसिक थकान होगी? अत मनोविज्ञान का साधारण जानकार व्यक्ति भी इस प्रकार की शिक्षा-योजना के पच मे न होगा।

उच्च शिक्षा का विनाश—इतिहास मे सर्वप्रथम यह आश्चर्यजनक सिद्धात स्वीकार किया गया है कि उच्चतर शिक्षा का राज्य से मुख्य सबवध नहीं होना चाहिए। ससार का प्रत्येक प्रगतिशील देश उच्चतर शिक्षा की रक्षा कर रहा है और यदि हम वर्धा-योजना के चार सिद्धांतों की स्वीकार करें तो फल यह होगा कि हम एक ऐसी नीति स्वीकार करेंगे जिसमें राज्य विश्वविद्यालय की शिक्षा के प्रति उदासीन रहेगा। इस विचार अथवा-नीति

के समर्थक भविष्य में आनेवाले भयंकर परिणाम से अनभिज्ञ है। तथ्य यह है कि ऐसी शिक्षा-पद्धति जो केवल हस्तकला पर बल दे, जिसकी नीव धार्मिक शिक्षा पर आधारित न हो, जिसमें उत्पादन पर जोर दिया जाय और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में दी जाने वाली उच्च शिक्षा का दमन हो, वहाँ इस बात की आशका है कि ऐसी शिक्षा में बालक जैतिक और बौद्धिक दृष्टि से हीन बैने बनेगे जिनको देश में तानाशाही शासन की स्थापना करने के इच्छुक बड़ी ही आसानी से प्रभावित कर सकेंगे। हमारा देश बौद्धिक दृष्टि से दिवालिया हो जायेगा। उदार जनतत्रवादी राज्य से सबधित विचार-स्वातंत्र्य, स्वस्थ बौद्धिक स्वातंत्र्य आदि गुणों को अभ्युक्ति समाप्त हो जायेगी। उदार नेतागिरी अतीत का विषय हो जायेगी। भविष्य की इस शोचनीय दशा की कल्पना करने मात्र से बड़ी व्याकुलता होती है।

राष्ट्रीय प्रतिभा की उपेक्षा—यह कहा जाता है कि वर्धा-योजना की जड हमारी राष्ट्रीय प्रतिभा में है। यह कथन सत्य न ती है। हमारी राष्ट्रीय प्रतिभा की विशेषता हस्तकला में नहीं है। हमारी राष्ट्रीय प्रतिभा की विशेषता त्याग और पारब्रह्म के साक्षात्कार में है। हमारे गुरुकुलों में इच्छाओं के त्याग की शिक्षा दी जाती थी, क्रमशः सप्तार को त्याखने की शिक्षा दी जाती थी। हमारी शिक्षा राष्ट्रीय प्रतिभा के अनुकूल तब होगी जब उसका दृष्टिकोण धार्मिक होगा और जब उसके केन्द्र में सासारिक प्रवृत्तियों के प्रति उपेक्षा का भाव निहित होगा। हस्तकला-केन्द्रित शिक्षा की विचारधारा हमारे प्राचीन आदर्शों के सर्वथा विरुद्ध है।

उपर्युक्त आलोचना के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्धा-शिक्षा-योजना में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रभावों के अतिरिक्त कुछ और अभाव ऐसे अवश्य हैं जिनके कारण हमें उसको राष्ट्रीय शिक्षा-योजना कहने में सकोच होता है। तथ्य यह है कि गांधीजी के जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन में साम्यता है, उनका शिक्षा-दर्शन राष्ट्रीय आदर्शों के सर्वथा अनुकूल है, परंतु उनके शिक्षा-दर्शन और वर्धा-योजना में पूर्ण मात्रा में साम्यता नहीं है।

भारत की विशेषता उसकी आदर्शवादी, प्राव्यात्मिक विचारधारा में है। भारत सदा से आध्यात्मिकता का सदेशवाहक रहा है। उसने जीवन के परम लक्ष्य—मुक्ति की प्राप्ति के लिए विभिन्न योग-साधनों का अनुसंधान किया है। अत किसी भी राष्ट्रीय कहलाने वाली शिक्षा-योजना में उसको आत्मा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा का निर्माण जीवन के अतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय शिक्षादर्शों के आधार पर होना चाहिए। भारतीय विचारधारा के सर्वथा अनुकूल गांधीजी ने 'मुक्ति' को जीवन का लक्ष्य माना और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म-योग का मार्ग अपनाया। कर्म-योग में आस्था-रखने के कारण वह स्वभावत कर्म अथवा किया द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में थे। परन्तु यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 'हस्तकला द्वारा शिक्षा' और 'किया द्वारा शिक्षा'

इन दोनों की कार्य-पद्धति में भिन्नता है। रवीन्द्रनाथ के शिक्षा-दर्शन का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि भारतीय शिक्षा का आदर्श 'विभिन्न क्रियाओं द्वारा पूर्ण रूप से जीना' और 'जीने द्वारा सीखना' (Learning by living) है। अत जीवन के विभिन्न पक्षों—शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आमिक—से सबधित क्रियाओं द्वारा बालक को अपना चहुमुखी विकास करते हुए जीना चाहिए। इसके अतिरिक्त बालक को वास्तविक रूप से जीने के लिए यह अत्यत आवश्यक है कि आरभिक निर्माणकाल में, उसका बाल-मन विशुद्ध, पवित्र, प्राकृतिक, निःस्वार्थ, भ्रातृत्व भावना से पूर्ण, सामाजिक जीवन से सबधित एक आदर्श वातावरण में निर्भित हो। इस प्रकार के वातावरण में जब बालक का मन जीवन के प्रति ठीक दृष्टिकोण निर्धारित करना सीख लेगा तब वह सासार के किसी भी कोने में, किसी भी दशा में कोई भी कार्य करते समय अपने कर्तव्य-पथ से विचलित न होगा और बाहरी सुझावों को अपने मानसिक जगत् में यथोचित दृष्टिकोण से आँक कर ही आश्रय देगा। इसके विपरीत, पूर्व इसके कि बालक की प्रवृत्तियों एव सवेगों का उन्नयन एव दिव्यीकरण हुआ हो, उसने परार्थ का दृष्टिकोण ग्रहण किया हो या उसकी दृष्टि पारमार्थिक बनी हो, हस्तकला या अन्य उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा से बालक की तुच्छ इच्छाओं, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा आदि की भावनाओं के और अधिक प्रबल होने की सभावना है। हस्तकला-केन्द्रित शिक्षा आरभ से ही बालक के वातावरण को एक आर्थिक पुट देगी। अपनी ऐसी मन स्थिति में जब बालक 'स्व' या 'आत्म-प्रेम' की भावना से प्रेरित होता है, हस्तकला-केन्द्रित शिक्षा एक उपयुक्त पद्धति न होगी। यहाँ पर यदि हम भारतीय दृष्टिकोण से जीवन के मूल्यों को ध्यान में रखकर योजना पर एक दृष्टि डालें तब भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण ('चाहे कितने भी गौण रूप में उसे योजना में स्वीकार क्यों न किया गया हो') लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित साधन नहीं। क्रमशः जीवन के वे मूल्य हैं—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन मूल्यों के अनुसार भी 'अर्थ' का स्थान 'धर्म' के बाद आता है, कहने का तात्पर्य है कि जब 'अर्थ' और 'काम' 'धर्म'-प्रेरित होगे तभी व्यक्ति अतिम लक्ष्य—मोक्ष—की ओर अग्रसर होगा। यहाँ 'धर्म' शब्द को उसके दार्शनिक अर्थ में ग्रहण करना होगा, जिस अर्थ से प्रेरित होकर प्राचीन काल में शिक्षा 'धर्मव्रत' कही जाती थी।

गांधीजी स्वयं एक आदर्शवादी थे। उनके द्वारा निर्धारित शिक्षा का उद्देश्य—सूर्य व्यक्तित्व का विकास—शिक्षा की दृष्टि से सर्वथा श्रेष्ठ एव उपयुक्त है, पर वर्धी-योजना उस उद्देश्य की प्राप्ति के दृष्टिकोण से अपूर्ण है। बालक के सर्वतोमुखी_विकास के लिए 'धर्म' एक आवश्यक साधन है किन्तु योजना में धर्म की पूर्णतया उपेक्षा की गयी है। गांधीजी हस्तकला-केन्द्रित शिक्षा के आधार पर बालक में नैतिक गुणों का विकास चाहते हैं पर क्या धर्म के अभाव में बालक में ऊँचे नैतिक गुणों के स्थायी रूप से विकसित होने की सभावना है? गांधीजी सब बालकों को आचार-शास्त्र, क्योंकि वह सब धर्मी

मेरे एक-सा है, को शिक्षा देना चाहते हैं। आचार-शास्त्र सम्यक् आचरण का विज्ञान है और निस्सदेह सब धर्मों मेरे एक-सा है, पर क्या आचार-शास्त्र के ज्ञान मात्र से व्यक्ति चरित्रवान् बन सकता है? चरित्र-निर्माण के लिए एक और तत्व की आवश्यकता है और वह है प्रेरणा-शक्ति। बिना प्रेरणा-शक्ति के सम्यक् चरित्र का निर्माण असम्भव है। यदि आचार-शास्त्र सम्यक् आचरण का ज्ञान प्रदान करता है तो धर्म प्रेरणा-शक्ति प्रदान करता है। 'बालकों को उस स्रोत से सपर्क कराये बिना ही, जहाँ से वे उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के योग्य बने, शिक्षा निरर्थक होगी।' स्वयं गांधीजी के शब्दों में इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है, 'नीति रूपी बीज को जब तक धर्म-रूपी जल का सिंचन नहीं मिलता तब तक उसमें अकुर नहीं फूटता। पानी के बिना वह बीज सूखा ही रहता है और लंबे अरसे तक पानी न पाए तो नष्ट भी हो जाता है। इस प्रकार हमने देख लिया कि सच्ची नीति में सच्चे धर्म का समावेश होना चाहिए। इसी बात को दूसरी रीत से यो कह सकते हैं कि धर्म के बिना नीति का पालन नहीं किया जा सकता, यानी नीति का आचरण धर्म रूप में करना चाहिए।'[†] अतः धर्म के आलोक के अभाव में बालक का सम्यक् विकास सभव न होगा।

सविचार पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर यदि योजना पर एक दृष्टि डालो जाय तो यहाँ पर भी गांधीजी के शिक्षा-दर्शन तथा योजना-पद्धति में साम्य दृष्टिपोचर नहीं होता। गांधीजी का शिक्षा-दर्शन यह स्पष्ट इंगित करता है कि किसी भी उद्योग या व्यवसाय के माध्यम से व्यक्ति, यदि अनासक्त भाव से कर्मरत है तो, सत्य का दर्शन कर सकता है। परंतु साथ में वह यह भी कहते हैं कि सत्य को पहचानने के लिए 'किसी को साहित्य-ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, किसी को भौतिकशास्त्र की, किसी को कला की।' ऐसी स्थिति में आरभिक स्तर के उपरात भी सभी बालकों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा—हस्तकला-केन्द्रित या अन्य उत्पादक कार्य केन्द्रित शिक्षा—की व्यवस्था करना उनकी विभिन्न नैसर्गिक ऊर्जियों की अवहेलना करना होगा। अतः एक ही पाठ्यक्रम को सबके ऊपर बलात् नहीं लादना चाहिए। पाठ्यक्रम का चेत्र व्यापक होना चाहिए।

भारतीय सन्कृति की आध्यात्मिक विचारधारा से प्रभावित गांधीजी ने सदैव पाश्चात्य भौतिकवादी अवधारणा का विरोध किया। किंतु वर्धा-योजना में जो प्रयोजनवादी एवं प्रकृतिवादी तथ्य निहित है उनके फलस्वरूप देश के नवयुवकों में उल्टे इसी पाश्चात्य अवधारणा के पोषित होने की गुजायश है। इन तथ्यों के कारण बालक के दृष्टिकोण के निकट भविष्य तक ही सीमित रह जाने की सभावना है। वास्तविक भारतीय शिक्षा को अपनी मुख्यत आदर्शवादी आध्यात्मिक विचारधारा को सार्थक करने के लिए समर्पित को ध्यान में रखना होगा—बालक का सपूर्ण व्यक्तित्व, सपूर्ण जीवन-काल, संपूर्ण वाता-

[†] गांधीजी. 'धर्म-नीति', पृष्ठ ३६, ४०

वरण, जीवन के तात्कालिक उद्देश्य से लेकर परम उद्देश्य तक। शिक्षा के साधन उद्देश्य के ही अनुरूप होने चाहिये तभी सफलता की आशा की जा सकती है।

योजना की प्रगति एवं योजना पर आधारित शिक्षा-संस्थाएँ

सन् १९३८ ई० में हरीपुरा काग्रेस अधिवेशन में अधिकृत रूप से स्वीकृत हो जाने पर, बेसिक शिक्षा-योजना को अनेक प्रातो में लागू किया गया। सन् १९३९ ई० में 'हिंडुस्तानी तालीमी सघ' का संगठन हुआ। इस सघ ने योजना की प्रगति में पर्याप्त योगदान दिया। बबई, बिहार और उडीसा की सरकारों ने 'बेसिक शिक्षा परिषद्' का संगठन किया तथा बेसिक शिक्षा के निरीक्षण और कार्यान्वयन के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। एक वर्ष के भीतर ही बबई, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उडीसा और काशीर में दस प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हो गयी। मध्यभारत में वर्धा नॉर्मल स्कूल को विद्यामंदिर ट्रेनिंग स्कूल बना दिया गया तथा ६८ विद्यामंदिर स्कूल और खोले गए। मध्यप्रदेश में विद्यामंदिर योजना तथा उत्तर प्रदेश में आधार-शिक्षा या बुनियादी तालीम के नाम से जब वर्धा-योजना चलायी गयी तो हस्तकौशल को सपादित करने की समय-अवधि ३ घटे, २० मिनट से कम कर दी गयी। राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में जामियामिलिया इस्लामिया, दिल्ली और अन्ध्रजातीय कलाशाला, मसलीपट्टम ने अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य आरभ कर दिया। महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना और गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ने अपने अतर्गत बेसिक विद्यालय खोले।

सन् १९३८ ई० तथा सन् १९४० ई० में बबई के मुख्य मन्त्री श्री बी० जो० खेर की अध्यक्षता में क्रमशः दो समितियों की स्थापना हुई। इन समितियों ने बेसिक शिक्षा की प्रगति के सबध में अनेक सुझाव दिये। इनमें से अधिकाश सुझावों को केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड ने मान लिया और सन् १९४४ ई० की सार्जेंट रिपोर्ट में इन सुझावों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया।

सन् १९३९ ई० में द्वितीय महायुद्ध आरभ हो गया और ब्रिटिश सरकार से मतभेद होने के कारण प्रदेशों के काग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने त्याग-नपत्र दे दिया किंतु बेसिक शिक्षा की प्रगति पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। पर सन् १९४० ई० में बेसिक शिक्षा की प्रगति में कुछ बाधा अवश्य पड़ी। उडीसा सरकार ने बेसिक शिक्षा बोर्ड, प्रशिक्षण विद्यालय तथा अन्य पद्रह स्कूलों को बद कर दिया। किंतु इससे भी इस क्षेत्र में कार्य करने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ।

६ अगस्त, सन् १९४२ ई० को गांधीजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के नेताओं ने 'भारत छोड़ो आदोलन' आरभ किया जिससे सारा देश आन्दोलित हो उठा। इस आदोलन के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ध्यान बेसिक शिक्षा के क्षेत्र से हटाकर राष्ट्रीय आदोलन की ओर आकर्षित किया। राष्ट्रीय कार्यकर्ता जेलों में बद कर दिये गये। इस

सकट और टूफान के समय में अनेक कारणों से वर्धा-शिक्षा-योजना की प्रगति न हो सकी। जेल से छूटकर जब गांधीजी बाहर आये तब 'नई तालीम' के विषय में उनकी दृष्टि दूसरी हो गयी। उन्होंने कहा कि "हमें अपनी वर्तमान उपलब्धियों से ही सतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें बालकों के परिवारों से भी सहयोग करना चाहिए। हमें उनके माता-पिता को भी शिक्षित बनाना चाहिए। बेसिक शिक्षा को निश्चित रूप से, सच्चे अर्थों में जीवन-शिक्षा बनाना चाहिए।" गांधीजी ने नई तालीम के 'जीवन के माध्यम से जीवन की शिक्षा' के इस नये स्वरूप की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि, 'मेरे समच यह स्पष्ट हो गया है कि बेसिक शिक्षा के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना है। इसमें सब लोगों के लिए, जीवन के सभी स्तरों पर शिक्षा देने की व्यवस्था सम्मिलित होनी चाहिए।'

अत सन् १९४५ ई० में 'हिंदुस्तानी तालीमी सघ' की बैठक जब पुन वर्धा में हुई तब इसमें गांधीजी के आदेशानुसार कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। इन प्रस्तावों के फल-स्वरूप 'बेसिकशिक्षा' का नाम 'नई तालीम' रखा गया और उसे निम्नांकित चार भागों में विभाजित किया गया।

(१) प्रौढ़ शिक्षा अथवा सभी अवस्थाओं के स्त्री-पुरुषों की शिक्षा। इसमें उस मात्रा की देख-रेख और शिक्षा भी सम्मिलित है जिसका बच्चा अभी उसी पर आश्रित है।

(२) पूर्व-बेसिक शिक्षा अथवा सात वर्ष की आयु के भीतर के बालकों की शिक्षा।

(३) बेसिक शिक्षा अथवा सात वर्ष से चौदह वर्ष के बालकों की शिक्षा।

(४) उत्तर-बेसिक शिक्षा अथवा किशोरों की शिक्षा जो बेसिक शिक्षा पूरी कर चुके हैं।

सन् १९४७ ई० में हिंदुस्तानी तालीमी सघ ने बेसिक शिक्षा का एक विस्तृत पाठ्य-क्रम बनाया जो लगभग सभी प्रातों में प्रचलित कर दिया गया है।

इस योजना में 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' ने भी बेसिक शिक्षा के प्रसार में योग दान दिया है। 'राष्ट्रीय योजना समिति' (नेशनल प्लानिंग कमेटी) ने भी बेसिक शिक्षा का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एक 'बेसिक शिक्षा की स्थायी समिति' (स्टैडिंग कमेटी आँव बेसिक एज्यूकेशन) भी स्थापित की। इस समिति ने सन् १९५६ ई० की बैठक में भारत में बेसिक शिक्षा के प्रसार, नीति एवं भावी प्रगति की एक विस्तृत रूप-रेखा तैयार की है। इस समिति ने 'बेसिक शिक्षा-भनुदान समिति' (असेसमेंट कमेटी आँव बेसिक एज्यूकेशन) के सुकावों के आधार पर एक 'अखिल भारतीय बेसिक परिषद्' की स्थापित करने की माँग की है। यह शिक्षा-परिषद् केन्द्रीय और राजकीय सरकारों को बेसिक शिक्षा-प्रगति सबधी विषयों पर अपनी सम्मति प्रदान करेगी। समिति ने यह भी परामर्श दिया कि राज्य सरकार अपने यहाँ उत्तर बेसिक स्कूलों को अधिक-से-अधिक सम्मान में खोलें और उन्हे माध्यमिक शिक्षा का एक अभिश्व अग्र मार्गें। समिति ने बेसिक स्कूलों में अन्य विषयों के साथ अंग्रेजी भाषा का भी शिक्षण देने की

सलाह दी है। इससे वेसिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विद्यालयों में प्रवेश और शिक्षा पाने में सुविधा रहेगी।

१ जूलाई, १९५६ ई० को तमिलनाडु में सर्वोदयपुरम् नामक स्थान पर 'अखिल भारतीय वेसिक शिक्षा सम्मेलन' हुआ। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि 'वेसिक शिक्षा में कुछ परीक्षण ऐसे भी किये जायंजो सरकारी नियन्त्रण से मुक्त हो और नई तालीम जनसमूह तक पहुँचायी जा सके।' अत इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पास किया कि विनोबाभावे जिस प्रकार भूदान के लिए पदयात्रा कर रहे हैं उसी प्रकार नई तालीम के कार्यकर्ताओं को देश में पद यात्रा करनी चाहिए।

इस सम्मेलन ने बताया कि देश में नगरों तथा ग्रामों में जो दो प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था का प्रचलन एवं विकास हो रहा है वह जनतत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। अत दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था होनी चाहिए, तथा प्राथमिक शिक्षा से लेकर जो कि वेसिक शिक्षा के आधार पर सगठित की जा रही है, विश्वविद्यालय की शिक्षा तक वेसिक-शिक्षा की ही व्यवस्था होनी चाहिए। सम्मेलन ने सुझाव दिया कि प्रत्येक भाषा-भाषी प्रात में कम-से-कम एक ऐसा शिक्षा-केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ पूर्व वेसिक से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक नई तालीम की शिक्षा प्रदान की जा सके।

आध्यापकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय—वेसिक शिक्षा योजना में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जो अनेक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं उनमें नई तालीम भवन, सेवाग्राम, जामियामिलिया इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, दिल्ली, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय टीचर्स वेसिक सेंटर, कोयबद्दर, ग्रेजुएट वेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, ढाबका (बम्बई), विद्याभवन, शान्ति निकेतन, विद्याभवन, उदयपुर, सर्वोदय महाविद्यालय, तर्की (बिहार) अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त भी आसाम, बबई, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं जो कि वेसिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देती हैं। ग्रेजुएटों को प्रशिक्षित करने के लिए इन राज्यों में पृथक् व्यवस्था है। प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए विभिन्न राज्यों में 'अल्पकालीन रिफे शर कोर्स' की भी व्यवस्था की जाती है।

उत्तर वेसिक कालेज तथा जनता कालेज

वेसिक प्रणाली को प्राथमिक स्तर से माध्यमिक व उच्च स्तर पर लाने के लिए भी परीक्षण हो रहे हैं। इस दृष्टिकोण से बिहार प्रात सबसे आगे है। यहाँ उत्तर वेसिक कालेज भी खोले गये हैं। इनके अतिरिक्त युवक और युवतियों को ग्रामीण जनता में शैक्षिक, मामाजिक, सास्कृतिक एवं अन्य जनोपयोगी कार्य करने के दृष्टिकोण से प्रशिक्षित करने के लिए जनता कालेज (Community College) खोलने की आवश्यकता प्रतीत

हुई। अत सन् १९५४ ई० मे एक जनता कॉलेज, तर्की (मुजफ्फरपुर) मे खोला गया। इसके उपरात एक जनता कॉलेज नालदा मे खोला गया। इसी प्रकार नगरपाडा (भागलपुर), कोलहत पटोरी (दरभगा) एवं बाखरी (मुजफ्फरपुर) मे भी जनता कॉलेजो की स्थापना का विचार है। इन ग्रामीण बेसिक कॉलेजो के खोलने का उद्देश्य यह भी है कि वहाँ शीघ्र ही एक ग्राम्य विश्वविद्यालय खोला जा सके।

पजाब मे भी बेसिक शिक्षा को प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक उठाने का निर्णय किया गया है। फलस्वरूप, सन् १९५४ ई० मे, चडीगढ़ मे एक सीनियर बेसिक कॉलेज की स्थापना हुई है। इसमे केवल ग्रेजुएट ही प्रवेश पा सकेंगे।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, केरल आदि राज्य प्राथमिक स्कूलो को बेसिक स्कूलो मे परिवर्तित करने की दिशा मे प्रगति कर रहे हैं।

परीक्षण संस्थाएँ

(१) आसाम—आसाम सरकार ने सन् १९५४ ई० मे ‘बेसिक शिक्षा अधिनियम’ पास किया जिसके फलस्वरूप राज्य के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल क्रमशः जूनियर एवं सीनियर बेसिक स्कूलो मे परिवर्तित कर दिये गये। आसाम के इन स्कूलो की विशेषता है इनमे ‘बाल सरकार’ की स्थापना। विद्यार्थियो का एक न्यायाधिकरण (Tribunal) भी हरेक स्कूल मे होता है जो अनुशासन-सबधी कार्य करता है। बालको मे स्कूल के प्रति आत्मीयता एवं उत्तरदायित्व का भाव विकसित किया जाता है। अध्यापको और बालको मे निकट सपर्क के लिए भी अवसर प्रदान किए जाते हैं।

(२) गुजरात कुमार मंदिर, अहमदाबाद—इसकी विशेषता यह है कि यहाँ का माध्यम खादी है। यहाँ बालको को स्वावलबन, सहकारिता, सदाचार एवं नागरिकता के गुणो को विकसित करने की शिक्षा तथा सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(३) नवयुग स्कूल, बर्बई—यहाँ बालक, बालिकाओ के लिए सह-शिक्षा की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्र का सर्वतोमुखी विकास करना और उनमे आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। यहाँ बालको को सामाजिक और धार्मिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था है।

(४) स्नातक प्रशिक्षण केन्द्र, धारवार—यहाँ छात्राध्यापको को समाज-सेवा एवं सामाजिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

(५) बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र, लोनी, कालभोर, पूना—ग्राम्य मे यह कृषि का सामान्य स्कूल था। परतु सन् १९३२ ई० मे शिक्षा विभाग ने इसे ‘ग्राम्य प्रशिक्षण केन्द्र’ के रूप मे परिणित कर दिया। यहाँ अब ग्रामीण चेत्रो के अध्यापको को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस केन्द्र की विशेषता भी स्वावलबन है।

(६) हैदराबाद—यहाँ सबसे पहले हरिजन स्कूलो मे बेसिक शिक्षा-प्रणाली के संचालन

लन की व्यवस्था की गयी। इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में, स्वच्छता, समाज-सेवा, प्रार्थना एवं साच्चरता का प्रसार सम्मिलित किया गया। यहाँ की विशेषता है—साप्ताहिक भोज जिसमें अध्यापक और छात्र आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए भाग लेते हैं। यहाँ के स्कूलों में विभिन्न प्रकार के हस्त-उद्योग शिक्षा के माध्यम हैं।

(८) बेसिक स्कूल सेवाग्राम, मध्यप्रदेश—यहाँ दो भाषाएँ शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रचलित हैं—स्थानीय बालकों के लिए शिक्षा का माध्यम मराठी है तथा बाहर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी। उच्च कक्षाओं में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य है। इस विद्यालय से सलग्न एक प्रशिक्षण केन्द्र भी है। इस विद्यालय में प्रशिक्षण का माध्यम कोई-न-कोई हस्तकार्य—जैसे, कताई बुनाई, बागवानी तथा सब्जी उगाना—रहता है। सास्कृतिक विकास के लिए विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा विभिन्न त्योहारों पर कीर्तन एवं नाटकों का आयोजन भी होता है।

(९) ग्राम विश्वविद्यालय, सेवाग्राम—यहाँ पूर्व बेसिक से लेकर उत्तर बेसिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती है।

उपर्युक्त संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाएँ भी हैं जहाँ बेसिक शिक्षा के चेत्र में अन्य राज्यों में परीक्षण हो रहे हैं। इनमें मुख्य है—राजकीय हाईस्कूल, सोगाम, काश्मीर, टीचर्स कॉलेज सैदपेट, मद्रास, मोटा ट्रेनिंग स्कूल, पजाब, बाल निकेतन, जोधपुर एवं बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज, बनापुर, पश्चिमी बगाल।

इस प्रकार देश के विभिन्न राज्यों में योजना की उन्नति एवं प्रसार का कार्य किया जा रहा है।

सहायक-साहित्य

महात्मा गांधी

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. धर्म-नीति | 6. To The Students, Navajivan |
| 2. गीता-माता | 7. My Soul's Agony |
| 3. आत्मकथा | 8. Ramanama |
| 4. अनोति की राह पर | 9. Women and Social Injustice |
| 5. ब्रह्मचर्य भाग १, भाग २ | 10. Constructive Programme |

अन्य लेखक

1. S. Radhakrishnan Mahatma Gandhi, George Allen Unwin Ltd., London
2. S Radhakrishnan : Great Indians
3. D M. Datta The Philosophy of Mahatma Gandhi

- 5 B Pattabhi Sitaramayya *Gandhi and Gandhism*, Vols I and II
- 6 Louis Fischer *The Life of Mahatma Gandhi*
- 6 K L Srimati *The Wardha Scheme*, 1949
- 7 M S Patel *The Educational Philosophy of Mahatma Gandhi*
- 8 Hindustani Tahimi Sangh *Educational Reconstruction* (2nd Ed),
Sevagram (Wardha)
- 9 *The Visva-Bharati Quarterly. Education Number, May-Oct , 1947*
- 10 Chandra Shankar Shukla *Gandhi's View of Life.*

श्री अरविंद घोष

जीवन और कार्य

श्री अरविंद प्राचीन भारतीय ऋषि-परपरा के आधुनिक उन्नायक के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने रहस्यमय व्यक्तित्व द्वारा एशिया की आत्मा का ससार को साज्जात्कार कराया और यही कारण है कि प्राचीन योग के सहज सावक और आत्मद्रष्टा के रूप में लोग उनका समादर करते हैं। श्री अरविंद के इस दिव्य व्यक्तित्व की प्रशसा करते हुए रोमा रोला ने कहा है, “देखो, वह अरविंद घोष आते हैं। उनमें एशिया की प्रतिभा और योरोप की प्रतिभा का वह पूर्णतम सामजस्य आज प्राप्त हुआ है जिसकी दीर्घकाल से प्रतीक्षा हो रही थी।” उन्होंने भावी सतान के लिए जिस गौरवमयी परपरा का निर्माण किया है वह विशाल और समृद्धिशालिनी है। उन्होंने जो कुछ कहा या लिखा है वह उच्चप्रेरणा, सहज ज्ञान एवं क्रातिदर्शिता से ओतप्रोत है।

जन्म एवं शिक्षा

भारत के इतिहास में १५ अगस्त का बड़ा भारी महत्व है। इसी दिन दीर्घकालीन परतत्रता के पश्चात् देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यही तिथि श्रीरामकृष्ण परमहस की महासमाधि के महोत्सव की भी है और सयोगवश इसी दिन सन् १८७५ ई० में श्री अरविंद का जन्म भी कलकत्ते के घोष-परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम डा० कृष्णद्वन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी था। अरविंद के दो बड़े भाई थे जिनका नाम विनयभूषण और मनमोहन था।

श्री अरविंद की बाल्यावस्था के विषय में विशेष विवरण तो नहीं मिलता, किंतु इतना ज्ञात है कि उनकी शिक्षा का आरभ दार्जिलिंग के लोरेटो कावेट में हुआ जहाँ भाषा का माध्यम अंग्रेजी थी और किसी भी भारतीय भाषा की शिक्षा वहाँ नहीं दी जाती थी। ऐसे शिक्षालय में भर्ती किए जाने का कारण यह था कि उनके पिता पाश्चात्य सम्भूति के कट्टर पोषक थे और वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र भारतीय भाषा-संस्कृति के संपर्क में आये और इसीलिए वह अपने घर में भी ऐसे नौकर नहीं रखते थे जो अंग्रेजी के अतिरिक्त बगला भी जानता हो। दार्जिलिंग के लोरेटो कावेट में श्री अरविंद ने दो वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की।

सात वर्ष की अवस्था में सन् १८७६ ई० में उनके माता-पिता ने उनको बहिन सरोजनी के साथ उन्हे भाइयो सहित आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैड भेज दिया। वहाँ अरविद और उनके दोनों भाई मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल में भर्ती किए गये, किंतु आयु कम होने के कारण अरविद की शिक्षा का भार ड्रिवेट दपति को सौंपा गया जो इनकी देखभाल माता पिता की भाँति करते थे। ड्रिवेट दपति की देखरेख में उन्होंने लैटिन भाषा का पूर्ण अभ्यास किया और अग्रेजी के शेक्सपियर आदि विद्वानों की रचनाओं को चाव के साथ पढ़ा। लैटिन भाषा में उन्होंने ऐसी दबाता प्राप्त कर ली कि सन् १८८५ ई० में वह लदन के सेंट पॉल स्कूल में भर्ती कर लिये गये। बालक अरविद की प्रतिभा से प्रभावित होकर स्कूल के प्रवानाड्यापक ने बड़े प्रेरणादार इन्हें ग्रीक पढाना प्रारंभ किया, जिसमें इनकी प्रगति आश्चर्यजनक हुई। अपने विद्यार्थी-जीवन में भी वह स्वभावत एकात्मिय और शात थे। अधिक व्यक्तियों से मिलना-जुलना और सामाजिक जीवन में उनकी विशेष सचिं नहो थी। वह एक गभीर विद्यार्थी थे तथा विचारों के मसार में लोन रहा करते थे। सत्रह वर्ष की आयु में ही उन्हे केब्रिज के किस कॉलेज की एक सर्वोच्च छात्रवृत्तिमिल गयी। तब उन्होंने फ्रासीसी भाषा, इतिहास, इटालियन, स्पेनिश तथा जर्मन भाषाओं का भी अभ्यास किया। यहाँ यह स्मरणीय है कि चौदह वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने काव्य-रचना प्रारंभ कर दी थी।

अरविद को केब्रिज में ट्रिपोज के प्रथम भाग की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। इस भाग की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर साधारणत बी० ए० की उपाधि दी जाती है, किंतु ऐसा केवल उस दशा में होता है जब परीक्षा तीसरे वर्ष ली जाती है। वह विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षा नहीं देना चाहते थे क्योंकि इंग्लैड में विश्वविद्यालय के बाहर ऐसी उपाधियों का बहुत कम महत्व था। अत अरविद ने पिता की आज्ञा पाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और उसमें वह विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण भी हुए, किंतु घुडसवारी में असफल रहे। उनके बड़े भाई ने तो इसको चिंता न की, किंतु उनके मैंझले भाई मनमोहन को इस असफलता से विशेष दुख हुआ।

इक्कीस वर्ष की आयु तक अरविद बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व हो गये। ग्रीक, लैटिन, जर्मन और अग्रेजी भाषाओं पर तो उनका विशेष अधिकार हो गया, किंतु यद्य तक वह अपनी मातृभाषा तथा दूसरी भारतीय भाषाओं से अपरिचित ही रहे। इस आयु तक वह अग्रेजी के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषाओं में भी काव्य-रचना करने लगे थे।

देशभक्ति की भावना का बीजारोपण

इंग्लैड में शिक्षा प्राप्त करते समय ही अरविद के हृदय में देशभक्ति की भावना का बीजारोपण हो गया था। यद्यपि उनके पिता पक्के साहब थे, किंतु इसके सन्दर्भ में वह बड़े ही उदार एवं दयालु थे। रोगियों की सेवा में धन लगा देने के कारण वह कभी-कभी

समय से पैसा नहीं भेज पाते थे जिसके कारण अरविंद और उनके भाइयों को अभाव और दरिद्रता का जीवन भी व्यतीत करना पड़ता। वे तथा उनके भाई जाडे के दिनों में कोट के बिना ही रह जाते थे और उन्हे कभी-कभी नियमित भोजन भी नहीं मिलता था। इस प्रकार उन्हे गरीबी के दुखों का अनुभव छात्र-जीवन में ही हो गया। इनके पिता इनको जो पत्र लिखते थे उनमें वह ट्रिटिश सरकार के अन्याय, हृदयहीनता और अत्याचार का वर्णन करते थे तथा भारतीय समाचार-पत्रों की कतरने भी भेजा करते थे। पिता के इन पत्रों द्वारा अरविंद को देशभक्ति का पहला पाठ पढ़ने को मिला। आगे चल कर वह कॉलेज में 'इंडियन मजलिस' के मन्त्री बन गये। यह एक भारतीय संस्था थी जिसकी स्थापना सन् १८६१ ई० में हुई थी। कें० जी० देशपांडे, हरीसिंह गौड़, बीच क्राफ्ट और परेरा आदि भारतीय उन दिनों इनके साथी थे। अपने इंगलैंड-प्रवास के अतिम दिनों में वह लदन में कुछ उग्र विचार के भारतीयों से मिले और 'लोटस ऐड डैगर' नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के प्रत्येक सदस्य ने भारत से ट्रिटिश राज्य को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार के वातावरण और प्रभावों का फल यह हुआ कि उनके हृदय में देशभक्ति को भावना दृढ़ हो गयी। नरम विचार वाले भारतीय राजनीतिज्ञों के प्रति यह असंहिष्णु बन गये। उनके हृदय में विद्रोहपूर्ण राष्ट्रीयता को नीच पड़ गयी।

स्वदेश-आगमन

सन् १८६३ ई० में अरविंद ने स्वदेश के लिए प्रस्थान किया, किन्तु दुर्भाग्यवश भारत पहुँचने के पूर्व ही इनके पिता का देहात हो गया। बात यह हुई कि उन्हे अपने बैकर्स से पता चला कि जिस जहाज द्वारा अरविंद चले हैं वह दुर्भाग्यवश लिस्कन के समीप डूब गया। वृद्ध पिता को इस समाचार से इतना शोक हुआ कि वह इस आधात को सहन न कर सके और उनका देहात हो गया। किंतु यह समाचार गलत था। — अरविंद 'कार्थेंज' नामक जहाज से रवाना हुए थे जो लदन से दो दिन पहले ही चल चुका था और सन् १८६३ ई० के फरवरी मास में सुरक्षित रूप से बर्बई पहुँच गया था।

गार्हस्थ्य जीवन और भविष्य की तैयारी

जब अरविंद इंगलैंड में थे उन्हीं दिनों बड़ोदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड भी वहाँ थे। उन्हे जेम्स काटन से अरविंद की प्रतिभा और योग्यता के विषय में पता चला। उन्हे यह भी मालूम हुआ कि वह बड़ोदा राज्य की सेवा के लिए प्रस्तुत है। उन्होंने अरविंद को बुलाकर उनसे मैट की और नौकरी की सारी शर्तें वही निश्चित कर दी। भारत पहुँचने पर, अरविंद ने बड़ोदा राज्य की सेवा करनी आरम्भ कर दी। यहाँ से उनके जीवन-विकास में एक नया मोड उपस्थित हुआ क्योंकि वास्तव में बड़ोदा में रहते हुए उन्होंने अपने भावी जीवन की तैयारी प्रारम्भ की। सबसे पहले उनकी नियुक्ति अस्थायी

रूप मे लगान-बडोबस्त विभाग मे दो सौ रुपये प्रति मास पर हुई । कुछ समय उन्होने स्टाम्प और रेवेन्यू विभाग, कुछ दिनों सेक्रेटेरियट का काम और कुछ दिनों डिस्पैच की रिपोर्ट लिखने का काम भी किया । इन कार्यों को करते हुए वह शिक्षा-सबधी कार्यों की ओर आकर्षित हुए, अत उन्हे बडौदा स्टेट कॉलेज मे पहले फैच भाषा का तत्पश्चात् इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चरर बना दिया गया । बाद मे वह कॉलेज के उपचार्य भी हो गये और भारतीय राजनीतिक इतिहास मे लेक्चर देने लगे । इस समय उनका मासिक वेतन साढे सात सौ रुपया हो गया था ।

बडौदा मे रहते हुए ही अर्रविद का विवाह सन् १९०१ई० मे मृणालिनी नामक एक सुदूर एव सुशील कन्या से हुआ । ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से पाणिग्रहण होने पर भी मृणालिनी को प्राय सारा जीवन वियोग मे ही व्यतीन करना पड़ा । यद्यपि पति-पत्नी के सबध अत तक बडे ही प्रेमपूर्ण थे, फिर भी अर्रविद के साथ रहने का अवसर उन्हे बहुत कम मिला । सन् १९१८ई० मे पांडीचेरी जाते समय कलकत्ते मे इलफुएज्ञा से मृणालिनी देवी का देहात हो गया ।

राज्य को सेवा करते हुए अर्रविद अपने भावी जीवन की तैयारी मे दत्तचित्त थे । यहाँ रहकर उन्होने मराठी, गुजराती, संस्कृत और बगला आदि भारतीय भाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया । इस समय ज्ञान का सचय ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था । उन्होने भारतीय जीवन के विशाल चेत्र, उसकी प्राचीन संस्कृति और उसकी प्रेरणा से धनिष्ठ परिचय प्राप्त किया । भारतीय दर्शन का उन्हे अब तक बड़ा हो सीमित ज्ञान था । अब उन्होने संस्कृत साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया और वेद और गीता के दर्शन मे पाडित्य प्राप्त किया और इस प्रकार अपनी अतरात्मा की खोज आरम्भ की । श्री अर्रविद ने लगभग १३ वर्षों तक बडौदा राज्य की सेवा की । यहाँ के जीवन के अतिम भाग पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इस समय इनके भीतर एक तीव्र ज्वाला जल रही थी जिसमे यह अपना सर्वस्व स्वाहा करने की तैयारी कर रहे थे । यह ज्वाला थी भारतमाता को परतत्रता से मुक्त करने की और ईश्वर का साक्षात्कार करके, तदरूप होकर उसके दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति और आनंदरूपी अमृत को मानव-जाति का कल्याण करने के लिए संचार करने की ।

संक्रिय राजनीति मे

बडौदा मे रहते हुए ही अर्रविद ने राजनीतिक कार्य आरम्भ कर दिया था, किन्तु राज्य की सेवा में नियुक्त होने के कारण ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमे वह स्वतत्रतापूर्वक कार्य कर सकते । अवकाश मिलने पर वह अपने कुछ साथियों के साथ गुप्त रूप से बगल के राजनीतिक आदोलन की तैयारी करते रहे । सन् १९०५ई० मे जब बैंगल का दो भागो मे विभाजन हो गया तब पूरे देश और विशेषत बगल मे राजनीतिक

आदोलन आरम्भ हो गया। इसी समय राज्य की सेवा से त्याग-पत्र देकर अरविंद ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और बगाल चले आये। इस समय कलकत्ते में एक राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना हुई जिसके ये आचार्य नियुक्त किये गये। इस कालेज द्वारा प्रारंभिक भारत के नवयुवकों को राष्ट्रीयता का मत्र देकर यह राजनीतिक ज्ञाति करना चाहते थे। उन्होंने अश्रेष्टी में 'वदेमातरम्' और बगाल में 'युगातर' नामक पत्रों का प्रकाशन आरम्भ किया और स्वयं ही उनका सपादन भी किया। सन् १६०७ ई० में 'वदेमातरम्' में एक ज्ञातिकारी लेख के छापने के अभियोग में श्री अरविंद को जेल जाना पड़ा। जेल जाने के पूर्व वही इन पत्रों की नीति के एकमात्र सचालक रहे। राष्ट्रीयता और नवजागरण के प्रसार में इन पत्रों ने अमूल्य सेवाएँ की। सन् १६०८ ई० में माणिकटोला बमकेस में उन पर अभियोग लगाया गया, किंतु वह निर्दोष सिद्ध हुए। सन् १६०८ ई० में उन्हे अलीपुर घड़यत्र केस में पुनः बदी बना लिया गया। यह मुकदमा एक वर्ष तक चलता रहा, किंतु अत मे वह निर्दोष सिद्ध हुए और ठीक एक वर्ष जेल में विचाराधीन कैदी की भाँति रह कर वह बाहर आये।

दैवी सदैश

जीवन में श्री अरविंद को कुछ विचित्र अनुभव हुए। यद्यपि उनकी आध्यात्मिक साधना तो निरतर चल ही रही थी, किंतु जेल के एकात जीवन में उन्होंने इधर और प्रगति की। जेल की प्रथेक वस्तु में उन्हे भगवान् कृष्ण का दर्शन होने लगा। एक दिन जब वह ध्यानमन्त्र थे तब उन्हे सदेश मिला, 'शीघ्र ही जेल से बाहर जाकर तुम्हे देश का उद्धार करना है। देश का उद्धार करने का अभिप्राय है सनातन धर्म का उद्धार।' जेल से निकलने के बाद उनका जीवन पूर्णतया बदल गया। जेल में उन्हे न केवल भगवान् के दर्शन हुए, बल्कि वहाँ रहकर वह एक परिपक्व अविच्छिन्न राजनीतिक तत्वज्ञानी हो गये। इस समय तक उनका जीवन ईश्वरीय अनुभूति से आप्ता वित हो चुका था।

पांडीचेरी की ओर

जेल से बाहर आने के बाद एकमात्र नेता के रूप में एक वर्ष तक वह आदोलन को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने अश्रेष्टी में 'कर्मयोगी' और बगाला में 'धर्म' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किये, किंतु उनके हृदय में अत संघर्ष जारी था। फलस्वरूप उनके भीतर एक ऐसी प्रेरणा जगी जिसने राजनीतिक क्षेत्र से उन्हें विरक्त करन्दिया और वह उस आत्मानुभूति के क्षेत्र में विचरण करने लगे जिसमें चेतना के निम्नस्तरीय मोह से मुक्त होकर नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं।

सन् १६०८ ई० में सिस्टर निवेदिता को विश्वस्त सूत्र से जात हुआ कि अरविंद पनः गिरफ्तार होने वाले हैं और इस बार उन्हे देश-निष्कासन का दण मिलेगा। इस

सूचना के प्राप्त होने पर अर्रविंद ने देशवासियों के नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित की जिसे उनका अतिम राजनीतिक वसीयतनामा कहा जा सकता है और वह राजनीति से सन्यास लेकर फरवरी सन् १९१० ई० में गुप्त रूप से चट्टनगर की फ़ासीसी बस्ती में चले गये। तदुपरात वह वहाँ से अप्रैल मास में पाडीचेरो पहुँच गये। पाडीचेरो पहुँच कर अर्रविंद योग-साधना में तल्लीन हो गये और उन्हे यह अनुभव होने लगा कि यह आध्यात्मिक कार्य बहुत महान् है तथा उसमे उन्हे अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए।

साधना-काल

सन् १९१० ई० से सन् १९१४ ई० तक का काल आर्थिक दृष्टि से उनके लिए बड़ा कष्टप्रद रहा, किंतु योग-साधना में वह लीन रहे। पाडीचेरो में सबसे पहले वह श्री शकर चेट्टी के यहाँ ठहरे। वह चेट्टी के मकान के सबसे ऊपरी भाग में रहते थे और एकात में साधना करते थे। कुछ समय पश्चात् वह एक किराये के मकान में चले गये और अपने कुछ साथियों के साथ भोजनादि बनाने का सारा कार्य करते हुए साधना करने लगे। सन् १९१४ ई० में उन्होंने 'आर्य' का प्रकाशन आरभ किया। इसी वर्ष फ़ासीसी भहिला मीरा रीचार्ड उनसे मिलने आयी और श्री अर्रविंद के योग से बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने श्री अर्रविंद की सेवा तथा योग-साधना में अपना जीवन अर्पित कर दिया तथा सन् १९२० ई० से वह पाडीचेरी में ही श्री अर्रविंद के साथ बस गयी और आज भी वहाँ का सारा प्रबन्ध वही कर रही है। यही मीरा रीचार्ड आगे चल कर माता जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ज्यो-ज्यो श्री अर्रविंद की साधना बढ़ती गयी, उनकी और लोग आर्कषित होने लगे। साधकों की सख्त्या बढ़ जाने के कारण पाडीचेरो में एक विशाल आश्रम की स्थापना हो गयी जिसमे देश-विदेश के जिजासु आज भी योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं।

सिद्धि-प्राप्ति

निरतर साधना के कारण श्री अर्रविंद मे दिव्य शक्तियों का जागरण हो गया था। उनकी दीर्घ साधना का फल २४ नवबर सन् १९३६ ई० को प्राप्त हुआ। इसी दिन उन्हे सिद्धि की प्राप्ति हुई। इस दिन उन्हे यह अनुभव हुआ कि उनका अधिकार उस अनत ज्ञान और अनत शक्ति वाले मन या विज्ञान पर है जिसके द्वारा असख्य जीवों के भूत, भविष्य और वर्तमान को, उनकी निरतर होने वाली आतंरिक बाह्य मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और उन्हे भगवान का साक्षात्कार कराने, उनके शरीर, मन और प्राण का रूपातर कराने और उन्हे दिव्य बनाने के लिए उनमे आवश्यक ज्ञान और शक्ति का सचार किया जा सकता है।

इस शक्ति को प्राप्त कर लेने के पश्चात् श्री अर्रविंद पूर्णतया एकात जीवन विताने

लगे और अपना बाह्य संपर्क केवल भाताजी के साथ बनाये रखा। उन्होंने वर्ष में चार ऐसी तिथियाँ निश्चित कर दी जिन पर सर्वसाधारण उनका दर्शन कर सकता था।

महासमाधि

अपने जीवन के अंतिम वर्षों में श्री अरविंद के गुर्दे में रोग हो गया। बहुत दिनों तक उन्होंने उसे नियन्त्रित रखा, किंतु अत मे २ दिसम्बर सन् १९५० ई० को उन्होंने इस संसार को ल्याग कर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। उनकी महासमाधि के अवसर पर डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इन शब्दों में अपना उद्गार प्रगट किया था—“वे प्राचीन ऋषियों की भाँति साहसी और निर्भीक विचारक थे। वे जो सदेश छोड़ गये हैं, आध्यात्मिकता की जो सुवास बिखेर गये हैं, वह न केवल देश की आने वाली पीढ़ियों को, वरन् सारे संसार को प्रेरणा देती रहेगी। भारत इनकी स्मृति की पूजा और प्रतिष्ठा करता रहेगा और उन्हें अपने महान् भुग्नियों और देवदूतों में स्थान देगा।”

जीवन-दर्शन ‘

श्री अरविंद का दर्शन ज्ञेयवादी (Gnostic) है। उन्होंने अपने दर्शन में जीवन की ज्ञेयवादी व्याख्या की है। वह विकास (Evolution) में विश्वास करते हैं और उन्हीं के शब्दों में इस विकास का लक्ष्य है—विश्व में व्याप्त दिव्य-शक्ति का प्रगतिशील बोध। उनका कथन है कि एकता की अत प्रेरणा में दर्शन का आदि और अत निहित है। उनकी सभी रचनाओं में इस अत प्रेरणा की छाप है क्योंकि उनके समस्त विचार भौलिक रूप से इसी अत प्रेरणा पर आधारित है। उनके अनुसार इस संसार के समस्त विकासशील प्राणियों का एक ही प्रयोजन और लक्ष्य है—पूर्ण और अखड़ चेतना की उपलब्धि। मनुष्य को व्यक्तिगत और सामूहिक या सामाजिक रूप में इसी पूर्ण और अखड़ चेतना की प्राप्ति करनी है। वह यह मानते हैं कि सृष्टि-रचना के पीछे एक प्रयोजन है, इसका एक लक्ष्य है—परम चेतना (Supreme Consciousness) की प्राप्ति। उनके विचार में इसी चेतना के प्रस्फुटित होने को मानसिक विकास कहते हैं। विकास के स्तरों को बताते हुए उन्होंने कहा है कि विकास-ऋग की आरभिक अवस्था में जड़ पदार्थ से वनस्पति-जगत् के रूप में प्राण का विकास हुआ। इसी विकास के दूसरे स्तर पर प्राण से पशु-मन का विकास हुआ जिसे प्रथम चेतन-चेतना कह सकते हैं। इसी पशु-मन या ऐंट्रिय मानसिकता से मन (Mind proper) अथवा मानव-मन का विकास हुआ। इस मानव-मन का गुण है विचार करना, तर्क करना। विकास का यह वह स्तर है जहाँ पहुँच कर ऐसी मानव-चेतना का पूर्ण जागरण होता है जो स्वयं अपने विषय में भी विचार करती है।

चेतना के विकास-क्रम की दो विशेषताएँ हैं। प्रथम पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि—इनका अस्तित्व पूर्वक-पूर्वक नहीं है, वरन् प्रत्येक अनुवर्ती स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से जुड़ा हुआ है। इस विषय में श्री अर्रविद का तर्क यह है कि किसी पदार्थ या वस्तु से वही चीज उत्पन्न हो सकती है जो पहले से ही उसमें अतर्निहित हो, केवल अतर्निहित ही बहिर्मुख हो सकता है। जड़ पदार्थ में से प्राण इसलिए विकसित हुआ क्योंकि वह उसमें पहले से ही अतर्निहित था, प्राण पदार्थ में प्रच्छन्न रूप में विद्यमान था। इसी प्रकार प्राण से मन का विकास इसलिए हुआ कि वह प्राण में अतस्थ था, अत प्राण और मन, दोनों पदार्थ में निहित थे। इसी भाँति, बुद्धि और चेतना (Consciousness Proper) दोनों प्राण मन (Vital mind) में निहित थे और साथ ही पूर्ववर्ती स्तर पदार्थ में भी। अत चेतना अव्यक्त रूप में प्राण और पदार्थ दोनों में निहित थी। इसलिए इस विकास-क्रम में मौलिक तत्व चेतना है जो विकास के सभी स्तरों को व्यक्त या अव्यक्त रूप में सूत्र-बद्ध किये हुए हैं। पदार्थ-चेतना का ही नाम और रूप है जो अचेतन-अवस्था में रहता है। श्री अर्रविद का कथन है कि ब्रह्माङ की समग्रयोजना है—इसी चेतना, इसी अतिम सत्य की प्रगतिशील अभिव्यक्ति करना। श्री अर्रविद इस विकास-क्रम को यात्रिक और स्वचालित नहीं मानते हैं, मनुष्य के विकास-क्रम को तो निश्चय ही नहीं, क्योंकि यह क्रम विकास की प्रक्रिया की सोदृदेश्य योजना करता है और उसकी गति को अग्रसर करता है। वह इस विकास-क्रम को चेतन-विकास मानते हैं। यद्यपि मनुष्य विकास-मात्रा को व्यक्ति या समष्टि रूप में अग्रसर कर सकता है, तथापि इसे गति-विमुख नहीं कर सकता, पोछे नहीं लौटा सकता क्योंकि चेतना का पूर्ण-विकास या सिद्धि दैवी चेतना द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट होती है।

विकास-क्रम की दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक उच्च स्तर पर पहुँच कर विकसित चेतना, अपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती स्तरों को अपने ढग से और अपने नियमों के अनुरूप प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में, प्राण और पदार्थ का समवाय रूप प्राणी है। यह पदार्थयुक्त प्राणी पदार्थ से पूर्वक या भिन्न रूप में कार्य करता है क्योंकि जड़ पदार्थ की भाँति वह कठोर यात्रिक नियमों से शासित नहीं होता है। इसी प्रकार मनयुक्त प्राणी केवल प्राणयुक्त चीजों और जड़ पदार्थ से भिन्न रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार, बुद्धियुक्त मन का विकास हो जाने पर उसका कार्य पूर्ववर्ती स्तरों से भिन्न होता है। बुद्धि और तर्कयुक्त मनुष्य अपने भौतिक वातावरण और पाशांत्रिक प्रवृत्ति को पुनः नये रूप में ढालने का प्रयत्न करता है। पुन सगठन की यह प्रक्रिया, विशेषकर मानव-प्रवृत्ति की एक चेतन-आवश्यकता (Conscious Need) होती है जो वन-स्पति-जगत् की सहज क्रिया से भिन्न होती है। चेतना के इन तीन स्तरों का मनुष्य ने अपनी चेतना के प्रकाश में, बुद्धि के प्रकाश में वर्गीकरण किया है और क्रम बद्ध बनाया है जिसे हम भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान और मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं।

श्री अरर्विद के अनुसार विकास की यह प्रक्रिया निरतर अग्रसर हो रही है और विकास-क्रम में चेतना की एक ऐसी स्थिति का आना अवश्यभावी है जिसे वह अतिमानसिक स्तर कहते हैं। इस स्तर तक पहुँच जाने पर, पृथ्वी पर एक नवीन चेतना, एक नवीन जाति का उदय होगा। उन्होंने बताया है कि चट्टानों और खनिजों से वनस्पति की उत्पत्ति हुई, वनस्पति से पशु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार पशु से मानव का विकास हुआ और अब मानव से अतिमानव का विकास होना अनिवार्य है।

श्री अरर्विद कहते हैं कि अपनी सीमित बुद्धि और तर्कशक्ति के कारण मनुष्य के लिए उस नवीन चेतना के स्तर की कल्पना करना कठिन है, जैसे वनमानुष के लिए मनुष्य के रूप में अपने भावी विकास की कल्पना करना कठिन रही होगी। जिस प्रकार मानवी चेतना के विकास के इस स्तर पर भी हमें उच्च स्तर के कुछ विशेष सकेत मिलते हैं, उसी प्रकार वनमानुष को भी उस तर्क की झाँकी मिली होगी जिसे मनुष्य की विशेषता मानी जाती है। ये सकेत हमें सहज ज्ञान, अन्त प्रेरणा और दैवी प्रकाश के रूप में प्राप्त होते हैं। उच्चकोटि के वैज्ञानिक और गणितज्ञ अपने अनुसधानों और आविष्कारों का श्रेय अपने सहज ज्ञान को ही देते हैं। अत प्रेरणा के द्वारा ही कवि और कलाकारों को यथार्थ के सौदर्य का बोध होता है। प्राचीन या आधुनिक सभी साधु-सत्तों और रहस्यवादियों को, जो बहुत ही विकसित प्राणी होते हैं, सत्य की प्रत्यक्षानुभूति होती है जिसे दैवी प्रकाश भी कहते हैं। चेतना के ये अतिसामान्य रूप तर्क या मानव-बुद्धि की उपज नहीं है। चेतना के अतिसामान्य रूप यदाकदा मानव-चेतना के द्वेष में अवतारित होते हैं। इन्हीं के द्वारा चेतना के उच्चतम और श्रेष्ठतम स्वरूप का आभास मिलता है। जिस प्रकार तर्क और युक्ति मानव मन की विशेषताएँ हैं उसी प्रकार सहज ज्ञान, अतःप्रेरणा और दैवी प्रकाश अतिमानव की विशेषताएँ हैं।

चेतना की इस अतिसामान्य स्थिति को प्राप्त करना मानव-चेतना के लिए दुर्लभ है। यह हमारी इच्छा-शक्ति के परे है। अतिमानसिक चेतना केवल अतिमानव के ही सहज, पूर्ण और शाश्वत अधिकार की वस्तु है, किन्तु फिर भी यदि मनुष्य अपनी वर्तमान चेतना को और अधिक श्रेष्ठ, विकसित और अतिचैतन्य बनाए तो अतिमानव को जन्म देने में समर्थ हो सकेगा। पूर्ववर्ती स्तरों पर विकास की प्रक्रिया अपनी प्राकृतिक एव स्वाभाविक गति के अनुसार धीरे-धीरे होती है, किन्तु अब मानव-चेतना के स्तर पर यदि मनुष्य चाहे तो अपने विचार एव चेतनप्रयास द्वारा, अपनी सुव्यवस्थित, प्रबल एव प्रयत्ननिष्ठ इच्छाशक्ति द्वारा अतिमानस के स्तर पर शीघ्र ही पहुँच सकता है। अचेतन और चेतन विकास-क्रम में यही अतर है कि अचेतन स्तर पर विकास करने में शताब्दियों एव अगणित जन्म लग जाते हैं, किन्तु चेतन-विकास द्वारा मनुष्य समय और काल की दूरी का अतिक्रमण करके, शीघ्र ही, गतिपूर्वक उच्चतम विकास प्राप्त कर सकता है।

इस अतिमानसिक स्तर को प्राप्त कर लेने पर अज्ञान का नाश हो जाता है और

फिर प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान ही ज्ञान रहता है। मानसिक चेत्र को उच्चतम ऊँचाई पर पहुँच कर भी प्रकाश और अन्धकार, ज्ञान और अज्ञान दोनो मिले-जुले रूप में ही रहते हैं। इस स्तर पर भी सदेह, द्वैतभाव और अनिश्चय के तत्व वर्तमान रहते हैं। इस स्तर पर मनुष्य अधिकार से कम अधिकार की ओर अग्रसर होता है। दूसरे शब्दो में, उसका प्रत्यक्षीकरण आशिक होता है। किंतु अतिमानसिक स्तर पर पहुँच जाने पर मनुष्य प्रकाश से अधिक प्रकाश, ज्ञान से अधिक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अतिमानस के स्तर पर पहुँच कर मानसिक चेतना के सभी भेद, द्वैतभाव, अज्ञान, शका, सदेह और आशिक प्रत्यक्षीकरण का नाश हो जाता है।

श्री अरविंद के विचार में यह सभव नहीं है कि मनुष्य एक ही छलाग में अतिमानस के उच्च स्तर पर पहुँच सके। अत मानसिक स्तर से अतिमानस तक पहुँचने के लिए उन्होने दो और स्तरों की बात की है—उपरिमन तथा दिव्यमन। मानसिक स्तर अज्ञान और अन्धकार का स्तर है और अतिमानसिक स्तर पूर्ण प्रकाश और ज्ञान का स्तर है। इन दोनों के सविस्थल पर गोधूलों की भाँति अधिकार और प्रकाश मिले-जुले होते हैं। इस स्थल के पार अतिमानस की सीमा में उपरिमन और दिव्यमन की स्थिति है। अतिमानस विकास की वह अवस्था है जहाँ प्रत्यक्ष, निश्चित एव पूर्ण ज्ञान का जाज्वल्यमान प्रकाश है। यह ज्ञान की वह अवस्था है जिसमें विषयी और विषय में कोई भेद नहीं रह जाता। यही आत्म-ज्ञान की अवस्था है। मानसिक स्तर पर सत्य की उपलब्धि के लिए इच्छा-शक्ति को प्रयत्न, सघर्ष और श्रम करना पड़ता है, किंतु इस स्तर पर पहुँच कर वह चेतना की आत्मशक्ति के सहज प्रकाशन के रूप में व्यक्त होने लगती है। यहाँ इच्छा करते ही सत्य की उपलब्धि हो जाती है क्योंकि इस स्तर पर ज्ञान और इच्छा में अभेद होता है। इस अतिमानसिक स्तर पर पहुँच जाने पर अभूतपूर्व शाति का अनुभव होता है, आनंद द्वारा सूषित का रहस्य स्पष्ट हो जाता है तथा हर्षातिरेक की इस स्थिति में सत्ता की सत्यता का बोध हो जाता है।

श्री अरविंद का विचार है कि यह अवस्था मौलिक रूप में वेदातिक विचारवारा के सत्, चित्, आनंद का ही स्वरूप है। यहाँ केवल सत्, चित्, आनंद का एकीकरण कर दिया गया है। सासारिक जीवन और अस्तित्व का आधार यही एकीकृत चेतना है। यह एकीकृत चेतना अपने श्रेष्ठ नियमों के अनुकूल सासारिक जीवन और अस्तित्व के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करती है। श्री अरविंद की भविष्यवाणी है कि उच्च आध्यात्मिक स्थिति आ रही है और उसका आना निश्चित है। उसका आगमन अतीत में किए गए सभी मानव प्रयत्नों की चरम परिणति का सूचक होगा।

पाप की समस्या

मानव की सभी समस्याओं में सबसे जटिल समस्या पाप की है—वैयक्तिक और

सामाजिक दोनों द्वेत्रों में। इसकी मूल प्रकृति, कारण तथा निदान के विषय में श्री अरविंद का कथन है कि सामान्य रूप से इस प्रश्न को निराश होकर छोड़ दिया जाता है, प्रायः यह भी बलपूर्वक कहा जाता है कि मनुष्य के आदिम स्वभाव में पाप, अज्ञान और अविवेक निहित हैं और इनका उन्मूलन असाध्य है, केवल मूलश्रवृत्यात्मक स्तर पर व्यक्ति के जीवन में और विशेषकर सामाजिक जीवन में थोड़ा सुधार हो सकता है। अनेक सुधारकों, आदर्शवादियों और परमज्ञानियों ने भी इस समस्या को सुलझाने की चेष्टा की है और कुछ लोगों ने तो इसे समूल नष्ट करने की चर्चा भी की है, परन्तु भूत और वर्तमान के तमाम प्रयत्नों की अपेक्षा भी यह समस्या पूर्ववत् विद्यमान है। श्री अरविंद के विचार में इस पाप का उन्मूलन अतिमानस के स्तर पर अतिमानव द्वारा ही ही सकता है। शुभ और मगल सदैव से ही इस समस्या का समाधान रहा है और आज भी है, किन्तु श्री अरविंद का कथन है कि यह शुभ या मगल चेतना के उसी निम्न स्तर का भागी है जिसका कि पाप के खेष्ठ आध्यात्मिक मानवी स्तर वाले प्राणी के भरपूर प्रयत्न द्वारा भी इसे द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसका उन्मूलन अतिमानसिक रूपातर द्वारा ही सम्भव है। पाप के उन्मूलन के सबध में अब तक जो प्रयास हुए हैं, श्री अरविंद कहते हैं, कि वे व्यर्थ नहीं जायेंगे। वे मनुष्य के जीवन के विभिन्न द्वेत्रों में, विभिन्न स्तरों पर की गई तैयारियों के रूप में हैं।

श्री अरविंद कहते हैं कि यदि हम अपने देश में पाप की समस्या पर विचार करे तो ज्ञात होगा कि इस सबध में हमारे यहाँ जो प्रारम्भ में दृष्टिकोण था वह आज पूर्खतया बदल गया है। सर्वप्रथम, हम उपनिषदों में पाप की समस्या पर जिस दृष्टिकोण से विचार किया गया है उसे देखें। उपनिषदों के अनुसार पाप की भावना तभी तक विद्यमान रहती है जब तक कि व्यक्ति की चेतना पर अज्ञान का आवरण पड़ा रहता है। ज्यों ही यह आवरण हट जाता है त्यों ही पाप लुप्त हो जाता है। जब तक इस विचारधारा का प्राधान्य था तब तक पाप की समस्या को सार्वभौमिक स्थिति नहीं प्राप्त थी क्योंकि यह माना जाता था कि पाप व्यक्तिगत चेतना में अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। फलत यह समझा जाता था कि व्यक्ति में सत्य ज्ञान के उत्पन्न होते ही यह उसी प्रकार नष्ट हो जायेगा जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से ओस की बूँदें समाप्त हो जाती हैं। इस दृष्टिकोण से पाप की समस्या मुख्यतः एक व्यावहारिक समस्या भी थी, यह केवल व्यक्ति के प्रशिक्षण की समस्या थी जिससे कि वह सत्य ज्ञान की उपलब्धि करने में समर्थ हो सके। यह प्रशिक्षण 'धोग' के साथ घनिष्ठ रूप से सबद्ध था अथवा 'पाप' की समस्या का समाधान 'योग' में निहित था। उपनिषदों में भी हमें सार्वभौमिक मुक्ति अर्थात् समस्त सासारिक-प्राणियों की पाप से मुक्ति का सकेत मिलता है। उपनिषद् के इस दृष्टिकोण से, श्री अरविंद कहते हैं कि सासार के मिथ्यात्व का सकेत नहीं मिलता। इसके प्रतिकूल, यह कहा जा सकता है कि उपनिषदों की धारणा सासार को अवास्तविक मानने के विरुद्ध

है। उपनिषदों में, ससार में ईश्वर के सर्वान्तर्यामी होने के विचार पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह विचार प्रत्यक्षत शकराचार्य के मायावाद के सिद्धात के विरुद्ध है जो ससार को मिथ्या मानता है। अत परवर्ती युग में, श्री अरविद कहते हैं, पाप के स्वरूप-सबधी विचारों से परिवर्तन होने के कारण ससार को मिथ्या माना जाने लगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि लोग 'पलायनवाद के सिद्धात' में विश्वास करने लगे। ससार क्योंकि मिथ्या है, अत हमें संसार से पलायन करना चाहिए। उपनिषदों का कहना है कि हमें विषयों से बचना चाहिए और उनका यह कथन इस तथ्य से सर्वथा भिन्न है कि हमें ससार से पलायन करना चाहिए।

पाप की समस्या के सबध में एक दूसरा 'अतिवादी' दृष्टिकोण भी है। इसके अनु-सार पाप ससार की स्थायी विशेषता है। पश्चिम के लोग इसी दृष्टिकोण के पक्षपाती हैं, किन्तु श्री अरविद इसका भी समर्थन नहीं करते हैं। अतिवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि पाप भी उतना ही सत्य है जितना पुण्य। पाप की समस्या, इस ससार में, पाप और पुण्य के सह अस्तित्व की समस्या है। सामान्यत पुण्य की स्थिति ऊँची मानो जाती है और समझा जाता है कि ईश्वर उसके साथ एकात्म है। जो कुछ भी हो, इससे समस्या और असाध्य हो जाती है क्योंकि पुण्य के साथ एकात्म ईश्वर पाप के बने रहने को कैसे सहन कर सकता है जो उसकी प्रकृति के प्रत्यक्ष विपरीत पड़ता है। अत यह समस्या पाश्चात्य दार्शनिकों के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती हैं। श्री अरविद इस पाश्चात्य दृष्टिकोण से सहमत नहीं कि ससार आज बुरा है और यह सदैव बुरा बना रहेगा।

श्री अरविद का कथन है कि यदि पाप की समस्या को ससार की स्थायी एवं असाध्य समस्या नहीं बना रहना है तो यह अनिवार्य है कि हम पुराने दृष्टिकोण को त्याग दें—चाहे वह प्राच्य दृष्टिकोण हो अथवा पाश्चात्य और इस समस्या पर नये ढग से विचार करें। स्वयं हमारे प्राचीन दृष्टिकोण में यह दोष है कि वह पाप की समस्या को गभीर रूप में ग्रहण नहीं करता है। इस समस्या के उद्गम और निराकरण दोनों को समझने के लिए हमें 'विकास के आध्यात्मिक सिद्धात' को, जो सृष्टि का केन्द्रीय सत्य है, पूर्ण रूप से जानना होगा। 'विकास-क्रम' वास्तव में सृष्टिक्रम से उल्टी किया है। जिस प्रकार सृष्टि, पदार्थ, जीवन और मन में आत्मा की अर्तनिहिति है उसी प्रकार विकास पदार्थ, जीवन और मन से अपनी वास्तविक प्रकृति में आत्मा का पुनरावर्तन है। विकास के इस सामान्य स्वभाव से यह स्पष्ट है कि यह विकास तब तक नहीं रुकेगा, जब तक कि सपूर्ण जगत् पूर्ण आत्मा या सच्चिदानन्द की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है। इसलिए विकास की बात करना और पाप की शाश्वत सत्ता पर जोर देना, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। यदि विकास एक तथ्य है तो पाप कभी भी ससार की एक स्थायी विशिष्टता नहीं बन सकता। विकास के एक निश्चित स्तर पर पहुँच कर और एक निश्चित

दशा में पाप का उदय और प्रसार ससार में होता है और जब वे दशाये नहीं रहती तब उसका नाश हो जाता है। अत पाप ससार की अस्थायी एवं आकस्मिक विशिष्टता है। ससार अपने आप में पापमय नहीं है, आरभ में भी ससार पापपूर्ण नहीं था क्योंकि उस समय ससार अचेतनता के अधकार से आच्छादित था और इस दशा में पाप और पुण्य का कोई भेद ही नहीं किया जा सकता था। विश्व के विकास के मध्यवर्ती स्तर पर पाप की सभावना रहती है। पाप का अस्तित्व केवल जीवन और मानसिक स्तर पर ही रहता है। उच्चतर स्तरों पर उसका लोप हो जाता है।

पाप के इस प्रकार के उद्भव को समझने के लिए हमें उस स्थिति का चित्र अपने सामने रखना होगा जब विकास-क्रम में पदार्थ से प्राण का स्फुरण होता है। इस स्तर पर प्राण चारों ओर से भौतिक शक्तियों से धिरा रहता है और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विरोधी शक्तियों के विरुद्ध अपने को प्रबल रूप में प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार तब सर्वप्रथम प्राण या जीवन में अपने को उत्तेजक रूप में उपस्थित करने की शक्ति उत्पन्न होती है जिसे 'अहकार' कहते हैं। अत 'अहकार' का उदय उस आवश्यकता के कारण होता है जिसका अनुभव 'जीवन' या प्राण असहिष्णु प्रकृति के विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए करता है। चेतना के अधिक विकसित रूप के उदय होते ही 'अहकार' और भी शक्तिशाली एवं सुरक्षित रूप में विकसित होता है क्योंकि प्राण-स्तर पर अहकार के साथ मानसिक अहकार का सर्पक हो जाता है। यहीं 'अहकार' पाप के उदय का मूल है। पाप के उदय होने की इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि पाप उस समय उत्पन्न नहीं हो सकता जब विकास क्रम विशुद्धत भौतिक स्तर पर होता है क्योंकि उस स्तर पर अचेतनता के अधकार में आत्म-सज्ञा (Self-awareness) नहीं होती और आत्माग्रह (Self assertiveness) नहीं के बराबर होता है। पाप के उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि विकास-क्रम प्राण-स्तर पर पहुँचा हुआ हो। कारण, इसी स्तर पर पहुँचकर आत्म-प्रदर्शन एवं अहकार का विकास होता है।

सामान्यत पाप के उदय होने का यहीं ढंग है। किंतु इसके अतिरिक्त दूसरा भी मार्ग है जिसके द्वारा पाप सूसार में प्रवेश करता है। श्री अर्विद के अनुसार अतिभौतिक सत्ताएँ होती हैं जिनमें ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका मूल अज्ञान में होता है और जो अपनी शक्ति का उपयोग करती है। ये अतिभौतिक सत्ताएँ भौतिक प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सत्य, प्रकाश और पुण्य की वृद्धि को रोकती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दैवी चेतना और दैवी अस्तित्व की ओर जाने वाली मानव-प्रकृति के प्रयास में बाधा डालती है। इन्हीं अतिभौतिक सत्ताओं का वर्णन पुराने समय के ब्रह्म, गाथा आदि में चला आ रहा है और सभी प्रकार के रहस्यात्मक ज्ञान में जिनकी स्थिरता है। अतिभौतिक जगत् में यच्च, राच्चस, पिशाच्च आदि रहते हैं जिनका वर्णन ग्राचीन धर्मों में पाया जाता है। यद्यपि अधकार का प्रतिनिधित्व करने वाली ये

शक्तियाँ बड़ी शक्तिशालिनी होती हैं, तथापि उनके अस्तित्व को विश्व की स्थायी विशेषता नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाप ने जिस भी द्वार से ससार में प्रवेश किया हो, यह ससार में स्थायी रूप से ठहर नहीं सकता। इसका अस्तित्व तभी तक रहता है जब तनु विकास-क्रम प्राण और मानसिक स्तर पर होता है, किंतु उच्च स्तर का विकास होते ही यह लुप्त हो जाता है।

प्रश्न यह उठता है कि ससार पाप से मुक्त कैसे हो ? इस समस्या का समाधान ससार के तात्त्विक रूपातर में प्राप्त किया जा सकता है, केवल व्यक्ति की चेतना में ज्ञान के प्रवेश से नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी समस्या सार्वभौमिक है, व्यक्तिगत नहीं। यदि कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत आधार पर पाप से मुक्ति प्राप्त भी कर लें तो भी हमारी समस्या जहाँ की तहाँ रह जाती है। श्री अरविद ससार के उम्म तात्त्विक परिवर्तन की कल्पना करते हैं जिसके आधार पर ससार पाप के दु स्वप्न से पूर्णतया मुक्त हो जायेगा।

यह तात्त्विक परिवर्तन किस प्रकार किया जाय ? हम पहले ही देख चुके हैं कि विकास अचेतन रूप से मदगति से बराबर हो रहा है, पर इस मदगति से होने वाले परिवर्तन में अधिक समय लगेगा। यदि हम शीघ्र ही तात्त्विक परिवर्तन चाहते हैं तो विकास की निरतर होने वाली प्रक्रिया को किसी दूसरी पूरक वस्तु द्वारा तीव्र करना होगा। यह दूसरी वस्तु है 'दैवी अनुकपा' या दैवी प्रकाश का अधिक-से-अधिक मात्रा में अवतरण। 'दैवी अनुकपा' तात्त्विक परिवर्तन की अनिवार्य मान्यता है और केवल यही ससार को पाप से मुक्त कर सकती है। किंतु यदि ईश्वरीय अनुकपा ससार की प्रकृति में तात्त्विक परिवर्तन का प्रधान माध्यम है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य के प्रयास की उपेक्षा की जाय। इसके स्थिपरीत दैवी अनुकपा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने को उपयुक्त एव सुपात्र बनाना होगा। जब तक मनुष्य सुपात्र नहीं होता, उसमें 'दैवी अनुकपा' को पाने की तीव्र प्रेरणा नहीं होती, तब तक अनुकपा का अवतरण नहीं होता है। मनुष्य, योग-पद्धति द्वारा, 'दैवी अनुकपा' के अवतरण के समय, उसे ग्रहण करने के लिए अपने को योग्य अथवा उपयुक्त बना सकता है।

यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उपयुक्तता के विषय में श्री अरविद और परपरागत विचारों में भेद है। उपयुक्तता से श्री अरविद का वह तात्पर्य नहीं है जो परपरागत विचार-धारा में है, अर्थात् शरीर, जीवन और मन से पूर्ण तटस्थता (Detachment)। ऐसी तटस्थता मनुष्य को दैवी प्रकाश को ग्रहण करने के बजाय अनुपयुक्त बनाती है। दैवी प्रकाश ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी पूर्णसत्ता (अर्थात् शरीर, जीवन और मन) के साथ ग्रहणशील बने। यदि दैवी प्रकाश व्यक्ति के जीवन के एक ही अश को उद्भासित करता है तो व्यक्ति उसे अनुपयुक्त नहीं रख सकेगा और वह अपनी पूर्वावस्था में पुनर्पहुँच जायेगा। इसके अतिरिक्त, उपयुक्तता का अर्थ है कि व्यक्ति ससार

को उच्चतर स्थिति तक उठने में सहायता करेगा। परतु शरीर, जीवन और मन से तटस्थ व्यक्ति, इसके विपरीत अपने को ससार से पूर्णतया पृथक् कर लेगा जो अध्यात्म विरोधी कार्य है क्योंकि आध्यात्मिकता का तात्पर्य है सपूर्ण विश्व के साथ एकात्म का स्थापन। जो भी हो, दैवी अनुकूल और आत्म-प्रयास को एक दूसरे का विरोधी समझा भूल होगी। वे दोनों परस्पर विरोधी न होकर एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। इन दोनों को विकास-क्रम में पग-पग जलना है।

श्री अरविंद : अतिमानव के देवदूत

श्री अरविंद के विचार में अतिमानस का अविभाव (Emergence) विकास की अनिवार्यता है। इसी के परिणामस्वरूप अतिमानव का उदय होना भी अनिवार्य है क्योंकि अतिमानव में ही अतिमानस का अवतरण होता है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि अतिमानव और अवतार दोनों एक ही नहीं हैं। इस ससार में अवतार का जन्म एक विशेष मन्त्रव्य से होता है। ईश्वर उसे एक विशेष उद्देश्य से भेजता है और वह उस उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए ससार में आता है और कार्य समाप्त होते ही वह ससार से विकास की प्रगति को बैंसे ही छोड़कर चला जाता है। वह विश्व की प्रवृत्ति में कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं करता, वह तो विकास के मार्ग की महान् बाधाओं को दूर कर विकास के मार्ग को प्रशस्त बनाता है ताकि वह अपनी मथरगति से अग्रसर हो सके। यह सत्य है कि अवतार मनुष्य-शरीर में जन्म लेता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह संपूर्ण मानव जाति को दिव्यता प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में अवतार के आगमन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य का शरीर दिव्यसारतत्व (Divine Essence) अपने भीतर रख सकने में सर्वाधिक समर्थ है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य में दिव्य बनने की चमता है। इसके अतिरिक्त अतिमानव ससार में किसी विशेष उद्देश्य से नहीं आता और न उस उद्देश्य के पूरा होते ही चला जाता है। वह विश्व में स्थायी रूप से निवास करने के लिए आता है और अपने उच्च कार्यों से विश्व को ऊँचा उठाता है। वह एक व्यक्ति के रूप में नहीं आता, वरन् एक उच्च जाति के प्राणियों के सदस्य के रूप में आता है। जब विश्व का विकास उस स्तर पर पहुँच जाता है कि अतिमानव का अविभाव हो तब अतिमानव एक व्यक्ति के रूप में नहीं, वरन् अतिमानवों की एक जाति के रूप में आता है।

अतिमानव पवित्र होते हुए भी ईश्वर के समरूप (Identical) नहीं होता और न उसके आविभाव के साथ ही विकास का क्रम रुक जाता है। हाँ, इस क्रम में एक तात्त्विक परिवर्तन द्वावश्य होता है—अतिमानव के अवतरण के पूर्व यह विकास अज्ञान के द्वारा होता है पर उसके अवतरण के पश्चात् सर्वप्रथम विकास ज्ञान के द्वारा होता है। किन्तु ज्ञान की भी कई कोटियाँ होती हैं, अत विकास-क्रम तब तक ऊर्जेगामी बना रहता है

जब तक कि सच्चिदाननद का आविर्भाव नहीं होता जो सत्, चित् और आनन्दस्वरूप है।

यह स्मरण रखना बहुत ही आवश्यक है कि अतिमानव के विकास का यह सिद्धात मानवतावाद के सिद्धात से बहुत भिन्न है। मानवतावाद मानव और उसकी समस्याओं मात्र को ही दर्शन का विषय मानता है। वह प्रत्येक तथ्य को, मानव की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि चेत्रों की विभिन्न वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, मानव-दृष्टिकोण से अँकता है। वह उप-मानव (Sub human) तथा अतिमानव-जगत् के सबध में बिल्कुल विचार नहीं करता। श्री अर्रविद के विचार में यह एक स्पूर्ण विचारधारा है। मानव और उसकी समस्याएँ विकास-क्रम के एक स्तर से ही सवधित हैं, अत उन्हें इतना महत्व नहीं दिया जा सकता कि वे अन्य समस्याओं को ढूँक ले। मानवतावादी केवल नैतिक जगत् में ही रहते हैं। नैतिकता श्रेकेली हमें वात्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकती।

अतिमानव के विकास का दर्शन इससे भिन्न है। यह स्पूर्ण विश्व पर विचार करता है, केवल मानव और उसकी समस्याओं पर ही नहीं जो कि स्पूर्ण विश्व का एक अग्र मात्र है। हाँ, इसका आग्रह इस बात पर है कि मनुष्य ने अपनी उस ज्ञानता को प्रदर्शित किया है जिससे स्पष्ट है कि वह मनुष्य से ऊँचा उठ सकता है। श्री अर्रविद का विश्वास है कि जब 'उच्चतर प्रकाश' का अवतरण होगा और वह प्रकाश स्पूर्ण विश्व को और भी अधिक उदात्त, श्रेष्ठ एवं पवित्र रूप में रूपात्मित कर देगा, तब उस प्रकाश का अवतरण मनुष्य की चेतना में होगा। इस अवतरण का परिणाम होगा मनुष्य का अतिमानव के रूप में परिवर्तन और साथ ही उसकी प्रकृति का पराप्रकृति के रूप में रूपात्मतर। अतिमानव और उसकी पराप्रकृति के इसी दृष्टिकोण से ही श्री अर्रविद विश्व के सबध में विचार करने का प्रयत्न करते हैं। इस दृष्टिकोण से मनुष्य की आवश्यकताओं और समस्याओं का विशेष महत्व नहीं है और वे विशाल समस्याओं में अतर्लीन हो गयी हैं।

श्री अर्रविद द्वारा प्रतिपादित विकास के स्वरूप की विशेषता यह है कि उसमें मनुष्य के लिए अपनी सत्य स्थिति—दैवी स्थिति तक पहुँचने का विधान है। यह विचित्र बात है कि मनुष्य की दिव्यता के सबध में अपने सिद्धातों का दम भरने वाले पश्चिमी दार्शनिक नैतिक स्तर की अपेक्षा मनुष्य को और ऊँची स्थिति प्रदान न कर सके। उनकी असफलता का कारण है, उनके विकास का दोषस्पूर्ण सिद्धात। वे या तो विकास का यात्रिक रूप में ग्रहण करते हैं जहाँ मनुष्य की दिव्यता की कोई बात नहीं हो सकती है, या जब वे इसे आध्यात्मिक रूप में देखते हैं तब वे आध्यात्मिकता को भौतिकता से पूर्णतया पृथक् कर देते हैं। इसी कारण से पश्चिम का आध्यात्मिक दृष्टिकोण मनुष्य की मध्य आकाश में लटकता हुआ छोड़ देता है। वह भौतिक संसार से तो पृथक् हो ही जाता है, साथ ही दिव्यता से भी अलग रह जाता है।†

श्री अर्रविद का दर्शन बड़े स्पष्ट रूप से पदार्थ (Matter) और आत्मा (Spirit)

मे समन्वय स्थापित करता है, सार्वभौम चेतना मे दोनों की वास्तविकता को स्वीकार करता है। वह कहते हैं कि हमे सत् (Being) को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम उसमे निवास करते हैं। यह सत् ही सभी विश्व-क्रिया (Cosmic activity) का आधार है। परन्तु सत् स्वयं अमत् (Non-being) से उत्पन्न हुआ है। असत् ही सत् को स्थान देता है, अत सत्ता (Reality) शाश्वत् शान्ति और शाश्वत् क्रिया है जो उसी के अस्तित्व के दो पहलू हैं। यदि शाश्वत् सत्य है तो शाश्वत् असत्य भी है। यदि ससार स्वप्न या भ्रम है और ब्रह्म सत्य है तो यह स्वप्न सत्ता मे ही विद्यमान है, उससे बाहर नहीं और जिस सामग्री से उसकी रचना हुई है वह वही परमसत्ता है। इस प्रकार यह ससार उतना ही वास्तविक है जितना ब्रह्म। यदि यह ससार वैसा ही भ्रम है जैसे रज्जु मे सर्प का भ्रम तो हम तर्क कर सकते हैं कि यह भ्रम इसलिए वास्तविक है क्योंकि रज्जु और सर्प दोनों का वास्तविक अस्तित्व है। यह भ्रम इसलिए सभव है क्योंकि भ्रम होने से पूर्व सर्प किसी समय किसी स्थान पर वास्तविक रूप मे था। इसी प्रकार यदि ससार भ्रम है तो इस रूप मे भ्रम होने से पूर्व उसका वास्तविक अस्तित्व किसी अन्य रूप मे रहा होगा। अत असत् (Non being) और विश्व एक ही शाश्वत् सत्ता की दो विभिन्न स्थितियाँ हैं। भौतिकवाद और श्राद्धार्थवाद एक ही शाश्वत् सत्ता के दोनों छोरों पर हैं। विश्व में इस सत्ता की उच्चतम अभिव्यक्ति केवल उसके चित् पक्ष का प्रदर्शन नहीं करती वरन् परम बुद्धि, शक्ति और आनन्द का भी। ब्रह्म ने यदि रूप ग्रहण किया है, पदार्थ-तत्त्व मे अपने को प्रदर्शित किया है तो केवल आत्माभिव्यक्ति का आनन्द लेने के लिए। यह सृष्टिक्रम दिव्य इच्छाशक्ति के कारण ही निरतर गतिशील है। अतः श्री श्राविद का कथन है कि शकराचार्य ने यह तो ठीक कहा कि ब्रह्म परम मुक्ति (Absolute Freedom) एवं शाश्वत् स्वयं-पूर्ण (Eternally self-sufficient) है परन्तु उन्होंने ब्रह्म के एक ही पक्ष पर बल देकर उसके अस्तित्व को एक ही पक्ष तक सीमित कर दिया है। ब्रह्म मे एक साथ ही निराकार और अनादि रूपों की सृष्टि करने तथा पूर्ण प्रशात् रहने एवं गत्यात्मक होने की क्षमता है।

श्री श्राविद् स्वीकार करते हैं कि ससार अपने वर्तमान रूप में, पूर्ण रूप से अपूर्णताओं से भरा हुआ है। यहाँ जीवन-मरण, ज्ञान-अज्ञान, सद्गुण और अवगुण का द्वद्व है किन्तु सच्चिदानन्द इन द्वन्द्वों मे भी विद्यमान है। वह इनके माध्यम से भी अपने को व्यक्त करता है। जन्म-मरण ब्रह्म की अमरता की सीमित अभिव्यक्ति है, सुख-दुःख उसके असीम आनन्द के धूमिल प्रतिक्रिया है और सद्गुण और अवगुण उसकी पूर्णता के आशिक प्रदर्शन हैं। इस विश्वप्रक्रिया को नियन्त्रित करने वाला रहस्यमय उद्देश्य (Secret Purpose) है इन द्वन्द्वों को उनके परम साररूप मे रूपातरित करना, पदार्थ, प्राण और मन के जगत मे सत्य और अमरता का शासन स्थापित करना।

श्री अरविद का विश्वास है कि शरीर, प्राण और मन को उनकी वर्तमान अशुद्धियों से शुद्ध और मुक्त किया जा सकता है और वे सच्चिदानन्द की अभिव्यक्ति के पूर्ण माध्यम बन सकते हैं। ऐसा इसलिए सभव है कि भौतिक शरीर सच्चिदानन्द के विशुद्ध अस्तित्व का सबसे निम्न स्तर है, प्राण उसकी असीम शक्ति या चेतन शक्ति की अभिव्यक्ति है और मन उसको व्यापक सत्य चेतना की। अत यह विश्व ब्रह्म से उत्पन्न है, उसका आवास है और निरतर उसके ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार श्री अरविद ने आदर्शवाद और भौतिकवाद, आत्मा और पदार्थ की विरुद्धता में उस चेतना के द्वारा समन्वय स्थापित किया है जो कि विश्व का केन्द्रीय और शाश्वत् सत्य है।

भौतिकवाद के समर्थक दार्शनिकों से श्री अरविद प्रश्न करते हैं कि सत्, पदार्थ में कैसे रूपात्मतिरित हो जाता है? दूसरे शब्दों में, चेतना पदार्थ में कैसे रूपात्मतिरित हो जाती है? वह स्वयं ही उत्तर देते हैं कि इस पदार्थ स्तर पर, चेतना अपने कार्य में, स्वयं को भूल गयी है, जैसे, कोई मनुष्य जब काम में बहुत व्यस्त हो जाता है तब अपनी सुध-बुध खो बैठता है और उस काण केवल कार्य तथा कार्य करनेवाली शक्ति-मात्र रह जाना है। इसी प्रकार जब पदार्थ में चेतना विकसित होती है तब वह उसी में अपने को भूल जाती है और फिर धीरे-धीरे इस दीर्घकालीन आत्म-विस्मृति से, इस पूर्वचेतन स्तर (Pre-sentient stage) से, अर्धचेतन की ओर बढ़ती हुई, अत में सद्वर्ष करती हुई फिर आत्म-चेतन, स्वतन्त्र, असीम, और अमर होना चाहती है। मन और पदार्थ इसी चेतना शक्ति के विभिन्न स्तर हैं। मान लोजिए कि यदि हम यही स्वोकार करते हैं कि चेतना का विकास पदार्थ से हुआ है, फिर भी चोख तो वही विकसित होगी जो पहले से उसमें अतर्निहित थी। वास्तवकता यह है कि प्राण, मन आदि स्तरों पर चेतना का रूप परिवर्तित हो जाता है। सबसे उच्च स्तर पर यह चेतना अस्तित्व की आत्म-चेतन शक्ति है।

श्री अरविद का कथन है, जो कुछ भी हो, विभिन्न रूपों में भी चेतना का सिद्धात वही रहता है। यह चित्त ही है जो शक्ति के रूप में विश्व की सृष्टि करता है। यहाँ हम उसी 'एकता' पर पहुँचते हैं जहाँ भौतिकवादी विज्ञान अपने दृष्टिकोण से पहुँचता है अर्थात् मन पदार्थ से भिन्न अन्य कोई शक्ति नहीं है, मन केवल भौतिक शक्ति का ही विकास और परिणाम है। श्री अरविद ने पदार्थ और मन को एक ही शक्ति के विभिन्न स्तर बताकर, प्राचीन भारत के औपनिषद-दर्शन की बहुत ही युक्ति-युक्त व्याख्या की है। वह न तो शकर के निवृत्तिवादी दृष्टिकोण (Ascetic View-point) का समर्थन करते हैं और न घोर भौतिकवाद का। उनका दर्शन पदार्थ और चेतना दोनों का समर्थन करता है और दिव्य जीवन के समन्वय की प्राप्ति में दोनों को स्थान देता है।

श्री अरविद चेतना को स्वीकार करने के साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि मानव-चेतना का विश्व-चेतना में विस्तार सभव है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता

जा रहा है कि मानवता में विश्व-चेतना की सभावना है। मानव-चेतना का विश्व-चेतना से मिलन योग द्वारा सभव है और भारतीय साधक यही प्रादर्श अपने सम्मुख रखते आये हैं।

जीवात्मा का स्वभाव या प्रकृति

श्री अरविद ने अपने दर्शन में व्यक्ति की आत्मा (Individual Soul) को अमरता को स्वीकार किया है, अत वह जीवात्मा के पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। मानव-स्तर पर व्यक्ति स्वयं परम चेतना की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। इससे प्रत्येक जीवात्मा की महत्ता का पता चलता है। पुनर्जन्मो द्वारा व्यक्ति की अमर आत्मा दुर्भेद्य अचेतन की दुर्भेद्यता को कम करके दिव्यता की अतिचेतना की ओर आरोह करने का प्रयत्न करती है।

श्री अरविद कहते हैं कि जीवात्मा का निजत्व (Individuality) केवल आभास, या अज्ञान द्वारा उत्पन्न भ्रम मात्र नहीं है, वरन् यह परमसत्ता के आधारभूत विधान (Structure) से सबद्ध है। जीवात्मा का वास्तविक निजत्व निरतर बना रहता है, अपरा अथवा निम्न प्रकृति से मुक्ति पाकर भी बना रहता है। ऐसी मुक्ति के बाद जो चीज़ लुप्त हो जाती है वह है अह (Ego) का मिथ्या निजत्व जो अविद्या या निम्न प्रकृति जन्य है। श्री अरविद के विचार में जब कि अहपूर्ण निजत्व व्यक्ति में सारे ससार से पृथक्कन्व की भावना उत्पन्न करता है, तो 'वास्तविक व्यक्ति' (True Individual) विश्व आत्मा के जीवन से सलग्न होता है और उसे यह ज्ञान रहता है कि वह अति वैश्व-परात्मपर भगवान् (Supra Cosmic Transcendent Divine) से अविभाज्य है।

विशिष्टाद्वैतवाद की भाँति, श्री अरविद का भी विश्वास है कि वास्तविक निजत्व (True Individuality) ईश्वर का शाश्वत अश है, फिर भी जीवात्मा के सार-तत्व के सबध में वह अद्वैतवाद की ओर आकर्षित होते हैं। जीवात्मा अपनी सत्ता और सार रूप में ईश्वर से तदरूप है और ईश्वर अविभाज्य रूप में प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। अत जीवात्मा शाश्वत रूप में पूर्ण और सभी बधनों से मुक्त है। यह जन्म, विकास, नाश का विषय नहीं है वरन् उत्पत्ति और विनाश के परिवर्तनों से परे है। जीवात्मा परमात्मा ही है, किन्तु 'उसके' अस्तित्व की एक विशेष स्थिति (Poise) में। यह परमात्मा से भिन्न है क्योंकि यह परमात्मा के अस्तित्व की विभिन्न स्थितियों में से एक है। अपने सारतत्व में परमात्मा के साथ एकाकार होते हुए भी यह रूप और कार्य में उससे भिन्न है। प्रत्येक जीवात्मा दिव्य-शक्ति की क्रिया का केन्द्र है और उसको अभिव्यक्ति का माध्यम है। प्रो० हरिदास चौधरी के शब्दों में, "निजत्व (Individuality) का अस्तित्व तन्त्रत परमात्मा में, परमात्मा के द्वारा और परमात्मा के लिए है, यह विश्व आत्म-निर्माण (Soul-making) करने की घाटी है और इसका उद्देश्य है पूर्ण देहधारी

व्यक्तियों का विकास करना क्योंकि परमात्मा की सासार में आत्म अभिव्यक्ति का या आत्मा की पदार्थ में अभिव्यक्ति का यही उपर्युक्त माध्यम है।†

जीवात्मा का परम लक्ष्य केवल मुक्ति या पूर्णता प्राप्त करना—नहीं है क्योंकि यह तो शाश्वत् रूप में मुक्त और पूर्ण है, वे दिव्य-शक्ति के साथ एकात्म है। यह समझना भूल होगी कि विकास प्रक्रिया में 'व्यक्ति' का विकास होता है क्योंकि वास्तविक व्यक्ति विकास प्रक्रिया से परे है। विकास प्रक्रिया में जिस चीज़ का विकास होता है वह है प्रत्येक विकासशील सासारिक व्यक्ति के हृदय में रहने वाला और उसके साथ विकसित होने वाला वह तत्व जिसे उपनिषदों में 'चैत्य पुरुष' कहा गया है। यह 'चैत्य पुरुष' दिव्य-शक्ति का स्फुरिंग है जो प्रत्येक देहधारी व्यक्ति में निहित है और इस जगत में शरीर, प्राण और मन-सहित व्यक्ति, जो 'अतिकालिक वैयक्तिक आत्मा' (Supra-temporal Individual Self) का उच्चतम प्रतिनिधि है, के विकास का नियत्रण करता है। इस 'चैत्य पुरुष' का वर्णन इस प्रकार भी किया जा सकता है कि यह एक प्रकार की उद्गति (Emanation) है जो 'वैयक्तिक आत्मा' से निकल कर विकास प्रक्रिया में निहित हो जाती है ताकि वह दिव्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकास प्रक्रम को सतत निर्देशित कर सके। अनुभव की पूर्णता न था आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर लेने पर, चैत्य पुरुष पुन 'वैयक्तिक आत्मा' के साथ युक्त हो जाता है। अत विश्व का परम लक्ष्य है आत्म-निर्माण अथवा दूसरे शब्दों में पूर्ण व्यक्ति या अतिमानव का निर्माण। इस लक्ष्य की प्राप्ति देहधारी व्यक्ति आध्यात्मिक साधना द्वारा कर सकता है। अत 'निजत्व मूलत वैयक्तिक चेतना Supra Individual Spirit)' की किया या उसके अस्तित्व का एक रूप है।'

उपर्युक्त विवेचन से व्यक्ति और समाज के सहसंबंध को भली भाँति समझा जा सकता है। व्यक्ति जितना ही अपने व्यक्तित्वको ऊँचा उठाता है उतना ही अधिक व्यक्ति और समाज का सधर्ष कम होता जाता है। व्यक्तिवाद (Individualism) को आज जिस रूप में समझा जाता है वह वास्तविक व्यक्तित्व के विकास का साधन नहीं है। आज का व्यक्तिवाद जिस व्यक्ति की कल्पना करता है वह व्यक्ति दूसरों के हित का ध्यान रखे बिना, कभी-कभी दूसरों का विरोध करके भी, अपना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हित करना चाहता है। वह व्यक्ति को अहमत्व की महानता प्राप्त करने के लिए असीम अवसर प्रदान करता है और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करने का अवसर देता है। ऐसा व्यक्तिवाद अपने आप में निर्द्य है। श्री अर्रविंद जिस व्यक्ति की कल्पना करते हैं वह इस प्रकार के व्यक्तिवाद द्वारा कल्पित व्यक्ति से सर्वथा भिन्न है कि

† H. Chaudhury : 'Sri Aurobindo and Absolutism,' Sri Aurobindo Mandir, Second Annual Jayanti Number, 15th Aug 1943, p 185

पूर्ण व्यक्ति जिसका विकास विकास-क्रम की एक आधारभूत आवश्यकता है उसके हित और दूसरों के हित में कोई विरोध नहीं होगा वरन् वह व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को अपने लिए शुभ नहीं मानेगा जिसमें कि दूसरों का हित न हो।

अधिकाश समाजों में एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ एकता का अनुभव नहीं करता है। शिक्षा और सामाजिक दबाव के द्वारा उसे अन्य व्यक्तियों के साथ सबध का अनुभव कराया जाता है परन्तु यह अनुभव कभी पूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार का सबध-सूत्र सकट-काल में टूट जाता है और किर उस सबध सूत्र को जोड़ने के लिए बाह्य दबाव डाला जाता है। अत इस प्रकार व्यक्ति-व्यक्ति तथा व्यक्ति और समाज में सधर्ष चला करता है। श्री अरविंद ने जिस ज्ञेयवादी समाज को कल्पना की है उसमें इस प्रकार के सधर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

अतिमानवीय प्राणी परमानन्द को प्राप्त करेगा और उसमें यह शक्ति होगी कि वह सबको परमानन्द अथवा आत्मा के आनन्द का पान कराये। एक मुक्त जीवात्मा का यही गुण माना जाता है कि वह सपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लीन रहे, दूसरों के सुख-दुख को अपना सुख-दुख समझे। अतिमानव को दूसरों की भलाई करने के लिए आत्म-बलिदान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण, मानवीय स्तर पर दूसरों की भलाई करने के लिए चेतन प्रयास करना पड़ता है पर अतिमानव के स्तर पर यह चेतन प्रयास आत्म-दर्शन के आनन्द में परिवर्तित हो जाता है और उसकी सार्वभौमिकता की भावना और किया उसके स्वभाव का सहज अग बन जाती है।

शिक्षा-दर्शन

श्री अरविंद का शिक्षा-दर्शन उनके जीवन-दर्शन के सर्वथा अनुरूप है। उनके दर्शन में साख्य और अद्वैत का समन्वय हुआ है। श्री अरविंद, उन सभी शिक्षाविदों की भाँति जिनका वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं, भारतीय शिक्षादर्शों के महान समर्थक हैं। उनकी विशेषता इस बात में है कि उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत की शिक्षा-पद्धति की सफलता का रहस्य, केवल इन आदर्शों के पालन मात्र में नहीं था वरन् इस पद्धति की आधारशिला—भारतीय मनोविज्ञान—पर आधारित था। श्री अरविंद के शिक्षा-दर्शन में भारतीय दृष्टिकोण से पूरित ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक तथ्य एवं शिक्षा-सिद्धात निहित हैं जिनका वर्तमान शिक्षा-पद्धति में सफलतापूर्वक समावेश किया जा सकता है।

परम उद्देश्य

(भारतीय परपरा के सर्वथा अनुकूल श्री अरविंद मानव द्वारा आध्यात्मिक विकास की उच्चतम स्थिति की प्राप्ति में आस्था रखते हैं। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा का प्रयोग एवं उद्देश्य है चेतना का विकास, उसका सक्षार और रूपातर, क्योंकि चेतना ही सृष्टि का आधारभूत सत्य है, परमसत्ता है, एक सूजनात्मक सत्ता है।) उनके विचार

में, मनुष्य के प्रारब्ध में ही यह है कि उसके अदर से स्वतं दिव्य मानवता (Divine Humanity) या अतिमानव-जाति (Race of Supermen) का विकास होगा । आधुनिक विज्ञान का विकासवादी सिद्धात जो प्रकृति में ऊर्जामी प्रवृत्ति को स्वीकार करता है और जिसके अनुसार पदार्थ से जीव तथा जीव से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, वह भी इसी विकास-दिशा की ओर सकेत करता है । किन्तु पदार्थ से मनुष्य तक के विकास की जिस प्रक्रिया का निष्पत्ति विज्ञान ने किया है वह एकाएक मनुष्य तक पहुँच कर समाप्त हो जाती है । यह विकास मनुष्य तक ही पहुँच कर क्यों समाप्त हो जाता है, इसका कोई उचित कारण विज्ञान नहीं दे पाता । श्री श्रर्विद के विचार में विकास की सभावनाएँ अभी भी शेष हैं, किन्तु विज्ञान विकास के इस दूसरे स्तर को स्पष्टरूप से क्रमबद्ध नहीं कर पाता और विकास की बाह्य प्रक्रिया तक ही सीमित रह जाता है । विज्ञान प्रत्यक्ष रूप से पदार्थ से प्राण और पशु से मानव तक के आश्चर्यजनक रूपातर को स्पष्ट बतला नहीं पाता । भारतीय योग-दर्शन में भी इस विकास-प्रक्रिया पर विचार किया गया है, जिसके अनुसार सासार पदार्थगत, प्राणगत, मानसिक तथा अतिमानसिक चार स्तरों में विभाजित है । ये स्तर केवल उस विशिष्ट आकार के नाम हैं, विशिष्ट रूप हैं जिनके द्वारा अनत सच्चिदानन्द ने अपने को व्यक्त किया है । यही अनत शक्ति उन सब स्तरों में व्याप्त है और विभिन्न आकारों या रूपों में व्यक्त होने के अनुसार ही उसे सबोधित किया जाता है । इस प्रकार प्रत्येक स्तर में अन्य अनुवर्ती स्तरों के विकास की सभावनाएँ निहित रहती हैं । अत अस्तित्व के प्रत्येक स्तर अपने ढंग से तथा अपनी सीमाओं में शेष सभी आगामी स्तरों की सभावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं । इन स्तरों में परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है । इसीलिए पदार्थ-स्तर पर, पृथ्वी के जड़ होते हुए भी, जब प्राण-स्तर का दबाव पड़ा तो प्राण की अभिव्यक्ति हुई । इसी प्रकार जब प्राण-स्तर पर मानसिक स्तर का दबाव पड़ा तब मन का विकास हुआ । अब इस मानसिक स्तर पर अतिमानस के दबाव के कारण अतिमानस के विकास का प्रयत्न हो रहा है जिससे मनुष्य के शरीर, जीवन और मन का उच्चतम एवं पूर्णतम विकास होगा ।

विकासक्रम • अचेतन और चेतन—श्री श्रर्विद का विश्वास है कि मानव से ही अतिमानव का विकास होगा जिस प्रकार कि पशु से मानव का विकास हुआ है । पदार्थ से मानव तक के विकास का क्रम अचेतन विकास-क्रम है अर्थात् विकास-क्रम में आत्मचेता मानव तक का विकास स्वभावतः प्रकृति के माध्यम से बिना किसी साधना या प्रयास के हुआ है । परतु मनुष्य के आगामी विकास में श्री श्रर्विद मनुष्य के सचेतन सहयोग को स्वीकार करते हैं । दूसरे शब्दों में, मनुष्य अपने भावी विकास के लिए स्वयं ज्ञेष्ठा करेगा, स्वयं प्रयत्नशील होगा । उनका विश्वास है कि मनुष्य का जो भावी विकास होने वाला है, उसमें इतना वीर्धकाल नहीं लगेगा जितना कि अचेतन विकास-काल में लगा क्यों क्यह-

विकास चेतना के गुण, परिमाण, तोव्रता, सहयोग तथा सकलपूर्ण प्रयास पर अवलबित होगा। इसका परिणाम यह होगा कि विकास करने में जो अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और शताब्दियों का समय लग जाता है वह सिमट कर वर्षों में सीमित हो जायेगा। अत इस उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक पूर्ण व्यवस्थित एव सुनियोजित शिक्षा-पद्धति की आवश्यकता है। इसीलिए श्री अरविंद प्राचीन भारत की आत्मा, आदर्शों और पद्धतियों को आधुनिक परिस्थितियों एव शिक्षा-सबधी अनुसंधानों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मनोविज्ञान के अनुकूल बना कर उनका शक्तिपूर्ण पुनरुत्थान करने पर जोर देते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा की नीव : सुदृढ़

राष्ट्रीय शिक्षा की चर्चा करते हुए श्री अरविंद शिक्षा की ऐसी नीव डालने के समर्थक हैं जो अतिमानसिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करे। अत उनका कहना है कि 'एक महान बौद्धिक रवना के लिए पहली आवश्यकता इस बात की है कि उसकी ऐसी सुदृढ़ नीव डाली जाय जो उसे सँभाल सके।' श्री अरविंद के विचार में आधुनिक शिक्षा-पद्धति, मानव-संस्कृति के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करने वाले विषयों के सबंध में व्यापक और भलीभांति चुनी हुई सूचनाएँ बालकों को देकर यह समझती है कि वह सतोषजनक नीव डाल रही है। किन्तु यहाँ वह एक आधारभूत भूल करती है। केवल सूचना ही बौद्धिक विकास की नीव नहीं बन सकती। सूचना तो उस सामग्री का एक आंग-मात्र है जिसके माध्यम से ज्ञाता ज्ञान की उपलब्धि करता है। सूचना वह आरभ॑विदु है जहाँ से नवीन खोज और आविष्कार का प्रारम्भ होता है। 'जो शिक्षा केवल ज्ञान-प्रदान करते तक ही सीमित है, वह शिक्षा नहीं है।' श्री. केवल विभिन्न मानसिक शक्तियों को साधन-सामग्रियों से पूर्णतया सुसज्जित करने की ही आवश्यकता नहीं है, वरन् उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वे नई सामग्रियों को खोज सकें और अपने पास की सामग्रियों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें। यह शक्तियाँ जिस (मानसिक) रचना की नीव डालेगी वही उस शक्ति का स्रोत होगा जो कि स्मरण, निर्णय, तथा सृजन-शक्तियों की निरंतर बढ़ती हुई क्रियाशीलता की माँग की पूर्ति कर सकेगा। पर यह शक्ति कहाँ प्राप्त होगी?

इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए श्री अरविंद भारतीय आदर्शवादी दर्शन के एक प्राचीन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। प्राचीन आंगों की भाँति उनका विश्वास है कि मनुष्य विश्व से पृथक् नहीं है। जिस प्रकार लहर समुद्र का अग है उसी प्रकार मनुष्य भी विश्व का अभिन्न अग है। ससार एक अनादिशक्ति, प्रकृति, माया या शक्ति से व्याप्त है। वही शक्तिःसार में विभिन्न नाम रूप में—मिट्टी, पौधों, कीड़ों, पशुओं और मनुष्यों में—अपने को व्यक्त करती है। ये सभी—मिट्टी, पौधे, कीड़े, पशु और मनुष्य—अपने

भौतिक अस्तित्व में उस शक्ति के व्यापार होने के उचित आधार है। हममें से प्रत्येक प्राणी एक डायनमो (शक्ति-केन्द्र) की भाँति है जिसमें उस ग्रनादि शक्ति की तररें उत्पन्न होती है, संगृहीत होती है, निरतर सुरक्षित रहती है और उपयोग की जाती है। जो शक्ति ताराओं और ग्रहों में सचरित होती है वही हमारे भीतर भी गतिशील है। हमारे विचार और कार्य उसी शक्ति की कीड़ा और उसकी क्रिया की जटिलता से उत्पन्न होते हैं। श्री अरविंद का कहना है कि ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिनके द्वारा मनुष्य-रूपी आधार अपनी चमत्कारों को बढ़ा सकता है। कुछ अन्य प्रक्रियाएँ भी हैं जिनके द्वारा वह अपने और विश्वशक्ति के बीच के अवरोधों को दूर करके सपर्क-मार्ग को प्रशस्त बना सकता है और उस शक्ति को अधिक से अधिक मात्रा में अपनी आत्मा, मस्तिष्क और शरीर में एकत्रित और सचारित कर सकता है। आधार की निरतर उच्चति, और सप्रेषित होने वाली शक्ति की मात्रा और कार्यों की जटिलता में वृद्धि ही सपूर्ण विकास का उद्देश्य है। जब वह शक्ति अधिकाधिक और पूर्ण मात्रा में, मनुष्य-रूपी आधार में प्रविष्ट हो जाती है और आधार इसके आधार और क्रीड़ा-सहन करने योग्य बन जाता है तब वह सिद्ध या पूर्ण मनुष्य बन जाता है। वह अपने व्यक्तिगत विकास की उस चरम सीमा पर पहुँच जाता है जिसके लिए मानवता युगो-युगो से साधना करती चली आ रही है।

श्री अरविंद कहते हैं कि यदि उपर्युक्त सिद्धात सत्य है तो वह शक्ति जो हमारी बौद्धिक क्रिया का आधार है, हमारे भीतर ही है और हम उसका पर्याप्त विद्तार कर सकते हैं, असीम रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि यह सिद्धात सत्य है तो इससे यह भी एक ठोस निष्कर्ष निकलता है कि हम इस शक्ति की अपने भीतर जिन्होंने ही अधिक वृद्धि करेंगे, इसके संग्रह द्वारा अपने को समृद्ध बनायेंगे, उन्होंने ही अधिक हमारे मन की क्रियाओं की परिविवरण द्वारा अपने को समृद्ध बनायेंगे, उन्होंने ही अधिक हमारे उसी के अनुपात में हमें सफलता प्राप्त होगी। यह प्रथम सिद्धात है जिस पर आर्योंने अपने शिद्धा-सिद्धात को आधारित किया था। इस शक्ति के अधिकाधिक संग्रह के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया था वह था 'ब्रह्मचर्य'।

ब्रह्मचर्य—श्री अरविंद का कहना है कि कठोर अनुशासन के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य के भीतर निहित शक्ति बढ़ती है और यह शक्ति स्वयं सप्रहकर्ता और मनुष्य-जाति के लिए लाभप्रद सिद्ध होती है।

उनके विचार में मानव-जीवन और उसकी समस्त शक्ति का आधार शारीरिक है, अर्थात् प्राण और शक्ति के स्थिर रहने और कार्य करने के लिए मनुष्य को शरीर रूपी आधार की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु प्राण और शक्ति का स्रोत भौतिक नहीं है वरन् ग्राह्यात्मिक है। योरोप का भौतिकवादी दर्शन केवल आधार को ही सज्ज कुछ मानता है और वह आधार को ही स्रोत भी समझ बैठता है। "भौतिक को ग्राह्यात्मिक तक उत्कर्ष करना ही ब्रह्मचर्य है क्योंकि इन दोनों के सम्मिलन से जो शक्ति एक से आरभ-

होकर चलती है और दूसरी को उत्पन्न करती है उसकी (स्वय) उन्नति होती है और वह अपनी पूर्ति भी करती है ।†

सभी शक्ति (तेज) रेतस् (वीर्य) में अर्थनिहित है । यदि इसे शारीरिक स्तर पर काम, क्रोध और लोभ आदि स्थूल विकारों के रूप में व्यर्थ नष्ट न किया जाय, शारीरिक स्तर पर अनैतिक कर्मों और सूक्ष्म स्तर पर अनैतिक विचारों द्वारा व्यर्थ नष्ट न किया जाय तो यह परिरचित होकर आत्मसंयम द्वारा वृद्धिमान होती है । स्थूल शरीर की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् बचा हुआ रेतस्, पहले तपस् (उद्धारा) के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो साध्य कर्म और सफलता प्राप्त करने में उत्तेजना प्रदान करता है । दूसरे, यह पुनः तेज में परिवर्तित हो जाता है जो प्रकाश और शक्ति रूप है और सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत है । तीसरे, यह विद्युत में परिवर्तित हो जाता है जो सभी प्रकार के शक्तिशाली शारीरिक और मानसिक कार्यों का आधार है । विद्युत में ओज निहित रहता है । यह ओज वह मुख्य शक्ति है जो ईर्थर या आकाश से उत्पन्न होकर मस्तिष्क में उठती है और उसको आदि शक्ति से परिपूर्ण करती है, जो पदार्थ को अत्यत सूक्ष्म रूप है या कह सकते हैं कि जो आत्मा के सञ्चिकट ही है । वह आत्मशक्ति ओज से ही उत्पन्न होती है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मज्ञान, बल, प्रेम और शङ्ख की प्राप्ति करता है । अत ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा व्यक्ति तपस्, तेज, विद्युत और ओज का सग्रह कर उनकी वृद्धि करता है और ये मुख्य शक्तिर्थं शरीर, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा के कार्य के रूप में व्यक्त होती है ।

समस्त ज्ञान . अर्थनिहित—दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धात् जिस पर प्राचीन काल से लेकर आज तक के सभी दार्शनिकों ने जोर दिया है, इस प्रकार है कि “समस्त ज्ञान मनुष्य के भीतर निहित है । उसे शिक्षा द्वारा जाग्रत करना है न कि बाहर से ज्ञान को उसके भीतर प्रविष्ट कराना है ।”

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मनुष्य के ज्ञानार्जन की शक्ति प्रकृति के तीन तत्वों, सत्त्व (ज्ञान), रजस्, और तमस् (अज्ञान) से मिलकर बनी है । इनमें से अतिम दो—रजस् और तमस्—ज्ञान को धुंधला बना देते हैं । मनुष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अध्यापक की मुख्य समस्या है कि वह कैसे तामस् प्रकृति को दूर करे, और राजस् प्रकृति को सम्मित करके सात्त्विक प्रकृति को जाग्रत करे । अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी का इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि वह अपने अत प्रकाश को ग्रहण कर सके । नैतिक शुचिता द्वारा जब तेज का जागरण होता है तब तामस् प्रकृति दूर हो जाती है । ब्रह्मचर्याश्रम के कठोर नैतिक ग्रनुशासन द्वारा राजस् प्रकृति का सम्मन होता है जिससे बौद्धिक हठ, अभिमान और विकार आदि नष्ट होते हैं और मानसिक शांति, स्पष्टता एवं ग्रहणशीलता उत्पन्न

† Sri Aurobindo . ‘The Brain of India,’ pp. 17, 18

होती है। मन की गलत धारणाओं को शुद्ध करने में सबसे मुख्य हाथ गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा और मानसिक समर्पण का है। गुरु से ग्रहण किये हुए सम्यक् विचार और प्रामाणिक ज्ञान ही इन गलत धारणाओं के निराकरण में सहायक है। अत शिद्धा का उद्देश्य है शिद्धक द्वारा बालक को अत प्रकाश का दर्शन प्राप्त करना। इस अत प्रकाश की प्राप्ति की तीन विधियाँ हैं—आवृत्ति, व्यान और नमन। आवृत्ति के द्वारा मन शब्दमय हो उठता है और अपने आप उसमें से अर्थ की अनुभूति होने लगती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि आवृत्ति यात्रिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि यत्रवत् आवृत्ति द्वारा यह प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। अत प्रकाश की प्राप्ति के लिए व्यक्ति में सात्त्विक तत्त्वों का उदय होना, शात भाव से ग्रहणशील होना और आवृत्ति के द्वारा प्राप्त शब्दों में मन के विचारात्मक पञ्च द्वारा अर्थ ढूँढ़ने की तत्परता होनी चाहिए। इसी को व्यान कहा जाता है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का अनुभव हम सब लोग करते हैं कि यदि कोई प्रश्न हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं है और हम थोड़ी देर के लिए उस पर विचार करना स्थगित कर दे तो वह प्रश्न सरलतापूर्वक स्पष्ट हो जाता है। बात यह है कि हमारे भीतर स्थित ज्ञाता का व्यान प्रश्न की ओर आकर्षित होता है और अवकाश-काल में वह प्रश्न को हल करने में व्यस्त रहता है और प्रश्न से सबधित सामग्री जुटाता है। श्री अर्रविंद का कहना है कि “ऐसे अनुभव केवल उन व्यक्तियों के लिए सभव है जिनके सात्त्विक तत्त्व पूर्णतया जाग्रत होते हैं, और जो गहन अध्ययन और बौद्धिक स्पष्टता के कारण चेतन या अचेतन अवस्था में कार्य करने में प्रशिक्षित हैं। इस सात्त्विक प्रवृत्ति के विकास की चरण सीमा वह है जहाँ पहुँच कर मनुष्य को स्वभावत बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। अध्यापक, पाठ्यपुस्तक, व्याकरण और कोष आदि का महत्व उसके लिए नहीं रह जाता और वह पूर्णतया अपने अत ज्ञान से ही सब विषयों को जान लेता है। किन्तु यह बात केवल उस योगी के लिए सभव होती है जिसने योग को सफलतापूर्वक किया हो।”*

— पूर्ण योग तथा आध्यात्मिक एकता—यह योग सात्त्विक प्रकाश तथा सिद्धि-प्राप्त करने की विधि बतलाता है। दूसरे शब्दों में, यह योग पूर्णत्व की प्राप्ति की विधि है और इसका आधार है ‘ब्रह्मचर्यानुशासन’, यह एक अद्वितीय अनुशासन है जिसके द्वारा आत्मा और मन पूर्णरूप से शिद्धित होते हैं। श्री अर्रविंद का योगानुशासन प्राचीन अष्टाग्र योग से थोड़ा भिन्न है और विभिन्न योग-प्रणालियों का समन्वय है। इस दिशा में स्वामी रामकृष्ण परमहस्य ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सभी योगानुशासनों की मौलिक एकता का मार्ग दिखाया था, किंतु मौलिक एकता के आधार पर शक्तियों और चमत्कारों का महान समन्वय श्री अर्रविंद के योग में ही हुआ। यह समन्वय योग के बाह्य रूपों को छोड़कर, सब में सामान्य रूप से पाये जाने वाले उस मूल सिद्धात् के आधार

* Sri Aurobindo : ‘The Brain of India,’ pp. 23, 24

पर हुआ है, जो सब मे समान रूप से पाया जाने वाला रहस्य है तथा जो साधन-प्रणालियों मे भेद होते हुए भी उनकी विभिन्न शक्तियों और उपयोगिताओं के संयोजन मे सचम है।

आध्यात्मिक साधना के लक्ष्य के समन्वित दृष्टिकोण (Integral view) के कारण ही ऐसा समन्वय करने का आवश्यकता पड़ी। अध्यात्म-साधना मनुष्य की अपूर्णताओं को दूर करके उसे पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करने मे सहायता करती है। पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करने पर व्यक्ति परम दिव्य अयवा रहस्यमयी आत्मा का अनुभव करेगा, वह एक दिव्यसत् का अनुभव करेगा जिसमे व्याप्त हम सब एक है, वह अनुभव करेगा कि दिव्यसत् के व्यक्त होने का वर्तमान साधन मानवता हो है और मानव-जाति और मानवप्राणी के माध्यम से ही यह क्रमिक रूप से अपने को अभिव्यक्त करेगा। इस दिव्यसत् का निरतर यही प्रयास है कि वह अपने दिव्य-ज्ञान को साकार करे और इस पृथ्वी पर दिव्यात्मा का साम्राज्य स्थापित करे। व्यक्ति के भीतर दिव्यसत् के विकसित होने पर उसके जीवन का मुख्य सिद्धात होगा समस्त मानव-प्राणियों के साथ आत्मीयता का अनुभव। इस सिद्धात मे केवल सहयोग की ही भावना निहित नही है, बरन् गहन-भ्रातृत्व की भावना है जिसके आधार पर हमें वास्तविक आत्मीय एकता, समानता और सामान्य जीवन का अनुभव होगा। हमें ज्ञात होगा कि सपूर्ण मानवता मे एक आध्यात्मिक एकता निहित है। हमें जात होगा कि अन्य साधियों के जीवन मे ही या साथ मे ही व्यक्ति के जीवन की पूर्ति है। ऐसे ही पूर्ण व्यक्तियों को बढ़ती हुई सख्ता मे मनुष्यजाति की महान आशाएँ निहित है। ऐसे ही व्यक्ति शक्ति के केन्द्र होगे और अतिविकसित एव आदर्श समाज के विकास मे सहायता करेंगे। आत्मिक स्तर पर सब मे समानता का अनुभव करने से हो मानव-जाति मे एकता स्थापित हो सकती है। अत मनुष्य की आत्मिक एव अतस्थ शक्तियों और चमत्कारों को बाहर निकालना और विकसित करना होगा। मनुष्य को बाह्य प्रकृति का विकास न करके अपनी अत शक्तियों को विकसित करना होगा अर्थात् आत्मा को प्राप्ति करनी होगी। इसी आध्यात्मिक आधार पर श्री अर्द्धविद जीवन के प्रत्येक जीवन मे अतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करते हैं।

संसार मिथ्या नहीं, आत्म-प्रयास —श्री अर्द्धविद इस संसार को मिथ्या, तात्त्विकतया बुरा तथा अपूर्ण नही मानते हैं और न सच्ची पूर्णता एव श्रानद की प्राप्ति के लिए— समार का त्याग करने का उपदेश देते हैं। वह व्यक्ति की आत्मा को दिव्य शक्ति के सचिच्चिदानन्द स्वरूप का एक अनादि अग मानते हैं। दिव्य शक्ति के अवतरित होने का प्रयोग जन है श्रानद सचिच्चिदानन्द की भौतिक परिस्थितियो मे अभिव्यक्ति। अस्तु, सचिच्चिदानन्द-स्वरूप का एक अनादि अग होने के कारण मनुष्य सदैव से ही शाति, पूर्णता और 'सत्य, शिव, सुदरम्' जैसे जीवन के उच्चादर्शों की कल्पना करता रहा है। इससे वह ज्ञात होता है कि मनुष्य अपनी अनादि प्रकृति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है,

किंतु वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति मे उसे शारीरिक और मानसिक बधनो एवं इत्तियाभिभूत आत्मा के कारण आत्मसाक्षात्कार मे न केवल निकट भविष्य वरन् सुदूर भविष्य मे भी बाधा का अनुभव होगा। पूर्णता प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जीवन का त्याग और अतिभौतिक साधनो का प्रयोग बताया जाता है। श्री अरविंद का कहना है कि जब तक अतिमानस का उच्चतर विकास नहीं हो जाता तब तक आध्यात्मिक साधना किसी सीमा तक मन को आध्यात्मिक-मात्र बनाएगी। अतः जब तक प्राण और शरीर भी रूपात्मरित न होगा तब तक आध्यात्मिक साक्षात्कार या अध्यात्मबोध मे बाधा पड़ेगी और उनको त्यागना ही पड़ेगा। अत अतिमानसिक स्तर के विकसित होने पर आज विभिन्न योगानुशासनो द्वारा जिन मानसिक चमत्कारों को सप्रयास प्राप्त किया जाता है उन्हे मनुष्य बिना साधना या प्रयास के, जन्मसिद्ध अधिकार के रूप मे प्राप्त करेगा। तब ये सपूर्ण शक्तियाँ स्वभावत दैवी देन के रूप मे मनुष्य को प्राप्त होगी।

यहाँ हमे यह ध्यान रखना होगा कि अतिमानव का विकास अवश्यभावी है। अचेतन विकास-क्रम के आधार पर भी, यद्यपि समय अधिक लगेगा फिर भी इस स्थिति की प्राप्ति अवश्य होगी। श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य आत्म-चेता प्राणी है। उसमे चेतन प्रयास की चमता है, अत इस उच्च स्थिति की प्राप्ति के लिए यदि वह आत्म-प्रयास करे तो दैवी अनुकूपा का शीघ्र अवतरण होगा और वह विकास-क्रम मे शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ सकेगा। ध्यान रहे, जैसा कि श्री अरविंद के जीवन-दर्शन का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि दैवी अनुकूपा बिना उच्चति सभव नहीं, पर दैवी अनुकूपा और आत्म-प्रयास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इन दोनों को पग-पग विकासक्रम मे साथ साथ चलना है। बालक के आत्म-प्रयास को ठीक दिशा मे निर्धारित करने के लिए उसे शिक्षा की आवश्यकता है। 'साधन साध्य के अनुरूप होने चाहिए तभी सफलता सभव है,' इस कथन के सर्वथा अनुकूल श्री अरविंद राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति को प्राचीन भारतीय-मनोविज्ञान के मूल सिद्धातो के आधार पर सयोजित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारतीय विचारो और भारतीय सम्झौते के तत्त्वो को शिक्षा मे सम्मिलित कर देने मात्र से ही शिक्षा-पद्धति भारतीय नहीं हो सकती। उनका दृढ़ विश्वास है कि प्राचीन भारतीयों की सफलता का रहस्य न केवल शिक्षा के द्वेष मे, वरन् अन्य द्वेषों में भी—सामाजिक और वैयक्तिक विकास की दृष्टि से—आश्रमों के शिक्षण-सबधी नियम, व्यवस्था आदि मे ही नहीं था वरन् उनकी सफलता शिक्षा-पद्धति और बौद्धिक प्रशिक्षण में मनोविज्ञान के पूर्ण और सूक्ष्म प्रयोग पर अवलबित थी, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसका आधार 'ब्रह्मचर्यानुशासन' था।

पाठ्य-विषय

श्री अरविंद, जैसा कि हमने देखा, यह मानते हैं कि जीवन का स्रोत आध्यात्मिक और आधार भौतिक है, अत वह अपनी शिक्षायोजना मे, इन दोनो मे से किसी तथ्य

की उपेक्षा नहीं करते हैं। वह आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक और भौतिक सभी क्षेत्रों में मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास चाहते हैं। इसी कारण वह पाठ्य-विषय में सभी विषयों का समावेश चाहते हैं। यद्यपि वह जीवन का स्रोत आध्यात्मिक होने के कारण, बालक की आध्यात्मिक शिक्षा अथवा आध्यात्मिक साधना पर बल देते हैं, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि वह साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन बालक के लिए हेतु समझते हो। अपितु इन सभी विषयों के अध्ययन का भी ध्येय एक ही होना चाहिए—मानव के व्यक्तित्व का विकास। वह शिक्षा को उतना ही विस्तृत एवं पूर्ण बनाना चाहते हैं जितना योरोप के लोग, परतु वह बालक का दृष्टिकोण केवल भौतिक जगत् तक—केवल जीवन के आधार तक—ही सीमित नहीं करना चाहते वरन् इस भौतिक आधार को उत्कृष्ट करके, जीवन के स्रोत तक पहुँचाना चाहते हैं। यही कारण है कि श्री अर्द्धविद ने शिक्षक के लिए भारतीय मनोविज्ञान का अध्ययन अत्यत आवश्यक माना है।

शिक्षक और मनोविज्ञान

श्री अर्द्धविद शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के मन के अध्ययन को शिक्षण-प्रक्रिया का एक आधारभूत तथ्य मानते हैं। शिक्षण की सफलता मानव-मन—बाल मन, किशोर मन, और प्रौढ़ मन—की विशिष्टताओं से परिचित होने पर निर्भर है। उनके विचार में, कोई भी शिक्षा-पद्धति चाहे वह कितने भी गमीर शिक्षा-सिद्धातों पर आधारित क्यों न हो, यदि वह ज्ञानार्जन के साधन—मन—की उपेक्षा करती है तो उसके द्वारा पूर्ण एवं सुसङ्खृत मस्तिष्क बनाने के स्थान पर बौद्धिक प्रगति में बाधा और हानि पहुँचने की अधिक सभावना है। कारण, शिक्षक को एक कलाकार या मूर्ति निर्माता की भाँति निर्जीव पदार्थ से संपर्क की स्थापना नहीं करना है वरन् एक अत्यत सूक्ष्म और सबेदनशील प्राणी से। शिक्षक को एक अदृश्य वस्तु—मन—से सबध स्थापन करना है और उसे व्यक्ति के प्रकृतिदत्त बधनों का भी ध्यान रखना है।

श्री अर्द्धविद स्वीकार करते हैं कि वर्तमान योरोपीय शिक्षण-पद्धति में शिक्षण-विधियों में प्रगति एवं उन्नति हुई है परतु अब भी इनमें दोष हैं जो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पाश्चात्य शिक्षण पद्धति मनोविज्ञान के अपर्याप्त ज्ञान पर आधारित है। सौभाग्यवश, वहाँ सामान्य विद्यार्थी इस मनोविज्ञान की प्रक्रियाओं का अधिक प्रश्रय नहीं लेते, इसके अतिरिक्त वह सक्रिय रहते हैं और घोर शारीरिक व्यायाम के अन्यस्त हैं, अतः इन्हीं कारणों से योरोपीय अपूर्ण मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण-पद्धति का भयकर परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। परतु भारत में इस पद्धति का जो प्रभाव विद्यार्थियों के शरीर, मन और चरित्र पर पड़ा है वह स्पष्ट दृष्टिगोचर है। अतः भारतीय शिक्षण-पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। श्री अर्द्धविद का कहना है कि वर्तमान काल में, इस प्रगतिशील समाज

मेरे मन को अत्यधिक कार्यों को सभालना है, अत दो बातों की आवश्यकता है प्रथम, ज्ञान के साधनों का अध्ययन और ऐसी शिक्षण-पद्धति का विकास जो स्वाभाविक, सरल तथा प्रभावकारी हो, द्वितीय, ज्ञान के इन साधनों को उनकी शक्ति भर बलशाली तथा तीव्र बनाया जाय ताकि वे सासार के बढ़ते हुए कार्यों को सभालने में समर्थ हों। ये सब शिक्षक के कार्य से सबधित हैं।

शिक्षक का दायित्व तथा शिक्षा-सिद्धांत

आदर्शवादी परपरा तथा प्राचीन आदर्शवादी दार्शनिकों की भाँति श्री अरविंद ने भी शिक्षक के कर्तव्यों का निर्देश किया है। उनका कहना है कि अध्यापक केवल उपवेष्टा या 'टास्कमास्टर' नहीं है, वरन् सहायक और निर्देशक है। उनके अनुसार शिक्षा का प्रथम सिद्धांत जो शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए वह है, कि बालक को कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता। सब ज्ञान उसके अद्वर निहित है। अत शिक्षक का कार्य मुझाव देना है, विचारों को लादना नहीं। शिक्षक वास्तव में शिष्य के मन को प्रशिक्षित नहीं करता, केवल यह बताता है कि वह अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार सुव्यवस्थित करे, और इस दिशा में वह शिष्य की सहायता करता है और प्रोत्साहन देता है। वह शिष्य को ज्ञान नहीं प्रदान करता, केवल यह बताता है कि शिष्य स्वयं किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करे, वह उसके अतस्थ ज्ञान को बहिर्मुख भी नहीं करता, केवल यह बतलाता है कि ज्ञान कहाँ स्थित है और उसे किस प्रकार व्यक्त करना चाहिए। यह सिद्धांत बालक, किशोर तथा प्रौढ़ सब पर समान रूप से लागू होता है। जो लोग इस सिद्धांत को केवल किशोरों और प्रौढ़ों के लिए ही व्यवहार्य समझते हैं तथा बालकों को शिक्षित करने में इसकी उपयोगिता को अस्वीकार करते हैं, वे भूल जाते हैं कि उनके विचार रूढिवादी तथा अबौद्धिक हैं। बालक अथवा वयस्क, लड़का अथवा लड़की, सबके प्रशिक्षण का केवल एक यही ठोस सिद्धांत है। आयु का भेद केवल आवश्यक निर्देश और सहायता को कम या अधिक करने के लिए है।

शिक्षक को विद्यार्थी के मनोविज्ञान का ध्यान रखते हुए भी शिक्षा के द्वितीय आधार-भूत सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए जिसमें हमारे आदर्शवादी दर्शन का विश्वास है—‘प्रत्येक व्यक्ति में कुछ दैवी अश है और कुछ उसका अपना निजत्व है। प्रत्येक में पूर्णना और शक्ति प्राप्त करने की क्षमता है।’ अत शिक्षक का कर्तव्य है कि वह शिष्य के भीतर निहित सर्वोत्तम को हँड़निकाले तथा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि वह बालक के भीतर निहित सर्वोत्तम को व्यक्त करे और उसे इस प्रकार पूर्णता प्रदान करे कि सदृश्य की पूर्ति हो।

† Sri Aurobindo : 'A System of National Education,' P 5

“प्रकृति की उसके धर्म का पालन न करने के लिए बाध्य करने का अर्थ है, स्थायी रूप से उसकी हानि करना, उसके विकास को चिति पहुँचाना और उसकी पृथिता को कुरुप बनाना। मनुष्य की आत्मा के प्रति यह एक स्वार्थ-न्यैरित अत्याचार है। यह राष्ट्र के लिए घातक है क्योंकि एक व्यक्ति जो सर्वोत्तम देन दे सकता है, उससे उसे बचित होना पड़ता है और उसके बदले अपूर्ण, कृत्रिम, निम्न श्रेणी की सामान्य देन प्राप्त होती है।”† श्री अरविंद के विचार में माता-पिता या शिक्षक की इच्छा के अनुकूल बालक को ढालने का प्रयत्न करना बर्बरता तथा अज्ञानजन्य अधिविश्वास है। बालक को स्वयं अपनी प्रकृति के अनुकूल विकास करने देना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई भूल नहीं हो सकती कि माता पिता पहले से ही यह निश्चय कर ले कि उनके बालकों में अमुक विशेष गुणों, ज्ञानमताओं और विचारों का विकास हो और वे उनके द्वारा निर्धारित जीविका को अपनायें।

शिक्षक को शिक्षा का एक और तीसरा मुख्य सिद्धात भी ध्यान में रखना है। यह सिद्धात है निकट से दूर के लिए और ‘जो है’ उससे ‘जो होना है’ उसके लिए कार्य करना।‡ शिक्षक को चाहिए कि शिक्षा देते समय बालक की वर्तमान प्रकृति को व्यान में रखे अर्थात् बालक की उस प्रकृति को व्यान में रखे जो उसे उसके पूर्व जन्म के सस्कार, उसकी वशपरपरा, पास-पड़ोस, राष्ट्र और जाति के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। इन सबका बड़ा ही शनितशाली कितु अप्रत्यक्ष प्रभाव बालक के मन पर पड़ता है। इसलिए बालक की स्वाभाविक रुचियों के विकास के लिए बातावरण और अवसर प्रदान करना चाहिए। और उसके भीतर कभी भी बाह्य या विदेशी आदर्शों का स्थान नहीं होने देना चाहिए। “थह ईश्वरीय व्यवस्था है कि वे एक राष्ट्र, युग और समाज से सबद्ध रहें। वे अतीत के बालक, वर्तमान के स्वामी तथा भविष्य के निर्माता रहें। अतीत हमारा आधार है, वर्तमान हमारी साधन-सामग्री है और भविष्य हमारा लक्ष्य एवं शिखर है। राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति मे इनमे से प्रत्येक को उनका प्राप्त और स्वाभाविक स्थान मिलना चाहिए।”*

शिक्षण-पद्धति

समकालिक एवं क्रमिक शिक्षण—श्री अरविंद के अनुसार शिक्षण की दो प्रणालियाँ हैं (१) समकालिक (Simultaneous) तथा (२) क्रमिक (Successive)। शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्ति समकालिक प्रणाली की और है जिसमे बहुत से विषयों की

† Ibid. pp. 4, 5

‡ ‘To work from the near to the far, from that which is o that which shall be.’

* Sri Aurobindo : ‘A System of National Education,’ p. 6

थोड़ी-थोड़ी शिक्षा एक समय में दी जाती है। इसका फल यह होता है कि जिस विषय का पूर्ण ज्ञान एक वर्ष में हो सकता है वैसा ज्ञान सात वर्ष में भी नहीं प्राप्त होता है। इस आधुनिक प्रणाली में शिक्षा के अनिम सोपान में 'विशेष योग्यता, (Grandiose-specialism) प्राप्त करने का जो विवान है, श्री अरविंद कहते हैं, वह अवश्य हो सकता रहेगा।

शिक्षण की दूसरी प्रणाली प्राचीन समय में प्रचलित थी जिसमें एक या दो विषयों को पूर्ण शिक्षा देने का नियम था। फिर बाद में इसी प्रकार अन्य विषयों को भी शिक्षा दी जाती थी। श्री अरविंद के विचार में यह प्रणाली सर्वथा युक्तियुक्त थी। विभिन्न विषयों का ज्ञान तो इसमें नहीं मिलता था, किन्तु एक विशेष विषय का ज्ञान पूर्णरूप से हो जाता था। फलत विद्यार्थी का ज्ञान हल्का और उथला नहीं होता था। इस प्रणाली में स्मरणशक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता था कि विद्यार्थी अपने पुराने विषय के ज्ञान को, अनुवर्ती विषयों पर ध्यान केन्द्रित करते समय भूलता नहीं था।

श्री अरविंद का कहना है कि आधुनिक शिक्षाविद् अपनी शिक्षाप्रणाली के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि बालक के लिए यह अत्यत कठिन है कि वह एक या दो विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित करे और इसीलिए उसे एक साथ बहुत से विषयों को पढ़ना चाहिए। किन्तु श्री अरविंद के विचार में इस तर्क में कोई गभीरता नहीं है। उनका कथन है कि विभिन्नता से मन को शाति नहीं मिलती। सात या आठ साल के बालक को यदि अपने विषय में रुचि है तो वह पर्याप्त मात्रा में ध्यान केन्द्रित करने की चाहता रखता है। अतः विषय के प्रति बालक में रुचि जाग्रत करनी चाहिए और वर्तमान शिक्षा को यहीं करना है।

बालक का आरनिक प्रशिक्षण—सर्वप्रथम बालक का ध्यान उसके अपने ज्ञान के साधनों (Mental Instruments) तथा शिक्षा के माध्यम पर अधिकार प्राप्त करने की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। उसे उसकी भाषा का पूर्ण ज्ञान करा देना चाहिए क्योंकि जब तक उसे अपनों भाषा पर अधिकार नहीं होगा तब तक वह अन्य भाषाओं पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है। अपनी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने से वह ज्ञान के अपने सभी साधनों, और तर्क, निरीक्षण तथा निषेय-शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करेगा जो उसके अन्य विषयों पर अधिकार प्राप्त कर लेने के लिए आवश्यक है।

प्राय सभी बालकों में कल्पना-शक्ति, शब्दों को सीखने की प्रवृत्ति और नाटकों शक्ति होती है। इन शक्तियों का विकास केवल वर्तनी (Spelling) रटा कर और पुस्तकें पढ़ाकर नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि वर्तमान शिक्षण-पद्धति में किया जाता है वरन् इनका विकास साहित्य, और आमपास की अन्य नवीन वस्तुओं का निरीक्षण कराकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक मनोरजक कहानियों में रुचि रखता है।

वह वीरों का पुजारी और देशभक्त होता है। वह खोजी, जिज्ञासु, विश्लेषणकर्ता तथा छानबीन करने वाला होता है। उसमें प्रबल जिज्ञासा की भावना होती है और इस जिज्ञासा में दार्शनिक समस्याओं की ओर ले जाने की ज्ञानता होती है। उसमें अनुकरण करने की कला भी होती है। बालक के इन सभी गुणों का उपयोग करना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक यह है कि हम उन्हे विज्ञान, साहित्य एवं कला-सबधी विषयों को उचित पुस्तकों द्वारा प्रणालियों द्वारा परिचित कराये। पढ़ते समय बालकों को यह अनुभव नहीं होने देना चाहिए कि कोई विषय उन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है।

अत शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण एवं आरभिक कार्य है बालकों को उचित प्रकार की पुस्तकों से परिचित कराना और उनके द्वारा जीवन, कार्य और ज्ञान के प्रति सचित जाग्रत करना। इसी से उसे अपने ज्ञान के साधनों के विकास तथा शिक्षा के माध्यम पर अधिकार प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी और बाद में शीघ्रतापूर्वक यदि क्रमानुसार अध्ययन करने में उसे विलब भी हो जाय तो वह उस विलब की पूर्ति भी कर लेगा।

मन के स्तर—हमने आरभ में देखा कि श्री श्रविद शिक्षण-पद्धति में भारतीय मनो-विज्ञान के सिद्धांतों के प्रयोग पर बल देते हैं। अत हमें यहाँ कुछ मानसिक तथ्यों का भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार अध्ययन करना है।

मन शिक्षक का प्रमुख उपकरण है। अत शिक्षक को इसके स्वरूप एवं कार्य से पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए। मन या अत करण के चार स्तर होते हैं। पहला स्तर चित्त है जिस पर शेष तीन स्तर स्थित हैं। चित्त स्मृति का भडार है क्योंकि इसमें पिछले अनुभवों के मानसिक सस्कार एकत्र रहते हैं। चित्त के दो पक्ष हैं निष्क्रिय चित्त और सक्रिय चित्त। यह निष्क्रिय चित्त ही स्मृति का भंडार है जो सक्रिय चित्त अर्थात् स्मरण करने की क्रिया या सक्रिय स्मृति (Active memory) से भिन्न है। निष्क्रिय चित्त को अपने कार्य के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह निष्क्रिय स्मृति स्वचालित ढग से कार्य करती है और बिना किसी भूलचूक के सभी अनुभवों के प्रत्यय प्रभावों (After-effects) को सुरक्षित रखती है। हमारे सभी अनुभव निष्क्रिय स्मृति के रूप में चित्त में पड़े रहते हैं। सक्रिय स्मृति अपनी आवश्यकता के अनुरूप उस स्मृति-भडार में से प्रत्यय-प्रभावों को चुनती रहती है। हमें इसी सक्रिय स्मृति के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

अत करण का दूसरा स्तर मानस है जो भारतीय मनोविज्ञान के विचार से छठी इत्रिय है। इसका कार्य है ज्ञान का सग्रह या विचार-सामग्रियों का दो स्रोतों से सचयन करना प्रथम, वाहा जगत से—मन पक्ष ज्ञानेद्रियों (नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा) द्वारा लृष्टि, व्यनि, प्राण, रस और स्पर्श की सवेदनाओं को प्राप्त करता है और स्वयं उन्हें विचार सवेदनाओं (Thought-sensations) में परिणत करता है, और द्वितीय

मन स्वयं अपने भीतर से मानसिक प्रतिमाओं को निर्माण करके ग्रहण करता है और उनसे मानसिक संस्कार (Mental Impressions) बनाता है। 'ये सबेदनाएँ और संस्कार ही चित्तन की सामग्री हैं, स्वयं विवार नहीं।' † इदियाँ विचारों को जननी हैं, अत बालक को स्पष्ट एवं यथेष्ट रूप से सोचने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी ज्ञानेदियों को प्रशिक्षित किया जाय और उसकी ज्ञानेदियों की सूक्ष्म सबेदनशीलता उस सीमा तक विकसित की जाय जितनी कि उसमे सामर्थ्य है। अत शिक्षक का प्रश्न कर्तव्य यह है कि वह देखे कि बालक अपनी इदियों का उचित उपयोग करे। उसे उनके उपयोग का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो ताकि अवसर प्राप्ति के अभाव में, अनुपयोग के कारण वे कहीं आहत न हों या अविकसित न रह जायें। इसके अतिरिक्त ज्ञानेदियों की शिक्षा और भी अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली हो सकती है यदि ज्ञानेदियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ कर्मेदियों का भी प्रशिक्षण होता चले। उदाहरण के लिए, हाथ को इस प्रकार प्रशिक्षित होना चाहिए कि आँख जो कुछ देखे, मन अनुभव करे, उसे वह विन या लेख के रूप में पुनरुत्पादित कर सके। वार्षी को इस प्रकार प्रशिक्षित होना चाहिए कि वह अत करण के पूर्ण ज्ञान को भली भाँति व्यक्त कर सके।

तीसरा स्तर बुद्धि का है। शिक्षाविदों के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि यही चित्तन का वास्तविक साधन (Real instrument of thought) है। बुद्धि ही अत.करण के अन्य अगों द्वारा एकत्र किये गये ज्ञान को व्यवस्थित करती है। इस स्तर के दो अग हैं दक्षिण अग तथा वाम अग। इन दोनों की अपनी-अपनी समताएँ तथा कार्य हैं। दक्षिण अग का कार्य है : समझने की योग्यता, सृजनशीलता, समन्वयिता। वाम अग का कार्य है . आलोचनात्मक दृष्टि से देखना तथा विश्लेषण करना। दक्षिण अग का कार्य है . समझना, निर्देश करना, निर्णय करना तथा अनिवार्यता का प्रहस्तन करना और समझना। वाम अग का कार्य है : तुलना करना, तर्क करना, तर्कपूरी निष्कर्ष निकालना। इसका चेत्र निर्धारित सत्य तक ही सीमित है। दक्षिण अग ज्ञान का स्वामी है और वाम अग उसका सेवक है। मनुष्य के तर्क की क्रिया की पूर्णता के लिए बुद्धि के ये दोनों अग अनिवार्य हैं। यदि बालक की शिक्षा को पूर्ण बनाना है तो बुद्धि की समता को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। उसकी बुद्धि के दोनों अगों को सभव सीमा तक पूर्णरूप के प्रशिक्षित करना चाहिए।

चौथा स्तर है अतिमानस का जिसका मनुष्य मे अभी अधिक विकास नहीं हुआ है किन्तु धीरे-धीरे इसका विकास होगा। अतिमानस की शक्तियों को उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों मे देखा जा सकता है जो ज्ञान की अतदृष्टि के कारण सत्य के दृत बन कर मनुष्य को सत्य-पार्ग का अनुसरण करने मे सहायता देते हैं। इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों

† Sri Aurobindo : 'A System of National Education,' pp 8, 9

मे सत्य के अतप्रेरणात्मक प्रत्यक्षीकरण (Intuitive Perception) की जो तमता होती है उसको कुछ आलोचक कम करके अंगते है। इसका कारण है, उनमे 'भ्रम', मन की चचलता एव पच्चपात की वृत्ति का मिश्रण।' ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियो के प्रभाव मे ससार ने प्रगति न की होती। यह सत्य है कि महजज्ञानी, अपूर्व बुद्धि वाले व्यक्ति कम होते है। किर भी बहुत से व्यक्तियो मे यह अपूर्ण रूप मे होती है और दूसरो को यह कभी कभी बिजली की चमक की भाँति अनुभव होती है। यद्यपि इस अपूर्व शक्ति का विकास अब तक उपेक्षित रहा है, फिर भी अब शिक्षाविदो को इस पर ध्यान देना चाहिए। 'भ्रम, मानसिक चचलता एव पच्चपात की वृत्ति के मिश्रण' को क्रमश कम करके इस शक्ति के विकास मे बालक बो प्रोत्साहित करना चाहिए। इस दिशा मे शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से बालक की सहायता नही कर सकता पर उसे बालक मे सहजज्ञान की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए उसकी रुचि के अनुकूल अवसर प्रदान करने चाहिए।

ज्ञानेदियों का प्रशिक्षण—नेत्र, कान, नासिका, त्वचा, जिह्वा तथा अत करण—ये छ इद्रियाँ ज्ञान के साधन है। अत करण को छोड़कर, शेष पाँच बहिर्मुखी है और इनका काम है वहिर्जगत् से तथ्यो का सकलन करना। यह कार्य वे शरीर की नाडियो द्वारा करती है क्योंकि इन नाडियो का सबध पचेद्रियो से होता है। शिक्षक का प्रमुख कार्य है, इन इद्रियो को यथार्थता एव शीघ्रबोधता के दृष्टिकोण से पूर्ण बनाना। इसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि वह उन दोषो को जान ले जो यथार्थता एव शीघ्रबोध मे बाधक है।

इद्रियो की यथार्थता एव शीघ्रबोधता ज्ञान-ततुशो (Nerves) के स्वस्थ, स्वतत्र एव निर्बाध क्रियाशीलता पर निर्भर है। यही ज्ञान-तन्तु तथ्यो के सग्रह का स्रोत और माध्यम भी है। इही पर मन की स्वस्थ, निष्क्रिय ग्रहणशीलता (Mind's healthy passive receptibility) भी निर्भर है। सामान्यरूप से इद्रियाँ स्वाभाविकता पूर्ण होती है तथा स्वचालित ढग से अपना कार्य करती है। यदि उनमे कोई त्रुटि आ जाती है तो उस त्रुटि का दोष कही अन्यत्र होता है। यह दोष शिराश्रो के परिवहन मे हो सकता है। ये शिराएँ मस्तिष्क को सूचना भेजने के साधन है। साधारणतया इन शिराओ द्वारा सूचना स्वय आवश्यक रूप से इद्रियो तक पहुँचती है। हाँ, उस दशा मे ऐसा नही होता जब कोई शारीरिक त्रुटि होती है। ऐसी दशा में शिक्षक के स्थान पर चिकित्सक की आवश्यकता होती है। ये शिराएँ केवल सूचना बाहक होती है और ज्ञानेदियो द्वारा प्रेषित सूचना में किसी प्रकार की बाधा नही डालती है। परन्तु यदि शिराश्रो के प्रवाह मे दोष है तो इद्रियो द्वारा प्रेषित सूचना की यथार्थता, एव पूर्णता मे बाधा पड़ती है। शीघ्रबोधता की कमी तब आती है जब बाधाश्रो के कारण अत करण सूचनाओ से विच्छिन्न हो जाती है। शारीरिक आधातो, या अवयव सबधी दोषो की दशा को छोड़कर इद्रियो की सामान्य सबेदनशीलता को योगानुशासन की नाडी-शुद्धि-क्रिया या प्राण-

याम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

कभी-कभी यदि नाड़ी-शिराओं की बाधा सूचना को पूर्णतः रोकती नहीं है तो उसे विचिप्त कर देती है। उदाहरण के लिए, भय और चेतावनी-सूचक विचेपकारी संवेद इंद्रियों की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। सूचनाओं को विचिप्त होने से बचाने के लिए एक मात्र साधन है नाड़ी-शिराओं को स्थिर एवं शात रखने की आदत। नाड़ी-शिराओं को स्थिर एवं शात रखने में नाड़ी-शुद्धि भी सहायता पहुँचाती है। नाड़ी-शुद्धि शारीरिक कुव्यवस्था को शात करती है, आतंरिक प्रक्रियाओं को जानबूझ कर स्थिर करती है और अत करण को पवित्र करती है।

जब नाड़ी-शिराएँ शात, स्थिर और स्वतंत्र हो जाती हैं और तब यदि उनमें सूचना-सबधी कोई बाधा पड़ती है तो वह मन के द्वारा ही पड़ती है क्योंकि मन स्वयं बुद्धि से संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है। मानस ज्ञानेद्रिय भी है और नाडियों की भाँति सप्रेषण-शिरा भी है। ज्ञानेद्रिय के रूप में, अच्युत ज्ञानेद्रियों की भाँति वह स्वयंपूर्ण है, शिरा के रूप में इसमें दो प्रकार की कुव्यवस्थाएँ उत्पन्न हो सकती हैं—बाधा या विकार। ये कुव्यवस्थाएँ दोनों छोरों पर आ सकती हैं सूचना-सप्रेषण में, इंद्रियों से अतःकरण की ओर और अत करण से बुद्धि की ओर।

अत करण, ज्ञानेद्रिय के रूप में बाहर और भीतर के विचार-प्रभावों (Thought-impressions) का प्रत्यक्ष ग्राहक है। ये प्रभाव अपने आपमें पूर्णतया सही होते हुए भी कभी-कभी या तो बुद्धि तक बिल्कुल ही प्रेषित नहीं हो पाते या इतने विकृत हो जाते हैं कि उनसे पूर्णतया या आशिक रूप में मिथ्या प्रभाव उत्पन्न होता है। इंद्रियों के छोर से आती हुई सूचनाओं के अप्रत्यक्ष प्रभाव में भी बाधा पड़ सकती है किंतु इस बाधा के प्रभाव की मात्रा कम होती है। परन्तु जब मन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तब उस पर इस बाधा का प्रभाव प्रबल रूप में होता है जिससे भूलें होती है। अत करण मुख्यतः विचारों के प्रत्यक्ष प्रभाव को ग्रहण करता है, किंतु यह आकार और व्यवनि के प्रत्यक्ष प्रभावों को भी ग्रहण कर सकता है। वास्तव में यह उन सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रभावों को ग्रहण कर सकता है जिसके लिए यह श्रवित तर ज्ञानेद्रियों पर शक्ति रहता है। योग में इस अनुशासित एवं विकसित मानसिक ग्रहणशीलता को सूक्ष्मदृष्टि भी कहते हैं। श्री अरविद कहते हैं कि सूक्ष्म विचारों का प्रेषण (Telepathy), अदृश्य वस्तुओं का देखना (Clairvoyance) दूसरों के विचारों को जानना (Thought reading) और चरित्र को समझना, (Character-reading) ये पाश्चात्य जगत् द्वारा दिये हुए अंत करण की शक्तियों के आधुनिक रूप हैं जिनको कि भारत ने बहुत पूर्व ही जान लिया था। इनका सबध मानस से हैं। इस छोटी ज्ञानेद्रिय का विकार मानव-प्रशिक्षण का अग कभी नहीं रहा है। अत, मन के प्रशिक्षण

की भी आवश्यकता है जिससे वह बुद्धि को ठीक-ठीक सूचनाएँ प्रदान कर सके और उनके आधार पर व्यक्ति पूर्ण विचार ग्रहण कर सके और ठीक-ठीक सोच सके।

नाडी-शुद्धि से सर्वप्रथम नाडी सबधी सबेगात्मक बाधाये दूर होती है। नैतिक आचरण तथा सबेग समय बाहर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं की, धृणा, प्रेम या अन्य प्रबल सबेगों के विकृत प्रभावों से रक्षा करता है। प्राचीन काल में आरभिक साधनों द्वारा चित्त-शुद्धि की जो व्यवस्था प्रचलित थी वह आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उपयुक्त नहीं समझी जाती। चित्त-शुद्धि से तात्पर्य है, चित्त में नैतिक एवं मानसिक पवित्रता के स्वभाव का स्थिर होना। चित्त शुद्धि होने पर व्यक्ति नवीन अनुभव के प्रथम सस्कारों को पक्षपातरहीत रूप में ग्रहण करता है। चित्त शुद्धि होने पर नवीन अनुभव के प्रथम सस्कारों पर अवैतन द्वारा भी पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि चित्त-शुद्धि चित्त में स्थित पूर्व विचार साहचर्यों द्वारा डाली बाधाओं को भी दूर करता है। हम देखते हैं कि वस्तुओं को देखने का हमारा एक दृष्टिकोण बन जाता है और हमारे स्वभाव में एक सकीर्षता आ जाती है, अत हम नये अनुभवों को भी पुराने अनुभवों के रूप में देखते हैं। चित्त-शुद्धि से हमारी यह प्रवृत्ति दूर हो जाती है। श्री अरविद स्पष्टरूप से यह घोषणा करते हैं कि इस प्रकार की बाधाएँ तब तक बनी रहेगी जब तक हम अपनी प्राचीन पद्धति के कुछ मुख्य सिद्धातों को कार्यान्वित नहीं करेंगे। वस्तुत उनके विचार में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को सभी महत्वपूर्ण बातों में योरोपीय विचारों द्वारा शासित नहीं होना चाहिए। चित्त-शुद्धि और नाडी-शुद्धि एक ऐसी सीधी और सरल प्रक्रिया है जो हमारी शिक्षा-प्रणाली का अग्र बन सकती है।

इस प्रक्रिया का कार्य है कि हमारी निष्क्रिय स्मृति से जो असंख्य विचार सबेदनाएँ हमारी इच्छा के बिना बढ़ती हैं और जिनपर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है, उनको निष्क्रिय बनाना। यही निष्क्रियता हमारी बुद्धि को पुराने साहचर्यों तथा मिथ्या सस्कारों से मुक्त करती है और बुद्धि को इस योग्य बनाती है कि वह चित्त को यह निर्देश करे कि वह कौन से संस्कारों को ग्रहण करे और कौन से संस्कारों को अस्वीकार करे। यह हमे वह शक्ति देती है जिससे हम निष्क्रिय स्मृति के भडार से आवश्यक बातों को चुनते हैं। इसी के कारण हम उचित सस्कारों को ग्रहण करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। बुद्धि का वास्तविक कार्य है भेद करना, सचयन करना तथा श्रूखलाबद्ध करना। किन्तु जब तक चित्त-शुद्धि नहीं होती, द्विंश्च पना यह कार्य सुचारू रूप से करने के स्थान पर स्वयं अपूर्ण और दूषित रहती है तथा मिथ्या निरीक्षण, मिथ्या कल्पना, मिथ्या निर्णय, मिथ्या निगमन, आगमन तथा अनुमान के द्वारा मन में विकल्प उत्पन्न करती हैं। बुद्धि की स्वतत्रता, शुद्धि तथा सुचारू ढग से कार्य करने के लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है।

अर्थात् द्वारीं ज्ञानेन्द्रियों के कार्य में उच्चति—श्री अरविद के विचार में बालकज्ञानेन्द्रियों द्वारा इस कारण भी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता क्योंकि वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों को ठीक-ठीक

उपयोग करने का अभ्यस्त नहीं होता । वह विभिन्न ज्ञानेद्रियों द्वारा विभिन्न सबेदनाओं को जो मस्तिष्क तक पहुँचना चाहनी है, पर्याप्त ध्यान न देने के कारण ग्रहण नहीं कर पाता । ज्ञानेद्रियों की यह तामसिक वृत्ति बुद्धि के ध्यान न देने के कारण होती है । अत बालक को दृश्यों, आवाजों आदि को पकड़ने, पहिचानने, उनकी प्रकृति एवं तत्व तथा उद्गम की पहिचान करने और उन्हें चित्त में स्थिर करने का अभ्यस्त होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह स्मृति द्वारा उनका ठीक-ठीक युनरार्वत्तन कर सके ।)

श्री अरर्विद कहते हैं कि विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि ज्ञानेद्रियों और स्मृति के ठीक-ठीक उपयोग के अभाव के कारण बालक की प्रत्यक्षीकरण (Observation) की शक्ति पूर्णरूप से विकसित नहीं हो पाती । यदि बारह व्यक्तियों से यह कहा जाय कि दो घटे पहले जो घटना घटी थी उसका विवरण लिखो तो बारहों का वर्णन एक दूसरे से भिन्न होगा और साथ ही वास्तविक घटना से भी भिन्न होगा । अत बालक के प्रत्यक्षीकरण की इस अपूर्णता को दूर करना चाहिए । इस सुधार का प्रथम उपाय है ज्ञानेद्रियों के इस प्रकार का प्रशिक्षण जिससे वे अपना कार्य ठीक-ठीक कर सकें, और ज्ञानेद्रियों यह काम भली भाँति कर सकती हैं यदि उन्हें यह ज्ञात हो कि बुद्धि अपना कार्य सुचाह रूप से करने के लिए उनपर निर्भर है । द्वितीय, बालक को चाहिए कि वह ध्यान देकर तथ्यों को क्रमबद्ध करके अपनी स्मृति में सचित करे ।

ज्ञानार्जन की किम्बा मैं ध्यान या अप्रधान (Attention) का, जैसा हमने अभी देखा, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । ठीक-ठीक स्मरण करने और तथ्यों का ठीक-ठीक निरूपण करने से लिए अप्रधान की सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है । बालक को अनुशासन में रखने के लिए पहली आवश्यक चीज़ यह है कि बालक जो कार्य कर रहा है उस पर ध्यान दे । ऐसा तभी सभव है जब उसके ध्यान केन्द्रित करने का विषय चुनिकर हो । एक वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करना ही एकाग्रता (Concentration) कहलाता है । इस सबवध में भी एक तथ्य की सदा उपेक्षा की जाती है और वह यह है कि कभी-कभी कई चीजों पर ध्यान केन्द्रित करना अनिवार्य हो जाता है । अत साधारणतया जब लोग ध्यान केन्द्रित करने की बात करते हैं तो उससे उनका तात्पर्य एक समय में एक वस्तु पर ही ध्यान केन्द्रित करना ही होता है, परतु दो चीजों, तीन चीजों तथा कई चीजों पर भी ध्यान एक साथ केन्द्रित किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, जब कोई घटना होती है तब उसमें एक साथ ही कई कार्य हो रहे होते हैं, वह कई समकालिक व्यापारों का समृद्धाय होता है जो एक ज्ञान में एक ही साथ घटित होते हैं, जैसे—एक दृश्य, एक आवाज और एक स्पर्श, या कई दृश्य, कई आवाजें और कई स्पर्श । अधिकतर एक व्यक्ति का मन एक चीज़ पर ज्यादा ध्यान देता है और वाकी पर बुँधला ध्यान, अत वह घटना

का पूरा विवरण ठीक-ठीक नहीं दे पाता। श्री अर्रविंद कहते हैं कि यदि बालक को निरतर अम्यास कराया जाय तो वह अपने ध्यान को एक समय में घटित होने वाली घटना के विभिन्न पक्षों पर बराबर बाट सकता है।

इस सबध में यह भी वाद्यनीय होगा कि हाथ बालक की आँख की सहायता करे, अर्थात् बालक जो आँख से देखता है उसकी हाथ से नकल करने से उसको सम्यक् प्रत्यक्षीकरण में सहायता मिलती है क्योंकि ऐसा करने से उसे अपने अपूर्ण प्रत्यक्षीकरण का पता चल जाता है और वह तथ्यों को ठीक-ठीक देखने तथा देखे हुए को ठीक-ठीक निरूपण करने का अभ्यस्त हो जाता है। अत चित्रण-कला का यही प्रथम सदृष्टयोग है और इसी कारण चित्रण-कला का विषय ज्ञानेद्वियों के प्रशिक्षण का अभिन्न अग्र होना चाहिए।

भानुमिक शक्तियों का प्रशिक्षण—श्री अर्रविंद विद्यार्थी की मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थी की निरीक्षणशक्ति का प्रशिक्षण होना चाहिए। प्राय बालक अपने वातावरण में बहुत सी चीजों को देखते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि जो चीजें उन्हे दिलाई पड़ती हैं उन्हे भी पूरी तरह से नहीं देखते। इसका कारण है कि वे वस्तुओं को सामान्य दृष्टि से देखते हैं अर्थात् कम ध्यान से देखते हैं और परिणाम यह होता है कि वह उन वस्तुओं को उनके पूर्णरूप में न देखकर अधूरे रूप में देखते हैं। किसी स्थान, रूप या गुण के विषय में, ध्यान पूर्वक देखने से ही उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मुख्य तीन ज्ञानेद्वियो—आँख, कान, नाक द्वारा प्राप्त ज्ञान के अतिरिक्त स्पर्श और स्वाद के द्वारा भी वस्तुओं के विषय में उनकी प्रवृत्ति तथा गुण के बारे में बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है। जो छठी ज्ञानेद्विय—मन—का प्रयोग करते हैं, जैसे कवि, कलाकार और योगी वह वस्तुओं के बारे में और भी सूक्ष्म तथ्य ग्रहण करते हैं जो साधारण निरीक्षक के लिए सभव नहीं। वैज्ञानिक, अपनी छानबीन के आधार पर ऐसे तथ्यों को खोजता और निश्चित करता है जो सूक्ष्मतर निरीक्षण पर आधारित हैं। ये सब क्रियाएँ निरीक्षण के ही अतर्गत आती हैं और इनका आधार अवधान अथवा ध्यान है। यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह केवल निकटस्थ ध्यान से वस्तुओं का निरीक्षण करता है और तथ्यों को ग्रहण करता है या निकटस्थ एव सूक्ष्म ध्यान से। जिस व्यक्ति की ग्रहणशीलता सात्त्विक है और जिसका ध्यान एकाग्र होता है वह सामान्य निरीक्षण से भी वस्तु के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेता है। अत आधारभूत आवश्यकता इस बात की है कि बालक को अपना ध्यान एकाग्र करने की प्रशिक्षा दी जाय। यह प्रशिक्षा किसी बोफिल कार्य के रूप में न होकर रुचिकर ढग से होनी चाहिए। यहाँ एक फूल का उदाहरण लें। बालक को एक फूल की ओर केवल सामान्य दृष्टि से देखने की अपेक्षा, यह अच्छा होगा कि उसे फूल को जानने, उसका ठीक ठीक रंग, रूप, ग्रन्थ, आदि मन में स्थिर करने के लिए प्रेरित किया जाय। इसके उपरात फूल को तोड़

कर उसके ढाँचे का ठीक ठीक निरीक्षण करने की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया जाय। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक से विचारोत्तेजक प्रश्नों के आधार पर, जो बालक की योग्यता के अनुकूल हो, उसे चीजों को ज्ञानने, उनकी छानबीन करने की ओर इस प्रकार प्रेरित करे जिससे बालक अनजाने ही उन्हे पूर्णरूप से जान ले।

इसी प्रकार स्मरण और निर्णय करने की शक्तियों का विकास भी अचेतन रूप में होना चाहिए। एक बात की बार-बार आवृत्ति करना, स्मृति के प्रशिक्षण का यात्रिक और अबोद्धिक ढग है। उससे अच्छी विधि यह है कि बालक साकृत्यता और विभेद के पहचानने का अभ्यास करे। उदाहरण के लिए, बालक को विभिन्न फूलों में समानता और विभेद को पहचानने के लिए अग्रसर करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से न केवल स्मृति का प्रशिक्षण होता है, वरन् समानता और विषमता को जॉचने वाली बौद्धिक शक्ति का भी विकास होता है। इस प्रकार बालक निरीक्षण करने का उपयुक्त ढग ग्रहण करता है। श्री अरविंद बालक को तथ्यों के रटाने के पक्ष में नहीं है। वह मस्तिष्क को नाम, शुष्क विषय तथा सूचना-संग्रहों से सकुल नहीं बनाना चाहते। रटाने की क्रिया स्वाभाविक नहीं है और एक स्व-स्प मस्तिष्क वाले बालक के लिए रटाना रुचिकर भी नहीं है। रुचिकर निरीक्षण, तुलना, तथा भेद स्थापन द्वारा, बालक के विकासशील मस्तिष्क को यदि कुशलता पूर्वक ठीक दिशा में निर्देशित किया जाय तो बालक में वैज्ञानिक वृत्ति एवं स्वभाव का निर्माण हो सकेगा और शीघ्र ही वह वैज्ञानिक ज्ञान-सबधी आधार तथ्यों को स्थायी रूप से ग्रहण कर लेगा। फूलों, पत्तियों, पेड़ों का रुचिकर ढग से निरीक्षण करके, तुलनात्मक दृष्टि से देखकर बालक में वनस्पति-शास्त्र के ज्ञान की नीव डाली जा सकती है, इसी प्रकार नचाओं को देखकर ज्योतिषशास्त्र, पृथ्वी, पर्थरो आदि के निरीक्षण द्वारा भूगर्भ-शास्त्र, कोड़े, मकोड़े और जन्तुओं के निरीक्षण के आधार पर जन्तु-विज्ञान की नीव डाली जा सकती है। कुछ समय बाद रुचिकर प्रयोगों के रुचिकर निरीक्षण द्वारा बिना किसी सविधिक शिक्षा के, बिना सूत्रों और पुस्तकों को ध्यान में रखे रसायन-शास्त्र का ज्ञान देना प्रारंभ किया जा सकता है। बचपन में ही विभिन्न वस्तुओं के निरीक्षण, तुलना, स्मरण तथा निर्णय की शक्तियों के प्रशिक्षण से किसी भी वैज्ञानिक विषय पर स्वाभाविक एवं पूर्ण ढग से अधिकार हो सकता है। बालक अपनी कुमारा-वस्था में अवकाश के समय, इस दिशा में प्राप्त अभिरुचि को बड़ी गति के साथ बढ़ा सकता है।

बालक की निर्णय-शक्ति का प्रशिक्षण अन्य शक्तियों के प्रशिक्षण के साथ साथ स्वभावत होता चलेगा। उदाहरण के लिए, फूलों के निरीक्षण और तुलना करते समय, बालक को समय समय पर उनके रग, रूप, घनि, सुगंध आदि के बारेंमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि उनके गुण सबधी अनेक विचार ठीक हैं या गलत हैं। किसी किसी अवसर पर बालक को सूझने निर्णय करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। अत स्वभावतः

बालक की निर्णय-शक्ति का प्रशिक्षण होता चलेगा। आरभ में बालक के निर्णय में भूल हो सकती है, परतु जैसे जैसे उमे वारीकियाँ निकालने का अवसर प्राप्त होगा, वह औव-श्यकतानुसार उनके प्रति प्रयत्नशील होगा, अपनी भूलों को समझेगा और ठीक-ठीक निर्णय या सूचना के साथ निर्णय कर सकेगा। सर्वोत्तम तो यह होगा कि बालक को पर्याप्त मात्रा में ऐसे अवसर प्रदान किये जायें जब कि वह अपने निर्णय की तुलना दूसरों के निर्णय से कर सके। उसे अपनी भूलों का कारण भी मालूम होना चाहिए और यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वह किस मात्रा में भूल करता है। जब बालक अपने निर्णय के प्रयास में सफल हो तब प्रोत्साहित करके उसके आत्मविश्वास को सुढूँ बनाना चाहिए।

(तुलना और भेद करने से, किसी वस्तु की समताओं और विषमताओं को पहचानने से बालक में उपमान (Analogy) करने की शक्ति की वृद्धि होती है। बालक को इस शक्ति की सीमाओं और भूलों से भी परिचित करा देना चाहिए और उसकी इस शक्ति को उत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार उसमें सही उपमान करने की आदत, जो कि ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है, पड़ जायेगी।) ।

तर्कशक्ति के अतिरिक्त, जिसका वर्णन आगे किया जायगा, कल्पना भी एक महत्व-पूर्ण शक्ति है। इस शक्ति के कार्य मानसिक है—प्रतिमाओं का निर्माण, प्रत्ययों का सूजन, उपस्थित प्रत्ययों एवं प्रतिमाओं की प्रतिमाएं बनाना, अनुकरण करना या नए रूप में ढालना, वस्तुओं की आत्मा तथा सराहना करना, विश्व में व्याप्त सौन्दर्य, विशालता, भावना, गुप्त सकेतशीलता (Hidden Suggestiveness) तथा आध्यात्मिक जीवन को समझना।

विभिन्न मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अभ्यास पहले वस्तुओं पर तत्पश्चात् शब्दों और विचारों पर होना चाहिए। श्री अरविद के विचार में बालक को भाषा-ज्ञान देने के सबध में अधिकतर असावधानी से काम लिया जाता है। शब्दों के अच्छे ज्ञान के अभाव में बुद्धि की सूक्ष्म कियाशीलता और सत्यता में ज्ञानता आ जाती है। सबसे पहले बालक को शब्दों को, उनके रूप, ध्वनि तथा अर्थ के साथ जानना चाहिए, तत्पश्चात् शब्दों के रूप की अन्य शब्दों के रूप से तुलना तथा विभेद करना सीखना चाहिए और इसी के आधार पर उसमें व्याकरण सबधी ज्ञान की नीव रखी जा सकती है। इसी प्रकार समानार्थी शब्दों के अर्थों में सूक्ष्म भेद जानने और विभिन्न प्रकार के वाक्यों की रचना और लर्य (Rhytm) में भेद जानने के आधार पर बालकों में साहित्यिक एवं समन्वयात्मक शक्तियों को विकसित किया जा सकता है। यह सब अविधिक रूप से बालक की जिज्ञासा और हृचि को जाग्रत करके, और प्रचलित शिक्षण-पद्धति—जिसमें नियमों और सिद्धान्तों को रटने पर बल दिया जाता है—की उपेक्षा करके, प्राप्त किया जाना चाहिए।

तर्क-शक्ति का प्रशिक्षण

मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण के उपरात तर्क-शक्ति का प्रशिक्षण होना चाहिए। तर्क-शक्ति का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण के बाद इस लिए होना चाहिए क्योंकि तर्क के लिए सामग्री, विचारों या तथ्यों का संग्रह यही मानसिक शक्तियों करती है। तर्क में विचारों को उलट-पुलट किया जाता है, अतः यदि हम चाहते हैं कि बालक विचारों को सफलतापूर्वक तर्कना में प्रयोग करे तो तर्कना से पूर्व शब्दों पर आधिपत्य स्थापित करने वाली शक्ति को विकसित करना चाहिए। यथार्थ विचारणा-शक्ति के विकास के बिना तर्क शक्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। समस्या यह है कि आरभिक कार्यों के हो जाने के बाद बालक को ठीक-ठीक सौचने के लिए किस प्रकार शिक्षा दो जाय क्योंकि बिना पूर्व-पक्ष के युस्तियुक्त तर्क करना कठिन है। तर्क या तो तथ्यों से अनुमान करके निष्कर्ष निकालता है या पहले से निकाले हुए निष्कर्षों से नये अनुमान करता है या एक तथ्य से दूसरे तथ्य के सबध में अनुमान करता है अथवा केवल अनुमान करता है। /

उचित तर्क के लिए तीन तत्त्व अनिवार्य हैं — (१) तथ्य या निष्कर्ष जिससे तर्क का आरभ होता है, सही होने चाहिए, (२) सम्भित सामग्री (Data) पूर्ण और निश्चित होनी चाहिए तथा (३) उसी तथ्य से निकलने वाले अन्य सभव या असभव निष्कर्षा को पृथक् करना चाहिए। सावधानी तथा तीक्ष्ण बुद्धि से काम लेने पर तर्क की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है।

तर्क-शक्ति को सामान्यतः पुस्तकीय ज्ञान तथा तर्क-विज्ञान की शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। पहले सिद्धातों तथा सविधिक ज्ञान के द्वारा शिक्षा देकर बाद में उदाहरण दिये जाते हैं। किन्तु पाठनपद्धति इसके विपरीत होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बालकों को स्वयं तर्क-क्रिया तथा उसके दोषों का निरीक्षण अपने अनुभव द्वारा प्राप्त करने देना चाहिए।

बालक के मन को कारणों तथा प्रभावों की खोज करना तथा तथ्यों से अनुमान करने की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। सही निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए, उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का अनुभव उसे होने देना चाहिए। तभी बालक सही ढंग से तर्क करने का अभ्यासी होगा और उसकी तर्कना में दोष आने की सभावना नहीं रहेगी। जब बालक इस कला से पूर्ण तया परिवित हो जायेगा तभी वह सविधिक तर्क का व्यवस्थित अध्ययन शीघ्रता से कर सकेगा।

नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा

श्री अरविद आधुनिक स्कूलों और कालेजों की शिक्षा में नैतिक और धार्मिक शिक्षा के अभाव से दुखी थे। उनके विचार में नैतिक एवं सवेगात्मक प्रकृति की पूर्णता के

अभाव में केवल बौद्धिक प्रशिक्षण, मानव-प्रगति के लिए अहितकर है। यदि कुछ स्कूलों और कालेजों में यह शिक्षा दी भी जाती है तो वह गलत ढग से दी जाती है। कारण, नीति और धर्म-सबधी पुस्तके पढाकर बालकों को नीतिवान और धार्मिक बनाने का विचार अमर्पूर्ण है क्योंकि मस्तिष्क हृदय का स्थान कभी नहीं ले सकता है, और यह आवश्यक भी नहीं है कि मस्तिष्क को शिक्षित करने से हृदय का भी सुधार हो। श्री अरविद स्वीकार करते हैं कि यह कहना भूल होगा कि पुस्तकीय शिक्षा का हृदय पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुतः पुस्तकों द्वारा दी जाने वाली धार्मिक और मानसिक शिक्षा अत करण में कुछ विचारों को बीजरूप में डाल देती है और यदि ये विचार स्वभाव के अग बन जाते हैं तो चरित्र को भी प्रभावित करते हैं। नीति-सबधी पाठ्य-पुस्तकों के पढ़ने में डर यह रहता है कि वे उच्च वस्तुओं के विषय से विचार करने की क्रिया को यात्रिक और कृत्रिम बना देती है और जो भी क्रिया यात्रिक और कृत्रिम होती है वह 'शिव' की ओर क्रियाशील नहीं होती।

श्री अरविद योरोपीय नैतिक अनुशासन की भर्त्तना करते हैं क्योंकि वह दिखावटी और प्रवचनापूर्ण है। इसके द्वारा बालक घर और विद्यालय के नैतिक शिष्टाचार के अनुसार अपने को बना तो लेता है और आगे चलकर समाज के अन्य अनुशासनों का भी पालन करता है, परतु वह अपने आतंरिक एवं निजी जीवन को अपनी रचि के अनुसार स्वतत्र रूप में निर्देशित करने के लिए अपने को पूर्ण स्वच्छ द समझता है। जाति के हितार्थ और उसे नैतिक श्रष्टाचार के दोषों से बचाने के लिए, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा को हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का अभिन्न अग होना चाहिए। युगो प्राचीन वर्णश्रीम-धर्म पर आधारित श्रेष्ठ नैतिक चरित्र का उच्चादर्श हमारे नवयुवकों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस वर्णश्रीम-धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अपने-अपने कर्तव्य थे ज्ञान पिपासा, आत्मभक्ति, पवित्रता तथा त्याग ब्राह्मणों का, साहस, सम्मान, सज्जनता वीरता और देशभक्ति कृत्रियों का, परोपकारिता, कौशल, हस कला, अपने व्यवसाय में मै उदारता वैश्यों का, आत्मत्याग तथा प्रेमपूर्वक सेवा शूद्रों का—यही शार्यों के गुण थे।

पाश्चात्य सम्यता की प्रवचना से बचने के लिए इस प्रकार के नैतिक गुणों को आतंरिक अनुशासन (Inner discipline) द्वारा ग्रहण करना चाहिए। आतंरिक अनुशासन के लिए सम्यक् सवेगों, सत्सग, उत्तम मानसिक, सवेगात्मक एवं शारीरिक आदतों का अम्यस्त होना होगा, अपनी मूलप्रवृत्ति के स्वाभाविक आवेगों को उचित कार्यों में प्रयुक्त करना होगा।

नैतिक अनुशासन के सबध में श्री अरविद ने पाश्चात्य जगत में छात्रावास-युक्त इग्लिश स्कूलों में व्यवहृत आदर्शवाद की प्रभावपेक्षण की प्रणाली[†] का चिक-

[†] The Idealist Method of Impression

किया है जिसमें शिक्षक हीं बालकों का नतिक निर्देशक और आदर्श होता है। श्री अरविंद ने इस प्रणाली को प्रशंसा की है, यद्यपि इस प्रणाली में गुण के साथ कुछ दोष भी हैं। इस प्रणाली में बाहरी अनुशासन पर ही अधिक जोर दिया जाता है। बालक की भय की प्रवृत्ति का सहारा लिया जाता है और भय द्वारा वह अनुशासित रहता है, अत लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। उनके विचार में, वास्तव में प्रभाव डालने की इस प्रणाली का सर्वोत्तम प्रयोग हमारे प्राचीन गुरुओं द्वारा हुआ है क्योंकि वे अपने पूर्णज्ञान तथा पवित्रता के कारण शिष्यों के सम्मान-पात्र होते थे और शिष्य उनके आज्ञापालक होते थे। श्री अरविंद परामर्श देते हैं कि “क्योंकि इस प्राचीन पद्धति को पुनरुज्जीवित करना कठिन है, अतः योरोपीय पद्धति की किराये की पुलिस की भाँति व्यवहार करने वाले अध्यापकों के स्थान पर मित्र, सहायक, और निर्देशक अध्यापकों को प्रतिष्ठित करना चाहिए।”‡

नतिक शिक्षा देने में भी, शिक्षक को वहीं विधि अपनानी चाहिए जो मानसिक शिक्षा देने में अपनायी जाती है अर्थात् बालक को ऐसा मार्ग दिखाना चाहिए जिससे वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो। यह कार्य सुझाव द्वारा किया जा सकता है। सुझाव का सबसे सुदर्ढा है, बालकों के सम्मुख व्यक्तिगत आदर्श उपस्थित करना। प्रतिदिन के वार्तालाप तथा नित्य पढ़ी जाने वाली पुस्तकों द्वारा भी बालक को निर्देश दिया जा सकता है। मेरे पुस्तकों बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। इनमें प्राचीन वीरों की कहानीयां रुचिकर ढंग से लिखी होनी चाहिए। हाँ, यह कहानीयां उपदेश के रूप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि बालकों के हृदय पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि इस समय वे अपने जीवन के रोमाटिक (स्वच्छद) काल से गुजर रहे होते हैं। बड़े बालकों या किशोरों की पुस्तकों में महान् पुरुषों के महान् विचार होने चाहिए, साहित्य के वे अश होने चाहिए जो उनकी उच्च भावनाओं को उद्दीप्त कर सके, उच्च आदर्श और प्राकृतिक आदर्शों को प्रेरित कर सके, इतिहास की घटनाएँ तथा ऐसी जीवनियां होनी चाहिए जो इन उच्च विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं और प्रेरणात्मक आदर्शों के सजीव उदाहरण हो। जब अध्यापक और विद्यार्थी अध्ययन में इस प्रकार साथ-साथ भाग लेते हैं तो इस सत्संग का गम्भीर प्रभाव बालक पर पड़ सकता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि वह वाक्-उपदेश की प्रणाली न अपनाये बल्कि स्वयं आदर्शों का प्रतिरूप हो। इस प्रकार विद्यार्थी जिन उच्च विचारों को ग्रहण करता है उनसे उसमें शक्तिशाली स्वेच्छा अथवा भाव उत्पन्न होते हैं। इन भावों को, यदि बालक को एक सीमित चेत्र में ही कार्यरूप में परिणत करने का अवसर प्राप्त हो, तो उन्हें सफल व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है। अतः प्रयेक विद्यार्थी को व्यावहारिक अवसर तथा बौद्धिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए

‡ Sri Aurobindo : 'A System of National Education,' p 17

जिससे वह अपने भीतर निहित गुणों को आर्य परपरा के अनुसार विकसित कर सके। यह शिक्षक के कार्या का सकारात्मक पक्ष है।)

किंतु यदि बालक में शारीरिक या मानसिक दुरुण दुःस्वभाव या कुसस्कार हैं तो उसके साथ कठोर व्यवहार करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गलत है। उसे पापी भी घोषित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से, सुधरने के स्थान पर उत्तरोत्तर उसके बिंगड़ते जाने की सभावना है। ऐसे लड़कों को यह सुझाव देना अच्छा है कि वे रोगी हैं, उनके दोष बीमारी के लक्षणमात्र हैं और उनका रोग राजयोग की पद्धति जिसमें सत्यम्, अस्वीकार स्थानापन्न आदि, को क्रियाएँ सम्मिलित हैं, से दूर हो सकता है। उन्हें यह समझाना चाहिए कि जब उनके मन में असत्य या बुरे भाव उठते हो तब उन्हें अपनी इच्छाशक्ति को बलवंती बनाना चाहिए तथा असत्य के स्थान पर मन म सत्य, भय के स्थान पर साहस, स्वार्थ के स्थान पर त्याग एवं बलिदान तथा धृणा के स्थान पर प्रेम को जाग्रत करना चाहिए। ऐसे बालकों के सबध में “विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं उनके अविकसित गुण दोष मान कर अस्वीकृत न कर दिये जायें। बहुत से बालकों में शक्ति, महानता, और सज्जनता के अतिरेक के कारण वन्यता और असावधानी आ जाती है। है। उनका सस्कार करना चाहिए, न कि उन्हें निःस्ताहित करना चाहिए।”‡

धार्मिक शिक्षा के सबध में भी श्री अरविद योरोपीय पद्धति का अनुसरण करने के पक्षपाती नहीं है। योरोपीय पद्धति के ग्रनुसार बालकों को केवल धार्मिक सिद्धातों की शिक्षा देकर उन्हे पवित्र और नैतिक बनाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि या तो बालक उन्हे यात्रिक रूप में स्वीकार कर लेता है जिसका प्रभाव उसके आत्मरिक जीवन पर नहीं पड़ गा है और यदि बाह्य जीवन पर पड़ता भी है तो बहुत कम, अथवा बालक हृदिवादी, हठधर्मी, अतिधर्मवादी तथा पाखड़ी बन जाता है। धर्म जीवन में, व्यवहार में व्यवहृत करने की वस्तु है, मत के रूप में सीखने की वस्तु नहीं है।’

कोई भी धार्मिक शिक्षा तब तक लाभदायक नहीं होती जब तक कि उसे जीवन में व्यवहृत न किया जाय। विभिन्न प्रकार की साधनाएँ, आध्यात्मिक आत्म-प्रशिक्षण तथा प्रयोग धार्मिक जीवन के लिए तैयार करने के शक्तिशाली साधन हैं। प्रार्थना, उपासना और उत्सव आदि को व्यवस्था बहुत से व्यक्तियों को धार्मिक जीवन के लिये तैयार करने के लिए आवश्यक हैं, पर यदि वे इन्हें साधन मानें, साध्य नहीं तो साधन के रूप में आध्यात्मिक उक्षति में सहायता करती है। यदि इस प्रकार के धार्मिक दृत्यों को रोक भी दिया जाय तो इनके स्थान पर, किसी दूसरे प्रकार का ध्यान, भक्ति या धार्मिक कर्तव्य आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि ऐसा सभव न हो तो अच्छा यह होगा कि धार्मिक शिक्षा न दी जाय।

धर्म-विशेष की शिक्षा। विद्यालय मे दी जाती हो या नहीं, परन्तु प्रत्येक राष्ट्रीय रूपे जाने वाले विचालय मे धर्म के वास्तविक सार की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। यह वास्तविक सार प्रत्येक बालक के समक्ष यह आदर्श उपस्थित करता है कि वह ईश्वर के लिए जीवन व्यतीत करे, मानवता, देश तथा अन्य प्राणियों के लिए जीवित रहे तथा दूसरों मे अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए जीवित रहे।

यही हिन्दुत्व की वह भावना है जिसे भारतीय विषयों, भारतीय शिक्षण-पद्धति एवं भारतीय विचारधारा और धार्मिक ग्रंथों की प्रत्यक्ष शिक्षा की अपेक्षा, पूर्णरूप से राष्ट्रीय स्कूलों मे व्याप्त होनी चाहिए। इसी भावना के आधार पर राष्ट्रीय स्कूल अन्य स्कूलों की तुलना मे अपनी विशिष्टता मिछ कर मकरते हैं।

शिक्षा-दर्शन पर आधारित शिक्षा-संस्थाएँ

श्री अरविंद-आश्रम, पांडीचेरी

श्री अरविंद-आश्रम ग्राज जिस विकसित रूप मे है, उसका विकास धीरे-धीरे हुआ है। सबसे पहले जब श्री अरविंद ४ अप्रैल, सन् १९१० ई० मे पांडीचेरी आये तभी अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने आश्रम की स्थापना की। आरम्भ मे इसके मदस्यों की सख्ता कम थी। इनके योग से प्रभावित होकर, साधना के लिए क्रमशः अधिकाधिक मात्रक बाहर से आने लगे। सन् १९२० ई० मे फ्रासीसी महिला मीरा रिचर्ड ने अरविंद-दर्शन से प्रभावित होकर आश्रम की सदस्यता स्वीकार की। मीरा रिचर्ड (जो अब माताजी के नाम से सर्वविदित है) के आने पर आश्रम के सदस्यों की सख्ता धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि कई मकान किराये पर लिए गये और साधकों के स्वास्थ्य एवं निवासादि की सुविधा के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गयी। सन् १९२६ ई० मे, श्री अरविंद ने आश्रम की सारी व्यवस्था माताजी के हाथों मे सौप दी और स्वयं योगाभ्यास मे पूर्णतया निमग्न हो गए।

माताजी ने बड़ी पटुता और त्याग के साथ आश्रम की व्यवस्था की। फल स्वरूप साधकों की सख्ता बढ़ती गयी और आज लगभग ८०० साधक आश्रम मे निवास करते हैं। आश्रम की यह विशेषता है कि इसकी व्यवस्था प्राचीन वेद, उपनिषद् तथा महाभारत के काल के प्राश्रमों के अनुरूप हुई है। आजकल आश्रम का अर्थ उस स्थान से लिया जाता है जहाँ तपस्या की जाती है। परन्तु प्राचीन काल मे आश्रम की यह रूपरेखा नहीं मानी जाती थी। आश्रम गुरु का घर था, जहाँ भिन्न अवस्था के विद्यार्थी, भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञानार्जन के निमित्त आकर रहते थे। गुरु प्रिया का स्थान ग्रहण करता था, उन्हे ज्ञान प्रदान करता और अपनी-अपनी ज्ञानों के साथ अनुसार उन्हे जीविका ज्ञान मे सहायता देता था। गुरु गृह-क्रियाओं और जीवन से पूर्ण था। अरविंद-आश्रम प्राचीन काल के वशिष्ठ और कर्ण के आश्रम की भाँति ही है परन्तु आधुनिक युग की प्रेरितियों से

ममायोजित है। आश्रम में सब व्यक्ति बिना किसी प्रकार के भेद भाव के प्रवेश पा सकते हैं किंतु एक नियत्रण अवश्य है कि प्रवेश-प्रार्थी में योग साधना की बलवत्ती इच्छा अवश्य होनी चाहिए। आश्रम में आध्यात्मिक चितन पर विशेष बल दिया जाता है। वहाँ साधक मनसा, वाचा और कर्मणा अपने को पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। परतु इसके साथ ही जीवन की यथार्थता की भी उपेक्षा नहीं करते। ध्यान, एकाग्रता, कार्य और सेवा यह चार साधन हैं जिनके आधार पर साधक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त साधना मार्ग पर अग्रसर होता है। मनाजी प्रत्येक साधक का व्यक्तिगत रूप से मार्गनिर्देशन करती है। कार्य और सेवा साधना के ही अग हैं।

आश्रम में साधकों का बड़ा ही सगठित एव सुव्यवस्थित जीवन है। आश्रम अपने साधकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त स्वयं-पूर्ण है। आश्रम में अपनी दुर्घशाला, भोजनालय, चिकित्सालय, सिलाई-गृह, इजीनियरिंग कारखाना, प्रेस, वाचनालय, प्रकाशन आदि विभागों की व्यवस्था है। सभी विभागों में, सब कार्यों में साधक भाग लेते हैं। सभी कार्य सम्मानित माने जाते हैं, उनमें बड़े छोटे का भेद नहीं है। 'कार्य चाहे, कोई भी हो, परतु वह किया किस भावना में जाता है,' यही आश्रम में क्रिया का मानदण्ड है क्योंकि व्यक्ति की भावना हो उसके कार्य को साधना का सफल या असफल अग बनाना है। साधकों के साथ ही आश्रम में वेतन प्राप्त सेवनों की संख्या कई सौ हैं जो आश्रम का काम करते हैं। किंतु इनके साथ भी भेवकों जैसा व्यवहार नहीं होता है और उनकी आवश्यकताओं एव सुविधाओं की भी पूरी चिता की जाती है।

अर्रविद-आश्रम का मुख्य उद्देश्य है मानवोंय प्रेम का विकास करना। अत आश्रम के सभी सदस्य देश-जाति-र्धम आदि की सकीर्ण भावनाओं से मुक्त होकर जीवनयापन कर है। आश्रम एक ऐसी सगम भूमि है जिसमें विभिन्न देशों, जातियां, धर्मों और संस्कृतियों तथा भावी मानव की नव-संस्कृति के विकास के लिए प्रयत्नशील है जिसका आधार मानवोंय सवेदना और प्रेम है। यहाँ के पवित्र वातावरण में विभिन्न संस्कृतियों के तात्त्विक एव सूक्ष्म समन्वय को ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसका मनुष्य की नव-संस्कृति के निर्माण में निर्णायक भाग होगा। आश्रम में सबको, सब प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त है, परन्तु यह स्वतन्त्रता आध्याने त्विक अनुशासन द्वारा नियन्त्रित रहती है।

श्री अर्रविद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

आश्रम की महत्वपूर्ण संस्था श्री अर्रविद अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। श्री अर्रविद ने सन् १९४३-४४ में आश्रम के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। आरभ में इस स्कूल में ३२ छात्र थे परतु अब लभभग ३०० छात्र हैं। यही स्कूल आज एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया है।

यह स्कूल जूनियर तथा माध्यमिक भागो मे विभाजित है। माध्यमिक शिक्षा का स्तर देश मे प्रचलित मैट्रिक तथा फ्रास के बैकालौरियट के समकक्ष है। इसके पाठ्यक्रम मे भाषा, भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि सभी आधुनिक विषय रखे गये हैं। प्रयोग करने के लिए वहाँ आधुनिक सुविधाओं से सपन्न प्रयोगशाला है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि क अनुसार विशेष विषय के अध्ययन की स्वतन्त्रता है। उदाहरण के लिए, एक ही बालक इतिहास के लिए चौथी कक्षा मे बैठ सकता है और गणित के लिए दूसरी कक्षा मे। कहने का तात्पर्य है कि एक विषय मे बालक की कमजोरी उसे अन्य विषयो मे प्रगति करने से नहीं रोकती है। बालकों को, आज के शिक्षाविदों की विचारधारा के विपरीत, आश्रम मे अनेक भाषाएँ सीखने की सुविधा है और यह देखा गया है कि बालको मे एक ही समय मे आरभ मे कई भाषाएँ सीखने की चमत्का है। उदाहरण के लिए, एक बालक अंग्रेजी, फ्रेंच, हिन्दी, अपनी मातृभाषा बगाली तथा स्थानीय भाषा तामिल का ज्ञान बिना कठिनाई के प्राप्त कर लेता है। बालकों को पाठ्यक्रमेतर विषय—फोटोग्राफी, चित्रकारी, आश्रम के विभिन्न विभागो मे हस्तकलाएँ आदि सीखने के लिए प्रोत्साहना प्रदान की जाती है। वार्षिक परीक्षा-पद्धति के म्थान पर यहाँ छात्रों की परीक्षा मासिक होती है और अध्यापक भी छात्रों के विषय मे रिपोर्ट देते हैं। इसी मासिक परीक्षा तथा अध्यापकों की रिपोर्ट के आधार पर छात्रों को उत्तीर्ण किया जाता है।

मानसिक शिक्षा के साथ ही बालकों को शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ खेल कूद, व्यायाम, जिमनास्टिक आदि की व्यवस्था है। मानसिक और शारीरिक, दोनो प्रकार की शिक्षा आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति के निमित्त एव उसी के द्वारा प्रेरित है। मुख्य बात यह है कि बालकों को न तो आध्यात्मिक जीवन के सत्य सिखाने को कोशिश की जाती है, न योग, न नैतिक सिद्धात। वे इन चीजों को बातावरण से ग्रहण कर लेते हैं और बिना किसी बाहरो भय के या परमात्मा के भय से वे स्वभावत अकृत्रिम रूप मे आध्यात्मिकना के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ अध्यापक पर्याप्त मात्रा मे और उन्हे बेनन नहीं दिया जाता है वरन् उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति आश्रम करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मे भी, आश्रम की भाँति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और किसी भी देश, जाति, राष्ट्र, वर्म, भाषा, और मस्तूति का छात्र यहाँ प्रविष्ट हो सकता है। यहाँ शिक्षा नि शुल्क दी जाती है। अभिभावको और छात्रों को केवल अपने रहन-सहन तथा व्यक्तिगत व्यय का भार उठाना पड़ता है।

विश्वविद्यालय केन्द्र का उद्देश्य अर्रंविद-दर्शन के आधार पर छात्रों को पूर्णशिक्षा (Integral Education) के सिद्धातो से परिचित कराना तथा उसी आधार पर उन्हे शिक्षित करना है। यहाँ सभी प्रकार की शिक्षा—मानवत्ववैद्यो विषयो और वैज्ञानिक विषयों की—संदर्भात्मक और व्यावहारिक रूप मे दी जाती है। यहाँ मनोविज्ञान,

भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन, विश्व-सामजिस्य (World Integration) आदि विषयों की शिक्षा मुख्यरूप से दी जाती है। इनके साथ ही सामाजिक विषय एवं गणित को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। अपनी रुचि के अनुसार विद्यार्थी किसी भी चेत्र का अध्ययन कर सकता है। जिन विद्यार्थियों को आध्यात्मिक अनुशासन की व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उन्हें उसकी भी सुविधा प्रदान की जाती है। शिक्षा का माध्यम विद्यार्थी की मातृभाषा रहती है। परतु सब शिक्षा का आवार आध्यात्मिक है। इसी आध्यात्मिकता के आवार पर श्री अरविद इस ससार में मानव एकता स्थापित करना चाहते हैं। ग्रन्त यह स्मरण रखने की बात है कि आत्रम को शिक्षा का आधार किसी भी रूप में व्यावसायिक नहीं है क्योंकि माताजी का कहना है कि 'मैं शिक्षा को बेच्नी नहीं'

श्री अरविद अतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अपने ढग की सर्वथा नवीन शिक्षा-संस्था है जहाँ शिक्षा के चेत्र में नूतन प्रयोग हो रहे हैं। यह पौरस्त्य और पाश्चात्य विचार-धाराओं का समन्वय-केन्द्र है।

सहायक साहित्य

श्री अरविद

- 1 *The Life Divine*
- 2 *The Ideal of Human Unity*
- 3 *The Synthesis of Yoga*
- 4 *The Ideal of the Karmayogin*
- 5 *The Human Cycle*
- 6 *The Brain of India*
- 7 *The Renaissance in India*
- 8 *The National Value of Art*
9. *A System of National Education*
- 10 *The Message and Mission of Indian Culture*
- 11 *On the Veda*
- 12 *On Education*
- 13 *Essays on the Gita, First Series*
- 14 *Essays on the Gita, Second Series*

अन्य लेखक

- 1 S K Maitra · *Studies in Sri Aurobindo's Philosophy*
2. *Sri Aurobindo Mandir, Second Annual, Jayanti Number,*

15th Aug 1943

परिशिष्ट

आठ प्रमाण सचिवस्तार निम्नरूप में है :—

- १ प्रत्यक्ष—जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थ के साथ श्रोत्रादि इन्द्रिय और मन के निकट-सबध से ज्ञान होता है, उसको 'प्रत्यक्ष' कहते हैं ।
- २ अनुमान—किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक आग को प्रत्यक्ष देखकर, पश्चात् उसके अदृष्ट अगों का जिससे यथावत् ज्ञान होता है, उसको 'अनुमान' कहते हैं ।
- ३ उपमान —जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के तुल्य नीलगाय होती है, ऐसे जो उपमा गे सादृश्य ज्ञान होता है, उसको 'उपमान' कहते हैं ।
- ४ शब्द —जो पूर्ण प्राप्त धर्मेश्वर और प्राप्त मनुष्य का उपदेश है, उसी को 'शब्द प्रमाण' कहते हैं ।
- ५ ऐतिह्य—जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असभव और भूठ लेख न हो, 'ऐतिह्य' (इतिहास) कहते हैं ।
- ६ अथापिति—जो एक बात के कहने से दूसरी बिना कहे समझी जाय, उसी को 'अथापिति' कहते हैं ।
७. सभव —जो बात प्रमाण, युक्ति और सूष्टिक्रम से युक्त हो, वह 'सभव' कहाता है ।
- ८ अभाव—जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ । उसने वहाँ देखा कि यहाँ जल नहीं है, परतु यहाँ जल है, वहाँ से ले आना चाहिए इस अभाव निमित्त से जो ज्ञान होता है, उसे 'अभाव' प्रमाण कहते हैं ।

अनुक्रमणिका

(दार्शनिकों के नाम संकेत रूप में उनके प्रथम अन्तर से किए गए हैं)

अग्राहा	२७	अविद्या	२४
अचेतन मन	१६३	अमत्	२६०
,, और चेतन विकास क्रम	२६५	असत्य	२७
अध्ययन की सामान्य रूप रेखा	११२	अस्पृश्यता निवारण	१६७
अध्यापक और दड़	१५२	अहकार	२५६
अध्यापकों का प्रशिक्षण	२२८	अहिंसा	१८५, १८६, १६६
,, के लिए प्रशिक्षण विद्यालय	२४०	,, और सत्य	२००
अतिकालिक वैयक्तिक आत्मा	२६३	आत्म त्याग	४६
अतिमानव	२५२	आत्म-चेतन-शक्ति	२६८
, जाति	२६५	आत्म-प्रयास	२७०
अतिमानस	२७७	आत्मबोध	६६, २०३
,, का आविभव	२५८	आत्मविश्वास	६४
अतिमानसिक स्तर	२५२	आत्मसमयम्	१०२
अतिवादी दण्डिकोण	२५५	आत्मा	८८, ७९
अद्वैत	४५, ४७, १३०	आत्मा का स्वरूप	१३२
अद्वैत ब्रह्म	१३१	आत्मा के गुण	१०
, नैतिकता	४६	आत्मानभूति	६२
अनादि तत्त्व	६	आत्मा, मन और शरीर	५९
अनासक्त योगमार्ग	२१३	आध्यात्मिक एकता	२६६
अनिवार्य शिक्षा	२१	आत्मोपलब्धि	१३८
अनुबृथ	१६	आदान	६८
अनुशासन, आतरिक	२८६	आदर्श अध्यापक	६६, १५२
, नैतिक	२०	आदर्श, नागरिकता का	२२४
अनेकता में एकता	४६	आदर्श राज्य	२०१
अमेरिका प्रस्थान (वि०)	३७	आदर्श विद्यार्थी	१००
अल्प कालीन ज्ञानशक्ति	२२६	आनद	१३१
अवधान	२८१	आत्मिक अनुशासन	२८६
अवस्थाएँ, आत्मा की	१५		

अनुक्रमणिका		२६५
आरभिक प्रशिक्षण, बालक का	२७५	अत प्रकाश
आरभिक शिज्ञा बालक की	२०८	
आर्यसमाज	६	कर्तव्य
आश्रम-धर्म	६७	कर्म
आश्रमवास	२०६	कर्म द्वारा शिक्षा
आज्ञा-पालन	१०२	कर्मयोग
		कला
इच्छा	१४६	कल्पना का मुक्त विकास
इगलैंड मे (वि०)	४८	कसौटियाँ, सत्यता को
		कॉर्मशियल हाई स्कूल
ईश्वर (वि०)	४३ ४८	कोश (द०)
ईश्वर के गुण (द०)	१०	क्रिया द्वारा शिक्षा
ईश्वर सगुण या निर्गुण (द०)	१२	
		खेल और काम
उच्च शिक्षा का विनाश	२३४	
उत्पादक कार्य	२३२	गणित
उत्तर बेसिक कालेज	२४०	गार्हस्थ्य जीवन (र०)
उत्स	१३२	, , (अ०)
उद्देश्य, वैयक्तिक और सामाजिक	२०६	गुण, विद्यार्थी के
उन्नति, ज्ञानेत्रियों के कार्य मे	२८०	गुण-वैधर्म्य
उपचार, प्राकृतिक	२०६	गुण, शिक्षक के
उपग्रहन	२८४	गुण-साधर्म्य
		गुरु का साक्षात्कार, प्रथम (वि०)
ऋषि वैली ट्रस्ट	१२१	गुरुकुल (द०)
		गुरुकुलवास (वि०)
एकता, का सिद्धात	१६६	गुरु के पास (द०)
एकता सत्य की	१६६	गुरु-शिष्य
,, विचार की	१६६	गृह-त्याग (द०)
एकाग्रता, चित्त की	६३	ग्रथ-रचना (द०)
एप्रीकल्चरल हाई स्कूल	११६	ग्राह
एनी बेसेट, डॉ०	७८	
		घर मे शिक्षा
अतर्निहित, समस्त ज्ञान	२६८	

चतुरगीय शिक्षा	१०४	जीवात्मा का स्वभाव	२६२
, , , के उद्देश्य	१०५	जीविकोपार्जन	२०५
चरित्र निर्माण	२०४	जोहेनेसबर्ग मा०)	१८०
चरित्र सबधी शिक्षा	६६		
चित्त	२७६	टॉलस्टॉय आश्रम	१२९
चित्त की एकाग्रता	६३	टेक्निकल हाईस्कूल	११६
, , शुद्धि	२८०		
चेतना	२६१	तपस्	२६८
चैत्य पुष्प	२६३	तपोवन	६६
		, आश्रम	१५०
छठी इतिहास, मानस	२७६	तमस्	२६८
		तथ्य और सत्य	१३३
जगत्	१२	तर्कशक्ति का प्रशिक्षण	२८५
, और माया	१३४	तात्कालिक उद्देश्य	२०४
जनता कॉलेज	२४०	त्याग	५७
जन्म एवं शिक्षा (अ०)	२४४		
जन्म और प्रारम्भिक जीवन (ए)	७८	प्रियोसोफिकल सोमायटी	८३
, , बाल्यकाल (२०)	१२२		
जाति	६६	दक्षिण अफ्रीका की यात्रा (गा०)	१७७
जीवन और कार्य (अ०)	२४४,	दिविजय (द०) ५, (र०)	१२८
(ए०) ७८, (गा०) १७४,		दिव्य अनुभूति की प्राप्ति	३५
(द०) १, (र०) १२२, (वि०) ३४		दिव्य मानवता	२६५
जीवन, कला और सौदर्य	२१५	दीर्घकालीन प्रशिक्षण	२२६
जीवन का चरम लक्ष्य	१३७	दृष्टिकोण, समन्वयवादी	१३०
जीवन के अतिम वर्ष (२०)	१२६	देवयज्ञ (द०)	२३
जीवन-दर्शन (अ०) २५०,		देशभक्ति का बीजारोपण (अ०)	२४५
(ए०) ८५, (गा०) १८५,		देश में सगठन	३६
(द०) ८, (र०) १२६,		दंड (द०)	२०
(वि०)	४०	द्विजेतर एवं स्त्री-शिक्षा	२८
जीवन-दर्शन पर आधारित स्थायें		दैवी अनुकंपा	२५७
" (वि०) ७५		, अश	२७३
जीवन्मुक्ति	४४,५४,५६	, सदेश	२४८
जीवात्मा और ब्रह्म	६	द्वैत की अभिव्यक्ति का आदिमरूप	५०

द्वैतवादी सप्रदाय	४३	पराविद्या	६६
धर्म	१४४, ६६, ८७	परीक्षण स्थाएँ	२४६
धर्म का स्वरूप	२८, ८७, १५५, २१४	पाठन की समय-सारणी	२३०
धर्म के सिद्धात		पाठ्यक्रम	२२५
विकास ८६, विभिन्नताएँ	८७,	पाठ्य-विषय	६२, १५३, २१०,
सत्य और असत्य	६०	पाप की समस्या	२५३
धर्म साधन की विधि	१४८	पाढ़ीचेरी	२८८
धर्म-नीति के आधार-भूत सिद्धात	२१५	पिछड़े वर्गों की शिक्षा	१०८
धार्मिक शिक्षा	६६, २८५	पुनरुत्थान कार्य	८१
धार्मिक शिक्षा की विधि	७०	पुनर्जन्म	१३, ६३
नई तालोम	२३६	पुरस्कार और उपाधियाँ	१२७
नकारात्मक विचार	६२	पूरण्योग	२६६
नागरिकता का आदर्श	२२४	प्रकृति-अध्ययन	१६७
नाड़ी शिराएँ	२७६	„ और सौंदर्य	६७
, शुद्धि	२८०	प्रगतिशील बोध	३१
नि जत्व	२६२	प्रमाण	२७
निम्नमानस	६३	प्रतियोगिता	२३२
नियम	२७	प्रत्यय प्रभाव	२७६
निर्माण	२६३	प्रत्यक्ष उपलब्धि	३२
निर्वाण (वि०)	४०	प्रत्यक्षीकरण	२८१
निवृत्तिवादी दृष्टिकोण	२६१	प्रशिक्षण, अध्यापकों का	२२८
नैतिक अनुशासन (द०)	२०	„ अल्पकालीन	२२६
नैतिक शिक्षा	२८५	„ तर्क शक्ति का	२८५
पठन-पाठन के घटे	१११	„ दीर्घकालीन	२२८
, , विधि (द०)	२४	„ मानसिक शक्तियों का	२८२
परम उद्देश्य मुक्ति	१६५	„ विद्यालय	२४०
परम लक्ष्य सत्य का बोध	१६६	„ ज्ञानेंद्रियों का	२७८, २८२
परमपुरुष	१३१	प्राइमरी स्कूल	११३
, की अनुभूति का साधन	१३५	प्राकृतिक उपचार	२०८
परममुक्ति	२६०	„ और सामाजिक शक्तियों	

फिलिक्स आश्रम	१७६	महाप्रयाण (गा०)	१८१
		महासमाधि (अ०)	२५०
बालक का आरभिक प्रशिक्षण	२७५	मानस, छठी हृद्रिय	२७६
बालक की आरभिक शिक्षा	२०८	मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण	२८२
बालमनोविज्ञान की उपेक्षा	२३१	मानसिक शिक्षा	१०५
बाल्यकाल और शिक्षा (द०)	१	माता पिता द्वारा शिक्षा (द०)	१८
बाल्यावस्था और शिक्षा (वि०)	३८	मातृभाषा	२२६
,, „ (गा०)	१७४	मातृभाषा, शिक्षा का माध्यम	७५
बुद्धि	२७७	मानव और प्रकृति	१५६
बैसिक शिक्षा	२३६	मार्गत्रय	६७
बोग्गर युद्ध	१७६	मुक्ति	१३, ५५, ५८, १६५
बधुत्व, विश्व	५३	मुक्ति के लिए सर्वर्ष	५५
ब्रह्म और जगत्	१३४	मुक्ति के साधन	१५
ब्रह्म और माया (वि०)	४३	मुख्य व्रत	१६३
ब्रह्म के विविध स्वरूप	१७१	मुमुक्षुत्व (द०)	१५
ब्रह्मचर्य	२६७	मोक्ष-प्राप्ति (वि०)	५५
ब्रह्मचर्य और श्रद्धा	६४		
ब्रह्मचर्यानुशासन	२६६	यम	२७
ब्रह्म विहार	१३६	वज्रोपवीत	१०१
		यज्ञोपवीत एव देश ऋमण (२०)	१२५
भारत आगमन (ए०)	८०	योग	५८
„ „ (गा०)	१८२	योजना की प्रगति	२३८
भारतीय सम्भता	८६	„ पर आधारित संस्थाएँ	२३८
भारतीय शिक्षा के आदर्श	६५	यत्र	१६८
भोजन	२०६		
भोजन और वेशभूषा (द०)	२२	रचनाएँ (२०)	११८
		रचनात्मक अभिव्यक्ति	१६२
मन	६७	रचनात्मक विचार	६२
मन के स्तर	२७६	रजस्	२६८
मनुष्य का वास्तविक स्वभाव (वि०)	४८	रवीन्द्रनाथ और फर्बिल	१६८
,, जीवन के दो पक्ष	१६६	राजनीति के क्षेत्र में (२०)	१२७
महाप्रस्थान (ए०)	८५	राजनीति में प्रवेश (ए०)	८३
महाप्रयाण (द०)	७	रामकृष्ण मिशन	७६

रामानुज (द०)	६	विवाह और विच्छेद (५०)	७६
राष्ट्रवाद और अतर्राष्ट्रवाद	१४१	विवेक	६५
राष्ट्रीयता और अतर्राष्ट्रीयता	२०७	विशिष्टाद्वैतवाद	४४
राष्ट्रीय प्रतिभा की उपेक्षा	२३५	विशेष सर्वगं	१४
राष्ट्रीय शिक्षा और मातृभाषा	२११	विश्वबृहुत्व	५३
राष्ट्रीय शिक्षा-योजना	१०७	विश्व-धर्म सम्मेलन	३७
रात्रि पाठशालाएँ	१०६	विश्वात्मा	१३२
रेतस्	२६८	वेदात की विशेषता	४१
		वेषभूषा	६६
लोअर सेकेडरी स्कूल	११५	वैराग्य (८०)	१५
		वैष्णव अद्वैत	१३१
वर्ण-धर्म	६८	व्रत, मुख्य	१६३
वर्णश्रम धर्म (द०)	३१	„ सहायक	१६४
वर्धा शिक्षा-योजना	२१६	व्यक्ति	५६
„ „ „ की विशेषताएँ	२२०	व्यक्तिगत एव सामाजिक उद्देश्य	५६
„ „ „ पर आलोचना-		व्यक्तिन्त्व विकास के साधन	५७
त्मक दृष्टि	२३०	व्यक्तवाद	२६३
आचन	२१०	„ का आदर्श	१३८
विकल्पकाल (८०)	८०	व्यक्ति स्वातंत्र्य	१३८
विकास	२५०	व्यवस्था	१००
विकासक्रम	२५१		.
„ अनुचेतन और चेतन	२६५	शक्ति	७१, २६८
विकास, संगतिपूर्ण	२०६	शरीर	१५
विवार	२१२	शान्तिनिकेतन	१२६
„ नकारात्मक	६२	शास्त्रार्थ, निषेधात्मक	५
„ रचनात्मक	६२	„ विवेयात्मक	५
विदेश यात्रा (८०)	१८५	शिक्षक और मनोविज्ञान	२७२
विद्या	२४, ६६	„ का दायित्व	२७३
विद्याध्ययन काल (८०)	२३	„ के आवश्यक गुण	६५
विद्याभ्यास	२१०	शिल्प-कला के सिद्धात	३५५
विद्यार्थी और शिक्षक के आवश्यक गुण	६५	„ का केन्द्र सूर्य जीवन	१६८
„ और ऋहाचर्य	१५१	„ क्रमिक	२७४
विलायत के लिए प्रस्थान (गा०)	१७६	„ पद्धति	१६४, २७५

,, समकालिक	२७४	(ए०) १२०, (द०) ३२, (गा०) २३८
,, विवि	६३, २११	शैक्षिक सिद्धात (द०)
शिक्षा	१२३	शक्र
,, ग्राम-निर्भर	२२३	श्रवण चतुष्टय
,, और स्कृति मे अन्तर	६४	श्री अरविंद आश्रम, पाडीचेरो
,, कर्म द्वारा	२१२	, , , अतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय २८०
, का माध्यम	१११, १५३	श्रुति
,, का चरम उद्देश्य	२०२	
, का लक्ष्य	५६	षटक् सप्तति
,, की सामान्य व्यवस्था	१११	
,, के तीन स्वाभाविक काल	१०६	सक्रिय राजनीति
,, के तीन सिद्धात	२७३	, स्मृति
,, के प्रचीन भारतीय आदर्श	१५०	समकालिक शिक्षण
,, के सिद्धात	१०३	समन्वयवादी दृष्टिकोण
,, चरित्र सबधी	६६	समय सारणी
, धार्मिक	६६, १०५, २८५	समस्त ज्ञान, अतीन्हित
,, नैतिक	१०२, २८५	समाज का ज्ञान
,, बैसिक	२३६	सत्
,, मानसिक	१०५	सत्ता
,, मे ग्रामीण आदर्श	१५१	सत्य
, योजना (ए०)	१०२	, , और अर्हिसा का प्रयोग
,, राष्ट्रीय	२६६	, , और ईश्वर
,, शारीरिक	१०१	, , की खोज (द०)
,, सर्व साधारण के लिए	७४	, , की प्राप्ति का साधन
,, संस्थाएँ (द०)	३२	सत्यता की कसौटियाँ
,, स्वशासित	६५	सत्याग्रह
,, हस्त-कला केन्द्रित	२२१	, , आश्रम, सावरमती
,, से तात्पर्य (ए०) ६३, (द०) २४,		सत्य, शिव, सुदरम्
(गा०) २०२; (वि०) ६०		सत्त्व
शिक्षा-दर्शन (ग्र०) २६४, (ए०) ६२,		सरलता
- (द०) १६, (गा०) १६६,		सर्वसाधारण के लिए शिक्षा
(र०) १३७, (वि०) ५४		सर्वशुक्ला सरस्वती
शिक्षा पर आधारित संस्थाएँ (ग्र०) २८६,		सर्वोदय समाज

सविचार कार्य	२१२	ससार मिथ्या नहीं	२७०
सविचार प्रशिक्षण	१६६	सस्कार	१७
सहनशीलता	१०३	सकृति	७५
मह-शिक्षा	२१८	, से तात्पर्य	६४
सहानुभूति, बालक के प्रति	१५५	सस्थाएँ (अ०) २८८, (ए०) १२०,	
सहायक-चर्चा	१६४	(गा०) २३८, (द०) ३२,	
सहायक साहित्य(अ०) २६२, (ए०) १२१,		(र०) १७१, (वि०) ७५	
(गा०) २४२, (द०) ३३,		सस्थाएँ परीक्षण	२४१
(र०) १७३, (वि०) ७६		साख्य मनोविज्ञान	५१
साधनाकाल (अ०)	२४८	सास्कृतिक विकास	२०५
साधारण विज्ञान	२२७	स्तर, अतिमानसिक	२५२
साधार हस्तकौशल	२५५	, मन के	२७६
सावरभती	१८३	स्वतंत्रता	१००, १५८
मामाजिक शिक्षा एव स्वशासन	१६०	स्वतंत्रता संग्राम	१८३
मामान्य हाईस्कूल	११८	स्वदेश आगमन (अ०)	२४६
, सर्वग	१४	स्वाध्याय	१०२
सावर्जनिक जीवन मे प्रवेश (ए०)	८०	स्त्री-शिक्षा	७२, १०६, २१७
सावर्भौम विज्ञानधर्म	५२		
साहस	१०३	हस्त कला और केन्द्रीयता	२३४
सिद्धि प्राप्ति (अ०)	२४८	हस्त कला और चरित्र-निर्माण	२३३
भिद्धात, धर्म-नीति के आधारभूत	२१५	हस्त-कला और प्रतियोगिता	२३२
सृष्टि चक्र	४२	हस्त कला केन्द्रित शिक्षा	२२१
सेंट्रल हिन्दू कॉलेज	८२, १२०	हाई स्कूल	११७
, , , , बालिका विद्यालय	१२०	हायर सेकेंडरी स्कूल	११६
सेवा	१०१	हिंदुस्तानी	२२८
सौदर्य	२१५		
सकल्प (वि०)	३३	ज्ञान	६३
समातिपूर्ण विकास	१४२, २०६	ज्ञान, अर्तनिहित	२७३
संगीत	२२८	ज्ञान प्रणि (द०)	२
संपत्ति, षटक्	१५	ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण	२७८, २८८
संपूर्ण जीवन	१६८	के कार्य मे उन्नति	२८०
संबंधों के प्रशिक्षण का समय	११५		